(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 15

गुरुवार

20 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

औद्योगिक क्षेत्र मादड़ी (उदयपुर) में आवंटित प्लाटों का स्थानान्तरण

423. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर में गत दो वर्षों में आवंटित प्लाटों के स्थानान्तरण के प्रार्थना पत्र विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने और उनमें से कितने प्लाट स्थानान्तरित कर दिये गये ? जिन भू-खण्डों को स्थानान्तरित नहीं किया गया उनके आवेदनकर्ताओं के नाम और विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) यदि कोई उद्योग अपने एक प्लाट पर लगाये गये उद्योग को अपने दूसरे उद्योग के साथ सम्मिलित कर ले और इस खाली प्लाट को अन्य को स्थानान्तरित करना चाहे तो उसमें रीको को क्या कठिनाई है ?

(3) यदि किसी उद्योग के प्रोजेक्ट की लागत का प्रमाण-पत्र जिला उद्योग केन्द्र किसी कारण से न दे और अन्य स्थानान्तरण कराकर उद्योग लगाना चाहे तो क्या रीको को अपना प्लाट स्थानान्तरित करने का अधिकार है ?

(4) रीको द्वारा आवंटित प्लाट को यदि कोई पार्टी कम कर उस पर उद्योग लगाना चाहे तो पूर्व में जिस पार्टी के नाम प्लाट आवंटित था उसमें नियोजित पूंजी का प्रमाण-पत्र अब नई पार्टी से लेना या उसको आधार बनाकर प्लाट को स्थानान्तरित नहीं करना क्या उद्यमियों को हतोत्साहित करना नहीं है ?

उप मुख्य मंत्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर में गत दो वर्षों में कुल 31 प्लाटों के स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र रीको कार्यालय को प्राप्त हुए हैं जिनमें से 22 प्लाटों का स्थानान्तरण स्वीकृत हो चुका है। शेष 9 प्रार्थना-पत्रों पर स्थानान्तरण स्वीकृत नहीं किया गया जिनके कारणों का विवरण (परिशिष्ट "अ") सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) रीको द्वारा एकल स्वामित्व वाली फर्मों/साझेदारी फर्मों/ निजी कम्पनियों को आवंटित भूखण्डों के एकीकरण को मान्यता प्रदान की जाती है, यदि ऐसी फर्मों के

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

मालिक/ साझेदार/ निदेशक एक ही हों अथवा उनका आपस में खून का रिश्ता हो अथवा दोनों इकाइयों में उनकी प्रमुख तथा नियंत्रणात्मक हिस्सेदारी हो (कम से कम 51 प्रतिशत), ऐसी इकाइयों के व्यवसायिक उत्पादन में आ जाने के पश्चात रीको के नियमों के अनुसार निर्धारित प्रीमियम (प्रचलित विकास शुल्क का 5 प्रतिशत) के भुगतान करने पर पूर्ण भूमि के स्थानान्तरण हेतु रीको द्वारा विचार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन में आने के पश्चात प्रचलित विकास शुल्क की 30 प्रतिशत राशि के भुगतान करने पर उनके खाली भू–भाग के स्थानान्तरण हेतु रीको द्वारा विचार किया जा सकता है।

(3) रीको के नियमों के अन्तर्गत स्व-वित्त पोषित इकाई को प्लाट स्थानान्तरण हेतु उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त करके रीको को प्रस्तुत करना होता है कि इकाई द्वारा भू-खण्ड पर आबंटन के समय प्रस्तुत परियोजना के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इस प्रमाण-पत्र के अभाव में स्थानान्तरण की स्वीकृति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) केवल लाभ कमाने की दृष्टि से भू-खण्ड स्थानान्तरण करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए परियोजना के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त करने के लिए रीको के नियमों में प्रावधान किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विधान सभा में मेरा यह प्रश्न लगने के बाद कितने उद्योगों का स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जिसका आपने चाहा उसका कर दिया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : औरों से मतलब भी क्या है ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैसर्स मार्बल्स टाइल्स इण्डिया–भूखण्ड संख्या जी–2/91, इनका स्थानान्तरण पहले इसलिये नहीं किया गया था कि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में 2 लाख 28 हजार रुपये का इन्वेस्टमेंट बताया और प्रोडक्शन का कोई हिसाब भी पेश नहीं किया और जो खर्चा बताया वह केवल 60 हजार का बताया। आपके प्रश्न के लगने के बाद में उन्होंने जो बाद में इन्वेस्टमेंट किया वह 2.80 लाख अर्थात् 228 से ज्यादा का किया इसलिए उनके स्थानान्तरण की स्वीकृति दे दी गयी।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : ठीक है, साहब।

प्रश्न संख्या 424

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल जी उपा-

(श्री अध्यक्ष)

ध्याय। प्रश्न संख्या 424 । श्री रामपाल जी उपाध्याय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

राज्य की रसायनशालाओं में औषध निर्माण

425. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य की चारों रसायन शालाओं में आवश्यकतानुसार औषध निर्माण की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) गत चार वर्षों में चूर्ण, अवलेह, आसव एवं भस्म आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या-क्या कमियां रहीं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पूर्ण औषध बनाये जाने हेतु एक या दो औषध योग के अभाव में दिसम्बर, 1994 तक कितनी औषधियां अपूर्ण रहीं ?

(4) क्या सरकार अपूर्ण औषधियों को पूर्ण किये जाने के लिए प्रयासरत है ? यदि हां, तो इस हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम): (1) जी हां । राज्य की चारों रसायन शालाओं में औषध की आवश्यकता एवं उक्त मद में उपलब्ध बजट प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए औषध निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापक, आयुर्वेदिक रसायन शाला के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रत्येक रसायनशाला एक प्रभारी अधिकारी के अधीन संचालित होती है। योजना के अनुसार प्रत्येक रसायनशाला में निम्न प्रमुख औषधियां निर्मित की जाती हैं :-

(अ) अजमेर — अवलेह, गुटिका, तेल एवं यूनानी औषधियां।

(आ) उदयपुर— अवलेह, तेल, गुटिका आदि।

(इ) जोधपुर— सभी प्रकार के चूर्ण।

(ई) भरतपुर— भस्में ।

(2) गत चार वर्षों मे चूर्ण, अवलेह, आसव एवं भस्में आदि की आवश्यकता की पूर्ति में प्रमुख निम्न कमियां रही हैं :—

(अ) कच्चे घटक द्रव्यों का समय पर प्राप्त न होना।

(आ) कुशल श्रमिकों का अभाव।

(इ) विद्युत आपूर्ति का समय पर उपलब्ध न होना।

(ई) रसायनशाला में आधुनिकतम मशीनरी का अभाव।

(3) एक घटक द्रव्य के अभाव में 18 औषधियां एवं दो घटक द्रव्यों के अभाव में 10 औषधियों का निर्माण दिसम्बर, 1994 में अपूर्ण रहा।

(4) जी हां। एक या दो घटक द्रव्यों के अभाव में जो औषधियां अपूर्ण थीं; उन्हें पूर्ण करने हेतु निम्न प्रयास किये गये हैं :-

(अ) वर्ष 1994-95 में सामान्य निविदा प्रसारित की गयी और उसके अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर क्रय समिति द्वारा विचार कर

(5)

(श्री अचला राम)

अनुमोदित दर के अनुसार क्रय आदेश जारी किये गये ।

(आ) सामान्य निविदा के माध्यम से औषधि के घटकों की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर औषधि उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये ।

(इ) जो हरी ताजा औषधियां ऋतु विशेष में उपलब्ध होती हैं, उन्हें स्थानीय स्तर पर क्रय करने के प्रयास किये गये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां पर औषध निर्माण के संबंध में बात बताई । मैं पूरक प्रश्न के द्वारा यह पूछना चाहती हूं कि इन चारों रसायनशालाओं में से एक में भी आसव निर्माण होना नहीं बताया कि आसव का निर्माण यहां किया जाता है । यह बतायें । (व्यवधान) मैं चारों खण्डों के सम्बन्ध में पूछूंगी, नहीं तो आप कह देंगे कि बैठ जाओ । अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि प्रभारी अधिकारियों की देख–रेख में इन औषधियों का निर्माण किया जा रहा है । मंत्री महोदय बतायें कि क्या इन चारों रसायनशालाओं में कोई अधिकारी अभी है ? उत्तर में आपने यह बताया है कि मशीनरी के अभाव में, विद्युत आपूर्ति के अभाव में, कुशल श्रमिकों के अभाव में और कुछ दवाइयों के अभाव में औषधियों का निर्माण नहीं हो सका । एक ओर तो मंत्री महोदय आपने बताया कि निविदा आमंत्रित की गई थी । तो कुशल प्रभारी के द्वारा इन औषधियों के कुशल श्रमिक क्यों नहीं ढूंढे गये, मशीनरी उपलब्ध क्यों नहीं करवाई ? यह मुझे उत्तर दें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घटक के अभाव में 18 औषधि और 2 घटकों के अभाव में 10 औषधि निर्माण नहीं हो सकीं । मंत्री महोदय यह बतायें कि कितने वर्षों से नहीं हो सकीं ? मैंने 4 वर्षों का हवाला पूछा था । आप जब से मंत्री बने हैं तब से क्या आपने इन रसायनशालाओं का दौरा किया है ? यदि दौरा कर लेते तो निश्चित रूप से यह अभाव या कमी नहीं रहती । आश्वस्त करें कि आने वाले समय में....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य–सचेतक) : आपके साथ कर लेंगे ।.... (व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी कार्य पद्धति में कमी है । निविदाएं आमंत्रित किये जाने का कोई अर्थ नहीं होता है । औषधियों की जांच कर काम में लेना पड़ता है । अगर आपने निविदाएं दी हैं तो आप प्रचलित औषधि लेंगे, वह आयुर्वेदिक इलाज में काम में नहीं आती है । अध्यक्ष महोदय, इन पूर्ण घटकों के अभाव में क्या मंत्री महोदय को ज्ञान है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर वैद्यों की, चिकित्सकों की क्या हालत हुई होगी ? जिनके पास औषधि नहीं होती और जिनके पास रोज मरीज आते हैं, उनका रोज अपमान कर गये होंगे । इस विभाग की स्थिति को सुधारने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं, बताइये ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री अचला राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर रसायनशाला में पहले

(श्री अचला राम)

आसव का निर्माण होता था। प्रत्येक रसायनशाला में प्रभारी है और जहां तक कुशल कारीगरों का प्रश्न है, पुराने जो भी चल रहे हैं वे हैं और उनमें कुछ कारीगर हटा दिये हैं जिसके कारण से यह अभाव आया है। एक एक घटक के अभाव में जो औषधि रह गयी हैं, वे इस कारण से रही हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : 18 लिखी हैं और आप 2 बोल रहे हैं।

श्री अचला राम : हां, 18 औषधि तो एक घटक के कारण से रह गयी हैं और उनके कारण यह रहे हैं कि या तो वे घटक समय पर नहीं मिल पाये या परीक्षण में ठीक नहीं उतरे। इस कारण से वे औषधियां निर्मित नहीं हो सकीं।

क्रय पद्धति के बारे में आपने बताया कि यह थोड़ी जटिल है। इस क्रय पद्धति का हम परीक्षण करवा देंगे। उसके बाद ही हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।

औषधि की कमी की बात बतायी थी, गत वर्ष में हमने, मंत्री बनने के बाद में अधिक औषधियां भेजने का प्रयास किया है। धन्यवाद।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जिन औषधालयों में औषधियां नहीं भेज पाये हैं निविदा के कारण से, जटिलता के कारण से या क्रय पद्धति के कारण से, क्या आपने उनको यह अधिकार दिया है कि वे बाजार से औषधि ले करके चिकित्सा करें? नम्बर दो, आपने यह बताया कि आसव उदयपुर में पहले बनता था। पहले उदयपुर में बनता था तो अब कहां बनता है? यदि नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है? बनता है तो कहां बनता है?

श्री अचला राम : औषधि खरीदने का चिकित्सकों को हमने कोई अधिकार नहीं दिया है। आसव के जो घटक होते हैं, वे ठीक समय पर नहीं मिलने के कारण हमने औषधि बनानी बन्द कर दी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ताराजी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न का जवाब उप मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। जापान ने आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति डिक्लेयर कर दी और सारा संसार इस समय हर्बल मेडिशंस की ओर बढ़ रहा है और आयुर्वेद हर्बल मेडिशंस का सबसे बड़ा खजाना है और राजस्थान में वनौषधि पैदा करने का सबसे बड़ा क्षेत्र पहले हमारे पास था। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा कि वनौषधि उत्पन्न करने और आयुर्वेद की रसायन शालाओं में हर्बल औषधि का उत्पादन करने के सम्बन्ध में कोई नीतिसंगत निर्णय लेंगे? माननीय विश्नोई जी भी कुछ पूछना चाहेंगे। उप मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कहें। आज 10–10 हजार रुपये देकर विज्ञापन निकल रहे हैं, जर्मनी में और जापान में आयुर्वेद के चिकित्सकों को ले जा रहे हैं यह कहकर कि आप वनौषधि से हर्बल चिकित्सा करेंगे। इस चिकित्सा पद्धति की ओर दुनिया का रुझान हो रहा है। तो ऐसे समय में हमारी चिकित्सा पद्धति में हम अधिक से अधिक खोज कर सकें, बहुत बढ़िया कर सकें, इसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिए राज्य सरकार क्या सोचती है, मैं उप मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा।'

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा जी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) यह प्रश्न काल है या भाषण काल है। कभी इधर से उठे, कभी उधर से उठे।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, खोज करने की बात तो आगे है लेकिन छोटे–छोटे गांवों के अन्दर औषधालय हैं, उन औषधालयों के अन्दर दवाइयां नहीं हैं। 5 पैसा पर पेशेंट के हिसाब से गांवों के अन्दर दवाइयां नहीं हैं। वैद्य बैठा है, कम्पाण्डर बैठा है और एक हैल्पर बैठा है, दिन भर मक्खियां मारते हैं। पेशेंट आते नहीं, आसव दे नहीं पाते। किसी ने अगर वह लिख दिया तो गांव में मिलता नहीं है। छोटी–छोटी दवाइयां हैं जो शहर में जाकर लानी पड़ती हैं। वहां कुछ मिलती ही नहीं हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप अपने औषधालयों में जो बजट आपका है उस बजट के मुताबिक दवाइयां पर्याप्त संख्या में पहुंचाने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह एक सवाल है....

श्री अचला राम : जहां तक वनौषधि उद्यान को बढ़ावा देने की बात है, इस पर सरकार विचार कर रही है कि वनौषधि उद्यान को बढ़ावा दिया जाय और जो भी हमारे पास उपलब्ध उद्यान हैं वहां पर वनौषधि तैयार की जायं। अब उधर के माननीय सदस्य रामनारायणजी ने बताया, दवाइयों के अभाव में वैद्य बैठे रहते हैं या औषधालय खाली पड़े रहते हैं, उस सम्बन्ध में मैं आपको यह सूचना देना चाह रहा हूं कि गत वर्ष की बनिस्बत इस वर्ष औषधियों के मद में बजट डबल किया गया है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा सवाल है, मुझे बोलने दिया है अध्यक्ष महोदय ने।

श्री रामनारायण चौधरी : बजट तो डबल किया है लेकिन औषधालयों के अन्दर दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। बीच में ही खा जाते हैं। या तो हैड आफिस में खा जाते हैं या जिले में खा जाते हैं या रेंज में ही खा जाते होंगे। औषधालयों में बीमारों के लिए दवाइयां नहीं पहुंचती हैं।

श्री अचला राम : अध्यक्ष महोदय, कोई बीमार होगा तो औषधि खाता होगा। किन्तु ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से औषधालयों में वितरित की जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा जी। एक मिनट, तारा जी को पूछने दीजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि औषधि उपलब्ध कराने के लिए....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला जी, आप 3–4 सवाल पूछ चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तात्कालिक रूप से क्या प्रयत्न करने वाले हैं ? सारी परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयत्न

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

करने वाले हैं ? एक तो परीक्षण नहीं हुआ, एक तरफ रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एक तरफ सब को निलम्बित कर दिया, दूसरी तरफ औषधि नहीं बन रही है। इस विभाग की छवि आप उत्तम बनाने के लिए, सुधा-के लिए क्या करने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्रीमती तारा जी। माननीय मंत्रीजी, बिराजिये आप।

श्री अचला राम : रसायन शाला में हमने अभी तक किसी को भी निलम्बित नहीं किया है इसलिए रसायन शाला में औषधि प्रोडक्शन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वितरण की अव्यवस्था है तो औषधि वितरण के लिए अब कलेण्डर ईयर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोडक्शन होते ही किस तरीके से औषधालयों तक औषधि ठीक तरह से पहुंचाई जायं, उसकी ठीक मानीटरिंग करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती ताराजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा इस बार राज्य सरकार का मानस है कि जड़ी-बूटियां उगाने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा, मंत्रीजी जी से मेरा एक सवाल है, जड़ी-बूटियां उगाने वाले को प्रोत्साहन देने में क्या नीति, या तरीका या क्या कार्यक्रम होगा और जो जड़ी-बूटियां उगायेंगे उनको दवाई में प्रयुक्त करने के लिए लेने में या ट्रेनिंग का क्या सिस्टम होगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री अचला राम : यह जड़ी-बूटियां उगाने सम्बन्धी यहां....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। एक मिनट बिराजिये। एकाध सवाल और है।

श्री अचला राम : कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, निश्चित होने पर माननीय सदस्या को सूचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में नारायण औषधालय ने जोधपुर जिला कलक्टर से औषधि की नर्सरी लगाने के लिए भूखण्ड एक साल से मांग रखा है। माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि नारायण औषधालय ने जो भूखण्ड औषधि नर्सरी के लिए मांग रखा है उसको आवंटित कराने में आप क्या मदद करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि भरतपुर की रसायन शाला में भस्म बनती है, तो मैं जानना चाहूंगा कि गत वर्ष में भरतपुर रसायनशाला में कौनसी भस्म बनी है और कौन सी भस्म जो बननी चाहिए थी, वह द्रव्यों के अभाव में नहीं बन पायी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और कर दूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप मुख्य मंत्री जी, आप कुछ फरमा रहे हैं ? माननीय उप मुख्य मंत्रीजी कुछ बात कह रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी बात कह रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अच्छी कम्पनियां हैं आयुर्वेद की, वहां से खरीदवाइये, लोगों के पास पहुंचवाइये। ये दवाई बनाने वाले च्यवनप्राश बनाते हैं, यहीं खा जाते हैं। एम.एल.एज. को बांट देते हैं, एम. पीज. को बांट देते हैं, अफसरों को बांट देते हैं। कहां–कहां से पहुंचता है उनके पास।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : च्यवनप्राश चूंकि खाने की चीज है इसलिए खाते हैं वे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आयुर्वेद का सवाल है, इस बार राज्य सरकार ने आयुर्वेद के विकास के लिए विशेष तौर से ध्यान दिया है। यह बात सही है कि आयुर्वेद के विकास में हमारे यहां पर जो प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। उसके अनेक कारण हैं। लेकिन वह प्रगति हो, औषधियां भी हम पैदा करें, इसके लिए केवल आयुर्वेद विभाग ही नहीं बल्कि इण्डस्ट्रीज विभाग भी फ्लोरीकल्चर में ऐसे लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि जो औषधियां पैदा करें और उसमें जितनी भी मदद हमारी हो सकती है, हम करेंगे।

इसी तरह से आयुर्वेद विभाग को रिआर्गेनाइज करके भस्म, अवलेह और आसव की बात कह रहे हैं, आयुर्वेद की जो प्रक्रिया है, दुर्भाग्य तो यह है कि आज हमारे जितने भी नये वैद्य हैं वे इस प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं बल्कि कई तो जो घटक औषधियां हैं, खास तौर से वनौषधियां हैं, उनकी पहचान करने में भी सक्षम नहीं हैं इसलिए अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। बहुत वर्षों तक इस पर दुर्लक्ष्य किया गया है। इसको फिर रिवाइज करने के लिए, इस विभाग को और अधिक मजबूत करके आयुर्वेद विभाग में वनौषधियां भी सही ढंग से प्राप्त हों, जो घटक द्रव्य नहीं मिलते हैं उनकी भी प्राप्ति सही मायने में हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी आयुर्वेद में काम में आती हैं जो नकली बिकती हैं बाजार में इसलिए उससे औषधियों का जो असर होना चाहिए वह असर नहीं होता। तो सही असर हो, भस्म सही बने, उनकी अपनी प्रक्रिया से बने, आसव सही बने, अवलेह सही बने तभी जाकर आयुर्वेद औषधि का असर होता है अन्यथा वह असर होता नहीं और लोग उसको लेते नहीं और उसका फायदा नहीं उठाते। अब उसको और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। अनेक विचार अभी भी विचाराधीन हैं और अब हम अधिक से अधिक आयुर्वेद पर ध्यान देकर इसको अपनी राष्ट्रीय पद्धति में करने की....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी रसायनशालाएं सब बेकार हैं, नेशनल लेबल पर अच्छी फार्मेसी हैं वहां से खरीदो।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा चिकित्सालय हेतु अवाप्त भूमि

426. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका डूंगरपुर ने मालपुर की जमीन चिकित्सालय आदि के लिए अवाप्त की है ? यदि हां, तो किस–किस काश्तकार से कितने–कितने बीघा भूमि अवाप्त की गयी ?

(2) क्या इन काश्तकारों को मुआवजा दे दिया गया हैं ? यदि हां, तो काश्तकारों के नाम, भूमि बीघा में एवं राशि जो दी गयी है, का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि अवाप्त की गयी उसे प्लाट बनाकर बेच दिया गया है ? यदि हां, तो विभाग या व्यक्तियों के नाम व कितनी–कितनी जमीन आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा ग्राम मालपुर की जमीन हास्पिटल प्रयोजन हेतु अवाप्त नहीं की गयी है, किन्तु ग्राम मालपुर के कृषकों की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् केन्द्र प्रवर्तित शहरी विकास योजना हेतु अवाप्त की जा रही है । जिन काश्तकारों की जितनी भूमि अवाप्त की जा रही है उनकी सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । अवाप्ति कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण मुआवजा नहीं दिया गया है ।

(3) अवाप्ति की कार्यवाही अभी विचाराधीन है इसलिए शेष सूचना शून्य है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नाथूराम अहारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो उत्तर, दिया है कि नगर–पालिका डूंगरपुर में मालपुर की जमीन हास्पिटल के लिए अवाप्त नहीं की गयी है; बिलकुल गलत और तथ्यों से परे है । इसके अलावा आपने यह भी कहा कि काश्तकारों की जमीन की अवाप्ति अभी नहीं हुई है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का हास्पिटल, म्यूजियम, रेजीडेंशियल क्वार्टर्स, पंचायत समिति की बिल्डिंग और प्रशिक्षण महाविद्यालय की बिल्डिंग, यह सारी ...समें बनी हुई हैं और लोगों के जो मकान हैं उन मकानों को भी गिराया जा रहा है । हास्पिटल के लिए जो जमीन दी थी उस जमीन पर लोगों ने कब्जा किया था, उस पर पेड़ उगाये थे, पेड़ भी काट डाले गये, उनकी झोंपड़ियां तोड़ डाली गयीं और कहा जा रहा है अवाप्त नहीं की। लिस्ट तो दे दी है लेकिन अवाप्त नहीं की है, क्या मतलब है इसका ? लम्बे समय से इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने लिस्ट दी है उस लिस्ट में जितने भी काश्तकार हैं उन काश्तकारों को मुआवजा कब तक देंगे ? काश्तकारों की आजीविका तो यही है और आप इस जमीन को लेकर केवल मुआवजा हजार, दो हजार, लाख दे दोगे तो उससे क्या उनके परिवार का पालन होगा ? आपको इस बारे में विचार करना चाहिए ।

(श्री नाथूराम अहारी)

जिनकी जमीन ली है उनको या तो आप दूसरी जगह जमीन दिलायें, नहीं तो अच्छे से अच्छा मुआवजा दो। जो पहले मकान बनाये हुए हैं, उनके नाजायज कब्जे हैं, नाजायज बनाये गये हैं इस तरह से कह कर हर साल लूटे जा रहे हैं तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जब किसी भी काश्त–कार की जमीन लेते हैं तो उसको पीड़ा, तकलीफ तो होती है। इसलिए यह तय किया हुआ है कि जिस समय वह अवाप्त की जायेगी, बाजार में जो दर होगी उस दर से तो उसको कीमत देते हैं और 12 प्रतिशत यदि लेना चाहे तो उस भूमि में से 12 प्रतिशत जमीन देते हैं। इस मामले में 1 तारीख मई की पड़ी हुई है सुनवाई के लिए, उस दिन शायद इस पर निर्णय होने की मुझे संभावना लगती है और कोशिश यही करेंगे कि अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं अवाप्त करेंगे। कुछ गांवों को छोड़ भी दिया है। अगर आवश्यकता नहीं है तो दो गांवों को मुक्त भी कर दिया है। लेकिन यह बहुत बड़ी योजना है, 137.77 एकड़ की योजना है। इसमें सामान्यतया लोगों के आवासीय भी बनेंगे, कार्मशियल भी बनेंगे और सुविधाओं की भी इसमें भारी व्यवस्था की गयी है। तो बहुत बड़ी यह योजना है और सार्वजनिक हित में है। इसकी जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो, यह कोशिश करेंगे और इनको मुआवजा भी ठीक से मिले, यह हम देखेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर लाल जी।

श्री नाथूराम अहारी : मेरा एक और प्रश्न है। आपने बताया कि बहुत बड़ी योजना है और काफी विस्तार के लिए, शहरी विस्तार के लिए यह की है। लेकिन काश्तकार को मार के ? यह मैंने जो सुना है, जितने भी भवन हैं वह सारे बन गये हैं उस जमीन पर। बन गये उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अवाप्त नहीं की गयी है और उनको मुआवजा नहीं दिया जाय, यह क्या कारण है ? आपको गलत सूचना दी है। यह मैंने जो गिनकर बताये सारे भवन यहां निर्मित हैं, दो साल हो गये। इसके बाद वह काश्तकार क्या करते होंगे। उनको बराबर परेशान किया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। इस बारे में आपको वहां आना चाहिये, आकर मौके की स्थिति देखनी चाहिए। हालात बड़े गम्भीर हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, श्री शंकर लालजी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : अध्यक्ष महोदय, जहां पर हास्पिटल की बिल्डिंग और यह सभी बनाये गये हैं, निर्माण किया गया है उस जमीन का हमने मौका देखा। जमीन सरकार जो आवश्यक महसूस करती है. ले, हमें कोई एतराज नहीं है। परन्तु वहां उनके मकान बीस-बीस साल से बने हुए थे, उनकी मेड़बंदियां थीं, उनके बाड़ें लगी हुई थीं और उनमें कुएं भी थे उनको आपने तुरन्त प्रभाव से हटा दिया और हटा कर निर्माण कार्य चालू कर दिया और उन लोगों को रखड़दा कर दिया यानी बिल्कुल बेघर कर दिया। न तो उनको जमीन के बदले जमीन दी और न मकान के बदले मकान दिया और न ही मुआवजा दिया और अभी भी वहां जो रह रहे हैं

(श्री शंकरलाल अहारी)

लोग उनको भी बेदखल कर रहे हैं । दो चार मकान तोड़ दिये, बाड़े तोड़ दीं, अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं उनको भी खतम कर दिया। तो क्या माननीय मंत्रीजी स्वयं डूंगरपुर में पधार कर मौके का निरीक्षण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। विष्णुजी ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्त, मतलब भूमि ले ली और मुआवजा दिया नहीं....

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी ली नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : मकान बन गये। वहां तो कंस्ट्रक्शन ही हो गया। आपको यह जानकारी नहीं है कि वहां कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी आपने पैसा दिया नहीं। जो गरीब आदमी वहां बस रहे थे; आप कह रहे हैं कि रिहायशी प्लाट भी दिये जायेंगे, उनके मकान तोड़ दिये। उनको जमीन तो आप दे नहीं रहे और आप दूसरों को जमीन देना चाहते हैं। आप मुआवजा देना नहीं चाहते हैं। आखिर यह क्या तरीका है ? आप स्पेसिफिकली....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : आपने पेड़ काट दिये, कुएं जब्त कर लिये। आपने गरीबों के साथ अन्याय किया।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : आप कैटेगोरिकल इस बात का एश्योरेंस दीजिये कि वहां काश्तकारों को इमीजियेटली मुआवजा दिया जायेगा और जिन लोगों के मकान तोड़े गये हैं उनको जमीन दी जायेगी और अभी जो वहां मकानों में बस रहे हैं उनको बेदखल नहीं किया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 19 मई तक आप शांत रहें, उसके बाद बोलें।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी के दस दिन बाकी हैं ?

श्री विष्णु मोदी : माननीय तिवाड़ी जी, आप क्यों चिन्तित हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : घनश्याम जी, आप नारायणदत्त तिवारी नहीं बन सकते। आप और सुन लीजिये, आपको चिंता इस बात की है कि आपका सफाया होने वाला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो मेरे समर्थक हैं।

श्री विष्णु मोदी : समर्थक तो आप हमारे हैं ही।

श्री रामप्रताप कासनियां : सूर्य की दशा है 19 तारीख तक।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय मंत्रीजी का स्पेसिफिक जवाब दिलवाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, देता हूं। आप पूछ लो, क्या पूछना है पहले। इसमें क्या लम्बी-चौड़ी बात है ? जब एक्वीजिशन होता है, निश्चित तौर पर वह तो बेदखल होता ही है। नहीं तो एक्वीजिशन का मतलब क्या है। एक सैकण्ड, I am coming to it.

श्री विष्णु मोदी : वहां उस जमीन पर अस्पताल चल रहा है और मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है, आप इस बात का जवाब दें पहले और फिर जाकर बेदखल अगर किया है तो उनको अल्टरनेट जमीन देने की बात करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप यह अभ्यास करें, आप जवाब सुनते ही नहीं किसी का। मैं जवाब दे रहा हूं न भाई।

श्री विष्णु मोदी : हां, सुनाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर कोई बात रह जाय, तो I am hear. आप पूछ लेना फिर से। पहले पूरी बात समझ लीजिये। आप भी जानते हैं एक्वीजिशन का मतलब क्या है। एक्वीजिशन उसी का होता है जो सरकार की जमीन नहीं होती। तो व्यक्ति कोई न कोई उपयोग में उस जमीन को लेता रहता है। जब हम यह समझते हैं कि सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका लेना जरूरी है बड़े हित के लिए, तभी तो एक्वायर होती है। अब यह एक्वायर हुई। शंकर लालजी साहब कहते हैं कि एक्वायर करने में दिक्कत नहीं है। अब इसमें आने वाली दिक्कतें जो आप बता रहे हैं वह यह है कि उनको मुआवजा नहीं दिया गया। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि अवार्ड के पहले तो मुआवजा दे ही नहीं सकते। अवार्ड इसमें हुआ नहीं और मेरी सूचना के आधार पर जो आने वाली 1 मई है उस दिन इसकी तिथि है, उस दिन इसका निर्णय होने की आशा है। जब तक अवार्ड तय नहीं हो तब तक क्या उनको हर्जाना दें, कम्पेनसेशन क्या दें, कहां जमीन दें। तो पहले तो अवार्ड हो न। तो हमको अवार्ड प्राप्त करने दीजिये। अब जैसा आप कह रहे हैं कि अवार्ड प्राप्ति से पहले वहां लोगों के कठिनाई पैदा हो गयी और आप यह भी चाहते हैं कि एक बार मैं स्वयं चलकर देखूं, तो मैं बड़ा आभारी हूं कि मुझे आमंत्रित किया, यह विधान सभा जब तक चले, मैं चल कर देख लूंगा उसको और फिर भी यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो आपका यह कहना मान लेंगे। इसमें है क्या दिक्कत, चले चलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया-राम। बिराजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइंटेड सवाल पूछा है। अवार्ड नहीं हुआ, एक तारीख को अवार्ड होगा। मतलब अवार्ड तो हुआ नहीं, अस्पताल बन गया, वह चालू हो गया और एक तारीख के बाद अवार्ड होगा तब देंगे। इसके अलावा मैंने यह पूछा है, जिनके घर तोड़े हैं उनके बारे में। सार्वजनिक जरूरत की है तो आप उस पर सार्वजनिक जरूरत के भवन बनायें लेकिन अगर आप अवाप्त करके उसको रिहायशी प्लाट में बेचने वाले हैं तो जिन लोगों के मकान टूटे हैं उनको प्रायोरिटी पर वहां जगह मिलनी चाहिए। आप रिहायशी प्लाट बनाकर बेचने वाले हैं तो जो काश्तकार वहां रह रहे हैं उनके मकान नहीं टूटने चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आपको क्या पूछना है ?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं मंत्रीजी से एक बहुत ही पाइंटेडली बात पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्ति जरूरी है, कभी औद्योगिक विकास के लिए, कभी और किसी पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिए। मंत्री महोदय, भूमि अक्सर किसान से आती है। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना है, आप उस किसान को भूमि से बेदखल करते हो, पब्लिक इन्ट्रेस्ट में करना पड़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुआवजा भी, मान लो, आप उसको समय पर दे देते हो। उसकी कमाई का साधन, कमाई का तरीका, कमाई की योग्यता कृषि पर आधारित है। आपके जो भूमि आवंटन कानून बने हुए हैं उनकी किसी भी कैटेगरी में इस प्रकार के किसान नहीं आते जिनकी भूमि को अवाप्त कर लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि तो अवाप्त आपने कर ली है और आपके पास सरप्लस लैण्ड दूसरी जगह उपलब्ध है, वह सरप्लस लैण्ड जब आप अलाट करते हैं तो क्या इस प्रकार की कैटेगरी वाला आदमी उस कैटेगरी आफ अलाटमेंट में आता है....

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : जिस किसान की भूमि अवाप्त हो गयी है ? उस किसान को सीलिंग से जो अतिरिक्त भूमि है उसमें प्रायोरिटी पर अलाटमेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कृषि भूमि में थी या कोई दूसरी थी ?

श्री जगदीप धनखड़ : आप समझे ही नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : तिवाड़ी जी, हर बात में आप बोलते हो। why are you interfering ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्री जगदीप धनखड़ : तिवाड़ी जी, वहां कितने केसेज हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसका जवाब आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्लाट बेचे गये या नहीं बेचे गये ? किस लक्ष्य हेतु ज़मीन एक्वायर की गयी थी ?

श्री विष्णु मोदी : अभी तक इसका उपयोग क्या हुआ ?

श्री जगदीप धनखड़ : मैं सरकार के वरिष्ठ मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बात पर कहें, वह विचार करने का आश्वासन तो दें।

श्री विष्णु मोदी : कब तो मुआवजा देंगे और....

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : धनखड़ जी, आप हर मामले में कैसे बोल लेते हो। आपके जवाब देने के लिए तो बोलिये उनको।

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें।

(14)

श्री रामप्रताप कासनियां : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : पूरा तो सुनिये आप। माननीय सदस्य, आप बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यगण, यह जो एक्वीजिशन की कार्यवाही होती है, यह क्वासी–जुडिशियल होती है। (व्यवधान) बोलेंगे नहीं आप। क्यों नहीं कहा ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बताया न आपको। आवासीय है, काम्पलेक्स है, बहुत बड़ी योजना बनायी है, वह खुद जानते हैं। अब सवाल यह है कि (व्यवधान) मेरी बात सुनो भाई।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आप बोलना भी नहीं चाहते हो, सुनना भी नहीं चाहते हो।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय तो भला करना चाहते हैं पर आप नहीं चाह रहे ना। आप तो बात उलझा रहे हैं। बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्पीकर साहब के आदेश के बिना नहीं बोलता हूं मैं। स्पीकर साहब ने अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : जब तक मुझे अध्यक्ष महोदय आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं उत्तर नहीं दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनने को तैयार नहीं हो, मैं तो बोलने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। डूंगरपुर के बारे में अभी दोनों माननीय सदस्य बोले, वह और कुछ नहीं बोल रहे हैं, और दूसरे ही बोल रहे हैं। विराजें।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : बिलकुल हो गया। बहुत डिस्कशन करा लिया, विराजें आप। 17/4 में कम्पलसरी एक्वीजिशन हो सकता है और उसमें निर्माण भी हो सकता है उसके बाद मुआवजा तय किया जा सकता है। फिर उसको दिया जाता है। विराजें आप। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ×××

श्री शंकरलाल अहारी : ×××

श्री अध्यक्ष : आप विराजें। माननीय सदस्य, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह अंकित नहीं हो रहा है। जब भी माननीय मंत्री जी खड़े होते हैं आप एक साथ चार माननीय सदस्य खड़े होकर मर्जी आये जो बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते, मैं जवाब दिलवाना चाहता हूं। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी।

श्री जुबेर खान : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन कूप में आकर खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया-रामजी। आप आराम से विराजें। अच्छा है, आपका नाम अखबारों में आ जायेगा।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(16)

(श्री अध्यक्ष)

आप बिराजें सब । आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं क्या ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : 427

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री चुन्नीलाल गरासिया : X X X

श्री बनवारीलाल बैरवा : X X X

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते हैं । आखिर क्या चाहते हैं ? मंत्रीजी बराबर जवाब दे रहे थे, आप एक साथ पांच सदस्य खड़े हो जाते हैं । यह कोई भाषण की स्टेज नहीं है और प्रश्नकाल में कोई+++भी नहीं होगी । बिराजें । यह बात कह रहे थे और आपने एक भी बार बोलने नहीं दिया । माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे थे । आप सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब देता हूं । आप बैठेंगे तब न ; आप बैठिये, जवाब देता हूं ।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री किशनगोपाल कोगटा : XXX

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी : XXX

श्री अध्यक्ष : आठ माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप इन्दिरा मायाराम जी का प्रश्न आने देना नहीं चाहते । इसका मतलब तो यही हुआ ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : X X X

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरा मुआवजा दिया जायेगा । (व्यवधान) पूरा मुआवजा दिया जायेगा । किसी के साथ अन्याय नहीं होगा । पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : X X X

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री अध्यक्ष : मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बात आ रही है तो उसे पूरा सुनें । उसके पहले आप चार-चार एक साथ खड़े हो जाते हैं । मुझे पता है कि आप दोनों की तो जोड़ी है, मोदीजी और शांतिकुमार जी की, एक साथ खड़े होने की । पीछे से जुबेर खानजी भी खड़े हो जाते हैं । किसी की बात नहीं सुनी जायेगी ।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री मोहनलाल मोदी : X X X

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आप पहले पूरी योजना समझ लीजिये

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

फिर आप सवाल करिये, जवाब देंगे। समझ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनना ही नहीं चाहते। जब मर्जी हुई तब बोलना शुरू कर दें। चलिये, आज पूरे दिन यही काम कर लीजिये, अपना क्या है।

श्री विष्णु मोदी : कोई बात नहीं।

एक माननीय सदस्य : गरीबों के लिए तो आये हैं, नहीं तो आये किसलिए हैं।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। आने मत दीजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वास्तव में इन लोगों की भूमि अवाप्त हो रही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये नहीं बीच में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोलेंगे तो जवाब देंगे क्या।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन व्यक्तियों के बारे में आप चिंता कर रहे हो, हम भी उनके बारे में चिन्तित हैं लेकिन ऐसा करने से कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हो आप। मेरी बात सुन लीजिये अगर आप सुनना चाहते हैं। यह योजना जो है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : डूंगरपुर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा समन्वित नगरीय आवासीय योजना हेतु नगर नियोजन विभाग, उदयपुर द्वारा समन्वित नगर विन्यास योजना तैयार की गयी जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी। उक्त योजना 1.20 करोड़ रुपये की है। इसके प्रथम चरण के व्यय हेतु 24 लाख रुपये केन्द्र सरकार से एवं 7 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा ऋण के रूप में दिये जा चुके हैं। जिला कलक्टर ने उक्त योजना में आने वाले ग्राम राजपुर में निजी खातेदारों की 15 बीघा 14 बिस्वा, ग्राम मालपुर में 49 बीघा 9 बिस्वा एवं 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि को अवाप्त करने हेतु पत्र दिनांक 17.5.89 को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1984 की धारा 4 में अधिसूचना जारी करने के लिए अधिसूचना परिचालित की थी। इस योजना के तहत आवासीय, व्यावसायिक काम्पलेक्स, लिंक रोड बनाये जाने प्रस्तावित हैं। इस योजना के तहत 107.62 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। योजना में 1170 आवासीय भूखण्ड तथा 93 व्यावसायिक काम्पलेक्स के भूखण्डों का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अल्प आय वर्ग के 150, मध्यम आय वर्ग के लिए 400, कुल 550 मकान 2.50 करोड़ रुपये की लागत पर तैयार कर आवंटित किये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा सुन लीजिये, माननीय।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिससे अनियोजित तथा अव्यवस्थित कच्ची गन्दी बस्तियों की स्थापना को रोकने हेतु तथा जन साधा-

(18)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रण को सुनियोजित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कृषि भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक हुआ है।

अब जो आप फरमा रहे थे कि इनको कम्पेनसेशन यह दिया जाय, वह दिया जाय, आप जानते हैं कि अवार्ड पास करता है लैण्ड एक्वीजिशन आफिसर, जो एस.डी.एम. है। वह अपना निर्णय देता है कि इनको इस प्रकार से अवार्ड दिया जाय। उसके द्वारा अवार्ड देने के बाद ही सरकार के पास मामला आता है। उस समय सरकार विचार करती है कि जो अवार्ड दिया है वह ठीक है, गलत है या क्या है। या फिर जिनके प्रति अवार्ड पास होता है वह भी रेफरेंस के रूप में कोर्ट में जाकर अपनी मांग को रखते रहते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया कानून की बनी हुई है। अब आपको जो तकलीफ है या जो आपकी शिकायत है कि जो लोग वहां से हटाये जायेंगे उनका क्या होगा। तो उनके लिये नियमों में जो व्यवस्था है वह यही है कि यदि वे जमीन की कीमत लेना चाहें तो जो उस समय बाजार की दर होगी उसके हिसाब से उनको कीमत मिलेगी। जो व्यक्ति कहेगा मुझे कीमत नहीं चाहिए उसको जमीन जो तैयार होकर आयेगी, उसका 12 प्रतिशत, जो कि विकसित होगी, रिटर्न मिल जायेगी। यह व्यवस्था कानून में है। अब इसके अलावा यदि आप समझते हैं कि और कुछ इसमें करना चाहिए तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप बता दीजिये क्या करना है।
(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहने तो दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक यह सवाल है कि मैं वहां चलकर देखूं, आपका यह आग्रह है, यह आदेश है कि मैं खुद वहां जाकर इस कार्य को देखूं, जमीन को देखूं, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे साथ चलिये और यदि आप कोई ऐसा सुझाव देते हैं जो जनहित में है, इस योजना की क्रियान्विति में कुछ अच्छाई होगी तो उसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वहां भी गरीब लोगों को आप मदद करना चाहेंगे तो सरकार कब उनको हटाना चाहती है, कब तकलीफ पैदा करना चाहती है। परन्तु जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें से तो निकलना ही पड़ेगा। मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि मैं तो चलने को तैयार हूं। मैं तो प्रसन्न होऊंगा। विधान सभा सत्र पूरा होते ही कोई दिन फिक्स कर लीजिये, चल चलता हूं। मैं जो समझता हूं, आप जो बात कर रहे थे कि उनको जमीन की जगह दूसरी जमीन दी जाय, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आयी हुई है, आप उसको पढ़ लें और समझा दें। अगर कानून से किया जा सकता है तो इस पर विचार कर सकते हैं। कानून तो देखना ही पड़ेगा।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह कहना है कि...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बार-बार खड़े होंगे, ज्यों ही बात होगी....
(व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : धनखड़ साहब, एक मिनट। एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय, आप यह कह रहे हैं कि जब वह मंजूर होगा उस समय हम देंगे। लेकिन गरीब को तो भटकता रख दें

(श्री नाथूराम अहारी)

और आपके कार्यकर्ता बखेचन्द ने उस जमीन पर 10 दुकानें कायम की हैं वह कैसे की हैं ? वह अधिकारी है, उसके पास करोड़ों रुपये हैं, इसलिए ? वह गरीब है क्या ? (व्यवधान) तो जो भटकते हुए लोग हैं उन लोगों को वहां जमीन दें चाहे उस बाउण्ड्री की जमीन हो । यह नियम है कि काश्तकार खातेदारी की जमीन के ऊपर की जो जमीन होती है उस पर उसका हक होता है । चरागाह में किसी की भी जमीन हो, वह चरागाह के लिए होती है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह जो आप जानकारी दे रहे हैं, मेरे पास जानकारी नहीं है । अगर यह जानकारी सही है तो आप प्रश्नकाल के बाद मेरे साथ चलिये, जो भी उचित कार्यवाही होगी मैं स्वयं ही करूंगा, चाहे मेरा ही कार्यकर्ता हो । आप आइये मेरे पास । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से पाइंटेड प्रश्न है कि आपने धारा 4 का नोटिस 17 मई, 89 को जारी किया, मंत्री महोदय, आप मुझे यह बतायें कि आपने धारा 6 का नोटिस किस दिन जारी किया ? इस भूमि का कब्जा आपने कब लिया ? इन दो चीजों के बारे में आप जानकारी स्पष्ट तौर पर दें । क्योंकि धारा 4 का नोटिस जारी होने के बाद किसान असहाय हो जाता है । 17 मई, 1989 का तो आपने दे दिया । आप सैक्शन 6 की जानकारी दीजिये और कब्जा आपने भूमि का कब लिया वह जानकारी दीजिये ।

श्री विष्णु मोदी : और इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे अलाट कब किया ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : धारा–6 का नोटिस 24.1.1995 को जारी किया । दिनांक 24.1.1995 । कब क्या होता है ? डेट बता दी है ना । अब क्या....(व्यवधान) यह शाम के चार बजे किया होगा, कोई.... (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : छह साल बाद । अच्छा, आपने इसको इमरजेन्सी क्वेश्चन माना या नार्मल इन्क्वायरी की ? जैसा अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि सैक्शन 17 (4) में भी किया जा सकता है, कब्जा भी आपने लिया, आपने छह साल की देरी क्यों की सैक्शन चार का नोटिस जारी करने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप आराम से बहस करें । घंटे, दो घंटे, दो–चार घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है । आपको तो....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड क्वेश्चन है कि 89 की... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, छह साल तक किस बात के लिए चुप रहे उसकी जानकारी दी जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आराम से बोलें आप । मैं चुपचाप बैठा हूं, आप तो बोलते रहें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है । अब आप बोलते रहें, आराम से बोलते रहें । कोई अंकित नहीं हो । आराम से बोलें आप घंटे भर तक ।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको तो हाउस चलाने देना नहीं है, किसी दूसरे के प्रश्न को आने देना नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कोई सवाल तो बचा नहीं है। अन्य माननीय सदस्यों के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, मैं समझता हूं कि उनको आने दिया जाय तो अच्छा है। यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : देखिये, इस मामले में जो कानून है उसको भी समझिये। सैक्शन–6 का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आटोमेटिकली जो लैंड आक्युपाइड नहीं है, जहां कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसका कब्जा वेस्ट हो जाता है और जो आक्युपाइड है, उसका कम्पेनसेशन देते हैं, सीधा सा है यह। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कानूनी बहस करना चाहते हैं या रिलीफ दिलाना चाहते हैं गरीबों को ?

श्री जुबेर खान : कम्पेनसेशन लोगों को किस रेट पर दिलाया जाय....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आप किसी को भी पूछिये; जिसको थोड़ा सा ज्ञान लैंड एक्वीजिशन एक्ट....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे को यह बताइये कि छह साल की देरी सैक्शन 4 के नोटिफिकेशन के बाद में क्यों हुई जिसका कब्जा किस तारीख को लिया गया ? यह मेरा सप्लीमेंट्री है। यह जवाब दें कि कब्जा कब लिया व देरी क्यों हुई।

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा और प्रश्न काल तक इन्तजार कर रहा हूं मैं। प्रश्नकाल समाप्त होते ही दूसरी व्यवस्था दे दूंगा। आप अभी बोलते रहो, कोई अंकित नहीं होगा। हाउस तो चलाना नहीं है आपको। हर छोटी–मोटी बात पर पांच माननीय सदस्य खड़े हो कर मर्जी आये जो कहना शुरू कर देते हैं। करिये आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

महिला विकास एवं रोजगार योजना

427. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)** : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर जिले की सांगानेर एवं चाकसू तहसीलों में महिला विकास एवं रोजगार योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ?

(2) इस योजना के तहत क्या-क्या कार्यक्रम लागू किये गये एवं इन कार्यक्रमों से कितनी महिलाओं को रोजगार मिला है ?

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1)महिला विकास एवं रोजगार नाम की कोई विभागीय योजना नहीं है।

(2) ऐसी योजना ही नहीं है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहती हूं कि अगर महिला विकास की कोई योजना नहीं है तो यह प्रश्न कैसे आ गया और महिला विकास (व्यवधान)....एक मिनट, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिये, बाद में बतायें। महिला विकास का मतलब महिला एवं बाल विकास से था, जिसके अन्तर्गत पोषाहार कार्यक्रम आता है, बालबाड़ी का कार्यक्रम आता है। I am sorry. आंगनबाड़ी का और द्वाकरा योजना आती है.... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : महिला बोल रही हैं इसलिये आप बोल रहे हो, बिराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इन कार्यक्रमों के बारे में मेरा कहना था....(व्यवधान) मैं पूरी बात बोल लूं, मंत्री महोदय, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिये फिर जवाब दीजिये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मेरे को पता है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : द्वाकरा योजना आती है, उसके बारे में मेरा सवाल था। वैसे मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की महिला विकास के नाम पर नाराजी होना स्वाभाविक लगती है। इसलिये कि हमारी उजलाजी जैसी वरिष्ठ सदस्या, जो इतनी ज्यादा सबके बारे में जानकारी रखती हैं, के होते हुए भी और हमारी मीनाजी अग्रवाल और सब बहिनें जो बैठी हैं मेरे साथ की यहां पर, सूर्य कान्ता जी व्यास हैं, किसी को भी मंत्री नहीं बनाया और वाहवाही लेते रहते हैं रोजाना कि हमने 33 पर्सेण्ट आरक्षण कर दिया। आपने क्या 33 पर्सेण्ट कर दिया ? 33 पर्सेण्ट तो राजीव गांधीजी ने कर दिया, मजबूरी में आपने दिया है। आप 33 पर्सेण्ट मंत्री बनाकर दिखाते तब मालूम होता कि 33 पर्सेण्ट आपने किया। महिला विकास की कोई योजना नहीं है, यह कहने से तो काम नहीं चलेगा। महिलाओं का विकास तो करना पड़ेगा। (व्यवधान)... आप मेरी बात सुनिये। मुझे चुप नहीं कर सकते आप। आप 33 पर्सेण्ट के नाम से गांवों में जा-जाकर गाना गाते हैं, बहुत ज्यादा वाहवाही लेते हैं। हमारी पंचायत

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

समितियों के चुनाव हुए हैं, नगर पालिकाओं के हुए हैं, इतनी योग्य बहिनें निकल कर आयी हैं और उनके लिए आप बहुत वाह-वाही भी लेते रहते हैं। राजीव गांधीजी उस वक्त में यह लाये थे, तब भी आपकी भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था.. (व्यवधान) सवाल पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पाइंटेड सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें, नहीं तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो फ्री लांचिंग करवा दी। आप आराम से बोलें। सब खूब बोलें। आप किसी का प्रश्न नहीं आने देना चाहते ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिये महिला विकास की योजना के लिए आप यह कह कर नहीं टाल सकते कि महिला विकास की कोई योजना नहीं है। महिला और बाल विकास योजनाओं के बारे में मैंने जानकारी चाही थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हमने भी सोच लिया कि चुपचाप बैठे रहो, सुनते रहो, आपकी। We have not to control the House.

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जो महिला और बाल विकास कार्यक्रम है, जो पोषाहार कार्यक्रम है, द्वाकरा योजना है और आंगनबाड़ी है यह बताइये।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं। इन्होंने कहा है कि महिला विकास एवं रोजगार योजना इस तरह की कोई रोजगार योजना नहीं है और गांव की भोली-भाली औरतें उसमें भ्रमित होकर गलत संग लग-कर गलत रास्ते पर चली जाती हैं। उनको सीधे रास्ते पर रखने के लिए कहा है कि इस तरह की रोजगार योजना नहीं है। महिला एवं बाल विकास की दो 'योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूं (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह ही बता दीजिये कि वे कितनी हैं? पोषाहार कार्यक्रम.... (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : पहले आप उसका....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सांगानेर में कितनी चल रही हैं? कहां चल रही हैं?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप सुनिये तो। 33 पर्सेण्ट और पता नहीं कहां-कहां पहुंच गयीं आप। पहले पूरी बात तो सुनिये। कोई सुनना नहीं चाहता यहां और आपको खुद विभाग के बारे में कोई मालूम नहीं होगा... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपको मेरे से नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरह से बताइये, माननीय मंत्री महोदय।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आपको विभाग के बारे में पूरी जानकारी करके आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के व्यवहार को नियंत्रित करवाइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्रजी, विराजिये आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप और कुछ करने के बजाय औरतों को भ्रमित करती हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय, आपको पता है (व्यवधान)....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अब आपको पूरा सुनना है या नहीं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री महोदय के व्यवहार को नियंत्रित करवाइये। ये नियंत्रण की सीमा से बाहर जवाब दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो-चार और खड़े हो जाओ आप।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : महिला विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना है तथा उन्हें विकास की मूल धारा से जोड़ना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समस्त विकास कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचाकर उन्हें विकास की मूल धारा से जोड़कर महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ अर्जित कराने का प्रयास किया जाता है।....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं उद्देश्य नहीं पूछ रही हूं। सांगानेर, चाकसू में कितनी योजना चल रही हैं मैं यह पूछ रही हूं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आपको बताना जरूरी है क्योंकि आप महिला रोजगार की बात कर रही हैं और यह महिला कार्यक्रम है....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं पूछ रही हूं कि....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : इसलिये आपको ही लाज रखना जरूरी है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप बताइये कि आंगनबाड़ी, पोषाहार कार्यक्रम कितने चल रहे हैं ? (व्यवधान) मेरे सांगानेर में जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलते हैं.... (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सुनिये तो सही। बीच में मत बोलिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय, जो आंगनवाड़ी कार्यक्रम बंद किये गये हैं वे क्यों किये गये और आप कब शुरू कर रहे हैं ? कितने चल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : सब मालूम है। (व्यवधान) सुनिये, सांगानेर में दो हैं। चाकसू में शिवदासपुरा, शिरतिया, कुम्हेरिया, फली, केकड़ी। आपको गांव के नाम भी पता नहीं होंगे। (व्यवधान) अकोडिया, चिणोरिया.... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप तो शायद भूल गयी हैं, आप गांव की नहीं हैं। मैं तो गांव में रात दिन घूमती हूं। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : उनके अन्दर महिला कार्यक्रम चल रहे हैं। गोनेर, कलित, लूणियावास, खटीवाड़ा, कलावाड़ी, लक्ष्मीनारायणपुरा, अजयराजपुरा और कपूरवाड़ा यह सांगानेर में हैं और द्वाकरा के तहत अगर आपको पता नहीं है, द्वाकरा में क्या होता है तो वह भी बात....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मुझे यह बताइये कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम क्यों बन्द किये गये ?

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : अच्छा बता देती हूं गांव कौन-कौन से हैं। पूरा नहीं सुनना चाहते हैं (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं पूछ रही हूं वह तो आप जवाब ही नहीं दे रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : ढ्ाकरा के तहत सांगानेर में जो गांव हैं, वह चल रही है, मुहाना, चायरखाड़ा, सिरापुरा बालबाला महापुरा, ठीकरिया रामपुरिया ... (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मंत्री महोदय को शायद पता नहीं है कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम बंद कर दिया गया है .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नहीं बंद नहीं किये हैं, पता तो है नहीं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बंद हो गये हैं, बंद हो गये हैं। ....(व्यवधान)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : आप चलिये मेरे साथ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आज की तारीख में बंद हैं। (व्यवधान)

(12.00)

श्री अध्यक्ष : या तो मैं ज्यादा लिबरल हूं उसको यह हाउस गलत तरीके से ले रहा है। मैंने ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। एक बार में एक माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं। मुझे खेद है, आज इतनी देर तक आप दोनों की बहस-मुबाहिसा चल रही थी, उसको भी मैंने अलाउ किया। मैंने कहा; करो आप, आपकी मर्जी है, वैसे ही करने के लिए आप पधारे हुए हैं यहां, तो जैसा मर्जी आये वैसा करें आप। एक-एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दे रहा हूं। एक माननीय सदस्य खड़े होते हैं उसके साथ पांच खड़े हो जाते हैं। यह कौनसा डेकोरम आप मेन्टेन करना चाहते हैं ? या तो आप को-आपरेट करें और यदि इस तरीके से चलाना चाहें तो वह बतायें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं को इन लोगों ने आहत किया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे आज इस बात का बहुत ज्यादा खेद हुआ। हर माननीय सदस्य को अपना पक्ष रखने की पूरी अनुमति है पर कम से कम आसन से इजाजत तो लें। एक साथ पांच माननीय सदस्य खड़े होकर बात कहते हैं, न तो वह अंकित हो पाती है, न माननीय मंत्री महोदय सुन पाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, न मुझे पल्ले पड़ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। उस बात का उत्तर आ ही नहीं सकता। (व्यवधान) बिराजें आप ।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्न एवं उसका उत्तर

दी सेण्ट्रल को-आपरेटिव बंक लि. की शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था

424. **श्री रामपाल उपाध्याय**(सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की रायपुर शाखा में पिछले दिनों चोरी हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त शाखा में मात्र एक कर्मचारी ही नियुक्त है ? यदि हां, तो क्यों ? अब तक व्यवस्था दोष दूर करने के लिये की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त बैंक की अन्य शाखाओं में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो वहां सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई ?

(4) क्या इस घटना के पश्चात बैंक की सभी शाखाओं में रात्रि में चौकीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) उक्त प्रकार की दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से बचने की दृष्टि से बैंक द्वारा अपनी सभी शाखाओं में बीमा कराया हुआ है ।

(4) जी नहीं । क्योंकि बैंक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से चोरी व डकैती का जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमा कराया हुआ है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक क्षेत्र सुजानगढ़ (चूरू) में भू-खण्डों का आबंटन

626. **श्री रामेश्वर लाल भाटी**(सुजानगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रीको (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम) ने सुजानगढ़ (चूरू) को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो कब से तथा कुल कितने क्षेत्र को तथा नगर की किस दिशा में ?

(2) सुजानगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितने भूखण्ड काटे गये ? भूखण्ड आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ? क्या सभी भूखण्ड आबंटित कर दिये गये हैं ? क्या सभी आवेदकों को भूखण्ड आबंटित हो गये ? यदि नहीं तो क्यों तथा कितने भूखण्ड व आवेदक शेष रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या आबंटन से वंचित सभी आवेदकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि लौटा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनको अब आबंटन किया जावेगा ? यदि नहीं तो इनकी राशि अब कब तक लौटा दी जावेगी ?

(श्री रामेश्वरलाल भाटी)

(4) क्या उक्त भूखण्डों के अबंटन में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत तथा किन-किन को आबंटन हुआ और कौन-कौन वंचित रहे ? यदि आरक्षण नहीं रखा, तो क्यों ?

(5) क्या वर्ष 1988 में अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के आवेदक जो आबंटन से वंचित रह गये थे, को उन द्वारा जमा करवायी गयी राशि वापस लौटा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां, रीको द्वारा सुजानगढ़ (जिला चूरू) में सन् 1983 में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 2.94 एकड़ है। यह औद्योगिक क्षेत्र सुजानगढ़ शहर की पूर्वी दिशा में सुजानगढ़-सालासर मार्ग पर स्थित है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र सुजानगढ़ में कुल 58 भूखण्ड काटे गये हैं। भूखण्ड आबंटन हेतु कुल 243 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 58 नियोजित भूखण्डों में से 56 भूखण्ड आबंटित किये गये हैं। कुल 139 आवेदकों को भूखण्ड आबटित किये गये .जिनमें से 100 आवेदकों को उनके हक में किये गये आबंटन या तो उनके द्वारा लौटा दिये गये या नियमों की अवहेलना में निरस्त कर दिये गये हैं। 39 उद्यमियों के हक में 56 भूखण्डों का आबंटन वर्तमान में प्रभावी है। शेष 104 आवेदकों को आबंटन प्रार्थना-पत्रों पर वांछित 25 प्रतिशत विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होने के कारण आबंटन योग्य नहीं पाया गया। अब कोई भी आवेदक प्रतीक्षा की सूची में नहीं है व 2 भूखण्ड आबंटन हेतु रिक्त है। विवरण परिशिष्ट "अ", "ब" एव "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) आबंटन से वंचित कोई भी आवेदक नहीं रहा। नियमानुसार 25 प्रतिशत विकास शुल्क की राशि जमा नहीं कराने के कारण 104 आवेदकों को धरोहर राशि लौटायी जानी थी। 29 आवेदक कार्यालय में आकर राशि ले जा चुके हैं शेष 75 आवेदकों के कार्यालय में नहीं आने के कारण राशि नहीं लौटायी जा सकी। अब समाचार पत्रों के माध्यम से इन्हें सूचित किया जाकर राशि लौटाने की व्यवस्था की जावेगी। उक्त आवेदकों को अब आबंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी हां, रीको द्वारा भूतपूर्व सैनिकों हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण (अधिकतम 2000 वर्गमीटर क्षेत्रफल) व महिला उद्यमियों हेतु भी 2 प्रतिशत आरक्षण (अधिकतम 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) किया हुआ है। सुजानगढ़ औद्योगिक क्षेत्र हेतु किसी भी भूतपूर्व सैनिकों अथवा महिला उद्यमी ने आबंटन हेतु आवेदन नहीं किया।

(5) सन् 1988 में आवेदन करने वाले सभी अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के आवेदकों को भूखण्ड आबंटित कर दिये गये थे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डालमिया डेयरी, भरतपुर द्वारा अतिक्रमण

627. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भरतपुर शहर के निकट स्थित डालमिया डेयरीज नामक उद्योग को किस वर्ष कितनी भूमि सरकार से आवंटित हुई अथवा औद्योगिक कार्य हेतु परिवर्तित की गई ? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) वर्तमान में इस उद्योग के कब्जे या प्रयोग में कितनी भूमि आ रही है ? खसरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त उद्योग द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) डालमिया डेयरी इण्डस्ट्रीज को वर्ष 1969, 1971 एवं 1984 में कुल 42 बीघा 01 बिस्वा भूमि आवंटित की गई। खसरावार विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त आवंटित भूमि में से 40 बीघा 85 बिस्वा उद्योग प्रयोजनार्थ काम में ली जा रही है। खसरा नम्बरवार विवरण निम्न प्रकार है:–

खसरा नम्बर	रकबा
301	0.02 बीघा
302	9.19 बीघा
303	26.09 बीघा
305	3.15 बीघा
कुल योग	40.05 बीघा

(3) उक्त उद्योग द्वारा उद्योग के कर्मचारियों/अधिकारियों के वाहन खड़े करने हेतु साइकिल वाहन स्टैण्ड बनाकर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाया जा चुका है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

एशियाई विकास बैंक द्वारा राज्य के विकास हेतु सर्वे

628. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एशियाई विकास बैंक की सर्वे टोली ने राजस्थान के कौन–कौन से शहरों के सम्बन्ध में अपनी दिलचस्पी दर्शायी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार और एशियाई विकास बैंक की उक्त टोली के बीच दिसम्बर में हुई बैठक के तहत क्या–क्या निर्णय लिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने दिसम्बर की बैठक के पश्चात् भी इस मामले में कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या सरकार ने अजमेर शहर के प्रति विशेष महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसके विकास की भी कोई योजना एशियाई विकास बैंक के समक्ष रखी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एशियन विकास बैंक ने संरचनाओं के विकास हेतु राज्य के 6 शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व बीकानेर के विषय में अपनी रुचि दर्शायी है।

(2) दिसम्बर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ए. डी. बी. का तथ्य अन्वेषणात्मक दल मार्च, 95 के प्रथम सप्ताह में आयेगा और संबंधित निर्णय लिया जावेगा। एक सदस्यीय दल ने 1 से 3 मार्च, 95 तक राज्य सरकार से विचार–विमर्श कर संदर्भ की शर्तों का प्रारूप निर्णयार्थ प्रस्तुत किया।

(3) ए. डी. बी. के मानदण्डों के अनुरूप कन्सेप्ट पेपर को समय–समय पर संशोधन किया गया है। संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए ए.डी.बी के प्रतिनिधि ने 15.3.95 को राज्य सरकार से प्रस्तावित परियोजना के संदर्भ में विचार किया है।

(4) नगर सुधार न्यास द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर अवधारणा प्रपत्र में विस्तृत विवरण का समावेश किया गया है। अवधारणा प्रपत्र की एक प्रति संलग्न है।

प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर का निर्माण प्रकरण 690/87

629. **श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर):** क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के निर्माण प्रकरण संख्या 690/87 में जिस पट्टे की भूमि पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, वह अवैधानिक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पट्टे में यह उल्लेख किया गया है कि वह राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या 6 (17) राज/ख/71 दिनांक 3.7.1991 के अनुसरण में जारी किया गया है परन्तु इस आदेश के अन्तर्गत नगर परिषद् की सीमा, रेल्वे फेंसिंग से 100 गज के अन्दर एवं मेटल रोड के मध्य से 50 गज के भीतर भूमि के लिये ऐसे पट्टे नहीं दिये जा सकते ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त पट्टा उक्त तीनों शर्तों का उल्लंघन करता है ? यदि हां, तो उपरोक्त अवैधानिक पट्टा जो नगर सुधार न्यास, जोधपुर की मधराजजी की टांका स्कीम एरिया में दिया गया है, वह कब तक नियंत्रित किया जायेगा एवं संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड की कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजस्व विभाग के पत्र संख्या प. 6(17) राज/(ख)/71 दिनांक 3-7-71 के अवतरण संख्या 2 में वर्णित सीमाओं के तहत यह प्रकरण (1) (5) के तहत सनद में वर्णित खसरा न. 1608/ 12 की भूमि नगर निगम व मास्टर प्लान में स्थित होने से तत्कालीन तहसीलदार जोधपुर, व उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-10-81 नियमों के विपरीत व

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया जाना प्रतीत होता है।

(3) जी हां, यह सही है कि राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 3–7–71 में वर्णित शर्तों के तहत सनद/ पट्टा अवैधानिक व अनियमित बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया है दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिला कलक्टर, जोधपुर को निर्देश दिया जा रहा है।

आवासन मण्डल द्वारा आवासों का आबंटन

630. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जयपुर शहर में किराया-क्रय पद्धति और एक मुश्त भुगतान पद्धति पर मकान आबंटन चाहने वाले व्यक्तियों की पृथक–पृथक प्राथमिकता सूची तैयार की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों, जबकि मण्डल द्वारा प्रति वर्ष निर्मित मकानों का 55 व 45 प्रतिशत के आधार पर इन श्रेणियों को आवंटन किया जाना था ?

(2) क्या यह सही है कि पृथक-पृथक प्राथमिकता सूची तैयार नहीं करने के कारण एक मुश्त भुगतान पद्धति पर मकान आबंटन चाहने वाले व्यक्तियों की कमी रही ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि किराया–क्रय पद्धति पर मकान आबंटन चाहने वाले प्रार्थियों के पंजीकरण वर्ष के आगे के वर्ष में पंजीकृत एक मुश्त भुगतान पद्धति पर आबंटन चाहने वाले व्यक्तियों को मकान पहिले आबंटन करना मण्डल ने नियम विरुद्ध माना था ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग 3 में वर्णित प्रणाली का अनुसरण करने एव एक मुश्त भुगतान पर मकान आबंटन चाहने वाले व्यक्तियों को मकान मिलने में विलम्ब हुआ ? यदि हां, तो मण्डल में एक मुश्त भुगतान पर मकान आबंटन चाहने वाले व्यक्तियों को हुई हानि के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे मण्डल की जो साख गिरी है, को सरकार कैसे उचित मानती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में किराया क्रय पद्धति एवं नकद भुगतान पद्धति पर मकान आवंटन कराने वाले आवेदकों की पृथक–पृथक प्राथमिकता सूची तैयार की गई थी।

(2) जी नहीं, सभी आय वर्गों की पृथक पृथक सूची तैयार की गयी थी एवं उसी के अनुसार आवास आबंटित किये गये हैं। पंजीकरण के समय ही एक मुश्त भुगतान पद्धति में पंजीकृत आवेदकों की संख्या किराया क्रय पद्धति के पंजीकृत आवेदकों की संख्या से कम थी, अतः एक मुश्त में कम मकान दिये जा सके।

(3) जी नहीं। किराया क्रय पद्धति में मकान आबंटित कराने वाले प्रार्थियों के पंजीकरण वर्ष के आगे के वर्ष में पंजीकृत

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

एक मुश्त भुगतान पद्धति पर आबंटन कराने वाले व्यक्तियों को मकान पहले आबंटन करना नियम विरुद्ध नहीं है क्योंकि 45-55 कोटे के अन्तर्गत 45 प्रतिशत मकान एक मुश्त में देने का प्रावधान है। यदि अमुक वर्ष में कोटे के अन्तर्गत समुचित संख्या में आवेदक नहीं मिलते हैं तो कोटा पूर्ण करने के लिए अगले वर्षों के आवेदकों के मकान आबंटन करना नियमानुसार है।

(4) प्रश्न के भाग संख्या 3 के अनुसार एक मुश्त भुगतान पर मकान चाहने वालों को आबंटन में कोई विलम्ब नहीं हुआ। इसलिए हानि होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

आवास विकास संस्था द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

631. **श्री रामकिशन वर्मा** (रामगंज-मण्डी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आवासन विकास संस्थान द्वारा अब तक कितने अधिकारियों व कर्मचारियों की नियमित नियुक्तियां की गई हैं? क्या ये सभी नियुक्तियां रोजगार कार्यालय सूची के अनुसार दी गई थीं या समाचार पत्रों में विज्ञप्ति देकर? यदि समाचारपत्र की विज्ञप्ति द्वारा नियुक्तियां दी गई हैं तो समाचार पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान द्वारा अब तक कितने वर्कचार्ज व कितने दैनिक वेतन भोगी व कितने रिटायर्ड व्यक्तियों की नियुक्ति की गई? नामवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) आवासन विकास संस्था का वर्ष 1994-95 में कुल कितनी राशि का बजट था?

(4) क्या उक्त संस्थान द्वारा आडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से करवाई जाती है? यदि नहीं, तो यह आडिट किस के माध्यम से कराई जाती है?

(5) उक्त संस्थान द्वारा अपनी स्थापना से अब तक कितनी राशि का साजो-सामान व मशीनरी खरीदी गई? क्या उक्त सामान निविदाएं आमन्त्रित की जाकर क्रय किया गया? यदि हां, तो निविदादाता फर्म का नाम व खरीद की दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आवास विकास संस्थान में किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी स्थायी तौर पर नहीं रखे जाते हैं। कार्य के क्वाण्टम के आधार पर पदों की आवश्यकतानुसार पहले 3 से 6 माह के अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, एवं आवश्यकतानुसार अनुबन्ध का समय बढ़ा दिया जाता है, जो कि अधिकतम एक वर्ष होता है। स्थायी पदों को भरने के लिये अनुबन्ध पर कार्यरत कर्मचारियों से परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया है एवं जो कर्मचारी परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें उपलब्ध पदों के अनुसार नियुक्ति दे दी जाती है। संस्थान ने दिनांक 31-3-95 तक उपरोक्त आधार पर 347 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वीकृत पद अनुसार नियमित वेतन शृंखला प्रदान की है। आवास विकास संस्थान में प्रारम्भ से ही

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही दैनिक वेतन/अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति की जाती है, क्योंकि संस्थान को दूसरे विभाग से निर्माण कार्य आवंटित होते हैं किसी वर्ष में ज्यादा कार्य मिल जाते हैं किसी वर्ष में कम। इसी अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया जाता है। कर्मचारियों की नियमित नियुक्तियां की हैं। ये सभी नियुक्तियां दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर ही की गई है।

(2) संस्थान में वर्कचार्ज जैसी कोई मद नहीं है, अनुबन्ध के आधार पर दैनिक वेतन पर कर्मचारी कार्यरत हैं एवं जिनकी संख्या 290 है। रिटायर्ड व्यक्तियों को भी 3 माह एवं 6 माह के लिए अनुबन्ध पर रखा जाता है एवं ऐसे 6 कर्मचारी संस्थान में कार्यरत हैं। कर्मचारियों की सूची (परिशिष्ट "अ") पर संलग्न है।

(3) आवास विकास संस्थान का वर्ष 1994-95 का बजट 3586.97 लाख की राशि का बजट था।

(4) आवास विकास संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसका पंजीकरण संख्या 281/88-89 है। सोसायटीज एक्ट में संस्थाओं के आडिट हेतु चार्टेड अकाउण्टेन्ट का ही प्रावधान है। आवास विकास संस्थान ही नहीं बल्कि राज्य में ऐसे एक्ट में पंजीकृत सैकड़ों संस्थाओं का आडिट चार्टेड अकाउण्टेन्ट द्वारा ही किया जाता है। चार्टेड अकाउण्टेन्ट की आडिट को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने विधिक अनुमोदन दिया हुआ है एवं यह इन संस्थाओं के संविधान के अनुसार है। यह संस्था केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय आवास नीति के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है। इस संस्थान के अधीन 33 निर्मिति केन्द्र हैं। लगभग सभी का संविधान एक सा ही है एवं पूरे देश में ऐसी संस्थाओं की आडिट चार्टेड अकाउण्टेन्ट द्वारा ही की जाती है।

(5) आवास विकास संस्थान द्वारा मशीनरी हेतु समय-समय पर टेण्डर किये जाते हैं, जिनका विवरण संलग्न (परिशिष्ट-'ब') पर दिया जा रहा है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सबीना खेड़ा मौजा (उदयपुर) की कृषि भूमि का आवासीय भूमि में नियमन प्रकरण

632. श्री कुबेरसिंह (फलासिया): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में दीप स्कूल के पास सबीना खेड़ा मौजा के आराजी नम्बर 404, 405 (पुराने) की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन करने के लिए गत 5 वर्षों में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं? आवेदन-पत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आराजी की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन करने के लिए सर्वेयर के पास कितनी फाइलें भेजी गयी हैं

(श्री कुबेरसिंह)

और कितनी फाइलों पर सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ?

(3) गत 5 वर्षों में उक्त आराजी की कितनी कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन कर दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त आराजी की कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम सबीना खेड़ा के आराजी नम्बर 404, 405 (पुराने) में गत 5 वर्षों में कोई भी आवेदन–पत्र आवासीय भूमि नियमन हेतु रूपान्तरण कार्यालय, उदयपुर में प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) चूंकि भूमि रूपान्तरण कार्यालय उदयपुर में आवासीय भूमि में नियमन करने के लिए कोई आवेदन पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ, जिसे सर्वेयर के पास भेजी जा सके।

(3) गत 5 वर्षों में रूपान्तरण कार्यालय में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन करने सम्बन्धी कोई आवेदन–पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर रूपान्तरण नियम, 1981 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा।

जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों के विकास हेतु प्राप्त सहायता राशि

633. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर शहर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं और इन बस्तियों के विकास पर कितनी राशि गत 5 वर्षों में व्यय की गई ?

(2) क्या भारत सरकार से योजना अनुसार कच्ची बस्तियों के विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मिलने वाली धन राशि पर्याप्त होती है ?

(3) क्या सरकार द्वारा भारत सरकार से उपरोक्त मिलने वाली धनराशि को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में 1981 में हुए सर्वे के अनुसार कुल 178 कच्ची बस्तियां हैं। इनके विकास पर गत पांच वर्ष में कुल 310.47 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

रायल्टी नाका नं. 2, पहाड़ी वाली रोड (जगतपुरा-जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

634. **श्री शैलेन्द्र जोशी** (बांदीकुई) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रायल्टी नाका

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नं. 2 पहाड़ी वाली रोड (जगतपुरा रोड) के दोनों ओर सड़क एवं भूमि पर किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा छप्पर, थड़ियों एवं पक्का निर्माण कर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो किन–किन व्यक्तियों ने कितनी–कितनी भूमि पर ? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1993 से 1994 तक रजिस्टर्ड प्रार्थना–पत्र/शिकायती पत्रों द्वारा सम्बन्धित विभाग को अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? शिकायती पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि माननीय विधायक एवं जयपुर विकास प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य तथा स्वायत्त शासन मंत्री महोदय द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को उक्त अतिक्रमण हटाये जाने बाबत पत्रांक 2931 दिनांक 25 मार्च, 1994 को पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें तथा उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि एवं रोड बाउण्ड्री पर उक्त अतिक्रमण प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाने एवं अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) उक्त रोड एवं भूमि पर भविष्य में अतिक्रमण को रोकने बाबत सरकार क्या कारगर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि रायल्टी नाका नम्बर 2 पहाड़ी वाली रोड (जगतपुरा रोड) के दोनों ओर सड़क एवं भूमि पर छप्पर, थड़ियां एवं पक्के टिनशेड के मकान बनाकर कुछ कमजोर वर्ग के व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया है । ऐसे अतिक्रमण करने वालों की सूची मय विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है ।

(2) वर्ष 1993 से 1994 के बीच इन अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड प्रार्थना–पत्र/शिकायती पत्र प्राप्त होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(3) यह सही है कि प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य श्री सोहन लाल शर्मा द्वारा जून, 1994 में उक्त अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था (पत्र की प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है) । उक्त पत्र के आधार पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही नियमानुसार समय-समय पर की गयी । लेकिन चूंकि यह अतिक्रमण थड़ियों आदि का होने के कारण अस्थायी प्रकृति का है अतः अतिक्रमी पुनः थड़ियां आदि लगाकर अतिक्रमण कर लेते हैं ।

(4) नहीं, यह सही नहीं है कि उक्त स्थानों पर अतिक्रमण प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिली भगत से हुआ है ।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) चूंकि इनमें से अधिकांश अतिक्रमण अस्थायी प्रकृति के ही हैं, अतः उन्हें पुनः हटा दिया जायेगा। पक्के टिनशेड के कमरों को भी शीघ्र हटाने की कार्यवाही की जावेगी।

(6) उक्त रोड एवं भूमि पर भविष्य में भी निरन्तर सतर्कता रख कर इसे अतिक्रमण से मुक्त रखने का प्रयास किया जायेगा।

(सूची, विवरण एवं प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

मगरा (जोधपुर) क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था

635. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि मगरा (मन्डोर) जोधपुर में बूस्टर लगाने के बाद भी पानी कम दबाव से आता है ? यदि हां, तो जन साधारण को पानी प्रेशर से एवं पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी मगरा क्षेत्र के केवल अन्तिम छोरों में कई स्थानों पर पानी कम दबाव से मिलने की सूचना है। इस समस्या के निदान के लिए मदेरणा कालोनी में पहाड़ी पर "हुडको से प्रस्तावित योजना" के अन्तर्गत एक उच्च जलाशय का निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित है। इसी योजना के अन्तर्गत वितरण प्रणाली में सुधार करना भी लक्षित है। इन कार्यों हेतु हुडको से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

नगरपालिका क्षेत्र बगरू की पेयजल व्यवस्था

636. **श्री भीखा भाई** (सागवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बगरू नगरपालिका, जिला जयपुर में अनुसूचित जाति की बस्तियों में नल योजना से सभी को पीने का पानी समुचित मात्रा में प्रदाय किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बगरू नगरपालिका के अनुसूचित जाति के (रैगर) मोहल्ले के नलों में पीने का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ता है ? यदि हां, तो ऐसे कितने पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें पानी नहीं चढ़ता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन परिवारों के नलों में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचता उनसे भी पानी के बिलों की राशि वसूल की जाती है ? यदि हां, तो ऐसे कितने परिवार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार केवल रैगरों के मोहल्ले के अंतिम छोर में पानी पर्याप्त दबाव से नहीं पहुंचता था। जिन घरों में पानी बिलकुल प्राप्त नहीं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

होता था उसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर है। इस क्षेत्र में पेयजल की सुविधा हेतु 2 हैण्डपम्प स्थापित किये हैं।

(3) जिन जल संबंधों में पानी नहीं पहुंचता था, उन उपभोक्ताओं द्वारा ही जल संबंध विच्छेद करा लिया गया था। अतः उनसे कोई राशि वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सूचना के अनुसार केवल 27 संबंधों में यह समस्या थी, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जिला जोधपुर में नलकूपों द्वारा पेयजल व्यवस्था

637. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले में विभाग द्वारा कहां-कहां पर कब–कब से नलकूपों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है ?

(2) पिछले पांच वर्षों में क्या नलकूपों के जल स्तर में गिरावट आई है ? यदि हां, तो कहां–कहां पर ?

(3) जल स्तर में गिरावट के कारण क्या विभाग द्वारा विद्युत पम्पों को बदल–कर अधिक शक्ति वाले पम्पों को लगाया गया ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब वहां पर अधिक शक्ति के पम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम देवनगर, बासनी (खारिया), चौकड़ीकलां, खोखरिया, मुरकासनी, भागासनी में जहां कुओं का जल स्तर कम हो गया है, कुओं को गहरा कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कुओं को कब तक गहरा कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जी हां, भूमिगत जल स्तर में गत पांच वर्षों में हुई औसत गिरावट की सूचना तहसीलवार परिशिष्ट "ख" है।

(3) विभिन्न क्षेत्रों की जलस्तर की गिरावट के कारण नलकूप की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु पम्पसैट को नीचे गहरा उतार दिया जाता है। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार पम्पसैटों की पावर बढ़ाने के लिये उन्हें बदलने की कार्यवाही की भी जाती है। उपरोक्त निर्णय तकनीकी औचित्यता के आधार पर लिये जाते हैं।

(4) वर्णित ग्रामों में से देवनगर, खोखरिया व भागासनी के कुएं सूख जाने के कारण इन योजनाओं के संवर्द्धन प्रस्ताव स्वीकृत करा कर क्रियान्वित हो रहे हैं। इन प्रस्तावों के अनुसार भू-जल विभाग की राय से वर्तमान कुओं से करीब 2-3 किलोमीटर दूर नये नलकूपों के स्थान प्रस्तावित किये गये हैं व इससे सम्बन्धित कार्य वित्तीय वर्ष 95–96 में पूर्ण करने हेतु लक्षित है। शेष ग्रामों के लिए आवश्यकता होने पर उप–रोक्तानुसार अथवा संभावनाओं तथा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तकनीकी औचित्यता को दृष्टिगत रख वांछित कार्यवाही की जायेगी।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम जसोता एवं बनेठा (दौसा) में स्वीकृत हैण्ड पम्प्स

638. **श्री मदन मोहन (खैरथल)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम जसोता एवं बनेठा (तहसील दौसा) में कुल कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हैं? उनमें से कितने हैण्डपम्प लगवाये जा चुके हैं तथा कितने लगने शेष हैं? लगाये गये हैण्डपम्प्स में से कितने चालू हालत में हैं एवं कितने कब से खराब हालत में हैं? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाने एवं जो मरम्मत के अयोग्य हैण्ड-पम्प्स हैं, के स्थान पर दूसरे हैण्डपम्प्स लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में पेयजल का स्तर काफी नीचे चला गया है? यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम बनेठा स्थित हनुमानजी के मंदिर पर काफी संख्या में लोगों का आना जाना होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मंदिर पर गर्मी के मौसम को देखते हुये एक हैण्डपम्प लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम जसोता एवं बनेठा (तहसील दौसा) में क्रमशः 4 एवं 2 विभागीय हैण्डपम्प स्थापित हैं जो पूर्व में स्वीकृत किये गये थे। वर्तमान में, ग्राम जसोता में 2 हैण्डपम्प खराब हैं तथा 2 हैण्डपम्प परित्यक्त होने के कारण हटा दिये गये थे। सामान्य रूप से इनके मरम्मत का कार्य पंचायत समिति स्तर पर होता है फिर भी वर्तमान में जारी "हैण्डपम्प मर-म्मत अभियान" के दौरान सभी मरम्मत योग्य हैण्डपम्प ठीक करवा दिये जायेंगे। ग्राम जसोता पाइप जल योजना से भी लाभा-न्वित है। ग्राम बनेठा के दोनों हैण्डपम्प चालू हैं व उनसे पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान में कोई हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। विभाग द्वारा संसाधनों को दृष्टिगत कर पेयजल आपूर्ति, विभागीय निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बनाये रखने के प्रयास जारी रहेंगे।

(2) जी नहीं। गर्मी अधिक पड़ने एवं यदा-कदा वर्षा कम होने के कारण वर्तमान में यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति आने पर विभाग द्वारा आवश्यकता-नुसार कदम उठाये जाते हैं।

(3) ग्राम बनेठा में अभी विभागीय मापदण्डों के अनुरूप 2 हैण्डपम्प स्थापित हैं।

ब्यावर (अजमेर) में नल कनेक्शन

639. **श्री लक्ष्मण सिंह (भीम)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री लक्ष्मण सिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में नये नल कनेक्शन राजस्थान जल प्रदाय नियम के अन्तर्गत प्लमबिग के लाइसेंस शुदा ठेकेदारों के माध्यम से ही कराने का प्रावधान है ? यदि हां, तो सम्बन्धित नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर नगर में वर्ष 1993-94 तक नये नल कनेक्शन लाइसेंस शुदा अनुभवी प्लमबरों से करवाया जाता था ? यदि हां, तो उक्त प्रक्रिया में कब तथा क्यों परिवर्तन किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि आजकल ब्यावर शहर में नये नल कनेक्शन जलदाय विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही चोरी छुपे प्राइवेट तौर पर किये जाते हैं यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार इस दिशा में ठोस निर्णय लेकर ब्यावर में पुनः लाइसेंस शुदा अनुभवी प्लमबरों के माध्यम से नियमानुसार नये नल कनेक्शन लगवाना प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) राज्य में नये जल सम्बन्ध प्रदाय निर्देशानुसार विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन किसी निजी व्यक्ति द्वारा भी अपने स्रोत से वितरण करने पर पाबन्दी नहीं है। विभागीय जल सम्बन्ध लेने वालों द्वारा पाइप फिटिंग का कार्य विभाग के अनुज्ञापत्रधारी, नलकार द्वारा या जलदाय विभाग के अनुमोदित ठेकेदार द्वारा कराने पर जल सम्बन्ध स्वीकृत किये जाते हैं। राजस्थान जलप्रदाय नियम 1967 परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) ब्यावर शहर की जनता के आक्रोश को देखते हुए इस शहर के लिए गठित पेयजल सलाहकार समिति द्वारा, फिटिंग कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जाने पर पर आक्रोश जाहिर करने पर उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा दिये गये 22.9.94 के आदेशों की अनुपालना कर अग्रिम आदेशों तक ठेकेदार द्वारा फिटिंग कराने की प्रणाली पर रोक लगा दी थी तथा फिटिंग का कार्य स्वेच्छा से किसी अनुभवी मिस्त्री से कराने की छूट दी गई थी।

(3). (2) के उपरोक्तानुसार वर्णित स्थिति में इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। किसी विशिष्ट कर्मचारियों के सम्बन्ध में तथ्यों को उपलब्ध कराये जाने पर ही जांच करानी सम्भव होगी।

(4) जी हां, इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है। नियमों एवं अधिनियमों के सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण कराके ही कोई निर्णय लिया जाना उचित होता है, जिसके लिए वर्तमान में निश्चित सीमा अवधि का उल्लेख किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

ग्राम पारलू (बाड़मेर) का ओवरहैड टैंक

640. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के ग्राम पारलू में पानी संग्रह के लिए ओवर हैड टेंक बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह ओवर हैड टेंक 20 साल पूर्व बनाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि ओवर हैड टेंक जगह-जगह से टूट गया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पारलू गांव में 90,000 लीटर क्षमता (18 मीटर स्टेजिंग) का एक ओवर हैड टेंक लगभग 20 साल पहले बना हुआ है जिससे गांव को पेयजल आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में यह टंकी खराब हालत में है। इस टंकी को ठीक करने के लिये तकनीकी जांच हेतु इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर के विशेषज्ञों को लिख दिया गया है। विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

एकलिंगपुरा (भैंसरोडगढ़) में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र

641. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुण्डाल (भैंसरोडगढ़) क्षेत्र में कोई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केन्द्र नहीं है ?

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र के एकलिंगपुरा में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एकलिंगपुरा में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यदि भविष्य में आवेदन पत्र परीक्षा केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त होगा तो बोर्ड की परीक्षा केन्द्र समिति गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लेगी।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के प्राथमिक विद्यालय

642. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 1994-95 के दौरान कितनी प्राथमिक पाठशालाओं को क्रमोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 94–95 में निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया:–

(शिक्षा मंत्री)

क.सं.	विद्यालय का नाम
(अ)	रा.प्रा.वि. झगड़वास
(आ)	रा.प्रा.वि, गोरेडीकरण
(इ)	रा.प्रा.वि, तिलानेरा
(ई)	रा.प्रा.वि, आम्बरोली कलां
(उ)	रा.प्रा.वि, बच्छवारी
(ऊ)	रा.प्रा.वि. घाटा
(ए)	रा.प्रा.वि, टेहला

(2) उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में से निम्न में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त हैं :—

क.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पदों की सं.
(अ)	रा.उ.प्रा.वि, झगड़वास	01
(आ)	रा.उ.प्रा.वि., तिलानेरा	01
(इ)	रा.उ.प्रा.वि. आम्बरोली कलां	01
(ई)	रा.उ.प्रा.वि, बच्छवारी	01
(उ)	रा.उ.प्रा.वि, घाटा	01

जिला पाली के पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

643. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पाली जिले के चार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है :–

	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति
1.	बाणियावास	पाली
2.	दयालपुरा	पाली
3.	कानमिया कलां	जैतारण
4.	सांसरी	देसूरी

(2) जी नहीं। वर्ष 1995-96 में ऐसी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

प्रशासक एवं प्राचार्य, एस. एम. बी. माध्यमिक विद्यालय अजमेर के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच

644. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर-पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एस. एम. बी. माध्यमिक विद्यालय रामगंज, अजमेर के प्रशासक एवं प्रधानाचार्य, जवाहर हायर सैकण्डरी स्कूल, अजमेर ने जून, 1994 से जनवरी, 1995 तक राजकीय नियमों

(श्री किशन मोटवानी)

के विरुद्ध दोहरा मानदेय भत्ता, तीन सौ रुपये प्रतिमाह के स्थान पर छः सौ रुपये प्रति माह लिया ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रशासक ने तीन अध्यापकों का कार्य-व्यवहार असंतोषजनक होने पर स्वयं द्वारा सेवाएं समाप्त कर पुन: स्वयं नियम विरुद्ध बिना विभाग की अनुमति के नियुक्ति दे दी ? यदि हां, तो क्यों व किस आधार पर ? सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रशासक ने इन अध्यापकों को अनुपस्थित समय का वेतन भी दे दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या प्रशासक ने नियमों के विरुद्ध जबरदस्ती प्रति छात्र माह जुलाई, 1994 में पचास-पचास रुपये वसूल किये जबकि अध्यापक-अभिभावक परिषद का गठन माह अगस्त में किया गया ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस क्रम में उप निदेशक (पुरुष) ने प्रधानाचार्य, राजकीय राजेन्द्र सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर से जांच कराई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त जांच प्रतिवेदन के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रशासक को बचाने के लिये स्वयं जाच शुरू की एवं दूसरा जांच प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत किया ? यदि हां तो इस जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। एस.एम.बी माध्यमिक विद्यालय, रामगंज अजमेर के प्रशासक एवं प्रधानाचार्य जवाहर हायर सैकण्डरी स्कूल अजमेर के द्वारा 11-6-94 से 31-8-94 तक तीन सौ रुपये मानदेय के स्थान पर छः सौ रुपये प्रतिमाह से आहरण की गई। ऐसा एस.एम.बी. माध्यमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय को अलग-अलग विद्यालय मानकर आहरण किया गया। प्रशासक को जब यह तथ्य ध्यान में आया कि यह भुगतान अदेय है तो उन्होंने अधिक आहरित मानदेय की राशि रुपये आठ सौ, अक्टूबर, 94 में वापस जमा करादी। राशि जमा करवा दिये जाने के कारण किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई।

(2) प्रशासक ने तीन अध्यापक क्रमशः सुश्री उषा शर्मा, श्री अजय मित्तल एवं श्री लोकेन्द्र सिंह का कार्यकाल असंतोषजनक नहीं माना और न ही सेवाएं समाप्त कीं। नियुक्ति पत्रानुसार अध्यापकों की सेवाएं सत्र के अन्त तक परिवीक्षाकाल पर की गई थी। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के नियम 30 के अनुसार इन तीनों अध्यापकों का परिवीक्षाकाल एक वर्ष हेतु बढ़ाया गया है।

(3) प्रशासक ने इन शिक्षकों के अनुपस्थित समय का अवकाश में नियमन होने पर वेतन का भुगतान किया है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) अध्यापक अभिभावक समिति अगस्त, 1994 से पूर्व भी गठित थी। पूर्व से चली आ रही समिति का अगस्त, 1994 में नवीनीकरण हुआ। समिति के निर्णया–नुसार राशि पचास रुपये प्रति छात्र समिति के कोषाध्यक्ष द्वारा प्राप्त की गई।

(5) जी हां। प्रकरण में जांच करवाई जा रही है। जांच प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है।

(6) जी नहीं। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर के द्वारा प्रशासक को बचाने हेतु स्वयं कोई जांच नहीं की गई। अपितु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 17 (18) शिक्षा–5/90, दिनांक 16.9.94 की अनुपालना में जांच कार्यवाही की गई।

दी सेंट्रल को–आपरेटिव बैंक लि. गंगापुर (भीलवाड़ा) का लोन सुपरवाइजर प्रकरण

645. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दी सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की गंगापुर ब्रांच में लम्बे समय से श्री सुवालाल, खटीक लोन सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है? यदि हां, तो कितने वर्षों से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त श्री सुवालाल खटीक द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1995 को भीलवाड़ा स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक में संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर तथा प्रबन्ध निदेशक और पूरे फील्ड स्टाफ के सामने श्री मोहन लाल दिनकर सहायक अधिशासी अधिकारी, गंगापुर के साथ दुर्व्यवहार किया गया? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सुवालाल आदतन दुर्व्यवहार करने के आदी हैं? क्या इससे पूर्व श्री रामाकाठांत ए. ई. ओ., श्री बाबूलाल बागला केवीएसएस मैनेजर, श्री गिर्राज उपाध्याय, शाखा सचिव बैंक, श्री चांदमल दुगड़ पूर्व प्रबन्ध संचालक, बैंक आदि के साथ भी दुर्व्यवहार किया है?

(4) क्या उक्त कार्यवाही के लिए श्री सुवालाल खटीक को समय–समय पर दण्डित किया गया? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(5) श्री दिनकर के साथ दिनांक 9–2–1995 को किये गये दुर्व्यवहार की क्या सजा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री सुवालाल खटीक का वर्तमान अवधि में लोन सुपरवाइजर की सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. भीलवाड़ा की गंगापुर शाखा में पद स्थापन दिनांक 15–6–94 से है।

(2) जी नहीं। श्री सुवालाल खटीक द्वारा श्री मोहन लाल दिनकर के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत स्वयं श्री दिनकर द्वारा की गई है। शिकायत की जांच करने हेतु श्री शंकर लाल चौधरी सहायक अधि–शासी अधिकारी को नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होना अपेक्षित है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जांच कार्यवाही चल रही है। अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

कोटा सम्भाग में व्यावसायिक ऋणों की स्वीकृति प्रकरण

646. **श्री रामनारायण मीणा(नैनवां) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि व्यावसायिक ऋण सहकारी बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बैंकों में अकृषि कार्य हेतु प्रस्तुत ऋण आवेदन पत्रों का रिकार्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1994 से अब तक की अवधि में कोटा सम्भाग में स्वीकृत एवं अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों की बैंक वार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में स्वीकृत ऋण राशि वितरण नहीं की गई है ? यदि हां, तो कितने मामलों में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त करने तथा स्वीकृत/अस्वीकृत करने की सूचना दी जाने के लिए समय सीमा निर्धारित है ? यदि नहीं, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में राजस्थान स्टेट को आपरेटिव बैंक लि. केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा व्यावसायिक ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। 1.1.1994 से 23.3.95 तक की अवधि में कोटा सम्भाग में स्वीकृत/अस्वीकृत प्रार्थना-पत्रों को बैंकवार संख्या परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) कोटा सम्भाग में उक्त अवधि में जिन मामलों में स्वीकृत ऋण राशि वितरित नहीं की जा सकी है, उन मामलों की सूची बैंकवार परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। अब इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सहकारी बैंकों को प्राप्त ऋण प्रार्थना-पत्रों के निपटारे के लिए तीन माह की समय अवधि निर्धारित करने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला सवाई माधोपुर में पंजीकृत संस्थाएं/समितियां

647. **श्री हरिसिंह(महुआ) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है ? यदि हां, तो किन नियमों के

(श्री हरिसिंह)

तहत ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सवाईमाधोपुर जिले में जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1994 तक किसी संस्था का पंजीयन किया गया है ? यदि हां, तो पंजीकृत संस्थाओं/समितियों का विवरण मय नाम, पते व पंजीयन नम्बर के वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर जिले में संस्थाओं/समितियों के पंजीयन बाबत आवेदन लम्बित है ? यदि हां, तो किस संस्था या समिति का ? इन संस्थाओं का पजीयन किन कारणों से नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार इन संस्थाओं या समितियों का पंजीयन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। पंजीयन राजस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत होता है। सम्बन्धित धाराओं का उद्धरण (परिशिष्ट--अ) सदन की पटल पर रख दिया गया है। जी हां, पंजीकृत संस्थाओं की सूची (परिशिष्ट-ब) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। लम्बित प्रकरणों की सूची मय कारणों के परिशिष्ट-स पर संलग्न है। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले प्रकरणों में समिति का पंजीयन किया जा सकेगा। पत्रावली नहीं रखने वाले प्रकरणों में पंजीयन नहीं हो सकेगा।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सोजत रोड

648. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोजत रोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर पिछले पांच वर्षों से कौन-कौन व्यक्ति कितने-कितने समय रहा इनमें अतिरिक्त प्रभार किस-किस व्यक्ति को कितने-कितने समय दिया गया ? इसके मुख्य कारण क्या रहे ?

(2) पिछले दस वर्षों में सोजत रोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति ने विभिन्न जिन्सों में कितनी-कितनी राशि का कारोबार किया तथा इसमें प्रति वर्ष कुल कितना लाभ रहा है। सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समिति के विरुद्ध आडिट द्वारा पिछले पांच वर्षों में क्या-क्या आक्षेप लगाये गये ? आडिट आक्षेप की सूची सदन की मेज पर रखें तथा इनके बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सोजत रोड क्रय-विक्रय सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर पिछले पांच वर्षों में निम्न व्यक्ति उनके नाम के सम्मुख वर्णित अवधि तक रहे :-

(सहकारिता मंत्री)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	अवधि
1.	श्री निम्बालाल सोनगरा, निरीक्षक (आडिट) (प्रतिनियुक्ति पर)	7.11.89 से 16.11.92
2.	श्री मदनलाल लोहार, सहकार प्रसार अधिकारी, पं.स. सोजत (अतिरिक्त प्रभार)	18.11.92 से 30.11.94
3.	श्री खेताराम चौधरी, निरीक्षक (कार्यकारी) अतिरिक्त प्रभार	3.12.94 से निरन्तर

प्रशासनिक कारणों से विभागीय कर्मचारियों को व्यवस्थापक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

(2) पिछले दस वर्षों में सोजत रोड क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा जिन्स–वार किये कारोबार एवं लाभ की स्थिति परिशिष्ट "एक" पर संलग्न है।

(3) उक्त समिति के विरुद्ध आडिट द्वारा पिछले 5 वर्षों में लगाये गये आक्षेप परिशिष्ट "दो" पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही परिशिष्ट "तीन" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गोविन्दपुरी (रामनगर सोडाला–जयपुर) योजना में आबंटित भू-खण्ड

649. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा रामनगर सोडाला में गोविन्दपुरी ए. बी. सी. डी .ई. ब्लाक में अपने सदस्यों को भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक ब्लॉक में कितने-कितने भू-खण्ड आबंटित किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति द्वारा एक ही भू-खण्ड दो-दो सदस्यों को आबंटित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सरकार को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत पर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया गया और अब कब तक दर्ज करवा दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) गोविन्दपुरी "ई" में प्लाट संख्या 90 से 120 तक किस–किस सदस्य को आबंटित किया गया है ? साइट प्लान व पट्टे की प्रति सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस नाम से कोई समिति पंजीकृत नहीं है। दी कृष्णा को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. नाम से पंजीकृत समिति के द्वारा रामनगर सोडाला में गोविन्दपुरी 'ए' "बी" "सी" "डी" "ई" ब्लाक में अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। समिति से प्राप्त सूचना अनुसार ब्लॉकवार आवंटित भू-खण्डों की सख्या निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	ब्लाक संख्या	आवंटित भूखण्ड
1.	गोविन्दपुरी	"ए"	61
2.	,,	"बी"	56
3.	,,	"सी"	66
4.	,,	"डी"	69
5.	,,	"ई"	148

(2) जी नहीं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक भू-खण्ड एक ही सदस्य को आवंटित किया गया है।

(3) गोविन्दपुरी "ई" ब्लाक में प्लाट संख्या 90 से 120 तक के आवंटियों की समिति की सूची मय साइट प्लान के परिशिष्ट-1 में सदन के पटल पर रख दी गई है। समिति द्वारा पट्टे की प्रति नहीं रखी जाती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

डालमिया डेयरी उद्योग में प्रदूषण

650. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर के निकट स्थित डालमिया डेयरीज उद्योग के सम्बन्ध में इस बात की जांच कराई गई है कि इस उद्योग से कोई वायु या जल प्रदूषण नहीं होता है ? यदि हां, तो यह जांच कब कराई गई और इसका क्या नतीजा रहा ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार विश्व विख्यात पक्षी अभयारण्य की रक्षार्थ अब उक्त उद्योग के पर्यावरण सम्बन्धी जांच करायेगी ?

(3) क्या पूर्व में इस उद्योग के विरुद्ध जल व वायु प्रदूषण की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, भरतपुर शहर के निकट स्थित मेसर्स डालमिया इण्डस्ट्रीज लि. से निस्त्रावित औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं वायु

(पर्यावरण मंत्री)

उत्सर्जन से सम्भावित प्रदूषण सम्बन्धी (जांच) निरीक्षण राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा समय–समय पर किये जाते रहे हैं। उद्योग से निस्त्रावित औद्योगिक उच्छिष्ठ एवं वायु उत्सर्जन की जांच राज्य मण्डल द्वारा अन्तिम बार क्रमश: दिसम्बर, 1994 एवम् जनवरी, 1995 में करवाई गई जिसमें प्रदूषकों की मात्रा निर्धारित मानकों की सीमा से अधिक पायी गयी।

(2) लागू नहीं।

(3) जी हां। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उद्योग से हो रहे जल/वायु प्रदूषण को रोकने हेतु उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवम् वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये हैं।

विद्युत मण्डल में राष्ट्रीय पन बिजली/ ताप निगम व अन्य केन्द्रीय उपक्रमों की बकाया

651. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पन बिजली निगम, राष्ट्रीय ताप निगम तथा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों की राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में बकाया राशि की वसूली केन्द्रीय योजना राशि में से गत दो वर्षों में व इस वर्ष की गई थी? क्या यह राशि वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में 164.97 करोड़ रुपये थी?

(2) क्या यह सही है कि इस राशि की कटौती के सम्बन्ध में कोई करार या शर्तें नहीं होने के बावजूद भी यह कटौती की गई थी और विरोध स्वरूप मुख्य मंत्री ने दिसम्बर, 1992 में केन्द्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा था?

(3) यदि हां, तो भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है?

उत्तर

(1) जी हां, केन्द्रीय उपक्रमों की राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की ओर बकाया राशि के पेटे केन्द्रीय योजना राशि में से वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 में क्रमश: 82.48, 82.67 व 42.81 करोड़ रुपये काटे गये।

(2) जी हां।

(3) राज्य सरकार इस ओर प्रयत्नशील है परन्तु अन्तिम निर्णय केन्द्र सरकार के हाथ में है। विद्युत मण्डल भी बाकियात को शीघ्र चुकाने की चेष्टा कर रहा है परन्तु महगी बिजली खरीद कर सस्ती दरों पर बेचने से करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। अत: बाकियात चुकाने में काफी समस्याएं हैं।

ग्राम बिछोछ (बामनवास) में कृषि कनेक्शन

652. **श्री हीरालाल (बामनवास)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि-बामनवास तहसील के ग्राम बिछोछ में काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देना विचाराधीन है? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है?

(श्री हीरालाल)

काश्तकार के नाम सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में काश्तकारों को डिमांड नोटिस जारी हुए थे तथा काश्तकारों ने डिमांड नोटिस की राशि जमा करा दी है किन्तु अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ? इन्हें अब कब तक कनेक्शन दे दिया जावेगा ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में ऐसे कितने गांव हैं जहां विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत है किन्तु वहां अभी लाइन नहीं खिचवाई गई है ? उक्त गांवों में लाइन खिचवाई जाकर कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बामनवास तहसील के ग्राम बिछोछ में काश्तकारों को कृषि कनेक्शन देने के लिए 18 कृषि पत्रावलियां विचाराधीन हैं। नामवार सूची प्रपत्र "अ" संलग्न है।

(2) जी हां। ग्राम बिछोछ में पांच काश्तकारों को मांग पत्र जारी किये गये थे। इन पांचों काश्तकारों ने मांग पत्र की राशि जमा करवा कर "एल" फार्म प्रस्तुत कर दिये हैं। लाइनों का कार्य पूर्ण करके इन्हें जल्दी ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में 23 ऐसे ग्राम हैं जो विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत हैं किन्तु लाइनों का कार्य नहीं हुआ है। वर्ष 1995-96 में इन ग्रामों में कनेक्शन देने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

जिला भरतपुर में नये विद्युत सब स्टेशन

653. श्री गोपीचन्द (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर जिले में 11 के.वी. और 33 के.वी. की कितनी लाइनें ऐसी हैं जिन पर क्षमता से अधिक विद्युतभार है ? विवरण उपखण्डवार एवं तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त लाइनों की क्षमता बढ़ाने का कोई विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी जगह ?

(3) क्या सरकार द्वारा नये सब स्टेशन बनाने की भी योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो यह कब तक क्रियान्वित कर दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में 33 के.वी. एवं 11 के.वी. की लाइन पर क्षमता से अधिक भार नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

पंचायत समिति चाकसू व बस्सी के काश्तकारों को कृषि कनेक्शन

654. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति चाकसू एवं बस्सी में वर्ष 1990 से 1995 तक कुल कितने काश्तकारों ने कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किये हैं। उनमें से कितने-कितने लोगों को कनेक्शन जारी कर दिये तथा कितने लोगों की कितनी अमानत राशि जमा है ?

(2) उक्त लोगों की अमानत राशि जमा कराये इतनी अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अब तक कनेक्शन न देने के क्या कारण रहे हैं ? वित्तीय वर्ष 1995-96 में कितने काश्तकारों को कृषि कनेक्शन दे दिये जायेंगे तथा शेष को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति चाकसू एवं बस्सी में वर्ष 1990 से मार्च, 1995 तक कुल 2031 काश्तकारों के कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें पंचायत समिति चाकसू व बस्सी के क्रमश: 90 व 733 आवेदकों को कनेक्शन सुलभ करवा दिये गये हैं। पंचायत समिति चाकसू व बस्सी के क्रमश: 22 व 148 आवेदकों की अमानत राशि जमा है, जिसकी नामवार, ग्रामवार एवं कितनी राशि कब से जमा है, दर्शाते हुये सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) उक्त 170 आवेदकों की अमानत राशि जमा हुई है उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में लक्ष्यों के अनुरूप एवं कार्य की अधिकता एवं संसाधनों की कमी विशेषकर कन्टक्टर की देश व्यापी कमी के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। अब वित्तीय वर्ष 1995-96 में कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां का विद्युतीकरण

655. **श्री तंय्यब हुसैन** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कामां में संचालित विद्युतीकरण के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र कामां के लिए 3 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 के वार्षिक कार्यक्रम में विद्युतीकृत किये गये ग्रामों में से 7 ग्रामों में लाइनें डालने का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। जिन 7 ग्रामों में केवल लाइनें खींची गई है वहां भी कनेक्शनों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ट्रान्सफार्मर लगाकर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सकेगी। एक साथ ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य करना वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण सम्भव नहीं है। वैसे भी इस समय जिन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है वहां सिस्टम का सुदृढ़ीकरण करने की

(ऊर्जा मंत्री)

आवश्यकता की प्राथमिकता है ताकि उपभोक्ताओं की सेवाओं में गिरावट नहीं आवे। कार्य की गति के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन होना आवश्यक है।

जोन ए–द्वितीय में जारी विद्युत कनेक्शन प्रकरण

656. श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर के जोन ए-II में सर्विस नम्बर--79950/79951 खाता संख्या क्रमशः–39/बी 239–1 व 39/बी 239-2 का घरेलू विद्युत कनेक्शन किया हुआ है ? यदि हां, तो ये कनेक्शन किस नाम व हैसियत से किये हुये हैं ?

(2) उक्त विद्युत कनेक्शन के समय प्रस्तुत की गयी पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उक्त कनेक्शन उपभोक्ता को किरायेदार की हैसियत से दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इस हेतु मालिक सम्पत्ति की अनुमति प्राप्त कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अनुमति देने वाले मालिक सम्पत्ति का विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगर वृत के तहत "ए-जोन–द्वितीय" राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर के अन्तर्गत सर्विस नं. 79950 और 79951 खाता संख्या (पुराने) 39 बी/239–1 व 39 बी/239–2 में घरेलू लाइट व घरेलू पावर के कनेक्शन श्री मोतीराम पुत्र किशन सिंह के नाम से मकान नं. 2163 चाकसू का चौक, हल्दियों का रास्ता, जयपुर को दिनांक 7.10.1974 को कब्जेदार/किरायेदार की हैसियत से जारी किये गये।

(2 व 3) श्रीमती भंवरी बाई द्वारा दिनांक 2.7.74 को कार्यालय में श्री मोतीराम पुत्र किशन सिंह पंजाबी को किरायेदार की हैसियत विद्युत कनेक्शन देने हेतु अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। कनेक्शन कब्जेदार/किरायेदार की हैसियत से दिये गये हैं व प्रार्थना–पत्र भी कब्जेदार/किरायेदार की हैसियत से दिया गया था।

(फोटो प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

पंचायत समिति आमेर और कोटपुतली के विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन

657. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले की किस-किस पंचायत समिति द्वारा वर्ष 1994-95 में कितने-कितने अध्यापकों की मांग की गई थी, उसमें से किस–किस पंचायत समिति में कितने–कितने अध्यापक लगाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति आमेर और कोटपुतली के किस–किस स्कूल में कितने छात्र

(श्री गोपीराम जाट)

एवं छात्राएं हैं और उनमें कितने–कितने अध्यापक कार्यरत हैं ?

(3) पंचायत समिति आमेर और झोटवाड़ा में अनुपात के अनुसार कब तक अध्यापक लगा दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भविष्य में बालकों को भर्ती होते ही जुलाई में अध्यापकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1994–95 जयपुर जिले की पंचायत समितियों से अध्यापकों की मांग नहीं आई। वर्ष 1994-95 में जयपुर जिले में 170 प्रा.वि. खोले गये हैं जिनके विरुद्ध 340 अध्यापकों के पद आबंटित किये गये हैं। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(3) अध्यापकों के नियुक्ति की कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही नियमानुसार नियुक्ति कर पंचायत समितियों को आबंटन कर दिया जायेगा।

(4) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम पंचायत दुगारी (बूंदी) द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र

658. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत दुगारी (जिला बूंदी) द्वारा एक काल्पनिक व्यक्ति रंगलाल आत्मज रतना मीणा की मृत्यु बाबत दिनांक 18 अगस्त, 1991 को प्रमाण–पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर की फोटो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नाम के व्यक्ति की दुगारी में मृत्यु नहीं होने पर भी ग्राम पंचायत के चपरासी व प्रशासक द्वारा फर्जी रिकार्ड तैयार करने बाबत जांच विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण करवा दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री रंगलाल मीणा आत्मज रतना मीणा की मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 18.8.91 को जारी किया गया है। जन्म मृत्यु पंजिका के सम्बन्धित पृष्ठ की फोटो प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) इस विभाग के आदेश संख्या एफ 28 ( ) ग्रावि/प्रशा01/94/1303 दिनांक 27.3.95 के द्वारा विकास अधिकारी नैनवां को जांच अधिकारी नियुक्त किया

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

गया है जिन्हें एक माह में जांच कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

(फोटो प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य की ग्रामीण सेवा विकास केन्द्र योजना

659. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने आगामी तीन वर्षों में 1185 गांवों को ग्रामीण विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे?

(2) क्या यह सही है कि इस योजना के लिये राज्य की सभी पंचायत समितियों में से गांवों का चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो चयनित गांवों की संख्या पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ग्रामीण सेवा विकास केन्द्र योजना केन्द्रीय सरकार के सहयोग अथवा परामर्श से चलाई जा रही है?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक जन सुविधाओं की कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति में 5 विकास केन्द्र के अनुसार 1185 ग्रामीण विकास केन्द्रों को चिन्हित किया गया है। इन केन्द्रों पर जन सेवाओं में पाई गई कमियों यथा पटवार घर, पक्का रोड, बस स्टैण्ड, पोस्ट आफिस, टेलीग्राम, दूरभाष, विद्युत आपूर्ति बैंक सेवा शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं आदि को एक निर्धारित दूरी तक इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की योजना है।

(2) जी हां, प्रत्येक पंचायत समिति से 5-5 गांवों को चिन्हित किया गया है। पंचायत समितिवार चयनित विकास केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(3) ग्रामीण विकास केन्द्रों को विकसित करने की परियोजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं। केन्द्रों पर अधिकतर राज्य सरकार ही संसाधन उपलब्ध करायेगी तथापि केन्द्रीय सरकार के कुछ विभाग तथा डाकघर, टेलीफोन व टेलीग्राम सेवा आदि के राज्य प्रभारी अधिकारी इन सुविधाओं को ग्रामीण विकास केन्द्रों पर उपलब्ध कराने हेतु सहयोग दे रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला पाली की ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय राशि का अंकेक्षण

660. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में ग्राम पंचायतों के माध्यम से खर्च की गई विकास की राशि का दुरुपयोग किये जाने के गम्भीर मामले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये हैं?

(2) पाली जिले की सोजत पंचायत

(श्री खंगारसिंह चौधरी)

समिति की सोजत रोड, अखड़ा मिहार, चण्डावल व सांडिया की पंचायतों की अंतिम दो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों में पंचायत कोष के दुरुपयोग, आवासीय भूमियों के गैर कानूनी विक्रय व विकास की राशि के दुरुपयोग के आरोप किस-किस पर आरोपित किये गये हैं तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) प्रश्न के भाग 2 में बताई गई पंचायतों में क्या आवासीय भवनों का भी निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या वह पंचायत की आबादी क्षेत्र में करवाया गया या कहीं अन्य ?

(4) क्या पंचायत के मूल नागरिकों को उन मकानों का आबंटन किया गया या किसी अन्य को ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ग्राम पंचायत सोजत रोड, अटपड़ा, सियाट, चण्डावल व सांडिया की लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार :—

(अ) पंचायत कोष का दुरुपयोग आंशिक रूप से किया गया है।

(आ) आवासीय भूमियों को गैरकानूनी विक्रय नहीं किया गया है।

(इ) विकास की राशि का दुरुपयोग आंशिक रूप से किया गया है।

(ई) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों में सुझावात्मक आरोप सम्बन्धित प्रशासकों पर लगाया गया है।

(उ) लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना के अभाव में किसी के प्रति कार्यवाही नहीं की गई तथा अनुपालना हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(3) जी हां। पंचायत की आबादी क्षेत्र में ही करवाया गया।

(4) ग्राम पंचायत अटपडा के मूल नागरिकों के अतिरिक्त निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को मकान आबंटित किये गये थे। जो यहां के मूल नागरिक नहीं थे। शेष चारों ग्राम पंचायतों में समस्त मकान मूल नागरिकों के ही हैं :–

क्र.सं.	नाम	जाति	पट्टा संख्या
1.	प्लयारा /सरूप	ओड	87
2.	सखाराम/उदाराम	ओड	86
3.	सीयाराम/शिवनारायण	ओड	88
4.	सोहन/भीकाराम	ओड	77
5.	जीवन/शिवनारायण	ओड	89

जिला धौलपुर की ढाणियों/मजरों एवं ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय

661. **श्री बनवारी लाल शर्मा** (धौलपुर): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने गत वर्ष यह घोषणा की थी कि 250 की आबादी वाले प्रत्येक गांव, ढाणी, मजरा में प्राथमिक शालाएं खोली जावेंगी ?

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

(2) यदि हां, तो इस योजना में धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 250 की आबादी वाली या उससे अधिक आबादी वाली कितनी ढाणियां, मजरे एवं गांव हैं, जिनमें प्राथमिक शालाएं नहीं हैं ? सूची जनसंख्या सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार शेष बचे हुए गांवों में प्राथमिक शालाएं खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? इन शालाओं को खोलने का मापदंड क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में 250 से अधिक की आबादी वाले कुल विद्यालय विहीन ग्राम 13 हैं जिनकी जनसंख्या सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । वर्ष 1995–96 में 614 प्राथमिक विद्यालय खोलने का बजट में प्रावधान रखा गया है । वर्तमान में नये प्राथमिक विद्यालय निम्न मापदंडों के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं :—

(अ) सामान्य क्षेत्र में 250 व इससे अधिक की आबादी ।

(ब) मरुस्थलीय/जनजातीय क्षेत्र में 150 व इससे अधिक की आबादी ।

(स) जहां पूर्व से कोई विद्यालय नहीं चल रहा है ।

उक्त मापदण्ड के अनुसार जिन ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलना शेष रह गया है । ऐसे ग्रामों की सूचियां समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मांगी गई हैं । प्राप्त होने पर उनमें नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें ।)

जिला परिषदों हेतु भवन निर्माण

662. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितनी जिला परिषदें ऐसी हैं जिनके कार्यालय स्वयं के हैं तथा नवीन पंचायत राज व्यवस्था के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार जिन जिलों में जिला परिषदों के स्वयं के भवन नहीं हैं उन्हें भवन बना कर देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जिन जिलों में जिला परिषद के स्वयं के भवन नहीं हैं अथवा अपर्याप्त हैं उन जिलों में राज्य सरकार द्वारा भवन बनाने हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें ।)

पंचायत समिति जहाजपुर के तालाबों से आय

663. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत

(श्री रतनलाल ताम्बी)

समिति जहाजपुर के अधिकार क्षेत्र में इस पंचायत समिति एवं पंचायतों के तालाब हैं ? यदि हां, तो कुलियां तालाबों के नाम, पेटा भूमि तथा पाल आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन पंचायत समिति एवं पंचायतों में तालाबों को स्थानान्तरण करने के आदेश तथा सिंचाई पेटा काश्त, बबूल, घास तथा वृक्षों की आय के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा राजस्व विभाग द्वारा कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) इन तालाबों से प्रत्येक से किस किस प्रकार की आय (सिंचाई पेटा काश्त) वृक्ष, घास आदि से होती है एवं हस्तान्तरित होने के बाद प्रत्येक तालाब की कितनी कितनी आय 1981–82 से 1995 तक हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इन तालाबों की कृषकों में बकाया राशि भी है ? यदि हां, तो किस-किस तालाब की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि इन तालाबों पर पंचायत एवं पंचायत समिति का दोहरा स्वामित्व है, तथा आय का भी अलग--अलग दायित्व है ? यदि हां, तो किन नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या यह सही है कि इन तालाबों के पेटे काश्त की भूमि को नीलाम अथवा ठेके से दी जाती हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक तालाब की कितनी-कितनी भूमि कब-कब किन–किन को काश्त पर कितनी-कितनी राशि में दी गई ? वर्ष 1990-91 में से 1994–95 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार इन तालाबों की आय में पेटा काश्त की भूमि घास आदि की नीलामी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नीलामी कमेटी अथवा नियमों में उचित प्रभावी प्रावधान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि पंचायत समिति के अन्तर्गत 50 एकड़ से कम सिंचाई क्षमता वाले 107 तालाब हैं जिनमें 70 सिंचाई योग्य हैं तथा 37 सिंचाई अयोग्य हैं । दोनों की सूचियां प्रस्तुत हैं । पेटा भूमि एवं पाल का विवरण रेवेन्यू विभाग से संबंधित है ।

(2) जी हां । यह सही है कि इन तालाबों को स्थानान्तरण में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 16 [7] लेखा/ हस्तान्तरण/83-84/ भाग ग–3/2508 दिनांक 1.5.86 एवं पत्रांक एफ 95 [19] [30] निजी आय लेखा/3286 दिनांक 22.5.86 द्वारा आदेश जारी किये गये हैं । इन आदेशों की प्रति संलग्न है ।

(3) इन तालाबों से वर्ष 1981–82 से 94-95 तक सिंचाई की कुल आय 3,08; 919/--रुपये हुई है । आय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट - 3 में अंकित है ।

(4) जी हां । इन तालाबों की सिंचाई

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

की राशि 2,08,281.53 रुपये कृषकों में बकाया है। तालाबवार बकाया की सूचना परिशिष्ट–3 पर अंकित है।

(5) जी हां। यह सही है कि इन तालाबों पर दोहरा स्वामित्व है। सिंचाई आमदनी पंचायत समिति द्वारा पंचायतों के माध्यम से वसूल की जाती है तथा पाल की आमदनी पंचायतों द्वारा वसूल की जाती है। बिन्दु संख्या.2 में वर्णित आदेशों में उक्त प्रक्रिया का उल्लेख है जिनकी प्रतियां संलग्न है।

(6) पंचायत समिति, जहाजपुर द्वारा तालाब नाराणा के अलावा पेटे काश्त की भूमि को नीलाम अथवा ठेके नहीं दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा ही आलाट किया जाता है। केवल पंचायत समिति का निजी तालाब नाराणा का पेटा काश्त हेतु नीलाम किया जाता है जिसकी वर्षवार आमदनी निम्न प्रकार है:–

वर्ष	ठेकेदार का नाम	निवास स्थान	ठेके की राशि
1990–91	श्री सत्यनारायण/बद्रीचन्द सुवा	आमली	1101/–
1991–92	श्री हरनाथ/कालु धाकड़	मोकलपुरा	4570/–
1992–93	श्रीमती रामादेवी भारती	नाराणा	4521/–
1993–94	श्री बीरमा/भागीरथ	नाराणा	1000/–
1994–95	श्री रामकिशन भानु	नाराणा	1071/–

(7) नवीन पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं के विभिन्न कार्यकलापों सम्बन्धी नियम विचाराधीन हैं।

(सूची एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

निगम डिपो पर मुख्य प्रबन्धकों का पदस्थापन

664. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत चल रही बस सेवाओं के रख-रखाव व नियंत्रण हेतु जिलों में डिपो कायम किये हुए हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन डिपो के मुख्य प्रबन्धकों के पदों पर नियुक्ति अथवा पदस्थापन किन कर्मचारियों का किया जाता है? क्या इसके कोई नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में समस्त डिपो पर दिनांक 1 मार्च, 1995 को नियुक्त मुख्य प्रबन्धकों की सूची सदन की मेज पर रखें जिसमें यह

(श्री हरिसिंह)
भी विवरण दें कि मुख्य प्रबन्धक किस श्रेणी का कर्मचारी है।

(4) क्या मुख्य प्रबन्धक पद पर नियुक्ति से पूर्व कोई ट्रेनिंग दी जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) डिपो के मुख्य प्रबन्धकों के पदों पर नियुक्ति अथवा पदस्थापन निगम के किसी भी स्तर/वेतनमान के कर्मचारी को मुख्य प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–2)

(3) राज्य में समस्त डिपो पर दिनांक 1.3.95 को विभिन्न संवर्गों के पदस्थापित मुख्य प्रबन्धकों की सूची सदन की मेज रख दी गई है। (परिशिष्ट–3)

(4) जी नहीं। मुख्य प्रबन्धक के पद पर कर्मचारी/अधिकारी की कार्य दक्षता/कार्यानुभव को मध्यनजर रखते हुए पदस्थापन किया जाता है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

खटवा–जयपुर (दौसा) मार्ग पर निगम बस सेवा

665. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार दौसा जिले की लालसोट तहसील के आदर्श गांव खटवा में जयपुर से खटवा के लिए निगम बस सेवा चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। जयपुर से खटवा के लिए निगम बस सेवा अनार्थिक रहने की आशंका के कारण वर्तमान में चालू करने का विचार नहीं है।

कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुर (सवाई माधोपुर) की आय–व्यय

666. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गंगापुर कृषि उपज मण्डी समिति (सवाई माधोपुर) को वर्ष 1990 से आज तक कुल कितनी वार्षिक आय हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आय को किस मद में कहां-कहां खर्च किया गया?

(3) क्या यह सही है कि इस मंडी से नादौती तहसील की जीर्णशीर्ण सड़कों की मरम्मत एवं नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हुई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में कब–कब, कितनी–कितनी राशि स्वीकृत की गई व कौन-कौनसी सड़कों की मरम्मत/नवीन सड़क निर्माण कार्य कराये गये? विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंगापुर कृषि उपज मंडी समिति (सवाई माधोपुर) की वर्ष 1990 से आज तक वार्षिक कुल आय निम्न प्रकार हुई है:

(कृषि राज्य मंत्री)

क्र.सं.	वर्ष	आय रु.
(अ)	1990-91	60,70,685.69
(आ)	1991-92	1,03,21,641.04
(इ)	1992-93	1,42,49,623.24
(ई)	1993-94	1,50,82,929.53
(उ)	1994-95 (फरवरी, 95 तक)	1,66,67,118.99

(2) खर्च का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, गंगापुरसिटी (सवाई माधोपुर द्वारा नादौती) तहसील में वर्ष 1990 से नवीन सड़कों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

ग्राम निम्बीजोधा (लाडनूं) में फूलदार पौधों हेतु नर्सरी

667. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम निम्बीजोधा, तहसील लाडनूं जिला नागौर में डी. डी.पी. योजना के अन्तर्गत फूलदार पौधों की नर्सरी स्थापित करने की योजना थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या निदेशक, कृषि विभाग राजस्थान ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए उप निदेशक कृषि नागौर को कई बार आदेश दिये? यदि हां, तो कब-कब और उक्त आदेशों की पालना कहां तक की गई? आदेशों की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उप निदेशक कृषि नागौर ने निदेशक के आदेश की पालना नहीं की है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब क्या कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। नागौर जिले में डी.डी.पी. के अन्तर्गत फलदार पौधों की नर्सरी स्थापित करने की योजना थी।

नर्सरी की स्थापना हेतु ग्राम निम्बीजोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर में भूमि का कब्जा जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त करने हेतु उप निदेशक, कृषि (विस्तार) नागौर एवं उप निदेशक, उद्यान, जोधपुर को पत्र लिखे गए।

(2) जी, हां। उप निदेशक, कृषि (विस्तार) नागौर को उक्त नर्सरी की स्थापना हेतु भूमि का कब्जा लेने हेतु निम्न पत्र लिखे गये:-

(कृषि राज्य मंत्री)

(अ)	क्रमांक एफ-4 ( )	नि.उ./डीडीपी/1782-83	दिनांक 1.3.94
(आ)	,,	,, 3615-20	दिनांक 26.4.94
(इ)	,,	,, 2994-4000	दिनांक 10.5.94
(ई)	,,	,, 5749-50	दिनांक 1.7.94
(उ)	,,	,, 6476-78	दिनांक 23.7.94
(ऊ)	,,	,, 9352-56	दिनांक 8.12.94

आदेशों की पालना में उप निदेशक, कृषि (विस्तार) नागौर द्वारा भूमि आबंटन की कार्यवाही जिलाधीश, नागौर के कार्यालय से की गई। उद्यान विभाग द्वारा लिखे गये पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

(3) जी, नहीं। उप निदेशक, कृषि (विस्तार) नागौर द्वारा आदेशों की पालना की गई। उक्त क्रम में मरू विकास योजना के तहत नर्सरी हेतु भूमि आबंटन की स्वीकृति जिलाधीश, नागौर की राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 406 (466) शासन/3194 दिनांक 6.3.95 द्वारा सांजू तहसील डेगाना के खसरा नम्बर 442 के रकबा 4 हैक्टेयर की प्राप्त हो गई है। जिसके तहत उप निदेशक, कृषि (विस्तार) नागौर के द्वारा दिनांक 24.3.95 को उक्त नर्सरी हेतु भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा फार्म पर ट्यूबवैल खुदवाने के लिए 3,92,000/- रुपये की राशि भू-जल विभाग को जमा करा दी गई है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र मकराना की बंजड़ भूमि विकास योजना

668. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या विधान सभा क्षेत्र मकराना की बंजड़ भूमि विकास के लिए सरकार की कोई योजना विचाराधीन/प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी समिति श्रीविजयनगर द्वारा सड़क निर्माण पर व्यय

669. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीविजयनगर द्वारा वर्ष 1993-94 में निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में से कितने प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत किये? स्वीकृत कार्यों के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है? शेष प्रस्तावों को सरकार कब तक मंजूर करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस मंडी की वर्ष 1993-94 की

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

आय कैसी रही ? इस आय में से संस्थापन व्यय घटाने के पश्चात् कितनी राशि शेष रही ?

(3) क्या उपरोक्त शेष रही राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों के निर्माण में व्यय कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस सड़क पर कितना व्यय हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, श्रीविजयनगर, द्वारा वर्ष 1993-94 में निम्न सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये:-

(अ) सम्पर्क सड़क 6 जी.बी. (बी.) 1 किमी.
(आ) सम्पर्क सड़क 28 जी.बी. से 25 जी.बी.- 0.50 किमी.
(इ) सम्पर्क सड़क रायसिंहनगर सड़क से 35 जी.बी.- 2 किमी.
(ई) ,, ,, 46 जी.बी. 10ए.एस. सड़क से 9ए.एस-1.75 किमी.
(उ) ,, ,, 14 बी.एल.डी. से 13 बी.एल.डी- 1.50 किमी.
(ऊ) ,, ,, 46 जी.बी. से 52 जी.बी.-4.75 किमी.
(ए) ,, ,, 46 जी.बी. से 10ए.एस. 5.00 किमी.
(ऐ) ,, ,, 23 जी.बी. से 17 जी.बी.- 3.50 किमी.
(ओ) ,, ,, 2 ए.पी.डी. से भातीवाला- 3.00 किमी.
(औ) ,, ,, 8 बी.ए.एम. से 10 बी.ए.डी.-3.00 किमी.

उक्त प्रस्तावों में से क्रम संख्या 1, 5, 7, 9 व 10 पर अंकित सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 6.10.94 को जारी की गई। सड़कों पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

(2) कृषि उपज मंडी समिति श्रीविजयनगर की वर्ष 1993-94 में कुल आय 96.89 लाख रुपये थी। इस आय में से 18.55 लाख रुपये संस्थापन पर व्यय हुये तथा शेष राशि 78.34 लाख रही।

(3) मंडी समिति द्वारा वर्ष 93-94 में पूर्व में स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु 48.09 लाख रुपये की मांग के अनुसार राशि स्वीकृत की गई थी। जिसमें से 21.75 लाख रुपये निम्न सड़कों पर व्यय किया गया है:-

(कृषि राज्य मंत्री)

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	वर्ष 93–94 में व्यय (लाखों में)
(अ)	स.स. शिवपुरी लिंकिग के दोनों बर्म पर ईटों की सोलिंग का कार्य	0.04
(आ)	स.स. 39 जी.बी.	1.70
(इ)	स.स. 39 जी.बी. (विस्तार)	0.41
(ई)	स.स. 32 जी.बी. (विस्तार)	0.34
(उ)	स.स. 43 जी.बी. से मोटासर	7.50
(ऊ)	स.स. 48 जी.बी.	2.61
(ए)	स.स. 40 जी.बी.	2.50
(ऐ)	स.स. शिवपुरी लिंकिग (ऊंचा उठाना व चौड़ा करना)	6.44
(ओ)	स.स. 15 जी.बी. (विस्तार)	0.10
(औ)	स.स. 4 बी.एल.डी. से 2 ए.बी.डी.	0.06
(अं)	स.स. 50 जी.बी.	0.05
		21.75 लाख

कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर द्वारा सड़क निर्माण पर व्यय

670. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि उपज मण्डी धौलपुर की पिछले 5 वर्षों में वार्षिक आय कितनी-कितनी रही ?

(2) कृषि उपज मण्डी ने पिछले पांच वर्षों में मार्च, 1995 तक नयी सड़क बनाने पर कितना रुपया खर्च किया और कौन-कौन सी सड़कों को पक्का करने हेतु स्वीकृति दी ? गांव का नाम व दूरी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी व कौन-कौन सी सड़कें पक्की बन चुकी हैं, कौन-कौन सी सड़कें अधूरी हैं व कौन-कौन सी स्वीकृत सड़कों पर कार्य शुरू नहीं किया गया ?

(4) क्या सरकार इन स्वीकृत सड़कों को बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) कृषि उपज मण्डी, धौलपुर की कितनी सड़कों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

(श्री बनवारी लाल शर्मा)

सरकार उन्हें कब तक मंजूर करने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर को पिछले 5 वर्षों में वार्षिक आय निम्न प्रकार रही:–

वर्ष	वार्षिक आय (लाखों में)
1990–91	18.29
1991–92	24.23
1992–93	22.99
1993–94	26.15
1994–95 (फरवरी–95 तक)	28.82

(2) पिछले 5 वर्षों में मार्च, 1995 तक मण्डी समिति द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया। शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) मंडी समिति, धौलपुर के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खाजूवाला व लूणकरणसर क्षेत्र के किसानों हेतु खाद्य व्यवस्था

671. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या खाजूवाला व लूणकरणसर क्षेत्र में माह जनवरी, 1995 से मार्च, 1995 में खाद के लिये किसानों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी ? यदि हां, तो भविष्य में खाद मांग के अनुरूप काश्तकारों को उपलब्ध होती रहे इसके सम्बन्ध में सरकार क्या अग्रिम कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, हां। उक्त क्षेत्र में माह जनवरी, 95 में यूरिया की कमी की शिकायत प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार के विशेष प्रयास से भारत सरकार एवं संबंधित निर्माताओं से अधिक यूरिया उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की गई, जिससे यूरिया की उपलब्धि में सुधार हुआ। कृषि विभाग द्वारा कृषकों को समय पर मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है तथा निदेशालय स्तर पर उर्वरक आपूर्ति की जिलेवार मांग के अनुसार समीक्षा की जाती है तथा कमी वाले क्षेत्रों में उर्वरक उपलब्धि का प्रयास कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ 1995 के लिए राजस्थान का यूरिया आवंटन गत वर्ष में 3,48,094 मै. टन के मुकाबले इस वर्ष 4,29,000 मै. टन करवाया है।

कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत रोड में चोरी के प्रकरण

672. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी सोजत रोड के मंडी प्रांगण में पिछले कुछ समय से चोरियां हो रही हैं ? यदि हां,

(श्री माधव सिंह दीवान)

तो मंडी सचिव को इनकी शिकायत कितना-कितना माल चुराने की कब-कब प्राप्त हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ की रिपोर्ट सचिव द्वारा पुलिस में भेजी गई तथा कुछ की नहीं भेजी गई ? यदि हां, तो कितनी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हुई शेष रिपोर्ट पुलिस में दर्ज न कराने के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम व्यापारी को इन चोरियों को खुलवाने के प्रति मंडी सचिव द्वारा बरती गई लापरवाही से असंतोष है तथा इसकी शिकायत भी वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी ? यदि हां, तो इस बाबत मंडी सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है मंडी सचिव का उपरोक्त व अन्य कारणों से स्थानान्तरण कर दिया गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुछ ही दिनों बाद उक्त स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? निरस्त किए गए आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चोरियों की शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क.सं.	शिकायत प्राप्त होने की दिनांक	माल की मात्रा व किस्म
(अ)	17.5.93	4 बोरी रायडा
(आ)	17.5.93	10 बोरी रायडा 1 बोरी चना
(इ)	23.7.93	5 बोरी रायडा
(ई)	7.8 92	2 बोरी रायडा
(उ)	10.8.93	2 बोरी रायडा
(ऊ)	2.11.93	5 बोरी ईसबगोल
(ए)	22.11.93	1 बोरी रायडा
(ऐ)	22.6.91	1 बोरी रायडा

(2) जी नहीं। प्राप्त शिकायतों की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

(3) एक शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच करा ली गई है तथा जांच अधिकारी द्वारा मंडी सचिव को मंडी यार्ड में चोरियों की रोकथाम एवं उचित व्यवस्था हेतु निर्देशित किया गया है तथा तदानुसार मंडी यार्ड की बाउन्ड्री वाल को ऊंचा करके तार लगा दिये गये हैं।

(4) जनहित में स्थानान्तरण किया गया था। आदेश की प्रति संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) जी हां। जन हित में स्थानान्तरण निरस्त किया गया था। आदेश की प्रति संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर, खेडली एवं खैरथल का आय-व्यय

673. श्री जुबेर खांन (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जुबेर खान)

(1) अलवर जिले की कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर, खेडली एवं खैरथल द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में कितनी-कितनी आय अर्जित की गयी ?

(2) उपरोक्त आय को किस-किस मद पर व्यय किया गया ? मण्डी समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1994-95 में बजट के अनुसार किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण मण्डी समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(4) आगामी वर्ष 1995-96 में प्रत्येक मण्डी की संभावित आय कितनी-कितनी आंकी गयी है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, अलवर, खेडली एवं खैरथल द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में अर्जित आय का विवरण निम्न प्रकार है:-

(आय लाखों में)

क्र.सं.	नाम मण्डी	1992-93	1993-94	1994-95
1.	अलवर	234.24	223.59	463.56
2.	खेडली	89.42	84.01	115.57
3.	खैरथल	95.51	94.20	159.04

(2) मण्डी समिति, अलवर, खेडली व खैरथल द्वारा व्यय की गयी राशि का मद वार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1994-95 में बजट के अनुसार व्यय का समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ख" अनुसार है जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) वर्ष 1995-96 में कृषि उपज मंडी समितियों की निम्न प्रकार सम्भावित आय आंकी गयी है:-

1. अलवर 382.48 लाख
2. खेडली 156.45 लाख
3. खैरथल 170.73 "

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र कामां के कृषकों को खरपतवार व कीटनाशकों का वितरण

674. श्री तैय्यब हुसैन (कामां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या निर्वाचन क्षेत्र कामां के किसानों को खरपतवार व कीट नाशक औषधियां

(श्री तैय्यब हुसैन)

उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो कितनी–कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विभाग द्वारा कामां क्षेत्र के किसानों को भी खरपतवार व कीटनाशक औषधियां, अन्य क्षेत्रों की भांति उपलब्ध नहीं कराई जाती है। विभाग दवाइयां उपलब्ध कराने के स्थान पर कतिपय महत्वपूर्ण दवाइयों पर सम्बन्धित स्कीम के तहत अनुदान उपलब्ध कराता है।

कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा द्वारा कोटा–बारां मार्ग पर सड़क निर्माण

675. **श्री विजयसिंह (दीगोद)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कोटा कृषि उपज मंडी को कोटा-बारां रोड पर 24 मील से ककरावदा तक सड़क बनाने की स्वीकृति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दी गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह स्वीकृति दिनांक 9 मई, 1992 को उप सचिव राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर के आदेश से रोक दी गई थी ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त आदेश को निरस्त करके कोटा–बारां से ककरावदा सड़क बनाने की स्वीकृति कोटा कृषि उपज मंडी को फिर से जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा 8.4.92 को कोटा बारां रोड पर 24 मील से ककरावदा सड़क बनाने की स्वीकृति जारी की गई थी।

(2) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 9.5.92 को उपरोक्त सड़क निर्माण पर रोक जारी की गई थी।

(3) मंडी समिति कोटा से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.3.95 को जारी मापदण्ड के अन्तर्गत नया प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं धन की उपलब्धता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

राज्य के शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगार

676. **श्री अमराराम (धोद)** : क्या नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिलेवार शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी–कितनी है ?

(2) राजस्थान में कितने नियोजन कार्यालय हैं ? क्या सरकार तहसील स्तर पर नियोजन कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर पंजीकृत शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगारों की जिलेवार संख्या संलग्न है।

(2) राज्य में कार्यरत नियोजन कार्यालयों की सूची संलग्न है। तहसील स्तर पर

(नियोजन राज्य मंत्री)

नियोजन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

जनजाति विकास हेतु प्राप्त राशि

677. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1994–95 में जनजाति के विकास हेतु विभिन्न स्रोतों से कितनी राशि प्राप्त हुई?

(2) उक्त राशि का उपयोग किस-किस कार्य में किया गया? क्या यह सही है कि इस राशि का उपयोग सही मद में किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1994-95 में जनजाति के विकास हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत 21.63 करोड़ रुपये एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत 6.00 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1994–95 में जनजाति विकास हेतु राज्य योजनान्तर्गत 212.44 करोड़ रुपये, संस्थागत वित्त अन्तर्गत 12.19 करोड़ रुपये तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत 88.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

(2) इस राशि का उपयोग जिन कार्यक्रमों पर किया गया है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। राशि का उपयोग स्वीकृत मद के अन्तर्गत ही किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

सुजान गंगा नहर (भरतपुर) के पुलों का निर्माण

678. श्री हरिसिंह (कुम्हेर): क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर के मध्य स्थित ऐतिहासिक सुजानगंगा नहर जो पक्के किले के चारों तरफ बहती है के ऊपर किले के मुख्य द्वारों के सामने दो पुल बने हुए हैं व संरक्षित इमारत है?

(2) यदि हां, तो उसके रखरखाव पर सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में कितना व्यय किया गया?

(3) क्या उन पुलों की दशा जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है और उसकी शीघ्र ही मरम्मत करना आवश्यक है?

उत्तर

(1) भरतपुर में चौबुर्जा गेट तथा अष्ट धातु गेट के सामने सुजानगंगा पर जो दो पुल बने हुये हैं उन्हें भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्राचीन संस्मारक अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित घोषित है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(पुरातत्व राज्य मंत्री)

(2) भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार से प्राप्त सूचनानुसार विगत 10 वर्षों में इन पुलों के रखरखाव पर किसी प्रकार की राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण, जयपुर ब्रांच से प्राप्त सूचना के आधार पर यह भी लेख है कि चूंकि नहर में इस समय जल भराव अधिक है इसलिए पुल के निचले हिस्से का निरीक्षण करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पुल के ऊपरी भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनके मरम्मत हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से आवश्यक कार्यवाही की जा रही बताई जाती है।

निर्वाचन क्षेत्र कामां के पुरातात्विक स्थलों की देखरेख व मरम्मत पर व्यय

679. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र कामां में पुरातात्विक स्थल है ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या कामां क्षेत्र के पुरातात्विक स्थलों की मरम्मत व देखरेख हेतु अब तक प्रतिवर्ष राशि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्वाचन क्षेत्र कामां में राज्य सरकार द्वारा आठ स्मारक (1) प्राचीन प्रासाद (2) लाल दरवाजा (3) अकबर के कोस चिन्ह (4) अकबर के कोस चिन्ह (5) कामेश्वर महादेव का मन्दिर (6) प्राचीन कुआ (7) धर्मराज का कुआ (8) सूरज मन्दिर, सतवास व एक प्राचीन स्थल (टीला) कामां तथा केन्द्र सरकार द्वारा मात्र एक चौरासी खम्भा, कामां स्मारक संरक्षित घोषित है।

(2) जो राशि राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्मारकों की मरम्मत के लिए आबंटित की गई उसमें से विगत तीन वर्षों में कामां क्षेत्र के उपरोक्त स्मारकों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई। सीमित साधनों के कारण राशि का व्यय प्राथमिकता के आधार पर किया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि का ब्यौरा संलग्न है।

(ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

मण्डलों/निगमों के अधिकारियों द्वारा समाचार पत्रों में वक्तव्य

680. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में सरकार एवं विभिन्न मण्डलों/निगमों के अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों में वक्तव्य छपवाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार अथवा मण्डलों/निगमों के अधिकारियों द्वारा समाचार-पत्रों में सरकार के निर्णयों, नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं आदि के संबंध में वक्तव्य देना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनुचित माना गया है, क्योंकि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

इस प्रकार के वक्तव्य केवल राज्य के मंत्रियों द्वारा ही दिये जाने चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारियों की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार/विभागों/मण्डलों/निगमों द्वारा संचालित किये जा रहे विकास कार्यक्रमों और जनहित में अर्जित की जाने वाली उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार जन सम्पर्क निदेशालय एवं संबंधित प्रचार अधिकारी एवं अन्य सक्षम माध्यमों से किया जाता है। सरकारी अधिकारी द्वारा प्रेस एवं संचार माध्यमों से सम्बन्ध रखने के संदर्भ में विभिन्न सेवा नियमों में प्रावधान विद्यमान है।

जिला नागौर के आंगनबाड़ी केन्द्र

681. **श्री रिछपाल सिंह (डेगाना)** : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नागौर जिले में तहसीलवार कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं ?

(2) किसी भी स्थान पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में विभिन्न स्थानों पर कितने आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत है ? इन केन्द्रों पर सेविकाओं के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

(4) तहसील डेगाना के किन-किन स्थानों पर आंगनबाड़ी भवन बने हुए हैं ?

(5) क्या सरकार वर्ष 1995-96 के दौरान डेगाना तहसील में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में तहसीलवार कुल 930 आंगनबाड़ी केन्द्र निम्न विवरणानुसार वर्तमान में कार्यरत है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र	कार्यरत केन्द्र
1.	डेगाना	140	133
2.	जायल	190	171
3.	मेड़ता सिटी	151	133
4.	मूण्डवा	156	148
5.	डीडवाना	234	208
6.	रियां	155	137
7.	मकराना	163	— नवीन परियोजना
8.	परबतसर	142	— नवीन परियोजना
	योग:-	1331	930

(65)

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का मुख्य मानदण्ड भारत सरकार के निर्देशानुसार जनसंख्या है। 1000 की जनसंख्या पर एक केन्द्र, ग्रामीण क्षेत्र परियोजना के अधीन खोला जाता है। जनजाति क्षेत्र परियोजना में 700 की जनसंख्या पर एक केन्द्र खोला जाता है। अत्याधिक पहाड़ी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां गांवों की आबादी बिखरी हुई है एवं दूर-दूर तक फैली हुई हैं वहां पर 300 की आबादी पर भी केन्द्र खोला जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत पंचायत समिति डेगाना में 133 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं तथा 7 आंगनबाड़ी केन्द्रों के पद रिक्त हैं।

(4) तहसील डेगाना के विभिन्न ग्रामों में निम्न विवरणानुसार 24 आंगनबाड़ी केन्द्र बने हुए हैं :—

क्र. सं.	गांव का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्र के बने हुए भवनों की संख्या
1	2	3
1.	डेगाना	1
2.	गोरडीकरना	1
3.	हरसोर	2
4.	पुन्दोलता	1
5.	सिरासना	1
6.	चान्दारूण	1
7.	जालसुनानक	1
8.	बुटाटी	2
9.	खिन्दास	1
10.	भगडदास	1
11.	राजोद	1
12.	जाखेड़ा	1
13.	लंगोड़	1
14.	बावरला	1
15.	कुकीकला	1
16.	निम्बड़ी चान्दावत	1
17.	तिलानेस	1
18.	ईडवा	1
19.	जालसू खुर्द	1
20.	पालड़ी	1
21.	खिवरनिया	1
22.	रूपपर	1
	योग :—	24

(5) विभाग के पास वर्तमान में डेगाना पंचायत समिति क्षेत्र में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गत वर्ष क्षेत्र में 13 आंगनबाड़ी केन्द्र अतिरिक्त स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें क्रियाशील किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के आयुर्वेद औषधालय

682. श्री अमरचन्द मिड्ढा (सूरतगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में आयुर्वेद चिकित्सालय कहां-कहां पर स्थित है ?

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

(2) क्या इन आयुर्वेद चिकित्सालयों को सरकार द्वारा भवन व चिकित्सकों के लिए निवास उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 20 विभागीय आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर (परिशिष्ट-"क") रख दी गयी है।

(2) आयुर्वेद औषधालयों को भवन एवं चिकित्सकों के निवास हेतु उपलब्ध व्यवस्था का विवरण (परिशिष्ट-"क") सदन की मेज पर रखा गया है।

औषधालय भवन राज्य सरकार के विभिन्न विभाग/एजेन्सी एवं दानदाताओं द्वारा निर्मित कर उपलब्ध कराये जाते हैं। वित्तीय संसाधन की सीमित उपलब्धता के कारण चिकित्सकों को राजकीय आवास उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

राज्य में नये आयुर्वेद औषधालयों की स्थापना

683. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में वर्तमान में कुल कितने आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय खुले हुये हैं ? क्या ये पर्याप्त हैं ? यदि नहीं तो कितने नये औषधालय एवं चिकित्सालय की आवश्यकता है ? इस वर्ष कितने नये औषधालय खोले जाने व क्रमोन्नत किये जाने की योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले चार वर्षों में सरकार ने कितने आयुर्वेद औषधालय कहां-कहां खोले थे व क्या वे पर्याप्त थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 3685 चिकित्सालय, औषधालय एवं 6 चल चिकित्सा इकाईयां स्वीकृत व संचालित हैं।

नये आयुर्वेद औषधालय पर्याप्त वित्तीय संसाधन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए खोले जाते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में राज्य में 20 नवीन औषधालय खोलना प्रस्तावित है। इस वर्ष किसी भी औषधालय को क्रमोन्नत करने की योजना नहीं है।

(2) गत चार वर्ष (1991-92 से 1994-95) में नवीन स्वीकृत किये गये 37 औषधालयों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। औषधालय वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार खोले गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट- 18 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रतनलाल जी ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में पंचायतों का बजट पारित करने की प्रक्रिया का स्पष्ट

(श्री ग्रध्यक्ष)

प्रावधान नहीं होने से पंचायत समितियों को हो रही ग्रसुविधा के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायणजी मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से दिनांक 12.11.1994 को बूंदी जिले के ग्राम करवर में ग्रायोजित नसबन्दी शिविर में एक गर्भवती महिला का बिना जांच किये ग्रापरेशन कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रोर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के ग्रन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं.

(1) श्री परसादीलालजी मीणा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दूध निर्यात पर प्रतिबन्ध से राज्य के पशुग्रों की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास सदस्य विधान सभा की ग्रोर से जोधपुर शहर के जलस्रोतों के ग्रस्तित्व को बचाने एवं उनका उचित रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालालजी इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से श्रीगंगानगर शहर की ए. माइनर को शहर के बाहर निकाले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रतनलालजी ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से जहाजपुर नगर में वर्ष 1989 में हुए साम्प्रदायिक तनाव के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमों में पुलिस द्वारा गलत लोगों को फंसाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जुबेर खानजी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (ग्रलवर) के ग्रन्तर्गत दौगड़ी–सलालपुर पेयजल योजना का सुचारू रूप से संचालन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री दयाराम जी परमार, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से खैरवाड़ा से झांझरी ग्रन्तरराज्यीय सड़क का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंहजी सिंघवी, सदस्य विधान सभा की ग्रोर से छबड़ा नगर में स्टेशन रोड के पश्चिम की ग्रोर हिलव्यू कालोनी की नगरपालिका की भूमि भू-माफियाग्रों द्वारा हथिया लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री लक्ष्मण सिंहजी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से प्रदेश के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के हितों पर हो रहे कुठाराघात के सम्बन्ध में।

(9) श्री रामनारायणजी चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से झुंझनूं जिले के गांवों में सायं 7 बजे से 11 बजे तक तथा सुबह 4 बजे से 7 बजे तक विद्युत कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से उदयपुर

(श्री अध्यक्ष)

के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा सीवरेज योजना को कारगर ढंग से पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री मोहनलालजी बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड जायल (नागौर) द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जितेन्द्रजी नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर बांसवाड़ा जिले की तहसील हैडक्वार्टर घाटोल की राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित दुकानों को रात्रि 10 बजे बाद नहीं खोलने देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामगोपालजी बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री बनवारीलालजी बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई कस्बे में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

व्यवस्था

शासकीय वक्तव्य पर चर्चा के समापन के पश्चात पूरक प्रश्नों के उत्तर

परसों के रोज माननीय सदस्य, परसादीलालजी मीणा ने कोई बात उठायी थी कि व्यवस्था दें दिनांक 10 के बारे में, तो मैं अपनी व्यवस्था सुना रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ व 6 अन्य माननीय सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर परिषद् के विजयी पार्षद श्री फतेह सिंह मेव के भतीजे श्री जाकिर हुसैन की जघन्य हत्या के मामले की जांच नहीं होने के कथित विवादास्पद विषय के सम्बन्ध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं मानते हुए दिनांक 5 अप्रेल, 1995 को अध्यक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमति नहीं देते हुए सम्बन्धित सदस्य को दो मिनट बोलने का अवसर प्रदान किया गया था। इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा आगामी किसी तिथि को वक्तव्य देने की बात कही गयी।

माननीय गृह मंत्री श्री कैलाशजी मेघवाल द्वारा दिनांक 10 अप्रेल, 1995 को इस विषय पर वक्तव्य देते हुए अन्य बातों के अलावा कहा गया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं तथा गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से वारण्ट प्राप्त किये गये हैं। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध चालान दिनांक 28.2.1995 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियोग के अनुसंधान का सत्यापन स्वयं करने हेतु पुलिस अधीक्षक, अलवर को निर्देश दिये जा चुके हैं।

मामले में हस्तक्षेप करते हुए माननीय मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने प्रतिपक्ष के कतिपय वरिष्ठ सदस्यों को आमंत्रित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि यदि वे उनको आश्वासित (convinced) कर दें कि इस मामले में सी.बी.आई. को देने से ही न्याय होगा तो मैं उससे जांच करवा दूंगा।

श्री किशनजी मोटवानी, सदस्य की

(श्री अध्यक्ष)

ओर से यह मत प्रकट किया गया कि "माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कुछ परम्पराएं हैं, सदन में जब आसन पर कोई भी बिराजमान होता है, चाहे सभापति हों, चाहे उपाध्यक्ष हो या चाहें अध्यक्ष हों, एक बार किसी संदर्भ में रूलिंग आ जाती है तब उसका रिव्यू उसी समय दूसरे व्यक्ति के चेन्ज होने से नहीं होता है कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं और इसी बीच में आप आ गये, आने के बाद में पूरे मैटर को आपने रिव्यू कर दिया। यह रिव्यू इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है"।

इस पर अध्यक्ष पीठ से कहा गया कि काफी डिस्कशन हो चुका है उसके बाद मैंने मैटर एण्ड किया है। एक घण्टे तक पूरे सदन में चर्चा चली है।

चर्चा के समय हस्तक्षेप करते हुए माननीय उप मुख्य मंत्री, श्री हरिशंकरजी भाभड़ा ने श्री मोटवानीजी, सदस्य द्वारा उठाये गये बिंदुओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की, "माननीय अध्यक्ष ने आते ही सभापति की व्यवस्था को दुहराया और दुहराकर उसी को लागू करने की बात कही। उसके बाद जब मामले के गुणावगुण पर विचार शुरू हो गया, उसमें तथ्य आने लगे तब माननीय अध्यक्ष ने कहा कि इस पर चर्चा समाप्त मानी जाय। इसलिए अध्यक्षजी द्वारा सभापति की व्यवस्था को रिव्यू नहीं किया गया। अध्यक्ष को सर्वाधिकार प्राप्त हैं मगर इस केस में अध्यक्ष जी ने रिव्यू नहीं किया, अपनी व्यवस्था दी और मैं समझता हूं अध्यक्षजी की व्यवस्था के बाद जो सवाल उठाये जा रहे हैं वे इस नियमावली के विरुद्ध हैं, संविधान के विरुद्ध हैं और संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती किसी भी रूप में, चाहे सवालों के रूप में, चाहे पाइंट आफ आर्डर के रूप में, नहीं दी जा सकती। मर्यादा यह है कि अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी तो आपको उस व्यवस्था को मानकर शांति से उसको शिरोधार्य करना चाहिए।

श्री शांतिकुमारजी धारीवाल के पूछे जाने पर कि कोई व्यवस्था नहीं दी है, अध्यक्ष पीठ से कहा गया "मैंने व्यवस्था दे दी है"।

डाक्टर हरिसिंहजी, सदस्य की ओर से भी माना गया कि "अध्यक्षजी ने जो कुछ व्यवस्था दी उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता।

दिनांक 18.4.1995 को शून्यकाल में श्री परसादीलालजी मीणा, सदस्य ने आसन से व्यवस्था चाही कि 10.4.1995 को जाकिर हुसैन हत्याकांड पर सरकार ने जो स्टेटमेंट दिया, मोरारीजी देसाई की मृत्यु हो जाने के कारण, हमने स्टेटमेंट पर जो सवाल माननीय गृह मंत्रीजी से पूछे थे उनका जवाब वे नहीं दे पाये। अतः वे स्टेटमेंट दें।

सर्वप्रथम यह प्रश्न उद्भूत होता है कि इस प्रकार का वक्तव्य प्रक्रिया नियमों के किस नियम के अधीन आता है? यद्यपि स्थगन प्रस्ताव पर ऐसा वक्तव्य दिये जाने का प्रक्रिया नियमों में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के अधिकार का समावेश प्रक्रिया के अन्य नियम 290 में है। अतः जो भी वक्तव्य स्थगन प्रस्तावों पर अब तक दिलाये जाते रहे हैं वे इस सदन की परम्पराओं और व्यवस्थाओं

(श्री अध्यक्ष)

पर आधारित हैं, भले ही वे सम्यक् रूप से नियमों की परिधि में न आयें। इस प्रकार के वक्तव्य देने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि जो कुछ सूचना मंत्री महोदय के पास उपलब्ध है वह सदन के समक्ष रखी जाय।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए जो वक्तव्य माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया जाता है उस पर आसन की ओर से प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दिया जाना नियमानुकूल है अथवा नहीं और क्या वक्तव्य को व्यापक चर्चा का विषय बनाया जा सकता है? इस सम्बन्ध में सर्व श्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" आंग्ल संस्करण 1991 के पृष्ठ 363 पर इस सम्बन्ध में निम्न रूपेण व्याख्या की गयी है :—

"As a rule, no questions are permitted after a statement is made by a Minister because there is no formal motion before the House on which debate may take place. For sometime a practice developed that the Speaker, in exceptional cases, allowed a few clarifications in respect of the statement if it related to an important matter. Since 1969, however, the rule for not permitting questions on minister's statement is being enforced...."

"When a statement is made by a Minister on his own authority, members cannot ask him to verify the facts from some other authority."

उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सामान्यतया किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि सभा के सामने कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं होता जिस पर सभा वाद-विवाद कर सके। परन्तु साधारण मामलों में, अध्यक्ष किसी वक्तव्य के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे सकता है। परन्तु शर्त यह है कि वह वक्तव्य किसी महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में हो। जब कोई मंत्री अपने अधिकार से वक्तव्य दे तो सदस्य उससे यह नहीं कह सकते कि वह किसी अन्य अधिकारी से उन तथ्यों की सच्चाई का पता लगाये।

विवेच्य मामले में जैसा कि पूर्ववर्ती उल्लेख से विदित होगा, माननीय गृह मंत्रीजी ने प्रकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सदन के समक्ष रख दी है। सदन के माननीय सदस्यों ने इसको एक चर्चा का रूप देकर लगभग सवा घंटे इस मामले में चर्चा भी कर ली है, इसमें स्पष्टीकरण भी चाहे गये हैं। मामले में अनुसंधान हो रहा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के वरिष्ठ सदस्यों को आमंत्रित भी किया है कि उनको आश्वासित (convinced) कर दें। मुख्य मंत्रीजी ने अपनी मंशा स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त कर दी है। अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्था दी गयी कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और अब इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया जाता है।

आसन की ओर से इस मामले में माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों को काफी चर्चा करने का अवसर उपलब्ध हुआ है, जो समय वक्तव्य पर, सामान्यतया दिया जाना प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत उन्हें अनुज्ञय नहीं है। अध्यक्षपीठ से दी गयी पूर्व व्यवस्था पर श्री परसादीलाल, सदस्य द्वारा पुनः व्यवस्था दिये जाने का प्रश्न उठाया गया है और प्रकारान्तर से आसन से दी गयी व्यवस्था पर आपत्ति प्रकट की गयी है, जो संसदीय परम्पराओं, व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है।

इस सम्बन्ध में इसी सदन में पूर्व सम्मानीय अध्यक्षों द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

दिनांक 28 मार्च, 1981 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों पर दी गयी व्यवस्था पर यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया,

"मेरा नियम 52 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है। उसमें इस प्रकार के ग्राउण्ड्स दिये गये हैं, जिन ग्राउण्ड्स के आधार पर अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करने के प्रयोजन से सदन के स्थगित करने के प्रस्ताव का अधिकार है"

इस पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी,

"अध्यक्ष ने अगर कोई व्यवस्था दी हो तो उसके विरुद्ध कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता। इसलिए आपका जो व्यवस्था का प्रश्न है, वह मैं निरस्त करता हूं।"

इसी प्रकार दिनांक 6.10.1979 को श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि गत सत्र में लिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो अलवर महाराज कुमार की हत्याकाण्ड से सम्बन्धित था, के सम्बन्ध में 25–30 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर यह चर्चा करने की मांग की है कि पिछले सत्र में यह मामला डिस्कस होने वाला था पर अचानक सदन के स्थगित हो जाने से वह रह गया। इस पर कानसिंह आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उस पर चर्चा होनी चाहिये। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आज ही सदन में लिया जाना चाहिये।

इस पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने कहा,

"इस व्यवस्था के प्रश्न को मैं रूल आउट करता हूं, क्योंकि आज का जो बिजनेस है उसमें वह नहीं है और पाइन्ट आफ आर्डर जो आज का बिजनेस हो उसी के तहत उठाया जा सकता है। इसलिए माननीय सदस्य के पाइन्ट आफ आर्डर को मैं रूल आउट करता हूं।"

दिनांक 21.9.1982 को भी सदन में अध्यक्ष पीठ से यह विनिर्णय सुनाया गया था कि सदन के समक्ष विचाराधीन मुद्दे पर ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 10.4.95 को चर्चा में आये मुद्दे पर अध्यक्षीय व्यवस्था होने के बाद दिनांक 18.4.95 को जबकि सदन में इस आशय का कोई बिजनेस नहीं था, व्यवस्था का प्रश्न, एक विशेष परिस्थिति बताते हुए, जो कमोबेश श्री हरीश

(श्री अध्यक्ष)

शर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न के जैसा है, ग्राह्य योग्य नहीं हो सकता।

इसी संदर्भ में जैसा कि सदन के सभी माननीय सदस्य पूर्णतः अवगत हैं समय-समय पर अध्यक्ष पीठ से निर्णय सुनाये गये हैं कि अध्यक्ष की व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती, उस पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती और न ही उस पर चर्चा की जा सकती है।

सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" नामक विख्यात पुस्तक में भी इस सम्बन्ध में विस्तार से उल्लेख मिलता है।

दिनांक 18.7.1977 को इस सदन में श्री उमराव सिंह ढाबरिया, सदस्य, विधान सभा द्वारा ली गयी शपथ में से शब्दों को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा एक्सपंज किये जाने के आदेश पर श्री ढाबरिया द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष, श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा 21.7.1977 को व्यवस्था दी गयी,

"माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये, इस सम्बन्ध में तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने, आपने जब उसके बारे में आपत्ति उठायी, व्यवस्था दे दी थी। उस वक्त जो अध्यक्षीय व्यवस्था दी गयी थी वही अन्तिम व्यवस्था है। यहां पर सदन की परम्परा रही है कि जो अध्यक्षीय व्यवस्था जिस बारे में दे दी जाती है वही फाइनल है, वही अन्तिम है। मैं उसी को मान्यता दूंगा।"

इसी सन्दर्भ में दिनांक 4.6.1954 को एक माननीय सदस्य के द्वारा भाषणों की समय सीमा का मुद्दा उठाये जाने पर तत्कालीन माननीय अध्यक्ष ने यह विनिर्णय दिया कि भाषणों के समय को विनियमित करने का अधिकार अध्यक्ष को है।

जब अध्यक्ष पीठ से इस प्रकरण पर दिनांक 10.4.95 को चर्चा के समापन की व्यवस्था दे दी गयी है तो उस सम्बन्ध में आगे कोई चर्चा करने अथवा व्यवस्था दिये जाने की मांग करना अनुचित है।

सार संक्षेप यही है कि दिनांक 10.4.95 को इस प्रकरण में माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य पर आवश्यकता से अधिक चर्चा हो चुकी है और काफी माननीय सदस्यों ने अपनी बात सदन के समक्ष रखी है तथा माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में इस मामले में समुचित कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया है। अध्यक्ष पीठ से इस प्रकरण पर व्यवस्था देते हुए चर्चा का समापन कर दिया गया और सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" नामक विख्यात पुस्तक में "वक्तव्य" के सम्बन्ध में उल्लिखित सीमा क्षेत्र से हटकर, माननीय सदस्यों को आवश्यकता से अधिक अवसर उपलब्ध हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में दिनांक 18.4.95 को, जबकि इस प्रकरण से सम्बन्धित कोई बिजनेस सदन के समक्ष नहीं था, अध्यक्ष पीठ की पूर्व व्यवस्था पर पुनः व्यवस्था की मांग करना, उपरोक्त तथ्यों, प्रक्रिया नियमों, संसदीय व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं एवं उपरोक्तानुसार विवेचन के आधार पर मैं सर्वथा अनुचित मानता हूं और माननीय सदस्य, श्री परसादी लाल द्वारा 18.4.1995 को सदन

(श्री अध्यक्ष)

में उठाये गये व्यवस्था सम्बन्धी मांग के प्रश्न को मैं रूल आउट करता हूं।

श्री परसादी लाल जी, 295.

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग के विरोध में कुछ नहीं बोल रहा। सदन में आपके आसन से जो रूलिंग दी जाती है, शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष : अभी कोई अंकित नहीं होगा। मेरे पास बहुत बिजनेस है और आज मुझे जल्दी से जल्दी बिजनेस निपटाना भी है।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : अब जीरो आवर का कोई महत्व नहीं रह गया है। आपने जीरो आवर तो पहले ही कर लिया प्रश्नकाल में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : आज तो आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा इस बात पर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : मैंने आज जीरो आवर स्थगित रखने का सोचा है।

श्री रामनारायण : X X X

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। कोई अंकित नहीं करें।

श्री रामनारायण : X X X

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं बोलें। बिराजें।

श्री रामनारायण : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आप बिराज जाइये। परसादी लाल जी। मैं आपको इतने मौके दे रहा हूं। अब आप बिराज जाइये। 295 पढ़िये। परसादी लाल जी 295 को पढ़ें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : वही पढ़ रहा था, आपने बैठा दिया अध्यक्ष महोदय। मेरे उसको तो आपने रूल आउट कर ही दिया। उस पर बोलूं कि 295 पर बोलूं ?

श्री अध्यक्ष : 295 पर।

श्री परसादीलाल मीणा : 295।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर ?

श्री अध्यक्ष : 295 चल रहा है। जीरो आवर अब आज नहीं किया। यह अध्यक्ष की इच्छा पर है। आप बिराज जाइये।

श्री परसादीलाल मीणा : आज अध्यक्ष महोदय नाराज हैं इसलिये जीरो आवर नहीं है।

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : बहुत आवश्यक....

श्री अध्यक्ष : विराज जाइये। मुझे सब पता है, आप बिराजिये। श्री परसादीलाल जी, 295।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

दूध निर्यात पर प्रतिबन्ध से पशुपालकों की बिगड़ती स्थिति

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार समय-समय पर राज्य में दूध के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पाबन्दी लगाने की घोषणा करती है। घटना बहुत छोटी और सामान्य है, उस पर किसी को क्या टीका-टिप्पणी करनी है लेकिन आज की सरकार किस तरह लोगों को धोखा देती है, उनमें भ्रम पैदा करती है और यह नीतियां किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किस उद्देश्य से चलाई जाती हैं, यह सरकार के इस कदम की थोड़ी गहराई में जाने से अच्छी तरह समझ में आ सकता है।

गर्मी के मौसम में भैंस के दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है परन्तु गाय के दूध का नहीं। आर.सी.डी.एफ. सरकार को पाबंदी लगाने के पक्ष में लिखती है कि ऐसी हालत में अगर दूध राज्य से बाहर जाता रहे तो दूध की कमी और अधिक हो जायेगी, दूध के भाव महंगे हो जायेंगे और आम जनता को तकलीफ होगी। उसके औचित्य में सरकार द्वारा यह आदेश पारित करवा लिया जाता है। आम जनता यही सोचती है कि सरकार जनता की समस्याओं का हल करने की कोशिश हर प्रकार से करती है परन्तु फिर भी यदि परिस्थिति काबू में न आये तो सरकार का क्या दोष है। अव्वल तो सरकार द्वारा दूध के प्रदेश के बाहर जाने पर पाबंदी लगायी ही नहीं जाती क्योंकि समाचार, जो सरकारी विज्ञप्ति के आधार पर दिया जाता है, में यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन एवं उनकी राज्य में विभिन्न इकाइयों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होता अर्थात डेयरी फैडरेशन तो पहले की तरह दूध निर्यात करता ही रहेगा। फैडरेशन की इकाइयों के सिवाय अन्य कोई आदमी दूध का राज्य से बाहर निर्यात नहीं कर सकेगा। सरकार ऐसा करके जनता को गुमराह करती है क्योंकि वास्तव में प्रदेश से बाहर अधिकांश निर्यात डेयरी फैडरेशन के द्वारा ही होता है। एक तरफ तो राज्य से दूध दिल्ली को निर्यात किया जाता है और दूसरी तरफ राज्य की जनता को विदेश से आये हुये सस्ते पाउडर को घोलकर टोण्ड मिल्क पिलाया जाता है। सरकार को दिल्ली शहर में बसने वाले सामान्य नागरिक की बहुत चिन्ता है। तो पाबंदी के बावजूद राजस्थान से दूध तो दिल्ली के लिए बराबर जाता रहेगा। इस पाबंदी का अर्थ उल्टा यह हुआ कि सामान्य तौर पर दूध के दाम जो बढ़ते और दूध पैदा करने वाले को मिलते, वे उसे न मिल कर डेयरी फैडरेशन को सस्ता दूध पहले के भावों में मिलता रहेगा। क्योंकि उसकी होड़ में दूसरा कोई खरीददार या निर्यात करने वाला रहेगा नहीं। थोड़ा बहुत लाभ शायद राजस्थान के शहरों में दूध खरीदने वाले सामान्य लोगों को भी हो।

डेयरी फैडरेशन की सरकारी योजना से दूध पैदा करने वाले किसानों को बहुत

(श्री परसादीलाल मीणा)

आर्थिक लाभ हुआ है, यह दलील बराबर दी जाती है। डेयरियों के अस्तित्व का यही औचित्य बताया जाता है। यह सही है कि रुपये–पैसे की भाषा में पहले की अपेक्षा किसान को ज्यादा मिलता होगा परन्तु रुपए की कीमत ही पिछले एक–दो दशकों में घटकर 15 पैसे ही रह गयी है, यह सरकार के आंकड़ों से ही मालूम होता है। लेकिन रुपये पैसे के रूप में दूध उत्पादन की आय बढ़ी है तब भी उसका कुल मिला-कर जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पहले जहां किसान बहुत हद तक स्वावलम्बी था, छाछ, घी, दूध आदि का थोड़ा बहुत उपयोग अपने और अपने बाल–बच्चों के लिए करता था वहां अब वह पूरे तौर से डेयरी की पकड़ में आ गया है। पशुओं को खिलाने के लिए चारे–दाने से लेकर दूध बेचने तक की सारी प्रक्रिया में वह डेयरी का गुलाम बन गया है। अपनी गाय-भैंस उसके लिए केवल दूध देने वाली मशीन है और वह उसका दूध दुहकर डेयरी को सप्लाई करने वाला मजदूर। दूध का भाव भी जो डेयरी या उसके एजेन्ट देंगे वह किसानों को झक मारकर लेना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के निर्यात पर पाबंदी कानूनों से निजी क्षेत्र के व्यापारी पूरे साल दूध संकलन का कार्य नहीं कर सकने के कारण अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पाते और ना ही इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके कारण डेयरी फैडरेशन की मोनो–पोली ही रह गयी है। गांव-गांव में बिखरे हुए अशिक्षित और असंगठित किसानों का कोई संगठन नहीं है। कोई संगठन हैं भी तो वे अधिकतर सहकारी डेयरी के हाथ में हैं जिन्हें उस शोषण में कुछ छुटकारा मिलता है।

राजस्थान सरकार आये साल सामान्य लोगों के हितों को ध्यान में रखकर प्रदेश के बाहर दूध के निर्यात पर पाबंदी लगा कर ग्रामीण किसानों का आर्थिक शोषण करने की छूट राजस्थान डेयरी फैडरेशन को दे देती है जो सर्वथा उनके स्वतन्त्र व्यापार पर बन्धुता की छाप है। सरकार गौ–हत्या होने पर बहुत चिन्तित है उसका मूल कारण पशुपालकों का शोषण होना अभी तक नहीं माना है। जब तक किसानों को दूध बेचकर मुनाफा नहीं होगा तब तक गौ हत्या रोके जाना सरकार के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए स्वतन्त्र व्यापार की नीति से ही शनैः शनैः सुधार होगा और पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान सम्भव होगा। यदि नीति में परिवर्तन नहीं किया गया तो सरकार 72 प्रतिशत ग्रामीण जनता में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या के लिए तैयार रहे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर में जल स्रोतों का रख–रखाव

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कोई 250 से अधिक पानी के स्रोत उपलब्ध रहे हैं। इनमें 75 सतही स्रोत हैं, जिनमें झीलें 5, तालाब 40, टैंक 5 व नाडिये 25 हैं। इसी तरह 178 भूमिगत जल स्रोत उप–लब्ध हैं, जिनमें कुएं 125, बावड़ियां 45 व झालरें आठ हैं। इसके साथ कोई 90 किलो मीटर लम्बी नहरों का जाल बिछा

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

हुआ है। इन स्रोतों में ज्यादातर अच्छी हालत में हैं पर कुछ का अस्तित्व समाप्त हो गया है तथा कुछ का होने जा रहा है। पर इनकी उपयोगिता आज भी बरकरार है। जैसे अगर जोधपुर शहर में औसत 10-12 इंच वर्षा हो तो ये स्रोत कोई दो हजार एम.सी.एफ.टी. पानी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जोधपुर के आस-पास इन स्रोतों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए 150 वर्ग किलो मीटर का जलग्रहण क्षेत्र है, जो नहरों के माध्यम से इन स्रोतों को पानी देकर शहर की जल पूर्ति में अपना योगदान देता है।

इन जल स्रोतों के रूप में जालप बावड़ी, तापी बावड़ी, अचलनाथ मन्दिर में बावड़ी, नीमला कुआ, बोडोजी का बेरा, लाडजी का कुआ, चौतरा कुआ, जलावेरा, नरसिंह दड़ा, ब्रह्म बाग का बेरा, नानाजी की पुरानी बावड़ी, मूर्थो का बेरा, कुमारिया कुआ, कोतवाली बेरा, धाबाई का बेरा आदि स्थित हैं। इन स्रोतों की पानी की जांच एवं सफाई की जाय तो जोधपुर के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति आपात काल में हो सकती है। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर में जल स्रोतों के रूप में राणीसर, पदमसर, गुलाब सागर, फतह सागर तथा गंगलाव तालाब हैं। उल्लेखनीय है कि गंगलाब में अतिक्रमण हो रहा है तथा वह कचरा पात्र बन रहा है।

दुर्भाग्य से वर्षों के अथक प्रयत्नों के बाद भी आज तक राज्य सरकार ने स्रोतों के रख-रखाव का जिम्मा किसी भी विभाग को नहीं दिया है, इस कारण ये स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं जो हमारे भूमिगत जल, पर्यावरण व वनस्पति, तापक्रम. को बनाये रखने में तथा पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

उदाहरण के लिए मेरे अपने क्षेत्र के सबसे बड़े टैंक जो बाई जी के तालाब के नाम से जाना जाता है, जो 125 वर्ष पुराना है तथा जिसे महाराजा मानसिंह की पुत्री सिरेकंवर ने बनवाया था और जो सन् 1962 तक पीने के पानी का मुख्य स्रोत था, अब शहर का कचरा घर बन कर रह गया है।

क्या सरकार तत्काल जोधपुर के जल स्रोतों को किसी विभाग के सुपुर्द करेगी तथा इनके रख-रखाव के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवायेगी? जो क्षेत्र की महत्ती आवश्यकता है।

अतः नियम 295 के तहत मैं इस ओर सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित करती हूं कि जोधपुर शहर में स्थित जल स्रोतों के अस्तित्व को सुधारा जाय तथा इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दोरा।

गंगानगर शहर की ए. माइनर को शहर के बाहर से निकालने बाबत

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं आपका ध्यान ए. माइनर की ओर दिलाना चाहता हूं जो 17 क्यूसेक पानी की क्षमता की है और ए.बी. हैड, तीन पुली से निकलकर गंगानगर शहर के बीचों-बीच चार किलोमीटर का सफर तय करती हुई बीस गांवों की कृषि भूमि को सिंचित करने के अलावा इन्हीं

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

गांवों के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाती है।

इस नहर में 9 मोघे हैं और इसकी लम्बाई 44.5 बुर्जी है। इस माइनर के शहरी क्षेत्र में दोनों तरफ कामशियल होटल एवं आवासीय आबादी और डेयरी फार्म होने की वजह से नहर में दुनिया भर की गन्दगी डाल दी जाती है जिससे नहर का पानी गन्दा हो जाता है। इस नहर क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों के लोगों को गन्दा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। यही नहीं, ए. माइनर से होटलों एवं आवासीय कालोनियों द्वारा पानी का भारी मात्रा में उपयोग करने से पानी की छीजत भी होती है जिससे इस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का पानी भी कम मिलता है।

अतः आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इस माइनर को शहरी क्षेत्र से बाहर निकालने सम्बन्धी योजना बनानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को पीने का अच्छा पानी एवं सिंचाई का पूरा पानी मिल सके। ए. माइनर को शहर के बाहर से निकालने के बाद जो शहरी क्षेत्र की नहर की भूमि खाली हो, उस भूमि को कामशियल दामों पर बेचा जावे जिससे नयी माइनर बनाने का खर्चा पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

जहाजपुर में साम्प्रदायिक तनाव सम्बन्धी दर्ज मुकदमों में निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जहाजपुर नगर में वर्ष 1989 में साम्प्रदायिक तनाव को लेकर दोनों समुदायों के विरुद्ध 2 प्रकरण थाना जहाजपुर, भीलवाड़ा में मुकदमा नं. 183 वर्ष 1989 तथा 184 वर्ष 1989 दर्ज किये गये जो धारा 147, 148, 149, 395 व 307 आई. पी.सी. के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये हैं।

दोनों मामलों में अनेक बेगुनाह लोग फंस गये हैं। वृद्ध तथा जो बाहर थे, उन्हें भी इसमें मुलजिमान बनाया गया और राजनीतिक कारणों से गुटबाजी में अनेक लोग इसमें जोड़ने की बात को लेकर दोनों समुदायों ने इसकी अपराध शाखा से जांच की मांग की थी, मगर इसकी जांच एवं कार्यवाही सही तथ्यों के आधार पर न करे, जैसे पुलिस ने उस समय मामले बनाये, वैसी ही कार्यवाही तैयार कर दी गयी।

तीन-चार वर्ष बाद इन मामलों को बिना निष्पक्ष कार्यवाही कराये इन्हें ज्यों के त्यों ही वापस भेज दिये हैं।

दोनों समुदायों में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं भाईचारा बना हुआ है। इतने वर्षों बाद अब इस प्रकार के मामलों को चलाना, गड़े मुर्दों को उखाड़ना और आपसी सद्भाव और भाईचारे के निर्मित वातावरण को ठेस पहुंचाना होगा। अतः दोनों समुदायों के आपसी सद्भाव के वातावरण का स्थायित्व बनाये रखने के लिये इस प्रकार के गलत मुकदमे बनाकर अनेक बेगुनाह लोगों को फंसाया गया है।

अतः इस प्रकार के मुकदमों के पीछे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

पुलिस की सद्भावना पूर्णतः नजर नहीं आती है और अब इस प्रकार के मुकदमों की 5–6 वर्ष बाद कोई भी औचित्यता नजर नहीं आती है। इस प्रकार के गलत मुकदमों की सही कार्यवाही न होना साम्प्रदायिक सद्भाव के विरुद्ध है, अतः उक्त मामलों को समाप्त कर वापसी की कार्यवाही जन भावना को देखते हुए की जावे और इन दिनों की जा रही गिरफ्तारियां रोकी जाएं और यह मांग उचित होते हुए भी सरकार चाहे तो इसकी विस्तृत जांच गुप्तचर शाखा से करा सकती है क्योंकि इसमें नहीं है कि बड़े माहौल में किसने क्या किया ? बिना किन्हीं प्रमाणों के दुर्भावना से फंसाने की सारी गलत कार्यवाही से अनेक बिना आधार फंसाये हुए हैं।

अतः मैं राज्य सरकार का ध्यानाकर्षण विशेष उल्लेख के द्वारा इन मामलों को समाप्त कर दोनों समुदायों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देकर निरपराध गलत फंसाये लोगों को गिरफ्तार कर चालान करने की मांग करता हूं क्योंकि रात्रि को किसने क्या किया ? चश्मदीद नहीं बल्कि मनमाने ढंग से फंसाये, जोड़–तोड़ से मुलजिमान बनाये गये हैं तथा ऐसे बयान तैयार करना वास्तविकता पर पर्दा डालना है।

(12.33)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा से झांझरी अन्तरराज्यीय सड़क का डामरीकरण

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत खैरवाड़ा से झांझरी अन्तरराज्यीय सड़क का डामरीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

महोदया, निवेदन है कि खैरवाड़ा से झांझरी सड़क की कुल लम्बाई 34 किलोमीटर है, उसमें से 18 किलोमीटर सड़क का डामरीकरण हो चुका है। लेकिन शेष 17 किलोमीटर सड़क आज भी कच्ची है और इस 17 किलोमीटर की लम्बी सड़क पर चार पंचायत मुख्यालय क्रमशः बबायचा, भोमटावाड़ा, पाटिया एवं गुड़ा स्थित है। यह सड़क न केवल गुजरात राज्य को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क है बल्कि अहमदाबाद पहुंचने के लिये 15 किलोमीटर कम दूरी की है। यदि कोई खैरवाड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 8 से अहमदाबाद जाता है तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है जबकि खैरवाड़ा से वाया झांझरी होकर अहमदाबाद जाता है तो उसे 15 किलोमीटर की कम दूरी तय करनी पड़ती है।

आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। यदि एक वाहन पर 15 किलोमीटर की कम दूरी तय करने से तीन लीटर डीजल की बचत होती है तो एक हजार वाहन प्रतिदिन उस कम दूरी के मार्ग से निकलते हैं तो 3000 लीटर डीजल की बचत प्रतिदिन होती है। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क जो चार

(श्री दयाराम परमार)

पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व की हो और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की हो, उसका डामरीकरण न किया जाना एक घोर उपेक्षा की बात ही कही जा सकती है।

अतः मैं, राज्य सरकार से और विशेष कर सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि खैरवाड़ा से झांझरी सड़क चार पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली है, राष्ट्रीय महत्व की है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से सम्बन्धित है, उसका डामरीकरण किया जावे।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

रामगढ़ (अलवर) की दोगड़ी सलालपुर पेयजल योजना

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदया, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर, उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत दोगड़ी- सलालपुर पेयजल योजना का सुचारू रूप से संचालन नहीं किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत क्षेत्र के 10 ग्राम आते हैं। यह ग्राम हैं : दोगड़ी, सलालपुर, रतनाकी, बड़बरा, वास, भारेड़ा, डाबरी, बभेड़ी, सेमलाखुर्द और भैसड़ावत। मगर अब इन ग्रामों में से सिर्फ तीन ही ग्रामों में पानी जा रहा है। इस योजना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पैसा लेकर खेतों में पानी देते हैं और ग्रामों को पानी नहीं पहुंचाया जाता है पानी की टंकी बनी होने के बाद भी आज तक उसमें पानी नहीं चढ़ाया जाता है।

शिकायतें करने के उपरान्त भी इस ओर अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इन ग्रामों में पेयजल योजना के कारण विभाग द्वारा हैण्ड पम्प भी नहीं लगाये जाते हैं जिससे ग्रामवासियों को पानी की समस्या का लगातार सामना करना पड़ रहा है।

मेरी सदन के माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पेयजल योजना को पुनर्जीवित किया जाए एवं दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा (बारां) नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : सभापति महोदया, छबड़ा नगर में स्टेशन रोड के पश्चिम दिशा की ओर हिल व्यू कालोनी के नाम से नगरपालिका छबड़ा की भूमि खसरा नं. 608, 617 व 618 में आवासीय भूखण्ड बनाकर श्री मंजूर अहमद पुत्र श्री ऐजाज मोहम्मद मुसलमान निवासी पाली हाल मुकाम छबड़ा जिला बारां ने लगभग लाखों रुपये का चूना नगरपालिका छबड़ा को लगाया है तथा खसरा नं. 619 व 620 की भूमि 47 बीघा अवैधानिक एवं फर्जी कागजात तैयार करके हड़प ली है जो कि नगरपालिका छबड़ा की सम्पत्ति थी। छबड़ा नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण करके फर्जी तौर पर बेचान करके लाखों रुपया उक्त व्यक्ति द्वारा हड़प

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

लिया गया है। नगरपालिका की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया तो नगर–पालिका छबड़ा द्वारा राजस्थान नगर–पालिक अधिनियम, 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी कर स्थानीय उप पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं को कार्यालय पत्रांक 230 दिनांक 12.8.93 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट करवायी गयी परन्तु उक्त व्यक्ति के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

यह कि खसरा नं. 619 व 620 के खातेदारान द्वारा कृषि भूमि को आबादी भूमि में रूपान्तरण करवाये बिना ही 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर आवासीय भूखण्ड बनाकर एवं 200–250 मकानों पर तामीर कार्य हो चुका है जिससे राजस्व विभाग व नगरपालिका छबड़ा को विकास शुल्क में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है।

अतः उक्त अतिक्रमी द्वारा खसरा नं. 619 व 620 को अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में करवाया जाना तथा खसरा नं. 608, 617 व 618 की भूमि पर अतिक्र–मण करके नाजायज रूप में बेचान करके फर्जीवाड़ा किया जाना तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त भू–माफिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं किये जाने आदि पहलुओं की निष्पक्ष जांच करवायी जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जावे एवं पालिका को अपनी भूमि वापस दिलवायी जावे या राशि पालिका कोष में जमा करवायी जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह (अनुपस्थित), श्री रामनारायण चौधरी।

झुन्झुनूं जिले के गांवों में विद्युत कटौती

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से निवेदन है।

राजस्थान बिजली बोर्ड ने बिजली की कटौती कर रखी है। इस कटौती के कारण झुन्झुनूं जिले के गांवों में शाम के 7 बजे से 11 बजे तक तथा सुबह 4 से 7 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं मिलती है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र एवं छात्राओं की पढ़ाई में बहुत बाधा पैदा हो गयी है। विद्यार्थियों की पढ़ाई में भारी अड़चन पैदा होने से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। परीक्षा के दिन चल रहे हैं तथा स्थानीय परीक्षाओं का समय आगे आने वाला है; अति निकट है। गांवों में केरोसिन तेल मिल नहीं रहा है तथा बिजली की कटौती हो गयी है। इन उपरोक्त कारणों से विद्यार्थियों का भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करने तथा सुचारू व्यवस्था हेतु यह सूचना दे रहा हूं। कृपया व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर के नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने हेतु सीवरेज योजना

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय का ध्यान उदयपुर के नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए सीवरेज योजना को कारगर ढंग से पूर्ण कराने हेतु विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

उदयपुर नगर के पेयजल का मुख्य स्रोत पिछोला एवं फतह सागर झील है। यह झीलें शहर के अधिकतर भाग में पानी की पूर्ति करती हैं। लेकिन पिछोला झील का पानी बराबर प्रदूषित हो रहा है। इसके किनारे लालघाट, नावघाट, गणगोर घाट, ब्रह्मपोल और आसपास की कई बस्तियों की सारी गन्दगी झीलों में गिर रही है। अधिकांश घरों में कच्ची लेट्रीन बनी हुई हैं और मल से भरी नालियां सीधे झील में जा रही हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि झीलों का पानी प्रदूषित हो रहा है और उसकी जल क्षमता भी घटती जा रही है। कुछ घरों के शौचालयों के मुंह तो सीधे झील में खुल रहे हैं। सीवरेज लाइन की क्रियान्विति न होने से यह समस्या बढ़ती जा रही है।

उदयपुर में करीब 15 वर्ष पहले लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज लाइन डाली गयी थी लेकिन इसमें कई गलियों को छोड़ दिया गया था और मुख्य लाइन से कनेक्शन नहीं दिये जाने से यह योजना विफल हो गयी। जहां पर सीवरेज लाइन डाली गयी वहां भी अब कनेक्शन नहीं होने से बन्द हो गयी है। नगर परिषद् और जलदाय विभाग के परस्पर असहयोग से यह कार्य आगे नहीं बढ़ सका है। वर्तमान सीवरेज लाइन को न तो नगर परिषद्, न नगर विकास न्यास और न ही जलदाय विभाग भली भांति देख पा रहे हैं। इसलिए यह योजना असफल-सी हो गयी है। सीवरेज लाइन की सफाई के लिए मशीन भी अनुपलब्ध है और इस सीवरेज लाइन के अभाव में गन्दगी पीने के पानी में मिल रही है। इसलिए उदयपुर में सीवरेज योजना को कारगर ढंग से पूर्ण करने के लिए पृथक से कार्य दायित्व देकर जलदाय विभाग को इसे सम्पन्न करना होगा ताकि शहर में प्रदूषण की समस्या न हो, गन्दगी न फैले और पेयजल शुद्ध प्राप्त हो सके। दूषित पानी के कारण कई बीमारियां शहर में फैल रही हैं और जनता बहुत परेशान है। लोक महत्व का प्रश्न होने के कारण यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहन लाल बारूपाल। (अनुपस्थित), श्री जीतेन्द्र नीनामा।

घाटोल कस्बे की दुकानों का समय

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं घाटोल कस्बे को रात को 10 बजे के बाद बन्द न करने के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बांसवाड़ा जिले में घाटोल गांव तहसील हैडक्वार्टर का कस्बा है। यह गांव नेशनल हाइवे रोड पर बसा हुआ है। यहां पर सारी रात गाड़ियों का आना जाना रहता है। लेकिन दिनांक 7 मार्च को जिलाधीश महोदय ने एक आदेश जारी कर दिया कि रात को 10 बजे के बाद बस स्टैण्ड व बाजार में कोई दुकान नहीं खोलेगा।

(श्री जितेन्द्र नीनामा)

इसलिए तत्काल घाटोल कस्बे में रात को दुकानें चालू रखने के आदेश दिलावें।

बन्द करने से पहले गरीब लोग वहां पर थड़ियों पर चाय की दुकान व गुमटियों में छोटा मोटा सामान रख कर अपना पेट पालते थे। बस स्टैण्ड व बाजार में चहल-पहल रहती थी। जिससे चोरियां बहुत कम होती थीं। मैं सरकार व मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि घाटोल कस्बे में कभी अशांति नहीं फैली, न ही वहां कोई गुण्डागर्दी हुई, न ही धारा 144 लगानी पड़ी। जानबूझकर एक दो व्यक्तियों के निजी स्वार्थ से व राजनैतिक दबाव में आकर जिलाधीश ने बन्द का आदेश दे दिया। वहां पर बन्द के बाद काफी चोरियां हुई एवं जनता भयभीत हो गयी है।

सारी स्थिति को देखते हुए सरकार व मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल घाटोल कस्बे को रात को चालू रखने का आदेश दिलवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल बैरवा।

पीपल्दा में अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : सभापति महोदया, मैं विधान सभा के नियम 295 के तहत पीपल्दा के किसानों व छात्रों को बिजली से उत्पन्न समस्या की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत वर्तमान में 2–3 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पाती है जबकि पिछले विधान सभा सत्र में राज्य सरकार ने किसानों के लिए व ग्रामीण क्षेत्र के लिए आठ घंटे बिजली देने का वायदा किया था लेकिन राज्य सरकार अपने वायदे के मुताबिक किसानों को आठ घंटे बिजली देने में असमर्थ रही जिसके परिणाम यह सामने आये कि किसानों की फसलें पानी के अभाव में सूख रही है। किसानों को अपने खाने की समस्या व पशुओं के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी और जिसके कारण से किसानों में त्राहि-त्राहि मच गयी है और दूसरी तरफ बोर्ड की परीक्षाएं 23 मार्च से शुरू हो गयी हैं। विद्यार्थियों को रात्रि में लाइट नहीं मिलने से छात्रों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। जगह-जगह पर छात्रों को हड़ताल, बन्द जैसे कार्यों पर उतारू होना पड़ रहा है।

अतः राज्य सरकार किसानों व विद्यार्थियों की ज्वलन्त समस्या को हल कर ग्रामीण क्षेत्र में लाइट देने की व्यवस्था करे जिससे किसानों व छात्रों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल बैरवा।

निवाई में महाविद्यालय की स्थापना

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजकीय सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल निवाई में बहुत पुराना स्कूल है। निवाई विधान सभा क्षेत्र के गांव झिलाय, जामडोली, सिरस, दतवास, डांगारथल, राहोली, कोढा बुजर, सोहेला आदि

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

गांवों में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खुल गये हैं लेकिन निवाई मुख्यालय के उपेक्षाभाव के कारण कालेज नहीं खुले हैं। इस कारण इन सभी अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़े वर्ग तथा गरीब तबके के लोगों के विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा गांव से अन्य जिलों में पढ़ने के कारण आर्थिक रूप से भी काफी महंगा पड़ता है। आजकल उच्च अध्ययन के लिए प्रवेश काफी कठिन हो गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि निवाई विधान सभा क्षेत्र की काफी आबादी है और उसमें रहने वाले लोगों के बच्चों को समुचित शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए आवश्यक है कि यहां पर कालेज खोला जाये।

सदन पटल पर रखे गये पत्रों

लेखे

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष, 1993–94

श्री सभापति : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष, 1993–94 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा विवरण वर्ष, 1993–94 सदन की मेज पर रखता हूं।

समितियों के प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1994–95 का चौंतीसवें से पचासवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति जन लेखा समिति, 1994–95, समिति के 17 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सभापति, जनलेखा समिति) : सभापति महोदया, मैं कार्य सूची में अंकितानुसार जनलेखा समिति, 1994–95 के प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं:–

(1) वर्ष, 1988–89 से 1990–91 तक के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 34 वां प्रतिवेदन ;

(2) वर्ष, 1982–83 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भू-राजस्व विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 35 वां प्रतिवेदन ;

(3) वर्ष, 1990–91 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट खनिज एवं भूगर्भ विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 36 वां प्रतिवेदन ;

(4) वर्ष 1990–91, 1991–92 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 37 वां प्रतिवेदन ;

(श्री घनश्याम तिवारी)

(5) वर्ष, 1978-79, 1981-82, 1984-85, 1985-86 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 38 वां प्रतिवेदन ;

(6) वर्ष 1984-85 व 1987-88 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट वित्त विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 39वां प्रतिवेदन;

(7) जनलेखा समिति, 1982-83 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 40वां प्रतिवेदन;

(8) जनलेखा समिति, 1983-84 के दसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 41वां प्रतिवेदन;

(9) जनलेखा समिति, 1984-85 के सोलहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित सतिति का 42वां प्रतिवेदन;

(10) जनलेखा समिति 1987-88 के तेईसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 43वां प्रतिवेदन ;

(11) जनलेखा समिति, 1988-89 के 31वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 44वां प्रतिवेदन ;

(12) जनलेखा समिति, 1988-89 के तैंतीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 45वां प्रतिवेदन ;

(13) जनलेखा समिति, 1990-91 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 46वां प्रतिवेदन ;

(14) जनलेखा समिति, 1990-91 के पांचवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 47वां प्रतिवेदन ;

(15) जनलेखा समिति, 1990-91 के सोलहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 48वां प्रतिवेदन ;

(16) जनलेखा समिति, 1991-92 के उनतीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 49वां प्रतिवेदन एवं

(17) जनलेखा समिति, 1991-92 के 31वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गयी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का 50वां प्रतिवेदन।

सभापति महोदया, मैं आपकी सूचना से लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल जनलेखा समिति ने 50 प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखें हैं जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

श्री सभापति : डाक्टर उजला अरोड़ा, सभापति प्राक्कलन समिति "ख" 1994-95 समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी। श्री टीकमचंद कांत, सभापति अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1994-95 समिति के 2 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1994-95 का प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन

श्री टीकमचंद कांत (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : सभापति महोदया, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1990-91 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी क्रियान्विति विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1991-92 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति "ख" 1994-95 का छठा, सातवां एवं आठवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : डाक्टर (श्रीमती) अजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (सभापति, प्राक्कलन "ख" समिति) : सभापति महोदया, मैं निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं :-

(1) सहकारी विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन "ख" समिति 1985-86 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही समिति का छठा प्रतिवेदन,

(2) पुलिस विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन "ख" समिति 1986-87 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का सातवां प्रतिवेदन; एवं

(3) कारागार विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन "ख" समिति 1986-87 के चोहदवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का आठवां प्रतिवेदन।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

बीकानेर के प्रसिद्ध नागणेचाजी मंदिर के समीप स्थित बल्लभ गार्डन की भूमि का अवैध बेचान

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री नरपतसिंह राजवी, सदस्य, विधान सभा बीकानेर के प्रसिद्ध नागणेचाजी मंदिर के समीप स्थित बल्लभ गार्डन की भूमि के अवैध बेचान से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदया, बीकानेर के बसने के साथ ही....

श्री सभापति : आप ध्यान आकर्षित कर दीजिये मंत्री का, जवाब आ जाए फिर आप क्वेश्चन कर लीजिये ।

श्री नरपतसिंह राजवी : बनाये गये नागणेचाजी मंदिर के समीप स्थित भूमि का जो परिवर्तन हुआ है उपयोग का, उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इस भूमि परिवर्तन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम आवासीय उपयोग बाबत नगर नियोजन विभाग ने वर्ष 1973 में राय मांगी थी परन्तु मौके पर काफी गड्ढे एवं कटी–फटी भूमि होने से तथा विकसित शहरी क्षेत्र दूर होने के कारण उसे आवासीय उपयोग हेतु उचित नहीं माना था । जुलाई, 1976 में प्रकाशित प्रारूप, मास्टर प्लान में भी उक्त भूमि को रिजर्वेशन के रूप में प्रस्तावित किया गया था । उक्त प्रकरण पुन: 1992–93 में ही प्राप्त हुआ था जिस पर राज्य सरकार द्वारा कलक्टर की राय ली गयी थी तथा कलक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र में यह उल्लेख किया था कि भूमि अब समतल की जा चुकी है तथा वहां पर गड्ढे नहीं हैं तथा अब भूमि का आवासीय उपयोग किया जा सकता है । मुख्य नगर नियोजक ने भी वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर भूमि को खाली करने एवं समतल होने तथा आसपास आवासीय क्षेत्र विकसित हो जाने से भू-उपयोग आवासीय किये जाने पर सहमति दी थी । इस प्रकरण में विवाद होने के कारण सम्भागीय आयुक्त ने भी अपने स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जिसमें तकनीकी अधिकारियों को रखा गया तथा उस कमेटी ने 20 अक्टूबर, 1993 को बैठक कर अपनी सिफारिश कुछ शर्तों के साथ प्रस्तुत की, जिसकी सूचना सम्भागीय आयुक्त बीकानेर से अपने पत्र दिनांक 2 दिसम्बर, 1993 को राज्य सरकार को प्रेषित की । बीकानेर के माननीय विधायक श्री नन्दलाल व्यास एवं श्री रेवतराम पंवार ने भी अपने पत्र दिनांक 8.7.94 को प्रेषित कर उक्त जमीन का उपयोग भू-उपयोग रिजर्व से आवासीय में बदलने को उचित बताया है । तत्पश्चात् राज्य सरकार ने उक्त समिति की सिफारिश एवं सम्भागीय आयुक्त के पत्र में वर्णित शर्तों के साथ मास्टर प्लान में मात्र भू-उपयोग में परिवर्तन की स्वीकृति दी है । यह स्वीकृति स्वामित्व के सत्यापन की शर्त के साथ दी गयी है तथा इस क्रम में नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को इस प्रकरण में भूमि के स्वत्व बाबत रिपोर्ट भिजवाने हेतु निवेदन किया गया है, जो प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति महोदया, भूमि उपयोग में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी ? मैं मंत्रीजी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपके विभाग को यह पता है क्या कि यह भूमि पहले आवासीय थी या आज आवासीय

(श्री नरपतसिंह राजवी)

है ? इस प्रश्न का उत्तर अलग से माननीय मंत्री महोदय दे दें। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, पहले नगर नियोजन विभाग ने इस भूमि में 15 से 20 फीट खड्डे होना बताया, आज भी स्थिति वो ही है। बीकानेर का प्राचीनतम मंदिर लक्ष्मीनाथजी घाटी में सबसे ऊपर स्थित है। वहां से लेकर बल्लभ गार्डन का जो भूखण्ड है, वह 45 फीट के अन्दर है। बीकानेर का सारा गन्दा पानी उसी क्षेत्र में जाता है और जितना भी नेचुरल टेरेन बना हुआ है पानी निकासी का, बरसात का, अगर उसको आप बन्द कर दें, तो भू-उपयोग को चेंज कर दिया जाएगा। वहां की तकनीकी समिति ने भी परिवर्तन करने की अनुमति दे दी। वे लोग तो वहां से चले जाएंगे, वहां पर जो रहने वाली आबादी है, बीकानेर को ऐसा नुकसान होगा जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले तो यह जमीन खरीदी उस पर भी प्रश्नचिन्ह लगा। जो मुख्तारनामा, जो मुझे जवाब दिया उसमें भी कहा है कि उसको बेचने का अधिकार था। मुख्तारनामा मेरे पास है, मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मुख्तारनामा में कहीं भी यह लिखा नहीं है। वह रजिस्ट्री करा सकता है। लेकिन रजिस्ट्री तब करायी जाएगी जब राजमाता साहब स्वयं उसकी कीमत तय करेंगी। मेरे द्वारा तय की गयी कीमत पर रजिस्ट्री करायी जाएगी। अन्य भी, 2-3 ऐसे मामले थे जिनमें उन्होंने इसी जमीन के सम्बन्ध में मुख्तारनामा दिया। उन्होंने सेल में स्पष्ट लिखा है कि राजमाता साहब ने जमीन तय की, कीमत तय की और उनके आदेशानुसार मैं यह रजिस्ट्री करवा रहा हूं। रजिस्ट्री में इस प्रकार का है। रजिस्ट्री के अन्दर दो और दो चार हैं, उनके अन्दर 5 लिखे हुए हैं, गणना में गलती है। इसको भी कम से कम देखा जा सकता है।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 में सक्यूंलर निकला जमीन को सीलिंग से मुक्त होने के लिए। सोसायटी कोई भी जमीन खरीदती है, एग्रीमेंट भी लिखती है, उस एग्रीमेंट के आधार पर उसको मुक्त किया जा सकता है। सीलिंग का रिटर्न भरा, सीलिंग के रिटर्न में उन्होंने उस जमीन को खुद की बतायी। बाद में 81 का सक्यूंलर आया, 1983 में उन्होंने एग्रीमेंट किया, सन् 1975 की डेट देकर और बीफन सोसायटी भी लिक्वीडेशन में थी, जसरासर गृह निर्माण सहकारी समिति, जिसका कार्य क्षेत्र भी जसरासर ग्राम था, उस सोसायटी को उन्होंने बेची, वह जून, 1975 में जाकर रजिस्टर्ड हुई। दिसम्बर, 1975 में उन्होंने बेचना बताया। लेकिन सहायक रजिस्ट्रार वहां का कहता है कि मुझे, कोई भी इस जमीन के बारे में उन्होंने कोई इकरार किया हो, उसकी सूचना नहीं दी।

(13.00)

उन्होंने कोई जमीन खरीदी हो या कोई और लेनदेन किया हो, इसकी सूचना नहीं और उसके बाद में वह डिफंक्ट होती है, यह सम्भव नहीं था। लिक्वीडेशन में वही सोसाइटी जायेगी, लिक्वीडेशन में जाने वाली सोसाइटी की असेट्स और लाइबिलिटीज दोनों सामने आती हैं। पहली साल भी अंकेक्षण नहीं हुआ, यह समझ में नहीं आता लेकिन बैक डेट में सारी कार्यवाही

(श्री नरपतसिंह राजवी)

की गयी थी इसलिए यह पकड़े गये। अंके-क्षण उसके बाद हुआ या नहीं हुआ, यह भी हम पूछना चाहते हैं। अगर यह आबादी भूमि पहले से ही कन्वर्टेड भूमि थी तो क्या 81 के सक्यूलर का लाभ उसको मिल सकता था? जहां लाभ लेना था वहां पर कृषि भूमि बता दी। कृषि भूमि बताकर सोसाइटी के नाम से बाईलाज एक्सटेण्ड करा लिये, हालांकि कंट्रीब्यूटरी जसरापुर और बीकानेर की नहीं लेकिन फिर भी उसका कार्यक्षेत्र बढ़ाया और बाईलाज में परिवर्तन किये। सभापति महोदया, राजस्थान में कितनी ऐसी सोसाइटीज हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, हालांकि यह को-आपरेटिव मंत्री नहीं हैं। बहुत कम ऐसी सोसाइटीज होंगी जिनका कि कार्यक्षेत्र बदला है। दूदू की रजिस्टर्ड सोसाइटी का कार्यक्षेत्र अगर जयपुर तक बदल दिया जाये तो कानून अपने हाथ में लेकर कोई भी सोसाइटी कैसे भी काम करेगी। उसके बाद में उन्होंने 92 और 91 में फिर प्रार्थना पत्र दिये और उनकी भाषा है कि हमारे द्वारा धारित पट्टेशुदा फ्री होल्ड भूमि अगर सोसाइटी को बेच दी तो वह हमारी कहां से है। वह सोसाइटी की जमीन है। सोसाइटी उसके ऊपर दरख्वास्त दे। मैं चाहूंगा कि इसको मंत्रीजी गम्भीरता से लें। जो भू-परिवर्तन की उन्होंने अनुमति दी है वह सशर्त दी है, यह मैं मानता हूं लेकिन वहां पर 15 से 20 फीट के गड्ढे हैं या नहीं है, वह आज भी जांच कराई जा सकती है। अगर गड्ढे हैं और बाद में जाकर उसका नुकसान होने वाला है बीकानेर की पूरी आबादी को, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। जो भी आदेश पारित किये हैं, उनके ऊपर वर्तमान में रोक लगे। इसकी पूरी जांच हो और मैं चाहता हूं कि अभी वर्तमान में एक एस.डी.ओ. को जांच दी है, आपके इस विभाग के डाइरेक्टर भी हैं उनकी और जिलाधीश की एक समिति बनायें और उसकी जांच करा ली जाये। वे वस्तुस्थिति वहां पर जाकर देखें। वहां के वाशिंदों से जाकर पूछें। हो सकता है हमारे माननीय विधायकों ने इसका समर्थन किया हो और इसको पारित करने के लिए कहा हो लेकिन जो विधान सभा के सदस्य हैं यह उनके क्षेत्र में नहीं है, न यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का सवाल है लेकिन बीकानेर का क्योंकि मैं रहने वाला हूं और बीकानेर का रहने वाला होने के नाते वहां की समस्याओं के प्रति भी सजग हूं, मैं चाहूंगा कि इसकी गम्भीरता से जांच की जाये और जांच के उपरान्त ही भू-उपयोग का कोई परिवर्तन किया जाये।

सभापति महोदया, मंत्री जी एक बात जरूर बता दें कि सोसाइटी के बारे में जो इन्होंने जवाब दिया है उसमें लिखा है, सोसाइटी के सम्बन्ध में लाखों गज जमीन इन्होंने जवाब में मानी है लेकिन सीलिंग सीमा से फिर भी कम है। यह समझ में नहीं आता। यह दोनों बातों में विरोधाभास क्यों है? अगर 8-10 लाख गज जमीन है तो सीलिंग सीमा से कम नहीं होगी। उन्होंने अगर कृषि भूमि का आधार लेकर फायदा लिया है और आज स्वयं की पट्टेशुदा जमीन मानते हैं तो पट्टेशुदा जमीन हमेशा आवासीय भूमि होती है। जहां कानून का लाभ लेना था उन्होंने तोड़-मरोड़कर उसका लाभ लिया। आज भू-उपयोग चेंज कराकर उस जमीन को वह

(श्री नरपतसिंह राजवी)

लोग बेच रहे हैं। सब–डिविजन अप्रूव नहीं हुआ फिर भी जमीन बिक रही है। सरकार उसके बाद में क्या करना चाह रही है? अगर एनक्वायर हो रहा है तो कम से कम रजिस्ट्रार को या कलक्टर को यह आदेश होने चाहिए कि इसका बेचान नहीं हो। बेचान होने के बाद अगर इस पर किसी ने मकान बना लिया, उसको हम रोक नहीं पायेंगे और नहीं रोकेंगे तो होने वाला नुकसान हमेशा इतिहास में लिखा जायेगा कि हम भी इस विधान सभा के सदस्य थे और हमारी सरकार के मंत्री ने इसका भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुमति दी। मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसमें बतायें कि यह इन्क्वायरी किससे कराना चाहेंगे?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, इस प्रश्न में कई बातें सम्मिलित हैं। कौन इसका मालिक है, किस को इसके बेचने का अधिकार है, यह विषय तो हमारे विभाग का है नहीं। अगर उसने रजिस्ट्री ठीक नहीं कराई और गलत करा ली, किसी तरह से मालिक नहीं बनना चाहिए था और बन गये तो, माननीय सभापति महोदया, यह तो सम्बन्धित अदालत में या जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनके पास ही कोशिश करनी पड़ेगी।

श्री नरपतसिंह राजवी : कलक्टर सक्षम है। इसलिए मैंने कलक्टर के लिए कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो कलक्टर को अप्रोच कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो यू.आई.टी. से सम्बन्ध है केवल। हम तो बीकानेर का जो नगर विकास न्यास है, उस तक ही सीमित हैं। उन्होंने इसके भू–परिवर्तन की बात कही है, उसी हद तक मेरा उत्तर भी सीमित होगा और वहीं तक हमारा अधिकार है।

इसके लिए आपने कहा है कि इसका भू–परिवर्तन गलत किया गया तो जैसे मैंने प्रारम्भ में कहा कि कितने ही लोगों से सलाह के बाद यह भू-परिवर्तन किया है और इतना ही नहीं, जब हमें थोड़ा सन्देह हुआ तो कमिश्नर जो बीकानेर के थे उनसे कहा कि आप इसकी जांच करो कि वास्तव में यह भूमि आवासीय उपयोग में आ सकती है या नहीं आ सकती है। जो सम्भावित खतरे हैं, वे उसका उत्तर दें, उन्होंने ही अपने स्तर पर इसके बारे में एक कमेटी बनाई जिसमें श्री जे.आर. चौहान, एडीशनल डिविजनल कमिश्नर, बीकानेर, श्री आर. कुम्भट, सीनियर टाउन प्लानर, बीकानेर; श्री बी.के. शर्मा, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर (ड्रेनेज), पी.एच.ई.डी., बीकानेर; श्री जसराज, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी.एच.ई.डी. डिविजन इन्दिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, बीकानेर एवं श्री बी एल. बोथरा, सेक्रेटरी, यू.आई.टी., एज मैम्बर सेक्रेटरी थे। ये मौके पर गये और उन्होंने जांच की। एक मीटिंग करके इन्होंने, वह पूरी प्रोसीडिंग्स तो पढ़ने का लाभ नहीं है पर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वह मैं निवेदन कर देता हूं :

The Committe is in complete agreement with the view expressed by the C.T.P. vide his letter to the U.D.H. Department which are based on the opinion of the H.T.P. Bikaner. all the four pockets, namely B–1, B–2, B–3 and B–4,

(श्री भंवरलाल शर्मा)

are found to be suitable for housing purposes and the land use of the same is recommended to be changed in the master plan accordingly. However, following conditions as suggested by the C.T.P. should be attached.'

उन्होंने भी इसको आवास के लिए ठीक मान लिया लेकिन कुछ शर्तें लगायीं :

'1-No construction should be allowed within the range of 30 metres on either sides of the Nala. The line of 30 metres will be marked in the map of the U. I. T. in consultation with the H. T. P.

The parties will construct protective wall with a height of 2½ at the end of the boundary at 30 metres as mentioned in sub para (2) above. The parties will get shifted the electric poles passing through the pockets B-3 and B-4 at their own cost. The development of the housing colony in the area is not likely to disturb the outlet of drain water of the Bikaner city, as these pockets are at very high level and even the increased drain water is not going to over flow the Nala at these points.

3. The Executive Engineer, P.H.E.D. (Drainage) and P.H.E.D. Division, IGNP stated on the site, during the course of inspection that the land composition of this area is not likely to create any hazard to the houses, if they are constructed there. The land is not sandy but, on the contrary, it is a hard soil with pieces of 'mud' and 'kankar' mixed therein.

The Committee agree with this observation.'

यह उन्होंने रिपोर्ट दी। फिर डिविजनल कमिश्नर ने इस रिपोर्ट के साथ अपनी राय भेज दी। अब उसमें हमने जो परमिशन दी है, आपकी चिंता मैं समझ रहा हूं और उसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने जो परमिशन दी है, it is with conditions. पहली कन्डीशन तो यह है कि वह यह साबित करेगा कि वह इसका मालिक है या नहीं है। He has to prove कि वह इसका मालिक है या नहीं। अगर वह जमीन के मालिक हैं तो लैण्ड यूज चेन्ज माना जायेगा, नहीं तो नहीं मानी जायेगी। दूसरी, वहां ऐसी परिस्थिति है कि उसमें मकान बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, नाले का पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा यह सब बातें हैं, उसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें बता दीं कि उनकी पालन करें। उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि जो कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी वहां आवासीय कालोनी बनी तो कुछ खतरे होंगे तो मैं यह कर सकता हूं कि जिसके लिए आप कहें वह वहां की भौतिक स्थिति देखकर अपनी राय दे दें कि हाउसिंग परपज के लिए है या नहीं है। तो एक बिन्दु तो आपका यह ठीक हो जायेगा।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दूसरा जो कमिश्नर बीकानेर ने हमें चिट्ठी लिखी है कि परमिशन किन शर्तों के साथ दी जाये उसमें एक कन्डीशन उन्होंने लिखी है :

'Change of land use and approval of the plan by U.I.T. would be subject to the verification of the title, by the Collector, Bikaner. तो कलक्टर बीकानेर इसकी जांच करेगा कि यह इसके मालिक हैं या नहीं हैं तभी यह आदेश उनके काम में आयेगा वरना नहीं आयेगा। दोनों का समाधान इस तरह से हो जायेगा। शायद अभी आपकी जानकारी में है कि कलक्टर इसकी जांच नहीं कर रहा है और एस. डी. एम. को कह दिया उन्होंने...

श्री नरपतसिंह राजवी : आपके जवाब में लिखा है यहां, कलक्टर और डायरेक्टर दोनों मिलकर जांच करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने बीकानेर कलक्टर को लिखा है। (व्यवधान) अब दोनों तो कहां जायेंगे ?

श्री नरपतसिंह राजवी : एक दिन जाना है। कोई दिक्कत नहीं है'।

श्री भंवरलाल शर्मा : कलक्टर वहां जांच कर रहा है, ओनरशिप की तो कर लेने दीजिए और इसका भू-उपयोग ठीक है या नहीं उसके लिए आप कहें तो जो कमेटी मैंने बताई if you don't agree with the Committees report, तो आप बता दें उसको भेजकर हम जांच करवा लेंगे।

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदया, मंत्री महोदय का ध्यान मैं पहले इस ओर आकर्षित कर चुका था, पत्र भी मैं लिख चुका था। यह अमानीशाह का नाला है वैसा नाला नहीं है वहां पर। रजिस्ट्री के साथ में जो नक्शा लगाया है या पट्टे के साथ में जो नक्शा लगा है उसमें खुद में दिखाया हुआ है, जिग-जैग जिस तरह से चम्बल में रेवाइन्स बनी हुई हैं, उस प्रकार की स्थिति है। एक उसमें शर्त यह भी है कि 30 मीटर तक निर्माण नहीं होगा। एक नाला थोड़े ही है। पानी के जाने के स्थान को यदि बन्द कर देंगे, अगर परमिशन देनी है तो अमानीशाह के नाले में भी मकान बने हुए हैं उनको परमिशन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है ? टोपोग्राफी तो आज भी चेन्ज नहीं हुई है। 30 फीट का खड्डा किसी ने भरा दिया हो, यह मेरी समझ में तो नहीं आवा। मैं खुद वहां पर जाता हूं, देखता भी हूं। उन्होंने खुद ने एप्लीकेशन में लिखा है कि भरने का हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन कलक्टर कहता है कि जमीन समतल कर दी गयी है। अब अकेले उसके माध्यम से जांच करायेंगे तो कलक्टर तो अपने प्रिडिसेसर को प्रोटेक्ट करेगा। प्रश्न इतना है कि अगर यहां से भी एक अधिकारी चला जाए, एक दिन जाकर वहां पर देख लें टोपोग्राफी अगर वास्तव में अलाउ नहीं करती है तो उसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता कहां है ? भू-उपयोग चेन्ज करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कलक्टर पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्यों कि पूर्व के जिलाधीश ने जो भी निर्णय लिया है, वह शायद उसको प्रोटेक्ट करेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, अगर आप सन्तुष्ट हैं तो मैं आपकी राय से सहमत हूं, यहां से हम डी.एल.बी. को भेज देंगे। वे भी जाकर मौके पर देख लेंगे।

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम, सदस्य, विधान सभा, श्री गंगानगर शहर में सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं होने से शहर में फैल रही गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। (अनुपस्थित) प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सर्किल बीकानेर के लाडनूं उपखण्ड के कृषकों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

लाडनूं उपखण्ड के कृषकों को विद्युत कनेक्शन न देने से उत्पन्न स्थिति

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, सर्किल बीकानेर के लाडनूं उपखण्ड के कृषकों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदया, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बीकानेर वृत्त के अधीनस्थ लाडनूं उपखण्ड के क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.3.94 तक 34 आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करवाई गयी थी। उनमें से 27 आवेदकों को मार्च, 95 तक कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। दिनांक 31.3.95 तक 52 आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करवाई गयी है जिसमें से सात वर्ष 1993-94 के भी हैं। इनमें से वर्ष 1994-95 में 19 आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। इस प्रकार लाडनूं उपखण्ड में दिनांक 3 मार्च, 1994 के पहले तक के डिमाण्ड नोटिस के जमा पैसे वाले सभी आवेदकों को वर्ष 1994-95 में कनेक्शन दिये जा चुके हैं। इन कनेक्शनों के जारी होने के पश्चात् इस उपखण्ड में अब 31.3.95 तक के केवल 33 आवेदकों को कृषि कनेक्शन दिया जाना शेष है। वर्ष 1992-93 के दौरान केवल मात्र दो आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करवाई गयी थी, उन्हें 1993-94 के दौरान ही कनेक्शन जारी कर दिये गये थे। वर्ष 1994-95 के दौरान कुल 46 कनेक्शन जारी किये गये हैं। कनेक्शन ग्रामवार वरीयता के क्रम में ही दिये गये हैं। इस प्रकार इस उपखण्ड की स्थिति अपेक्षाकृत काफी अच्छी रही।

शेष बचे आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी नहीं कर सकने का मुख्य कारण आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति नहीं होना है। कंडक्टर की देशव्यापी कमी रही है। सर्किल स्टोर द्वारा उपखण्डों को सामान आवंटन में वृत्त स्तर पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाता है क्योंकि सर्किल स्टोर में प्राप्त सामान का पुनः वितरण खण्ड, उपखण्ड क्रमवार उनकी मांग के अनुपात में ही किया जाता है।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बीकानेर वृत्त के अधीनस्थ विभिन्न उपखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.3.95 तक 564 आवेदकों की डिमाण्ड नोटिस राशि जमा है जिन्हें कनेक्शन देना शेष है जबकि लाडनूं उपखण्ड के केवल 33 ऐसे आवेदक ही शेष हैं। इस वृत्त के अन्तर्गत ऐसे सभी आवेदकों को जिनके द्वारा दिनांक 31.3.95 तक डिमाण्ड नोटिस राशि जमा करवा दी गयी है, उन्हें वित्तीय वर्ष 1995–96 के दौरान कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदया, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि 31.3.94 तक 34 आवेदकों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाई। 31.3.94 और 1993–94 में कोई अन्तर नहीं है। एक ही बात है। उसके आगे जाकर आपने बता दिया 1993–94 में केवल दो आवेदकों ने ही राशि जमा करवाई।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 1992–93 में।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह 1993–94 लिखा हुआ है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 1993–94 में तो किये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : 1993–94 के दौरान केवल मात्र दो आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाई तो 1993–94 और 31.3.94 में क्या फर्क है? आपने ऊपर कहा है कि 34 आवेदकों ने जमा करवाई और आगे कह दिया केवल दो ने ही जमा करवाई थी, उनको कनेक्शन दे दिया। आगे आपने यह कहा है कि 1993-94 के सभी कनेक्शन आपने 31.3.95 तक दे दिये हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 1992–93 है। 92–93 के दौरान केवल मात्र दो आवेदकों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाई गयी थी जिनको 1993-94 में कनेक्शन दिये गये।

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा मेरा यह था कि जब दो साल के आपके पेण्डिंग हो गये, 1993–94 और 1994–95 में, 1993–94 की लिस्ट अभी आपने कम्प्लीट की है। 1994–95 का फिर पूरा साल निकल गया, इसके भी 52 कनेक्शन और हो गये। आगे आपने यह भी कहा है कि 1994–95 में से 19 आवेदकों को आपने कनेक्शन दे दिये। 1993–94 के कनेक्शन कम्प्लीट किये बिना ही इस साल के कनेक्शन आपने कैसे दे दिये?

एक प्रश्न मेरा यह है कि आपने यह कहा कि सर्किल स्टोर से सामान सबको बराबर दिया जाता है। इसके साथ आप यह भी बतायें कि जो भी कनेक्शन बाकी रहे हैं, उपखण्डवाइज आप यह देखें कि कौन से महीने तक के किस उपखण्ड में बाकी रहे हैं। अगर समान अवधि के समान रहे हैं तब तो आप यह कह सकते हैं कि सामान देने में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मान लो कहीं कनेक्शन ज्यादा हों और कहीं कनेक्शन कम हों और सामान समान रूप से आप सबको बराबर बांट दें, तो वह तो समान रूप हुआ नहीं। समान रूप वह हुआ जितने कनेक्शन जिस महीने तक के बकाया

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हैं तो सबों में एक साथ बकाया रहना चाहिए सामान की अगर कमी है तो।

एक मेरा यह भी प्रश्न है, गांववाइज आपने प्रायोरिटी तय कर रखी है यह तो बात ठीक है लेकिन जब डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो जाती है उसके बाद में आपने उपखण्डवाइज प्रायोरिटी रखी है कि जिस प्रायोरिटी में उपखण्डवाइज डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हो गयी है उसे आप उसकी प्रायोरिटी मानते हैं। इसी हिसाब से सर्किल लेवल पर सारे उपखण्डों को समान रूप से देखा जाए, मेरा उद्देश्य यह था। इसका उत्तर आपने इसमें दिया नहीं है। इसका साफ उल्लेख मैंने मेरे प्रस्ताव में किया था।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं दे देता हूं उत्तर। रतनगढ़ डिवीजन में लगभग 150 कनेक्शन बाकी थे जिनको 420 किलोमीटर कंडक्टर दिया गया और चूरू डिवीजन में 180 के करीब बाकी हैं, इनको 290 किलोमीटर कंडक्टर दिया गया। पक्षपात यदि हुआ है तो लाडनूं सब डिवीजन के प्रति हुआ है जिनको दुगना कंडक्टर मिला है। सभापति महोदया, यह भी बता दूं कि एग्रीकल्चर कनेक्शन्स की जो पैण्डिग स्थिति है, वह यह है कि लाडनूं में केवल 33 बाकी हैं, सुजानगढ़ में 43, रतनगढ़ में 63, डूंगरगढ़ मे 130, चूरू में 15, सरदारशहर में 39 और सादुंलपुर में 119।

श्री हरजीराम बुरड़क : सुजानगढ़ में आपने बताये 43, सुजानगढ़ में जितने भी आपने डिमाण्ड नोटिस निकाले हैं, राशि जमा कराई है, उसमें यह लिखा हुआ है कि 33 के.वी. का जब तक सब–स्टेशन नहीं बनेगा तब तक कनेक्शन नहीं देंगे क्योंकि वहां वोल्टेज रेगूलेशन नहीं बैठ रहा है। तो वह 33 के.वी. के सब स्टेशन का कोई प्रपोजल ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं हुआ तो उस डिमाण्ड नोटिस की कोई वकत ही नहीं है। उनकी राशि तो आपने यूं ही ले रखी है दो साल से। दो साल से एक भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज ही नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : एक वहां की छोड़ दीजिये। बाकी सब जगह का पक्षपात करने की अगर आप किसी मायने में कहें तो लाडनूं के साथ ही हुआ है। वहां ज्यादा कण्डक्टर मिले हैं। जहां आप जैसे विधायक हों, वहां सब-डिवीजन के लिए सामग्री कम नहीं रहेगी। पक्षपात होता नहीं है और यदि आप यह कहें कि पक्षपात हुआ है तो आपके साथ ही हुआ है, आपको ज्यादा कण्डक्टर मिले हैं और आपका जो परपज है कि सामान्य रूप से आप कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं, वह मैंने बता ही दिया कि इन सब को इस वर्ष में कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : वह पिछला है। इस वर्ष का कब दोगे फिर? दूसरी बात यह कण्डक्टर आपने कितना किलोमीटर दिया यह तो कनेक्शन की दूरी पर निर्भर करता है। मान लो 5 कनेक्शन में ही आपका 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चला जाए और कहीं अगर नजदीक में है तो वह कम जाएगा। मेरा सीधा सवाल यह है कि किस तारीख, किस महीने तक के कनेक्शन सब में बराबर बकाया है? संख्या

(श्री हरजीराम बुरड़क)

का मेरा सवाल नहीं है, मेरा कण्डक्टर कितने दिये, उसका सवाल नहीं है, सवाल सीधा सा है कि जितने कनेक्शन बकाया रहे वह सब डिविजनवाइज बराबर हैं? महीने दो महीने का अन्तर रह गया तो कोई बात नहीं लेकिन उसमें समानता हो, यह व्यवस्था आप करें।

दूसरा मेरा यह था कि आपका जो स्टोर सिस्टम है एस.ई. लेवल पर कण्ट्रोल करने का, यह बड़ा डिफिकल्ट है और इसमें खर्चा भी बहुत हो गया। जैसे मान लो वह बीकानेर से वापस सामान यहां लाडनूं लाये 250 किलोमीटर। दूसरा यह है कि एक आदमी के हाथ में आपने सारा सर्किल स्टोर का दे दिया और किस प्रकार से यह आपका सामान इश्यू करे, वह तो आपके पास सारी शिकायतें आयेंगी, यह मेरे कहने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप कोई सुधार करें जिससे इसमें भ्रष्टाचार मिटे।

आपके सारे एस.ई. एक ही निगाह रखते हैं कि ट्रांसफार्मर के लिए कौनसा काश्तकार आया या किस जे.ईएन. ए.ई.एन. को भेजें। इसका आप ईलाज करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वैसे काफी जगह स्टोर खोल दिये हैं जहां सामान रहता है। व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है लोड है, वहां के जोनल चीफ इंजीनियर को दे दिये, हमने एक्स. ईएन, एस.ई. को अपने यहां सैटलमेंट करने के लिए अधिकार दे दिये। उन पर कण्ट्रोल रखने के लिए आपकी सब-डिवीजन लेवल पर जो कमेटी बनाई है, यह अधिकार सम्पन्न है, यह एडवाइजरी कमेटी नहीं है। इसमें आप लोग यह बातें रखकर जो डिसीजन लेंगे, Board is bound to implement that decision और वहां पर लोकल लेवल पर कण्ट्रोल तभी आयेगा जब आप इन कमेटियों में जाकर इनको एक्टिव करें। मैं यह भी बता दूं, आप कहोगे कि कमेटियों की मीटिंग नहीं होती है, ये जो कमेटियां बनायी हैं इसके बाद तो विधान सभा शुरू हो गयी है, विधायक चूंकि उसमें इस समय नहीं रह सकते, इसलिए कमेटियों की मीटिंग नहीं हो रही है, मैं पर्सनली भी मानीटरिंग इस बात की कर रहा हूं कि कमेटियों की मीटिंग टाइम-टू-टाइम हो। टेलीफोन से उनसे कह कर, कलक्टर से बात करके, एस.डी.ओ. से बात करके इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

आपने जो सुझाव दिये हैं इन पर हम विचार करते हैं। आप भी मुझे इस विषय में बतायें कि क्या किया जा सकता है। वैसे आपने बताया कि सब समान रहें तो 2.3.1994 तक के जिनके डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा थे, उसके बाद के भी कई हो गये हैं लेकिन इसके पहले का कोई शेष नहीं रहा।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर): सब-डिवीजन लेवल पर जो कमेटियां हैं उनमें एम.एल.एज. को रखा है क्या?

राजस्थान इण्डियन मेडिसन बोर्ड में वैद्यों का पंजीयन न होने से उत्पन्न स्थिति

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य

(श्री सभापति)

संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान इण्डियन मेडिसन बोर्ड में प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण वैद्यों के पंजीयन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आयुर्वेद राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री का ध्यान राजस्थान इण्डियन मेडिसन बोर्ड का कार्य ठप्प हो जाने के कारण वैद्यों के पंजीयन, नवीनीकरण मे जो देरी हो रही है, उसकी तरफ आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय आयुर्वेद राज्य मंत्री।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन का गठन किया हुआ है। बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी के पद पर विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा को अपने कार्य के साथ–साथ श्री जे.पी. गुप्ता, तत्कालीन उप शासन सचिव, आयुर्वेद (निलम्बित एवं सेवा निवृत्त) प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन के स्थान पर दिनांक 2.2.95 से नियुक्त किया हुआ है। श्री रमेश चन्द शर्मा, आयुर्वेद चिकित्सक, बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर श्री विनोद कुमार जोशी, तत्कालीन रजिस्ट्रार (निलम्बित) के स्थान पर दिनांक 7.3.95 से कार्यरत हैं। बोर्ड में एक लिपिक को छोड़कर शेष 4 कर्मचारियों को अनियमितताओं में लिप्त पाये जाने के कारण निलम्बित कर दिया गया है। शेष एक लिपिक बोर्ड के लिपिकीय एवं कैशियर का कार्य देखते हैं तथा अन्य पदों को भरने हेतु तथा बोर्ड के कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा चुकी है। इस प्रकार बोर्ड का कार्य यथावत चल रहा है। अनियमितता करने वाले अधिकारीयों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर देने से आयुर्वेद समाप्त नहीं होगा बल्कि विभाग की उज्ज्वल छवि बनी है।

राजस्थान बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन, जयपुर में जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं की गयी हैं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में माननीय विधायक; श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में जो बिन्दु माननीय विधायक श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये हैं, उनके संदर्भ में निवेदन है कि गत बजट सत्र में बोर्ड में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न के उत्तर के दौरान जांच किये जाने का आश्वासन दिया गया था उसके अनुरूप अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद को इस प्रकरण में जांच अधिकारी तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी "अ" क्षेत्र, जयपुर को सहयोगी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड में की गयी अनियमिताओं से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां (लगभग 7000) को अपने कब्जे में लेकर अतिरिक्त निदेशक ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को दिनांक 11.11.94 को प्रस्तुत की। इस जांच को करने एवं अन्य राज्य

(श्री अचलाराम मेघवाल)

कार्यों के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक विभिन्न तिथियों में 45 दिन जयपुर में आये। चूंकि यह जांच रिपोर्ट रिकार्ड के आधार पर तथ्यात्मक जांच थी, इस जांच रिपोर्ट के आधार पर पायी गयी अनियमितताओं का पुनः गहराई से शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (आई ए. एस.) से परीक्षण करवाया गया एवं उनके द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनका उत्तरदायित्व बनता था, के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रस्तावित किया गया जिसका सक्षम अनुमोदन के बाद दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद द्वारा जो जांच की गयी, वे उप शासन सचिव, आयुर्वेद के किसी प्रकार अधीनस्थ नहीं हैं और न ही इन पदों पर रहे अधिकारियों के मध्य कोई पारस्परिक प्रतिद्वन्द्वता पाये जाने का कोई आधार रिकार्ड से प्रमाणित होता है। इसके अलावा यह जांच किसी कनिष्ठ अधिकारी द्वारा की गयी है, यह सही नहीं है क्योंकि अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के चयनित वेतन शृंखला के अधिकारी हैं जो बोर्ड में हुई अनियमितताओं के लिए राज्य सरकार के निर्देशों पर जांच करने के लिए सक्षम हैं।

श्री जे.पी. गुप्ता, तत्कालीन शासन उप सचिव, आयुर्वेद दिनांक 23.2.1995 से अवकाश पर प्रस्थान कर निरन्तर अवकाश पर थे। श्री गुप्ता के निलम्बन आदेश एवं आरोप पत्र दिनांक 25.2.1995 डिलिवर करने का सम्बन्ध है। श्री जे.पी. गुप्ता को सेवानिवृत्ति हेतु कार्यमुक्त होने कार्यालय दिनांक 28.2.1995 को आना था परन्तु जब वे इस दिनांक को कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए तो कार्मिक विभाग द्वारा जारी निलम्बन आदेशों एवं आरोप पत्र की प्रतियां उनके निवास स्थान पर वे उपलब्ध नहीं होने पर एवं परिवार के सदस्य द्वारा नहीं लिये जाने पर उनके निवास पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चस्पा कर दी गयी।

श्री जगदीश राम शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाई माधोपुर से सम्बन्धित शिकायत पूर्व में वर्ष 1991 में प्राप्त हुई थीं जिसकी जांच तत्कालीन निदेशक (आयुर्वेद) ने की। लगभग उन्हीं तथ्यों पर एक शिकायत चिकित्सक वैलफेयर एसोसिएशन ने दिनांक 6.1.1992 एवं 10.1.1992 को की, जिन पर विभागीय टिप्पणी भिजवाने हेतु पत्र 19.5.1994 द्वारा निदेशक, आयुर्वेद को लिखा गया। उनकी टिप्पणी अपेक्षित है। शिकायत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.2.1992 एवं सम्पादक "समाचार जगत" का कोई ज्ञापन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिला सतर्कता समिति, सवाई माधोपुर से श्री जगदीश राम, तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत दिनांक 12.1.1992 पर रिपोर्ट आना अपेक्षित है।

रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड ने दिनांक 24.2.1995 को राज्य सरकार को रामनारायण शर्मा, कैशियर द्वारा 1,84,482/– रुपये के बैंकर्स चैक तथा पोस्टल आर्डर पर यथा समय कार्यवाही न किये जाने की लापरवाही के बारे में अवगत कराया था। इस प्रकरण में जांच करने के लिए सहायक शासन सचिव, आयुर्वेद को नियुक्त किया जा चुका है। जांच रिपोर्ट

(श्री अचलाराम मेघवाल)

प्राप्त होने एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

जहां तक बोर्ड द्वारा वांछित योग्यताधारी वैद्यों के पजीयन किये जाने का कार्य है, यह कार्य स्वतंत्र रूप से नियमानुसार रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसन बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। श्री जे.पी. गुप्ता, तत्कालीन उप शासन सचिव, आयुर्वेद, जिन्हें इस बोर्ड का प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 1.3.1993 से नियुक्त किया गया था, स्वयं ने नियमों के विपरीत दिनांक 24.8.1993 को एक आदेश जारी कर रजिस्ट्रार को पाबन्द किया कि नवीन पंजीयन/श्रेणी परिवर्तन/स्थायीकरण से सम्बन्धित सभी प्रकरण उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही निष्पादित किये जावें। श्री जे. पी. गुप्ता, तत्कालीन उप शासन सचिव, आयुर्वेद ने स्वयं निर्धारित नियमों की अवहेलना की। उन्हें बोर्ड में हुई अनियमितताओं में जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है बल्कि प्रथम दृष्टया आरोप बनने पर ही शामिल किया गया है।

इण्डियन मेडिसन बोर्ड, जयपुर का कार्यालय निर्धारित समयावधि में नियमानुसार खुलता है। श्री जे.पी. गुप्ता, प्राधिकृत अधिकारी के स्थान पर दिनांक 2.2.1995 से शासन विशिष्ट सचिव, स्वास्थ्य विभाग प्राधिकृत अधिकारी तथा दिनांक 7.3.1995 से आयुर्वेद चिकित्सक, श्री रमेशचन्द्र शर्मा बोर्ड के रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। इस कार्यालय में पंजीयन व अन्य सभी आवश्यक कार्य नियमानुसार सम्पादित हो रहे हैं। होमियोपैथी बोर्ड से 3 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न करेंगे अभी तो। श्री शिवकिशोर जी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अभी 3 लाइनें बाकी थीं और मैंने सोचा कि ये 3 लाइनें और पढ़ेंगे मगर इन्होंने बीच में एकदम बन्द कर दिया इसलिए मैं बैठा रह गया।

श्री सभापति : इन्होंने सोचा कि वह आप पढ़ लेंगे।

श्री अचलाराम मेघवाल : यह मामला ग्राह्य हो गया इसलिए इन लाइनों को पढ़ना मैंने उचित नहीं समझा।

श्री सभापति : वैसे तो लाइनें बहुत हो गयी हैं, सैटिस्फाइड हो गये होंगे ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : सभापति महोदया, नहीं, मैं सैस्टिफाइड नहीं हूं और इसलिए नहीं हूं कि इन्होंने स्वयं जो डाकूमेंट सदन के सामने पढ़ा है, वह अपने आप में ही कई भ्रान्तियां पैदा करता है और इसलिए यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है।

इन्होंने कहा है कि बोर्ड का काम सुचारू रूप से चल रहा है। बोर्ड का काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है बल्कि एक साल से बोर्ड का काम बन्द है। पजीयन नहीं हो रहे हैं और उधर लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद के वैद्यों की वैकेन्सीज निकाली हैं। यहां से वह विद्यार्थी जिन्होंने आयुर्वेद की डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं अगर उनका पंजीयन नहीं होगा तो एप्लाई नहीं कर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सकेंगे। इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा इन्होंने कहा कि बोर्ड का काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, वह कब से चल रहा है, माननीय मंत्री महोदय, बतायें। 7 हजार फाइलें आपने अपने कब्जे में ले रखी है। इसके अलावा 1980 की फाइलें हैं। आपने किस तारीख को वह 3 आदमी डेपुटेशन पर लगाये हैं आप बतायेंगे और यह जो जांच चल रही थी वह कब से चल रही थी? सात हजार फाइलें उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने 17.4.1995 को आदेश देकर 3 आदमियों को लगाया है। कुल 5 क्लर्क काम कर रहे थे, एक चेयरमैन काम कर रहा था, एक रजिस्ट्रार काम कर रहा था। पिछले दसों रजिस्ट्रारों को, जितने भी रजिस्ट्रार इण्डियन मेडिसन बोर्ड में रहे उन दसों रजिस्ट्रारों को सस्पेंड किया गया। मंत्री महोदय आप यह बतायें कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड का आखिरी चेयरमैन कौन था? आखिरी चेयरमैन जिस दिन हटा उसके बाद से प्रशासक नियुक्त होते रहे और अन्तिम प्रशासक जो थे, वह थे श्री जे.पी. गुप्ता थे, उनको भी सस्पेंड किया है। अगर पूरे दसों रजिस्ट्रारों को सस्पेंड किया है तो पिछले जितने भी अध्यक्ष रहे थे, सभापति रहे थे या प्रशासक रहे थे उन लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अगर ये सारे रजिस्ट्रार दोषी थे तो निश्चित रूप से जितने भी अध्यक्ष, सभापति या प्रशासक रहे वह भी दोषी थे। उनको तो आपने सस्पेंड नहीं किया। केवल श्री जगदीश गुप्ता को किया और जगदीश गुप्ता के लिए भी आपने कहा कि 28 तारीख को उनकी यह चार्ज-शीट तैयार की। उस चार्ज-शीट को भी अगर आप देखें तो आपने 25 तारीख को वह चार्ज तैयार कर ली लेकिन 25 से लेकर 28 तक उसको डिलीवर नहीं की। आपने उसको भेजा 28 तारीख को। उसकी 28 तारीख को रजिस्ट्री की। एक तारीख को वह रजिस्ट्री उनको मिलती है। आपने देखा कि यह तो कानूनी गलती हो गयी। क्योंकि 28 तारीख को श्री बृजराजसिंहजी की डैथ हो जाने से सचिवालय में छुट्टी हो गयी थी। वह आदमी जाता है, क्योंकि आखिरी दिन था उन्हें वहां से रिटायर होना था, वह वहां पर जाते हैं और 3-4 लोगों से मिलते हैं। यदि आप उसकी जांच कराना चाहें तो उन लोगों के मैं आपको नाम बता देता हूं जिनसे वह सचिवालय में मिलते हैं। सचिवालय में जाते हैं लेकिन छुट्टी थी इसलिए वापस जे.पी. गुप्ता अपने घर चले जाते हैं। जे. पी. गुप्ता को 28 तारीख को चार्ज-शीट नहीं दी जाती है, रजिस्ट्री करवाई जाती है। आपने इसमें लिखा है कि हमने उनके घर पर उसको चस्पा करवा दिया 28 तारीख को। तो रजिस्ट्री काहे को की? 28 तारीख को आपने रजिस्ट्री की। वहां पर चस्पा करवा दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डियन मेडिसन बोर्ड, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय, यह हो रहा है जैसे कहावत है कि "दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को लगा दें।" उसी तरीके से आपने इण्डियन मेडिसन बोर्ड में लोगों को नियुक्त किया है जांच करने के लिए। आपने अतिरिक्त निदेशक को नियुक्त किया, उनके साथ में आपने जगदीश राम को लगाया। जगदीश राम

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

के बारे में लिखा है, मैं आपके ही डाकूमेंट को ही पढ़ रहा हूं,

"श्री जगदीश राम शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाई माधोपुर से सम्बन्धित शिकायत पूर्व में वर्ष 1991 में प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच तत्कालीन निदेशक आयुर्वेद ने की। लगभग उन्हीं तथ्यों पर एक शिकायत चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन ने दिनांक 6.1.1992 एवं 10.1.1992 को की, जिन पर विभागीय टिप्पणी भिजवाने हेतु पत्र 19.5.1994 को ..."

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 19.5.1994 के द्वारा निदेशक आयुर्वेद को लिखा गया है और उनकी टिप्पणी अपेक्षित है। 1994 में लिखा गया और 1995 आ गया। उसके बारे में टिप्पणी नहीं आयी अभी तक क्योंकि उसके भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं।

मेरे पास कोर्ट का एक निर्णय है जिसके अन्तर्गत एक अनुसूचित जाति के आदमी के साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए उनको सज़ा दी गयी है। मेरे पास एक ऐसा डाकूमेंट है, जिस चपरासी ने उनको रिश्वत का पैसा नहीं दिया उसके मेडीकल बिल को पास नहीं किया और रिश्वत मांगी, रिश्वत के पैसे नहीं दिये तो उस आदमी को कम्पलसरी रिटायरमेंट करने की बात कर दी। उस आदमी को उसकी जांच के लिए लगाया।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ही डाकूमेंट में एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिकायत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.2.92 एवं सम्पादक "समाचार जगत" का कोई ज्ञापन पत्रावली से उपलब्ध नहीं है। जिला सतर्कता समिति, सवाई माधोपुर से श्री जगदीश राम तत्कालीन जिला आयुर्वेद अधिकारी के विरुद्ध की गयी शिकायत दिनांक 12.1.92 यानि जनवरी, 1992 में रिपोर्ट आना अपेक्षित है। आज तक वह रिपोर्ट नहीं आयी और ऐसे अधिकारी को उसमें लगाकर आप इण्डियन मेडीसन बोर्ड की जांच करवा रहे हैं। आपने अपने डाकूमेंट में कहा कि मिस्टर भाटी, 45 दिन जयपुर में आये। एक भी डाकूमेंट आप ऐसा अगर प्रस्तुत कर दें जिससे यह सिद्ध हो सकता हो कि मिस्टर भाटी ने इण्डियन मेडिसन बोर्ड के उन चार अधिकारियों में से किसी से बातचीत की हो... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : परसादी लाल जी, वह जगदीश राम सवाई माधोपुर का है इसलिए आपकी सहानुभूति हो सकती है लेकिन इस विषय को डाइल्यूट नहीं करें। यह एक ऐसा मामला है...

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत लम्बा हो गया, जवाब नहीं आयेगा सही। माननीय सदस्य, सही जवाब नहीं आ पायेगा आप सिर्फ पाइंटेड प्रश्न पूछें। आप सारा भाषण ठोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, जैसा मैंने कहा....

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदया, आपने व्यवस्था दे रखी है सदन में ध्यानाकर्षण की...

श्री सभापति : आप किस व्यवस्था पर बोल रहे हैं, पहले तो यह बताइये ?

श्री विष्णु मोदी : व्यवस्था के प्रश्न पर। मेरा पाइंट आफ आर्डर है। I am on a point of order : (व्यवधान) इसलिए इसमें आप पाइंटेड प्रश्न करवाइये। आगे बहुत बिजनेस है। शिक्षा पर डिमांड है और यह भाषण हो रहा है। कालिंग अटेंशन है...

श्री सभापति : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : मैं बोलूं। मैं समझता हूं, आप जो सवाल कर रहे हैं, यह बात बिलकुल सही है, राजस्थान इंडियन मेडिसन बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में गड़बड़ हुई है (व्यवधान) 10 वर्षों से हो रही है और इस जे.पी.गुप्ता के पहले वालों ने, किसी प्रशासक ने कोई आर्डर नहीं दिये तो वो किसी केस में आते नहीं थे। इन्होंने प्रशासक बनकर आर्डर्स जारी किये इसलिए इनके खिलाफ तो इमीजिएटली कार्यवाही कर दी है, बाकी सबकी जांच हो रही है। इस बोर्ड को ठीक से रि–कांस्टीट्यूट करने की पूरी कार्यवाही हो रही है। इसलिए मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में अच्छा होगा कि आप मेरे से मिल लें या मंत्री महोदय से मिल लें। और अपनी सारी जानकारी दें। हम भी इस पक्ष में हैं कि इसकी पूरी जांच होकर इसको ठीक किया जाय।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य। श्री रोहिताश्व कुमार प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : मेरा इसमें एक सवाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : इसमें 2–3 प्रश्न उठते हैं। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा उसके लिए तो कुछ व्यवस्था देते।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अभी तक तो एक भी नहीं हुआ है, साहब, पूरा एक साल हो गया है। (व्यवधान) दूसरा, एक और...

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्रीजी ने उत्तर दिया ही नहीं और आपने बीच में वह...

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 1995

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री भीमसेन चौधरी, श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा विधेयक को जनमत जानने हेतु परि–

(श्री सभापति)

चालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, पहले ही आप मेरी बात सुन लेतीं तो अच्छा था। मुझे इस विषय पर बोलना था, आपने मुझे दो मिनट नहीं बोलने दिया। खैर, आपने मुझे अब मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करती हूं। सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान करा-धान (संशोधन) विधेयक, 1995 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

मंत्री महोदय, जो यहां पर बिल आया, वैसे इस बिल में केन्द्र सरकार.. (व्यवधान)

श्री सभापति : आयुर्वेद पर तो आप सुबह बहुत बोल चुकीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वह बिलकुल ही सत्यानाश कर रखा था इसलिए ठीक करना था। मुझे उम्मीद है कर लोगे लेकिन इसमें देरी मत करो, जल्दी करो तो होगा। देरी नहीं करो, देरी करने से बहुत नुकसान होगा।

माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय यहां पर एक संशोधन बिल लाये हैं और वैसे ही जैसे केन्द्र सरकार की ओर से जो पर्यटन के निमित्त बसें हैं उनमें जो सीटों के प्रकार हैं उस पर पैसा देकर लागू करो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बसों के रजिस्ट्रेशन के लिए अखिल भारतीय परमिटों के लिए जो व्यवस्था की गयी है उस सम्बन्ध में है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां पर जो बस व्यवस्था है, यूं तो बहुत अच्छी है और अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत सुचारू रूप से है। हमारी जो वर्तमान में बसें हैं वे भी बहुत बढ़िया हैं लेकिन यह व्यवस्था रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा हमारी बसें भी दूसरे प्रदेशों में जायेंगी। आज मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं कि जितने किलोमीटर रूट पर अन्य प्रदेशों की बसें हमारे यहां चलती हैं, न मालूम क्या बात है, उतने किलोमीटर हमारी बसें अन्य प्रदेशों में नहीं चल रही हैं। राजधानी से राजधानी तक जो व्यवस्था होनी चाहिए, उतने किलो-मीटर हमारी बसें नहीं चल रही हैं। मंत्री महोदय ध्यान दें।

बसों की व्यवस्था में एक अव्यवस्था और है। वह अव्यवस्था यह है कि जो राष्ट्रीयकृत राजमार्ग हैं, उन राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी निजी बसें चल रहीं हैं। वे बसें किन परमिटों के आधार पर चल रही हैं, मंत्री महोदय सम्भालें। हमारे यहां का जो पैसा है, आपके विभाग में जो...

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : I am on a point of order.

श्री सभापति : कहिये।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदया, अभी हाउस के सामने राजस्थान मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल है और माननीय सदस्या राष्ट्रीयकरण और पर-मिट और बस और...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नहीं समझेंगे, आपकी बस चलती है ना, आपके अधिकारों की हानि होने वाली बात है ना, इसलिए आप बीच मे बोल रहे हैं। मुझे मालूम है, किस–किस की बसें चल रही हैं और किस तरीके से आप विभाग के पैसों को आघात पहुंचा रहे हैं, हमारी आमदनी को आघात पहुंचा रहे हैं।

सभापति महोदया, मेला बसों के नाम पर नियमित बस संचालन होता है। एक–एक दिन का परमिट लेकर बहानेबाजी से बसों का सचालन हो रहा है। जयपुर के किसी भी मार्ग पर चले जाइये, वनस्थली मार्ग ले लीजिये और....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : सभापति महोदया, इनको दुरुस्ती फरमायें आप। इनकी कोई बस नहीं चलती है, इनका तो विमान चलता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बस स्टैण्ड के बाहर... (व्यवधान) रहने दीजिये आप। आप सफाई बाद मे देना। शांति–कुमार जी, मैंने आपकी तरफ इशारा नहीं किया। मैंने इशारा उसकी तरफ किया जो बोला था। अगर आप भी उसमें आते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

इस प्रकार से मंत्री महोदय को एक सलाह देना चाहती हूं, एक तो यह व्यव–स्था करें कि जितने किलोमीटर बस अन्य राज्यों की हमारे राज्य में आती हैं चाहे पर्यटन हो, चाहे अन्य मामलों में हो, उतने किलोमीटर हमारी बसें भी उस–उस जगह पर पहुंचनी चाहिए। आप मेरे विषय को गलत करना चाह रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय इस परिवहन व्यवस्था को सम्भालें। हमारी इससे छवि गिर रही है। मेरा आपसे निवेदन है, जयपुर ही नहीं अन्य बड़े–बड़े नगरों में ऐसी बसों का संचालन हो रहा है। यह पर्यटन को ही नहीं, सामान्य जन को भी नुकसान देने वाला है और हमारी जो परिवहन व्यवस्था है उसको लांछित करने वाला है। मैं कहना चाहती हूं, ठीक है, आप पर्यटन को बढ़ावा दें, हमारा पर्यटन उद्योग बढ़ेगा तो पैसा आयेगा। तीन तरह के केब्स के लिए मोटर केब्स, मेक्सी केब्स और ओमनी बसेज के लिए आप जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको जानबूझकर जनमत जानने के लिए रखा क्योंकि परिवहन विषय पर चर्चा नहीं होती और चर्चा नहीं होती तो मैं बात कहां करूं। मैं आपसे इशारा कर रही हूं, ऐसे–ऐसे लोग आपको बरगलायेंगे क्योंकि उनका खुद का हित है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह निवे–दन करना चाहूंगी, आप इस सारी व्यवस्था को सम्भालें। पर्यटन विभाग को भी बढ़ावा दें और ऐसे अन्य परमिटों के लिए आप कोई सुचारू व्यवस्था करें जिससे कि बस संचालन केवल राजस्थान परिवहन निगम ही कर पाये और अन्य बसें केवल सामान्य मेला हो उसके लिए तो चलें लेकिन आम तौर पर रोजाना दिल्ली चार बस जा रही हैं, बिना परमिट के जा रही हैं और किस तरह जा रही हैं, यह आप समझिये और इस व्यवस्था को सुधा–रिये।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : सभापति महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सभापति महोदया, माननीय परिवहन मंत्रीजी से आपके माध्यम से मुझे दो बातें कहनी हैं। पहली आपने इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में यह बताया है कि भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने आपको कोई सुझाव दिया उस हिसाब से आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। आपने यह भी बताया है कि उसमें 6 सीट तक के मोटर कैब्स के लिए 300 रुपये प्रति त्रैमासिक, साल भर के लिए 1200 रुपये है उसके स्थान पर आपने जो प्रस्तुत किया है, उसमें किया है एक हजार रुपये प्रति सीट प्रति बस। जो आपने सिफारिश बतायी है भारत सरकार की और जिस कारण से आप यह ला रहे हैं उसमें तो होते हैं 1200 रुपये और आपके इसमें छह सीट के लिए हो गये छह हजार रुपये। तो आपके जो उद्देश्य और कारण आपने बताये हैं उसका क्या मतलब हुआ? उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप आपका यह बिल नहीं है। पहला सवाल तो मेरा यह है।

दूसरा यह है कि जो बसें और गाड़ियां यह चलायेंगे, तो आप देख रहे हैं कि मौजूदा समय में कितनी ही ऐसी प्राइवेट गाड़ियां हैं जो आपके रोडवेज के रूट पर चलती हैं। सरेआम वह बुकिंग करते हैं जबकि उनका परमिट कैरिज परमिट है। वह एक साथ किसी सामूहिक कार्य के लिए जा सकते हैं लेकिन जगह–जगह आफिस लगा कर वह बुकिंग करते हैं। आप भी यहीं बैठे रहते हैं, आपके अधिकारी यहां बैठे रहते हैं और वह आपके सामने सारी जगह पर रोडवेज के रूट के सारे के सारे यात्रियों को ढोते हैं। इन दो का आप उत्तर दीजिये।

श्री सभापति : श्री भीमसेन चौधरी (अनुपस्थित) श्री रामनारायण मीणा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : सभापति महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पन्द्रह दिवस के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सभापति महोदया, माननीय यातायात मंत्रीजी ने जो यह अमेण्डमेंट बिल प्रस्तुत किया है उसके बारे में यहां यह कहना तो बेकार है कि ट्रैफिक में ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिस तरह से वसूली करते हैं एक लाइन में आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं बूंदी से कोटा जाता रहता हूं। एक शर्माजी इंस्पेक्टर खड़े रहते हैं, ट्रक वाले इतनी लाइन लगाते हैं कि हम जीप गाड़ी निकाल नहीं सकते और एक दिन तो थोड़ा झगड़ा हुआ, उसके कागज लिए, निशान ऐसा लगाते हैं कि कोई पहचाने ही नहीं, भाग जाते हैं और फिर हाथा–जोड़ी करके छूटने की बात करते हैं, पुलिस मदद करती नहीं है। माननीय मंत्रीजी, बहुत बदनामी होती है इस बात से। इतनी बदनामी हो रही है वहां बीच में, उसको तो आप देखेंगे। आपके ध्यान में नहीं होगा, मैं आज पहली दफा लाया हूं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री रामनारायण मीणा : खैर, यह जो आपने पेश किया है अमेण्डमेंट के नाम पर, इस पर मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदया एक जीप है, मान लीजिये महेन्द्रा है, छह सवारी या पांच सवारी की है, वह जीप कोई तो पास कर रखी है डिपार्टमेंट ने छह की, कोई कर रखी है सात की, कोई कर रखी है पांच की, आप एक हजार रुपये लेने की बात कर रहे हैं, उसी जीप के एक सीट बढ़ते ही स्लेब दूसरी हो जायेगी। आप कृपा करके एक अमेण्डमेंट निकालें, ऐसी जीप है या टैक्सी जीपें हैं, जीपों में ज्यादा हैं यह, मैं कारों की नहीं कहता, माननीय मंत्रीजी, जीपों में ज्यादा है, 6 एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, इनक्लूडिंग ड्राइवर। इस तरह के पुराने परमिट हैं उसमें किसी का दोष नहीं है। वह जैसा देखा, जैसा दिमाग उस परिवहन आयुक्त का बना, वैसे के वैसे आर्डर करते गये। अब आप इसको सिस्टेमेटाइज कर दें। कृपा करके आज ही इसको करें। नहीं तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। किसी को अनजाने में नुकसान होगा। आप टैक्स वसूल करेंगे और वह आपसे कहेंगे, कोर्ट में जायेंगे या नहीं भी जायेंगे। तो हजार-दो हजार रुपये का आपको नुकसान या उसको नुकसान है। क्योंकि पब्लिक का इंट्रेस्ट देखना आपका भी फर्ज है, इसको आप विशेष तौर से देखें। मेरा जहां तक ख्याल है, इसको देखेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगी। खैर, आप जो एक्ट ला रहे हैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहता हुआ इतना और कहना चाहूंगा कि रोडवेज में क्या हो रहा है। मैं नहीं कहना चाहता चेयरमैन, मंत्री या चीफ मिनिस्टर के लिए। इतना कहना चाहता हूं कि रोडवेज दिखावटी फायदे में जा रहा है। धड़ाधड़ घाटा हो रहा है। इसलिए घाटा हो रहा है कि रोड पर चलने वाली बसों पर कण्ट्रोल करने की क्षमता आप में नहीं है। कहां लीकेजेज हैं, कृपा करके इसको देखें और इसको कण्ट्रोल करें। थोड़ा तो कण्ट्रोल करें। मान लीजिये, रोडवेज के अधिकारी उसको चैक नहीं कर सकते, पुलिस क्यों नहीं चैक कर रही है? रोडवेज वाले उसके क्यों हाथ जोड़ें? आप कृपा करके व्यक्तिगत स्तर पर इसको देखें, अधिकारियों पर नहीं छोड़ें। यह मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रस्ताव क्या है आपका।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मुख्य सचेतकजी, आप पढ़ दीजिये उसको।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंहजी (अनुपस्थित)
श्री माधवसिंह दीवान (अनुपस्थित)
श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदया, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) वियधेक, 1995 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी तीन माह में प्रस्तुत करे। सभापति

(श्री विष्णु मोदी)

महोदया, यह जो अमेण्डमेंट सरकार लायी है, बेसिक जो मंशा उसकी रही है, जैसा इन्होंने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया है,

'The Ministry of Surface Transport, Government of India, has promulgated Motor Vehicles (All India Permits for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 vide G.S.R. 541 (E) dated 10.8.93 to promote Tourism. The Government of India has recommended the following rates of composite fee Tax for authorisation certificates to be issued with the Tourist permits under these rules :–'

यह इसका मेन आब्जेक्ट है और इसमें उन्होंने तीन तरह की जो गाड़ियां हैं उनका बताया है;

'1. Motor Cabs upto 6 seats Rs. 300/– per quarter.

2. Maxi Cabs 7 to 13 seats Rs. 3000/– per quarter.

3. Omni Buses 14 to 35 seats Rs. 12000/– per quarter.

जो इन्होंने आब्जेक्ट्स बताये उसमें बताया है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो दूसरी स्टेट्स से टूरिस्ट आयेंगे, जो गाड़ियां प्लाई करेंगी उनके लिए यह प्रेस्काइब्ड किया है। माननीय मंत्री महोदय, हो सकता है कमिश्नर साहब ने बना दिया, बेटेज हो गया होगा। यह बड़ी खोज का विषय है मंत्रीजी के लिए, इन्होंने देखा या नहीं देखा। इसमें खोज का विषय यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने जो रेट्स प्रेस्काइब्ड कीं, वह पर क्वार्टर कीं और खोज का विषय यह बन गया कि मंत्रीजी ने इसको एनुअल कर दिया और वह इसमें बताया नहीं।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : आपकी समझ का फेर है।

श्री विष्णु मोदी : ××× तो आपके ही नाम लिखा हुआ है सारा। (व्यवधान) माननीय सभापतिजी, तभी मैंने कहा कि यह बड़ी खोज का विषय है क्योंकि समझ का फेर है। तो समझ का फेर है इसलिए बड़ी खोज और अनुसंधान की आवश्यकता है।

श्री रोहिताश्व : अभी अनुसंधान कर दूंगा दो मिनट में।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : किस का अनुसधान ? मोदीजी का ही करना है क्या अनुसंधान ?

श्री रोहिताश्व : आप लोस कर चुके हैं उसका। (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी, आसन को सम्बोधित करें।

श्री विष्णु मोदी : अब– for vehicles contract carriages including motor cabs, maxi cabs, omni buses etc., जो यह बिल लाये हैं,' for car type motor cabs with seating

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री विष्णु मोदी)

copacity not exceeding five excluding driver Rs. 1000/– per seat per annum.

सभापति महोदया, जो मिनिस्ट्री ग्राफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की रिकमण्डेशन है वह Motor cabs upto six seats 300/– per quarter है ग्रौर जो मंत्री महोदय लाये हैं वह लाये हैं 1000/– per seat per annum. उससे तो 1200 रुपये होते हैं लेकिन इससे होते हैं पांच हजार। जब गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक मीटिंग रख कर पूरे स्टेट्स को बुला कर ग्रौर सर्वसम्मति से एक राय की ग्रौर वह रिकमण्डेशन की तो मेरा पहला तो सवाल मंत्रीजी से यह है कि मिनिस्ट्री ग्राफ सरफेस ट्रांसपोर्ट ने कान्फ्रेंस बुलायी थी तब ग्रापने वहां क्या सुझाव दिये थे? उसकी रेट ग्रौर सुझाव बतायें कि ग्रापने क्या रेट प्रेस्क्राइब्ड कीं? ग्रब जो यह रेट्स ग्राप लेकर ग्राये हैं, इन रेट्स से, माननीय सभापति महोदया, निश्चित रूप से राजस्थान के टूरिज्म पर ग्रसर पड़ेगा। टूरिज्म पर राजस्थान का बहुत बड़ा भविष्य है। हम हमेशा सीमित साधनों की बात करते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं। तो नान टैक्स रेवेन्यू में टूरिज्म वन ग्राफ दी ब्रिगेस्ट इण्डस्ट्री है जिससे कि हमारे स्टेट को बहुत बड़ी रेवेन्यू ग्राने वाली है। मैं समझता हूं कि जो यह रेट्स ग्रायी हैं, जो यह बिल सरकार लेकर ग्रायी है, उसकी कतई मंशा नहीं है कि टूरिज्म बढ़े। मैं समझता हूं कि टूरिज्म पर इससे निश्चित रूप से धक्का लगेगा। इसलिए ग्रावश्यक है कि इस बिल को समिति को सौंपा जाय ग्रौर उसमें उनके विचार जाने जायं। ऐसी कोई जल्दी नहीं है। 93 की रिकमण्डेशन है, ग्राप 95 में तो लाये ही हैं ग्रौर तीन महीने में कोई बहुत बड़ा ग्रसर पड़ने वाला नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : टूरिज्म मिनिस्टर साहब बिराजमान हैं, उनके भी विचार जान लें।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ग्राप बैठ जाग्रो, वह बता रहे हैं, ग्रापको पूरा ज्ञान नहीं है।

(14.00)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कह रहा था जब विचार जानने की बात ग्रा रही है तो मंत्री महोदय....

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : वही बात है। वह कह नहीं सकते, ग्राप कह रहे हैं। यही तो बात है।

श्री विष्णु मोदी : उनके भी विचार जानने चाहिए।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : मैं इनसे ग्रलग से बात कर लूंगी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, वह तो ग्रलग से बात कर लेंगी, हमारे सामने बात करना नहीं चाहती।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : नहीं–नहीं, ग्राप भी पधारें।

श्री सभापति : राज की बात है, बाहर नहीं की जायेगी।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, मेरा यह मानना निश्चित रूप से तीन सौ फॉर आल 5 सीट्स और वह भी क्वार्टरली, तो 12 सौ रुपये जहां होता है वहां यह 5 हजार रुपये कर रहे हैं। दूसरा, जहां 12 हजार रुपये होता है और 40 सीट होती हैं उसका तो ढाई तीन लाख रुपये हो जाता है। तो कौन वहां लायेगा ? वैसे ही पिछले आपके आंकड़े आये हैं कि टूरिस्ट घटे हैं।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : वह गलत है।

श्री विष्णु मोदी : वह अखबार में गलत होगा, अभी मैंने एक न्यूज आइटम था....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : Upto May, 85 to 95 per cent bookings are there in all the hotels.

श्री विष्णु मोदी : No. But I have read in 9 national news-paper that in totality the number which....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : I don't want to say much on that.

श्री विष्णु मोदी : तो, माननीय सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करें। हम सब मिलकर राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ायें। राजस्थान पिछड़ा हुआ है, हमारे सीमित साधन हैं और जो हमेशा यह बात आती है कि नान टैक्स रेवेन्यू बढ़े इसलिए जल्दबाजी नहीं करके इस विधेयक को समिति को सौंप दें।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदया, मंत्री महोदय जो यह बिल लाये हैं, "दी राजस्थान मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेण्डमेंट) बिल, 1995, जहां तक हम समझ पाये हैं, मंत्रीजी का कहना है कि जिस तरह से सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने आल इण्डिया परमिट जो व्हीकल्स लेते हैं उनकी कुछ रेट रिवाइज की हैं। जैसा पुष्कर से आने वाले सदस्य ने बताया, Motor Cabs upto 6 seats Rs. 300/- per quarter, Maxi cabs 7 to 13 seats Rs. 3000/- per quarter and so on. तो अब तक हम यह समझ पाये हैं कि चाहे कार हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे मिनी बस हो, चाहे फुल बस हो, जो आल इण्डिया परमिट लेंगे उनके ऊपर यह दरें निर्धारित की जायेंगी और आपने लिखा है, The Tourist vehicles of other, States who will opt the Rajasthan State as one of the States and will ply on the authorisation issued under above said rules will have to pay the tax as above. तो आपने इसकी जो टैक्स रेट प्रपोज की हैं, सभापति महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, Other than ordinary vehicles Rs. 10000/- per seat per annum. अब अगर 55 सीट की बस है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 हजार से। तो 5 लाख 50 हजार रुपये ईयरली होता है, जहां तक हम समझ पाये हैं। अब जो आल इण्डिया परमिट लेगी बस, 5 लाख 50 हजार रुपये कौन देगा सिर्फ राजस्थान को प्रोटेक्ट करने के लिए ?

श्री सभापति : मंत्री जी का जवाब आने दो।

श्री जुबेर खान : तो मैं बाद में पारण होगा उस स्टेज पर बोलूंगा, मैडम।

श्री सभापति : नहीं, आपकी बात हो गयी। आपका प्रश्न आ गया।

श्री जुबेर खान : तो अब इसमें जरा मंत्रीजी बतायें कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चार्जेज लेना चाहते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर तो कह रही हैं कि किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में आयें और हमारी आय बढ़े और आप जब बस के ऊपर साढ़े पांच लाख रुपये साल के लेंगे तो इनके तो आर.टी.डी.सी. के होटल वगैरह खाली पड़े रहेंगे। कौन आयेगा ?

दूसरा जैसे अपना एडजोईनिंग स्टेट हरियाणा टूरिज्म की दृष्टि से काफी विकसित है उसका भी जरा बता दीजिये, गुजरात का भी बता दीजिये कि उनकी रेट्स क्या हैं। उनकी रेट से हमारी तुलना ठीक है या नहीं है, यह मंत्रीजी बतायेंगे जब अपना जवाब देंगे।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी। (व्यवधान) आपके विचारों से आसन नहीं चलेगा।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सभापति महोदया, माननीय विधान सभा सदस्य श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री हरजीराम जी बुरड़क, माननीय श्री भीमसेन चौधरी, माननीय श्री रामनारायणजी मीणा द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि राजस्थान मोटरयान कराधान विधेयक, 1995 को क्रमशः 1 माह, 3 माह व 15 दिवस के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। इसी संदर्भ में माननीय श्री विष्णु जी मोदी, माननीय श्री जुबेर खान और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव को परिचालित किये जाने की बात कही है।

श्री सभापति : और लोग अनुपस्थित है।

श्री रोहिताश्व : कुछेक माननीय सदस्यों ने बिल से हटकर भी बात कही है जिसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा लेकिन रेट के मामले में मैं यह कहना चाहता हूं, मैं तो यह समझा था कि माननीय विष्णुजी मोदी दिल्ली रिटर्न हैं, जैसा कि सदन में कई बार बड़ी लम्बी चर्चा में आते हैं लेकिन आप शायद मात खा गये दिल्ली रिटर्न के मामले में। माननीय जुबेर खान जी ने भी बात रखी लेकिन वह समझ नहीं पाये। यह भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटर व्हीकल (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर) रूल्स, 1993 बनाये गये हैं और इसमें कर की दरें निर्धारित की गयी हैं। मैंने यह जैसे मोटर कैब्स 5 सीट की जो बात कही है इसको तीन सौ रुपये प्रति राज्य प्रति तिमाही...

श्री विष्णु मोदी : प्रति राज्य कहां है ?

श्री रोहिताश्व : आप रूल्स में देख लीजिये।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, उसमें, तीन सौ प्रति तिमाही इतना-सा लिखा हुआ है।

श्री रोहिताश्व : यह लिखा है कि for

(श्री रोहिताश्व)

car type moter cabs with seating capacity not exceeding 5 excluding driver Rs. 450/- per seat per annum (व्यवधान) आपके पास शायद कोई दूसरा है।

श्री विष्णु मोदी : पर स्टेट कहां है ?

श्री रोहिताश्व : पर सीट पर एनम, हर स्टेट के लिए उन्होंने यही रेट निर्धारित की है। सबको समान किया है। प्रत्येक राज्य के लिए समान कर निर्धारित किया है। यह नहीं है कि पहले जैसे अलहदा अलहदा होता था। उस सबको समान करने के लिए ऐसा किया है। इसलिए दिल्ली रिटर्न का मामला आपका डाउन हो गया।

श्री सभापति : समझ के फेर की बात आ गयी।

श्री रोहिताश्व : दूसरी बात माननीय जुबेर खान जी ने कही हमारी पर्यटन मंत्रीजी को इंगित करके कि आपके टूरिस्ट आने बन्द होंगे। आप समझे नहीं। हमने टूरिस्ट के लिए रेट्स कम की हैं, ज्यादा नहीं की हैं। आप पांच लाख बता रहे हो, आप इसको समझो। यह ओमनी बसें जिनके लिए कहा, क्वार्टरली 12 हजार रुपये यह पूरा 14 से 35 सीट वाली पूरी बस के लिए है। अब इसके मायने यह हो गया 48 हजार रुपये। जो हम लेते थे वह करीब एक लाख के लगभग था वह घटकर 48 हजार हुआ है। तो टूरिस्ट बढ़ेगा या घटेगा जुबेर खान जी से पूछ लीजिये।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, यह जो आप पढ़ रहे हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री जुबेर खान : यह ओरिजीनल है। आपने जो अमेंडमेंट प्रस्तावित किया है उसको जरा पढ़िये। आप जो पढ़ रहे हैं वह तो वह है जो मूल बिल से आपने एक्सट्रैक्ट लिये हैं कि यह पहले हमारे यहां का था और अब सब्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं, Rs. 1000/- per seat per annum. उसका जो लास्ट है आपका, वह है -

With seating capacity exceeding 20 excluding driver and conductor Rs. 5000/- per seat per annum.

अगर इसको आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ?

Other than ordinary vehicle Rs. 10,000/- per seat per annum.

That means if you multiply 10,000 to 55, it comes 5,50,000. आप यह लाने जा रहे हैं। आपने जो प्रस्ताव दिया है कि उसकी जगह हम इसको करने जा रहे हैं, इसमें लिखा है:-

Amendment of Schedule- A, Rajasthan Act No. XI of 1951-in Schedule - A of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. XI of 1951), the existing entries at serial No. 6 (2) shall be substituted by the following, namely :-

Then you have Prescribed Rs. 1000/ Per seat per annnm for car

(श्री जुबेर खान)

Rs. 3000/ for van and Rs. 4000/- for small buses. इसका आप बताइये। आप यह लेकर आ रहे हैं।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापति महोदया, माननीय जुबेर खान साहब शायद मिस अण्डरस्टेण्ड कर गये। यह जो दरें हैं यह हमारी अधिकतम दरें हैं। वर्तमान में जो टैक्स हम ले रहे हैं और राजस्थान राज्य में चलने वाली जो टूरिस्ट परमिट की बसें हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनिये।

श्री रोहिताश्व : उनका उतना ही देना पड़ेगा जो अभी तक दे रहे हैं। यह तो इस नये रूल के तहत जो बाहर से अन्य गाड़ियां आयेंगी और वह गाड़ियां उस स्पेसिफिक परमिट से....(व्यवधान) टेम्प्रेरी नहीं हैं। वे विशेष परमिशन के तहत आयेगी। उनके लिए यह अधिकतम दरें हमने निर्धारित की हैं ताकि समय आने पर इसको एडजस्ट किया जा सके।

श्री जुबेर खान : वह मांग रहे हैं बारह तिया छत्तीस हजार, आप मांग रहे हैं 5 लाख 50 हजार। कहीं तो तुलना कीजिये। (व्यवधान) सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने आपको दिया है....

श्री विष्णु मोदी : कहीं तो तुलना कीजिये (व्यवधान) क्योंकि हमने मैक्सि-मम....

श्री जुबेर खान : मोदीजी, एक मिनट। वह दिया है आपको कि आप छोटी कारों पर करेंगे रुपये तीन सौ पर क्वार्टर यानि तिमाही के तीन चौका बारह सौ हो गये और दूसरा सात से 13 सीटों पर करेंगे तीन हजार रुपये पर क्वार्टर, यह हो गये तीन चौके बारह हजार रुपये। तीसरे ओमनी बसेज 14 से 35 सीट्स पर करेंगे रुपये 12 हजार पर क्वार्टर, बारह चौके अड़तालीस हजार हो गये। (व्यवधान) अब बारह चौके अड़तालीस हजार और आपने इतना बढ़ा दिया, आपका मैक्सिमम जा रहा है 5 लाख 50 हजार। तो यह कहां तक बैठेगा ?

श्री रोहिताश्व : आप समझे नहीं। यह तो मैक्सिमम दरें तय कर रहे हैं हम (व्यवधान) यह हम विधान सभा में बार-बार थोड़े ही लाते रहेंगे। यह तो मैक्सि-मम कर रहे हैं। वर्तमान में हम जो ले रहे हैं वही ले रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मैक्सि-मम....

श्री जुबेर खान : आपका कहना है कि हम इसको आगे तक के लिए रख रहे हैं रिजर्व में, धीरे-धीरे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, साढ़े पांच लाख की तो बस भी नहीं आती और आप एक साल में साढ़े पांच लाख रुपये ले रहे हैं।.

श्री रोहिताश्व : एक साल में कहां साढ़े पांच लाख हो गये ?

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें है ना।

श्री रोहिताश्व : वे अधिकतम दरें हैं।

श्री विष्णु मोदी : कहां, यह तो ईयरली लिखा है। देखो, बिल में आपने कहां लिखा है ?

श्री रोहिताश्व : नहीं-नहीं, यह अधिकतम दर है।

श्री विष्णु मोदी : आप इसको पढ़ो, मंत्रीजी। देखिये, यह पढ़िये।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप इसको पढ़ो, मंत्रीजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्रीजी, आप अभी जो कह रहे हो बिलकुल ही बात उलटी हो गयी। साढ़े पांच लाख आपने मंजूर कर लिये और यह कह रहे हैं कि यह तो अधिकतम है। अधिकतम का प्रोविजन आपने बिल में कुछ नहीं रखा है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदया, (व्यवधान) यह साढ़े पांच लाख पर ईयर कह रहे हैं। बस की कीमत ही साढ़े चार लाख होती है। इसको फिर से आप विचारार्थ लें। यह नहीं लिखा है कि हम इसे कब से स्टार्ट करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे। यह बात तो इसमें है ही नहीं। इसमें आप....

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदया, मंत्रीजी को कहें कि बिल पढ़ें।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदया, आप खुद ही देख लीजिये, आपके पास बिल रखा हुआ होगा।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री विष्णु मोदी : आप पढ़ लें। मंत्रीजी क्या जवाब दे रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : या तो मंत्री महोदय कह दें कि इसमें छाप गलत दिया....

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदया, एक मिनट।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदया, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रोहिताश्व : नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, आप मेरी बात सुनिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक मिनट। ऐसा है कि मंत्रीजी जो बात बता रहे हैं वह तो बिलकुल नयी बात बता दी आपने.... (व्यवधान) कोई बिल आप लाओगे उसके उद्देश्यों और कारणों में सारा बताना पड़ता है। उद्देश्यों और कारणों में आपने यह बताया है कि 300 रुपये प्रति त्रैमास और आप ले रहे हो 5000 रुपये। दूसरी बात, अब आपने यह बता दी कि हम तो अधिकतम कर रहे हैं और आगे के लिए कर रहे हैं, दूसरी स्टेट्स के लिए कर रहे हैं। यह इसमें लिखना चाहिए था। उद्देश्यों और कारणों के विपरीत आपने यह पेश किया है इसलिए इसको स्थगित किया जाए और इसको उद्देश्यों और कारणों सहित दुबारा पेश किया जाय। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह नहीं है। यह व्यवस्था का मामला है। यह नहीं चलेगा।

श्री जुबेर खान : एकदम साढ़े पांच लाख रुपये। मंत्री महोदय, यह तो गलत कर दिया। हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो लेकिन जो बिल में लिखा गया है यह बिलकुल गलत है। आप इसको थोड़ा.... (व्यवधान) बहुत गलत लिख दिया। इसमें लिख दिया कि 10,000 per seat per annum,

श्री हरजीराम बुरडक : रुपयों का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उद्देश्यों और कारणों के विपरीत यह अमेण्डमेण्ट लाये हैं। सवाल यह है कि....(व्यवधान) रुपयों का सवाल नहीं है (व्यवधान) सवाल यह है कि इसमें जो उद्देश्य और कारण बताये गये हैं उनके विपरीत आपने यह अमेण्डमेण्ट पेश किया है।

श्री जुबेर खान : प्रत्येक सीट पर 10 हजार रुपये....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। एक साथ नहीं बोलें। विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : विराजिये आप। मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यवस्था का प्रश्न कहां जायेगा ?

श्री सभापति : इसी की तो व्यवस्था है।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत पहले जो रेट्स थी उसमें भी अधिकतम दरें और वर्तमान दरें निर्धारित की गयी हैं और इस वर्तमान....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें कहीं नहीं है।

श्री हरजीराम बुरडक : मंत्रीजी, आपने इसको पढ़ा है कि नहीं ? आप इसको पढ़ो कि इसके उद्देश्यों और कारणों में क्या लिखा है। उद्देश्यों और कारणों के विपरीत आपने अमेण्डमेण्ट पेश किया है। इसको आप विदड़ा करो। दूसरा पेश करो। सवाल यह है इसमें....(व्यवधान) अधिकतम क्या है ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाऊंगा। अब आपको मुझे सुनना होगा, अलाउ करना पड़ेगा। मुझे आप अलाउ कीजियेगा। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : विधान सभा में इस तरह का कोई विधेयक तो हो ही नहीं सकता।

श्री शिवनाथ सिंह : सभापति जी, इसमें निवेदन यह करना है कि....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं-नहीं, मुझे अलाउ कर दिया, साहब। उन्होंने नाम ले लिया मेरा।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अब मामला दूसरा हो गया।

श्री हरजीराम बुरडक : पहले आप कह रहे थे, समझ का फेर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये। सभी एक साथ न बोलें।

श्री शिवनाथ सिंह : हां, मैं अकेला बोल रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने किसको इजाजत दी ?

श्री शिवनाथ सिंह : अब मामला बिलकुल विपरीत हो गया।

एक माननीय सदस्य : नाम हो जायेगा आपका इस मामले में।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अभी जो प्रस्ताव हमारे सामने है सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए, उसका मामला बिलकुल पुल्टा हो गया। माननीय मंत्री महोदय ने जो फिगर्स दिये हैं, आपने कहा कि यह मैक्सिमम है, तो साढ़े पांच लाख रुपये मैक्सिमम कब तक पहुंचेंगे, न आपके इस बिल में प्रोविजन है, न और कोई बात है। इसलिए जो बिल आप लाये हैं, जो रेट्स आपने तय की हैं बिलकुल नासमझी में लिखी गयी है, इस बात को आपको स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। आप इस बात को स्वीकार करो और इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दो। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय, यह आपका संशोधन बेग है। यह बेग है। आप अगर इसको आगे तक बढ़ाने के लिए लाये हैं तो भी बहुत ज्यादा है। इस तरह तो जितना मूल नहीं है उतना ब्याज हो जाए। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए आप जो इस धारा 4 (ख) में संशोधन लाये हैं आप इसको फिर से पढ़कर देखिये, क्या वही अर्थ निकलता है या कुछ और करना है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि अगर कोई इस तरह का कंफ्यूजन हो और कोई स्पष्ट चीज नहीं है और कहीं गलती होने की आशंका है तो इसको प्रेस्टीज पाइंट न बना करके अभी इसको डेफर करा लें। मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूं। जब जे.डी.ए. का बिल आया था उस वक्त 2–4–5 धाराओं के ऊपर डिस्कस होने के बाद यह पाया गया कि बहुत सी धाराओं में बहुत सी विसंगतियां हैं और व्यावहारिक नहीं हैं इसलिए पूरा का पूरा बिल हमने वापस करके फिर एक कमेटी बैठाकर यहां पर लांज में दो चार बार डिस्कशन करके उस बिल को हम लाये थे। इसलिए इसमें कोई विभाग की प्रतिष्ठा का सवाल या कोई और बात या आपकी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। अगर कोई कार्यवाही नादानी में होने जा रही है तो उसको हमें डेफर करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजिये। आप सुनें तो सही।

श्री अमराराम चौधरी : 500 कर दें। इन्होंने जो एक जीरो आगे लगाया है वह गलती से लगा दिया।

श्री रोहिताश्व : माननीय सभापति महोदया, यह तो राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट धारा 4 (बी) के अन्तर्गत मैक्सिमम रेट सेड्यूएटेड हो गयी है इसलिए 1951 के बाद धारा 4 (बी) के अन्तर्गत हमको मैक्सिमम रेट बढ़ाने का अधिकार है।

श्री हरजीराम बुरड़क : उद्देश्यों और कारणों में आपने क्या लिखा है और

(श्री हरजीराम बुरड़क)

अमेण्डमेण्ड क्या है, आप यह बताइये। अधिकतम और न्यूनतम को छोड़ो। सीधा–सा लीगल पाइंट है....(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं....

श्री सभापति : बिराजिये आप एक साथ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आपका अधिकार है लेकिन इतने ज्यादा का अधिकार थोड़े ही है कि आप साढ़े पांच लाख रुपये खर्च.... (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय मंत्री महोदय, सदन में यह बात कहने की स्थिति क्या है ?

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। आप बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : आप (व्यवधान) मेरी बात तो सुनिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये। उप मुख्य मंत्रीजी बता रहे हैं कोई बात। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : हम भी खड़े हैं। कुछ तो ध्यान रखिये।

श्री सभापति : आपका ध्यान सबको है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ऐसा है, अभी जो रेट्स ली जा रही है वह रेट्स लेने का वर्तमान एक्ट में इनको अधिकार था वह मैक्सिमम अंतिम छोर तक पहुंच गया। मतलब अब उसमें एक पैसा भी अपने आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि भविष्य में कम्पीटिशन होगा इसलिए यह केवल अधिकार है कि हम इस रेट तक इसको बढ़ा सकते हैं। वरना चार्ज वही कर रहे हैं जो अभी वर्तमान में ये कर रहे हैं। केवल एक्ट में अधिकार हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : यह उद्देश्यों और कारणों के विपरीत अमेण्डमेण्ट है, सवाल यह है। रेट का सवाल नहीं है। हमारा सवाल यह है, रेट का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, (व्यवधान) माननीय भाभड़ा साहब तो खुद ज्ञाता हैं कि इसके आब्जेक्ट्स क्या हैं। आब्जेक्ट्स यह हैं कि इनकम को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री आफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की रिकमंडेशन थी इसलिए हम यह अमेण्डमेण्ट लाये हैं।

एक माननीय सदस्य : इसको पुनर्विचार के लिए ले लिया जाय।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : माननीय सभापति महोदया, अभी तक जो भी एक्ट हुआ है उसके अन्दर टैक्सी का है, पांच सीटर का है....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इस पर पुनर्विचार किया जाए और इसको

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रेस्टीज पाइंट न बनाया जाए कि हमने पेश कर दिया इसलिए यह होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अपने आप में यह बहुत बड़ा अन्याय होगा इसलिए इसको पुर्नविचार के लिए लिया जाए।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : जो पूरी बसें हैं, ओमनी बस है उसके लिए अभी तक कोई प्रोविजन नहीं था राजस्थान एक्ट के अन्दर इसलिए रखा गया है, और कोई बात ही नहीं है। खाली अभी तक जितना भी टूरिस्ट के लिए है, एक टाइप के लिए है मतलब टेक्सी के लिए है जो फाइव सीटर है। यह जाकर....(व्यवधान)

श्री सभापति : अब हो गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो-नो। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : किसी भी विभाग....(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो-नो। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा नहीं होगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, यह....(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : बिना सदस्यों को आश्वस्त किये हुए....(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रोहिताश्व कुमार, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो–नो। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदय, केन्द्र की ओर से.... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह एक अव्यवहारिक....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो भी अपनी बात कहना चाहें, अगर एक-एक कहेंगे तो मैं अनुमति दूंगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं और आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, मेरे को बोलने दीजिये। आप लोग बिराजिये, सुनिये जरा। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : जो सुझाव दिये जा रहे हैं उनको तो आप मान नहीं रहे हैं....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदया, केन्द्र से विनिर्दिष्ट गाइड-लाइन्स पर जो संशोधन लाया गया है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : जो अव्यवहारिक संशोधन के सुझाव हैं उनको तो आप मान रहे हो....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। प्रतिपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : नेता महोदय से पहले मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हम चेयर का सम्मान करते हैं और चेयर को भी हमारा सम्मान करना चाहिए। इस स्थिति में हमको नहीं डालना चाहिए कि हम चेयर का+++करें। आपका जो+++इस वक्त हुआ है, चेयर का जो इस वक्त+++हुआ है, मैं क्या शब्द उसके लिए प्रयोग करूं.... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : शब्द वापस लीजिये कि हम आसन का+++कर सकते हैं....(व्यवधान) आप कैसी बात करते हैं ? आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : पास नहीं किया है, पास नहीं किया है, पारित करने के लिए प्रस्ताव किया है, बिराजिये आप।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने चेयर से व्यवस्था कर दी....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : यह सदन का +++है।

श्री सभापति : विचारार्थ लिया है, पारित नहीं किया है। माननीय बिराजिये आप।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्री महोदय को पता ही नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : पारित करवाने से पहले आपको चर्चा करवानी चाहिये थी....(व्यवधान)

श्री सभापति : विचारार्थ लिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सदन का +++

श्री सभापति : विचारार्थ लिया है तो.. (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : +++

श्री सभापति : विराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : +++

श्री सभापति : किसी का भी +++ नहीं है, सदन में मैं भी शामिल हूं, किसी का भी +++ नहीं है, विराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं-नहीं, यह क्या बात हुई, आपने....(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : आपने स्वयं बैठकर....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : चौधरीजी, आप गलत बात का यहां उल्लेख कर रहे हैं। आप गलत ढंग से आसन से बातचीत कर रहे हैं। मैं समझती हूं इस तरह की बात अच्छी नहीं है। (व्यवधान) बिलकुल ठीक किया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये।

श्रीमती कमला : इन्होंने जवाब ही नहीं दिया, सन्तुष्ट ही नहीं किया, उसके पहले ही.. (व्यवधान)

श्री सभापति : विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : हम किसी को भी सदन का +++ नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : विपक्ष के नेता कुछ कह रहे हैं, आप सुनिये।

श्री शिवनाथ सिंह : सदन का +++ हम किसी को नहीं करने देंगे। +++ और चाहे दूसरे कोई व्यक्ति हो। किसी को +++ नहीं करने देंगे। यह सदन का +++ है, सरासर +++ है।

श्री विष्णु मोदी : यह कोई तरीका है बिल पास कराने का ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, रिप्लाई हुआ है और मंत्रीजी ने यह कहा है कि जो रेट हम आज ले रहे हैं वही लेंगे, यह तो भविष्य के लिए एक प्रावधान रखा है कि कभी....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : यह कोई बात हुई ? (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : सभापति महोदय, ऐसी परम्परा मत डालिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपके नेता महोदय बोल रहे हैं, बोलने दीजिये।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री राधेश्याम : नेता महोदय तो बड़ी देर से खड़े हैं, आपने कभी नाम ही नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सम्माननीय मैडम चेयर पर्सन, सदन में जो बिल विचारार्थ लिया जा रहा है इसमें इसके आब्जेक्ट्स और रीजन के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने एतराज उठाये हैं। वेसिकली कानून को लेजिस्टलेट करने के लिए जनता ने हमको भेजा है। कोई भी कानून पारित होता है यहां से, बार और बैंच दोनों के सामने यह सदन लाफिंग स्टाक नहीं बने इसलिए किसी भी बिल के एक-एक क्लॉज पर लीगल एंगल से उसकी नाइसिटीज में जाकर एग्जामिशन होना चाहिये। आप यह कह रही हैं कि प्रभारी मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। प्रभारी मंत्रीजी के जवाब से मतलब नहीं है। ट्रूथफुलनेस नहीं है उधर बैठने से या 'आसन पर बैठे हुए और वहां गये हैं तो वे सभी ज्ञानी हो गये। यह अम्बेडकर नहीं हैं। इसलिए जब माननीय सदस्यों को शंकाएं हैं कि भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट या निर्देश दिये हैं और जो आब्जेक्ट्स और रीजन्स आपने दिये हैं, प्रावधान उसके बिलकुल विपरीत रखा है डायग्रेमेटिकली अपोजिट। आप एक्सप्लेन कीजिये कि किसी भी बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के अनुसरण में उसमें कन्सोनेंस नहीं है तो ड्राफ्टिंग की गलती है या मिनिस्टर ने अपना माइंड एप्लाई नहीं किया है। इसका रीजन क्या है, यह सदन जानना चाहता है। आज कोई लास्ट डे हो या कोई इस तरह हाउस में वैल में आ गये हों या आने के बाद पांच-सात मिनट बचे हों और वह एक्सप्रेस अहमदाबाद वाली सिरोही जा रही है, मैडम चेयर पर्सन, आप इतना जल्दी क्यों कर रही है ? है क्या यहां पर ? यह बिल है। यह सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस सदन की। मुझे इस बात का सौभाग्य मिला है और मुझे कहना चाहिए, with all humility at my command, सदन में मुझे 100 बिल पायलट करने का, ओरिजिनल और अमेंडमेंट का, मौका मिला है। आप रिकार्ड देख लीजिये असेम्बली का। घंटों तक चर्चा हुई है। एक प्रवर समिति के ऊपर तीन आदमियों के बोलने के बाद में इस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं, हमारे दूसरे लोग भी बोलेंगे। Elicit public opinion and referring to the select committee. के ऊपर दो-दो घंटे तक अपोजिशन के माननीय सदस्यों के भाषण होते थे। जीरो आवर लम्बा होने लग गया। एक्चुअल बिजनेस में हम एण्टर हो रहे हैं ढाई तीन बजे। यह कॉलिंग अटेंशन लग रहा है, यह बिजनेस में आपने ले लिये। पहले एक कॉलिंग अटेंशन रहता था। मैंने तो कभी नहीं देखा कि दो कॉलिंग अटेंशन रहे हों। आपने तीन-तीन कॉलिंग अटेंशन ले लिये और आप रश्रू करना चाहते हैं किसी ला पर। ला पर आप रश्रू क्यों करना चाहते हैं ? Right to information is a fundamental right which has been guaranted by the Constitution of India to every citizen of this Republic. राइट टू इन्फार्मेशन हरेक नागरिक को है। सदन के माननीय सदस्यों के सर्टेन प्रिविलेजेज हैं। आम नागरिक का राइट है। हमको यह जानने का अधिकार है कार्यपालिका से कि आप क्या करने जा रहे हैं और कैसा क़ानून ला रहे हैं। इस

(श्री परसराम मदेरणा)

सम्बन्ध मे शांति से इस पर डिस्कशन होने दीजिये । इसमें पांच–दस–पन्द्रह–बीस मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा समय लगने वाला नहीं है । आप तावड़तोड़ में पास करवाना चाहते हैं, आसन के ऊपर मैं एस्पर्शन–कास्ट करना नहीं चाहता, आपकी मर्जी है । लेकिन मैं समझता हूं कि आप परम्परा गलत डालेंगे । जब अपोजिशन में बैठे हुए, लॉर्ज नम्बर आफ आनरेबल मैम्बर्स एतराज कर रहे हैं और आप रशथ्रू करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप अपोजिशन से को–आपरेशन नहीं चाहते । अपोजिशन से आप को–आपरेशन नहीं चाहते हैं तो फिर हम उस को–आपरेशन को रिजर्व रखते हैं । फिर आप सदन चलाओ ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : एक मिनट मेरी सुन लीजिये । प्रतिपक्ष के नेता ने जो कुछ कहा है हम भी उससे सहमत हैं । कानून को रशथ्रू करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है । सवाल यह है कि इसमें जो असलियत है वह जब तक स्पष्ट नहीं होगी, मैंने पहले भी बताने की कोशिश की, मगर प्रतिपक्ष के अनेक नेता खड़े हो गये, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार स्थिति समझ लें उसके बाद अपने विचार अलग–अलग व्यक्त करें तब तो उसका कुछ निर्णय होगा । 10 आदमी खड़े हो गये और बिना समझे ही बात कर रहे हैं । इसलिए इसको समझ लीजिये । (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): यह आरोप कैसे लगा रहे हैं कि बिना समझे कहा । यह सभी समझदारी से बात कर रहे थे । *(व्यवधान)*

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप समझिये पहले ।

श्री जगदीप धनखड़ : सैक्शन सिक्स कभी आपने पढ़ा नहीं । बिना पढ़े आप बोल देते हैं । (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं मगर आप साबित कर रहे हैं । (व्यवधान) आप साबित कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं । आप बैठिये, मेरी बात समझ लीजिये पहले । पहले इस कानून के बारे में समझ लीजिये । मैं जो कह रहा हूं वह आप साबित कर रहे हैं एक साथ खड़े होकर । मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं आप । तो आप समझेंगे....(व्यवधान) तो जब आप सुनने को तैयार नहीं होंगे और बहस नहीं करेंगे शांति से ,तो पास नहीं होगा तो क्या होगा ? सुन लीजिये पहले आप । यह कोई जरूरी नहीं है आवश्यक नहीं है, कि जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े हों बीच में । आप बैठिये । माननीय सभापति महोदया,....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या बैठिये ? Madam Chairperson the Hon'ble Dy. Chief Minister is not acting in a proper manner. डिप्टी चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार बोलने का क्या अधिकार है ? स्कूल है कोई यह ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये । (व्यवधान) यदि सब कहेंगे तो....

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठिये बिलकुल। (व्यवधान) कानून आता नहीं है, देखते कुछ हैं नहीं बिलकुल ही, मर्जी हो जो बोले जाते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जब चाहो तब बोलने खड़े हो जाते हैं। बिना पूछे....

श्री जगदीप धनखड़ : आप बैठिये बिलकुल ही। मैं कहता हूं आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह इस प्रकार बिलकुल नहीं चलेगा। माननीय नेता बोल रहे हैं आपके।

श्री जगदीप धनखड़ : +++

श्री सभापति : माननीय सदस्य; बिराजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपके नियंत्रण में नहीं हैं, माननीय नेता महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय सदस्य, आपका यह व्यवहार अच्छा है क्या? जब चाहो तब बिना चेयर को सम्बोधन करें आप खड़े हो जाते हैं और कोई बात कह देते हो ...

श्री जगदीप धनखड़ : यह कोई बात है? He should try to maintain a decorum.

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह आपने ही ठेका नहीं लिया अकेले आदमी ने। इस सारे हाउस का आपने ही ठेका ले लिया अकेले ने। (व्यवधान) कम से कम सम्बोधन करके तो बोलिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब आप बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अपने आप ही खड़े हो जाते हो और बोलना शुरू कर देते हो फिर कहते हो दूसरा क्यों हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपसे जोर से बोलना जानते हैं दूसरे भी, ऐसी क्या बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : He should try to maintain a decorum.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केन्द्र सरकार ने रेट तय की है और जो केन्द्र सरकार रेट तय करती है वही रेट हम लेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। समय-समय पर केन्द्र सरकार रेट तय करती है। अभी केन्द्र सरकार ने जो रेट तय की है वह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में दी हुई है 300 रुपये, 3000 रुपये और 12,000 रुपये। अभी हमारे यहां जो एक्ट में रेट्स हैं वह इनसे कम हैं मतलब इस हद तक भी नहीं है। अब चूंकि केन्द्र सरकार ने यह रेट प्रेस्क्राइब की है इसलिए यह रेट हमको चार्ज करनी है। तो हमको यह अधिकार लेना है कि हम अपनी रेट्स की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ायें।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसमें लिखना चाहिये।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपको समझा रहा हूं, यह लिखा हुआ है। अब सब कुछ यही लिखा हुआ है कि जो रेट केन्द्र सरकार ने तय की है इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। यह जो 300 रुपये पर क्वार्टर तय किया है नम्बर वन पर, Motor cabs up to 6 seat का, उसके 300 रुपये पर क्वार्टर लेंगे। Maxi cabs 7 to 13 seats का 3,000 पर क्वार्टर लेंगे और Omni buses 14 to 35 seats का 12,000 रुपये लेंगे। This is which we will charge. परन्तु अभी जो हमारे रेट्स हैं वह मैक्सिमम में आती नहीं हैं इससे भी कम हैं। तो इस हद तक हम को आगे बढ़ना है इसलिए अब इस एक्ट में हमने....

श्री जुबेर खान : आप इससे ज्यादा नहीं लेना चाह रहे, यही तो कहना चाह रहे हैं आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सुन लीजिये। इस एक्ट में हमने अपनी मैक्सिमम लिमिट मांगी है। अगर यह मैक्सिमम लिमिट मांगने के बावजूद भी समय-समय पर जो केन्द्र सरकार रेट तय करेगी within that maximum limit जो आज हम आप से एक्ट में ले रहे हैं, विदिन दैट वह तय करेगी तो हम उसमें चार्ज करेंगे। हम अपनी ओर से इस मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचेंगे, केन्द्र सरकार ही तय करेगी। अभी चूंकि केन्द्र सरकार ने यह तय किया है और हमारी मैक्सिमम लिमिट आलरेडी एग्जास्ट हो चुकी है इसलिए हम इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदया, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो बताया यह तो हमने सब पढ़ लिया। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं वह आपने पढ़ कर बताये हैं लेकिन यह जो बिल है उसके अन्दर हमें तो पता नहीं कि आपकी भावना क्या है। आपने इसमें तो लिखा नहीं कि हम तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट बढ़ा रहे हैं कि हमारी लिमिट एग्जास्ट हो चुकी है और हम वही लेंगे जो भारत सरकार कहेगी। यह इसमें लिखा तो है नहीं, आपकी भावना हम जान नहीं सकते और उसके बाद में आप रशथ् करना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि आप यह कह कर आते कि हमारी रेट यह एग्जास्ट हो चुकी है, यह भारत सरकार ने कहा है, हम इसमें यह रेट लेकर आ रहे हैं लेकिन यह रेट हम चार्ज नहीं करेंगे, हम चार्ज वही करेंगे जो भारत सरकार समय-समय पर बतायेगी। तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इसमें तो कहीं यह लिखा हुआ नहीं है और न आपके मंत्रीजी ने यह जवाब दिया है। मंत्रीजी तो यह कह रहे थे कि यह समझ ही नहीं पाये। समझ मैं यह नहीं पाया कि कौन समझ पाया है।

श्री जुबेर खान : मेरा विनम्र निवेदन है कि जो माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा है इस बात से हम सहमत हैं और अगर उनकी यही मंशा है....(व्यवधान)

श्री सभापति : अपने समय पर कहने के लिए आपकी भी बारी आयेगी।

श्री जुबेर खान : एक मिनट सुन लीजिये। उन्होंने यह कहा है कि भारत सरकार ने अब नयी रेट्स का अमेंडमेंट कर दिया 10-8-1993 को और उससे हमारे रेट्स कम थे इसलिए हम अपनी रेट की सीमा बढ़ाकर उतना ही लेना चाहते हैं। सभापति महोदया, मैं इस सदन के

(श्री जुबेर खान)

सामने बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने बढ़ाया मोटर कैब्स अप टु 6 सीट 300 रुपये पर क्वार्टर यानि कि साल के टैक्सी के ऊपर हो गये 1200 रुपये। 1200 हुए न, मैडम चेयर पर्सन। उसके बाद दूसरे नम्बर पर मैक्सी कैब्स 7 टु 13 सीट्स 3000 रुपये पर क्वार्टर, मीन्स 12,000 रुपये ईयरली। तीसरा लिखा है ओमनी बसेज 14 टू 35 सीट्स 12,000 रुपये पर क्वार्टर दैट इज 48,000 रुपये। इतना बढ़ा है। इतना आपको बढ़ाने का हक है, बढ़ाइये। लेकिन माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आप क्या बढ़ा रहे हैं हम उससे चिंतित हैं और यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आप बढ़ा रहे हैं मोटर कैब्स के ऊपर तो 1000 रुपये पर सीट पर ईयर यानि कि पांच सीट के ऊपर हो गये 5000 रुपये ईयरली। तो कहां तो 1200 रुपये कहां 5000 रुपये यह हमारी आपत्ति है।

दूसरा आपने कहा....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : देखिये, मेरे को आप समझ लीजिये। आप पहले समझ लीजिये कि यह जो 1000 रुपये आप बता रहे हैं यह हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) आप सुन लीजिये पहले। हम हमारी मैक्सिमम लिमिट बनाते हैं ताकि जब भी भारत सरकार फिर 300 रुपये से ज्यादा कभी भी बढ़ायें, 1000 तक बढ़ायेंगी तब तक हमको इस एक्ट में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होगी।

श्री विष्णु मोदी : इसमें लिख देते। आपकी मंशा कैसे जानते हम ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह तो टैक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है, ओरिजिनल एक्ट में सारी बातें हैं।

श्री जुबेर खान : Every rule, regulation, bill and amendment must be having a justification.

श्री सभापति : माननीय, आप बात तो सुनिये पूरी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ओरिजिनल एक्ट में सारी बातें हैं।

श्री जुबेर खान : I want to know from the Chair and from the Government that what is the justification between Rs. 1200 and 10,000/– yearly ? We should be having some justification. थोड़ा तो उसमें समायोजन हो। विधान सभा हर साल चलती है, हर दो तीन महीने में चलती है, आज ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि जहां केन्द्र सरकार ने मैक्सिमम लिमिट रखी हो बड़ी बस की 48,000 रुपये ईयरली हम 5,50,000 रुपये ईयरली इस सदन से पास करा लें कि हम इतनी लिमिट रखना चाहते हैं ? आप इससे दुगनी रख लेते तो भी समझ में बैठता है लेकिन आप पांच-पांच, दस-दस गुना रेट बढ़ा रहे हैं यह सरासर एक गलत बात है। इसका मतलब माननीय प्रभारी मंत्रीजी और राजस्थान सरकार को यह विश्वास नहीं है कि सदन फिर रहेगा। सदन में बाद में भी....

श्री सभापति : विराजिये।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदया, एक साल में एक ही चीज के तीन-तीन बार अमेंडमेंट इस सदन में आये हैं और आज यह क्या जरूरत पड़ गयी ? आप 48,000 और 5,50,000 का डिफरेंस लगाइये। अगर महंगाई बढ़े, टैक्स भी बढ़े तो मैं मानता हूं कि 15-20 साल तक इतनी सीमा नहीं जा सकती और आज इतनी ज्यादा बढ़ा कर माननीय उप-मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम तो लिमिट बढ़ा रहे हैं। तो आप जो केन्द्र सरकार ने लिमिट बढ़ायी है उतनी बढ़ा लीजिये, ड्योढ़ी बढ़ा लीजिये, दुगनी बढ़ा लीजिये लेकिन आप पांच-पांच गुना बढ़ा कर क्या करेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदया, इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो रेट बढ़ाने का और दूसरा जो इश्यू है, जो नया ट्रेंड टूरिज्म में आया है 7 सीटर और 12 सीटर की जो ओमनी बसेज की बात कही है और मैक्सी केब्स की बात की है वह राजस्थान मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्दर है ही नहीं। तो इसलिए भी यह विस्तावेज है। क्योंकि अभी तक तो खाली एक टैक्सी होती थी 5 सीटर या फिर बस होती थी, उसके बीच में होता नहीं था और राजस्थान एक्ट के अन्दर है भी नहीं। इसलिए इसको प्रमोट कर रहे हैं जो छोटी-छोटी टैक्सियां, मिनी कैब्स चली हैं, 7 सीटर्स, 12 सीटर्स ओमनी बसेज। उसके लिए पहले नहीं था इसलिए यह प्रस्ताव एक और भी है, कि....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, मेरा यह सुझाव है कि जो जबानी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, जिसका वह कहते हैं कि यह तात्पर्य है, यह आब्जेक्ट्स के अन्दर अभी एक-एक लाइन का अमेंडमेंट जारी करके और सदन से स्वीकृत करा कर उसको जारी करेंगे तब समस्या का हल होगा। जबानी आपने कह दिया उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि यह जो आपकी मंशा है और यह जो आपका उद्देश्य है वह इसके अन्दर निहित नहीं है। इसलिए वह इसमें निहित होना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, मेरा एक सुझाव है। सुझाव यह है कि इस बिल को एक बार डेफर कर दीजिये और हमारी पार्टी लीडर गवर्नमेंट से बात करके जो समाधान आयेगा उसके बाद में इस बिल को ले लीजिये और तब तक दूसरा बिजनेस ले लीजिये। इसको एक बार, चीफ मिनिस्टर महोदय, डेफर करवा लीजिये।

एक माननीय सदस्य : चीफ मिनिस्टर हैं कहां ?

श्री रामनारायण चौधरी : डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इसको एक बार डेफर करवा लीजिये और आप और लीडर ऑफ दी अपोजिशन बैठ कर के बात कर लीजिये और उसके बाद आप कोई अमेंडमेंट या कोई सजेशन लेकर आ जाइये तब तक आप दूसरा बिजनेस ले लीजिये। इस पर आप हाउस में डेडलोक क्यों करो ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : It is written here. You see.

"To prescribe these rates of maximum limits of Special Road

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

Tax payable under Section 4 B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 are to be enhanced.'

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कह रहा हूं, प्रभारी मंत्रीजी, यह आप ठीक कह रहे हैं, भारत सरकार ने जो रिकमण्डेशन की है, तीन प्रकार के व्हीकल के लिये उन्होंने क्वार्टरली अमाउण्ट इण्डीकेट किये हैं, आपने पर एनम उसमें मेन्शन किया है। आप जो अमेण्डमेंट करने जा रहे हैं शिड्यूल 'ए' में और जिस मैक्सिमम लिमिट का आप उल्लेख कर रहे हैं उसका मेंशन आपने किया है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी जब खुद ही पढ़ रहे थे, To prescribe these rates of maximum limits of Special Road Tax payable under section 4 B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 are to be enhanced. 4 B के नीचे जो शिड्यूल 'ए' है इसकी ओरिजिनल आपने दी है। मैं यह निवेदन कर रहा था, आपको जब भारत सरकार ने रिकमण्डेशन की है और जैसा कि अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे, मैक्सिमम लिमिट अगर बारह सौ की है उस जगह आप करने जा रहे हैं पांच हजार। (व्यवधान) मेरी कैटेगरी दे रहा हूं ड्राइवर समेत ही 6 है, पर सीट का है 6 हजार। पर सीट का 6 हजार हो जायेगा तो आप यह 1200 से....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने स्वयं ही बता दिया कि भारत सरकार ने क्वार्टरली 300 रुपये की है, हमने हजार रुपये एनम की है।

श्री जुबेर खान : आपने पर सीट की है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पर सीट दोनों में ही है। इसलिये आप लगा लीजिये हिसाब।

श्री परसराम मदेरणा : आपने हजार नहीं किया है, आपने पर सीट, पर एनम किया है। इसका मतलब यह है....(व्यवधान) For car type motor cabs with seating capacity not exceeding 5 excluding driver means six होता है। सिक्स का मतलब ही यह होगा पर सीट 6000, पांच हजार नहीं होगा और आज मैक्सिमम इसमें जो भारत सरकार की रिकमण्डेशन है वह है 1200। यह आप धमाके से जिस तरह से इण्टरनेशनल कम्पनीज को यहां इन्वाइट कर रहे हैं उस तरह 1200 से 6,000 तक एकदम लिमिट ले रहे हैं। यह सदन मीट नहीं होगा या उसमें आपको समय नहीं मिलेगा ? आप परपिचुइटी के लिए छह हजार तक इन्क्रीज करते हैं, जब तक सदन में आने की हमको आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने जो रिकमण्डेशन की है वह उनके एक्ट में प्रावधान है और एक्ट में जो प्रावधान है इसको उन्होंने इण्डीकेट किया है कि हमने इन्क्रीज किया है, आप भी इन्क्रीज कीजिये और यह टूरिस्ट व्हीकल के लिए ही है शायद मेरे ख्याल से। क्योंकि टूरिज्म में आपको भी बहुत इंट्रेस्ट है, मैडम मिनिस्टर को तो है कि नहीं, आपको ज्यादा है, मुझे मालूम है, आपने मुझे पत्र भी लिखा था कि आप

(श्री परसराम मदेरणा)

मलेरिया-फलेरिया की बात मत करो, टूरिज्म को सेट-बैक लग जायेगा। मलेरिया से मरते हैं, मरने दो लेकिन टूरिज्म बढ़ाओ। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं आप life of an individual खुद ही एडवोकेट है प्रैक्टिस आपने की है, लॉ का यह कार्डिनल प्रिंसिपल है कि अगर 100 आदमी गुनहगार छूट जाते हैं तो छूट जायें लेकिन एक निर्दोष है उसको फांसी नहीं होनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भेद नहीं कर पा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भेद मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि टूरिज्म का पैसा आपके पास आवे और मलेरिया से मरे उस आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। यह जो अप्रोच थिंकिंग है, यह जो लैटर लिखा है इन्होंने मुझे, आप कहो तो लैटर पढ़ूं। बीच में आप खड़े हो जाते हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दूसरी बात कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा लैटर आप पढ़ो, इनके और मेरे बीच में कोरस्पोंडेंस हुई है जोरदार।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं। आपने इनको एल-एल.बी. बता दिया तो शशि दत्ता जी एल-एल.बी. नहीं हैं, न इन्होंने प्रैक्टिस की है। आप भूल कर रहे हैं, यही कह रहा हूं मैं।

श्री परसराम मदेरणा : किसको ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने प्रैक्टिस नहीं की है, पर्यटन मंत्रीजी ने।

श्री परसराम मदेरणा : पर्यटन मंत्री-जी के लिए मैं कह ही नहीं रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको ही कह रहे हैं आप।

श्री परसराम मदेरणा : जवाब दे रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मैं उनको कह रहा हूं। पर्यटन मंत्रीजी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं पर्यटन पर ज्यादा जो चिन्तित हैं, पर्यटन की ज्यादा चिन्ता उप मुख्य मंत्रीजी को है। मेरे लैटर पर कोरस्पोंडेंस उनके और मेरे बीच में हुआ है। अब आप पर्यटन के बारे में बहुत चिन्तित हैं। आप मैक्सिमम लिमिट लाना चाहते हैं। मैडम चेयर पर्सन, यह इतनी बड़ी 1200 रुपये पर एनम की जो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिये सेवन सीट के कैब्स की, उसको छह हजार करना, यह बहुत आर्बिट्रेरी और केप्रीशियस डिसीजन है। यह रीजनेबल और विजडम के साथ में नहीं है। इसलिए इस अमेंडमेंट के अंदर जो आप स्वीपिंग पावर लेना चाहते हैं. The law loving persons would not allow this executive to have this unfeatured and unlimited power.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले मैं कह चुका हूं कि रेट्स भारत सरकार तय करेगी, हम कितनी भी लिमिट तय करें, हम चार्ज नहीं करेंगे। जो भारत सरकार समय-समय पर रेट तय करके हमको दे देती है....

श्रीमती कमला : इसमें लिखना चाहिये। इसमें लिखा हुआ कहां है ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह अमेंडमेंट ही भारत सरकार के आदेश पर हो रहे हैं। यह अमेंडमेंट ही उस पर हो रहा है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप क्यों खड़े हो रहे हैं Who is the Minister in charge ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसके आब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि कितनी ही हम मैक्सिमम चार्ज करें....

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर इंचार्ज, मैं सोच रहा था कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चूंकि ऐसा है, प्रतिपक्ष नेता महोदय....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं था, वह कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बहुत–सी बातें कह गये जो इस सन्दर्भ में प्रसग के अनुकूल नहीं थीं। यदि अलग से उस पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं मेरे पत्र और आपके पत्र दोनों आयें और हम चर्चा करें तो लोगों को कुछ पता चलेगा। आपके बीच में...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आप अनुकूल और प्रतिकूल के सन्दर्भ में और परिप्रेक्ष्य में है या नहीं इसका ज्यादा विवेचन नहीं करके सीधा उत्तर दें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं अभी तक सीधा ही उत्तर दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जो आप आतुर हो रहे हो, जो उतावले हो रहे हो....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं सीधा ही उत्तर दे रहा हूं। मैं डाइवर्ट नहीं हो रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : जिस प्रकरण को लेकर हो रहे हैं, वह प्रकरण में लाया (व्यवधान) अब आपको समय मिलेगा, उसमें आप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं अपने माइंड को बिलकुल डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। भले ही आप उसमें मच्छर लायें और चाहे पर्यटन लायें और चाहे मेरा पत्र लायें या कुछ भी लायें। मैं सीधी–सीधी बात कह रहा हूं कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार उन्होंने जो रेट्स तय की हैं, चूंकि अभी हमारे यहां पर उससे कम रेट तक मैक्सिमम लिमिट तक हम पहुंच गये इसलिए हम इसको अनाउंस करना चाहते हैं। भारत सरकार समय–समय पर रेट जो हमको तय करेगी, वही हम रेट लेंगे। तो भारत सरकार तय करेगी। इसलिए प्रतिपक्ष को किसी प्रकार की शंका इस सम्बन्ध में करना कि यह बड़े आर्बिट्रेरी पावर लिये जा रहे हैं और लेते ही हम बढ़ा देंगे, तो जैसा कि आप टूरिज्म के बारे में शायद राजस्थान में चिन्तित नहीं हैं और वह आपको सही नहीं लगता होगा लेकिन मैं समझता हूं राजस्थान सरकार राजस्थान में टूरिज्म बढ़ाने के लिए काफी चिन्तित है

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

और इसके बारे में प्रयत्नशील भी है। टूरिज्म को अफेक्ट करने वाली बात तो आप इस हद तक कह गये कि चाहे आदमी मरे तो मरे मगर टूरिज्म फैलना चाहिये। इस हद तक आप सर्टिफिकेट दे गये हैं मुझे कि टूरिज्म के बारे में हम इतने पर्टिकूलर हैं कि आदमी मरे उसकी भी चिन्ता नहीं है मगर टूरिज्म बढ़ना चाहिये। इसमें मैं नहीं हूं, भारत के प्रधान मंत्री के शब्द हैं यह। भारत के प्रधान मंत्री ने यह शब्द कहें हैं कि मलेरिया के बारे में जो प्रचार आउट आफ प्रपोर्शन किया गया उसका नुकसान केवल राजस्थान को नहीं, भारत सरकार को भुगतना पड़ा है करोड़ों रुपयों में, अरबों रुपयों में।

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान मंत्रीजी का नाम ले रहे हैं सदन के अंदर, क्या भुगतना पड़ा है प्रधान मंत्री जी को? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : I was present. मेरे सामने कहा है। मैं प्रजेण्ट था और उनकी ही बात को बुलाकर उन्होंने सरकारिया....

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान मंत्रीजी को स्टेटमेंट आपके यहां से गये थे, आपने जाकर गलत ब्रीफ किया। You have misguided the Prime Minister of India.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जस्टिस सरकारिया ने इस पर निर्देश जारी किये हैं प्रेस को....

श्री परसराम मदेरणा : You have misguided the Prime Minister of India. You have given worng information.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कि आप मलेरिया के बारे में आउट आफ प्रपोर्शन और एग्जेग्रेटेड फिगर न छापें। यह डायरेक्शन इश्यू हुए हैं और प्रधान मंत्री के स्टेण्ड पर हुए हैं। मैं इसमें एण्टर नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि टूरिज्म के मामले में जितनी आप चिन्ता करते हैं, उतनी हमें भी चिन्ता है इसलिए टूरिज्म को अफेक्ट करने वाली बात कि हमने बहुत ज्यादा लिमिट ले ली और इससे टूरिज्म अफेक्ट होगा, यह चिन्ता हमारी है, यह चिन्ता सरकार की है। सरकार इस बात की चिन्ता करेगी कि किसी भी तरह से ट्यूरिज्म अफेक्टेड न हो। हम और लोगों से भी काम्पीटिशन में हैं स्टेट्स में तो इसलिये हमारी रेट्स हमेशा काम्पीटिटिव रेट्स होंगी। हम कभी उसको एग्जेग्रेट नहीं कर सकते कि जिससे हमारा टूरिज्म अफेक्ट हो, टूरिस्ट यहां आयें नहीं क्योंकि यहां टैक्स बहुत ज्यादा है। इसलिए इसकी चिन्ता हमें है। इन सारी बातों पर विचार करके बार-बार इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करना पड़े और रेट चूंकि भारत सरकार तय करती है इसलिए वह भी कोई आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेरी पावर काम में लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और न जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस बारे में जो चिन्ता व्यक्त की जा रही है वह चिन्ता भी उचित नहीं है क्योंकि उसके पीछे कोई लाजिक नहीं है।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदया, उप मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि

(1258)

(श्री जुबेर खान)

हमारी लिमिट कम थी। भारत सरकार ने जो यह अमेंडमेंट किया है मैं इसके ऊपर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। भारत सरकार ने कहा है कि पांच सीट तक के लिए तीन सौ रुपये पर क्वार्टर है। मैंने जैसा कि पहले कहा 1200 रुपये ईयरली होगा और हमारे यहां एक्ट में आलरेडी प्रावधान है जो एग्जेक्ट लिए हैं कि पांच सीट तक के लिए 450 रुपये पर सीट पर एनम। उप मुख्य मंत्रीजी पढ़े लिखे हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिये, हम तो पहले ही आगे हैं। तो आप यह बार–बार गलतबयानी मत करिये सदन में कि हमारी रेट कम थी इसलिए हम भारत सरकार के अमेंडमेंट के आधार पर बढ़ा रहे हैं। आज हमारी रेट जो मूल बिल में है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिये, वहां हम पहले ही आगे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, Extracts taken from the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 S. No. Description of transport vehicle, maximum rate of special road tax. Four wheeled contract carriage including motor cabs, station wagon, mini bus etc. For car type motor cabs with seating capacity not exceeding 5 excluding driver. Already we are having Rs. 450/- per seat per annum. यह 2200 से 2250 रुपये पहले ही आ रहा है और भारत सरकार कह रही है 1200 ईयरली। फिर हमको 6 हजार लेने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसलिए उप मुख्य मंत्री जी जो बार–बार कह रहे हैं कि भारत सरकार ने बढ़ा दिया, हमारा कम था, वह बिलकुल सरासर गलत है। आपके सामने यह बिल में जो इन्होंने दिये हैं extracts taken from the original bill, इसमें आप तुलना कर लीजिये। जब पहले ही हम आगे हैं तो इस संशोधन की जरूरत कहां रह गयी।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और अन्य सदस्यों ने जो इस हाउस में इस बिल के सम्बन्ध में शंका और चिंताएं व्यक्त की हैं, मैं इस सम्बन्ध में क्लियर करना चाहता हूं। शायद मिस अन्डरस्टेंड हम सब कर गये इस बात को। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि यह जो दर भारत सरकार ने टूरिस्ट परमिट के लिए तय की है उससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। वह तो सारे राज्यों के लिए समान रूप से उन्होंने निर्धारित की है लेकिन जो यह दरें इसमें लिखी हैं मैक्सिमम दरें हैं और इसलिए मैक्सिमम दरें हमने दी हैं कि बार–बार हाउस में अमेंडमेंट नहीं लाना पड़े। इससे टूरिस्ट परमिट पर इन दरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्पेसिफिक है वह (व्यवधान)..सपोज, मैं आपको बताऊं, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सरकार की मंशा...

श्री राधेश्याम : न तो यह अमेंडमेंट लाये जब आपको कन्सल्ट किया और न ही आपने अमेंडमेंट पढ़ा है, न आपको सूझ–बूझ है फिर काहे को टाइम खराब कर रहे हो।

श्री जगदीप धनखड़ : आप तो सेक्शन 4 (बी) पढ़ दो जो आपके पेज– 4 पर लिखा हुआ है, पूरी स्थिति साफ हो जायेगी। आपके पास है तो पढ़ दो।

श्री रोहिताश्व : माननीय सदस्य, मैं वह भी पढ़ूंगा। मैं इसको और भी इसलिए क्लियर करना चाहूंगा कि बिल में चाहे यह सारी बातें नहीं आयीं लेकिन जो हमारे विभाग ने, केबिनेट ने जो नोट बनाया है उसमें सेन्ट्रल एक्ट का और इसका हवाला देते हुए पूरी की पूरी चीजें सब क्लियर हैं और इसमें कहीं कोई छिपाने की बात नहीं है। यह तो मैक्सिमम रेट की बात थी जो टूरिस्ट परमिट्स पर मैक्सिमम रेट हम ला ही नहीं सकते।

श्री जुबेर खान : मंत्री महोदय, पहले ही ज्यादा है। देखो, आप अपने बिल में।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदया, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्स्ट कैटेगरी के सम्बन्ध में यह कहा कि अभी जो आपकी रेट है, एग्जिस्टिंग रेट, जो अभी आपको आथोराइजेशन है और अमेंडमेंट आलरेडी हुआ है, जो शिड्यूल आपके पास में है चार–बी के नीचे–ए, उसमें प्रति सीट का जो है 450 रुपये है आपका। 450 को जब आप 6 से गुना करोगे तो वह होता है 2700 और 2700 रुपये तक यह इस 6 सीटर कैब्स के ऊपर टैक्स लगाने का, यू आर एम्पावर्ड, यह एम्पावरमेंट है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इससे नीचे वाली कैटेगरी में ...

श्री परसराम मदेरणा : मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब उसमें भारत सरकार ने कहा है कि 1200 रुपये लगाओ साल भर के। तो 1200 से 2700 तक अभी तक मैक्सिमम लिमिट 2700 भी तो आपकी एग्जास्ट नहीं हुई है और आप टिका रहे हो सात हजार रुपये। यह प्रश्न है, इसका आप उत्तर दो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सात से बाईस सीट तक का जो हमारा आज भी लगा हुआ है वह मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है। तो चूंकि आज जब एक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो पार्शली नहीं हो रहा। तो वह पार्शली क्यों किया जाय जब एक बात तय है कि हम उससे ज्यादा रेट नहीं ले सकते जो केन्द्र सरकार तय करती है। This is the Guarantee। यह सेफ्टी है और आपको केन्द्र सरकार में विश्वास नहीं है क्या ? (व्यवधान) तो क्या बात हुई ? जब केन्द्र सरकार रेट तय करेगी उससे ज्यादा हम ले नहीं सकते तो बार–बार यह कहना कि पांच हजार, तो हम पांच हजार ले रहे हैं क्या ? हम ले सकते हैं क्या ? हम ले भी नहीं सकते जब तक केन्द्र सरकार तय नहीं करे और केन्द्र सरकार यदि तय कर देगी, सात हजार तय करेगी तो हमें फिर लिमिट बढ़ानी पड़ेगी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप केवल एक ही लाइन डाल दो कि भारत सरकार करेगी वो ही लिया जायेगा। बात खतम हुई।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी समझ में नहीं आता कि इतना स्पष्टीकरण देने के बाद भी अब कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बची है कि जिसमें माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों के दिल में यह शंका हो कि यह मैक्सिमम लिमिट बढ़ाने से किराया बढ़ा देंगे, हमारा टैक्स बढ़ जायेगा। यह शंका तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वह केन्द्र सरकार तय करती है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि किस बात पर बहस हो रही है।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, I am waiting all the times कि आप मेरा नाम पुकारेंगी। I am trying to catch your eyes. I could not fail in that.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदया, इसमें दो इश्यूज और आये हैं....

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्रीजी से पाइंटेडली यह पूछना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का बिल अप्रूव हो गया it becomes part of the Act. तो इतनी ज्यादा गुना बढ़त के अन्दर Would it come back to the House ? जैसा प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि कितना आर्बिट्रेरी यह हो सकता है कि आप 1200 से लेकर 6,000 तक पहुंच रहे हैं। तो मैं, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, कृपा करके पहले तो आपको सैक्शन–4 B को रिप्रोड्यूस करना चाहिए था। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के साथ में लगाना चाहिए था। It was your obligation. You are taking the Assembly very lightly. आपको यह लगाना चाहिए था। बेसिक प्रोविजन हुआ है। उन्होंने यह भी लिख दिया है, सैक्शन–4 B देखिये, बिल में जैसा लिखा हुआ था When we are producing the piece of legislation, प्रतिपक्ष के नेता ने सही कहा It will go to bar and bench. The matter will be threshed out. Legal niceties will be there. वर्तमान में हमने जो कानून किया राजस्थान पंचायती एक्ट, कितने अमेण्डमेंट्स हो गये, कितनी स्थिति दयनीय हो गयी है We are in the dock. इसलिए यह कोई प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष का मामला नहीं है। Every piece of legislation reflects the overall intelligence of the House. तो, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पाइन्टेडली पूछना चाहता हूं सैक्शन–4 बी का प्रोविजन क्या है ? मंत्रीजी जब सदन में वह पढ़ेंगे, पूरी स्थिति साफ हो जायेगी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदया, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। यह जो इश्यू है, तीन इश्यूज और आये हैं। एक इश्यू तो यह है कि यह आर्डिनरी टैक्सीज के लिए नहीं है, टूरिस्ट टैक्सीज के लिए है। एक इश्यू और है, टूरिस्ट टैक्सीज के लिए ऐसी भी टैक्सीज आती हैं, मर्सीडीज है, वोल्वो है, वह पचास–साठ लाख की एक गाड़ी है और एक गाड़ी जो पचास-साठ लाख रुपये की हो उसके अन्दर रेट जैसा हमारे जुबेर जी कह रहे हैं कि 1200 हो, वैसा नहीं हो सकता। जो पचास लाख रुपये की टैक्सी लेकर आयेगा और जो टूरिस्ट के लिए लेकर आयेगा, अपन दोनों तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते इसलिए पचास लाख रुपये की एक टैक्सी के अन्दर अगर यह मैक्सिमम रेट हो तो ज्यादा नहीं है। यह जो मैक्सिमम रेट है, यह भी सैण्ट्रल की तरफ से तय होती है.... (व्यवधान)

सैक्शन–4 बी की जो बात की है उसके अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं पर भी....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सभापति महोदया, राजस्थान में पचास लाख की टैक्सियां कितनी चलती हैं, यह बता दें ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपको पता ही नहीं है, आप कभी गये ही नहीं । (व्यवधान) रामबाग में जाओ, आप क्या बात करती हो, खाली यहां बैठने से काम नहीं चलता ।

(15.00)

तो जो पचास लाख की गाड़ी लेकर आयेगा, टैक्सी लेकर आयेगा और 1200 रुपये ही देगा तो उसको कैसे फायदा होगा । लाभ में रहेगा तो रेट बढ़ेगी । आपके, मेरे लिए नहीं है यह टैक्सी । यह तो टूरिस्ट के लिए है । फारेन डालर देते हैं ।

श्री भंवरसिंह चौधरी : माननीय सभापति महोदया, इस सारे विवाद का समाधान एक लाइन का प्रोविजो है । सिर्फ एक लाइन–"In Rajasthan, the rates will not be increased more than the rates of the Government of India." That's all. (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रमाकान्तजी ।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदया, यहां पक्ष जो चर्चा कर रहा है मैं उससे थोड़ा–सा विपरीत जाना चाहता हूं । मुझे इजाजत देंगे सभी । इसमें यह कहा गया है कि अभी जो भारत सरकार की लिमिट है वहां हम नहीं पहुंच पाये हैं । तो पहले तो कम से कम उस लिमिट पर पहुंच जाते । इतनी कौनसी अभी अचानक अर्जेंसी आ गयी थी कि हमको यह अमेण्डमेंट लाने की जरूरत पड़ गयी और यदि यह अमेण्डमेंट लाये हैं तो जो हम चर्चा कर रहे हैं वह तो बाहर जायेगी नहीं । नोटिफिकेशन तो यह होगा जो हम यहां पर पास कर रहे हैं । इसका कितना बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा । लोग देखेंगे कि न जाने राजस्थान सरकार कब कार पर 5000 रुपया कर देगी, न जाने कब ट्रक पर एकदम पांच लाख कर देगी । तो यहां पर जितनी टैक्सियां आने वाली हैं या यहां पर जितने व्हीकल्स आने वाले हैं वह नहीं आयेंगे । इससे हमारे टूरिज्म पर, हमारे यातायात पर, हमारे व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ेगा ।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं । जब भी कोई मैक्सिमम लिमिट तय की जाती है तो यह उम्मीद की जाती है, ठीक है 3–4 वर्ष के लिए करें लेकिन सौ बरस के लिए तो नहीं करें हम । यह जो तय किया गया है इतनी ज्यादा पांच गुनी रेट, ऐसा लगता है जैसे 20 वर्ष तक कोई अमेण्डमेंट मोटर व्हीकल्स टैक्स के अन्दर कभी आयेगा ही नहीं । तो 20 वर्ष के लिए नहीं करने जा रहे हैं हम । हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमारे विचार में यह हो कि साल भर में, दो साल में इस तरह की बात आ जायेगी । तो दो साल के अन्दर या तीन साल के अन्दर कोई बात हो, इतनी–सी मैक्सिमम लिमिट प्रेस्क्राइब करें और कम से कम जो वायलेट कर रहे हैं उसका भी जस्टिफिकेशन प्रस्तुत करना चाहिये कि कौनसी चीज बढ़ रही है जिसके कारण हम एकदम इतनी मैक्सिमम लिमिट करना चाहते हैं । जमाना तो यह आने जा रहा है कि हमको यह रेट कम करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा वोल्यूम बढ़ने वाला है और

(श्री रमाकान्त)

इससे वोल्यूम बढ़ा करके ज्यादा टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते हैं। हम यदि कोई पांच टैक्सियों पर एकदम पांच लाख रुपया करके रेवेन्यू प्राप्त करना चाहते हैं वह रेवेन्यू प्राप्त नहीं हो सकेगी। रेवेन्यू तो प्राप्त जब हो सकेगी जबकि आज जितनी टैक्सियां हैं उससे 50 गुनी टैक्सियां ज्यादा हों और हमें टैक्स रेट घटानी पड़े, तो हम अभी बढ़ायें और 3-4 साल के बाद कंज्यूमर इकानामी आने वाली है, मार्केट इकानामी आने वाली है जिसके अन्दर मार्केट के लोग ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करने वाले हैं उस समय हमारी जो लिमिट है, यह लिमिट हमें तकलीफ देगी और हम उस वक्त उसको घटायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है आपने विचारार्थ लिया है इसको कभी बाद में जाकर पुनर्विचारार्थ लीजियेगा। मेरे ख्याल से इसको आज स्थगित कर देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये आप माननीय सदस्य। प्रभारी मंत्री जी। (व्यवधान) आप बिराजिये। आपने एक बार सवाल कर दिया उसका जवाब मिलेगा आपको।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदया, मैं सेक्शन–4 B की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति : पहले आपने बोल ली है यह बात।

श्री जगदीप धनखड़ : सेक्शन–4 B पढ़ रहा हूं ताकि पता लगेगा हम क्या करने जा रहे हैं। सेक्शन–4 B है कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके इसको बढ़ा सकेगी। ऐसी स्थिति सेक्शन–4 B में है तो कहां कण्ट्रोल रहेगा ? If this is not arbitrary, then what is arbitrariness ? तो मेरा अनुरोध है कि जैसा थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यह पांच साल का बजट पास क्यों नहीं करवा लेते फिर।

विधेयक का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995 को पारित किया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया, शिक्षा मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,51,13,56,000/–(रुपये पन्द्रह अरब इक्यावन करोड़ तेरह लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

1. मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालयों की संख्या नगण्य होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

2. पंचायत समिति मुख्यालय, लूणकरणसर में महाविद्यालय एवं आई.टी.आई. खोलने की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. बीकानेर संभागीय मुख्यालय पर बहुसंकाय विश्वविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. राजकीय सीनियर माध्यमिक शाला, खाजूवाला, पंचायत समिति मुख्यालय, लूणकरणसर, कालू व नापासर में वोकेशनल कोर्सेज चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

5. ग्राम अर्जुनसर तहसील लूणकरणसर की उच्च प्राथमिक शाला में छात्र संख्या, शाला भवन, छात्रावास भवन, अध्यापक आवास आदि सुविधाओं को मद्दे नजर रखते हुए उसे माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

6. छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)

7. निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ (जोधपुर) में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. राजस्थान में निरन्तर गिरते शिक्षा स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूर्णरूपेण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह (खानपुर)

10. खानपुर विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के समय पर शाला नहीं पहुंचने तथा रिक्त पदों पर पदस्थापन न करने से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

11. अकलेरा उप खण्ड का जिला मुख्यालय झालावाड़ से वर्षा ऋतु में सड़क सम्पर्क कट जाने के कारण उच्च शिक्षा में हो रही अव्यवस्था को ध्यान में रख अकलेरा में कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. कुन्दनपुर ग्राम (पंचायत समिति सांगोद जिला कोटा) के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

13. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामगढ़, टिमेड़ा सागवा, लसोडीयां को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापन करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़)

15. राज्य में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. बालिकाओं की शिक्षा के लिए बालिका विद्यालयों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़)

17. बांसवाड़ा जिले के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों को रिक्त पड़े पदों पर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

18. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के आनन्दपुर कालू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आनन्दपुर कालू में द्वितीय व तृतीय ग्रेड के अध्यापकों की संख्या कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

19. राज्य के स्कूलों में कृषि विषय खोलने एवं शिक्षकों का अभाव दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

20. विद्यालयों में अध्यापकों का अभाव दूर करने एवं नये कालेज एवं स्कूल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

21. गुरूनानक रिफ्यूजी कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, ब्यावर में शिक्षक व स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़)

22. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के ग्राम पंचायत मुख्यालयों-खोह, चौहवा, हाजीपुर, केसरोली एवं बगड़ मेव पर उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जुगरावर, सैमला खुर्द, रघुनाथगढ़ एवं खूंटेटा कलां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. जिला अलवर के कस्बे गोविन्दगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. जिला अलवर की राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नौगावां को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी)

26. राज्य में अध्यापकों की स्थायी स्थानान्तरण नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. रामगंज मंडी क्षेत्र के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. रामगंज मंडी (कोटा) में छात्र महाविद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़)

29. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सूरजगढ़ के स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद नहीं भरने एवं अध्यापकों द्वारा स्कूलों से अनुपस्थित रहने से पढ़ाई पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

30. हरक चन्द सरावगी राजकीय महाविद्यालय जो जसवन्तगढ़ जिला नागौर में स्थित होने पर भी उसे गलत रूप से सुजानगढ़ जिला चूरू कहा जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. कस्बा लाडनूं जिला नागौर में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. ग्राम जसवन्तगढ़ जिला नागौर की कन्या हायर सैकण्डरी स्कूल को सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. कस्बा लाडनूं जिला नागौर की हरिजन बस्ती में स्थित प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

34. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय छाणी को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. खैरवाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के उच्च प्राथमिकत विद्यालय सागवाड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी)

38. डूंगरपुर जिले में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी शालाओं के भवनों का अभाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिडल एवं सैकण्डरी विद्यालयों का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

39. डूंगरपुर जिले में स्कूल भवन अपर्याप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग में अध्यापकों के पद रिक्त होने से गांवों में शिक्षा प्रसार में हो रही समस्या पर चर्चा के लिये।

(श्री नाथूराम अहारी)

41. डूंगरपुर जिले में प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती नहीं करने से शिक्षा के गिरते स्तर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) एवं
श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

42. प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में निरन्तर हो रही गिरावट पर चर्चा के लिये।

43. बजट में सीनियर सैकण्डरी, सैकण्डरी व मिडल स्कूल पर्याप्त संख्या में खोलने सम्बन्धी प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

44. पाली विधान सभा क्षेत्र में पाली शहर में महिला महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. पाली विधान सभा क्षेत्र में मांडावास पंचायत मुख्यालय पर (कन्या) उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

46. तकनीकी शिक्षा के प्रसार की समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

47. उच्च प्राथमिक विद्यालय हुडास तहसील लाडनूं जिला नागौर में अध्यापकों को पन्द्रह वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्यरत रहने के बाद भी नहीं हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर)

48. विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षकों को पदस्थापित नहीं करने और पद रिक्त रखने के फलस्वरूप शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. राजस्थान गैर शिक्षण संस्था अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने पर भी अराजकीय विद्यालयों को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. व्यावसायिक शिक्षा पर्याप्त मात्रा में दिए जाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

51. स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त रखने और विद्यार्थियों से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्य करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के पद रिक्त रखने और शिक्षकों द्वारा समय पर उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

53. झुंझुनू जिले की माध्यमिक विद्यालय पौख के प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

54. झुंझुनू जिले में उदयपुरवाटी

(श्री शिवनाथ सिंह)

माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (धोद)

55. माध्यमिक विद्यालय मूण्डवाड़ा जिला सीकर को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. उच्च माध्यमिक विद्यालय लोसल जिला सीकर में जीव विज्ञान विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर)

57. अलवर में छात्राओं की संख्या के अनुपात में विद्यालयों की कमी होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)

58. ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों के ड्रोप आउट की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु मिड–डे–मिल की शुरूआत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के पद लम्बे समय तक रिक्त होने की स्थिति में विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

62. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों को शहरी क्षेत्रों के कार्यरत अध्यापकों के मुकाबले कठिन दायित्व का निर्वहन करने पर इन्हें समुचित सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

63. बेगूं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान विषय खोलने एवं अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. गांवों में वर्षाकाल में टपकने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु बजट देकर आने वाली बरसात में पूर्व मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. बेगूं विधान सभा क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट)

66. पंचायत समिति मुख्यालय लालसोट पर कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. दौसा जिले में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र नहीं भरने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. पंचायत समिति लालसोट के ग्राम मण्डावरी में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

69. शिक्षा को गत वर्ष समर्पित बजट

(श्री विष्णु मोदी)

होने के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. शिक्षा विभाग में कारगर स्थानान्तरण नीति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा)

73. साक्षरता अभियान के परिणामों से शालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है अतः शाला भवनों के विस्तार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

74. मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की शिक्षक के रूप में नियुक्तियों के बाद उनके प्रशिक्षण (एस.टी.सी., बी.एड.) प्रवेश के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण के लिये चर्चा के लिये।

75. पुराने व जीर्ण शीर्ण शाला भवनों की मरम्मत व ठीक कराने के लिये और बजट में राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

76. बालापुरा (पंचायत सीसोला) जिला बूंदी के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. रायथल (बून्दी) उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. मिडल स्कूल आंतरदा (बून्दी) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से क्षेत्र के साथ बरते जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. पंचायत मुख्यालय माणी (बून्दी) के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़)

80. खटवाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

81. विभाग के साथ सम्भागीय अधिकारियों की व विधायकों की बैठक का आयोजन न कर मंत्री जी के निर्णय के उल्लंघन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. राजकीय व्या. उच्च माध्यमिक विद्यालय, नसीराबाद में वर्ष 1994 में गणित, फिजिक्स व केमेस्ट्री व बायोलोजी के निम्नतम परीक्षा परिणाम में लिप्त अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विद्यालयों में चपरासियों व लैब ब्वाय के 500 रिक्त पदों को न भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

84. अजमेर जिले में जिन शिक्षा विभाग के अधीन शिक्षकों की पदोन्नति पर पदोन्नति फोरगो करने वालों को फोरगो का समय पूरा होने से पूर्व ही पुनः इच्छित स्थान पर पदोन्नति देकर पक्षपात व नियम विरुद्ध कार्यवाही करने पर चर्चा के लिये।

85. उप शिक्षा निदेशक एवं जिला शिक्षा (छात्र एवं छात्राएं) अधिकारियों द्वारा छात्र कोष से धन निकलवा कर फ्यूल के काम में लेने व वापस न देने तथा छात्र कोष का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

86. झुंझुनू जिले की उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी)

87. जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर (पुरुष) द्वारा नियम विरुद्ध शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना)

88. सिवाना क्षेत्र के खण्ड मोकलसर, पादरू माध्यमिक शालाओं को सीनियर उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. मरु क्षेत्र में शिक्षा विस्तार हेतु अधिक बजट राशि के आवंटन पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदया, आज के शिक्षा पर होने

(15.07)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

वाले खर्च के बारे में राजस्थान विधान सभा में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सदन के सामने शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए विधान सभा से स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पेश किया है। मान्यवर, राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। आजादी के बाद बहुत तेज गति से गांवों और कस्बों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। स्कूलें भी खुली हैं। कल इस बात पर विवाद हो रहा था कि हमारे जमाने में अधिक खुलीं, उधर के कह रहे थे हमने ज्यादा खोलीं। दोनों तरफ से काफी स्कूलें खुली हैं। कांग्रेस के राज में बहुत खुलीं क्योंकि कांग्रेस ने लम्बे समय तक शासन किया और आज के सत्ता पक्ष को तीन बार मौका मिला है, तीसरी बार है लेकिन थोड़े-थोड़े समय के बाद आप लोगों को जाना पड़ा, इस कार्यकाल में भी स्कूलें खुली हैं और शिक्षा के प्रसार में भारी योगदान हुआ है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पिछली बार भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने स्कूलें खोलीं। बाई एण्ड वाज मुझे किसी से यह सुनने को नहीं मिला कि इसमें शिक्षा मंत्रीजी ने ज्यादती की हो, हमारे व्यू पाइण्ट को नहीं सुना हो,

(श्री रामनारायण चौधरी)

लोगों को सुना गया। माननीय सदस्यों के कहने से नहीं हुआ तो और कहीं कर दिया गया होगा लेकिन कुल मिलाकर इनकी अच्छी परफारमेंस रही। अब प्रश्न यह है कि शिक्षा की दृष्टि से प्रसार संख्या बढ़ा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों की, हाई स्कूलों की, मिडल स्कूलों की शिक्षा बढ़ाते जा रहे हैं संख्या में, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से आपका क्या लेखा-जोखा है? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर आपने स्कूलें खोल दीं आप यह कहेंगे कि प्राइमरी सेक्शन मेरे अन्तर्गत नहीं आता, यह तो पंचायत मंत्रीजी के अन्तर्गत आता है, आपने जो बजट का पोथा दिया है उसमें आपने लिख रखा है कि पंचायत समितियों को आप हण्ड्रेड पर्सेण्ट अनुदान दे रहे हैं, कुछ स्कूलों को आप 90 पर्सेण्ट दे रहे हैं, कुछ को आप 80 पर्सेण्ट, 60 पर्सेण्ट, 50 पर्सेण्ट तक आप अनुदान दे रहे हैं, मैं यह मान कर चलता हूं कि बेसिक जिम्मेदारी शिक्षा की माननीय शिक्षा मंत्री, आपकी है, बजट खर्च होने वाला आप पास करवा रहे हैं, पंचायत समितियों पर जितना व्यय होगा, आपके इस बजट के अन्दर, व्यय के अन्दर वह सारा खर्च शामिल है, गांवों को शिक्षा की दृष्टि से, मान्यवर, कितना पीछे ले जा रहे हैं। गांवों में आज आपने स्कूल खोल रखी हैं, वहां कोई देखने वाला नहीं है। आपने एक-एक पंचायत समिति में दो-दो, तीन-तीन एस.डी.आई. दे रखे हैं। कोई भी एस.डी.आई. नियमित रूप से गम्भीरता से इस दृष्टि से गांवों में नहीं जाता कि गांव की स्कूल को चैक कर आये। आपने उनको जीपें दे रखी है उसमें तीन, चार, पांच एक्सटेंशन आफिसर बैठ जायेंगे, साथ में वह भी बैठ कर चला जायेगा। एक तरीका है शिक्षण संस्थाओं के निरीक्षण का कि एस.डी.आई. प्रोग्राम देवे, वहां जाकर गांव में रुके और गांव वालों से बात करें, अध्यापकों से बात करे और लड़कों से बात करे। कल पुलिस डिमाण्ड के ऊपर हमारी पार्टी के चीफ व्हिप बोल रहे थे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिपाही के अन्दर एक बड़ा भारी गैप है। मैं कहता हूं कि आपका एस.डी.आई., आपका डिप्टी इन्स्पेक्टर, आपका इन्स्पेक्टर आफ स्कूल और आपका डाइरेक्टर आफ एजूकेशन, डिप्टी डाइरेक्टर आफ एजूकेशन किसी भी स्कूल को, कालेज को, प्राइमरी या हाई स्कूल को देखने के लिए जाता है तो कभी भी उन्होंने लड़कों से बात की है? गांव वालों से कभी बात की है क्या? कोई बात नहीं करते। इतना बड़ा गैप संवाद का शिक्षा विभाग के अधिकारियों में, ग्रामवासियों और स्कूल के बच्चों में है। मैं जब छोटा बच्चा था, पढ़ता था तब डायरेक्टर आफ एजूकेशन एक बार हमारी स्कूल देखने आये। सारे गांव में, सारी स्कूल में तहलका हो गया कि डायरेक्टर आफ एजूकेशन जयपुर से हमारी स्कूल को देखने आये हैं। उन्होंने एक राउण्ड लिया तो सभी लड़कों में एक उत्सुकता हुई। आज कभी डायरेक्टर आफ एजूकेशन ने किसी स्कूल को, किसी कालेज को देखा है? फुरसत ही नहीं मिलती वहां से ट्रान्सफर में, प्रमोशन में, डी.पी.सी. में और दूसरे कामों में, परचेजिंग में, सेल में। यह सारा काम जो होना चाहिए था उन सब कामों को, मान्यवर, भुला दिया गया है। आज का अधिकारी दूसरे ही कामों में फंसा हुआ है, किसी को

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक मिनट की भी फुरसत नहीं है। कितनी तेज रफ्तार से वे चल रहे हैं कि जो मकसद उनको दे रखा है उस मकसद की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत शिक्षा मंत्रीजी, माननीय गुलाबसिंहजी और हायर एजूकेशन के मंत्री माननीय ललित किशोरजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो स्कूल खोली है और खोल रहे हैं, आप भी मंत्री की हैसियत से अपने अधिकारियों को रेगुलेट कीजिये, उनको डिसिप्लीन में लाइये जिससे शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से सुधार ला सकें। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में गांवों में से कोई भी लड़का आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस., आर.ए.एस., आर.पी.एस. और दूसरी अदर सर्विसेज में नहीं जा पायेगा। क्लर्क के लिए कहेंगे, बी.ए. और एम.ए. तक लड़के चपरासी के लिए अप्लाई करेंगे। कहां जायेगा, किसका मुकाबला कर सकेगा। शहरों के अन्दर तो आज इण्डियन इन्टरनेशनल स्कूल, सेंट जेवियर, एस.एम.एस., महारानी गायत्री देवी और पता नहीं जयपुर में कितनी स्कूल हैं, नाम याद नहीं है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आल ओवर इण्डिया कम्पीटीशन होता है। हमारे गांव का लड़का किस प्रकार से उनके कम्पीटीशन में आ सकेगा। ठीक है गांवों के अन्दर जो प्रतिभाएं हैं उनको आकर्षित करने के लिए आपने कुछ व्यवस्था कर रखी है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री राजीवजी गांधी ने एक स्कीम बनायी थी और उस स्कीम की प्रशंसा करने वाले वैचारिक दृष्टि से और सब दृष्टि से राजीव गांधी और उनके परिवार का कट्टर विरोध करने वाले व्यक्ति थे। माननीय मोरारजी देसाई जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उनको पूछा गया कि राजीव गांधीजी ने जो स्कीम दी है देश में शिक्षा की उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिक्रिया बहुत ठीक है, स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इस स्कीम के लिए पैसा कहां से लायेंगे और किस प्रकार से यह इम्प्लीमेंट होगी, अन्यथा यह स्कीम तो बहुत बढ़िया है। वह स्कीम भी ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। आपने प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए जो स्कीम बनायी उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने जो स्कीम दे रखी है उसको ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट करें। गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा का बढ़ावा किस प्रकार से हो, स्कूलों का, कालेजों का निरीक्षण ठीक प्रकार से हो उसके लिए आपको प्रोग्राम देना चाहिए। ठीक है डाइरेक्टर आफ एजुकेशन के नीचे स्कूल एजुकेशन वालों के लिए, टेन प्लस टू के लिए इनकी जिम्मेदारी है और डिग्री व अपर डिग्री क्लास के लिए जो डाइरेक्टर कालेज एजुकेशन है आप उनको भी कहिये जिसके भी क्षेत्राधिकार में एजूकेशन है वे कालेजों को देखें, स्कूलों के अन्दर बच्चों से वार्ता करें, लड़कों के गार्जियन को बुलावें, पहले से प्रोग्राम दे दें। यह नहीं कि कार ले ली और एकदम वहां पहुंच गये। पहले से प्रोग्राम भेजिये प्रिंसिपल को, हैड मास्टर को सूचना दी जानी चाहिए कि हम लड़कों से बात करेंगे और लड़कों के गार्जियन आयें उनसे भी हम बात करेंगे ताकि देश के अन्दर शिक्षा के बारे में जो कम्युनिकेशन गैप है वह दूर हो और यह महसूस करे राजस्थान की जनता,

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान का विद्यार्थी और राजस्थान के विद्यार्थियों के गार्जियन कि हमारे बच्चों का भविष्य शिक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है। जो गार्जियन वहां पर आयेंगे उनसे पूछेंगे, वे सुझाव देंगे। एक अदना सा अदना गार्जियन है, छोटा सा है वह भी आपको ऐसे सुझाव देगा कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन उसको माने। मत मानिये लेकिन आप उनसे पूछें तो सही, शिक्षा मंत्रीजी, दोनों शिक्षा मंत्रीजी। गांव के अन्दर या शहर के अन्दर जहां भी आवश्यकता है वहां प्रोग्राम देकर कुछ स्कूल के अन्दर आपको जाना चाहिए। आपको भी विद्यार्थियों से, उनके गार्जियन से वार्ता करनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय चतुर्वेदीजी ने बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जिन जिलों के अन्दर हैड क्वार्टर्स पर लड़कियों के लिए कालेज नहीं है वहां इतनी लड़कियों की संख्या होगी तो हम वहां कालेज खोलेंगे। मैं उनसे आशा करूंगा कि वे अपने वायदे पर, जो पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने वक्तव्य दिया था, कायम रहेंगे। मेरे झुंझुनूं जिले के अन्दर न लड़कों का कालेज है और न ही लड़कियों का है। आप कह देंगे कि झुंझुनूं जिले में बहुत कालेज हैं। जो कालेज हैं, आपके हैं, मैं इन्कार नहीं करता क्योंकि 90 पर्सेण्ट एड आप देते हैं। बाकी लड़कों से वे फीस लेते हैं। तो कालेज को चलाने वाले, स्कूल को चलाने वाले अधिकांश प्रोपराइटर्स घाटे में नहीं हैं, वे फायदे में हैं। लेकिन जो व्यवस्था, जो सुविधा गवर्नमेंट कालेज, गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन्स में होती हैं वह नहीं है। आज वे इतनी फीस ले लेते हैं, माननीय स्पीकर महोदय, कि आज गरीब लड़का इतनी फीस प्राइवेट स्कूलों के अन्दर दे नहीं सकता। ठीक है 90 पर्सेण्ट तो आप देते हैं लेकिन बाकी 10 पर्सेण्ट के लिए आपने उनको छूट दे रखी है और वे 10 की बजाय मनमाने तरीके से....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : मण्डावा में तो गर्ल्स कालेज है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, है लेकिन वह प्राइवेट कालेज है। देहात में है, झुंझुनूं में कहां है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनको तो पद्मश्री मिला है।

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनूं जिले के अन्दर न लड़कों का कालेज है और न ही लड़कियों का कालेज है। किसी जमाने के अन्दर अंग्रेजों का शासन था और जब जयपुर स्टेट था तब 1944 के अन्दर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल झुंझुनूं के अन्दर खोली थी और वह आज तक हाई स्कूल ही है। उसका नाम आप हायर सैकण्डरी कर दो, सीनियर हायर सैकण्डरी कर दो लेकिन वह स्कूल ही है। उसमें इतने लड़के हैं लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर क्यों नहीं जाता ? मैं चतुर्वेदीजी से निवेदन करूंगा कि ठीक है पूरे झुंझुनूं जिले में आपको पार्टी के सिम्बल से बी.जे.पी. का कोई प्रतिनिधि नहीं आया और लोक सभा में भी नहीं आया फिर भी झुंझुनूं जिले की जनता को सरकार से यह मांगने का अधिकार है। जिला हैडक्वार्टर पर सबसे पुरानी हायर सैकण्डरी और टेन प्लस टू स्कूल और सबसे ज्यादा लड़के वहां पर हैं।

(श्री रामनारायण चौधरी)

शिक्षा की दृष्टि से किसी जमाने में झुंझुनूं जिला सबसे पिछड़ा हुआ था। आज दोनों माननीय महामना बिराजे हुए हैं, शिक्षा मंत्रीजी और अपर एजूकेशन के शिक्षा मन्त्रीजी, आप आंकड़े निकाल लीजिए, झुंझुनूं जिले का पर्सेण्टेज किसी जिले से कम नहीं है, हाइएस्ट है। लड़कियों का हाइएस्ट है और लड़के लड़कियां दोनों का मिलाकर झुंझुनूं जिले का पर्सेण्टेज हाइ-एस्ट है। फिर आप देखेंगे कि लड़कों की भर्ती का कितना बड़ा दबाव पड़ता होगा। आप क्राइटेरिया बनाते हैं स्कूल खोलने का, उस क्राइटेरिया में झुंझुनूं जिला एडजस्ट नहीं हो सकता। कई जगह 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक स्कूल नहीं हैं लेकिन झुंझुनूं जिले में तो आपको 3 किलोमीटर के फासले पर भी अपर मिडिल स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल खोलनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे स्कूलों में स्कोप ही नहीं है पढ़ने का। स्पीकर महोदय, आज स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं दे रहे हैं हैड मास्टर। वह कहते हैं कि मेरे पास गुंजाइश नहीं है। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है तो लड़के जायेंगे कहां? कहते हैं कि साहब-सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, मैं कैसे बैठाऊंगा? आप कैसे बैठाओगे? पेड़ के नीचे बैठा दो, छप्पर डाल दो, वहां बैठा दो, लेकिन लड़कों को एडमिशन दो। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि आने वाली जुलाई में सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए जो लड़का जाये उसका इस आधार पर एडमिशन रिफ्यूज नहीं होना चाहिए कि लड़कों के बैठने के लिए जगह नहीं है, स्टाफ की कमी है। कहां जायेंगे? कहीं जाने की गुंजाइश नहीं है। इतनी डेन्सिटी है स्कूल की और लड़कों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है।

मान्यवर, झुंझुनूं जिले की इस सीमा पर मण्ढावा है, हरियाणा की सीमा पर पचौरी है। इस दरम्यान माननीय चतुर्वेदीजी और माननीय गुलाबचन्द जी कटारिया साहब, आप किसी भी हाई स्कूल के अन्दर, किसी भी मिडल स्कूल के अन्दर जांच करवा लीजिए, 50 पर्सेण्ट स्ट्रेंथ लड़कियों की है और वे लड़कों से ज्यादा पढ़ाई में अच्छी हैं, इंटेलीजेंट हैं। आप इस प्रकार के जिले में स्कूल के लिए शिक्षा के लिए, मैं नहीं कहता कि आप विशेष दर्जा दीजिए लेकिन आप हमारी समस्याओं पर सहानुभूति के साथ विचार कीजिए। जुलाई के महीने में किसी का एडमिशन इस आधार पर कि जगह नहीं है, स्टाफ की कमी है, रिफ्यूज नहीं होना चाहिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने 60 सैकण्डरी स्कूल, 600 प्राइमरी स्कूल खोले हैं। अपर प्राइमरी तो प्राइमरी में ही आते हैं, अपर प्राइमरी और प्राइमरी एक ही है, बहुत कम हैं। आपके 200 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर कम से कम आपको पांच स्कूल देने चाहिए। आप, झुंझुनूं जैसे जिले के लिए जहां लड़कों की संख्या इतनी बड़ी है, अंदाजा लगा लीजिए कि कहीं तो 40 लड़के ही नहीं हैं प्राइमरी स्कूल में, उसको आप मिडल स्कूल बना रहे हैं, तो आप कह देंगे कि तो बनायें ही नहीं। आप वहां भी बनाइये, हम रोकते नहीं हैं। लेकिन झुंझुनूं और सीकर जैसे जिले जहां पर यह स्थिति है, अलवर में भी आ सकती है; भरतपुर जिले में भी आ सकती है, जहां

(श्री रामनारायण चौधरी)

गांवों के अन्दर पर्सेण्टेज ज्यादा है, यहां के लड़कों को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। मैं चतुर्वेदीजी से निवेदन करूंगा कि झुंझुनूं में गवर्नमेंट की टेन प्लस टू स्कूल वर्षों से है, इससे पुरानी कोई स्कूल राजस्थान में जिला हैड क्वार्टर पर नहीं है। उसको आपको लड़कों के लिए कॉलेज बनाना चाहिए। लड़कियों का स्कूल जो अभी बना है, उसकी अच्छी बिल्डिंग है। लड़कियों की बड़ी भारी संख्या वहां पर है। आप कह देंगे कि अनुदान दे दिया होगा। प्राइवेट स्कूल है; शाह उसका प्रोपराइटर है, सेठ है; सेठ तो क्या है वह अभी नया बना है; उसने अच्छा पैसा लगाया है। एक प्राइवेट कालेज चलाता है, अब आप उसको कह देंगे कि वह भी है तो उसको न तो सरकार से मान्यता है, न यूनिवर्सिटी से मान्यता है। वह तो प्राइवेट लड़कियों को पढ़ाता है और उनसे फीस लेता है। वहां की लड़कियां प्राइवेट ही बी.ए. और एम.ए. में पढ़ती हैं तो उसको आप कालेज के अंदर गिना नहीं सकते, मान्यता नहीं दे सकते। लड़कियों का जो टेन प्लस टू स्कूल है; उसकी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, 60 लाख रुपये खर्चा करके वहां जिस व्यक्ति ने स्कूल बनाया है जिसका माननीय चतुर्वेदी साहब, आपने भी उद्घाटन किया है, वह तो चाहते थे कि उसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री आयें। माननीय शिवनाथसिंहजी इस बात की चेष्टा भी कर रहे थे, मैंने कहा कि आपको अगर इसको कॉलेज बनाना है तो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलायें या चतुर्वेदीजी को बुला लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप कब उसका उद्घाटन कर आये। आप उन दोनों के बारे में विचार करें। झुंझुनूं जिले के अंदर एक भी लड़कों की और लड़कियों की कॉलेज नहीं है। आप आंकड़े मंगवा लीजिये, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर गवर्नमेंट की कालेज नहीं हो, सिर्फ झुंझुनूं ही ऐसा जिला है इस मायने में जहां गवर्नमेंट की न लड़कों की और न लड़कियों की कॉलेज है। मैं कॉलेज एजूकेशन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और घनश्यामजी से भी निवेदन करूंगा कि अब तो आप चौमूं के अंदर आ गये लेकिन आप शेखावाटी के हैं और आपका बड़ा आवागमन है, अभी आप पंचायतों के इंचार्ज भी वहां थे। लोगों ने आपको भी कहा होगा और आप उन्हीं लोगों के पास ठहरे थे जिनका वह स्कूल है, जिन्होंने इसकी बिल्डिंग को बनाया है। उन्होंने भी जिक्र किया होगा, जिक्र नहीं भी किया होगा तो मैं उनको कहूंगा कि वह आपसे मिलें, चतुर्वेदीजी से भी मिलें ताकि झुंझुनूं जिले में शिक्षा की व्यवस्था हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करते हुए समाप्त करूंगा कि प्राइमरी एजूकेशन, अपर प्राइमरी एजूकेशन के गुणात्मक प्रसार पर ध्यान दिया जाये, झुंझुनूं जिले में एक लड़कों का और एक लड़कियों का कालेज खोला जाये और आपने जो मिडल स्कूल एवं सैकण्डरी स्कूल की संख्या दी है, वह कांस्टीट्यूएंसीवाइज संख्या बहुत कम पड़ती है, इसको बढ़ाया जाये। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोरजी सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षा के बारे में

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बहस प्रारम्भ करते समय शिक्षा मंत्री और शिक्षा के प्रति जो बड़ाई की है, वह सूचक है कि शिक्षा के प्रति इस राजस्थान के सभी माननीय सदस्य रुचि रखते हैं जो अपने क्षेत्र से विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि यह एक कल्याणकारी राज्य है और इसमें शिक्षा और चिकित्सा, यह दो ऐसी चीजें हैं जो सामान्य जन से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा की दृष्टि से पिछली बार का बजट देखें तो राजस्थान के आजादी के बाद के इतिहास में, मेरा ख्याल है, शिक्षा के ऊपर कभी इतना रुपया खर्च नहीं किया गया। हमारा पिछला बजट शिक्षा को समर्पित था, इस बार का बजट स्वास्थ्य और चिकित्सा को समर्पित है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सोच है, कि वह जिस तरीके से राजस्थान के विकास के लिए सोचती है मैं उसके लिए राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी और उनके मंत्रिमडल को हृदय से बधाई देता हूं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं, कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से हमारा सौभाग्य है कि ललित किशोरजी चतुर्वेदी उच्च शिक्षा से जुड़े रहे और राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे। वर्षों तक यह डिमांड विद्यार्थी करते रहे कि विश्वविद्यालयों के परिसर बचाये जायें क्योंकि जिस तरह आज शिक्षा में अराजकता पैदा हो गयी है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेज और स्कूल्स में, इसलिए विद्यार्थियों को आना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, उनको आंदोलन चलाने पड़े। विद्यार्थी परिषद् ने एक आंदोलन चलाया था परिसर बचाओ, शैक्षणिक सत्र को नियमित करो और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी ने सबसे पहला ध्यान इसी बात पर दिया कि विश्वविद्यालय में समय पर परीक्षा हो, समय पर कॉलेज खुलें, समय पर विद्यार्थियों के इलेक्शन्स हों। चार विद्यार्थी गये और वाइस चांसलर की टेबल को ठोका, वाइस चांसलर ने दबाव में आकर कह दिया कि तुम्हारी यह परीक्षा दस दिन बंद होगी।

तो यह जिस तरह से विश्वविद्यालयों को आपने रेगुलराइज किया है परीक्षा परिणाम निकालने की दृष्टि से, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी भी इस दृष्टि से ठीक नहीं हुआ है। हम जब सब विश्वविद्यालयों को ठीक करने जा रहे हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय को भी हमें ठीक करना होगा। पढ़ाई हो कालेजेज में, इसकी तरफ आपने ध्यान दिया। स्वायत्तशासी हमारे यहां कालेजेज थे और उनमें जिस तरह की आपाधापी थी उनकी डिग्रियों को कोई मान्यता नहीं थी उसकी तरफ भी आप मेहरबानी करके ध्यान दें तो मैं सोचता हूं कि अच्छी शिक्षा बालकों को दे सकेंगे।

मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, इस विधान सभा में अनेक बार वर्षों तक अस्थाई विश्वविद्यालय और कालेजेज के शिक्षकों के दुख और दर्द की चर्चा हुई लेकिन हर शिक्षा मंत्री आश्वासन देते रहे, टालते रहे लेकिन आप ने उन अस्थाई शिक्षकों को स्थाई करने की दृष्टि से जिस तरीके से प्रयत्न प्रारम्भ किये हैं, मैं तो चाहता हूं कि उसमें आपको सफलता मिले और निश्चित रूप से वर्षों से जो एक फ्रस्ट्रेशन उनके दिमाग में है वह दूर होगा और वह सारे के सारे स्थाई किये जायेंगे।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि फिजिकल एजूकेशन के टीचर्स और लाइब्रेरियन्स जो विश्वविद्यालयों में हैं, यू.जी.सी. ने सब को ग्रेड दिये, सब लोगों के ग्रेड्स आपने बदल दिये लेकिन यह दोनों ऐसे दुर्भाग्यशाली रहे जिनके ग्रेड्स आपने बदले नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि कि उनके भी ग्रेड्स बदले जायें क्योंकि राज्य यू. जी. सी. से पैसा ले चुका है उस पैसे का भी यूटीलाइजेशन होगा और वह जो एक बेईमानी दिखाई पड़ती है वह भी नहीं दिखाई पड़ेगी यदि हम लोगों ने उसके लिए प्रयत्न किया तो।

में बधाई देना चाहता हूं आपको कि बालिका शिक्षा के लिए आपने विद्यालयों को 90 परसेंण्ट तक एड दी है लेकिन आज भी सात कालेजेज राजस्थान में लड़कियों के ऐसे हैं जिनको 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। तो प्रयत्न ऐसा करें कि निश्चित रूप से बालिकाओं को भी पूरा 90 पर्सेण्ट अनुदान मिले।

मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे कि आपने बांसवाड़ा के अन्दर स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी के नाम पर बालिका महाविद्यालय खोलने की घोषणा की क्योंकि वह जनजाति क्षेत्र भी है और आपने जिस तरीके की उदारता दिखाई, उस दिन, मैं उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे इसके साथ-साथ करना चाहता हूं कि तमिलनाडु को यदि हम देखें तो उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन तक तमिल में देने का प्रबंध किया है। उन्होंने अपनी भाषा को विकसित करने की दृष्टि से मेडिकल की और जो बड़े-बड़े इन्जीनियरिंग कालेज हैं, यह लोग कहते हैं कि हायर एजूकेशन अपनी भाषा में नहीं दी जा सकती है लेकिन रशिया और इजराइल ऐसे देश हैं कि जहां अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं और हमसे ज्यादा उन्होंने तरक्की की है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तमिलनाडु का कम से कम इस दृष्टि से हम अनुसरण करें और हायर एजुकेशन अपनी भाषा में अधिक से अधिक हो। मुझे आज भी याद है कि स्वर्गीय डाक्टर दौलतसिंह जी कोठारी ने कहा कि हम एम. एस. सी. की क्लास जब पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी में तो प्रारम्भ करते हैं लेकिन जो स्टूडेन्ट्स आते हैं उनकी भाषा में फिर बताते हैं तब जाकर उनके पूरी बात पल्ले पड़ती है। तो क्यों नहीं प्रारम्भ से ही हम इस बात का प्रयत्न करें कि यह तकनीकी एजूकेशन या हायर एजूकेशन भी हम अपनी भाषा में दे सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए मैं पुन: उच्च शिक्षा मंत्री जी को बधाई देते हुए निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आपने प्रारम्भ किया उसी तरीके से कालेजेज में निरीक्षण हों। आज जो टीचर्स हैं वह विश्वविद्यालयों में हाजरी नहीं करते। जिसकी मर्जी आता है वह पढ़ाता है और जिसकी मर्जी आती है वह नहीं पढ़ाता है। यह स्वायत्तता तो बहुत अच्छी दिखती है लेकिन अगर टीचर्स क्लास नहीं लेते हैं तो उन्हें तनख्वाह किस बात की दी जाती है? कल को स्टूडेन्ट्स मांग करेंगे कि हमें बिना पढ़े डिग्री दी जाय और टीचर्स यह मांग करेंगे हमको बिना पढ़ाने के तनख्वाह दी जाये। ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए निरीक्षण प्रभावी बने कालेजेज में, विश्वविद्यालय में, इसकी भी आवश्यकता है।

आज प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

में 1986 की पालिसी के अन्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार बहुत पैसा दे रही है। मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मन्त्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से आज मध्य प्रदेश में जाकर देखें कि किस तरीके से उन्होंने उसको आर्गनाइज किया है। व्यावसायिक क्यों? इसलिए कि आज रोटी का सवाल पैदा हो गया है। शिक्षा आज रोजी रोटी से जुड़ गयी है इसलिए वहां पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जब केन्द्र हमको रुपया दे रहा है तो उसको हम यूटीलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अधिक से अधिक योजनायें बनायें यह केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक रह गयी, 12वीं तक हो गयी और उसके बाद हायर एजूकेशन में यदि व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से तरक्की नहीं की तो माननीय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठकर दोनों के दोनों इस बात को तय करें कि हायर एजुकेशन में भी इस तरह के कोर्सेज हों, ऐसे वोकेशनल कोर्सेज हों जिसकी वजह से इस प्रणाली से आने वाला जब 12वीं पास करता है उस आदमी को भी आगे जाकर वोकेशनल एजूकेशन मिल सके और इस तरीके से वह अपनी रोजी-रोटी चला सके और केवल एम्प्लाइमेन्ट एक्सचेन्ज के दरवाजे पर अपना नाम लिखाकर बरसों तक खड़ा न रहे।

आपने आई. टी. आई. खोलने की घोषणा की है, आपने पोलीटेक्निक कालेज बढ़ाने की बात की है, आज आप टेक्नीकल एजूकेशन की दृष्टि से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन मैं यह चाहूंगा कि इन दोनों को कोआर्डिनेट करके यदि ऐसे कोर्सेज बनायेंगे तो उसका बहुत लाभ होगा।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरीके से कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के आज तक के सम्पूर्ण इतिहास में यह स्कूल हमेशा बाद में खुलते रहे हैं लेकिन पहला वर्ष था तब 20 मई को स्कूल खोल दिये गये। छुट्टियों में ही यह तय कर दिया गया कि स्कूल खुल जायें और इस तरह से 20 और 23 मई को सारे स्कूल खोल दिये गये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से शिक्षा के अन्दर टीचर्स का एम्पलायमेंट हो रहा है मेरिट्स के आधार पर लेकिन क्या था कि टीचर्स कहीं झुन्झुनूं चला जाता, भरतपुर का आदमी बांसवाड़ा दौड़ पड़ता और बांसवाड़ा का आदमी किसी दूसरी जगह चला जाता, सब जगह इनको भरना पड़ता था। आपने केवल एक तारीख तय की 10 जून, 13 जून द्वितीय श्रेणी के लिए और 10 जून तृतीय श्रेणी के लिए और मेरिट लिस्ट बनी और उनके इन्टरव्यूज हुए तो इधर से उधर टीचर्स भाग नहीं सके और टीचर्स समय पर उपलब्ध हो सके स्कूल में और टीचर्स की भी संख्या यदि देखें तो बहुत ज्यादा है। लेकिन सचमुच में यह दुर्भाग्य ही मानना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा जो मूल शिक्षा है वह हमारी पंचायत समितियों में है और एक वाटर टाइट कम्पार्टमेन्ट पंचायती राज का है और माध्यमिक शिक्षा तो है लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो मूल शिक्षा है उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय नाथूसिंह जी यहां होते, शायद उनका स्वास्थ्य खराब है तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा है इस

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

प्राथमिक शिक्षा को भी हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी लोक जुम्बिश ने जब अपनी शिक्षा प्रारम्भ की तो उन्होंने राज-स्थान के लोगों से नहीं, एक बाहर की एजेन्सी के द्वारा उस प्राथमिक शिक्षा का मूल्यांकन कराया।

उस मूल्यांकन की जो रिपोर्ट आई है वह इतनी हास्यास्पद है कि हंसी आती है। पांचवी क्लास का लड़का है लेकिन उसको दूसरी की नालेज नहीं है, चौथी क्लास का लड़का है तो उसको पहली क्लास की नालेज नहीं है। आखिर वह जो प्राइमरी स्कूल का लड़का है जब उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा की तरफ जाता है तो हमारे रिजल्ट्स खराब रहते हैं।

मैं निवेदन करूंगा शिक्षा को समग्रता के साथ जोड़ा जाये। आप प्राइमरी से लेकर हायर एजूकेशन तक विचार करें तो निश्चित रूप से हम लोग शिक्षा की दृष्टि से काम अच्छा कर सकेंगे। आपने यह डाकूमेंट शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार ऐसा बनाया है, माना कि विधायक ने कहा कि झुंझुनूं की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, मैंने फट इसको उठाकर देखा, इसमें चार्ट देखा और सारे राजस्थान से कम्पेयर कर डाला, एक मिनट लगा मुझे। तो इस तरीके से यह जो सारा डाकूमेंट दिया है इसे सब माननीय सदस्य पढ़ेंगे, मैं इस डाकूमेंट पर नहीं जाना चाहता। आपने इस डाकूमेंट के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, बालकों की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा कर्मी, लोक जुम्बिश, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्प भाषायी, विकलांग बालकों की शिक्षा और संस्कृत शिक्षा, इन सब शिक्षाओं को आपने लिया है। एक ही जगह आपने इनको समाहित किया है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत शिक्षा हमारे देश की एक तरह से धरोहर है, यह कहना चाहिए। हमारे जितने भी पुराने ग्रन्थ हैं वह सारे के सारे संस्कृत में हैं लेकिन हमारे यहां संस्कृत शिक्षा को नेग-लेक्ट किया गया है। कभी कोई युग था तब हमारे देश में पाठशालाएं होती थीं। गांव के लोग उनका प्रबन्ध करते थे। शिक्षा राज्य के आधार पर नहीं चलती थी, राज्य के वित्त से नहीं चलती थी। पण्डित जी पढ़ाते थे और संस्कृत का ज्ञान देते थे, एक करेक्टर खड़ा होता था। मदरसे चलते थे, मस्जिदों के साथ मिलकर मकतब चलते थे, वहां धर्म की शिक्षा भी दी जाती थी और तब किसी तरह का दोष नहीं होता था धर्म की शिक्षा से। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा के साथ-साथ संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करें और यदि हमारी संस्कृत शिक्षा प्रोत्साहित होती है, आज आपने तीन पीरियड संस्कृत शिक्षा के लगा रखे हैं, पास होने के लिए उसमें कोई अनि-वार्यता नहीं, कैसे लोग संस्कृत पढ़ेंगे, कैसे लोग उसकी तरफ मोटिवेट होंगे। आप संस्कृत को पूरा दर्जा दीजियेगा जिस तरीके से आपने अन्य भाषाओं को पूरा दर्जा दिया हैं। आज दस लड़के होंगे तो सिन्धी का सबजेक्ट खुल जायेगा, आज दस लड़के होंगे तो पंजाबी का सबजेक्ट खुल जायेगा, आज दस लड़के होंगे तो तमिल खुल जायेगी, उर्दू खुल जायेगी। संस्कृत को अनिवार्य करना चाहिए। राजस्थान में आप संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य करें। पहले कभी थी, संस्कृत शिक्षा पहले छठी क्लास से पढ़ाई

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जाती थी, अब उसे नहीं पढ़ाया जाता है। मैं तो चाहता हूं कि जैसे ही लड़का पांचवी पार करके आता है तभी उसको संस्कृत दी जाये और केवल संस्कृत शिक्षा ही नहीं, उसके साथ नैतिक शिक्षा दी जाये। नैतिक शिक्षा यदि बालकों को मिलेगी तो आने वाला बालक जैसा हम भारत चाहते हैं, जिस भारत की कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने की है, जिस राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की है, यदि सच-मुच में हम उस राज को लाना चाहते हैं तो हमारी पीढ़ी जिस तरीके से तैयार होगी, उसका चिन्तन जिस तरीके का होगा, इस-लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप संस्कृत के साथ-साथ नैतिक शिक्षा को भी इसमें जोड़े। 1986 की पालिसी के अन्त-र्गत निदेशक ने एक आदेश निकाला चित्र-कला और संगीत के लिए, दूसरे निदेशक ने 1986 की उस पालिसी के अन्तर्गत चित्र-कला और संगीत के अध्यापकों को निकाल कर बाहर कर दिया। यह चित्रकला और संगीत हमारी संस्कृति की विरासत हैं, इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। चित्र-कला और संगीत को शिक्षा से जोड़े रखि-येगा। यदि यह दोनों जुड़ी रहेंगी तो आपकी यह ललित कला अकादमी आगे बढ़ सकेगी। हमारा संगीत आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा नृत्य आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं निवे-दन करूंगा आपसे कि आज दुनिया के अन्दर जितने फारेनर्स आते हैं, आज हमारी चित्रकला के माध्यम से इतने चित्र खरीद कर ले जाते हैं और हमको बहुत बड़ी विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। आज सारा नाथद्वारा का व्यवसाय, किशनगढ़ का व्यव-साय, बूंदी का व्यवसाय, इनमें अनेक आर्टिस्ट चित्रकारी में लगे हुए हैं यदि आपने उनको नेगलेक्ट कर दिया तो कैसे वह तैयार होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि कला और संगीत की शिक्षा के ऊपर आप जोर दें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षा को मटियामेट कर दिया है, यह कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरीके से फिजिकल कालेज; जोधपुर की व्यवस्था के लिए बरसों से लोग लड़ते रहे हैं. यहां ट्रेनिंग में लड़कियां आती हैं, यहां लड़के आते हैं और वहां गर्ल्स होस्टल में शारीरिक शिक्षक को आप वार्डन लगा देते हैं। वहां पर वाइस प्रिंसिपल नहीं लग पाता, प्रिंसिपल आज तक नहीं लग सका। (व्यवधान) यह कह रहे हैं वहां शौचालय नहीं हैं, इसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और शौचालय वहां बनाये जायें। यदि वहां बिल्डिंग नहीं है तो फिजिकल एजूकेशन की बिल्डिंग पूरी तैयार की जाय; वहां होस्टल्स बनाए जायें। क्योंकि शारी-रिक शिक्षा जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है, यह तो अनुशासन सिखाती है। अनुशा-सनहीन होता चला जायेगा तो उनकी डिग्रियां क्या होंगी, उनकी उन्नति कैसे होगी; यह आज तक आप तय नहीं कर पाये। मैं निवेदन करूंगा शारीरिक शिक्षकों की जो स्थिति है, मुझे याद है जब श्री भंवरलाल जी शर्मा एजूकेशन मिनिस्टर होते थे तब एक आचार्यजी यहां भूख हड़ताल पर बैठे, उनके साथ फिजिकल एजूकेशन का सम-झौता हुआ लेकिन शिक्षा विभाग के अधि-कारियों ने उनको आज तक लागू नहीं होने दिया और इसलिए वह लोग तो रिटायर हो गए और आज जो लोग रिटायर होने के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इन्तजार में हैं वह दुआएं देंगे अगर आपने उनकी एजूकेशन तय करा दी। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह आर्गेनाइजेशन है, आपका, निदेशालय बीकानेर में है और सारी शक्तियां निदेशक के पास हैं। पावर का डिसैन्ट्रलाइजेशन कीजिये आप। यदि आपने अधिकारियों का विकेन्द्रीकरण नहीं किया, वहां पर एडिशनल डायरेक्टर होता है, वहां जोइंट डायरेक्टर होता है, वहां डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं लेकिन वह निर्णय के लिए इन्तजार करते हैं जब तक निदेशक वहां नहीं पहुंचता। जो अधिकारी हैं वह देखने के लिए नहीं हैं, उनको अधिकार दीजियेगा। आपने डिप्टी डायरेक्टर्स जगह-जगह बैठा रखे हैं... (व्यवधान) वह तो पोलिटिकल डिसीजन है कि बीकानेर के अन्दर एजूकेशन का डिपार्टमेंट होगा। जिस समय मर्जर हुआ था, उसका एक रास्ता सोचा गया था यहां तो निदेशक आता है तो उसको बैठने के लिए भी स्थान नहीं होता है, इसलिए यह एक रास्ता सोचा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन को इस डिपार्टमेंट से अलग कर दिया जाय और सम्पूर्ण प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर एक निदेशालय हो और वह जयपुर में हो लेकिन वह निदेशालय बन नहीं सकेगा राजनैतिक कारणों के आधार पर क्योंकि बीकानेर में जो लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं उन लोगों की इतनी +++ है कि यहां से जाने वाला निदेशक आई ए.एस. होते हुए भी फलीभूत नहीं हो पाता, क्रियान्विति नहीं कर पाता, वहां इतने लोग संगठित हैं। ललित के. पंवार का तो बहुत उज्ज्वल इतिहास रहा है, उन्होंने किया है।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह पावर्स जो हैं उसको आप करें और जब तक इस ढांचे को नहीं बदलेंगे, आज आपके यहां कितने जिला शिक्षा अधिकारी हो गये, प्राथमिक का अलहदा हो गया, शिक्षा अधिकारी अलहदा हो गया, महिलाओं का अलहदा हो गया। ये सारे इतने जिला शिक्षा अधिकारी आपने बैठा दिये, तनख्वाह इनको दे रहे हैं और काम कुछ नहीं है। वे जीप के लिए लड़ते हैं, कहते हैं हमारे पास जीप नहीं है, मैं इंस्पेक्शन पर नहीं जा सकता, मैं काम नहीं कर सकता। तो मेहरबानी करके, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि जैसे जयपुर बहुत बड़ा जिला था तो हमने दो जिला शिक्षा अधिकारी लगा दिये यहां पर। इसी तरीके से आज जब हमारे पास इतने जिला शिक्षा अधिकारी हैं कि मैं सोचता हूं प्रत्येक एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर के ऊपर आज आप डिप्टी इंस्पेक्टर्स के दफ्तर हो जाय। मैंने आपके इस डाकूमेंट में पढ़ा कि आपने कहा हमने डिसैन्ट्रलाइजेशन करने के लिए 20 डिप्टी इंस्पेक्टर्स के दफ्तर खोले। आप काहे के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर के दफ्तर खोल रहे हैं? आपके पास इतने जिला शिक्षा अधिकारी हैं कि प्रत्येक एस डी ओ. हैडक्वार्टर के ऊपर आप एक कार्यालय खोलें और उसमें जिला शिक्षा अधिकारी को लगायें तो प्रभावी निरीक्षण कर सकेंगे। इस समय विद्यालयों का प्रभावी निरीक्षण नहीं हो रहा है क्योंकि निरीक्षण के लिए कोई जाता नहीं है, हर आदमी आज टालता चला जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि एक अच्छा प्रधानाध्यापक,

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

एक अच्छा प्रिंसिपल अगर स्कूल में लगता है तो वह स्कूल को अच्छा चला सकता है। उस प्रधानाध्यापक को आपने पावर्स क्या दे रखे हैं? उस प्रिंसिपल को आपने पावर क्या दे रखे हैं? आज आपके हैड मास्टर और प्रिंसिपल को पावर क्या हैं? यह आप देखें। उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। उनका प्रशिक्षण भी आप एस. आई.आर.टी. द्वारा करते हैं। मैंने तो आपके इस डाकूमेंट में देखा कि आपने नये टीचर्स लगाये, उनका पूर्व प्रशिक्षण भी किया लेकिन कितने लोगों का? 400-500 लोगों को आपने प्रशिक्षित कर लिया, आपने भर्ती तो की अधिक टीचर्स की और प्रशिक्षण दिया थोड़े से टीचर्स को। यह प्रशिक्षण जितना प्रभावी होगा, निरीक्षण जितना प्रभावी होगा, उतनी शिक्षा उससे प्रभावित होगी। इसलिए इंस्पेक्टर्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन सब को कहें, पहले होता था, उनकी जो सी आर. भरी जाती थी उस सी. आर. को भरने से पहले लिखा होता था कितने विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण केवल जाकर के चले आना ही नहीं था बल्कि टीचर्स के साथ में बैठकर के वह चर्चा करते थे, क्लासेज में जाते थे, एक-एक क्लास को देखते थे, सब्जेक्ट को देखते थे और इसलिए प्रभावी निरीक्षण हो....

श्री अध्यक्ष : यह तो माननीय चौधरी साहब भी कह चुके हैं। आप किसी और विषय पर बोलें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर रिपीटीशन कर रहा हूं तो मैं....

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह सबसे इम्पोर्टेंट मामला है। अगर शिक्षा में आज कोई लेकुना है तो यही है जो माननीय सनाढ्य साहब कह रहे हैं। यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा कम्यूनिकेशन गैप आज टीचर्स में, लड़कों में, उनके गार्जियंस में है इसको मिटाओ आप तो, सब मामला ठीक हो जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शिवकिशोर जी की सी.आर. इतनी अच्छी लिखी गयी क्योंकि ये निरीक्षण करते थे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : निरीक्षण तो करता था लेकिन उसका फल नहीं मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी डाकूमेंट में यह दिया हुआ है, दूरस्थ शिक्षा का। हमारा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आज अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, लोक जुम्बिश के माध्यम से, शिक्षाकर्मी योजना के माध्यम से हम गांव के उस आदमी तक, उस पिछड़े हुए आदमी तक पहुंचे हैं कि वह शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन वह हमारी मैन स्ट्रीम में आयेगा कैसे यदि हमने उसकी परीक्षा की व्यवस्था नहीं की तो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस बात की योजना बनायी है और मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा मंत्रीजी को कि आज जो प्राइवेट विद्यार्थी इम्तिहान देने के लिए बैठते हैं, उनकी संख्या दुगनी हो गयी है। उनको पाठ भेजे जाते है, उनको गाइडेंस दी जाती है, उनको बुलाकर उनका टीचिंग किया जाता है। यह सारा का सारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है। भारतवर्ष के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

जितने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हैं पर अनेक बोर्ड केवल परीक्षा लेने का काम करते हैं लेकिन हमारा जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है यह केवल परीक्षा लेने का काम नहीं करता बल्कि शैक्षणिक कार्य भी कर सकता है और इस रिपोर्ट में आपको उपलब्ध होगा और उनके शैक्षणिक कार्यों का विवरण। तो इस दूरस्थ शिक्षा को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने हमारे यहां डाइट खोली है। हमारे यहां डाइट खोली, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और इनके पीछे ऐम था जो राजीव गांधी ने 1986 की पालिसी बनाते समय सपना देखा था। वह यह देखा था कि इन डाइट्स के माध्यम से उन शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जायेगा जो इन सर्विस टीचर्स होंगे क्योंकि ज्ञान तो आज इतनी गति से बढ़ रहा है कि कल वह ज्ञान पुराना हो जाता है इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है। यह जो जिला प्रशिक्षण संस्थान हैं इनको आप प्रभावी बनायें। आपके अधिकारियों को वहां से तो कहा कि डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड का आदमी यहां प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि वहां ट्रेनिंग हो सके, वहां रिसर्च हो सके, यह उसके पीछे केन्द्र सरकार का भाव था लेकिन आपके अधिकारियों का शिक्षा के प्रति जो दुराव था, तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी से ही काम चल जायेगा। क्यों चल जायेगा जिला शिक्षा अधिकारी से काम ? यदि हमको केन्द्र कहता है कि डिप्टी डायरेक्टर की योग्यता के व्यक्ति हमारे पास राजस्थान में है और राजस्थान के लोग कहते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो आप इनको बढ़ाना क्यों नहीं चाहते ? और इसलिए इन प्रशिक्षण संस्थानों को आप मजबूत कीजियेगा और इन सर्विस ट्रेनिंग का प्रबन्ध कीजियेगा। उसके लिए अधिक से अधिक रुपया खर्च करना पड़े तो आप कीजियेगा और अगर किया और अच्छे टीचर्स तैयार होंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए तो मैं आपसे निवेदन करूं, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य मेरी बात को समझे नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ये जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं इनके पीछे जो प्रिंसिपल थीम थी उस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जितने प्रभावी होंगे जिले में, उतना हमारा शिक्षण प्रभावी होगा इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और जब ये प्रारम्भ हुई तो राजस्थान वालों ने सबसे पहले इसकी गाइडेंस तैयार की। एस.आई.आर.टी. वालों ने की और उसके बाद में आपके अन्य राज्यों ने उसे तैयार किया। हम राजस्थान में कभी भी इस दृष्टि से पिछड़े नहीं रहे हैं, कोई भी नयी स्कीम आयी, आज भी एम.सी.ई.आर.टी. में राजस्थान की जो पहुंच है, आज भी नीपा में जो उसकी पहुंच है, आज भी राजधानी दिल्ली में राजस्थान के जो शिक्षा में काम करने वाले लोग हैं उनकी आज जिस तरह से प्रतिष्ठा है, सबसे पहले डाइट का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाकर भेजा, उसे एप्रूव किया गया और एन.सी.इ.आर.टी. से हमारी सराहना हुई लेकिन वह डाकूमेंट, डाकूमेंट ही रहकर रह गया क्योंकि लोगों की मानसिकता यह है कि शिक्षा पर अगर यह रुपया खर्च किया जायेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप डाइट को अधिक से अधिक मजबूत बनायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें । मुझे आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं संक्षिप्त कर रहा हूं । माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको बहुत हृदय से बधाई देता हूं और आपके अधिकारियों को बधाई देता हूं कि हम वर्षों तक लड़ते रहे, एक डायरेक्टर आया था जिसने हमारी सीनियोरिटी लिस्टें बनायी शिक्षा विभाग में लेकिन डी.पी.सी. नहीं हुई और इसलिए टीचर्स को इसका लाभ नहीं मिला । आपने पहली बार डी. पी. सी. की है और डी. पी. सी. करने से लोगों को फायदा मिला है । मैंने यह जो आपका डाकूमेंट है, इसको पढ़ा है । डाकूमेंट के अन्दर आपने प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापकों की डी. पी. सी. की तो लिस्ट दी....

(16.00)

लेकिन आपने व्याख्याताओं की, सैकण्ड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की डी.पी.सी. की जो विभाग की जानकारी है सब जिलों से, जिस तरह की आपने डी.पी.सी. की है उस डी. पी.सी. के माध्यम से शिक्षकों के प्रमोशन्स होंगे। आपके विद्यालय खाली पड़े हुए हैं उनमें शिक्षक जायेंगे लेकिन जब तक यह प्रधानाध्यापक और व्याख्याता वाला झगड़ा जो राजनैतिक आधार पर राजस्थान में खड़ा किया गया है, प्रधानाध्यापक का तो प्रशासनिक पद है और व्याख्याता का शैक्षणिक पद है, यह व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के पद को मिलाकर एक कर देने से न व्याख्याता का प्रमोशन हो रहा है और न आपको हैड मास्टर्स मिल पा रहे हैं । इसलिए....

श्री परसादीलाल मीणा : आज आप जम नहीं रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मुझे आपका प्रसाद मिलेगा तो भाषण जम जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि....

श्री परसराम मदेरणा : मजबूत डाइट से आपका मतलब क्या था ? आपने कहा कि डाइट मजबूत होनी चाहिये । मैंने एक मारवाड़ी में पढ़ा था कि "आदमी और घोड़ा उतना चले जितना मिले मसाला", घोड़ा और आदमी को अच्छा मसाला मिले तो चलता ही जाता है । वह मसाला क्या होना चाहिये ? आप कह रहे हैं कि बड़ी मजबूत डाइट होनी चाहिए । जरा उसकी व्याख्या कर दीजिए ताकि कम से कम मजबूत डाइट के सम्बन्ध में हम भी देखें कि कौनसी मजबूत डाइट है । आपकी कोई रिसर्च की हुई है या...

श्रीमती कमला : संस्थान की बात कर रहे हैं, डाइट की कह रहे हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने मेरा उत्साहवर्द्धन किया है । यह तो डाइट, प्रशिक्षण संस्थान है इन प्रशिक्षण संस्थानों के अच्छे टीचर्स तैयार करने के लिए, यह जो हमारे एस.टी.सी. के केन्द्र जगह–जगह चलते थे उनको डाइट के साथ जोड़कर वहां अच्छे टीचर्स तैयार हो सकें, उनका पाठ्क्रम जिस तरीके से तैयार किया गया है क्योंकि पहले तो एक साल में टीचर्स तैयार हो जाते थे, एक साल में एस.टी.सी. कर लेते थे, उसे दो साल का किया और दो साल के करने के पीछे जो भाव था वह यह था कि कन्टेंट मैटर

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

भी मिलना चाहिए जो वह बालकों को जाकर देने वाले हैं उसका मतलब यह था कि डाइट के माध्यम से अच्छा प्रशिक्षण होगा तो अच्छे टीचर्स तैयार होंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : डाइट की व्याख्या क्या है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अच्छा अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, यह है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं वह यह पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेताजी यह पूछ रहे है कि कैलोरी कितनी है डाइट में ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कितनी कैलोरी होनी चाहिये, कैलोरी के लिए डिप्टी डायरेक्टर आफ एजुकेशन को हैड बनाना चाहिए वह खुराक उन्होंने बता दी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के लिए। डिप्टी डायरेक्टर आफ एजुकेशन के स्टेटस के व्यक्ति को उसका प्रिंसिपल बनाना चाहिए। आजकल आपने इंस्पेक्टर ग्रेड के व्यक्ति को बना रखा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डायरेक्टर भी एजूकेशन में वह जाते हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं और जो और कहीं फिट नहीं हो पाते हैं उनको यहां फिट किया जाता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन कैलोरीज की दृष्टि से मैं निवेदन करूं कि जो इनसर्विस-टीचर्स हैं उनका भी प्रशिक्षण होने के लिए ओरियेन्टेशन होने के लिए उसके अन्दर प्रबन्ध किया गया है कि वह भी अपने सब्जेक्ट का ज्ञान वहां जाकर प्राप्त करे। हैड मास्टर और प्रिंसिपल बहुत अच्छा हो तो वह विद्यालय बहुत अच्छा चल सकता है। इसलिए इन संस्थानों के द्वारा उनके प्रशिक्षण देने का अभी एस. आई. आर. टी. प्रशिक्षण देती है, उन्होंने पूरा एक सिलेबस उसका तैयार किया है, वह अपने हिसाब से देती है लेकिन उसका प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होने लगे तो टी.ए डी.ए. का खर्चा भी बचने वाला है और जब भी आवश्यकता हो तो वहां पर उनको समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आज रिसर्च की भी जरूरत है, क्योंकि जो जन-जातिय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, विक-लांगों की शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र चल रहे हैं, लोक जुम्बिस चल रही है इन सब के परिणाम क्या निकल रहे हैं, शिक्षा में गुणात्मक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच कौन करेगा ? यदि यह डाइट प्रभावी होगी तो निश्चित रूप से वहां जो काम करने वाले लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे यहां के टीचर्स ने अपने लेवल पर, अपने आर्गेनाइजेशन के बनने के बाद में रिसर्च की है और वह रिसर्च छपी है, अनुसंधान भी किये हैं अपने लेवल पर शिक्षा विभाग के सहयोग से किये हैं लेकिन हमारे यहां के टीचर्स ने जो रिसर्च की हैं और वह रिसर्च छपी हैं। यह भी सारी की सारी व्यवस्था होनी चाहिये।

मैं अपनी बात समाप्त करूं उसके पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। आपने बहुत उदारता से सोचा है, पिछले शिक्षा मंत्रियों ने भी इस बात का आश्वा-सन इस विधान सभा में दिया था कि प्रधा-नाध्यापक और व्याख्याता का जो झगड़ा है उसे हम तय करेंगे। हरिकुमार जी ने तो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

यहां पर घोषणा कर दी थी कि मैं इसी विधान सभा के समय में इसका निपटारा कर दूंगा लेकिन वह निपटारा कर नहीं सके और शिक्षा मंत्री बदल गये।

श्री जुबेर खान : खुद निपट गये।.... (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं धमका नहीं रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आपका मतलब यह है कि यह भी नहीं करेंगे तो यह भी चले जायेंगे ? ....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : हमको जानकारी नहीं है, माननीय सदस्य, कृपया बतायें कि झगड़ा क्या है व्याख्याताओं का और हैड मास्टर्स का ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह शिक्षा मंत्री बता देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : संक्षिप्त में बता दीजिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : वह मैं दो शब्दों में निवेदन कर देता हूं आपसे, झगड़ा केवल यह है कि प्रधानाध्यापक का जो वेतन था उसके साथ में प्रशासनिक पद जुड़ा हुआ है, वह सारा एडिमिनिस्ट्रेशन करता था, उसका वेतन प्रारम्भ होता था 2000 रुपये से और हमारे यहां जो कालेज के लेक्चरार हैं और व्याख्याता हैं, समय पूर्व से अगर आप उनका वेतन देखेंगे तो उनका 200 रुपये से प्रारम्भ होता था, कालेज के लेक्चरार और हमारे यहां के व्याख्याताओं का 200 रुपये से वेतन प्रारम्भ होता था.... (व्यवधान)....बहुत पुरानी बात कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : पुरानी बात कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 250 रुपये मैक्सिमम होता था। थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं 1200 रुपये से स्टार्ट होता है, उसके बाद सैकण्ड ग्रेड के हैं उनका 1400 रुपये से स्टार्ट है और जो व्याख्याता थे केन्द्र में और हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों में उनका 1640 से स्टार्ट है लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 2000 से प्रारम्भ होता है। यानि 600 रुपये की गैप आपने सैकण्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स के बीच में कर दी तो फ्रस्ट्रेशन तो अपने आप डवलप होगा दोनों के बीच में और आपने प्रधानाध्यापक का और उसका वेतन मिला दिया इसलिए प्रधानाध्यापक आपको नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि व्याख्याता का वेतन भी वही है और वह भी अब देखते हैं कि मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, 5–6 पीरियड लेने हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। इस विसंगति को मिटा देना चाहिए, अगर यह विसंगति मिट जायेगी, मैंने इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रीजी को सुझाव दिया था कि ऐसी परिस्थितियां हैं, क्योंकि व्याख्याता का वेतन कम नहीं किया जा सकता है, मैं व्याख्याता का वेतन कम करने के पक्ष में भी नहीं हूं, जो मिल गया उसे वापस विदड्रा नहीं किया जा सकता है लेकिन वाइस प्रिंसिपल का जो नाम है, क्योंकि केन्द्र में वाइस प्रिंसिपल लगते हैं और वह हैड मास्टर होते हैं, और उनका नाम वाइस प्रिंसिपल है....स्कूल के व्याख्याता की बात कर रहा हूं, साहब।

श्री परसराम मदेरणा : व्याख्याता

(श्री परसराम मदेरणा)

कालेज के नहीं, उनका वेतन क्या है जो सीनियर सैकण्डरी के हैं ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : 11 वीं और 12 वीं जहां पढ़ायी जाती है ?

श्री परसराम मदेरणा : वही मैं कह रहा हूं। वह जो लेक्चरर हैं उनका मैक्सिमम क्या है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उनका मैक्सिमम ?

श्री परसराम मदेरणा : जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उनका 2000 से लेकर 3500 रुपये तक का है।

श्री परसराम मदेरणा : सैकण्ड ग्रेड टीचर्स के....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जो है ना, इनके 1400 हैं....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं 4000 से ऊपर है। हां, हां है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो है एनोमोली।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हैड मास्टर का और उनका वेतन मैक्सिमम पर भी बराबर है और मिनिमम पर भी बराबर है (व्यवधान) फर्क आ गया ना...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : तो मैं आग्रह कर रहा था माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि यह जो वाइस प्रिंसिपल का 2200 से स्टार्ट है, वह हैड मास्टर को दे दिया जाय और उसको वाइस प्रिंसिपल का पद दे दिया जाय। उसे वाइस प्रिंसिपल कहा जाय। हैड मास्टर को सैकण्डरी में भी लगा सकते है और हायर सैकण्डरी वाइस प्रिंसिपल आप जहां लगाते हैं वहां पर भी आप उन्हें लगा सकेंगे तो इस तरीके से यह जो डिस्पैरिटी पैदा हो गयी है, इस डिस्पैरिटी को आप दूर कर सकते हैं।

एक मैं अंतिम आग्रह आपसे कर रहा हूं कि इस दृष्टि से शिक्षा विभाग ने यहां बहुत आश्वासन दिये कि हमारे यहां जो एस.टी.सी. पास है, यदि वह बी. एड. कर लेता है तो उसे एक इन्क्रीमेंट देते हैं। यदि बी.एड. करने वाला आदमी एम. एड. कर लेता है तो उसे एक इन्क्रीमेंट देते हैं क्योंकि वह अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बढ़ा लेता है, उसका लाभ भी मिलता ही है। आपने सबको दे दिया लेकिन आपने हैड मास्टर को उसमें छोड़ दिया, आपने उसमें प्रिंसिपल को छोड़ दिया, इंस्पेक्टर को छोड़ दिया और आप सोचते हैं कि एम. एड. का लाभ उसको नहीं मिलेगा। वह जब इंस्पेक्शन करने जायेगा स्कूल में, उसके जब टच में आयेगा, तो उसने अपनी योग्यता बढ़ायी है और ऐसे आदमी कितने हैं ? 100–150 लोग रह जाते हैं, मेहरबानी करके इस एम. एड. का जो एक इन्क्रीमेंट है, यह जो अन्तर आपने कर दिया है, कुछ लोगों को छोड़ दिया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि एम. एड. का इन्क्रीमेंट, जो पहले शिक्षा मंत्री आश्वासन देते रहे, आप इसे मेहरबानी करके पूरा करें। ऐसा बिना आश्वासन के पूरा करें....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपको हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इस आग्रह के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजूकेशन तक एक ही अम्ब्रेला के नीचे रहे और इसका चिन्तन रहे तो राजस्थान को इससे अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है जिस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, आज आप किसी भी क्षेत्र में देख लें हमारी किताबों की दृष्टि से देख लें, टीचिंग की दृष्टि से देख लें, हमारे प्रशिक्षण की दृष्टि से देख लें, हम किसी भी प्रान्त से पीछे नहीं हैं। दिल्ली में हमारी सराहना हुई है । केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम सब सारी शिक्षा को समग्रता के साथ देखें । यही आग्रह करता हुआ मेरी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : लिटरेसी पर्सेंटेज जो है समग्रता में, यह भी शामिल रखो । इसमें बहुत नीचे है ना ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर आप इसी डाकूमेंट में देखें, अन्य राज्यों के साथ जो कम्पेयर करके बताया गया है। साक्षरता की दृष्टि से भी हम अग्रणी हो रहे हैं। अब हम ज्यादा पिछड़े हुए नहीं हैं। सन् 2000 तक अगर हम इसी लगन के साथ लगे रहे....

श्री अध्यक्ष : वह मंत्रीजी दे देंगे जवाब बिराजिये आप ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आज शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, यह जो सारी योजनाएँ हमारी चल रही हैं तो मुझे यह विश्वास है कि हम 2000 तक निश्चित रूप से साक्षरता के आंकड़ों को पूरा कर सकेंगे और हम जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए कहलाते हैं, उसमें हम आगे बढ़ पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : यह दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को ज्यादा समय दिया गया क्योंकि इन्ट्रोडक्टरी स्पीचेज चल रही थी । अब मेरा निवेदन है कि समय-सीमा में 10-10 मिनट, 10 मिनट में भी आप चाहें तो सारी बातें हो जाएंगी तो माननीय सभी सदस्यों से निवेदन है कि 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें । श्रीमान् पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ।

श्रीमती तारा भण्डारी : कमला जी भी शिक्षा मंत्री रही हैं (व्यवधान) उनको भी मौका दें तो उनका भी लाभ मिल जाता ।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा टाइम दे देंगे उनको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय आज मांग संख्या 24 शिक्षा संस्कृति. खेल-कूद एवं अन्य तरह की शिक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा हो रही है ।

आप जानते हैं राजस्थान का आधा हिस्सा मरुस्थलीय है और उसमें से आधे जिले ऐसे हैं जहां पर लोग गांवों में ही नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बसते हैं, ढाणियों में बसते हैं और दूरियां भी अत्यधिक हैं। मदेरणा साहब के गांव के पास मेरे क्षेत्र में चाखू एक गांव है। उसकी सीमा 25 किमी. लम्बी है और 16 किमी. चौड़ी है (व्यवधान) एक लाख 24 हजार बीघा जिसको बावनी रोही कहते थे, 52,000 बीघा की होती थी तो लोग आश्चर्य करते थे कि बावनी रोही ऐसा लगता था कि उलाहना। एक लाख 24 हजार बीघा उसका क्षेत्रफल है। नतीजा यह है कि इतनी दूरियां वाली जगह है, वहां पर आम तौर पर प्राइमरी स्कूल भी, उच्च प्राथमिक शालाएं भी, सैकण्डरी स्कूल तक के अन्दर बहुत लम्बे समय तक पद रिक्त रहते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं यहां पर तब, चूंकि चार माह से पद रिक्त पड़ा है तो प्रश्न का उत्तर भेजने से पहले नियुक्ति कर देते हैं और कह देते हैं कि अब कोई रिक्त पद नहीं है लेकिन वास्तव में कोई अध्यापक जाता नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूंगा, पिछले वर्ष मैंने जोधपुर जिले के छात्रों के जिला शिक्षा अधिकारी से यहां से प्रश्न पुछवाया कि प्रतिनियुक्ति पर कितने अध्यापक लगे हुए है तो उन्होंने 37 की लिस्ट दी। लेकिन जब मालूम किया तो 14 ऐसे थे जो प्रतिनियुक्ति पर थे लेकिन उनके नाम यहां नहीं भेजे गये और एक तरह से सदन की अवमानना की, एक गलत रिपोर्ट भेज दी। तो मेरे कहने का आशय यह है कि चाहे कितनी ही स्कूलें हों, इंस्पेक्टर के साथ डिप्टी इंस्पेक्टर, एस.डी.आई. होते हैं तो कहां जगह खाली है, कहां जगह खाली नहीं है, कहां अध्यापक भेजने हैं, यह भी नहीं देख सकते इतने साधन होते हुए, आज टेलीफोन है, उनको गाड़ियां मिल जाती हैं, नतीजा यह होता है कि गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। यह हमारे सबके लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है।

दूसरा, जो मुख्य शिक्षा है, राजस्थान में एक दोहा है "भूम बिना भला न निपजे, नर, तृण और तुरंग" घोड़ा घास और मनुष्य अगर धरती तगड़ी नहीं है तो वह कभी तगड़े हो नहीं सकते। अगर माता शिक्षित नही है, बुद्धिमान नहीं है, चतुर नहीं है तो उसकी सन्तान उन गुणों से भरपूर नहीं होगी। समस्या यह है जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, खास तौर से नागौर जिला, जोधपुर जिला, बाड़मेर जिला और जालौर जिला, इनके अन्दर ढाणियों में रहते हैं दूर-दूर स्कूलें हैं, लड़कियां 4-5 क्लास तक पढ़ती हैं तब तक तो 4.5 किमी. में भी जाकर वापस आ जाती हैं लेकिन जब वे उच्च प्राथमिक शाला में जाती हैं, उच्च प्राथमिक शालाएं, 7-7 8-8 किमी. दूर हैं, कहीं-कहीं 10 किमी. दूर पड़ती हैं तो 14-15 वर्ष की लड़की अकेली कैसे जाए और कैसे आये। आप भी पूछेंगे कि इसका हम क्या इलाज करें। मेरा नम्र निवेदन है कि लड़कियों की शिक्षा को यदि मरुस्थल में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लड़कियों के होस्टल पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। इसके लिए प्राइवेट संस्थाएं आगे आयें, जगह-जगह महिला शिक्षा समितियां बनें, सरकार भवन निर्माण के अन्दर मदद दे। खाली सरकार पर निर्भर रहे, मैं यह नहीं सोचता कि सब सरकार को कर देना चाहिए। हम भी चन्दा इकट्ठा करेंगे, मैनेजमेंट भी उनका करेंगे लेकिन यह जब तक नहीं होगा तब तक स्त्री शिक्षा के अन्दर हमारा प्रदेश बहुत पिछड़ा रह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जायेगा। यह आप जानते हैं, उत्तरी राजस्थान है, इसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ मानव शक्ति बसती है चाहे उनका कद ले लो, चाहे उनकी हिम्मत ले लो। यहां के चाहे व्यापारी हो, कब-कब मद्रास और आसाम और नागालैण्ड और विदेशों में गये, लड़ाइयों में गये, फिरते रहते हैं, यहां पर भेड़-बकरियों को लेकर उड़ीसा तक जाते हैं और कितनी हिम्मत वाले लोग हैं। अकाल के एरिया में अकाल से मुकाबला करते रहते हैं लेकिन इन लोगों की वह शक्ति क्षीण हो जायेगी आधुनिकता के कारण, क्योंकि उनका मुकाबला अब मशीन से और बड़े इल्म से है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इस ओर ध्यान देकर मरुस्थल की समस्याओं को देखते हुए हमको ज्यादा होस्टल पर और इस पर बिलकुल सिस्टेमेटिक तरीके के बढ़ावा देना पड़ेगा। संक्षेप में ही अपनी बात कहता हूं।

तीसरा, यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर सौ कांस्टेबल की भर्ती होती है तो पन्द्रह से बीस हजार अर्जी देने वाले आते हैं और हमेशा लाठीचार्ज होता है, बड़े झगड़े होते हैं क्योंकि गांव में शिक्षित तो हो गये, अब वह बोरियां उठा कर तो चल नहीं सकते। मजदूरी का काम, यहां सड़क पर ठेला घसीट नहीं सकते क्योंकि वह पढ़ गये, नहीं तो उनके भाई और घर वाले, हमारे घर वाले और मदेरणा साहब के घर वाले सब खेती का काम, आदमी और औरतें कर रही हैं लेकिन जो हमारे घर जन्म ले वह ऐसा नहीं कर सकते। तो जो पढ़ गया वह नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण है कि हम लम्बे अरसे तक गुलाम रहे। सरकारी अधिकारी छोटे से छोटा हो, उसका बड़ा रुतबा था। वह चाहे लखपति, करोड़पति होता, समाज में कितना ही इज्जतदार होता तो उसको एक पुलिस का कांस्टेबल, चपरासी या दूसरा छोटा अधिकारी उठ-बैठ करा सकता था, बाहर खड़ा कर सकता था इसलिए हमारे यहां पर नौकरी का सदा बहुत महत्व रहा है। इसलिए आज भी उद्देश्य यह है कि लड़के को आगे पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वह नौकरी में लग जायेगा लेकिन सब नौकरी में कहां लग जायें? लोग इस बात को समझने लगे हैं लेकिन लोग करें क्या, धन्धा क्या करे? सुथार का धन्धा था तो पुराना धन्धा चला गया। सुथार होशियार थे हमारे यहां वाले, बम्बई में गये और साढ़े तीन सौ, तीन सौ रुपये रोज कमा रहे हैं। लुहार है तो पहले बहुत गरीबी में रहते थे, वह चमड़े का होता था उससे फूंकते थे, और हरबाणिये और कृषि के औजारों के पाने करते थे। अब बढ़िया आलमारियां बनाने लग गये, तरह-तरह की छोटी-छोटी मशीनें बनाने लग गये, मशीन टूल्स बनाने लग गये। अभी बात हो रही थी कि नाथद्वारा और किशनगंज की पेंटिंग खूब बिकती है आजकल, विदेशी इसके पीछे पागल हो रहे हैं। कशीदाकारी की चीजें हैं, नये-नये कपड़ों के डिजाइन, विद्युतीकरण गांवों में हो रहा है तो बिजली की फिटिंग करना, बिजली की छोटी-मोटी मोटरें, छोटी-मोटी मशीनें, ट्रैक्टर आ गये, दूसरी मशीनरी आ गयी, जीप आ गयी लेकिन आज का पढ़ा-लिखा इन सबसे अनभिज्ञ है। तो अपने को कोई यह नहीं है कि हम उनको इंजीनियर बना कर निकाल देंगे, जो हाथ से काम

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

करते हैं वह कोई इंजीनियर नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे कारीगर कहीं भी नहीं है, कैसी ही उच्च श्रेणी की और कितनी ही मशीन हो उसको हिन्दुस्तानी कारीगर, जो मिस्त्री है वह ठीक करके चला सकता है, दुनिया में दूसरा कोई नहीं चला सकता। तो मेरे कहने का मतलब यह है, चाहे दर्जी का काम हो, चाहे बढ़ई का काम हो, चाहे लुहार का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, गांव में करोड़ों मकान अब बन रहे हैं, अब कोई कच्ची झोंपड़ियां नहीं बना रहे हैं, सब के सब पक्के मकान बना रहे हैं, चूने और सीमेंट में चुनाई कर रहे हैं। लेकिन हमारी पढ़ाई इसमें क्या करती है? एक चालनी बनाना सिखाते थे जब मैं छोटा था, तब बढ़ई के काम में आटा छानने की चालनी बनाते थे या एक करौती-रेती होती थी उससे प्लाईवुड को काटते थे, इतना सा हो गया और कारपेंटरी का विषय हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आठ-दस-ग्यारहवीं तक लड़के काफी समझदार हो जाते हैं, गांव के अन्दर कई तरह के रोजगार के अवसर हैं, लेकिन चूंकि उनकी शिक्षा उस हिसाब से नहीं है तो वह आकर रहते हैं शहर। गांव के अन्दर तो अगर फटे कपड़े भी हैं और अच्छे घराने का है तो उसका मोल है। लेकिन यहां तो मोल, गाड़ी किसके पास है, कपड़े कैसे है, बंगले का मोल है, चाहे वह लुच्चा आदमी ही हो, वह प्रतिष्ठित है और प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित फटे कपड़े वाला है वह यहां पर नारकीय जिन्दगी जीता है। मैं विषयान्तर हो जाऊंगा खास तौर से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मन्त्रीजी से मैं कहूंगा कि कुछ नहीं हो तो आप सार्वजनिक टायलेट्स तो बनाओ ताकि झुग्गी-झोंपड़ी वाले उसमें स्नान कर सकें, कपड़े धो सकें, निबट सकें। इस नारकीय जिन्दगी से अगर हमको बचाना है तो पचासों साधन हैं। विदेशी हमसे कोई मशीन नहीं खरीदना चाहते, विदेशी वह चीज देखना चाहते हैं, वह चीज खरीदना चाहते हैं जो उनके देश के अन्दर नहीं है, अजूबा है। अपनी चाहे कशीदाकारी देखो। चाहे कांच का काम देखो, चाहे रंगाई का देखो। मेरी दादी ऐसे रंगती थी कि रंगरेज क्या करे। पचास-पचास साल की औरतें हैं। हम ऊनी कपड़े ही उस वक्त ज्यादा पहनते थे औरतें और आदमी सभी, वह रंग बिलकुल फीका नहीं पड़ता। आपका यह केमीकल, जो नया रंग है सिंथेटिक, वह उड़ जाता है। वह पहले इमली से, लाख से रंगते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अपन लोगों को शिक्षा के अन्दर यह जो काम हैं, आज जो काम आने वाले हैं, जिनकी समस्या है, जिसके मिस्त्री नहीं है, साइकिल ठीक करने वाले नहीं हैं, मोटर साइकिलें इतनी हुई हैं लेकिन उनको ठीक करने वाले नहीं हैं, तो पाठ्यक्रम में उस हिसाब से हमको तय करना चाहिए। यह नहीं है कि वह होते ही इंजीनियर हो जायेगा। इंजीनियर इतने होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन मिस्त्री की, काम करने वालों की मजदूरी मिलनी चाहिए। क्योंकि समय का अभाव है, तीसरी बात है खेल-कूद की। खेल-कूद मानव शक्ति है। उस देश की मानव शक्ति कितनी शक्तिशाली है और वह देश कितना आगे बढ़ा हुआ है इसका नाप-तौल है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका और रूस दुनिया में सबसे आगे बढ़े हुए थे, जापान आगे बढ़ा हुआ है तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इस खेल-कूद और स्पोर्ट्स में भी वह सबसे आगे है। दुर्भाग्य की बात यह है, किसी को याद होगा, 35 साल पहले गामा मरा था लाहौर में। गामा ने मरते वक्त कहा कि भाइयों, मेरा लास्ट सब को उपदेश यह है कि कोई इस पहलवानी के धन्धे में मत पड़ना, भूखे मर जाओगे। आखिर में तुम्हारा बुढ़ापा बहुत बुरा होगा। गामा, जिसने जिवस्को, जो वर्ल्ड चैम्पियन रहा था तीस साल तक एक सैकण्ड के अन्दर उसको चित्त कर दिया था। जिवस्को ने कहा कि एक दफा वापस आ जाओ, हार तो मैं गया लेकिन मैं गिरा कैसे, यह समझ में नहीं आया इसलिए दुबारा कुश्ती आ जाओ, जीत तुम गये। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर कभी चैलेंज मैच होगा उस वक्त मैं आपको फिर बता दूंगा। तो ऐसे-ऐसे लोग अपने यहां हुए हैं। यही क्यों, मैं आपको बताऊं, आपने पढ़ा होगा, आज से पन्द्रह दिन पहले विश्व पोलो टूर्नामेंट....

श्री परसराम मदेरणा : आयी समझ में आपके ? गामा की कला आयी या नहीं आयी आपकी समझ में चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गामा की मैं सीख रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह गामा वाली कला सीखो, नहीं तो मामला गड़बड़ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं पढ़ रहा हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है कि आज से पन्द्रह-बीस दिन पहले विश्व पोलो कप शुरू हुआ है। हिन्दुस्तान की पहले टीम 61 कैवेलरी की रसाले की, मिलिट्री की टीम ही जाया करती थी। अब के सिविलियन नौजवान लड़के अच्छे निकल गये। पिछली दफा जब विश्व कप हुआ था तो हिन्दुस्तान पाकिस्तान से हारा था 5-4 से, और पाकिस्तान ने 5 गोल किये और 4 हिन्दुस्तान ने किये, उनकी मिलिट्री की टीम थी। वहां का, मैं आपको बताता हूं, ग्रामीण खेल है पोलो, खास तौर पर चितरा, पूंजा, गिलगिट, गांव वाले सब खेलते हैं इसको और अपने यहां तो पोलो पापुलर नहीं है। आश्चर्य होगा, 2 लड़के हैं यहीं जयपुर के रहने वाले, मनुपाल और ध्रुवपाल। दस दिन पहले की बात है, हिन्दुस्तान ने हराया है पाकिस्तान को 18-5 से, जिसमें 14 गोल अकेले मनुपाल गोदारा ने किये हैं, दो उसके छोटे भाई, छोटा सा ही है 18-19 साल का, दो उसने किये हैं और एक के.बी. सिंह या शिवराज सिंह ने किया है, और एक का हैण्डीकेप्ट का लाभ मिला है। अपने यहां वालों ने तो बधाई दी, पाकिस्तान का जो इंचार्ज था और पोलो का जो चेयरमेन था उसने कहा कि यह दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकती है और श्रेष्ठ टीम है। यानि हमारे यहां पर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन सुबह-सुबह उठ कर दौड़ने जाते हैं या कुश्ती में जाते हैं या जिमनास्टिक में जाते हैं तो घर-वाले कहते हैं कि भाई, इससे फायदा क्या है, रोटी तो इससे मिलेगी नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं, उल्टा ज्यादा खाते हो, अच्छा खाना मांगते हो तो सौ करोड़ के देश के अन्दर कोई अच्छे खिलाड़ियों की कमी नहीं है। आपने मिल्खासिंह को दौड़ते

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

देखा होगा, पी. टी. उषा को देखा होगा, ठीक है एक कोई फ्रेक्शन और सैकण्ड से वह पदक से वंचित रह गये तो इस तरह की प्रतिभा वालों की कमी नहीं है लेकिन राज का कोई संरक्षण नहीं है। तीन साल के बच्चे को शहर वाले लेकर बैठ जाते हैं, पीट-पीट कर उनको पढ़ाते हैं, 3-4 साल के बच्चे को शुरू करते हैं 25 साल तक। हमारे यहां 7 साल तक तो नंगे फिरते हैं बच्चे, उसके बाद में स्कूल में भेजते हैं। स्कूलों की हालत क्या है आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं तो वह ऐसा लिख देते हैं, 7 पेपर जब तो आई. ए. एस. और आई.पी.एस. आ गये और जिन्होंने दुनिया में नाम किया उनको थानेदार ही रखने की आपके यहां पर व्यवस्था नहीं है। एवरेज अगर इंटेलीजेन्सी का है एक आप यह कानून बनाओगे कि अगर विश्व स्तर पर स्वर्ण पदक लाता है तो आई.ए. एस. या आई.पी.एस. होगा, अगर सिल्वर का लाता है तो अलाइड सर्विस में होगा मैं आपको कहता हूं सभी इसमें लग जायेंगे कि भाई, आई.ए.एस. बन सकते हैं। राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की आप कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि खेलों को प्रोत्साहन मिल सके। आप सिर्फ एक ऐसा लिखने का कि अंग्रेजी कौन कितना जानता है, कितना काम आती है अंग्रेजी, वह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। ढाई सौ और तीन सौ वर्ड्स हैं उसी से तो प्लानिंग का काम चल जाता है उसी से केबिनेट नोट बन जाता है, उसी से सब कुछ हो जाता है और काम चल जाता है और सारी उम्र मौज करो। तो बात यह है कि खिलाड़ियों को जब तक आप सीरियसली होकर कुछ प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक, मान्यवर, शिक्षा के जो असली गुण हैं वह जनता के सामने आ नहीं सकेंगे। यूं तो कहने को बहुत हैं लेकिन मैं चूंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतने में ही अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जी गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज मांग संख्या-24 शिक्षा पर अपने विचार रखना चाहूंगा। मेरे से पूर्व मेरे विधायक साथियों ने शिक्षा के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत समय में क्या-क्या कार्य किये उसका लेखा जोखा सदन के सामने रखा। उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक श्री सनाढ्यजी ने अपने भाषण को इस लाइन से समाप्त किया कि प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा एक अम्ब्रेला के नीचे होनी चाहिए। मैं उनके इन विचारों को सहमति देते हुए (व्यवधान) चौमूं से आने वाले माननीय विधायक मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी लाइन का समर्थन करते हुए, वास्तव में आज हमारे प्रदेश की शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा विभाग की जो पुस्तिका मेरे पास में है उसमें महिला प्रतिशत अगर देखा हो, पूरे भारत वर्ष में हम अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और अगर पुरुष प्रतिशत देखते हैं तो अंतिम से चार आगे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ लम्बे समय तक हमारे सामने बैठे हुए प्रतिपक्ष की पार्टी ने राज किया। विगत 5 वर्ष में भारतीय जनता

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

पार्टी का राज, बीच में एक वर्ष को छोड़कर रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का जो कारण रहा है, प्रतिपक्ष इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से शिक्षा को राजस्थान में आगे बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध ढंग से, जैसा कि शिक्षा विभाग ने गत वर्ष के अपने बजट को, यहां की सरकार ने सरकार को समर्पित किया यदि उसी तरह विगत कांग्रेसी सरकारों ने योजना बद्ध ढंग से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया होता तो आज राजस्थान देश की प्रथम पंक्ति में रहता। मुझे बड़ा खेद है कि शिक्षा को जिस ढंग से महत्ता देनी चाहिये थी पूर्व के वर्षों में नहीं दी गयी लेकिन इन्हीं प्रतिशतों के साथ-साथ में मैंने अपने यहां जनजाति क्षेत्र का प्रतिशत देखा तो वास्तव में स्थिति बहुत दयनीय है। जनजाति क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सिरोही और चित्तौड़गढ़, विशेष रूप से वहां पर महिलाओं का प्रतिशत उदयपुर में 4 प्रतिशत से नीचे है, बांसवाड़ा का लगभग 3.25 महिलाओं का प्रतिशत है, डूंगरपुर में 4.87 यानि वास्तव में इतना गैप है। वैसे तो राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से अन्तिम चार और एक में आता है लेकिन जनजाति शिक्षा की तुलना हमारे राजस्थान के सामान्य पुरुष और महिला से की जाय तो इसमें भी कितना गैप है, कितना अन्तर है, यह भी मैं सामने प्रतिपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को और उनकी पार्टी को दूंगा क्योंकि लम्बे समय तक राज में रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आप तो अपनी बात कह दो।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, तो पहले कहेंगे तब ही तो कहेंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं तो आप कहें मंत्रीजी को, हमको क्या सुना रहे हो ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय परसादीलालजी, सामने बैठे हैं आप।

भारतीय जनता पार्टी ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहुंचने के लिए जिस ढंग से योजनाबद्ध कार्यक्रम किये हैं। 1993-94 में हमारी सरकार ने शिक्षा को समर्पित बजट के नाम 136.50 करोड़ रुपये, उसकी तुलना में 1994-95 में 272.04 करोड़ रुपये देकर राजस्थान की जनता को शिक्षा में भारतीय शिक्षा के स्तर पर कैसा लाया जाय इस प्रयास में काफी योगदान किया है, उसके लिए मैं दोनों शिक्षा मंत्रियों एवं राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। सामान्य क्षेत्रों में 250 एवं जनजाति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 150 की आबादी वाले गांवों में लगभग 2268 विद्यालय गत वर्ष खोले। मैं समझता हूं यह अपने आपमें कीर्तिमान है। इसके लिए भी यह सरकार बधाई की पात्र है। मैं दोनों शिक्षा मंत्रियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। साथ ही साथ, पंचायती राज मंत्रीजी को मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इस वर्ष राजस्थान सरकार और विशेष रूप से हमारे शिक्षा मंत्रीजी ने पूरे प्रदेश में 600 मिडल स्कूल, 614 प्राथमिक स्कूल, 33 माध्यमिक स्कूल, 25 उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अपने घोषणा पत्र में प्रस्ताव रखा है उसके लिए मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विगत वर्षों में जिस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हुआ था उस तुलना में कम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने बजट भाषण में उन संस्थाओं को बढ़ायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे अध्यापक कार्य करते हैं। हर अध्यापक चाहता है कि मैं शहर में रहूं। मेरे बाल–बच्चे, मेरा परिवार, शहर में जो साधन उपलब्ध है उनका उपयोग करे। शहर के अध्यापकों से कम्पेअर करता है अपने आपको। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापक में कोई आर्थिक अन्तर नहीं रहता है। दोनों के समान वेतन होते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का अध्यापक भी चाहता है कि मैं किसी न किसी ढंग से शहर में आकर के शहर के विद्यालयों में स्थापित होऊं। उसकी यही मनोवृत्ति, स्कूलों के छात्रों, ग्रामीण स्कूलों के विकास में ध्यान देना चाहिए वह नहीं दे पाता है। आज ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों और शहरी स्कूलों के छात्रों में शिक्षा में जो अन्तर आता है उसके पीछे भी यह बहुत बड़ा कारण है। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो अध्यापक रहते हैं उनको अलग से आर्थिक सहायता मिले। उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले ताकि कम से कम अपनी इच्छा से वह गांव में रहे। साथ ही साथ इनका एक निश्चित ठहराव हो कि गांव में कितने साल अध्यापक हो और उसके बाद में उसे शहर में ट्रांसफर किया जाये। शहर में कितने साल में अध्यापक रहे, उसकी गांव में रहने की अनिवार्यता हो। अगर इस अन्तर को खतम करेंगे तो आज गांव में शिक्षा की दृष्टि से शहर के छात्रों की तुलना में जो अन्तर आता है उस अन्तर को हम पाट सकेंगे। विशेष रूप से गांव के स्कूलों में मैंने, देखा है कि शहरों में हर तरह के खेल की सुविधाएं होती हैं, खेल के मैदान होते हैं। गांव में भी मैदान तो होते हैं लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पाती। मुझे कई जगह प्राथमिक स्कूलों के टूर्नामेंटों में जाने का मौका मिला वहां के शिक्षक बताते हैं कि हमें विभाग के स्तर पर किसी तरह सहायता नहीं मिलती जिससे कि प्राथमिक स्तर पर हम नयी प्रतिभाओं को नहीं निखार सकते। मैं, विशेष रूप से शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्राथमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर खेल–कूद के लिए इस तरह का बजट हो ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में खेल की प्रतिभाओं को निखार सकें और आगे राष्ट्रीय या अन्तर–राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण छात्रों, ग्रामीण खिलाड़ियों को ला सकें। यह मैं सदन में अपनी तरफ से निवेदन करना चाह रहा हूं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के भवन होते हैं लेकिन अध्यापकों के ठहरने के लिए आवासीय भवन नहीं होते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र जहां गांव में कच्चे मकान होते हैं वहां के किसान के पास, आदिवासी के पास अपने स्वयं के लिए मकान होता है वहां अगर अध्यापक किराये पर मकान लेना चाहेगा तो उसे किराये पर कमरा नहीं मिलेगा। मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने शिक्षा बजट में शिक्षा

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

भवन के लिए जितना हम महत्व देते हैं उतना ही महत्व हम वहां के शिक्षक के निवास के लिए दें। मैं समझता हूं कि शिक्षक रुचि से वहां रहेगा। सारी सुविधाएं उसको वहां मिलेंगी तो मन लगाकर रहेगा। वहां के छात्रों के जीवन को बनाने के लिए मैं विशेष रूप से एक आयाम समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शार्ट ही कर रहा हूं। मेरे कुछ सजेशंस हैं जो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को देना चाहूंगा। कई जगह प्रशिक्षित अध्यापक जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में एस.टी.सी. ट्रेण्ड लड़के अध्यापक हैं लेकिन समय पर उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है इसलिए कई स्कूलों में जगह खाली है। जल्दी से जल्दी यह खाली स्थान भरेंगे तो छात्रों का शिक्षा में....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं क्या ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : खाली स्थान, खाली स्थान भरेंगे। नहीं, खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : खालिस्तान लिबरेशन फोर्स नहीं है यह।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय कह रहे हैं कि खालिस्तान का समर्थन कर रहा हूं। मैं खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं खाली, रिक्त स्थान के लिए कह रहे हैं आप।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं, अध्यापकों के जो रिक्त स्थान हैं उनको भरने के लिए निवेदन कर रहा हूं। तकनीकी शिक्षा के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जनजाति क्षेत्र में जो मिनी आई.टी.आई. खोले हैं। उन मिनी आई.टी.आई. का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पूर्व में उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इनका आई.टी.आई. में परिवर्तन करेंगे ? तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि मिनी आई.टी.आई. को पूर्ण आई.टी.आई. में परिवर्तन कर दें ताकि वहां तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र पूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त कर सकें। राज्य में स्कूल स्तर पर कृषि का विषय कम होता है। मैं चाहूंगा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का विषय अनिवार्यत: हो ताकि कृषि में छात्र ज्ञान प्राप्त करके अपनी कृषि में विशेष रूप से ध्यान दे सके।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : एक वाक्य में खतम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र सागवाड़ा में महाविद्यालय की विशेष रूप से आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि यदि जनजाति क्षेत्र में अगला महाविद्यालय खोलते हैं तो प्राथमिकता सागवाड़ा को देंगे। यह निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमलाजी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–24 शिक्षा, कला और संस्कृति, पर यह बहस पूरी होने तक और मांग पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गयी।

श्रीमती कमलाजी।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो मांग है शिक्षा और संस्कृति, इसके साथ में और भी विषय हैं। इस सम्बन्ध में मैं संक्षेप में आपके सम्मुख, सदन के सम्मुख कुछ विचार रखना चाहती हूं। हमारी संस्कृति में और वैसे भी मानव शास्त्र में यह माना जाता है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबमें चाहे वह पत्थर हो, शिला हो, चाहे दिखने में निर्जीव हो लेकिन उसमें भी जीव होता है इस तरह के अनगढ़त पत्थर को जिसमें जीव है, जो बहुत ही तीखी किन्तु नाजुक छीणी शिल्पी के रूप में रूप देकर उसे मुंह से बोलने का, उसके प्राणवान होने का जो हमें आभास कराती है वह माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर हम तेजी से प्रगति के पथ पर जा रहे हैं और दुनिया न मालूम किन–किन तैयारियों के साथ कौनसी सदी में पहुंच रही है। लेकिन अगर मुड़–कर देखें कि जिस व्यक्ति के लिए, इन्सान के लिए, हम यह सब कुछ करने के लिए बड़ी जबरदस्त दौड़ लगा रहे हैं। उस इन्सान को बनाने का काम शिक्षा का है। उसकी तरफ हम सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करने की दृष्टि से ही काम करते हैं। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूं। मैं पूरी निष्ठा से अपनी आस्था रखती हूं और खास तौर से एक लोकतांत्रिक देश के अन्दर जहां इन्सान ही धुरी है, इन्सान ही केन्द्र बिन्दु है, इन्सान के लिए ही काम करना है और स्वयं उसके माध्यम से ही करना है और उसके लिए ही करना है और उसी के माध्यम से करना है तो किस तरह का इन्सान और किस तरह से उसका परिवार और किस तरह का समाज और किस तरह का राष्ट्र और किस तरह का विश्व मानव बनाना है, यह सारी बातें शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी जितनी अहमियत है, उतना ही हम लोगों ने कम ध्यान दिया है और अगर दिया भी है तो पुस्तकीय शिक्षण पर ज्यादा दिया है। उससे बनने वाला इन्सान कैसा बन रहा है, वह देखने की चेष्टा कम की है इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि आपने पिछली बार शिक्षा को बजट समर्पित किया, बहुत अच्छा था। बड़े पैमाने पर आपने उसमें धन का प्रावधान किया, ज्यादा स्कूलें खोलीं सभी को शायद कुछ न कुछ उपलब्ध हुई, किसी को नहीं भी हो सकती हैं लेकिन उस एक समय के शिक्षा को समर्पित बजट से इतने बड़े पैमाने पर जो आवश्यकता है

(श्रीमती कमला)

वह सिर्फ एक बार में ही पूरी हो गयी, ऐसा न तो आप मान सकते हैं, न हम मानते हैं। चालीस-पैंतालीस वर्षों में भी हमने जितने प्रयत्न किये, वह भी कम हैं। बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से भी और जितनी निरक्षता इस देश के अन्दर है, उसके हिसाब से भी, सिर्फ साक्षरता को माने तो भी, इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन यह है कि सिर्फ एक बजट में इसको समर्पित करके हम यह मान लें कि अब तो अपने ही पांवों पर वह चलने लग जायेगा, एक दिन बच्चे को अंगुली पकड़ कर खड़ा कर दिया और कह दिया कि दौड़ ले, यह सम्भव नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कुछ नार्म्स हमें ऐसे तय करने चाहिये, जिनके आधार पर हम शिक्षा के प्रसार का काम करें। उदाहरण के तौर पर हम यह सोचकर एक पैमाने पर सारी चीजों को लायें कि जिस किसी ढाणी में, गांव में, मजरे में या तलहटी में 25-30 बच्चे पढ़ने की उम्र के हैं और जो एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा है, उसमें हमें जरूरी तौर पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलनी ही है। वहां आप हमसे कुछ मत पूछिये कि हम कहां खोलें। आप एक नार्म्स तय कर दें तो आप यह कह सकेंगे दो वर्ष बाद में, पांच वर्ष बाद में कि आज राजस्थान में एक-डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, कोई भी ऐसी ढाणी और गांव नहीं जिसमें 25-30 बच्चे पढ़ने वाले हों और वहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं हो। यह हमारी बेसिक चीज होनी चाहिये और उसके बाद में फिर हम यह आधार बनायें कि हरेक पंचायत मुख्यालय के ऊपर निश्चित रूप से एक मिडल स्कूल हो और जो बड़ा गांव है, कस्बा है, वहां पर हमें बच्चियों की भी मिडल स्कूल अलग से सेन्टर के ऊपर कायम करना चाहिये। इसी तरह से पांच-सात पंचायत के बीच में हम यह कह सकें कि इतनी आबादी या इतनी पंचायतों के ऊपर राजस्थान में एक माध्यमिक विद्यालय जरूर होगा या इतनी आबादी से ऊपर सीनियर हायर सैकण्डरी जरूर करेंगे और गर्ल्स के लिए तीन पंचायतें या पांच पंचायतों के ऊपर एक मय होस्टल के सैकण्डरी स्कूल जरूर बनायेंगे। वह मय होस्टल मैंने पिछली बार भी बोला था और आज भी बहुत जोर से आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो बच्चियां आठवीं क्लास तक घर पर पढ़ लेती हैं इन पंचायतों में, वह आगे पढ़ना चाहती हैं तो पिछली बार मुख्य मंत्रीजी से यह कहा था कि मैंने बसों में आना-जाना उनको फ्री कर दिया। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कितने इलाके ऐसे होंगे जहां गांव से गांव तक बस जा रही हैं और कहीं पर भी नहीं जा रही हैं और जिस तरह से आज बसों में बैठने वाले लोग हैं, उन बसों में किस तरह से बैठ कर जायें। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि केवल बसों में लड़कियों को अगले गांव में जाने के लिए छुट्टी करने से लड़कियों की शिक्षा नहीं बढ़ेगी। मेरा निवेदन है कि आप पांच-सात पंचायतों के बीच में एक गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल निश्चित रूप से बनायें जिसके साथ में होस्टल हो, जिससे आस-पास के परिवारों के लोग अपनी बच्चियों को उस होस्टल में भर्ती करवा कर सैकण्डरी तक की एजूकेशन दिला सकें।

इसी प्रकार से आपको सब डिविजन लेवल पर करना चाहिये, जिससे बच्चियों के पढ़ने का, शिक्षा का प्रसार हो। अभी

(168)

(श्रीमती कमला)

आपने पांच महिला महाविद्यालय बनायें, उसके लिए तो मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बहुत–बहुत बधाई और आभार प्रकट करना चाहती हूं लेकिन जैसा माननीय रामनारायणजी कह रहे थे, मैं वहां के रहने वाले हैं, मैं वहां जायी–जन्मी हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): पीहर है।

श्रीमती कमला : मेरा पीहर समझ लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : समझ क्या लें, कमाल कर रही हैं आप।

श्रीमती कमला : और साथ में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जिस गर्ल्स स्कूल के लिए आप पैरवी कर रहे हैं कि उसको कालेज बनायें, उसकी जमीन देने में मेरा भी योगदान है क्योंकि उस वक्त उनके पास जमीन नहीं थी, वह मैंने दी और आज बहुत बढ़िया वह विद्यालय बना, आप उद्घाटन करके आये हैं तो वहां पर बच्चों का आप बनायें, साथ में तो बहुत अच्छा है लेकिन लड़कियों का तो आवश्यक रूप से इसी सत्र में अगर आप बनायें तो बहुत सारे एक ही जगह के विधायकों को, चाहे मैं दूर रहूं आज, लेकिन बहुत सारे आपका आभार मानेंगे। मेरा यह निवेदन है कि महिलाओं की शिक्षा के बाबत आपने इसमें, चाहे आप यह कह दें कि इसी में से हम महिलाओं के भी खोलेंगे लेकिन मैं चाह रही हूं कि आप आज से यह परम्परा डालें कि महिला शिक्षा के लिए अलग से आप प्राइमरी स्कूलें, अलग से मिडल स्कूलें, अलग से माध्यमिक विद्यालय, अलग से सीनियर हायर सैकण्डरी, अलग से कॉलेज बनायेंगे, यह आप अलग से कायम करने की एक परम्परा बजट में डालने का प्रयत्न करें क्योंकि यह तो मांगने की बात हो गयी कि साहब आप विद्यालय खोल रहे हैं, कम से कम इतने तो हम महिलाओं के लिए भी दे दीजिये। इतने तो बच्चियों के लिए भी दे दीजिये जबकि आपको और हमको सबको मालूम है, अगर आप किसी महिला स्कूल में या कॉलेज में भाषण देने जायेंगे तो सबसे पहले आप यही कहेंगे कि महिला को पढ़ाना, एक दो परिवारों को नहीं पूरे समाज को पढ़ाना है और महिला शिक्षा का मतलब पूरे समाज को सुधारना है तो उस वक्त तो बहुत जोर से बात कह देंगे लेकिन जब शिक्षा में प्रावधान करने का समय आयेगा तो हम हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं कि साहब, मिडल स्कूल इतने दीजिये महिलाओं को। इतने सैकण्डरी स्कूल दीजिये, इतने सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल दीजिये तो मेरा निवेदन है कि आप जो बजट आज दे रहे हैं उसमें पचास प्रतिशत नहीं तो कम से कम तैंतीस प्रतिशत का आपने फार्मूला लागू कर लिया है, उतना प्रतिशत तो महिलाओं के विद्यालय खोलने की चेष्टा करें जिससे महिला शिक्षा जितनी तेजी से आप आगे बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी सबसे बड़ी जो समस्या जनसंख्या की है, वह आप काबू में कर सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि चाहे आप कितना ही इन्सेन्टिव दे दें, चाहे आप कितना ही डिसइन्सेन्टिव दे दें और चाहे कितने ही प्रलोभन दे दें और कितने ही मौलिक–चिन्तन लाकर के पैसा खर्च करने की योजना परिवार नियोजन में बना लें, आपको सफ–

(श्रीमती कमला)

लता तभी मिलेगी जब उस घर की महिला पढ़ी-लिखी हो जायेगी। तो वह अपने-आप परिवार नियोजन करेगी। इसलिए आपके अपने लम्बे स्वार्थ के लिए भी, देश के हित के लिए भी, जिस समस्या से आप ग्रस्त है और बहुत दुःखी हैं उस समस्या पर भी काबू पाने के लिये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा महिला शिक्षा की तरफ ध्यान दें और उनके स्कूलों को चलाने के लिए, खोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करें। इसके साथ मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि जो सामान्य शिक्षा है, उस शिक्षा का आपने सैकण्डरी तक, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, उसका आपने बना रखा है डाइरेक्ट्रेट बीकानेर में। बहुत अच्छा, वह वहां रहेगा लेकिन मेरा यह निवेदन है कि वह डाइरेक्टोरेट वहां रहे, डाइरेक्टर महोदय वहां बिराजे, लेकिन एक सीनियर ग्रेड का आई.ए.एस. अफसर, एडिशनल डाइरेक्टर के रूप में आप जयपुर में दफ्तर कायम करें। चाहे शिक्षक हों, चाहे जन-प्रतिनिधि हों और चाहे और कोई लोग हों, सबको इतनी परेशानी होती है कि आपके जो डाइरेक्टर महोदय हैं उनका बीकानेर और जयपुर के बीच में ही दौरा लगाने में समय पूरा हो जाता है या यहां आकर मीटिंग में समय खर्च हो जाता है या ट्रांसफर के डर के मारे किसी होटल में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने खुद ने उनसे बात की। शिक्षा मंत्रीजी से कहा कि आप इनसे कहिये कि ऐसे भागने फिरने की जरूरत क्या है? बाकायदा अखबार में देना चाहिए कि डाइरेक्टर फलां-फलां तारीखों को जयपुर में रहेंगे और फलां तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक जन-प्रतिनिधियों से मिलेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक शिक्षकों से मिलेंगे और इतने बजे से इतने बजे तक अन्य मीटिंग करेंगे और उस जगह पर उनको मिलना चाहिए। दो-तीन दिन उनको यहां पर रहकर बाकायदा अखबार में अपना प्रोग्राम देना चाहिए। हम लोग टेलीफोन करते रहते हैं, मिलने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी बात कहने की चेष्टा करते रहते हैं, स्कूलों में परेशानी होती रहती हैं, किसी को कुछ कहने की स्थिति नहीं है। इसलिए इस बात की आप व्यवस्था करें कि एक तो वह जब आयें तब वे अपना प्रोग्राम बाकायदा इश्यू करके आयें और दूसरा एडिशनल डाइरेक्टर यहां पर होना चाहिये, जो प्रशासनिक काम है, उसको एक स्तर तक विकेन्द्रीकरण करे और साथ ही उसको, जैसा माननीय रामनारायणजी ने कहा और दूसरे हमारे माननीय सदस्य शिवकिशोरजी सनाढ्य ने कहा जो मानीटरिंग है और जो इंस्पेक्शन है उसकी बिलकुल कमी है और नीचे से नीचे भी जो लोकल एरिया में बैठा है आपका डिप्टी इंस्पेक्टर वह कभी आपके इंस्पेक्शन पर नहीं जाता इसलिए मेरा निवेदन है कि आप डाइरेक्टर से लेकर और नीचे डिप्टी इंस्पेक्टर तक एक ब्लाण्ड वे में....

(17.00)

इंस्पेक्शन कितने महीने में करेंगे, नये थोट आपने कितने करेंगे, सरप्राइज विजिट आप कितनी करेंगे और उसकी रिपोर्ट आप कितने समय में देंगे और जिसको रिपोर्ट दी जाती है वह उसकी अनुपालना के लिये कार्यवाही कितने समय में करेगा; यह

(श्रीमती कमला)

आपको निश्चित नियमावली बनानी चाहिए। यह आप जब तक नहीं बनायेंगे शिक्षा विभाग का जैसा आज ढर्रा खराब हो रहा है वह कभी भी सुधर नहीं सकता।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जयपुर में पहले जाइंट डायरेक्टर का दफ्तर था। न मालूम क्यों उसको डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। शाहपुरा में एडिशनल डी.ई.ओ. का दफ्तर था, उसको डिप्टी डायरेक्टर कर दिया। अब यहां तो सब घटाते जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर इंस्पेक्शन मानीटरिंग, इवेल्यूएशन और तमाम रिपोर्ट का एक्जीक्यूशन नहीं होता है तो फिर किसी को कोई डर नहीं है। आज आप अध्यापकों को जाकर देख लीजिये। कौन कितने समय पढ़ा रहा है, बच्चे स्कूलों के अन्दर क्या कर रहे हैं, क्या उनके नतीजे आ रहे हैं? अभी रामनारायणजी कह रहे थे कि आप ऐसा करिये, सवाद बैठाइये। मैं मन में सोच रही थी जब ये बोल रहे थे कि जब डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बालकों से या उनके अभिभावकों से सवाद बैठाने बैठेंगे तो वह यह कहेंगे कि साहब, ये सात दिन में आते हैं और एक दिन में पूरी हाजरी करके चले जाते हैं और साहब, ये बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, तो दूसरे दिन से उस बच्चे के तो क्लास लगने शुरू हो जाएंगे और उस बच्चे का जो रिजल्ट आएगा वह जीरो आएगा और मां-बाप माथा पकड़ कर रोयेंगे। इसलिये इसके बारे में भी सोचिये। आज यह स्थितियां हो गयी हैं कि छोटे-छोटे सैकण्डरी स्कूल के अन्दर भी टीचर्स कोचिंग कराने का काम ज्यादा करते हैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के बजाय। जैसे मेडिकल दवाखानों में हो रहा है उसी तरह स्कूलों में व्यवसाय हो रहा है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स पनप रहे हैं उनमें बच्चे ज्यादा हैं और आपके सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हैं। यह क्यों हैं? क्योंकि वह चाहे ज्यादा पैसे लेते हैं लेकिन कम से कम पढ़ाते तो हैं क्योंकि उनको तो काम के हिसाब से पैसा देते हैं इसलिये खूब खींच कर उनसे काम कराते हैं। लेकिन आप वाले टीचर्स तो कोई अपने खेत जोत रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कोई अपने ट्रेक्टर चला रहा है, कहीं कोई कहां चला गया है, कोई नेताजी के पास बैठा है, कोई वहां बीड़ी पी रहा है, चाय पी रहा है। तो इसलिये आप इस दुर्दशा को देखिये कि जो एक मूल चीज है प्रजातंत्र की, किसी भी राष्ट्र की उन्नति को, उसके मजबूत आधार की, उसकी निष्ठा के साथ तमाम उतार-चढ़ाव को झेल सकने की और चरित्र बनाने की, वह आज सफाचट है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा अभी सुझाव आया था कि डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, जोइंट डायरेक्टर्स हैं इनको आप सब-डिवीजस पर बैठाइये। क्यों आपने जिला मुख्यालयों पर बैठा रखा है? अगर बंच में आते हैं कोई दो-तीन सब-डिवीजन के तो वहां बैठा दीजिये। इसलिए इस मामले में आपको प्रशासनिक व्यवस्था को देखने की जरूरत है।

(17.03)

(श्री समर्थलाल मीणा, सभापति, पदासीन)

अध्यापकों की जो कमी है वह कमी निरन्तर 30-40 वर्षों से चली आ रही है। हम अपने समय में जब खुद मंत्री थे तब भी यह समस्या थी और आज भी है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह

(श्रीमती कमला)

है कि जब अध्यापकों की कमी हो जाती है तब हम सोचना शुरू करते हैं कि अब इनकी भर्ती करेंगे। तो अध्यापकों की कमी होने के बाद में उनकी भर्ती करते-करते कई जगह जहां भर्ती हो सकती है उसको तो साल-डेढ़ साल लग जाते हैं और एक सत्र निकल जाता है और कई जगह भर्ती होती ही नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने थोड़े दिन पहले कुछ आंकड़े दिये थे कि इतने तो व्याख्याताओं की कमी हैं, इतने सैकण्ड ग्रेड में हैं और इतना वह है। वह आपको गलत फिगर्स दी गयी हैं। मैं आपको मेरे यहां की बात बता दूं, जो मुझे पूरी सूचना भी अभी नहीं है क्योंकि बीच में जा नहीं पाये, लेकिन अकेले शाहपुरा के अन्दर डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, शाहपुरा के वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र में और विराट नगर में कम से कम 7-8 वाइस प्रिंसिपल की जगह खाली हैं, सैकण्ड ग्रेड टीचर्स की जगह खाली है। पंचायत राज मंत्रीजी तो आज आये नहीं, वहां तो खूब ही खाली पड़ी हुई हैं। उन्होंने अपग्रेड करके शिक्षा विभाग में दे दी उनकी जगह अभी तक भी पूर्ति नहीं हुई है। सैकण्डरी स्कूल के अभी बोर्ड के एक्जाम हुए हैं वह तो सब्जेक्ट टीचर्स के लिये भी कहते-कहते परीक्षा देकर घर ही चले गये। इसलिये अध्यापकों की कमी के कारण जिस तरह से बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है और वह जिस तरह से रो-धोकर अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं, यह बहुत ही चिन्ता-जनक स्थिति है, इसकी कोई माकूल व्यवस्था करनी चाहिए।

जब हम प्राइमरी स्कूल खोलते हैं तो मुश्किल से 40-50 बच्चे होते हैं। फिर बढ़ते-बढ़ते 80 हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं और मास्टर वही एक ही रहता है। एक मास्टर है और वह भी छुट्टी पर चला जाता है। तो 150 बच्चों के ऊपर एक-एक अध्यापक लगा हुआ है जिनकी आज तक कई-कई वर्षों से पोस्टें क्रिएट नहीं हुई हैं। एक-दो जगह का तो मैं लिखते-लिखते थक गयी लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। इसलिये जहां पर बच्चों की सख्या अधिक है वहां पर पोस्ट का क्रिएशन करना, जो पोस्ट खाली हैं उनको भरना और जो भी पदोन्नति करनी है उसको समय पर करना जिससे स्कूलों में पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। अगले एक साल में जो चीज आने वाली है उसका पूरा चार्ट आपके सामने होना चाहिए, उसी एक साल पहले से ही आपको व्यवस्था करनी शुरू करनी चाहिए तब जाकर के हम यह कह सकेंगे कि निरन्तर जहां खाली होने वाली जगह है उसको हम भर सकेंगे।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगी कि हरेक स्कूल में, सैकण्डरी स्कूल तक कम से कम आपके विद्यालयों में पहले प्रावधान था, अब है कि नहीं, मुझे पता नहीं शायद हटा दिया। स्कूल की जान होती है जो शिक्षक अच्छा पढ़ाने वाला सब्जेक्ट टीचर है वह तो होती ही होती है लेकिन उसमें तीन टीचर्स बहुत जान डालने वाले होते हैं। एक शारीरिक शिक्षा टीचर होता है, एक उद्योग टीचर होता है और एक म्यूजिक टीचर होता है। यह तीन टीचर्स आवश्यक रूप से हरेक स्कूल में होने चाहिए क्योंकि जो बच्चों की प्रतिभा है उसको उजागर करने के लिये उस विद्यालय

(श्रीमती कमला)

में कला का और उद्योग का प्रसार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस तरह के तीन टीचर्स हम जरूर हरेक विद्यालय में लगायें। उद्योग शिक्षक मात्र एक उद्योग शिक्षक का कोई सर्टिफिकेट ले आये उससे नहीं, जो आपके आई.टी.आई. के अन्दर ट्रेंड किये जाते हैं, सिखाये जाते हैं वे ट्रेंड बच्चे आज सर्टिफिकेट लिये घूम रहे हैं, हम उन बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और स्कूल हमारे बिना उद्योग टीचर्स के खाली पड़े हैं। इसलिये इधर तो बच्चे बेकार पड़े हैं उधर स्कूल खाली पड़े हैं और जो हमने ट्रेनिंग दी वह सब हमारी बेकार चली गयी। इसलिये जो कुछ भी काबलियत हम बच्चों को दे पा रहे हैं उस काबलियत का हमें अपने समाज में, हमें अपने विभागों में उपयोग करना चाहिए। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं जनरल एजूकेशन के बारे में और ज्यादा न कह कर एक बात कहना चाहती हूं। आपकी जो प्राइवेट संस्थाएं पनप रही हैं वह हमारे काम्पीटिशन में एक अच्छी चीज है। उनको हमें स्वस्थ परम्परा के रूप में लेना चाहिए। लेकिन मेरा एक निवेदन है माननीय ललित किशोरजी से और आप से भी कि हम इनको पूरा आटोनामस बाडी के तौर पर पनपने का मौका दें जिससे वह अपने मैथेडोलोजी, टेक्नोलोजी और नये-नये एक्सपेरीमेंट करके शिक्षा देने का बढ़िया से बढ़िया माध्यम बच्चों को दें और अच्छी पर्सनलिटी तैयार करें। इसकी हमें पूरी छूट होनी चाहिए लेकिन यह छूट आप मत दीजिये कि कोई भी स्कूल कितनी भी फीस ले लें, डवलपमेंट का पैसा ले लें, वहीं से आप पोशाक लेंगे, वहीं से आप किताबें लेंगे, वहीं से आप कापियां लेंगे, आज 3000 की तो अगले साल 4000 हो गयी तथा अगले साल 4000 की जगह 6000 हो गयी। कम से कम एक मापदण्ड कायम करिये कि पांचवीं क्लास तक कोई भी प्राइवेट पब्लिक स्कूल इतना ले सकेगी। एक स्लेब आप बना दीजिये इतने से इतने तक पांचवीं क्लास तक आप ले सकते हैं और इसको दो साल बाद में इन्क्रीज इतना कर सकते हैं और यह पाबन्दी नहीं लगायें कि सब कुछ चीजें आप वहीं से लें। इसी तरह से आठवीं से दसवीं का, दसवीं से आगे का, यह अगर आप कुछ कर सकेंगे तो पेरेंट्स का आज जो बुरा हाल है, क्योंकि कोई भी मां-बाप चाहे उसको जेवर बेचना पड़े, चाहे जमीन गिरवी रखनी पड़े और चाहे किसी से उधार लेना पड़े और चाहे भूखे भी रहना पड़े तो भी वह चाहता है कि मेरे बच्चे का कैरियर बढ़िया से बढ़िया निकलना चाहिए चाहे मुझे अपनी सीमा से, अपनी औकात से बाहर भी कर्जा करना पड़े। इसलिये मां-बाप कर्जा भी करते हैं। आप कहते हैं कि वहां पर क्यों भेजते हो आपकी क्षमता नहीं है तो। भेजते हैं उनके कैरियर के लिये, हमारी औलाद अच्छी बने इसलिये भेजते हैं। आज अंग्रेजी क्यों पढ़ाते हैं क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज के अन्दर, चाहे पी.एस.सी., चाहे यू.पी.एस.सी. के हो, चाहे और हों, उसमें अंग्रेजी जानकार को जल्दी से जगह मिलती है। हमारे बच्चे जो हिन्दी मीडियम से पढ़ कर आते हैं, उनकी इतनी रिकाग्निशन, और इतनी मान्यता नहीं मिलती है। इसलिये बच्चे वहां भेजने पड़ते हैं। चाहे नेताओं के बच्चे हों, चाहे अधिकारियों के बच्चे हों और चाहे गरीब आदमियों के

(श्रीमती कमला)

बच्चे हों, सबके बच्चे ऐसी जगह पढ़ते हैं जहां हम यह सोचते हैं कि यह बच्चा आगे जाकर अपना कैरियर बना सकेगा। इसलिये ऐसी मजबूरी में पेरेंट्स को मत डालिये कि वह मजबूर होकर अपना बहुत कुछ नुकसान करके बच्चों के कैरियर के लिये इस तरह से उनको करना पड़े।

साथ में मुझे यह कहना है कि आने वाले समय में हम हिन्दी को अगर स्थापित करना चाहते हैं, जैसा कि हमारी मंशाए हैं, हम भाषण भी देते हैं और चाहते भी हैं। तो हिन्दी को स्थापित करने का एक मात्र रास्ता यह है कि बच्चे का फ्यूचर हिन्दी माध्यम होने के कारण से अगर अवरोधित नहीं होगा तो हिन्दी पनपेगी वरना नहीं पनपेगी। यह भी आप बहुत अच्छी तरह से समझकर चलें।

एक बात जो मैं कहना चाहती हूं, वह यह है कि आपने संस्कृत के बारे में कुछ भी नहीं कहा। संस्कृत और हमारी संस्कृति। संस्कृत के अंदर हमारी संस्कृति और हमारा युगों-युगों का अनुभूत ज्ञान और विज्ञान का एक अनुपम भण्डार हम संस्कृत को मानते हैं। उसमें हमारी जीवन शैली का एक बहुत अपरिमित धर्म है। उसमें हमारे ऋषि-मुनियों का अनुभूत किया हुआ बहुत जबरदस्त ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है और उसमें हम जिस तरह से जीवन को जीकर सचमुच में एक स्थायी आनन्द और शांति समाज को दे सकते हैं। उसकी उसके अंदर तमाम विधाएं मौजूद हैं। लेकिन उस संस्कृत के लिये जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, समारोह करते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं लेकिन आपको मैं कहना चाहती हूं मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भी अपने समय में यह नही करा पायी। लेकिन आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि संस्कृत विभाग का अलग गठन तो सुखाड़िया जी के जमाने से हुआ है लेकिन संस्कृत के लिये अलग से प्लान हैड कोई नहीं बनाया हुआ। आज भी संस्कृत विभाग के लोगों को सामान्य शिक्षा से हाथ जोड़कर यह कहना पड़ता है कि साहब, जनरल शिक्षा में से पांच पर्सेण्ट हमको भी दे दीजिये। वह पांच भी मैंने, जब मेरे पास यह महकमा था, तो जोशीजी से हाथ जोड़कर कहा था कि साहब, इसका अलग प्लान हैड तो आप नहीं बना रहे हो, आपको बनाना चाहिए। इसके बिना एक ही विभाग है, बाकी तमाम विभागों के अपने प्लान हैड्स हैं। हर प्लान के अंदर उनकी अपनी अलग-अलग उपलब्धियां और आगे के प्लान होते हैं। लेकिन यह एक ऐसा विभाग है जिसका प्लान हैड अलग नहीं है। इसलिये उस वक्त यह तय कराया कि जब तक संस्कृत शिक्षा का प्लान हैड अलग नहीं है तब तक हम पांच पर्सेण्ट हम संस्कृत शिक्षा को सामान्य शिक्षा में से दे देंगे। अब कोई ऐसे आते हैं जिनको थोड़ा-सा लगाव हो, तो दे देते हैं, कोई ऐसा आ जाएगा, हमको तो पता नहीं है, लाइये वह आर्डर, लाइये कहां है पांच पर्सेण्ट का, तो हम देंगे। अब आर्डर तो जाने कहां का कहां किस केबिनेट की पोथी में रखा होगा, वह हम नहीं दिखा पाये तो वह नहीं मिले। इसलिये संस्कृत का विभाग अलग से कायम हो, उसका प्लान हैड भी अलग से होना चाहिए। और निवेदन यह है कि इस आगामी सत्र के अन्दर पांच पर्सेंट, जो इसका कायम किया हुआ है, प्राइमरी स्कूलों में, अपर प्राइमरी स्कूलों में, सैकण्डरी स्कूलों में, हायर सैकण्डरी स्कूलों में और हमारे शास्त्री महा-

(श्रीमती कमला)

विद्यालयों में, आचार्य महाविद्यालयों में, सब्जेक्ट्स में, यह जो पांच पर्सेंट का हमारा कोटा है संस्कृत का, इस संस्कृत के कोटे को आप अक्षरशः अनुपालित करें और सहर्ष करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। पिछली तरह से संस्कृत को जो मिलना चाहिए था उसका पूरा हक नहीं मिल पाया, इस बार आप जरूर दें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पिछली बार संस्कृत शोध संस्थान के लिये एक करोड़ रुपया बजट में रखा गया था। माननीय ललित किशोरजी ने, मंत्री महोदय ने दो-तीन मीटिंग्स कीं लेकिन कुछ पार नहीं पड़ सका क्योंकि कभी तो कोई नहीं आये, कभी कोई नहीं आये, कभी कुछ मुद्दे नहीं उठे, कभी सैक्रेटरी नहीं हुए। इसलिये जो प्रावधान किया था उसका कोई यूटिलाईजेशन नहीं हो पाया। प्रावधान का तो चाहे यूटिलाइजेशन मत करो लेकिन करोड़ों रुपये की इतनी कीमती सरकारी जमीन, जो कि हमने बहुत भाग-दौड़ करके शोध संस्थान के नाम से अलाट करायी थी दुर्गापुरा कस्बे के मैन रोड के ऊपर, उस जमीन को सरकार अपने काबू में नहीं रख पा रही है और लोग उसके ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। कितनी बार मैंने लिखा, मुख्य मंत्रीजी को भी लिखा, सम्बन्धित मंत्री महोदय को भी लिखा और जे.डी.ए. को भी लिखा कि आप यह जमीन इस मायने में मत कहिये कि कमला जी कह रही हैं, संस्कृत शिक्षा वाले कोई कह रहे हैं। यह तो सरकार की जमीन है और संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ही वहां पर शोध संस्थान बनाने का काम है। कोई किसी प्राइवेट संस्था की नहीं है। लेकिन इतनी करोड़ों रुपयों की कीमती जमीन आज इतनी मेहनत और इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अतिक्रमण में पड़ी हुई है और उसको हम काबू में नहीं ले पा रहे हैं तो उस जमीन को आप अपने काबू में लीजिए। उसका पजेशन संस्कृत शिक्षा विभाग के पास लिया हुआ है। लेकिन उसके चारों तरफ हमने बोर्ड खड़े किये थे, वे बोर्ड लोगों ने उतार दिये और बोर्ड के बावजूद वहां पर लोगों ने धीरे-धीरे अपने मकान बना लिये और छोटी-छोटी कई दीवारें बनायीं, वैसे मकान तो कोई नहीं बनें। लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी भी शायद उसमें इंट्रेस्टेड हैं। इसलिये उस जमीन के बाबत केस कोर्ट में चल रहा है, उसमें आज तक कोई शिक्षा विभाग का, संस्कृत शिक्षा विभाग का आफिसर पैरवी करने नहीं गया और पैरवी के लिये जिसको लगाया उस व्यक्ति ने कभी फाइल तक भी नहीं उठायी। हो सकता है उनका कोई इंट्रेस्ट हो। मेरा निवेदन है कि उस जमीन के ऊपर स्टे लगा रखा है, उस स्टे को वेकेट कराने के लिये आप एक अच्छे, बढ़िया आफिसर को लगाइये जो लगातार 2-3 तारीख लेकर उसको वेकेट करायें। उसका पजेशन लिया हुआ है शिक्षा विभाग का। उसके पजेशन को लेकर जितना अनडिस्प्यूटेड एरिया है उसके ऊपर बाउण्डरीवाल खिचवायें, जिसका दो-तीन बजट के अंदर प्रावधान रखते चले आ रहे हैं लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाया। इसलिये मेरा निवेदन है कि उसके ऊपर कार्यवाही करें।

एक निवेदन यह है कि जब चट्टोपाध्यायजी यहां पर गवर्नर थे, उस वक्त में राजस्थान के बहुत से संस्कृत के विद्वान

(श्रीमती कमला)

और बहुत से हमारे जैसे समर्थक हैं या संस्कृत के प्रति कुछ अपनी प्रतिबद्धता मानते हैं, वे सब इकट्ठा होकर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी गये थे, गवर्नर साहब के पास में भी गये थे कि जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कमला जी, मुझे बड़ी खुशी है कि एक तरफ कुलिश जी इस बात के लिये बहुत तन्मयता से लगे हुए हैं और एक तरफ आप लोग लग जाएंगे तो इसकी वकालत करने वाले बहुत अच्छे, मजबूत आप लोग हैं तो यह काम अपना जल्दी हो सकेगा। लेकिन उसके बाद वह सारा काम ठण्डा हो गया।

मेरा आपसे निवेदन है और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन है कि जयपुर हिन्दुस्तान में दूसरी काशी कहलाती है संस्कृत के कारण से और उस संस्कृत के कारण जो इतना बड़ा नाम इस देश में जयपुर का है और एक इतना मान्यता प्राप्त यहां का महाविद्यालय है और यहां पर कोई यूं नहीं है कि सिर्फ छोटी–छोटी इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं लगभग 31 शास्त्री, शिक्षा शास्त्री और आचार्य काले–जेज हैं जो कि राजस्थान के अंदर पिछले सालों के अंदर धीरे–धीरे करके हमने कायम किये हैं और आपके दौरान भी कुछ कायम हुए हैं। इसलिये जहां पर इतना बड़ा फैलाव हो और पिछले वक्त में हमने नीचे ब्लाक लेवल पर, हरेक ब्लाक में कम से कम दो–दो संस्कृत की स्कूल जरूर हो जायें। इस दृष्टि से मैंने पिछली बार बी.डी.ओ. से, एल.एल.ए. से बहुत सारे प्राव–धान मंगाकर, प्रस्ताव मंगाकर कायम किये थे। उनके ऊपर फिर मिडल स्कूलें, प्रवेशिका और उपाध्याय, यह सारे बनाने का हमारे यहां पर एक पूरा ढांचा बना हुआ है। इसलिये हमारे यहां जयपुर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्राति–शीघ्र की जाये। यह हमारा जयपुर का हक भी बनता है। राजस्थान में उसका पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और देश में इसकी एक मान्यता भी है।

जब हमने दो–चार साल पहले सम्पूर्ण भारत के संस्कृत विद्वानों का तीन दिन का एक सम्मेलन किया था तो यहां तमाम देश के जो विद्वान आये थे, उन्होंने यहां की संस्कृत का जो सेट–अप है, यहां का जो प्रसार है, यहां की शिक्षा का जो माध्यम बना है, उसकी बहुत प्रशंसा की थी और उनको बड़ी खुशी हुई थी कि राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहां पर संस्कृत का इतना प्रचार–प्रसार है।

मुझे कहते हुए खुशी होती है कि मेरा इलाका एक ऐसा है जहां पर शायद सबसे ज्यादा संस्कृत की स्कूल्स होंगी और जहां शिष्य परम्परा से, पुराने जमाने से संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन किया जाता रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि संस्कृत के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये ज्यादा और देर न करके हम जल्दी से जल्दी उसकी मंशा बनायें। कौनसी पद्धति और देश का कौनसा विश्वविद्यालय संस्कृत का सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसके लिये हम उसकी जांच करके, विद्वानों की कमेटी बिठाकर के, अधिकारियों को साथ में लगा–कर तय करके उसको स्टार्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, संस्कृत

(श्रीमती कमला)

विद्यालयों को जो एड दी जाती है वह सामान्य विद्यालयों के मुकाबले में कम दी जाती है। अगर किसी सैकण्डरी स्कूल को सामान्य शिक्षा में 80-90 प्रतिशत दी जा रही है तो उसी तरह की स्कूल को संस्कृत के अन्दर 50-60 प्रतिशत दी जा रही है। इसलिए यह एक समान रूप से होनी चाहिये। जो आप सामान्य शिक्षा में विद्यालयों को एड दें उसी प्रकार की एड संस्कृत शिक्षा को भी मिलनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, आप आश्चर्य करेंगे हजारों पद आज संस्कृत शिक्षा में खाली पड़े हैं। सबसे बड़ा तो आपका निदेशक का पद खाली पड़ा है, संयुक्त निदेशक का पद खाली है, जो निरीक्षक हैं उनके पद खाली पड़े हैं, प्रथम ग्रेड के जो अध्यापक हैं उनके पद खाली हैं। शिक्षकों के, व्याख्याताओं के, प्रिंसिपल्स के, निदेशक और उप निदेशक पद खाली हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी इन पदों को भराये जाने की व्यवस्था करायें। वरना एक छोटे से विभाग को जिसको आप मानते हैं उसमें हजारों पदों का खाली होना अपने आप में एक बहुत चिन्ता का और विचार करने योग्य विषय है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जहां तक प्रशासनिक निरीक्षण, देखरेख, उनकी रिपोर्ट्स क्रियान्वित करने का सवाल है वह तो इस विभाग में बिलकुल खतम है। दस-दस वर्षों से माननीय मंत्री महोदय, स्कूलों का इंसपेक्शन किसी ने नहीं किया। इसलिए कभी-कभी कोई कलक्टर, एस.डी.ओ. या ए.डी.एम. अगर आते जाते रिपोर्ट भेज भी देते हैं तो उन रिपोर्ट्स को भी हम ऐसे ही पड़े रखते हैं उन पर भी कोई क्रियान्विति नहीं होती। इसलिए इंसपेक्शन का एक रेगुलर चार्ट बनाकर स्कूलों की देखरेख की व्यवस्था मुकम्मिल तौर से की जानी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, एस.टी.सी. स्कूल्स संस्कृत शिक्षा की बहुत कम हैं। जितने बच्चे पढ़ करके निकलते हैं उसके मुकाबले में जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं वह पिछले वक्त में दो-तीन हमने खोली थीं उसमें लड़ते-झगड़ते दो तो वापस बन्द हो गयी थी और एक से कुछ पार नहीं पड़ता है इसलिए और एस.टी.सी. स्कूल्स संस्कृत के क्षेत्र में खोली जानी चाहिये।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन और है कि संस्कृत की परामर्शदात्री समिति बनायी हुई है। उसकी दो-दो, तीन-तीन साल से कोई मीटिंग नहीं हो रही है। इसलिए परामर्शदात्री समिति जो बनी हुई है संस्कृत के विभाग के लिए, उसकी कम से कम साल में रेगुलर दो मीटिंग तो हो जायें। कहां-कहां, क्या-क्या आगे के लिये प्लानिंग करनी है, क्या कमी है, क्या खामी है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहिये उस सबको हमें देखने की जरूरत है। हालांकि छोटा सा आइटम है लेकिन जिसको परेशानी है उसके लिए बड़ा आइटम है। दो-दो, तीन तीन वर्ष से संस्कृत विभाग के शिक्षकों के टी.ए. और मेडिकल बिल अनपेड पड़े हुए हैं और वह बहुत परेशानी में है। वह क्यों पड़े हैं क्या स्थिति है, क्यों नहीं हो पा रहे है यह तो मुझे पूरा ध्यान नहीं है। लेकिन दो-दो, तीन-तीन साल से बहुत सारे टीचर्स के इस तरह के बिल्स अनपेड पड़े हुए हैं। इसलिए संस्कृत शिक्षा विभाग को भी हमें उसी हिसाब से बहुत ज्यादा गहराई और ज्यादा प्राथमिकता के साथ

(श्रीमती कमला)

सबक जोड़ देनी चाहिये जितना कि हम आपकी सामान्य शिक्षा को देते हैं। अफसोस होता है कि सामान्य शिक्षा तो महा समुद्र है अब संस्कृत शिक्षा छोटी सी है, तो मंत्री जी उस बड़े समुद्र में ज्यादा उलझे रहते हैं और संस्कृत शिक्षा को कम समय मिल पाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसको कुछ ज्यादा समय दें।

आखिर में थोड़ा सा मैं संस्कृति के बारे में भी कहना चाहती हूं। संस्कृति मानव के सोच पर आधारित है, संस्कृति मानव की जीवन शैली पर आधारित है, संस्कृति मानव के संस्कार कैसे बन रहे हैं उस पर आधारित है और उन संस्कारों के कारण से उसके जीवन के क्रिया-कर्म क्या हैं उसके ऊपर संस्कृति निर्धारित है। इसलिए उसका सोच, उसका संस्कार, उसकी जीवन की कार्यशैली और कर्म यह संस्कृति बनाता है। आज हम किस तरफ जा रहे हैं? शिक्षा की जो स्थिति है वह मैंने आपको बतायी और जो और मीडियाज हैं इन्सान को और संस्कृति को बनाने के, उन मीडियाज का हाल देख लीजिये। चाहे अखबार देख लीजिये, चाहे ट्रांजिस्टर देख लीजिये, चाहे टी.वी. देख लीजिये और चाहे सिनेमा देख लीजिये। आज ये माध्यम इतने प्रभावी हैं, जो इन्सान को बनाते हैं। आज छोटे से छोटा बच्चा जिस तरह से अखबार पढ़ रहा है, जिस तरह के टी.वी. देख रहा है, जिस तरह के गाने सुन रहा है, जिस तरह की पोशाकें देख रहा है; जिस तरह के होर्डिंग्स देख रहा है, जिस तरह शराब से धुत्त लोगों की कतार की कतार देख रहा है, जिस तरह रोजाना हत्याओं के करिश्मे पढ़ रहा है, आखिर हम क्या संस्कृति बना रहे हैं?

इसलिए यह जो आज हम भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की बड़ी भारी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, मैं नरसिंह रावजी को भी, उनके सम्बन्धित जो मंत्री हैं उनको भी, जो उनको प्रभावित करके इसे ठीक करवाने में सक्षम हैं उनको भी, आज जो हम लोग स्टेट्स में बैठे हैं और उसके प्रति कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं और उनके प्रति कोई इस तरह का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, उन सबमें मेरे को खुद को शामिल करते हुए मैं सभी को दोषी मानती हूं। क्योंकि आज हमने टेकन फार ग्रांटेड कर लिया। ऐसी पिक्चर्स आयेंगी, ऐसे ही गाने आएंगे। देखना हो तो देखो नहीं तो मत देखो। बंद कैसे करेंगे? यह तो उद्योग है। एक लोकतांत्रिक देश में जिसका आधार ही एक इन्सान है जिसके चरित्र को बनाने का, उसको लोकतांत्रिक पद्धति को चलाने के लिये, सक्षम बनाने में आपका दायित्व है वह सबसे प्रभावी मीडिया टी.वी. को आप उद्योग कहकर खुली छूट दे दें। इससे ज्यादा चिन्ताजनक और दुःख की बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं इस बाबत इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार को और आप सबको एक निवेदन करना चाहती हूं कि हमें, इस तरह का जो यह जाल बिछ गया है जिसको हम काटने में अपने आपको अक्षम पा रहे हैं इसको हमें रोकने की चेष्टा करनी चाहिये। चाहे हमारा साहित्य है, चाहे हमारी फिल्म्स हैं और चाहे हमारे और मीडियाज हैं और जो मीडियाज हैं वह इतने प्रभावी हैं कि आप भाषण दे दें उसका प्रभाव नहीं होगा लेकिन एक बार बच्चा चित्र देख लेगा तो वह उसके ऐसे अंकित हो जाता है जैसे कि टाइप किया हुआ अक्षर अंकित हो जाता है। इसलिए संस्कृति को बचाने के लिए,

(श्रीमती कमला)

हमें अपने सोच को सुदृढ़ रखने के लिये और जो जीवन शैली हमारे प्राचीन भारत से हमें देन में आयी है उस जीवन शैली को अपने आधार से जीने के लिये कर्म में "मनसा, वाचा, कर्मणा:" यह तीनों चीजें एक जैसी अगर नहीं होगी तो संस्कृति अपनी जड़ नहीं रख सकती। इसलिये सोच अच्छा है तो हमारा काम भी अच्छा होना चाहिये और काम अच्छे होंगे तो बोल तो अच्छा होगा ही होगा। इसलिये तीनों चीजें जब तक उनके अनुसार नहीं कर पायेंगे और उसके लिये अगर नुकसान हो रहा है, आवाज नहीं उठा पायेंगे तो आज अपनी कर्तव्यहीनता को खड़ा कर रहे हैं जिसे हमें सोचने की जरूरत है।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे समय दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि सदन के सामने शिक्षा का जो मामला चल रहा है यह बड़ा महत्वपूर्ण है लेकिन पुनरावृत्ति न करें और समय सीमा का ध्यान रखें। श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, जैसी भी हमारे यहां सरकारे रहीं, चाहे विदेशी सरकारे रहीं, चाहे स्वदेशी सरकारे रहीं, चाहे तानाशाही रही, चाहे राजाशाही रही और चाहे आज प्रजातंत्र है इस सबके अन्दर सरकारों का शिक्षा में एक प्रकार का आवश्यक भाग रहा है। सरकार का शिक्षा के अन्दर चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो, बड़ा भारी दायित्व होता है। यह भी सच है कि शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसके अन्दर निजी क्षेत्र भी बराबर योगदान देता रहा है। चाहे किसी प्रकार की भी सरकार रही हो, चाहे कोई प्रकार का युग रहा हो। आजादी के बाद हमारे लोगों ने संविधान के अन्दर भी इसको बहुत बड़ा महत्व दिया, बहुत चिन्तन हुआ, बहुत विचार किया गया। संविधान के साथ–साथ कोई समय नहीं खोया, कोठारी आयोग 1964-65 के अन्दर बना, बड़ा भारी चिन्तन करके उन्होंने एक रिपोर्ट सब्मिट की। डाक्टर राधाकृष्णन्, 1949 के अन्दर उनका एक आयोग था, उन्होंने रिपोर्ट सब्मिट की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अन्दर बनी फिर उसमें रिवीजन हुआ, 1986 के अन्दर बनी। अभी–अभी 1992 के अन्दर पुनर्व्या समिति बनी। इतने सारे आयोग, इतनी सारी समितियां बन गयीं पर स्थिति क्या है ? इन सारी सिफारिशों के बावजूद भी शिक्षा के अन्दर किस तरह की स्थिति है ? हम लोग मैकाले को गाली देते रहे परन्तु उसी तरह के रास्ते पर चलते रहे और अभी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इन सारे आयोग और इन सारी समितियों के बावजूद किस प्रकार का परिवर्तन आया। कभी हमने कहा मैट्रिक, दस प्लस इंटर–मीडियट और उसके बाद फिर कह दिया दो साल का ग्रेजुएशन। फिर बोले कुछ परिवर्तन तो लाना ही है। उन्होंने कहा, दस साल के बजाय, ग्यारह साल तक मैट्रिक। उसको हायर सैकण्डरी कह दीजियेगा और सीधा–सीधा तीन साल का ग्रेजुएशन हो जाएगा। फिर कुछ साल बाद तब्दीली आयी 10+2+3 कर दिया। तो यह इस प्रकार की बातें करते रहे। कभी दस, कभी दो, कभी तीन, कभी चार परन्तु जो मैकाले टाइम था या यूं कहिये

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कि आज इंगलैण्ड का जिस प्रकार का सलेबस है, जिस प्रकार की समयावधि, जिस प्रकार वहां किताबे पढ़ायी जाती हैं, उसमें हमारे यहां पर कोई अन्तर नहीं है, और किसी प्रकार का अन्तर लाने का कोई विचार नहीं है। इतनी सारी चर्चा, घण्टों-घण्टों पूर्व वक्ताओं ने कहा परन्तु किसी ने यह नहीं बताया कि शिक्षा के अन्दर वहां पर जिस प्रकार की किताबे पढ़ायी जा रही हैं उन किताबों के अन्दर क्या पढ़ाया जा रहा है। उनका लोगों के व्यक्तित्व पर, बच्चों के व्यक्तित्व पर क्या असर हो रहा है और क्या चीज हमने पैदा की है। एक ओर तो हम गुणात्मक विकास लाना चाहते थे उसमें भी यूं के यूं पिछड़े हुए हैं। हमारे यहां तो स्त्री शिक्षा मेरे ख्याल से थानागाजी के अन्दर 48 साल के बाद भी 8 या 10 प्रतिशत है। जहां तक गुणात्मकता का सवाल है तो इसमें हमें यह कहते हुए किसी प्रकार का संकोच नहीं होता कि अब वह इतना डिटेरियोरेट हो गयी है कि हम जिस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं उससे हम कोई उम्मीद नहीं करते कि आज की शिक्षा प्राप्त करके आदमी अपने पांवों पर खड़ा होकर संसार में संघर्ष के अन्दर अपना हिस्सा ले सकेगा। आयोग के द्वारा और भी कई तरह की चर्चा की गयी। मैंने करीब-करीब सारे आयोगों की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। उनमें ज्यादातर यही बात बतायी गयी है कि छात्रों से कितनी फीस लेनी चाहिए, छात्रों का कितना योगदान होना चाहिए, सरकार का उसमें कितना योगदान होना चाहिए और उच्च शिक्षा किस तरह से निजीकरण को दे दी जाये। क्योंकि अमरीका के अन्दर सारी उच्च शिक्षा निजीकरण के अन्दर है। उच्च शिक्षा के अन्दर इतना प्रतिशत निजीकरण को देने के बावजूद भी 14 प्रतिशत भारत सरकार की तरफ से दिया जाये। मेरा निवेदन करना यह है कि हम यहां शिक्षा के बारे में पिछले टाइम से जो चिन्तन कर रहे हैं उन चिन्तनों में सुपरफिशिकल बातों पर चल रहे हैं। जो बातें महत्व नहीं रखती हैं उन बातों पर हम चल रहे हैं। एक बात और कहना चाहता हूं। हमारा जो सकल घरेलू उत्पादन है, जी.डी.पी. है उसमें हमारे यहां पर आर्थिक क्षेत्र के अन्दर जो चिन्तन करने वाले व्यक्ति हैं, एक प्रकार से आइसोलेटेड तरीके से उन्होंने 1950 से एक बात कहना शुरू कर दिया कि जितना सकल घरेलू उत्पादन है उसको सारे के सारे को आर्थिक उत्पादन के जो संयंत्र हैं उनके अन्दर उनका पुनर्निवेश होना चाहिए जिससे घरेलू उत्पादन और बढ़े। बात अच्छी लगती है, बहुत ठीक लगती है कि जितना हम पूंजीगत व्यय करेंगे, यहां पर जब भी डिबेट होती है तो हमारा यही प्रयास होता है कि पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए। पूंजीगत व्यय ज्यादा होगा तो और ज्यादा पूंजी पैदा होगी और सकल घरेलू उत्पादन में और वृद्धि होगी। यहां तक कि हम उस वक्त के अन्दर तो यह भी भूल गये कि इन्फ्रास्ट्रक्चर भी सकल घरेलू उत्पादन के खास प्रपोर्शन के अन्दर उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। हमने सड़कों तक को 30-35 साल तक प्राथमिकता नहीं दी परन्तु जो सबसे बड़ी गलती की है जब तक सकल घरेलू उत्पादन का निश्चित प्रतिशत हम मानव संसाधन पर, मानव विकास पर खर्च नहीं करेंगे तब तक सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने वाले संयंत्र

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के पीछे जो आदमी खड़ा है उसकी जब तक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो हमारा जो वहम है सकल घरेलू उत्पादन में पूरा पूंजी निवेश लगा देने से ही सकल घरेलू उत्पादन और बढ़ जाएगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, यह सही दृष्टि रही नहीं, आज तक भी सही दृष्टि नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं संसार के वे देश जो बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर चुके हैं, जो आज विकसित देश हैं, उन विकसित देशों का हम इतिहास देखें तो किसी भी विकसित देश का ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जिन्होंने प्रारम्भ से लेकर अपने सकल घरेलू उत्पादन का कम से कम सात प्रतिशत शिक्षा पर खर्च नहीं किया हो और जिन आयोगों का मैंने आपसे जिक्र किया है, उन सारे आयोगों ने सात प्रतिशत तो नहीं बताया परन्तु उन्होंने कहा है हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की हमारी स्थिति है कि हम आर्थिक स्थिति के अन्दर बहुत पिछड़े हुए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पिछड़ा हुआ है। यह सही बात है कि जब तक मानव विकास नहीं होगा तब तक इन सबका लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए छह प्रतिशत जरूर होना चाहिए। हमने इतने बड़े-बड़े आयोग बैठाये। राधाकृष्णन् आयोग, कुनइया जैसा आयोग और वे कहते हैं कि छह प्रतिशत होना चाहिए। आज की तारीख तक इस बजट में भारत सरकार के अन्दर जो हमने रखा है वह 3.9 पर्सेण्ट से आगे नहीं बढ़ा। यदि हम अपने सकल घरेलू उत्पादन का केवल मात्र 3.9 पर्सेण्ट व्यय करेंगे तो निश्चित बात है जो मानव संसाधन है वह विकसित नहीं हो पायेंगे। कोई भी आदमी लोन लेने जाता है आर. एफ.सी. के पास या किसी बैंक के पास तो वह उससे पूछते हैं कौनसा प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, कहां लगेगा, क्या लोकेशन है? वह सब बात बहुत अच्छी तरह समझा देता है कि यहां पर लगेगा, इसके अन्दर इतनी पूंजी निवेश होगी, इसका रा-मैटीरियल खूब उपलब्ध है और इसको बेचने के लिये मार्केट भी खूब उपलब्ध है। उसके बाद में जो आखिरी सवाल होता है, वह सवाल यह होता है कि who is the man behind it इसके पीछे आदमी कौन है तो जब यह ध्यान रखा जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिये कि उसके पीछे आदमी कौन है तो, मान्यवर, यदि हम कोई भी काम इस देश के अन्दर करने जा रहे हैं उसके पीछे हमने आदमी का विकास नहीं किया, एक व्यक्तित्व जिस प्रकार का होना चाहिए, जिसको जितना ज्ञान होना चाहिए, जिसको इस बात की, इस तरह की जानकारी होनी चाहिए, वह जानकारी वाला व्यक्ति नहीं होगा तो हम जितने भी आर्थिक उत्पादन की बात कर रहे हैं वह आर्थिक उत्पादन हम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे।

सभापति महोदय, दूसरी बात, कोई भी प्रोजेक्ट हम करना चाहते हैं, कोई भी योजना चलाना चाहते हैं, कोई भी संगठन चलाना चाहते हैं, कोई व्यवस्था करना चाहते हैं, उस व्यवस्था के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि व्यवस्था का डिलीवरी सिस्टम क्या है? कौन लोग उस काम को करने वाले हैं? हमारी शिक्षा का जो मेन डिलीवरी सिस्टम है वह शिक्षक है उसका भी महत्वपूर्ण अंग शिक्षा की प्राइ-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

भरी शिक्षा है। जहां पर कि मस्तिष्क के अन्दर सबसे ज्यादा विकास होता है। चार वर्ष से लेकर सात वर्ष का बच्चा जो अपने दिमाग के अन्दर डवलपमेंट करता है वह 7 वर्ष से लेकर 97 वर्ष तक नहीं करता। उस समय उसके पास शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है, जो उस चीज को डिलीवर करने वाला है, उस शिक्षक की ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। उस शिक्षक की जो स्थिति है। उस शिक्षक का जो एक प्रकार का व्यक्तित्व है उसको हमने समाज में बिलकुल नीचे से नीचे स्तर पर ले जाकर रखा है। मैं समझता हूं कस्टम डिपार्टमेंट का, एक्साइज डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या किसी प्रशासनिक डिपार्टमेंट का चपरासी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, उच्च प्राथमिक का शिक्षक है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार जब भी उसने एस.टी.सी. पास कर लिया, बी. एड. पास कर लिया हमने उसको नौकरी के अन्दर लगा दिया। उसके बाद दूसरा कोई देखने वाला नहीं है उसको दुबारा कभी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उसके अन्दर उस प्रकार के उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। पांच साल के अन्दर वह ढीला पड़ गया है, वह सब जानकारी से दूर चला गया है। उसको लेटेस्ट जानकारी हम देना चाहते हैं कि नहीं, उसके अन्दर हम इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते कि वह बच्चों को प्रोत्साहन दे सके। सभापति महोदय, मेरा इसके बारे में निवेदन होगा शिक्षा मंत्रीजी से कि जिस प्रकार से और विभागों के अन्दर रिफ्रेशर ट्रेनिंग की अत्यन्त आवश्यकता है उसी प्रकार की आवश्यकता शिक्षकों की भी है। जितनी जल्दी हम इस सारे के सारे जैसा अभी जिक्र किया गया था कि दायित्व विभाग के लिये बनाये गये थे परन्तु दायित्व के अन्दर तो सिवाय एस.टी.सी. के नहीं साठ लड़कियों की भर्ती के और कोई काम तो अभी तक हुआ नहीं। होगा किताबों के अन्दर, फाइलों के अन्दर होगा। परन्तु आज आपके पास लाख से ऊपर शिक्षक हैं। यदि उन लाख से ऊपर शिक्षकों को हमने पीरियोडिकली ट्रेनिंग नहीं दी, हर पांच साल के अन्दर हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, सभापति महोदय, किसी मैन्युफैक्चरिंग कन्सर्न के अन्दर यदि गड़बड़ आ गयी और उसके अन्दर दस हजार साइकिलें बन रही हैं, तो वे दस हजार साइकिलें खराब हो गयी। तो सारा का सारा दुःख है वह दस हजार साइकिलों तक ही सीमित है, चाहे उनको फेंक देवे, चाहे अपने आप कालावधि के अन्दर समाप्त हो जायेंगी। परन्तु एक युग के अन्दर यदि आपने खराब स्कूलों के द्वारा अपने बच्चों को वह चीज नहीं दी जो उनको चाहिए तो एक पीढ़ी नहीं सात पीढ़ी खराब हो जायेंगी। क्योंकि वही पीढ़ी निकल करके इस देश को कंधों पर उठाने वाली हैं परन्तु यदि उसके स्वयं के व्यक्तित्व की रचना नहीं हो सकी तो उसके बाद उसके बच्चे और उसके बेटे के बेटे जो काम करना चाहते हैं देश के लिए वह नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है कि स्कूलों के अन्दर खास तौर से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शाला के अन्दर जो अध्यापक हैं उन अध्यापकों का क्या स्तर रखें, कितने प्रकार का रिफ्रेशर दें, मैं नहीं समझता हूं कि डाइट इस काम को कर सकेगी, इसके लिये अलग से योजना बनानी होगी। इसके लिये यदि 10–20–50

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करोड़ रुपये खर्च करने होंगे तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है, सारे देश के लिये महत्वपूर्ण है, हमारे आर्थिक विकास के लिये महत्वपूर्ण है, हमारे व्यक्तित्व की रचना के लिये महत्वपूर्ण है, हमारे आगे आने वाले समय के लिये महत्वपूर्ण है।

शिक्षक की जिस समय आप भर्ती करते हैं उस समय यह भी देखना पड़ेगा कि केवल मात्र पढ़-लिख करके कुछ अच्छे मार्क्स लिये हों इसलिये इसको प्रायोरिटी मिलती है मेरिट के अन्दर। जब तक उसके अन्दर क्रिएटिविटी जैसी चीज नहीं हो, पढ़ाने को कोई भी पढ़ा देगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ने ही नहीं जाते; वे तो घर पर ही बैठे कर पढ़ लेते हैं, बी.ए. भी कर लेते हैं, एम.ए. भी कर लेते हैं बड़ी हाई पर्सेण्टेज के अन्दर कर लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमू) : अटेंडेंस पूरी हो जाती है क्या ?

श्री रमाकान्त शर्मा : अटेंडेंस की आवश्यकता ही नहीं है, कानून ही नहीं है आजकल अटेंडेंस पूरी करने का। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कानून नहीं है। सिंडीकेट का मैं मेम्बर हूं। वैसे तो मेरी मोरल ड्यूटी है कि मैं उसके बारे में बात नहीं करूं परन्तु जनरल चर्चा के अन्दर बात आ गयी। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि घर पर बैठ कर पत्राचार से पढ़ लिया जाता है पत्राचार से आजकल तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय रमाकान्तजी अगर यह कानून नहीं है और फिर आप सिंडीकेट के मेम्बर हैं तो आप पालन क्यों नहीं करवाते।

श्री रमाकान्त शर्मा : जो कुछ करवा सकते हैं वह करवा देंगे, जरूर करवा देंगे जो कुछ हो सकेगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के अन्दर सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वे स्कूलों में बैठ कर केवल मात्र पढ़ायें नहीं, वे बच्चों के व्यक्तित्व के लिए क्या क्रिएटिव एटमास्फियर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस प्रकार के शिक्षकों का हमको चयन करके और शिक्षण संस्थाओं में लाना होगा। तो मैं समझता हूं कि हम शिक्षा की सहायता, शिक्षा की अवक, शिक्षा का प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से कर सकेंगे।

मैं बहुत लम्बी चीजों के अन्दर नहीं जाऊंगा, सभापति महोदय। जो राज्य सरकार ने किया है वह भूरि-भूरि धन्यवाद की पात्र है। करीब 28 स्टेप्स हैं, सभी लोगों के पास प्रगति विवरण गया होगा और सबने पढ़ा भी होगा। मैं तो उनमें से एक का भी जिक्र करने वाला नहीं हूं परन्तु मैं समझता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूंगा यदि मैं इस बात को नहीं कहूंगा तो। एक से लेकर 28 तक जितने भी, जो भी हैं वे अपने आप के अन्दर बहुत महत्वपूर्ण हैं और सारे के सारे इसमें जो स्टेप्स लिये हैं इसके लिये जितना भी धन्यवाद दिया जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाये उतनी कम है। मैं यह भी राजस्थान सरकार की इस वक्त के अन्दर प्रशंसा करूंगा कि आज राजस्थान सरकार उस स्थिति में पहुंच गयी कि जहां पर हमारा प्रति व्यक्ति शिक्षा व्यय 214 रुपया है

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जबकि नेशनल एवरेज 208 रुपया है। हम नेशनल एवरेज से ऊपर चले जायें यह कोई कम बात नहीं है। जहां कुल मिलाकर 23 रुपया प्रति व्यक्ति हम शिक्षा पर व्यय करते थे आज राजस्थान में 214 रुपया व्यय कर रहे हैं। बात यहां पर आयी और पिछले साल का शिक्षा के लिये समर्पित बजट था और अब क्या होगा ऐसा कुछ चिन्तन व्यक्त किया गया। मैं समझता हूं मेरे पास कहीं लिखा हुआ है पिछले साल के अन्दर जहां...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : कौन से साल की जनसंख्या के आधार पर यह 214 रुपया प्रति व्यक्ति व्यय हो रहा है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : यह तो आपने मेरी बात कह दी। इस वक्त के अन्दर जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से।

श्री परसराम मदेरणा : एक अप्रैल को आशपिशियस दिवस के दिन राजस्थान की जनसंख्या क्या है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : खैर, मैं जनसंख्या पर, परिवार नियोजन पर यहां पर भाषण नहीं दे रहा हूं कि क्या जनसंख्या है।

श्री परसराम मदेरणा : परिवार नियोजन नहीं संख्या पर बिलकुल है....(व्यवधान) बढ़ोतरी हो रही है यह प्रोजेक्शन जो राजस्थान सरकार ने दिया है और एट्थ फाइव ईयर प्लान में दिया है और उन्होंने लिखा है कि 1997 तक राजस्थान की जनसंख्या 5 करोड़ और 4 लाख हो जाएगी। आपने 214 रुपये निकाले हैं यह गुणात्मक और संख्यात्मक जो बात कह रहे थे संख्या की और क्वालिटी की, आप यह बताइये कि आपने गुणा भाग कैसे किया ?

श्री रमाकान्त शर्मा : इसके सिवाय पिछला वर्ष जो समाप्त हुआ उसके अन्दर 1288 करोड़ रुपये का केवल मात्र प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और इससे सम्बन्धित शिक्षा पर है इसके अन्दर उच्च शिक्षा शामिल नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भारत सरकार ने जो सेन्सस के आंकड़े प्रकाशित किये हैं....

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं वही अर्ज कर रहा हूं। तो यह आप ले लीजिये और उच्च शिक्षा की किताब निकाल कर मैं बता दूं, वह कर लीजिये और उसके अन्दर 4 करोड़ और कुछ लाख हैं, 23 लाख इतनी जनसंख्या है उसका भाग दे लीजियेगा तो आप निकाल लेंगे और आप कहेंगे तो मैं कमरे में आकर आपको बिलकुल बता दूंगा। मैं आपको यह अर्ज कर रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : आप तो यह बता दीजिये....

श्री रमाकान्त शर्मा : एक मिनट मेरी सुन लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रमाकान्तजी, आप कमरे में बताने वाली आदत भूल जाइये। ये प्रतिपक्ष के नेता हैं और आप एम.एल.ए. हो। पहले यह मिनिस्टर थे और आप आई.ए.एस. अधिकारी थे जब कमरे में जाकर बताते थे। अभी तक बहुत पुरानी बात को आप भूल नहीं पाये।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बड़े मुद्दे की बात पूछ रहा हूं। शायद राजस्थान में इस विधान सभा के सदन में मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य होगा एक्सेप्शन करता हो मिनिस्टर्स का वह भी प्रश्नचिन्ह लगाते हुए। आज तक जितने भी एजूकेशन कमीशन थे आपने उनका अध्ययन किया है। आप यह बता दीजिये कि जितनी भी कमीशन की जो रिकमण्डेशंस हैं और उसमें जिस कमीशन की जो रिकमण्डेशन प्रगतिशील और वस्तुपरक है। कमीशन के नाम मुझे याद नहीं है, किताब को तो पढ़ने के लिये इतना समय मिलता कि नहीं मिलता लेकिन आपने स्टडी कब की है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : पहले पहले कोठारी आयोग था।

श्री परसराम मदेरणा : यह आयोग वायोग तो मैं जानता हूं, कोठारी आयोग था, डाक्टर राधा कृष्णन था। लेकिन आपने कब पढ़ी ?

श्री रमाकान्त शर्मा : पर इसमें जो सबसे ज्यादा प्रगतिशील पुनय्या का है। इस मामले के अन्दर सबसे ज्यादा प्रगतिशील बात कही गयी है और सामयिक बात कही गयी है और जी.डी.पी. की बात जो मैंने कही वह जी.डी.पी. की बात इसके अन्दर कही गयी है। यह जी.डी.पी. की बात पहले न डाक्टर राधाकृष्णन् आयोग ने कही, न इसको पहले जो नीति बनी थी 1968 की उसमें कही गयी, न 1986 की नीति में कही गयी। यह पुनय्या ने जब इस बात को कहा है और पुनय्या ने इस बात को लेकर बताया कि हमारी निजी संस्थाओं के अन्दर किस प्रकार का व्यय होना चाहिए, निजी संस्थाओं के साथ में क्या डीलिंग होनी चाहिए और उसके कम्पेरीजन के अन्दर फ्रांस का जिक्र किया है, जापान का भी जिक्र किया है, अमेरिका का भी जिक्र किया है। मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा अप टू डेट प्रगतिशील है....

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : आपके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्रांति तो कुछ नहीं आयी, क्रांति तो इन तीन–चार में....

श्री परसराम मदेरणा : तो आप तो मैकाले के प्रोडक्ट हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आयोग की सिफारिश तो बहुत सही है....

श्री परसराम मदेरणा : मैकाले की जो शिक्षा है उसके प्रोडक्ट हैं इसलिये आपके विचारों में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है वह पुनय्या से आया है या कोठारी से आ गया। सिंडीकेट की वजह से वहां उच्च शिक्षा में जब आप बिराजते हैं वहां के बड़े–बड़े प्रोफेसर की कम्पनी की वजह से आया था....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह हमारी ट्रेनिंग में आने के बाद आयी है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरे विचारों के अन्दर क्रांति में क्या कमी थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रमाकान्तजी ज्योंही आई.ए.एस. से रिटायर होकर हमारे ट्रेनिंग सेण्टर में आये उनमें बिलकुल क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तो लोक जुरिस्डिक्शन में जाइये।

श्री रमाकान्त शर्मा : खैर, माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा था जो मैंने 21·4 की फिगर दी है वह पब्लिश्ड है यह मैंने केलकुलेट नहीं की है परन्तु यदि केलकुलेशन की बात हो तो केलकुलेट की जा सकती है पर यह तो पब्लिश्ड फिगर है आल इण्डिया की भी 208 पब्लिश्ड फिगर है और राजस्थान की भी पब्लिश्ड फिगर है।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान सरकार ने भी पब्लिश की है।

श्री रमाकान्त शर्मा : भारत सरकार की भारत सरकार करेगी और राजस्थान की राजस्थान सरकार करेगी यह तो सीधी सी बात है।

श्री परसराम मदेरणा : अगर आपने यह केलकुलेट कर दिया तो...

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिये आप।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य, you are a learned man. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। I am not asking this question in a light way. मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस देश में 472 जिले हैं, There are 472 districts. लास्ट जिला एड हुआ है हनुमानगढ़। देश के 472 जिलों में शिक्षा का प्रतिशत जिस जिले में सबसे ज्यादा गिरा हुआ है वह कौनसा जिला है ? उसके बारे में तो कुछ कहें। आप मैकाले-वैंकाले से भी ऊपर निकल गये। लेकिन जब आप शिक्षा के बारे में कह रहे हो, अगर बाड़मेर सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है तो बाड़मेर में शिक्षा के लिये, लिटरेसी के इम्प्रूवमेंट के लिये क्या हो रहा है और आपके क्या सुझाव हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय, आप तो मेरे से पहले ही कंक्ल्यूजन पर पहुंच गये। आपने जो प्रश्न पूछा, वह तो इस किताब के अंदर आखिरी पेज पर लिखा हुआ है, सारे जिलों का लिखा हुआ है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का भी लिखा हुआ है और शहरी क्षेत्र का भी लिखा हुआ है। इसलिये बहुत ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जो आप बता रहे हैं वह मैं बताने जा रहा था, परन्तु आपने तो मेरा फ्लो रोक दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रमाकांतजी इतना बता दो कि सबसे नीचे बाड़मेर नहीं है।

श्री सभापति : माननीय रमाकांतजी, आपका समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री रमाकांत शर्मा : मुझे कोई एतराज नहीं है। जो सुनना चाहे, सुन लीजिये वरना तो मैं बैठ जाऊंगा, सारी नालेज यहीं पर बताने के लिये तो मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था, और व्ययों के अंदर जहां कहा गया है कि 62 पर्सेण्ट शिक्षा के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यय किया जा रहा है। 1994–95 के अंदर 74 प्रतिशत था, 1995–96 के बजट में यह बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया है। यह एक प्रकार का ट्रेंड है क्योंकि हम सारे के सारे परेशान हैं कि किसी न किसी प्रकार से, ऐतिहासिक कारणों से जितना

(श्री रमाकान्त शर्मा)

पैसा खर्च होता था बड़े-बड़े शहरों में खर्च होता था और शहरों में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गयी हो तो उन पर खर्च जरूरी हो जाता है। इसलिये इसमें से निकाल कर ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाये यह बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे देश के लिये, हमारे प्रांत के लिये। मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा।

बालिकाओं की शिक्षा की अभी बात हो रही थी, अभी माननीय [illegible] कह रही थी कि प्राइमरी स्कूल भी उनके लिये अलग खोले जायें, मिडिल और सैकण्डरी भी उनके लिये अलग खोले जायें, सीनियर सैकण्डरी भी उनके लिये अलग से खोले जायें। मैं समझता हूँ कि यह रिट्रोग्रेसिव स्टेप होगा, पीछे जाने का स्टेप होगा। यह आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा नुकसानदायक स्टेप होगा। सैकण्डरी एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है, उस वक्त लड़की की एज एडोलेसेंट होती है, इसलिये उससे पहले उसको लड़कों के साथ बैठना जरूरी है। प्राइमरी शिक्षा के अन्दर, उच्च प्राथमिक के अन्दर लड़कों के साथ बैठना उसके व्यक्तित्व के विकास के लिये [illegible] होगा। कालेज में पढ़ने जाती है तो पुरुष के [illegible] के लिये [illegible] लड़कों के साथ [illegible] है। [illegible] है वहाँ, इसमें [illegible] मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह [illegible] के [illegible] सैकण्डरी शिक्षा [illegible] से ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिये खोलनी चाहिये। [illegible] लड़कियों के लिये खोलनी चाहिये। बाकी [illegible] रहने दिया जाये अन्यथा हम बहुत ज्यादा कोम्प्लेक्शन कंफ्यूजन के अन्दर फंस जाएंगे और हम जगह-जगह प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिये खोलते चले जायेंगे, तो न तो हमारे पास इतनी धनराशि होगी और न हम शिक्षा की व्यवस्था ठीक तरह से कर पा सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक वर्ष के अन्दर सैकण्डरी स्कूल 57 खोले हैं जबकि पिछले 44 सालों में कुल 148, यह इस दिशा के अन्दर मेरी सोच के मुताबिक बात चल रही है। इसलिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं 2-3 सुझाव देकर, यदि आप समय की बात करते हैं तो मैं समाप्त करना चाहता हूं। समय तो आपने पहले वालों को बहुत दे दिया, सवा-सवा घंटे बोलने को दिया। मुझे दो दस मिनट हुए हैं, परन्तु जिस समय आप घंटी बजा देंगे मैं बैठ जाऊंगा। 1-2 सुझाव मैं और देना चाहूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार अपनी तरफ से शिक्षा पर सरकार संस्थाओं में 18 सौ करोड़ रुपये खर्च करती है और निजी शिक्षण संस्थाओं को लिये वह 35 करोड़ रुपये खर्च करती है, अनुदान के रूप में। आज स्थिति यह है कि टोटल जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें 33 प्रतिशत जो निजी शिक्षण संस्थाओं में आ रहे हैं, अर्थात् यदि 35 प्रतिशत सारी निजी संस्थाएं हो जायें तो जो 18 सौ करोड़ रुपये काम कर रहे हैं वह सिर्फ 105 करोड़ रुपये काम कर जायेंगे। खैर, यह मेरा सुझाव नहीं है। मेरा सुझाव इतना सा है कि जहां भी अच्छी निजी शिक्षण संस्थाएं आती हैं, कभी-कभी एक डिपार्टमेंट का कम्पलेंट [illegible] सरकारी स्टेट्स होने के नाते हम उनको बढ़ावा नहीं देना चाहते, उनको आगे नहीं आने देना चाहते, इसलिये हमारे देश के [illegible]

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अन्दर शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। झुंझुनूं के अन्दर तो हो गयी, झुंझुनूं तो बालिका शिक्षा के अन्दर प्रथम बता रहे थे, चौथे नम्बर पर है और बच्चों की शिक्षा के अन्दर, साक्षरता के अन्दर, महिला साक्षरता के अन्दर अजमेर के बराबर है क्योंकि वहां पर निजी शिक्षण-संस्थाएं चल रही हैं। सारे राजस्थान के अन्दर झुंझुनूं, अजमेर का मुकाबला कर रहा है। यह केवल इसलिये कि निजी शिक्षण संस्थाएं वहां हर गांव के अन्दर आयी हुई हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें बिड़लाजी का भी योगदान है।

श्री रमाकांत शर्मा : हां, हां, वह एक ही बात है। अभी कहा जा रहा था कि हमने इतने इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये, भूल गये कि इसमें पिलानी भी इंजीनियरिंग कालेज है, रीजमल इंजीनियरिंग कालेज भी है। खैर, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता था, मुझे प्रवोक भी मत कीजिये। मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूं। मेरी जानकारी में आया है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने 50 स्कूलों का अध्ययन कराया है। 1992-93 में 50 स्कूलों में से केवल एक लड़की मेरिट में आयी है। 1993-94 में एक भी नहीं आया और 1994-95 में फिर एक आया है। सरकारी स्कूलों की यह स्थिति है कि इनकी मेरिट में एक आयी और उधर यदि 50 प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरिट सारे के सारे हाई हैं, बहुत हाई हैं। यह देखने की बात है कि जब निजी शिक्षण संस्थाएं क्वालिटी और क्वांटिटी के अंदर

प्रफेशनेटली हाई हैं, उनके साथ हम दुराव का व्यवहार करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उस आदमी के साथ नहीं, शिक्षा के साथ दुराव का व्यवहार कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षण की चीजें हैं, आप बी.ए., एम.ए. पत्राचार से कराते हैं, ठीक है परन्तु आप बी.एड. और एम.एड. भी पत्राचार से करवाते हैं। यदि आप कहेंगे कि शारीरिक शिक्षा, एक्सरसाइज, योग सिखाना और कबड्डी खेलना भी पत्राचार से सिखाना शुरू कर देंगे। जिन चीजों का एक तरह से बाकायदा बुलाकर आदान-प्रदान करके प्रशिक्षण देना जरूरी है, वो प्रशिक्षण की चीजें पत्राचार से चल रही हैं, यह हमारे लिये बहुत अच्छी चीज नहीं है।

अंत में, दो छोटी-छोटी बातें हैं, उनको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री परसराम मेदरणा : कबड्डी और एक्सरसाइज, योगासन, किताबों से ही तो लोग कर रहे हैं। प्राणायाम कब करना, सांस कब रोकना, यह नयी-नयी आउट फीलिंग है, यह सब किताबों से ही तो कर रहे हैं। कबड्डी में जिस तरह से खेल खेला जा रहा है वह तो बिलकुल पत्राचार से कबड्डी के अंदर वह उसे अंटी लगा देंगे।

श्री रमाकांत शर्मा : योगा इतनी डेंजरस चीज है कि यदि वह बिना गुरु के करें लोग गयो तो आदमी को लकवा हो जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : अभी तो मेरिट वाली बात कर रहे थे। मेरिट करते-करते सरकारी स्कूलों में मेरिट गायब....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे, भूरि-भूरि करते-करते काली-काली- पर आ गये। किस बात की कर रहे थे ?

श्री रमाकांत शर्मा : माननीय सभा-पतिजी, सबको साक्षरता कार्यक्रम में एक तरह से जैसा जोश आया था कि हम सारे राजस्थान को साक्षर कर देंगे, कम से कम 38 और 40 वर्ष के हर व्यक्ति को साक्षर कर देंगे। मुझे खेद है कि कार्यक्रम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। इस कार्यक्रम को यदि ठीक ढंग से चलाना है तो कलक्टरों के पास रहने से कार्यक्रम ठीक नहीं चलेगा, इसमें लीपापोती हो रही है। इसमें दिखा-वटी बातें बहुत ज्यादा हो रही है। मीटिंग्स, भाषण हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, बजाने हो रहे हैं। इसमें यदि हमको काम करने का है तो क्राइसेस की तरह की बात छोड़िये‍गा। क्राइसेस के तरीके से हम बहुत सारे विभागों में काम करना चाहते हैं। आज यह अभियान चालू कर दिया, वह अभियान चालू कर दिया। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम में जितना पैसा भारत सरकार से आता था पहले तो टू इज टू वन आता था, अब फोर टू वन आ रहा है। इस पैसे का सदुपयोग करने के लिये यह काम शिक्षा विभाग से ही कराइये। क्योंकि सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को लागू करने वाले तो शिक्षा विभाग के टीचर ही हैं। जिस प्रकार से वे लगे हुए हैं, उस बात का मैं वर्णन नहीं करना चाहता, समय नहीं है। वे बहुत गलत तरीके से लगे हुए हैं। ना वह शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं। जो गंदे-गंदे शिक्षक जिनकी स्कूलों में चाहना नहीं थी वे प्रतिनियुक्ति पर अलवर और थानागाजी में बैठे हैं। सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जिस प्रकार से चलना चाहिये था वह वैसा नहीं चल रहा है।

मैं आखिरी बात, संस्कृति की जो कमलाजी ने उठायी, वह कहकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं। जब आपने उदारीकरण एक्सेप्ट कर लिया तो जी.टी.वी. को कैसे मना करेंगे, आप ए.टी.एन. को कैसे मना करेंगे। चलिये जी.टी.वी. और ए.टी.एन. पर छापा डाल करके क्योंकि नये उनके कार्यक्रम बनते हैं, परन्तु बी.बी.सी. को कैसे मना करेंगे। जो बी.बी.सी. फोकस करेगी, जो बी.बी.सी. दिखाना चाहती है, दिखायेगी। जब हम अपने देश की सीमाओं को बिलकुल खोल चुके हैं सारी की सारी दुनिया के लिये तो उस वक्त इस प्रकार की संस्कृति की बात करना केवल मात्र लिप-सिम्पैथी की बात है। यहां तो आप कहते हैं कि हमारे देश को हम अपने पैरों पर, अपने पांवों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी शिक्षा पर आगे ले जाना चाहते हैं। पर आपने इस प्रकार से जब उदारीकरण के लिये सारी सीमाओं को तोड़ दिया है तो बात बनने वाली नहीं है।

(18.00)

माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं खेल के अन्दर बहुत रुचि रखता हूं। इंटर-नेशनल फील्ड के अन्दर तो गया ही था परन्तु जो हिन्दुस्तान का फेडरेशन है, आल इण्डिया बास्केट बाल फेडरेशन का, कई वर्षों तक

(श्री रमाकान्त शर्मा)

मैं अध्यक्ष रह चुका हूं, इसलिये मैं उस पर नहीं कहूंगा तो मेरे खेल साथी मुझे माफ नहीं करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : किस डिसीप्लीन में गये थे आप ?

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं मलेशिया गया, कोरिया गया, फिलिपीन्स गया....

श्री परसराम मदेरणा : अभी बास्केट बाल हो रही है कलकत्ता में...

श्री रमाकान्त शर्मा : अब नहीं रहा।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के लोगों ने परसों हराया है मद्रास के तो 6 फुट और 7 इंच के खिलाड़ी हैं और आप तो इतने से हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : आप राजस्थान के श्याम जी को नहीं जानते ? वह तो सिर्फ 4 फुट के ही थे। उसने तो रशिया वालों को भी मात दे दी थी। उसका नाम नहीं सुना आपने ? तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं खेलों के बारे में कि हमारी 77 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था मेरे गांव में उस समय मेरी मिडल स्कूल के अन्दर खेल के मैदान थे और आज मुझे शर्म आती है कि आज जितने भी मिडल स्कूल हो रहे हैं, सैकण्डरी स्कूल हैं न तो किसी के पास खेल के मैदान हैं, न कोई खेलों का सामान। आप 77 प्रतिशत जनता को अलग करके 33 प्रतिशत जनता जो शहरों की है उसके आधार पर आप खेलों की बात करना चाहते हैं। दुनियां के अन्दर दूसरे देशों के अन्दर 22 वर्ष का लड़का और लड़की रिटायर हो जाता है खेलों से और हमारे यहां 20 वर्ष का सलेक्ट होकर खेल के अन्दर आता है। तो हम कहां से उन तक पहुंच पायेंगे और कहां दुनियां से कम्पीट कर सकेंगे। यदि आप खेलों के अन्दर कुछ करना चाहते हैं तो आपको सारे का सारा पैसा गांवों की प्राइमरी स्कूलों के अन्दर खर्च करना पड़ेगा, प्राइमरी स्कूलों के अन्दर सारी की सारी सुविधाएं पहुंचायें। यदि यह सुविधाएं पहुंचायेंगे तो मैं समझता हूं कि आज खेलों के अन्दर पिछड़ नहीं पायेंगे। आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा कला और संस्कृति पर चर्चा हो रही है और इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज जब शिक्षा की मांग आयी है और 1994–95 का वार्षिक प्रतिवेदन हमको सुबह मिला, वाकई इसमें बहुत सी बातें हैं। इस बार अच्छी चीजें शामिल की हैं और मैं तो आगे चलने से पहले खास तौर से माननीय कटारिया साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि गत वर्ष जिस तरह से जितने भी मिडल स्कूल खोलने थे, सैकन्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करना था, प्राइमरी सैकन्डरी करने थे, जिस तरह से उन्होंने टाइम में और क्राइटेरिया बनाकर किया है हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि इस साल भी जो प्राइमरी स्कूल खुलेंगे या प्राइमरी से मिडल होंगे, मिडल से सैकन्डरी और सीनियर सैकन्डरी होंगे उनको जल्दी से जल्दी खोलें ताकि

(श्री जुबेर खान)

आगामी सत्र में बच्चों को दाखिला मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रतिवेदन में लिखा है कि राजस्थान का जब हम आल इण्डिया बेस से रेंकिंग करते हैं तो जो आल इण्डिया की टोटल लिटरेसी है वह 21 है। आदमियों की है 64.13 और औरतों की है 39.29। तो राजस्थान की टोटल लिटरेसी रेट है वह 38.155। लेकिन जब इसमें देखें तो स्थिति काफी ठीक है। जब महिलाओं की स्थिति देखें तो पूरे हिन्दुस्तान में सबसे नीचे साक्षरता का जो स्तर है वह राजस्थान में है। यहां तक कि बिहार जिसको हर दृष्टि से पिछड़ा मानते हैं, वह भी महिला शिक्षा में राजस्थान से आगे है।

(18.05)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन।)

मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि जब हम राजस्थान की तुलना करते हैं पापुलेशन की, अर्बन और रूरल की तो उसमें कितना अन्तर है। अर्बन पापुलेशन में आदमियों की लिटरेसी रेट है 78.50 और औरतों की है 50.24 और टोटल है 65.33 और ग्रामीण एरिया में आदमियों की है 47.64 और औरतों की है सिर्फ 11.59 और कुल मिलाकर 30.37 है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है अध्यक्ष महोदय, कि जब हम एक तरफ कहते हैं कि हम समान अवसर देते हैं तो समान अवसर किस बात का देते हैं? क्या आर.पी.एस.सी. में बैठने का देते हैं समान अवसर? यह नहीं देंगे कि शहर के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, कावेन्ट स्कूल में जाते हैं और गांव का बच्चा जिस स्कूल में जाता है 3 दिन तक तो बस्ता लेकर जाता है और वापस लौट आता है क्योंकि वहां मास्टर नहीं पहुंचता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चिन्ता मत करो। राज गांव वाले ही करेंगे।

श्री जुबेर खान : वह राज कर सकते हैं जैसे लालू यादव कर रहा है। लेकिन सत्ता नहीं सम्भाल सकते जिस तरह कि लोग सम्भाल रहे हैं। इसमें फर्क है। हम चाहते हैं कि गांवों में भी सत्ता की भागीदारी हो। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे विधायक हो या अध्यापक हो शायद किसी अध्यापक का बच्चा प्राइमरी शाला में पढ़ने जाता होगा। जो अध्यापक पढ़ाता है प्राइमरी शालाओं में, मिडल शालाओं में जो कि सरकारी हैं उनमें मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 पर्सेण्ट अपने बच्चों को सरकारी मिडल और प्राइमरी शालाओं में भेजते होंगे। हमको इसकी मूल समस्या पर जाना होगा कि क्या कारण है कि आज जिस तरह से कहते हैं कि हमने तो बजट समर्पित कर दिया शिक्षा पर। अच्छी बात है करिये। आपने बजट ज्यादा दिया; काफी स्कूलें खोली हैं लेकिन खाली स्कूल खोलने से जैसा माननीय रमाकान्त जी कह रहे थे कि क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव- अगर क्वालिटेटिवली आपको सुधार लाना है तो जो गांवों में स्कूलें हैं और खास तौर से सरकारी स्कूलें हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हों या चाहे शहरी क्षेत्र में हों जब तक उनका वातावरण एक शैक्षणिक नहीं होगा तब तक हम हमारे राजस्थान प्रदेश में शिक्षा का उद्धार नहीं कर सकते, उनका स्तर नहीं बढ़ा सकते।

(श्री कुबेर खान)

हम अध्यापकों की नियुक्तियां करते हैं। नियुक्तियां तो की जाती है क्योंकि सबसे कम बाड़मेर में जैसा प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सबसे कम लिटरेसी कहां है कि बाड़मेर में। कारण क्या है कि वहां मेरिट नीची जाती है। हम लोग नियुक्तियां तो ले लेते हैं बाड़मेर में और जोइन करने के बाद में स्कूल की शक्ल नहीं देखेंगे और चक्कर लगाने लग जाते हैं हमारा ट्रान्सफर कराइये यहां जयपुर के आसपास। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि आप नियुक्तियों का आधार डिस्ट्रिक्टवाइज कीजिये और डिस्ट्रिक्टवाइज से ज्यादा ऊपर ले जाना चाहें तो संभाग के आधार पर कीजिये कि जो जिले में या संभाग में नियुक्ति लेगा वह रिटायरमेंट भी वहीं से लेगा। अगर आपको एम.एल.ए. से पीछा छुड़ाना है, पार्टी के कार्यकर्ताओं से पीछा छुड़ाना है तो जो सुबह उठने के पहले लम्बी लाइन लगी होती है क्या कि स्थानान्तरण। यह बड़ी समस्या है और इसको हमें जानना पड़ेगा। आपने ट्रांसफर नीति बनायी लेकिन मंत्री महोदय मैंने एक सवाल लगाया था और आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि पूर्वी राजस्थान और आदिवासी जनजाति के क्षेत्रों से कितने ही लोगों ने ट्रांसफर पालिसी के अनुसार जो दो साल से पहले ट्रांसफर नहीं होना चाहिये, किसी कारण से ट्रांसफर करा लिये और आपने खुद ने माना है और आपने मुझसे अलग से भी कहा है कि आपका सवाल अच्छा था लेकिन इसका इलाज क्या निकले। इलाज मैं आपको बताता हूं। यह इलाज निकालिये कि जब हम नौकरी देते हैं तो आप कुछ भी बॉण्ड भरवा लीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, रेगिस्तान में लगा दीजिए और जैसे ही पट्टा हाथ में आया उसके बाद संघ जोइन कर लेंगे और इन संघों की हालत तो यह है कि 120 संघ हैं। हम एक दो स्कूलों में गये मंत्री महोदय और हमने पूछा कि मास्टर कहां है तो बताया गया कि उनके संघ का दो दिन का सम्मेलन चल रहा है। हमने पूछा कि संघ क्या होता है जी तो 120 संघ हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि हम चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हों या सत्ता पक्ष में बैठे हों अगर हम संघों को अपने आप से जोड़ेंगे तो हम लोगों को और बच्चों को न्याय दिला नहीं सकते। आज 120 संघ हैं और रोजाना अखबार में आता है कि यह शिक्षक संघ सनाढ्य है, यह शिक्षक संघ शेखावत है, यह शिक्षक संघ पारीक है, यह शिक्षक संघ प्रगतिशील है, यह राजस्थान शिक्षक संघ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बार-बार कहते हैं कि हमारी जितनी तो संवेदनशील सरकार ही नहीं है। हम तो गरीब को गणेश मानते हैं, हर आदमी को न्याय देते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब आप न्याय देते हैं तो फिर सनाढ्य साहब को संघ बनाने की क्या जरूरत रह गयी? आप खुद ही दीजिए उनको समय पर नियुक्तियां, समय पर नीति के अनुसार ट्रांसफर कीजिए, उनको समय के आधार पर भत्ते बढ़ाइये, तनख्वाह बढ़ाइये। मैं यह कहना चाहता हूं कि रोज संघों के आन्दोलन होते हैं लेकिन कोई भी संघ यह कहता नजर नहीं आया कि बच्चों की पढ़ाई सिर्फ दिन में दो ही घंटे हो पाती है हमें इसको 5 घंटे या 8 घंटे करनी है तब हमें यह नीति समझ में आएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यह संघ....(व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं कि

(श्री जुबेर खान)

आपका अनादर हो लेकिन जो वास्तविक बात है वह कह रहा हूं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो बात आप कह रहे हैं जो संघ हैं वह भी उसी दृष्टि से विचार करते हैं। मेरा तो आज संगठन से सम्बन्ध नहीं है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं शैक्षणिक दृष्टि से भी इन संगठनों में काम होता है और इसीलिये यह इंटरनेशनल लेवल तक जुड़े हुए हैं। वह अलवर वाले नहीं करते होंगे, बाकी सब होता है। (व्यवधान) ऐसी दुकानदारी नहीं है। अच्छा काम करने वाले लोग हैं लेकिन उन्हें आप प्रोत्साहन नहीं देते। वैसे शैक्षणिक दृष्टि से संगठन भी काम कर रहे हैं जो सरकार कर रही है।

श्री राधेश्याम : भाषण तो आपका बढ़िया था।

श्री परसराम मदेरणा : आपने कहा इस संघ से आपका सम्बन्ध नहीं है वह सघ तो आपके नाम से चल रहा है। क्या आपने अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ऐसा है, पहले शिवकिशोर सनाढ्य अध्यक्ष थे, अब चौथमल सनाढ्य है तो वह सनाढ्य, सनाढ्य ही चल रहा है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1991-92 में जब डायरेक्टर मिस्टर आर.एस. गुप्ता हुआ करते थे उन्होंने शायद संघों का सर्वे कराया था, संघ जान खाते हैं इनकी असलियत क्या है। तो जो परिणाम आये थे कि दो हजार टीचर पर भी संघ बने पड़े हैं, कोई पांच सौ पर भी संघ बने पड़े हैं। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप थोड़ा संघ प्रथा को कम करिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : वह सर्वे तो ललित के. पंवार ने कराया था।

श्री जुबेर खान : पंवार साहब होंगे।

एक माननीय सदस्य : आज नम्बर वन पर सनाढ्य ग्रुप है।

श्री जुबेर खान : तो आप सनाढ्य ग्रुप को ही रखिए, बाकी ग्रुपों को क्यों रखते हैं? जब आप जानते हैं जिस तरह से यूनियस होती है जैसे महाविद्यालय में छात्र संघ होते हैं, अगर आप यह समझते हैं कि संघ अति आवश्यक है शिक्षकों के लिये तो फिर आप यह छोटी-छोटी पान की थड़िया क्यों खुलवाते हैं? एक डिपार्टमेंटल खोल दो जिसका आफिशियली चुनाव कराइये जो भी टर्म आप रखें एक साल, दो साल वह संघ इनकी समस्याओं को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन जिसका नहीं पट रहा है जिले का अलग संघ, पंचायत समिति का अलग संघ। तो आप इसको कानूनी जामा पहनाइये ताकि आप भी किसी तरह की बात कर सकें। आपने एक सघ की बात मान ली दूसरे ने स्कूल जाना छोड़ दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां 10 जमा 2 जमा 3 सिस्टम है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जुबेरजी संक्षिप्त करें।

श्री जुबेर खान : मेरा सुझाव है,

(श्री जुबेर खान)

दसवीं तक तो जनरल हो गया सारे सब्जेक्ट्स पढ़ायेंगे। 11वीं, 12वी में स्पेशलाइजेशन होगा, कोई साइंस लेता है, कोई कामर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है लेकिन मंत्री महोदय जहां हम एक ओर बेरोजगारी की तरफ चिन्तित हैं जनरली जैसा हमने देखा है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में जिस तरह का प्रेशर होता है अगर आप कोई एक साल के लिये अपने लड़कों के लिये वोकेशनल प्रोग्राम शुरू कर दें कि टेन प्लस टू करने के बाद में कालेज में जाने से पहले एक साल का ट्रेनिंग कोर्स कर लें, वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, एग्रीकल्चर में सब तरह के हैं मैकेनिक्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, कम्प्यूटर्स हैं, टूरिज्म है, म्यूजीशियंस हैं। मैं यह मानता हूं कि बहुत से छात्र एक साल में इसको पकड़ लें तो रोजगार के लिये शायद अपने पैरों पर खड़े हो जायं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो वह स्वरोजगार प्राप्त करेंगे दूसरा कालेज के ऊपर आपका प्रेशर कम हो जायेगा और वह लड़का रोजगार में एडजस्ट हो जायेगा। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बना रखा है, कालेज एजूकेशन डायरेक्ट्रेट बना रखा है, इसी तरह से आप वोकेशनल एजूकेशन बोर्ड बना दीजिए और उसके माध्यम से इसकी परीक्षाएं कराएं। एक शुरूआत करने की कोशिश करें चाहे आप पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें। एक तरफ आप कहते हैं कि लोग सुझाव नहीं देते हैं, आलोचना करते हैं तो मैं यह एक सुझाव दे रहा हूं।

मेरा आगे निवेदन है कि इस बार बजट में कहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा के लोग हैं उनको शिक्षा और मैन स्ट्रीम में जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से हम संस्कृत के लिये कहते हैं, करते हैं और करना चाहिये जैसे कमलाजी ने कहा कि जयपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय बने। सिन्धी भाषा को भी प्रमोट करते हैं, पंजाबी को भी कर रहे हैं। जब सरकार ने एक नीति बना रखी है कि कहीं भी प्राइमरी या मिडल स्कूल में दस बच्चे कोई भी तृतीय भाषा पढ़ने के लिये तैयार हैं, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में 15 बच्चे पढ़ने के लिये तैयार हैं तो हम तृतीय भाषा का अध्यापक लगा देंगे यह तो बिलकुल कायदे के अनुसार है। लेकिन मेरा यह कहना है, मैं मेवात क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, वहां पर 1947 में रीहेबिलिटेशन के नाम से पंजाबी लोग आये, मेव समुदाय वाले थोड़ा उर्दू पढ़ते हैं उनकी यह हमेशा शिकायत रहती है कि हम पंजाबी 10 क्या 20-20 बच्चे भी लिख कर देते हैं तो हमारे लिये अध्यापक की व्यवस्था नहीं की जाती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब आपने कानून में प्रावधान कर रखा है तो लोगों के लिये आप अध्यापक की नियुक्ति करें।

दूसरा, मेरा एक निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से भी हमने कहा था कि राजस्थान में सिर्फ रीजनल एजूकेशन कालेज अजमेर में है जो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का है। वही एक बी.एड. कालेज है जिसमें उर्दू में बी.एड. करने वालों छात्रों के लिये 15 सीट उपलब्ध हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अबकी बार सैन्ट्रल गवर्नमेंट यह निर्णय लेने जा रही है, जैसा कि अजमेर यूनिवर्सिटी को रीजनल कालेज अजमेर के प्रिंसिपल ने

(श्री जुबेर खान)

लिखी भी है कि हम यह कालेज 1995-96 के सेशन में बन्द कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर वहां कालेज बन्द हो गया तो उर्दू में बी.एड. करने की कोई जगह रहेगी नहीं। तो सरकारी जितने भी बी.एड. कालेज हैं किसी न किसी कालेज में यह प्रावधान करें कि अगर अजमेर में वह कालेज बन्द हो जाता है तो कहीं न कहीं व्यवस्था जरूर करें ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहें वह पढ़ सकें।

एक मेरा और निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, जैसा रमाकान्तजी ने भी कहा, औरों ने भी कहा फिजिकल टीचर्स के लिये आप स्वयं भी कहते हैं। अलवर जिले में 250 पद रिक्त पड़े हैं, नागौर में 34, भरतपुर में 66, धौलपुर में 150 पद रिक्त पड़े हैं। इस तरह कुल मिलाकर दो हजार पद रिक्त पड़े हैं। हमने प्रावधान कर रखा है और अगर आपको नहीं रखने हैं तो यह पद अबालिश कर दीजिए। जब आप रखते हैं तो इन फिजिकल टीचर्स की जगह आप जनरल टीचर्स क्यों रखते हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी नीयत में तो गड़बड़ नहीं है ? फिजिकल टीचर्स में गांव के लड़के ज्यादा आते हैं तो इनकी नियुक्ति तो देते नहीं हैं और इनकी जगह सामान्य शिक्षा के लोगों को नौकरी दे देते हैं जो कि शहरों से ज्यादा आते हैं। अगर प्रावधान है कि हर स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होगा तो उसको आपको रखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा निवेदन ललितजी से है कि आप महाविद्यालय खोलते हैं आपने कहा था, मुख्य मंत्रीजी ने तो नहीं कहा। मुख्य मंत्रीजी 1992 में मेवात क्षेत्र में गोविन्दगढ़ गये थे जब तत्कालीन मंत्री जगतसिंह दायमा जी ने फंक्शन कराया था, साफा भी पहनाया, ताज भी पहनाया और राजस्थान पत्रिका के फ्रंट पेज पर है, आप कहोगे तो मैं दिखा दूंगा। अब आप कहोगे कि मैं पत्रिका मानता नहीं तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने क्लियर कहा है कि गोविन्दगढ़ में आगामी वर्ष में महाविद्यालय खोल देंगे। मैं मानता हूं कि आप कहेंगे कि हमारे पास धन का प्रावधान कम है। आप दो से तीन करोड़ रुपया सालाना मेवात बोर्ड को देते हैं। जिसमें सात पंचायत समिति अलवर जिले की हैं और तीन भरतपुर जिले की हैं। आप की जब मंशा है आप सड़क उनसे बनवाते हैं। हैण्ड पम्प उनसे लगवाते हैं तो हम पर एहसान क्यों करते हैं कि मेवात क्षेत्र को डवलप कर रहे हैं। जहां मेवात क्षेत्र नहीं है वहां सड़क नहीं बनती है क्या ? हैण्ड पम्प नहीं लगते हैं क्या ? जयपुर में तो पानी की टंकियां भी हैं, पाइप लाइन भी है घर–घर में और भंवरलालजी ने हैण्ड पम्प भी लगा रखे हैं। तो आप मेवात विकास बोर्ड को शिक्षा से जोड़िये। मेवात पिछड़ा एरिया है, जिसे तरह के क्राइम होते हैं तरह–तरह की बातें होती हैं। उसका मेन कारण है कि लोग अशिक्षित हैं। वहां महिलाओं की शिक्षा का कोई पाइंट भी नहीं है, दशमलव पाइंट जीरो जीरो कोई पाइंट भी दे सकें। तो आप वहां महाविद्यालय खोलिए। अगर आप अपने बजट से नहीं खोल सकते हैं तो मेवात विकास बोर्ड के बजट से खोल

(श्री कुबेर खान)

दीजिए। दो-चार साल बाद जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसको टेकओवर कर सकते हैं, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, अभी एक बात और निवेदन करनी है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर जी। (व्यवधान) आपने बहुत बातें कही हैं, बहुत ज्यादा कही हैं।

श्री कुबेर खान : ज्यादा नहीं कह कर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को एक ही बात कहना चाहूंगा बहुत विनम्र शब्दों में कि यह सदन के ऊपर, सारे एम.एल.एज. के ऊपर, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी मगर आप ट्रिजायर की स्कीम रुकवा दें। हमें यह मजबूर नहीं होना पड़े कि हम अगर ट्रांसफर नहीं करायें तो मर गये क्योंकि अध्यापक सारा माहौल बनाते हैं गांवों में। तो आप इस तरह की कोई नीति बनाइये कि विधायकों को तो इस ट्रांसफर की नीति से अलग करिये। आपकी मर्जी आये जिसको करिये, मर्जी आये जिसको मत करिये, लेकिन एक बात का ध्यान करिये कि हम लोगों की ट्रिजायर पर, ट्रांसफर तो हमारे कहने से कर देते हैं और कहें कि अध्यापक बच्चों को नहीं पढ़ाता है, स्कूल में हफ्ते भर तक जाता नहीं है, आखिरी दिन जाकर हाजरी दर्ज कर देता है और यहां तक मंत्री महोदय, आपने समाधान शिविर लगाया था, गर्मियों की छुट्टियों में अलवर कलक्टर गये थे, खूंटेटा कलां गांव में मिडल स्कूल है, गांव वालों ने कलक्टर को मेजरनामा दिया कि फलां अध्यापक दारू पीकर दिन भर स्कूल में बैठा रहता है और आज भी आप बुला लीजिये, दारू पी रखी है। कलक्टर ने देखा कि उसने दारू पी रखी थी और आज तक उस अध्यापक का निलम्बन तो दूर, ट्रांसफर ही नहीं हो पाता। तो गांव वाले किसके पास जायें ?, आप जिला लेवल पर कोई ऐसी समिति बताइये। आपके इंस्पेक्टर्स और डी.ई.ओज. जिस तरह की बेईमानी करते हैं, मैं सदन में कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें। श्री शंकरजी भानुदा।

श्री कुबेर खान : आप राज चिलाना चाहते हैं। उसकी जगह आप कोई न कोई ऐसा प्रावधान कीजिये, कोई समिति बनाइये जिलेवार जो तिमाही मीटिंग करे और यह करें कि जनरल लोगों की कहीं स्कूल के सम्बन्ध में, अध्यापक के सम्बन्ध में, कर्मचारियों के सम्बन्ध में शिकायत हो तो उसका जाकर निराकरण करें और रिपोर्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि संख्या के हिसाब से तीसरा हमारे निर्दलियों की तरफ आपका ध्यान जा नहीं रहा है, हमेशा समय हमको पूरा मिलता नहीं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इधर बोलने के बाद में निर्दलीय बोलें, फिर उधर आयें।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरजी भानुदा के बाद में।

श्री रतनलाल ताम्बी : निर्दलियों से ही सरकार चल रही है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं रोजाना बुलवा रहा हूं। माननीय बोलने दें। भानुदाजी।

डा. शंकर भानुदा (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय मैंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि विकास का जो रास्ता सारी दुनिया ने अपनाया है और जो इस रास्ते पर चले हैं वही सफल हुए हैं और वह रास्ता शिक्षा का रास्ता है। जो शिक्षा के रास्ते पर नहीं चले वह बीच में जाकर उलझ गए। मैंने उदाहरण भी दिये थे। जैसे जापान का उदाहरण दिया, 1868 में जापान के सम्राट ने अनिवार्य शिक्षा घोषित की थी उसका परिणाम वहां आज उनकी पीढ़ी को जो सम्पन्नता मिली हुई है उसमें देख रहे हैं। इसी तरह से इसके विपरीत मैंने उदाहरण दिया था और अब इजरायल के मामले में, इजरायल क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज की दृष्टि से सम्पन्न था, शिक्षित था इसलिये 14 अरब राष्ट्रों को, जो कि अशिक्षित थे हालांकि धनाढ्य थे, फिर भी वे उससे परास्त हुए और हर दृष्टि से उससे पिछड़ गये। तो अगर कोई विकास करना चाहता है, दुनिया में इस आधुनिक युग में अगर मूव करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है कोई देश तो शिक्षा के अलावा और कोई माध्यम, और कोई रास्ता नहीं है। यह मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया था। उसी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की क्या स्थिति है। दुनिया के सब देशों ने यह रास्ता अपनाया, हमें भी यह रास्ता अपनाना चाहिये था। शुरू-शुरू में हमारे योजनाकारों ने इस पर पूरा ध्यान दिया, यहां तक घोषणा की थी कि 10 साल में सम्पूर्ण साक्षरता, अनिवार्य शिक्षा लागू कर देंगे। आने वाले 20 साल तक हमारे यहां सब बच्चे पढ़-लिख जायेंगे और हम विकसित राष्ट्रों के समकक्ष हमारी मानव शक्ति का निर्माण कर लेंगे। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में भी यह मंशा जाहिर की थी कि अनिवार्य शिक्षा स्टेट का प्रथम कर्तव्य है और वह उनको लागू करेंगे ऐसा इसमें जाहिर किया गया था। लेकिन बीच में हमारे योजनाकार ऊपरी बातों में उलझ गये, तात्कालिक उपायों में उलझ गये, फायर फाइटिंग शुरू कर दी। जहां आग लगी वहां पर बुझाने के लिये पानी लाने लगे, इस तरह के प्रयास हुए कि यह कर दो, वह कर दो, ऐसे भी लिख दो, यह लोन दे दो, यह ग्रांट दे दो, यह गरीबी मिटा दो, इस तरह के नारे में फंस कर समाजवाद, यह वाद, वह वाद, अलग-अलग तरह के प्रयोग में फंस गये। इस वजह से हमारा जो रास्ता था उससे हम भटके गये, उसका परिणाम हुआ, अभी मेरे से पहले माननीय सदस्यों ने सब डेटाज दिये हैं, वह हमारे सामने हैं। भारत की स्थिति क्या है ? वह हमारे सामने है उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं और उसके अलावा हमारे राजस्थान की स्थिति तो सबसे ज्यादा बदतर है। स्त्री शिक्षा के मामले में हम सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं और पुरुष शिक्षा में भी बिहार के बाद में नीचे से दूसरे नम्बर पर पिछड़े हुए हैं। सब तरह से हमारी यह स्थिति बनी, इसी का परिणाम है कि हमारे यहां, हम दुनिया के देशों में और हमारे हर तरह से विकास के पैरामीटर होते हैं, हर जगह हम पिछड़े

(डा. शंकर भानुदा)

हुए हैं, कोई विकास का पैरामीटर लें हम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक क्राइटेरिया है. एक साल तक पैदा होने वाले बच्चे कितने बचेंगे, कितने चले जाएंगे। इस तरह की एक इंडेक्स है उसमें हमारा प्रतिशत अभी 108 के आसपास है जबकि विकसित देशों में कहीं एक पर्सेण्ट है, कहीं 7 पर्सेण्ट है, कहीं 5 पर्सेण्ट हैं। इस तरह की स्थिति है। इसी तरह से जी.एन.पी. जो कि सम्पन्नता की निशानी मानी जाती है। जी.एन.पी. के हिसाब से भी हम नीचे से चौथे नम्बर पर आते हैं। अब हमारे नीचे सोमालिया, इथियोपिया, बांग्लादेश, नेपाल, इस तरह के इंसिग्निफिकेंट जो देश हैं वे हमारे नीचे आते हैं।

इसी तरह से लिटरेसी के मामले में जो और दूसरे क्राइटेरियाज हैं उन सब के मामले में हम पिछड़ गये हैं। एक इंडेक्स होता है Critical quality of life index. उसके अनुसार उसमें तीन पैरामीटर होते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, एक साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी। तीन क्राइटेरिया के आधार पर तय किया जाता है दुनिया के देशों का कि कौन किस स्थान पर स्टैंड करता है, हमने कितनी उन्नति की है और यह सब्जेक्टिव फीलिंग है विकास की। तो इस हिसाब से केलकुलेट करें तभी हमारी कमोवेश यह स्थिति बनती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या हैं? शिक्षा तो है, शिक्षा की यह दुर्गति क्यों हुई? और जो हुई, राजनीतिक कारण से कुछ भूलें हुई हमारे द्वारा, हमारे पूर्व के शासकों के द्वारा हमारी परिस्थितियों से या किसी वजह से जो भी कारण रहे होंगे कि यह स्थिति बनी। उसमें हमें क्या करना चाहिये? उस सम्बन्ध में मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। हम जो शिक्षा का वातावरण, कहते हैं कि शहर में और गांव में, पहले हम दूसरे देशों से कम्पेयर नहीं करें, हमारे यहां से कम्पेरीजन पहले करें कि हमारे यहां शहर और गांव की परिस्थितियों में क्या फर्क है? यहां पर शहर में हम जब भी किसी के घर जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं तो बातचीत में विषय क्या होता है? अक्सर यह पूछा जाता है कि आपके बच्चे की कितनी रैंक आयी, आपका बच्चा कितने पर्सेण्ट पर, कहां स्टैण्ड करता है। जबकि गांव में हमारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं? वे शिक्षा के सम्बन्ध में कभी बात नहीं करते। वे अपने जानवरों के बारे में, अपनी खेती-बाड़ी के बारे में या लड़ाई-झगड़ों के बारे में बात करेंगे या रीति-रिवाजों के बारे में, बच्चों के विवाहों के बारे में, दुनियां भर के लफड़े उनके जो लगे हुए हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई चर्चा उनके घरों में नहीं होती है जिससे बच्चे को स्टिम्यूलेशन मिले, बच्चा आगे पढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करें कि पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना भी आवश्यक है! वहां से शुरू होती है बालक के पराद्भव की कहानी, इसका कारण स्पष्ट है कि बच्चे की मां पढ़ी-लिखी नहीं है। जब बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में जाने के बाद ऐसा बच्चा जिसकी मां पढ़ी-लिखी नहीं है वह जब स्कूल में जाता है तो उसका मुंह धुला हुआ नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए, भले ही पैसे हैं, साधन हैं, सब कुछ है मगर अशिक्षा, अज्ञान और इग्नोरेंस की

(डा. शंकर भानुदा)

वजह से यह स्थिति बनती है कि नेकर के कारी लगी हुई, फटा हुआ या चैन निकली हुई, बटन टूटा हुआ, हर तरह के गन्दी-गन्दी हालत में वह बच्चा जाकर स्कूल में बैठता है। स्कूल में बैठने के बाद में मास्टरजी जब देखते हैं बच्चों को तो जो ठीक बच्चा है, जिसकी मां पढ़ी-लिखी है उसका बच्चा और एक तरफ वह बच्चा तो यह मानव स्वभाव है कि जो अच्छा बच्चा है, सुन्दर बच्चा है उसको हर आदमी अपने पास में लगाता है इसलिए जो टीचर्स हैं वह भी उनको विशेष महत्व देंगे और यह गांव का बच्चा फटे हाल बच्चा, अगर वह बच्चा बीच में बोल गया तो उसको डांट पड़ेगी, हर तरह से उसको तिरस्कृत होना पड़ेगा चाहे वह सही बात बोले। यह सब बातें मुझ पर बीती हुई हैं, मैं स्वयं भुगत-भोगी हूं और यह सब मैं अपने अनुभव के आधार पर निवेदन कर रहा हूं।

इसके अलावा मैंने पेडेट्रिशियन होने की वजह से चाइल्ड साइकोलोजी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है इस वजह से स्कूल ड्राप आउट्स के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर वह स्कूल से ड्राप आउट क्यों होता है? जब बच्चे को तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है, स्कूल में गन्दगी की वजह से, इल-मैनर्स की वजह से, उसकी दरिद्रता की वजह से जब मास्टरजी भी तिरस्कार की नजरों से देखेंगे तो स्वभावतः, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत से अच्छे टीचर्स भी होते हैं, इसके विपरीत भी व्यवहार करने वाले अध्यापक भी हो सकते हैं लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उस बच्चे को तिरस्कार का सामना करना पड़ता है और जब वह बच्चा मास्टरजी की नजरें देखता है और वह देखता है कि मास्टरजी की नजरें फिरी हुई हैं तो वह उसी वक्त मन में यह सोच लेता है कि यहां मेरे लायक कोई जगह नहीं है वह जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करता है, अपने घर जाने को, अपने मां-बाप के साथ रहने, अपने वातावरण में विद्डा होने की इच्छा होती है और वह चला जाता है। इस वजह से यह स्कूल ड्राप आउट का कारण है। उसका कारण स्कूल में है, उसका कारण उसके परिवार में है और जब इन दोनों जगहों पर आप इलाज नहीं करेंगे तब तक हम कितनी ही योजनाएं बना दें, कितने ही नये-नये प्रोग्राम बना दें, कितने भी प्रयास कर लें लेकिन यह जो फर्क है उसका कोई समाधान निकालने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता मिलेगी, मुझे इसमें संदेह है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि बच्चे को घर के वातावरण से बाहर निकालना होगा उसके लिए स्कूल में ऐसा वातावरण बनाना होगा जैसा वास्तव में स्कूल में होता है।

अब थोड़ा एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल में क्या स्थिति है? स्कूल में टीचर्स की जो साइकोलोजी है, वह किस तरह से बनती है। शुरू-शुरू में जब आदमी अध्यापक बनता है तो हर अध्यापक के मन में तमन्ना होती है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं, मैं नहीं पढ़ सका, उसकी भी कुछ तमन्ना होती है बहुत कुछ बनने की, ठीक है टीचर बना तो भी अच्छा है सम्मानजनक पद मिल गया। उसके बाद में वह सोचता है कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाऊं, यह उसका विचार होता है, हर

(डा. शंकर भानुदा)

अध्यापक का होता है लेकिन वहां जाने के बाद में उसको क्या मिलता है ? उसको स्कूल का एक टापरा मिलता है, वहां पर उसे बच्चे मिलते हैं और बच्चे 100 के आसपास या 40–50 जितने भी बच्चे हैं, भले ही बच्चों की संख्या कितनी ही हो, लेकिन क्लासेज तो पांच होती हैं– पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं और पांच कक्षाओं को वह अकेला पढ़ायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच कक्षाओं को एक साथ एक आदमी पढ़ाये या दो आदमी भी पढ़ाये तो कैसे पढ़ाये ? पहली क्लास को पढ़ाने लगता है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवीं इधर–उधर वह कर करा कर कभी पांचवीं को पढ़ा रहा है तो पहली वाली में हल्ला होता है तो डांट करके बन्द कर देता है कि बैठो यह करो, वह करो। इस तरह वह चक्करघिन्नी की तरह बंध जाता है। पूरा प्रयास करने के बावजूद, बच्चों के पेरेन्ट्स हैं, मां–बाप है, घर का, गांव का वातावरण सभी के लिए डिस्करेजिंग होता है। कहीं से उस पर बंदिश नहीं है, न सरकार से कोई बंदिश है, कोई भय नहीं है क्योंकि हर जगह स्कूलें मशरूम की तरह खोली जा रही हैं और अभी कह रहे हैं कि और खोलो, खूब खुल जाएंगी, खुलती ही जा रही हैं, खुलती ही जा रही हैं उन पर किसी तरह का कन्ट्रोल हो नहीं सकता है। इसी तरह हर जगह स्कूल बनायेंगे तो यही स्थिति बनेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय थोड़ा संक्षिप्त करें।

डा. शंकर भानुदा : इस तरह से जो स्थिति बनेगी उसमें अध्यापक का उस सिस्टम से बोर हो जाना निश्चित है और उस सिस्टम से घबरा कर वह भी अपना अलग जाकर विदड्रा हो जाता है और बीड़ी पीने बैठ जाता है या तम्बाकू की चुटकी खाना शुरू कर देता है या कोई अन्य व्यसन पाल लेता है और दूसरी तरफ अपनी अलग दुनिया बना लेता है और उसका असली जो रास्ता है उससे अध्यापक भी भटक जाता है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि स्कूल, स्कूल जैसा बने। स्कूल में पांच क्लासेज हों तो पांच क्लासेज जितने बच्चे हों और पांच क्लासेज के लिए कम से कम पांच–छह अध्यापक हों, ऐसे स्कूल बनें।

अब मैं उस पर जाऊंगा कि सब जगह कैसे बने। मैं आगे निवेदन करूंगा और उस तरह से घर के वातावरण से कैसे बचायें उसका समाधान माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई वरिष्ठ सदस्य और माननीय श्रीमती कमलाजी ने बड़े जोर–शोर से किया। वास्तव में उन्होंने उचित तरीके से इस बात को उठाया। वास्तव में महिला होस्टल्स की आवश्यकता है पर मैं तो कहता हूं कि महिला होस्टल्स की तरह ही पुरुष होस्टल्स भी बनें ताकि उस अशिक्षित वातावरण से बच्चों को निकाल कर एकेडेमिक एटमास्फियर वाले स्कूलों में डाला जाए। तभी वास्तव में हम उनके साथ में न्याय करेंगे। सामाजिक न्याय के नारे देना अलग बात है लेकिन उनको सच्चा न्याय तभी दे सकेंगे जब हम उनको वास्तव में सही तरीके से स्कूल की शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके लिए स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहां प्रोपर बिल्डिंग हों, प्रोपर होस्टल्स हों, प्रोपर अध्यापक हो और उसके

(डा. शंकर भानुदा)

लिए दूरदराज के गांवों से स्कूल लाने ले जाने के लिए लोगों को लगाया जा सकता है, सरकार ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था कर सकती है जिनको ट्रांसपोर्टेशन से लाना संभव नहीं है उनको होस्टल्स में रखा जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी पालिटिकल विल की आवश्यकता है आमूलचूल परिवर्तन को आवश्यकता है। गत 40–50 साल में हम कुछ नहीं कर पाये और दुनिया की हर तालिका में पिछड़ रहे हैं अगर ऐसा नहीं करेंगे तो और पिछड़ते जायेंगे चाहे हम कितनी ही विकास की योजनाएं बना दें। विकास की योजनाओं को वे वास्तव में झेलने लायक हैं भी या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

डा. शंकर भानुदा : इसी तरह से मैं होस्टल्स के लिए निवेदन कर रहा था....

श्री अध्यक्ष : माननीय डाक्टर साहब, बिराजिये आप। आप थोड़ा शीघ्रता करें।

डा. शंकर भानुदा : फण्ड्स के बारे में निवेदन कर दूं। फण्ड्स कहां से आयेंगे, इसके लिए कई व्यवस्थाएं हैं। मंत्री महोदय से मैं मिला भी था, मैंने सुझाव भी दिये होस्टल्स के लिए, आपने होस्टल खोले भी हैं। छह जगह पर महिला होस्टल खोलने का प्रावधान भी है, इसमें भी बताया लेकिन छह जगह कहां बनेंगे। उदयपुर या बड़े शहरों में। यह वास्तव में फिर डिफेक्टिव प्लान है। आज होस्टल की कहां आवश्यकता है? होस्टल अगर बनायें तो सब डिवीजन लेवल पर बनायें। जिला लेवल पर भी बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं सोचता हूं कि सब डिवीजन लेवल पर होस्टल बनाये जायें। छह होस्टल बनायें तो छह सब डिवीजन पर बनायें तब उनका वास्तविक उपयोग होगा वरना अनयूज्ड रह जाएगे, गलत एक्सपेरिमेंट होगा। इनमें तो कोई नहीं आता पढ़ने के लिए और आखिर वे बन्द करने पड़ेंगे। मेरा निवेदन है कि उनको उचित स्थान पर लोकेट करें। उसके लिए कई संस्थाएं हैं जहां से फण्ड्स डाइवर्ट किया जा सकता है। शिक्षा के मामले में अलग-अलग हैं, यूनिसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ. और वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक, ये सब समझ गये हैं कि अगर हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सफल बनाना है तो वास्तव में महिला शिक्षा पूरी तरह से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इस वजह से ये सब आर्गेनाइजेशन इस तरह से अगर प्रोजेक्ट बनायें तो उनको फण्ड्स अलाट करने के लिए, देने के लिए हमेशा तैयार रहे, ऐसा मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भरतसिंह।

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बीच में दो मिनट के लिए बात कहना चाहता हूं। सबसे गम्भीर बात अभी यह है कि अध्यापकों के जितने पद रिक्त हैं, उन पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से फर्जी डिग्री लेकर, हाई पर्सेण्टेज मार्क्स लेकर राजस्थान के बाहर के लड़के यहां पर अध्यापक बनते हैं। उनको राजस्थान के बारे में ज्ञान नहीं, राजस्थान में इण्ट्रेस्ट नहीं लेकिन जो कम से कम 5 से 10 प्रतिशत का ग्रेस मार्क्स रखा, स्कूलें खुलेंगी, डवलप करने में समय भी लगेगा, यह तो व्यावहारिक बात है लेकिन जो इमीजिएट नुकसान होने वाला है उससे

(श्री नरपतसिंह राजवी)

बचा जाए। राजस्थान के जितने भी अप्रशिक्षित लोग हैं उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। काफी पढ़े-लिखे हैं उनमें से कुछ को प्रशिक्षित किया जा सकता है लेकिन इतने हाई पर्सेन्टेज के फर्जी मार्क्स और फर्जी डिग्री के आधार पर वे लोग एन्टर करते हैं। राजस्थान के पढ़े-लिखे लड़के चाहे एस.टी.सी. किया हो, चाहे बी. एड. किया हो, उसको चांस नहीं मिलेगा इसको गम्भीरता से लें। माननीय मंत्रीजी, हमारे बीकानेर स्टेडियम पर एजूकेशन विभाग कब्जा किये बैठा है। वह स्पोर्ट्स कौन्सिल को हैंड ओवर कर दे और कम से कम (व्यवधान) यह एक इमीजिएट नेसेसिटी है, इसके ऊपर आप बोल देते तो ज्यादा बैटर रहता। कुछ लड़के अगर राजस्थान में हो जाएंगे और नौकरी लग जाएगी तो बैटर रहेगा तो इसलिए कहा था (व्यवधान) ग्रेस मार्क्स 10 प्रतिशत से बढ़ाकर, 20 प्रतिशत कर दीजिये। उसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भरतसिंहजी।

डा. शंकर भानुवा : एक मिनट और कहूंगा। यह समाप्त करने दीजियेगा प्लीज। मेरा निवेदन है, इसमें यह प्रश्न उठेगा, आखिर जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनका क्या किया जाए? मेरा सुझाव है कि ये स्कूल कई तरह से काम आ सकते है। यहां प्री-प्राइमरी एजूकेशन स्टार्ट की जा सकती हैं, आंगनवाड़ियां चालू की जा सकती हैं और कई न्यूट्रिशन के प्रोग्राम चालू किये जा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि इन स्कूलों को वास्तव में ध्वंस करना जरूरी है या गांव वाले क्या कहेंगे कि हमारे यहां से स्कूल नहीं उठाने देंगे। इसमें तो पोलिटिकल विल की आवश्यकता है। मैं जो बात निवेदन कर रहा हूं, यह बात नयी लगती है लेकिन दुनिया में हर जगह विकास हो रहा है वह इसी तरह से हो रहा है। खैर, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मंत्रीजी को बता दें। आप बिराजिये। श्री भरतसिंहजी।

डा. शंकर भानुदा : एक लास्ट निवेदन है। मैं एक दृष्टांत देना चहता हूं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य। अभी कई माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं।

डा. शंकर भानुदा : आपके इंट्रेस्ट की बात है, आप सुनियेगा। मेरा निवेदन है कि (व्यवधान) एक मिनट और लूंगा और बाद में बहुत दिनों तक बोलूंगा ही नहीं। एक बात बताना चाहता हूं। सन् 1920 में कलकत्ता कांग्रेस के समय में माननीय जवाहरलालजी ने अपनी आटो बायोग्राफी में एक बात लिखी है, बाद में लिखी होगी लेकिन उसका दृष्टान्त दिया है। एक पेम्पलेट प्रसारित किया गया था। उस पेम्पलेट में मौजू था, वह किस तरह का था और क्या था, उसके बारे में बताऊंगा। वह पेम्पलेट दिया था सी.एफ. एन्ड्रयू नाम के उसके एक मित्र थे, पोलिटिशियन थे; दार्शनिक थे (व्यवधान) उसमें लास्ट लाइन है (व्यवधान) आप सब बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा।

"And Andrews had written that the only way of self-recovery

(डा. शंकर भातुदा)

was through some vital upheaval from within. The explosive force needed for such an unheaval must be generated within the soul of India itself. It could not come through loans and gifts and grants and concessions and proclamations from without. It must come from within."

यह 1920 में उन्होंने जो बात कही है वह आज भी रिलेवेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य। भरतसिंहजी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष का बजट शिक्षा पर समर्पित था और माननीय शिक्षा मंत्रीजी के हम आभारी हैं कि उन्होंने हमसे सुझाव लिये और हमारे सुझाव के अनुसार जहां पर भी उनके लिए स्कूल खोलना सम्भव था, उन्होंने खोले। मैं उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूं कि स्कूल खोलने के बाद, वे हर सम्भाग में गये और शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी लेने का प्रयास किया। मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा जब आप कोटा पधारे थे। इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर चर्चा करने के लिए उस समय मेरे ख्याल से 5 या 6 विधायकों ने उस मीटिंग में भाग लिया। दूसरे विधायक व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आ पाये होंगे। शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो आपकी उस मीटिंग में आये थे और वह मीटिंग एक मंत्री महोदय ने बुलायी थी। आपने यह कहा था कि इस बैठक में आये और आंकड़े लेकर नहीं आये। जो अधिकारी उस मीटिंग में आये थे, उनके पास शिक्षा विभाग के आंकड़े या जो आंकड़े मंत्रीजी चाहते थे वे भी उपलब्ध नहीं थे। एक निराशाजनक स्थिति थी और मंत्रीजी के मस्तिष्क पर मुझे चिन्ता दिखायी दे रही थी और मैं इनकी पीड़ा महसूस करके समझ सकता था कि ये कुछ करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे। जब मीटिंग से ये बाहर आये तो सैंकड़ों की संख्या में वे लोग इनके इर्द-गिर्द थे जो तबादलों के सम्बन्ध में मंत्री के पीछे घूमते हैं। गर्मियों में वह जो तरबूज वाला जाता है तरबूज बेचने के लिए और मधु-मक्खियां जिस प्रकार चिपटी रहती है, उसी प्रकार से जो आदमी तबादले करने की क्षमता में है और तबादले करा सकते हैं, उनके इर्द-गिर्द इस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है और जहां तक आप कहेंगे, आपके पीछे इस प्रकार का माहौल चले। प्रश्न यह है कि इस माहौल को किस प्रकार से आप हटायें और शिक्षा की तरफ ध्यान दें। अगर आप इस तरह की स्थिति लायेंगे तो कुछ सुधार होगा। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़े हुए प्रदेश में भी कुछ जिले बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। झालावाड़ जिला उनमें से एक है। सन् 1951 में शिक्षा का प्रतिशत 9 था। मैं कहता हूं कि जो 9 प्रतिशत शिक्षित हैं, उसमें भी सिन्सियरिटी थी, उसमें कोई अन्तर नहीं था कि कोटा में शिक्षा हो रही थी और कस्बा थाना में शिक्षा हो रही थी, जो कोटा के बिलकुल परले किनारे पर है। मैं इस बात को अगर गलत कह रहा हूं तो कोटा से आने वाले उच्च शिक्षा मंत्रीजी मेरी बात को काटेंगे। उसमें अन्तर नहीं था कि कोटा

(श्री भरतसिंह)

में जो शिक्षा हो रही थी उसमें और इक-लेरा में फर्क है। टीचर्स की सिनियरिटी में कहीं कोई अन्तर नहीं था। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, झालावाड़ में एक सीट खाली होने वाली है, शायद कोई अध्यापक की पेंशन होने वाली होगी, 3-4 सिफारिश के साथ मुझे वहां लगवा दीजिये। शहर की तो हालत है कि वहां पर जाने के लिए दुनिया भर के आदमी विभिन्न सोर्सेज से मेरे पास भी आये होंगे, हमारे क्षेत्र के मंत्रीजी के पास भी गये होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की यह हालत तब है जब हम आपके पीछे जाते रहे, आपसे कहते रहे। शिक्षा सचिव के पास जाएं, सबके पास जाएं, वे अब डिपार्टमेंट में लेंगे, उसके बाद भी पूर्ति नहीं होती। एक खाई हो गयी है शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, अब उसका इलाज क्या है? इलाज तो है। रावण की मौत का भी एक इलाज था कि उसकी नाभि में तीर मारोगे तो रावण मरेगा, सिर पर वार करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रश्न यह है कि आप में इच्छाशक्ति है क्या उसका समाधान करने की और, क्योंकि आप में थोड़ा मुझे दिखा कि आप करना चाहते हैं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप क्यों इस बोझ को रखे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा को, माध्यमिक शिक्षा को, पंचायतों के चुनाव हो गये हैं, आप प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को पंचायत समितियों को दे दीजिये, जिला परिषदों को दे दीजिये। तबादलों के काम से दूर हो जाइये। यह गांव वाले जो परेशान होते हैं, कहते हैं कि साहब, यह यहां शिक्षा नहीं हो रही है उसका सुधार वह स्वतः कर लेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है उस स्तर की शिक्षा आप उनको दीजिये, सुधार अवश्य होगा। एक प्रश्न चला था कि रेगिस्तान के अन्दर दूर-दराज के गांव होते हैं, आपकी नीति के अनुसार 150 की आबादी के गांव के अंदर आप स्कूल खोलते हैं। जिस सम्भाग से मैं आता हूं, हाड़ोती सम्भाग का जो इलाका है वह नदी-नालों का इलाका है और रास्तों का वहां व्यापक अभाव है, बरसात में लोग स्कूल आ नहीं पाते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस क्राइटेरिया का आप अध्ययन करवा लीजिये कि ऐसे गांव, सौ-पचास गांव होंगे जिनकी आबादी 250 तो नहीं होगी मगर स्कूल के बच्चे इसलिए वंचित हो जाते हैं कि नदी-नालों के अन्दर वह चल कर आ नहीं सकते, पानी इतना ऊंचा होता है कि अगर कोशिश करेंगे तो खतरा है। हर वर्ष हमारे क्षेत्र के अन्दर काफी संख्या में लोग नदी में बहकर डूब कर मर जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 150 की आबादी के उन क्षेत्रों में जहां पर भौगोलिक स्थिति, क्षेत्र तो इतना बड़ा नहीं है, मगर आवागमन के रास्ते कम होने की वजह से, और कुछ जिले, जिनमें धौलपुर भी है, कोटा सम्भाग के इलाके हैं, उसमें ध्यान दें। शिक्षा का जो पतन हो रहा है, छात्रों के अन्दर अनुशासन की कमी दिखाई देती है, कुछ अनुशासन बनाने के लिए आपको और हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एन.सी.सी., इन पर हमें जिस रूप में ध्यान देना चाहिए उस रूप में ध्यान हम नहीं दे पा रहे। हमारे 80 लाख के करीब छात्र होंगे इस एज ग्रुप में जो एन.सी.सी. में जा सकते हैं, शायद ज्यादा होंगे, एक करोड़ के करीब होंगे। उनमें से सिर्फ 40, 45 हजार एन.सी.सी. कैडेट होते हैं। एक डिसिप्लीन्ड फोर्स आपकी तैयार होती है, मैं कहता हूं कि आप इसको

(श्री भरतसिंह)

चार गुना कीजिये। आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा परन्तु जो कैडेट एन.सी.सी. की ट्रेनिंग लेगा उसमें अनुशासन आएगा। इन लोगों को आप नौकरियों में प्राथमिकता दीजिये चाहे वह राज्य सरकार की नौकरी हो, चाहे वह चतुर्थ श्रेणी की नौकरी हो, जिस कैडर में यह लोग आते हैं उनको आप दीजिये।

उच्च शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि झालावाड़ जिला वह जिला है जो काफी पिछड़ा हुआ है और हमारी जो समस्या है, आज सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी हैं, उसका कभी आपसे अलग से भी जिक्र करूंगा। आप इकलेरा में नहीं खोलें तो बारां में खोलिये, छबड़ा में खोलिये। अगर उस भू–भाग में जो कम से कम तीन लाख आबादी का क्षेत्र है, मनोहरथाना है, इकलेरा है, छबड़ा, छीपाबड़ौद है, कहीं तो आप कालेज खोलिये ताकि उस भू–भाग के लोग जो अभी शिक्षा के रास्तों के अभाव की वजह से बिलकुल वंचित हो रहे हैं, उनको उससे राहत मिलेगी। आपने मुझे समय दिया, मेरी बात ध्यान से सुनी उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत–बहुत धन्यवाद। श्री ताम्बी साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : समय चार मिनट।

श्री कैलाश मेघवाल : इनका शिक्षा से क्या लेना–देना ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 24, जो हमारे समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता को प्रतिपादित करती है, शिक्षा के सम्बन्ध में आज चर्चा हो रही है। मैं इस अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां 1951 में 8.5 हमारी शिक्षा का प्रतिशत था, 1981 में 24.38 और 1991 में 38.55 के आसपास शिक्षा का विस्तार हुआ है, इसमें हम इन्कार नहीं कर सकते।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो आंकड़े हैं, आप तो सुझाव दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप इनको बोलने मत दो।

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रश्न यह है कि शिक्षा को समाज के समग्र विकास के लिए. योजनाओं की सफलता के लिए जब हम इतना महत्व दे रहे हैं और देने की आवश्यकता भी है और राजस्थान अभी देश के उन प्रदेशों में है जहां शिक्षा को नीचे से लें तो बिहार के बाद शायद राजस्थान का नम्बर आता है। मैं इस बात के लिए शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा....

श्री परसादीलाल मीणा : किस बात का ?

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : कि उन्होंने इस बात का चिंतन किया और आवश्यकता महसूस की और इस बात के लिए एक नयी प्रक्रिया और व्यवस्था की। सब विधायकों से सुझाव मांगे और सुझाव मांगने के बाद मई महीने में, शायद राजस्थान बनने के बाद यह पहला अवसर होगा जब स्कूल खोलने के आदेश दिये, जबकि ग्रामीण विकास विभाग की जो प्राथमिक शालाएं

(श्री रतनलाल ताम्बी)

खुलती हैं वह अभी जनवरी तक खुलती रही।

श्री परसादीलाल मीणा : कई अब भी नहीं खुली।

श्री रतनलाल ताम्बी : कई खुली थीं, जनवरी में भी आदेश निकले हैं। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि एक अच्छा दृष्टिकोण रहा। इसके साथ-साथ सम्भाग स्तर पर, जिला स्तर पर कई मीटिंग्स की, शिक्षा के बारे में क्या समस्या है उसके बारे में प्रयत्न किये, इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि इनका प्रयास काफी अच्छा रहा। किन्तु एक बात जो रही, यह जिस ढंग से चलना चाहते थे उस ढंग से शिक्षा से जुड़ा हुआ जो अध्यापक समुदाय है उनके और इनके बीच में इनके काम करने के तरीके को लेकर, सुधार के कदमों को लेकर काफी द्वंद्व चला और कई अच्छे महत्वपूर्ण निर्णयों से इनको इच्छाशक्ति होने के बावजूद पीछे हटना पड़ा। यह निवेदन आज इस मौके पर मैं इसलिए करना चाहता हूं कि शिक्षा के स्तर की जो बात बार-बार सामने आ रही है वह एक चिंता का विषय है। अभी पहले जिक्र किया था अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कि प्राथमिक शिक्षा लें चाहें माध्यमिक लें, प्राइवेट संस्थाएं राजस्थान में कम होते हुए भी उनमें अधिकांश छात्र पढ़ें, इस बात की एक मानसिकता सब की बनी हुई है, यह हमारी चिंता का विषय है। करीब 1300-1400 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च करने के बावजूद भी अगर यह मानसिकता बनी रही तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है और मैं समझता हूं कि इस दिशा में काफी चिंतन करके कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा जिसके आधार पर सरकारी विद्यालयों पर जो इतना खर्च हो रहा है उसका सही ढंग से उपयोग हो। इसके लिए कोई समीक्षा की जाए, उच्च स्तरीय कमेटी बना कर किस तरह के सुझाव उसमें और जोड़े जा सकते हैं, कैसे ठीक किया जा सकता है उस बारे में सोचा जाए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ यह भी निवेदन है, मैं कोई आरोप की दृष्टि से नहीं कहता, तीन-चार जिलों पर उप निदेशक छात्रा संस्थाएं, अजमेर है। मैं खुद तीन-चार दफा गया, वह कहां रहती हैं, कहीं नहीं पता लगता। वह कहीं इंस्पेक्शन करे नहीं, देखे नहीं, अधिकांश जयपुर में रहे, टेलीफोन के खर्च का हिसाब आप देखें, वहां मैंने पता लगाया है, जयपुर से रोज बातचीत होती रहती है। वहां की सारी रिपोर्ट्स वह देंगी, यह देंगी, यह देंगी। तो इस तरह की व्यवस्था आप निश्चित रूप से करें कि अधिकारी गांवों में जायें, स्कूलों का इंस्पेक्शन ठीक प्रकार से करें और उस व्यवस्था को ठीक करें जिससे कि भय रहे। वास्तव में यह सही बात कही जा रही है कि गांवों में अध्यापक नाम मात्र के कभी-कभी जाएंगे या जाएंगे तो थोड़े समय के बाद वापस रवाना हो जाएंगे, उससे शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। इस बात की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : सुझाव दें आप, रिपीटिशन नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं विकलांग

(श्री रतनलाल ताम्बी)

शिक्षा के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भगवान के वहां से भी रिटायर्ड जो अंधे, बधिर, लूले-लंगड़े हैं उनकी शिक्षा के बारे में राजस्थान बहुत पीछे है। आप महाराष्ट्र में जाइये, तमिलनाडु में जाइये और दूसरे दो-चार राज्यों में भी इस बारे में काफी अच्छी व्यवस्था मौजूद है। राजस्थान में इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्रीजी से भी हम लोग मिले हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिले हैं कि जो संस्थाएं निजी क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही हैं उनके सामने सरकार के इतने हर्डल हैं, इतनी बाधाएं हैं, व्यवधान है कि उसके कारण वह काम ठीक प्रकार से नहीं कर सकतीं। आपकी यह जिम्मेदारी है समाज के बारे में कि सामाजिक न्याय की यदि कोई संस्था अच्छा निर्वाह कर रही है तो सरकार को इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है, उनके नियमों में सरलीकरण किया जाए क्योंकि वह विशेष प्रकार की शिक्षा है। उनकी सारी व्यवस्थाएं स्पेशली करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि मेरे निवेदन पर ध्यान देंगे और राजस्थान में विकलांग शिक्षा के बारे में खास तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए, यह हम आपसे मांग करना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : विकलांग का मतलब अंधे ?

श्री रतनलाल ताम्बी : अंधे, लूले-लंगड़े, बधिर, गूंगे, इस प्रकार के लोग। मैं शारीरिक शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आपका यह विषय स्कूलों में चलता है,

(19.00)

किसी जमाने में स्कूलों में अच्छे फील्ड हुआ करते थे परन्तु पिछले कई वर्षों से इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी भी सरकारी स्कूलों में जिस स्तर के स्कूल हों, उस स्तर के फील्ड कम से कम सब को उपलब्ध हों और खेल विभाग के माध्यम से स्टेडियम वगैरह इस तरह के गांवों में भी बनें ताकि गांवों के लोग इस दृष्टि से आगे बढ़ सकें और खेलों में अपना स्तर देश के स्तर के साथ जोड़ने में आगे आ सकें।

इस बार मुफ्त पुस्तकें देने का अच्छा कार्यक्रम शुरू किया गया था। उस कार्यक्रम से गरीबों को काफी लाभ मिला और उससे शिक्षा का स्तर बढ़ा। इस कदम की भी मैं सराहना करना चाहता हूं।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, हमारे कई क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं। मैं साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि गत वर्ष आपने बजट को शिक्षा को समर्पित किया। शिक्षा को समर्पित करने के बाद राजस्थान में कितने स्कूल खुले और कितनी आवश्यकता थी ? वह शिक्षा को समर्पित तो हो गया परन्तु वास्तव में इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वर्ष के बजट में भी आपने केवल 600 मिडल स्कूल रखे हैं। मैं समझता हूं, 600 के लगभग तो पंचायत हैडक्वार्टर हो ऐसे हैं जहां अभी मिडल स्कूल उपलब्ध नहीं हैं। पंचायत हैड-क्वार्टर के गांव जिसे जनसंख्या के हैं उससे बड़े कई गांव ऐसे हैं जो मिडल स्कूल से वंचित हैं। तो मैं समझता हूं आपने प्रावधान में जो 600 उच्च प्राथमिक स्कूल रखे हैं इस साल, इसको करीब-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करीब 1250 मिडल स्कूल किया जाना चाहिए। शिक्षा के लिए समर्पित बजट कहकर आप नहीं सोचें कि सब कुछ हो गया है, आज भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसी तरह से, मैं प्राइमरी स्कूलों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। जहां 4–5 वर्ष पहले 6 हजार विद्यालय बन्द किये गये थे, उसके बाद नये गांव बन गये, ढाणियों सहित रेवेन्यू विलेज बन गये, ढाई सौ की जनसंख्या की कई इस तरह के मजरे, ढाणियां हैं जिनमें आज भी, मैं समझता हूं, 5000 प्राइमरी स्कूलों की आवश्यकता है। वहां पर, मेरा जैसा अनुमान है, आप केवल 600 के आसपास प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, उससे क्या पूर्ति होगी ? मैं कहता हूं, मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में मुझे 40 प्राइमरी स्कूलों की आपके मापदण्ड के अनुसार आवश्यकता है। इसी तरह से गत वर्ष मेरी कान्स्टीट्यूएंसी में एक सैकेण्डरी स्कूल लड़कियों का खोला। अब वहां मेरी कान्स्टीट्युएंसी में कम से कम 15 सैकण्डरी स्कूलों की जो बड़े गांव में हैं, उनमें आवश्यकता है। वह कैसे पूरी होगी ? इसलिए इस साल भी लगभग 1000-1200 सैकण्डरी स्कूल खोले जाने चाहिए। इसमें मेरा यह भी निवेदन है कि 1/3 कम्प्लीटली छात्राओं के सैकण्डरी स्कूल खोलें ताकि वे भी बड़े-बड़े गांवों में साथ-साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें।

जहाजपुर, जो भीलवाड़ा जिले में सबसे दूरस्थ स्थान है, में आज उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय नहीं है। भीलवाड़ा जिले में सबसे अधिक दूरी के हिसाब से, साधन के हिसाब से, यातायात के हिसाब से, शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स की जनसंख्या 45 प्रतिशत के हिसाब से वह पिछड़ा क्षेत्र होते हुए भी, मैं समझता हूं, यह न होना वहां की शिक्षा के लिए एक तरह से कठिनाई है।

साथ में मेरा यह सुझाव भी है कि राजस्थान में जितने भी तहसील हैडक्वार्टर हैं, वहां पुस्तकालय/वाचनालय स्थापित किये जाने चाहिए। उसके लिए बजट में व्यवस्था पूरे तौर से की जाए ताकि वे लोग सब तरह से देश के आज के हालात से परिचित हो सकें, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें उनको सुलभ हो सकें। इसके साथ-साथ आपने जो मिडल स्कूल एवं सैकण्डरी स्कूलों के लिए समाचार पत्रों की व्यवस्था की है, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह बिल के पेमेंट की व्यवस्था करते हैं। कई महीनों के बिल पेमेंट नहीं होने से, कई स्कूलों में अखबार बन्द हो जाते हैं। तो आप यह व्यवस्था भी करें कि नियमित तौर से उनके बिल का पेमेंट हो ताकि अखबार विद्यालयों को समय पर मिलते रहें। यह मेरा निवेदन है।

मैं इसके साथ-साथ और लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपालजी कोगटा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इलाकों में जो असन्तुलन कायम हो गया है उस असन्तुलन को दूर किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी पधार गये हैं, यह सब मांग और सुझाव तो मैंने उनके लिए दिये हैं, एक मांग मैं इनसे करता चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सबसे दूर स्थित जहाजपुर इलाका है जहां 45 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स के लोग रहते हैं और पूरे भीलवाड़ा जिले में, मुझे और जगह का मालूम नहीं, सबसे ज्यादा भूतपूर्व सैनिक वहां रहते हैं....

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक मिनट, साहब। देश की सेनाओं में जो लोग काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। उस पिछड़े हुए क्षेत्र के बारे में मैं एक मांग करना चाहता हूं कि वहां महाविद्यालय स्थापित किया जाए ताकि उस 50–60 किलोमीटर दूर फैले हुए इलाके के गांवों के लोगों को निकट से निकट सुविधा सुलभ हो जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन गोपाल जी कोगटा। संक्षिप्त में कहें, पाइंटेडली कहें।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान एक पिछड़ा राज्य है। इसके कई कारण हैं। भौगोलिक दृष्टि, जनसख्या में असामान्य वृद्धि, बिखरी हुई आबादी का बसाव और खासकर महिला साक्षरता में कमी गम्भीर चिन्ता के विषय हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा की नीति, 1986 में निर्धारित लक्ष्यों तथा सन् 2000 तक सब को शिक्षा के संकल्प को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित किया गया था और उसी दृष्टि से लगभग 2268 प्राथमिक विद्यालय, 1190 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 148 माध्यमिक विद्यालय और 165 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की गयीं कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को और कक्षा 8 तक की बालिकाओं को और इसके परिणाम भी अच्छे रहे कि इस साल जो एडमिशन हुए उनमें 4 लाख विद्यार्थियों का इजाफा हुआ। शिक्षा के लिए इस साल भी 275 करोड़ की तुलना में 311.93 करोड़ रुपए का और 614 प्राथमिक विद्यालय, 600 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 60 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा। इसके साथ–साथ अनौपचारिक शिक्षा में भी 4 हजार केन्द्रों को खोलने का इसमें प्रावधान रखा और 3 सौ गांवों को शिक्षाकर्मी योजना के साथ जोड़ने की योजना है। यह सारा काम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए है। साथ ही 5 बालिका महाविद्यालय खोलने का जो प्रावधान है वह स्वागत योग्य है।

श्री अध्यक्ष : आप सजेशंस दे सकें तो वह दीजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा मुख्य सजेशन तो यह है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी जाएं, सब कहते हैं कि बच्चे को नौकरी दिलानी है, मेरा यह कहना है कि कक्षा 8 तक शिक्षा दिलाने के बाद रोजगार सम्बन्धी शिक्षा गांवों में होनी चाहिए और उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। साथ ही, प्रारम्भिक शिक्षा में जैसा देखने को मिलता है कि छोटे–छोटे गांवों में भी प्राइवेट स्कूल खुले हैं, इंग्लिश स्कूलें खुली हैं, सरकारी स्कूलों में जाना

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

कम पसन्द करते हैं, तो इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या सुधार करें, सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च करते हुए भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना कम क्यों पसन्द करते हैं और प्राइवेट प्राइमरी व मिडल स्कूल में बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है ? तो उस पर विशेष ध्यान दें। चाहे हायर सैकण्डरी एजूकेशन पर कम पैसा खर्च किया जाए, बजट कम हो लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा देने में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। आजकल यह स्थिति है कि टीचर्स लग तो जाते हैं लेकिन पढ़ाने नहीं जाते और पढ़ाने जाते हैं तो इसको ऐसा समझते हैं जैसे पार्ट टाइम के लिए जाते हैं या जाते हैं तो थोड़ी देर तक लेट जाते हैं और वापस चले आते हैं। मेरा यह कहना है कि जैसे शहरों में शहरी भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार से गांवों में भी टीचर्स का रहने का आकर्षण हो, इस हेतु वहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने का भत्ता वगैरह दिया जाए तो हो सकता है कि ये लोग वहां ठहरें। इसके साथ-साथ बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर बालिकाओं की प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला हो जिससे बालिकाओं को पढ़ने के लिए अवसर मिले, जिससे जो आगे चलकर परिवार चलाती हैं, वह शिक्षित होगी तो उसका परिवार शिक्षित होगा और निश्चित रूप से बाकी की योजनाएं भी उसमें चलेंगी। मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी पर लिया जाता है, टीचर्स को थर्ड ग्रेड में लेकिन उनके लिए बी.एड. और एस.टी.सी. की ट्रेनिंग के लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण हो, नहीं तो 9, 18 और 27 के लाभ से वे वंचित रह जाते हैं, इस ओर भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने पहले भी पूछा है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जो उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं, उनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपाइण्ट न कर बच्चों से काम लिया जाता है। कई स्कूलों में तो 25-25, 30-30 रुपये महीने में टेम्प्रेरी सर्वेण्ट रखे जाते हैं। या तो उनको परमानेंट रखें या नयी व्यवस्था करें। विद्यार्थियों की संख्या तो तीन-चार सौ हो जाती है लेकिन पानी और सफाई की व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि मिडल क्लास तक अनिवार्य रूप से एक फोर्थ क्लास सर्वेण्ट की व्यवस्था हो जिससे पानी पिलाने और सफाई की व्यवस्था हो।

आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। धन्यवाद।

श्री तैयब हुसैनजी (अनुपस्थित),

श्री रामकिशनजी वर्मा (अनुपस्थित),

श्री हरजीरामजी बुरडक (अनुपस्थित),

श्री शंकरलालजी।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24 शिक्षा, कला, संस्कृति और खेलकूद पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में शिक्षा से मानव जीवन का

(श्री शंकरलाल अहारी)

स्तर ऊंचा उठता है और सर्वांगीण विकास होता है। गत वर्ष के बजट में, जो बजट शिक्षा के प्रति समर्पित था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणाएं की थीं। उन घोषणाओं के मुताबिक उनकी अच्छी सूझबूझ से, अच्छी देखरेख से क्षेत्रों में वास्तव में सर्वांगीण विकास हुआ है इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप हमारे उदयपुर सम्भाग में निवास करते हैं, आप वहां के ग्रामीण जीवन और ग्रामीणों में जो शिक्षा का स्तर है उससे भली-भांति परिचित हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, मैं तो आपसे यही निवेदन करने जा रहा हूं कि वास्तव में आपका जो पिछला कदम था वह क्रान्तिकारी कदम था। मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आपने जो घोषणाएं कीं उनके मुताबिक स्कूलें खोलीं और समय-समय पर आपने डिवीजनों में जाकर के मीटिंगें कीं और प्रत्येक विधायक से पूछा। हमने हमारे अभाव अभियोग को आपके सामने रखा और आपने सुना और जहां तक हो सका वहां तक आपने हल करने की कोशिश की। परन्तु इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ढंग से आपने शिक्षा जगत में अध्यापकों को सक्रिय करने के लिए समय बढ़ाया, जो समयबद्ध कार्यक्रम दिये उसके अनुसार आपने पाबन्दी करने की कोशिश की उसमें वास्तव में एक स्फूर्ति आयी परन्तु उसका नतीजा आपके विरोध में रहा। शिक्षा जगत के अध्यापक बन्धु सड़कों पर आकर चिल्लाने लगे क्योंकि आपने एक अनुशासन के रूप में काम किया था और अध्यापक बंधुओं को वह बात अच्छी नहीं लगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा-सा और सब्र करते, उनकी मांगों पर विचार नहीं करते तो निश्चित तौर पर ही हमारे ग्रामीण जीवन में जो शिक्षा की प्रगति थी वह ऊंची होती। आपके ठोस कदम से वह घबरा गये। हकीकत है कि जो आलसी अध्यापक होते हैं वह किसी के कहने के अनुसार काम नहीं करना चाहते हैं।

आपने गत वर्ष शिक्षा को समर्पित बजट के अनुसार काफी स्कूलें खोलीं, काफी विद्यालय खोले परन्तु इतना जरूर याद दिलाता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत शिक्षा का जो प्रतिशत रहा है वह नहीं के बराबर है। 1991 में 43.36 प्रतिशत रहा। इसलिए, माननीय अध्यक्षजी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देवें। मैं विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र का निवासी हूं और आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा के लिए पुरजोर शब्दों में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका जो मापदण्ड है, आपने पहले घोषणा की थी कि प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर मिडल स्कूल खोली जाएगी, आपने खोली, अबकी बार आपने जो विद्यालय दिये हैं, इस वर्ष का आपका लक्ष्य है कि छह सौ प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक करेंगे तो छह सौ से क्या होगा? इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें ट्राइबल के हिसाब से स्पेशल कोटे से आप कम से कम हर पंचायत में दो-दो मिडल स्कूल स्वीकृत करायें। आपने 60 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा है। तो, श्रीमान्, हमारा जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें तो काफी गुंजाइश है। जैसे 60 हैं तो हम यह

(श्री शंकरलाल अहारी)

भी चाहते हैं कि पांच-पांच ग्राम पंचायत के बीच में आप एक-एक माध्यमिक विद्यालय दें। आप अगर आदिवासियों की भलाई की बात करते हैं, सरकार आदिवासियों के विकास की बात करती है और आदिवासी क्षेत्र के बच्चों का, छात्रों का जीवन स्तर यदि शिक्षा से ऊपर उठाना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांग करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां स्कूलें खोलें, ज्यादा से ज्यादा आप शिक्षा के लिये ध्यान देवें। मान्यवर, ग्रामीण विद्यालयों के जो आर्डर हुए, आपकी जो घोषणाएं हुईं, उसके बाद में छह महीने तक तो वे अच्छी तरह से चलते रहे। आपने घोषणा की थी कि एक से पांच तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जायेंगी। हम भी गये, देखा कि दीं, इसमें कोई शक नहीं है परन्तु बाद में हमने जाकर के देखा कि विद्यालय वास्तव में नियमित रूप से खुलते हैं कि नहीं खुलते, तो छह महीने तक तो आपकी अच्छी प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद में विद्यालय समय पर नहीं खुलते। एक तो यह मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, शिक्षक समय पर नहीं जाते हैं। आज डूंगरपुर जिले का शिक्षक है, शहरी क्षेत्र का कोई शिक्षक है, उसको आप ग्रामीण क्षेत्र में ड्यूटी देते हैं तो वह वहां जाना पसन्द नहीं करता है। इसलिए श्रीमान्, मेरा आपसे यह निवेदन है कि डेपुटेशन को खतम कर दिया जाए क्योंकि डेपुटेशन पर हर कोई आदमी शहर में जाना चाहता है और गांव में जाना नहीं चाहता है। तो गांव की स्कूलें पूरी की पूरी खाली रहती हैं। छात्र जाते हैं, लड़ाई-झगड़ा करके वापस चले आते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप शक्ति दें, बल दें और आप ताकत रखें, हम आपके साथ हैं। कम से कम उसमें एक ऐसी नीति लाएं जिससे कि जो डेपुटेशन करता है उसकी डेपुटेशन को बन्द करने के लिए पाबन्द करें कि शहरी क्षेत्र के शिक्षक हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में भेजें और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में भेजें। आदान-प्रदान कीजिये। समन्वय स्थापित करने की कोशिश करें।

दूसरा, मेरा आपसे यह निवेदन है कि विद्यालय समय पर नहीं खुलते हैं, विद्यालयों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में काफी पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शंकरलाल अहारी : एक मिनट, माननीय अध्यक्षजी।

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट।

श्री शंकरलाल अहारी : व्यावसायिक और शारीरिक शिक्षा पर आप ज्यादा ध्यान देवें क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा से आम ग्रामीण आदमी जुड़ा हुआ है।

मैं एक मोटी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी और मिडल स्कूल के भवन तो हम बना रहे हैं, जो योजना है उस योजना में हम काम ले रहे हैं, उस योजना में भवन बन रहे हैं परन्तु माध्यमिक विद्यालयों और हायर सैकण्डरी विद्यालयों के भवन नहीं बनाये जा रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कोई व्यवस्था करें, ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन करें कि कम से कम आदिवासी क्षेत्रों में माध्यमिक और हायर सैकण्डरी स्कूलों के भवन वहीं के

(श्री शंकरलाल अहारी)

बराबर हैं, भवन हैं ही नहीं, साहब, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप वहां भवन निर्माण करायें।

श्री अध्यक्ष : आपके सुझाव बहुत उत्तम हैं। बिराजिये। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शंकरलाल अहारी : माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी एक ही मांग है कि आपने इस वर्ष 5 महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है तो डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति सीमलवाड़ा में खोलें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आपका बहुत अच्छा सुझाव है। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को समर्पित पूरे साल के बाद हम फिर शिक्षा पर विचार कर रहे हैं। पिछला साल शिक्षा को कितना समर्पित रहा, यह देखने को हमें मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूलों की संख्या बढ़ी, यह बात सही है। इसलिये स्कूलों के लिए समर्पित साल तो हो सकता है लेकिन शिक्षा के लिए समर्पित कहना बहुत गलत होगा। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने चेष्टा की शिक्षा को साल समर्पित करने की, अध्यापकों में अनुशासन हो, उन पर नियंत्रण किया जाए और बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिस काम के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, उसमें थोड़ा-बहुत सुधार किया जाए। माननीय मंत्रीजी ने अपनी तरफ से चेष्टा करने में कोई कसर नहीं रखी और सनाढ्य साहब ने उस प्रोग्राम को फेल करने में और हमारे माननीय मंत्रीजी को नाकाम करने में कसर नहीं रखी। वह ऐसे कि माननीय मंत्रीजी ने शिक्षकों के लिये कुछ घंटे नियत किये कि इतने घंटों तक शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा, उसको आफिस वर्क देखना पड़ेगा, क्लास वर्क देखना पड़ेगा और बहुत काफी चीजें उनमें अनुशासन स्थापित करने के लिए कीं लेकिन शिक्षक संघों की बीमारी के कारण माननीय मंत्रीजी को वह कदम वापस लेने पड़े और आज जो स्थिति पहले थी, वह की वह ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सनाढ्य साहब पर आ जाइये।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो किसी पर नहीं आता। आप उनसे क्या चाहते हो, वह दूसरी बात है। मैं तो किसी पर नहीं आ रहा हूं।

मैं, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्कूलों में जो स्थिति है, दयनीय है। शिक्षण के लिए स्कूलें खुलीं लेकिन अध्यापक आज उनमें भी नहीं हैं। एक साल पहले जितनी खोलीं गयी थीं, आज वे स्कूलें खाली हैं। प्राइमरी स्कूलें जो खोलीं वे खाली हैं, मिडल स्कूलें जो खोलीं वे खाली हैं।

एक बात मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने प्राइमरी स्कूल जो गांवों में हैं, उनमें और अपने पास जो मिडल स्कूल हैं, उन दोनों में क्या फर्क समझ रखा है, मेरे समझ में नहीं आता है, रुपया आपका है। शिक्षा के मद से रुपया खर्च होता है और जैसे ही किसी प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी में, मिडल

(श्री शिवनाथ सिंह)

स्कूल में रेज किया जाता है तो वहां पर पंचायत समिति....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये ।

श्री शिवनाथ सिंह : पंचायत समिति अपने अध्यापकों को विदड्रा कर लेती है। आप शिक्षा विभाग की तरफ से वहां अध्यापक नहीं लगा पाते हैं और तीन साल का समय, संक्रामक समय ऐसा होता है कि जिसमें स्कूल के बच्चों का भविष्य समाप्त होता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये । मैं जिन-जिन का नाम है, उन सबको बुलवाऊंगा । सामान्यतः जो अच्छे वक्ता हैं उनका बाद में रखा है । दो-दो, चार-चार मिनट में जो निपटने वाले हैं उनको पहले करा दूं । यह है अर्थ उसका ।

श्री शिवनाथ सिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्षजी, कि जैसे ही प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी में रेज किया गया, तीन साल का....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आ जायेगा आपका, बिराजिये ।

श्री शिवनाथ सिंह : समय ऐसा होता है जो उस स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत घाटे का है । आप प्राथमिक शालाओं के लिए पंचायत समितियों को पूरा बजट ट्रान्सफर करते हैं, अनुदान देते हैं । तो व्यवस्था ऐसी हो कि....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इसमें क्या कर रहे हैं ? अभी मैं सबको निपटा देता हूं । आप बोलें । माननीय, बोलने दीजिये ।

श्री शिवनाथ सिंह : व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए कि जैसे ही प्राइमरी से स्कूल रेज किया जाए, पूरा स्टाफ शिक्षा विभाग का वहां जाए और पंचायत समिति वहां से पूरा स्टाफ अपना विदड्रा कर ले । इस दुविधा के अन्दर दोहरे प्रबन्ध के अन्दर उन स्कूलों का सत्यानाश होता है ।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही मिडल स्कूल खुले, उसमें पी. टी. आई. का पद होना चाहिए । हमारे जितने भी सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें लाइब्रेरियन के पद पहले हुआ करते थे । इन सालों में लाइब्रेरियन का कोई पद आप उनमें सृजित नहीं कर पा रहे हैं और लाइब्रेरियन का पद जब नहीं करते हैं तो वहां लड़कों के लिए जो लाइब्रेरी के नाम से आप रुपया खर्च करते हैं, किताबें लाते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं होता है । कहने के लिए एक अध्यापक को लाइब्रेरियन का पद दे दिया जाता है लेकिन वह अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता है । इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हर स्कूल में एक पी.टी.आई. का और एक लाइब्रेरियन का पद होना चाहिए ।

अध्यक्षजी, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, दो-तीन बातों की तरफ निवेदन करना चाहूंगा । गर्ल्स कॉलेज की बात आयी हमारे जिले के लिए । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्त्री शिक्षा के हिसाब से हमारा जिला बहुत ऊंचा है और वहां गर्ल्स कॉलेज का नहीं होना हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी बच्चियां बाड़मेर और जैसलमेर में अध्यापक का काम करने जाती हैं, पुलिस में हमारी लड़कियां भर्ती होकर इस

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रांत के भिन्न–भिन्न भागों में नौकरी करने जाती हैं और ऐसा जिला जिसने शिक्षा में, स्त्री शिक्षा में अगुवाई का काम किया है, उस जिले को दंडित करना, सिर्फ इसलिए कि वहां प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकारी कालेज की अलग बात होती है, प्राईवेट कॉलेज की अलग बात होती है। ये प्राइवेट कॉलेजेज नाम के कॉलिज होते हैं, न सब्जेक्ट होते हैं, न सही अध्यापक होते हैं और इसलिये लड़कियां सिर्फ तीसरी श्रेणी की डिग्री से पास होती हैं। ट्यूशन फीस के नाम पर उनका भयंकर शोषण किया जाता है। इस लिए, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं कि जिस स्कूल का उद्घाटन आपने किया है, कम से कम 20 लाख रुपये की वह बिल्डिंग है, उसको इस साल आप कॉलेज के लिए क्रमोन्नत करें।

माननीय अध्यक्षजी, एक बात कही गयी, मुझे भी वह पीड़ा देती है कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में शिक्षा के मामले में बहुत बड़ा भेदभाव है। आज हमारे गांव के लड़के स्कूलों की दशा खराब होने के कारण से शहर के लड़कों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं और हम पिछड़ जाते हैं। शहर की स्कूलों में जो सुविधाए हैं, उस प्रकार की सुविधाएं हमारे गांवों में भी होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्षजी, हर पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूल खोलने का मुख्य मंत्रीजी ने एलान किया था और शिक्षा मंत्रीजी ने भी उसको एण्डोर्स किया था। आज भी हमें दुःख है, हर पंचायत हैड-क्वार्टर पर मिडल स्कूल नहीं खुल पाये हैं और उस कमी को, जो हमारे जिले में रह गयी है, इस साल पूरा करने की चेष्टा करें।

अध्यक्षजी, आपके व्यक्तित्व को मैं जानता हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा, सम्पूर्ण साक्षरता के विषय में। यह प्रोग्राम विदेशी सहायता से चलता है, केन्द्रीय सर-कार की सहायता भी है और राज्य सर-कार की सहायता भी है लेकिन इसके लक्ष्य बड़े अच्छे हैं। सम्पूर्ण साक्षर हो जाएंगे तो कोई कमी इस देश में रहेगी नहीं, हमारे प्रांत में भी नहीं रहेगी लेकिन सम्पूर्ण साक्ष-रता के जो कार्यक्रम चले हैं, हमारे पड़ोस में सीकर जिला है, पिछले साल अजमेर जिले को हमने पूर्ण साक्षर घोषित किया है, आप मस्टर–रोल उठा कर देख लीजिये, जितने विकास के काम हुए हैं और उनमें जो मजदूर लगे हैं, कितनों के अंगूठे हैं और कितनों के दस्तखत हैं। यह हमारे "सम्पूर्ण साक्षरता" का बहुत बड़ा मखौल है। इस-लिए अच्छा हो कि इस कार्यक्रम में जो परिवर्तन आप कर सकें, वह करने की चेष्टा कीजिये और इस काम में जो रुपये बरबाद हो रहे हैं, आफिसर्स की आपस की लड़ाई हो रही है और बिना मतलब का लिटरेचर तैयार किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, रुपया खर्च हो रहा है, उसको यदि आप प्राइमरी स्कूल खोलने में चाहे औप-चारिक शिक्षण में अनुदान दीजिये, चाहे प्रौढ़ शिक्षा में दीजिये, ऐसे एक अध्यापक को गांव में वहां दें जो कि जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करें। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम रास्ता खुलें ताकि वह साक्षर हों। आज यदि प्राइमरी एजूकेशन में लड़कों की शिक्षा दिला

(श्री शिवनाथ सिंह)

पाते हैं तो मेरे ख्याल से दस-पन्द्रह साल के बाद में इस प्रान्त में कोई भी निरक्षर नहीं रहेगा। लेकिन इस सम्पूर्ण साक्षरता के प्रोग्राम के रहते हुए, पूरा रुपया हम खर्च कर देंगे और एक भी व्यक्ति साक्षर नहीं हो पाएगा, यह मेरा चैलेन्ज है।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालालजी पाटीदार।

श्री शिवनाथ सिंह : दो मिनट पहले आप सूचना देते हैं। दो मिनट में खतम कर देता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों के पद जो रिक्त हैं वे भरे जाएं। आज भी माननीय मंत्रीजी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग नहीं होने के कारण से अध्यापकों के पद रिक्त हैं। यही जवाब 12 महीने पहले, 15 महीने पहले माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने दिया था और उस वक्त उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि पी.एस.सी. के कारण से रिक्त रहते हैं स्थान, उस पर तो हमारा बस नहीं है लेकिन विभागीय समिति के द्वारा जो प्रोसेस होना चाहिए वह काम हम 6 महीने में कर देंगे। आज भी स्थिति वह की वह है। आज ही आपने उत्तर दिया है कि विभागीय प्रमोशन कमेटी की बैठकें नहीं होने के कारण हम सलेक्शन नहीं कर पाये। इसलिये इस ओर भी आप ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 का बजट शिक्षा को समर्पित बजट था। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। कथनी और करनी में अन्तर नहीं रखते हुए आपने कथनी को 100 प्रतिशत अमली जामा पहनाया, इसके लिए हम सारे प्रदेशवासी आपके आभारी हैं।

अध्यक्षजी, आज मानव ने इतनी उन्नति की है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे और यह सब शिक्षा की बदौलत हुआ है। किसी भी देश की उन्नति या दुनिया की उन्नति शिक्षा पर आधारित होती है। हमने सम्पूर्ण साक्षरता का संकल्प लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारा सम्पूर्ण साक्षरता का सपना तब तक साकार नहीं होगा जब तक कि हम ग्रामीण शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे। हमारे देश की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत रहती है और शिक्षा का सब से कम प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र पर सम्पूर्ण ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे।

अध्यक्षजी, ग्रामीण शिक्षा में कैसे बढ़ोतरी हो, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बालबाड़ी और सरस्वती स्कूल जैसे स्कूलों को विशेष महत्व दिया जाये जिनके माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा किया जा सके। पिछले बजट में भी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कक्षा एक से पांच तक के सम्पूर्ण छात्रों के लिए और कक्षा एक से आठ तक की सम्पूर्ण छात्राओं के

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

लिए मुफ्त पुस्तकें दी थीं जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में जहां निर्धन लोग रहते हैं वहां के निवासियों, वहां के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में यह योजना काफी लाभप्रद हुई। इस बार भी वैसे तो 1995-96 के बजट में एक बहुत मोटी राशि माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने रखी है लेकिन सैकण्डरी स्कूल और सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की संख्या बहुत कम है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाय और सैकण्डरी स्कूल जहां तक संभव है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही खोले जायें।

अध्यक्षजी, मेरा एक और विशेष आग्रह माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से है कि झालावाड़ जिले में एक गर्ल्स कालेज की स्थापना की जाय। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में हमारा यह कारगर कदम होगा। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक पंचायत समिति मुख्यालय पर गर्ल्स सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खोला जाय। अभी यहां सैकण्डरी स्कूल कार्यरत है। कक्षा 10 में लगभग 50-60 छात्राएं पढ़ती हैं और आगे बच्चों को स्कूल में पढ़ना व्यावहारिक रूप से अच्छा नहीं समझतीं।

श्री अध्यक्ष : एक-दो बातें आप कुछ पाइंटेड कहना चाहें, कहें।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : इसी दृष्टि से मैं चाहूंगा कि वहां एक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की स्वीकृति प्रदान करें। आपने इस वर्ष प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मिडल स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक कन्या पाठशाला खोली जाय इससे हमारी महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

मेरे क्षेत्र में घरोनिया, हिम्मतगढ़ और कड़ोदिया तीन ऐसे गांव हैं जहां लगभग ढाई-तीन हजार की आबादी है और इन गांवों से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर सैकण्डरी स्कूल उपलब्ध है, ऐसी दशा में यहां सैकण्डरी स्कूल भी खोली जाय। मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल मीणा : मेरे को नहीं बोलना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : शंकरलालजी (अनुपस्थित)।

श्री नाथूरामजी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24...

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट में ही इतना फर्क पड़ गया क्या ?

एक माननीय सदस्य : वह बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बोलेंगे।

श्री नाथूराम अहारी : शिक्षा के बारे में चर्चा हो रही है, मैं इस पर अपने विचार

(श्री नाथूराम अहारी)

प्रकट करना चाहता हूं। शिक्षा में वैसे हम शहरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि गत वर्ष भी पंचायत राज मंत्रीजी ने और शिक्षा मंत्रीजी ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें, समय बहुत सीमित है।

श्री नाथूराम अहारी : हमारे जिले में जो स्कूल खोलीं इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन अधिकांश गांवों में स्कूल कम खोली जाती हैं। गांवों की, खास तौर पर डूंगरपुर और उदयपुर डिवीजन की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह भिन्न है। एक पंचायत लगभग 8-10 किलोमीटर के दायरे में आती है उसमें अगर आप मापदण्ड के अनुसार विकास करना चाहेंगे तो वह नहीं कर पायेंगे। आदिवासी वैसे ही पिछड़ा हुआ होता है, शिक्षा के बारे में उसको ज्यादा अनुभव नहीं होता है तो जब स्कूल दूर होती है तो वह बच्चों को वहां भेज नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है कि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए आपके मापदण्ड को ताक पर रख कर आदिवासी एरिया में स्कूल खोलनी चाहिए। आपसे यह मेरी मांग है।

इसके साथ ही अध्यापकों के बारे में यह पाया गया है, मेरे यहां तो कम से कम जितने भी गांवों के अध्यापक हैं शायद एक-दो कहीं स्कूल में होंगे, सारे के सारे शहरों के पास कस्बों में चले गये हैं और इसमें जो इनके संघ हैं वह बाध्य करते हैं और एक जगह सारे जाकर इकट्ठे कर देते हैं। फलस्वरूप वहां बच्चे जितने पढ़ने चाहिए और उनको जितना फायदा होना चाहिए वह नहीं मिलता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके बारे में जो असमानता है उसे शीघ्र आप दूर करें और मजबूती से करेंगे तो इसका कोई परिणाम होगा। अध्यापक अधिकांश होम पंचायत समितियों में, होम पंचायत में रहने की कोशिश करता है। इसके बारे में भी आप कोई न कोई मापदण्ड बनायें। अध्यापक अगर गांव में होता है तो वह 10 बजे तक तो अपने घर में बिजी रहता है और स्कूल में जाय तो घंटा भर पढ़ाने के बाद वापस उसके दिमाग में आता है कि मेरे को वह काम बाकी है, मेरे को वह काम बाकी है। इस तरह की प्रवृत्ति से वह पढ़ा नहीं पाता है। इसलिए आप इस तरह का कोई नियम बनाइये कि अमुक समय तक होम पंचायत समिति के बाहर रहे। तो उसका पढ़ाने का तरीका हो, वह टिक कर रहेगा और वहां पर उनको अपने काम करने का मौका मिलेगा। हमने अधिकांश गांवों में यह देखा है कि रेजीडेंस क्वार्टर नहीं होते हैं, गांवों में अध्यापकों के रहने के कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि गांवों में सैकण्डरी स्कूल, मिडल स्कूल और यहां तक कि प्राइमरी स्कूल में भी रेजीडेंस क्वार्टर एक से लगा कर के चार से पांच तक, बड़ी स्कूल में चार से पांच तक रेजीडेंस क्वार्टर बनाने चाहिए जिससे मास्टर....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मंत्रीजी, आप इधर घूम रहे हैं और आज ज्यादा चर्चा प्राइमरी स्कूल पर हो रही है। हालांकि आपकी मांग नहीं है लेकिन ज्यादा जो चर्चा हुई है वह आपके लिटरेसी के पर्सेण्टेज पर और प्राइमरी स्कूल की ज्यादा

(श्री परसराम मदेरणा)

हुई है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आपको रिप्लाई नहीं देनी है और आज आपकी डिमाण्ड नहीं है, लेकिन सदन में माननीय सदस्यों के जो विचार हैं और उनकी जो प्रतिक्रिया है और उनकी जो समस्याएं हैं, आप मेहरबानी करके मटर-गश्ती मत कीजिये, इनको सुनिये।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : मैं प्रोसिडिंग्स में आराम से पढ़ लूंगा कि किस-किस माननीय सदस्य ने क्या-क्या समस्याएं उठायी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क है। पढ़ने और सुनने में रात-दिन का फर्क है। आज बोलने में जो एम्फेसिस है, जो बात आयेगी और जो आपके दिमाग में बैठेगी, वह पढ़ने से नहीं बैठती है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा का जो बजट है, शिक्षा की जो मद है वह प्राइमरी, पंचायत समिति में भले ही हो, लेकिन इसकी धनराशि शिक्षा के बजट के अन्दर सम्मिलित है। यह तीनों माननीय मंत्रियों का विषय है। पंचायती राज मंत्रीजी को भी यहां रहना चाहिए था। हायर सैकण्डरी के, कालेज के, तीनों का आज रहना जरूरी था।

श्री अध्यक्ष : हां, सभी यहां उपस्थित हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने बजट देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि पंचायत समिति को 100 पर्सेण्ट अनुदान हम रेफर, उनको ट्रांसफर करेंगे। यह मैंने मंत्रीजी से भी निवेदन किया था तथा माननीय चतुर्वेदी जी को भी, इसमें, यह तीनों मंत्री रेस्पांसिबिल हैं। आज शिक्षा के मामले में तीनों को ही यहां रहना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दोनों बिराजे हुए हैं और तीसरे भी वहां बैठे-बैठे सुन रहे हैं।

श्री नाथूराम अहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल के भवन ऐसे बनाये जाते हैं कि बरसात के दिनों में बच्चे बाहर बैठते हैं। स्कूल भवन घटिया किस्म के बनते हैं। तो इस ओर आप और पंचायती राज मंत्री, खासकर सुनें। जो पंचायत समिति की स्कूल हैं, उनके भवन बने हैं, उनमें बरसात के दिनों में बच्चे नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनमें पूरा पानी अन्दर पड़ता है। तो आप अपने स्तर पर उन स्कूल भवनों की जांच करायें और जो पानी टपकता है, उसको खतम करें यह मेरा निवेदन है।

दूसरा, यह कि जो मिड्ल स्कूल हैं, सैकण्डरी स्कूल हैं, उनमें पर्याप्त भवन नहीं है, उनका भी आप सर्वे कर भवन बनवायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री नाथूराम अहारी : साहब, अभी तो बाकी है। इसके बाद शिक्षा में दो श्रेणियां बन गयीं, एक तो उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग सक्षम वर्ग है, वह तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है और उसका स्तर कायम रहता है लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं, उनका स्तर बिलकुल गिरता जा रहा है। इसके बारे में भी आप ध्यान देंगे। शिक्षा में धीरे-धीरे स्तर कितना गिरता जा रहा है, मैं एक उदाहरण दूं। एक एम.ए. का बच्चा मेरे पास आया

(श्री नाथूराम मिहारी)

एप्लीकेशन लेकर खुद, उसमें लिखा था ए. मे.ले. साहब। मैंने पूछा उसको कि भाई, तू लिख क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आता है। इस तरह अध्यापक खुद ही अगर स्पष्ट बोलना या स्पष्ट लिखना नहीं जाने तो वह बच्चों को क्या पढ़ायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि निबन्ध लिखना, डिक्टेशन लिखना, इस तरह के....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री नाथूराम मिहारी : दो मिनट, साहब। आपसे मेरा यह निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : अब पूरा समय हो गया, विराजें।

श्री नाथूराम मिहारी : नहीं, नहीं। नहीं हुआ, साहब।

श्री अध्यक्ष : हो गया। विराजें। आपके सुझाव अमूल्य है। विराजें।

श्री नाथूराम मिहारी : एक मिनट। हजारों की संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक बेकार भटक रहे हैं और गत साल भी यहां आकर धरना दिया था जबकि आपके राजस्थान में पूरी जगह खाली है तो इस बारे में भी आपको गंभीरता से सोचना है। इसके अलावा अध्यापकों की जो भर्ती होती है, मुझे एक माननीय सदस्य ने बताया था, भरतपुर, बीकानेर, कोटा का बच्चा डूंगरपुर में जाता है, जबकि डूंगरपुर में अध्यापक ट्रेण्ड हैं, फिर भी वहां का भर्ती करा देते हैं, फिर ट्रांसफर होकर वापस चला जाता है।

श्री अध्यक्ष : विराजें, यह बात आ चुकी है, आपको कोई सजेशन देना हो तो दे दें। यह पहले रिपीटेडली पांच-सात बार बात आ गयी। माननीय अमरारामजी।

श्री नाथूराम मिहारी : पाठ्य-पुस्तक का, बच्चे को एक गधे का बोझ लेकर घूमना पड़ता है; इस बारे में भी आपको सोचने की जरूरत है और पाठ्य-पुस्तकें हर एक-दो साल में बदल जाती हैं, इस बारे में भी सोचना चाहिए कि पाठ्य-पुस्तकें जांच करके बनायी जायें। नहीं तो बच्चों को खरीदने के लिये पैसा नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाशजी शर्मा। (व्यवधान)।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्षजी, सदन के माननीय सदस्यों ने काफी चिन्ता व्यक्त की है कि हमारा शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, उसको कैसे अच्छा किया जाय और हमें किस प्रकार से अच्छी शिक्षा देकर हमारे जो विद्यार्थी हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अमरारामजी ने जो अभी बात कही है शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, यह नहीं है, अभाव है, कमी है, इस साल गिरा हुआ मतलब आप गन्दी किताब पढ़ाते हो, क्या बात करते हो ?

श्री अध्यक्ष : इसमें आपको रंगल करने की जरूरत नहीं है। There is no question of any warngling.

श्री अमराराम चौधरी : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्षजी, कि हम किस प्रकार की शिक्षा दें जिससे हमारी भावी पीढ़ी जिसके कंधों पर इस देश का भार आने वाला है, इस प्रकार के विद्यार्थी बनायें जो बहुत ही अच्छे इन्सान बनें। प्रजातंत्र में अच्छा इन्सान ही प्रजातंत्र का आधार होता है। जहां तक मेरे क्षेत्र बाड़मेर जिले का प्रश्न है शिक्षा का इतना कम पर्सेण्टेज है कि राजस्थान में किसी जिले का नहीं है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को लीजिये। वहां भी हमारे से ज्यादा पर्सेण्टेज है। बाड़मेर में महिला शिक्षा का पर्सेण्टेज 7.68, जालौर के अन्दर 7.75, जैसलमेर के अन्दर 11.28 है। यदि हम मेल और फिमेल दोनों का पर्सेण्टेज शामिल करें तो बाड़मेर जिले में 22.98 हमारा शिक्षा का पर्सेण्टेज है। मेरा निवेदन है कि बाड़मेर में स्त्री शिक्षा की बहुत कमी है। आज पंचायत समितियों में जिन भी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है उनमें अधिकांश लोग अंगूठा छाप हैं जो सरपंच बने हैं, मण्डल के मैम्बर बने हैं और यहां तक कि प्रधान में भी कई–कई ऐसे हैं जो अंगूठा छाप है। यह मैं आपको बता रहा हूं। यह है हमारे बाड़मेर जिले की शिक्षा का पिछड़ापन।

मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पिछली साल हमारे यहां मिडल स्कूल तो काफी खोलीं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सरकार ने भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जायेगा।

मेरे क्षेत्र में अभी 11 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां अभी भी मिडल स्कूल नहीं हैं। कुल आठ सैकण्डरी स्कूल हैं और उनकी दूरी हीरा की ढाणी से तो करीबन 60 किलोमीटर और वहां से पचपदरा है तो वह भी 50 किलोमीटर दूर है, पाटोदी है तो उसमें से 30 किलोमीटर हुआ। जहां 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर कहीं भी सैकण्डरी स्कूल नहीं है वहां पर मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वाकई शिक्षा देना चाहते हैं तो स्कूल खोलें। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र से भी गया बीता है।

मरु विकास करना चाहते हैं तो आप जिस प्रकार से पहाड़ी एरिया है, ट्राइबल एरिया है, उसी प्रकार से हमारे बाड़मेर जिले की उसमें गिनती करें। आपकी भी मजबूरी है। हम दो सौ विधायक हैं, सभी लोग स्कूल मांगते हैं। आपके लिमिटेड फण्ड्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी एक मानवीय दृष्टिकोण से जब आप सारे राजस्थान को साक्षर करना चाहते हैं तो बाड़मेर जिले में तो कम से कम मिडल स्कूल और 10–12 सैकण्डरी स्कूल खोलें और एक-दो हायर सैकण्डरी स्कूल उनके बीच में खोलें। हम यह वादा करते हैं कि आप कहीं से भी फण्ड लावें, आप अगर एक सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे तो मैं यह वादा करता हूं कि एक लाख पेड़ हम लगायेंगे जिस पर वन विभाग का आपका खर्चा पूरा उस स्कूल का एक साल का लगता है वह लगायेंगे, वह जिन्दा रखेंगे। लेकिन वहां की जनता पढ़ना चाहती है और मुख्य मंत्रीजी और आप सभी उन लोगों को शिक्षित कराने के लिए हमेशा इस प्रकार का जो अभियान चला रहे हो तो आप मेहरबानी करके बाड़मेर जिले में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलें ताकि लोगों को लाभ मिले। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मोटा मुद्दा तो यह है कि स्कूल खोलें। श्री ओमप्रकाशजी।

श्री अमराराम चौधरी : माननीय अध्यक्षजी, जो पुस्तकें दी जा रही हैं, समय पर दी जाय, दो-तीन महीने बाद नहीं दी जाय ताकि समय पर विद्यार्थी पढ़ सके।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाशजी, श्रीमती मीनाजी अग्रवाल, श्री बाबूलालजी वर्मा, बाबूलालजी, आप बोलिये। मीनाजी को फुर्सत ही नहीं है। नाम काट दिया।

श्रीमती मीना अग्रवाल : बोल रही हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल : बोल रही हूं साहब।

श्री अध्यक्ष : यह तो चेयर की इच्छा होगी तब....आप बिराज जाओ।

श्रीमती मीना अग्रवाल : एक मिनट साहब, मैं प्रार्थना करती हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगा जब आप मूड में होंगी तब मैं मौका दूंगा।

श्रीमती मीना अग्रवाल : तैयार हूं साहब इतनी नाराजगी क्यों?

श्री अध्यक्ष : आसन के आदेश का पालन करिये। आप बिराजिये, मैंने एक बार कह दिया है, व्यवस्था दे दी है। आपका तीन बार नाम उच्चारण किया है। श्री बाबूलालजी।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष का बजट शिक्षा से सम्बन्धित बजट रहा है। अधिकांश मात्रा में प्राथमिक विद्यालय खुले, अधिकांश मात्रा में स्कूल को क्रमोन्नत किया गया इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश का विकास करने के लिए या किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी सबसे बड़ी मूल आवश्यकता है शिक्षा का विकास करना। यदि किसी देश में किसी क्षेत्र में लोग अशिक्षित होंगे, बिना पढ़े लिखे होंगे तो उस क्षेत्र का विकास किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरा डग विधानसभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। वैसे तो झालावाड़ जिला अपने आप में शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मात्र एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज झालावाड़ में स्थित है और दूसरा डिग्री कालेज भवानी मण्डी में स्थित है। किसी भी प्रकार की उच्च स्तरीय शिक्षा को प्राप्त करने के लिए या तो झालावाड़ जिले से कोटा जाना पड़ता है या जयपुर या अजमेर जाना पड़ता है। इससे पूरे झालावाड़ जिले के विद्यार्थी अधिकांश रूप से उच्च स्तरीय शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए एक कालेज झालावाड़ जिले में स्थापित किया जाय। इसके लिए भी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आपकी एक ही मांग है, मैं समझ गया।

श्री बाबूलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री बाबूलाल वर्मा)

1995-96 के बजट में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार तो बोल रहा हूं। आप मुझे अभी से बैठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलिये पर इधर-उधर की भूमिका नहीं बनाइये। आप कहिये कि यह सजेशन हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा : वर्ष 1995-96 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। मैं शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे डग विधानसभा क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायतें हैं, 51 ग्राम पंचायतों में से मात्र अभी 22 ही ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं, 29 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने बाकी हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, जैसा बजट में कहा गया है, आने वाले बजट में 29 जो ग्राम पंचायत मुख्यालय रह गये हैं उनमें खोली जाएं।

शिक्षा मंत्री जी को मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मेरा विधानसभा क्षेत्र लगभग सौ किलोमीटर की दूरी में स्थित है। सौ किलोमीटर की दूरी में मात्र दो सीनियर सैकण्डरी गर्ल्स स्कूल वहां पर अवेलेबल हैं। यदि कोई पचास किलोमीटर की दूरी पर रहने वाली बालिकाएं सीनियर सैकण्डरी स्कूल में जाना चाहे तो मैं नहीं समझता कि उनको कोई पढ़ने की सुविधा मिलेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि डग में कम से कम एक सीनियरी सैकण्डरी स्कूल खोला जाना चाहिए। एक चीज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि स्कूल काफी खुली हैं लेकिन स्कूल खोलने का मतलब तब ही सार्थक होगा जब उन स्कूलों में हम लोग अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। मेरे डग विधानसभा में अध्यापकों की जो स्थिति है, आपके माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अध्यापकों ने वहां गलत सिस्टम चला रखा है, वहां कोई चैकिंग नहीं होती है, कोई निरीक्षण नहीं होता है। मैं डग विधान सभा क्षेत्र में नियुक्ति के मामले में कहना चाहूंगा कि डग पंचायत समिति में टोटल 169 स्कूल हैं, 169 स्कूल्स में 393 प्राइमरी स्कूल हैं वहां टीचर्स की पोस्ट सैंक्शन्ड हैं उसमें से मात्र 252 अध्यापक वहां नियुक्त हैं। 140-141 मेरे डग विधानसभा क्षेत्र में टीचर्स की वेकेन्सीज खाली पड़ी हुई हैं। हमारे यहां 35 प्रतिशत के लगभग टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। मैं पूरे झालावाड़ जिले के फिगर बताना चाहूंगा। पूरे झालावाड़ जिले में छह पंचायत समिति हैं। उनमें 2236 टीचर्स की आवश्यता है और वहां 1950 टीचर्स कार्यरत हैं। पूरे झालावाड़ जिले में 286 टीचर्स की वेकेन्सी है उसकी आधी वेकेन्सी मेरे डग विधान सभा क्षेत्र में पड़ी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा गम्भीर मामला है। पूरी स्कूल पड़ी हुई हैं। ऐसा इम्बैलेंस पूरे क्षेत्र में हो रहा है। कम से कम डग विधानसभा क्षेत्र में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जहां भी मैं जाता हूं पूरे स्कूल खाली पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, सभी माननीय

(श्री अध्यक्ष) :

नीय सदस्यों ने इस पर विचार जाहिर किये हैं।

श्री बाबूलाल वर्मा : 15–15 रोज से स्कूल बन्द पड़ी हैं। एक टीचर है, वह भी वहाँ काम नहीं करता है। अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपके माध्यम से और कहना चाहता हूँ, बड़ा इम्पॉर्टेन्ट मामला है।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्यामजी (अनुपस्थित)। श्री गोविन्द सिंहजी गुर्जर (अनुपस्थित)। श्री हीरालालजी इन्दौरा (अनुपस्थित)। श्री रामगोपाल जी (अनुपस्थित)। श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय मंत्रियों ने काफी अच्छी खासी रकम की मांग सदन के समक्ष प्रस्तुत की है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष : मैं, जो लिस्ट माननीय सचेतक महोदय ने दोनों तरफ से दी है, उसको पूरी एंजास्ट करता हूं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय अध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतनी भारी रकम स्वीकार कराके हम क्या उपलब्धि लाना चाहते हैं ? हमारा लक्ष्य क्या है ? समाज को किधर ले जाना चाहते हैं ? कोई भी रकम खर्च करने से पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि शिक्षा से क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं ? क्या इस शिक्षा प्रणाली से एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज तैयार करना चाहते हैं, या हम इस प्रकार की शिक्षा देने चाहते हैं कि हमारे बालकों को इस प्रकार की जानकारी हो कि फ्रांस का रिवोल्यूशन कब हुआ, किस तारीख को हुआ,

(20.00)

रूस के अन्दर कौनसी नदियां हैं, अमेरिका में प्रेसीडेंट लिंकन कब हुआ। इस बात की जानकारी आपको हो लेकिन घर में अगर बिजली का फ्यूज उड़ जाए तो बिजली के फ्यूज को ठीक नहीं कर सकें, क्या हम इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि पास बुक्स को कंठस्थ करके लोगों को डिप्लोमा या डिग्री दे दी जाए ? क्या हम उस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं कि बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञान की हमारी जनरेशन खड़ी हो जाए ? जब तक सरकार के सामने यह बात स्पष्ट नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं, जिधर हम पैसा खर्च करने जा रहे हैं, वह पैसा सार्थक सिद्ध नहीं होगा। आज के युग में जब कि हम दुनिया के अन्दर औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तब हमें साधारण शिक्षा के मुकाबले तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान के अन्दर आज तकनीकी शिक्षा का जो स्कोप है उसमें इस समय 6 इंजीनियरिंग कालेज हैं जिनमें 18 विषयों में 1190 छात्रों का प्रवेश है। कितने छात्रों को राजस्थान के अन्दर तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो सकती है, उसका स्कोप मैं आपको एक मिनट में निवेदन करना चाह रहा हूं। राजस्थान में 6 पोलीटेक्निक शिक्षा महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के हिसाब से 18 विषयों में 1470 छात्रों का प्रवेश हो सकता है, महिला पोलीटेक्निक के अन्दर 6 महाविद्यालय हैं जिनमें 7 विषयों में 420 छात्राओं का प्रवेश हो सकता है, और राजस्थान के अन्दर कुल जितने भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उनमें 7616 छात्रों को प्रवेश मिल सकता है। इस प्रकार पूरे राजस्थान के अन्दर

(श्री हरिसिंह)

10696 लोग तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। चार करोड़ पचास लाख की आबादी वाले राजस्थान के अन्दर यदि हम वन पर्सेंट लोगों को भी तकनीकी शिक्षा नहीं देंगे तब तक राजस्थान का जो औद्योगीकरण करना चाह रहे हैं वह औद्योगीकरण नहीं होगा और अगर इसी प्रकार की शिक्षा देते चले जायेंगे तो बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जायेगी अभी जो तकनीकी शिक्षा का स्कोप है उसके हिसाब से राजस्थान में 0.25 पर्सेंट लोगों को तकनीकी शिक्षा मिल सकती है। कोई इस वर्ष मंत्री महोदय ने 30 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात कही है, सात जनजाति क्षेत्रों में जो मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं उनको वह पूर्ण औद्योगिक संस्थान में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, 80 राज्य स्तरीय पाठ्यक्रमों को राष्ट्र स्तरीय पाठ्यक्रमों में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और मुझे यह मानने में भी कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अन्दर तकनीकी शिक्षा का स्तर अच्छा है। यह बात मैं नहीं कह रहा, राजस्थान के अन्दर जो वर्ल्ड बैंक की टीम आयी थी उसने यह बात कही थी। वह टीम क्यों आयी थी ? वह इसलिए आयी थी कि उन्होंने राजस्थान के लिए पैसा दिया था। उन्होंने 44 करोड़ रुपया ग्रान्ट के रूप में दिया था और यहां की परफोर्मेन्स को देखते हुए उन्होंने 44 करोड़ से 11 करोड़ की ग्रान्ट और बढ़ा दी। उन्होंने राजस्थान को हिन्दुस्तान के अन्दर फर्स्ट ग्रेड, नम्बर वन, प्रथम पाया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जब इस प्रकार का हमारा स्कोप है तो क्यों नहीं आप हर जिले के अन्दर तकनीकी शिक्षा अवेलेबल कराते हैं ? क्यों नहीं हर तहसील पर आई.टी.आई आप खोलते हैं ? यह बात बहुत जरूरी है।

दूसरी बात मैं यह खास तौर पर निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपने तकनीकी शिक्षा के अध्यापकों के लिए अगर इसी प्रकार का वेतनमान रखेंगे तो आपका स्तर गिर जायेगा। वह क्यों गिर जायेगा ? आप आज तो राजस्थान के अन्दर वेतनमान दे रहे है वह ए.आई.सी.टी.ई., आल इंडिया कौन्सिल आफ टेक्नीकल एजूकेशन है उसके हिसाब से आप नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं यह जानना चाहता हूं ? आप अगर नहीं देंगे तो जो इस प्रकार से व्यापार होता है लेक्चरर्स का, जो बाहर से लेक्चरर्स राजस्थान के अन्दर आते हैं वह चार में से एक छोड़कर चला जाता है राजस्थान को और आप एक लड़के पर 23900 रुपये खर्च करते हैं, वह बच्चा महीने, दो महीने तक बिना पढ़े रह जाता है। तो एक मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि राजस्थान में आपको तकनीकी शिक्षा पर और अधिक जोर देना चाहिए, यहां के लेक्चरर्स को प्रोपर सुविधाएं देनी चाहिए, उनके वेतनमान ठीक करने चाहिए।

तीसरा, मैं आपसे इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि आपने कहा, पिछले साल का बजट हमारा शिक्षा के लिये समर्पित था और आपने काफी मात्रा में स्कूल भी खोले। हालांकि कोई खास बड़ा तीर नहीं मार लिया आपने। सन् 1985–86 में जितना राजस्थान में कांग्रेस का बजट था उसके मुकाबले में भी आप नहीं पहुंचे हैं। मैं आपको फिगर्स देना चाहता हूं,

(श्री हरिसिंह)

आपने माध्यमिक विद्यालय खोले हैं 148 जबकि कांग्रेस ने 1985-86 में 300 माध्यमिक विद्यालय खोले थे, आपने 1192 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं, जबकि हमने 1985-86 में 1100 खोले थे, आपने 2318 प्राथमिक विद्यालय खोले हैं जबकि कांग्रेस ने 5000 विद्यालय खोले थे। तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारा लेकिन फिर भी क्योंकि आप कुछ आगे बढ़े हैं.... (व्यवधान) हां चुनाव की वजह से ही। चुनाव तो होता ही रहता है लेकिन फिर भी आपने जो काम किया है, मैं कटारिया साहब को इस बात के लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आपने एक क्राइटेरिया से वह खोले, उसमें कोई ज्यादा भेदभाव बरतने वाली बात नहीं आयी।

श्री टीकमचन्द कांत : पांच साल के एक साथ खोले थे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पांच साल के नहीं ईयरली फिगर्स आपको बताऊंगा तो स्पीकर साहब अभी घण्टी बजा देंगे। अब सुन लीजिये। 1989-90 की फिगर सुन लीजिये आप। 600 माध्यमिक विद्यालय खोले, प्राथमिक विद्यालय 3000 खोले....

श्री अध्यक्ष : आंकड़े तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं। जैसे जुबेर जी ने सजेशन दिये और आप तो सबसे....

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आपका जो सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है वह तो एक प्रकार से बोगस है और फ्राड कार्यक्रम चल रहा है। उसमें आप को पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बजाय आपको यह करना चाहिये कि हर ग्राम के अन्दर कुछ लोगों को परमानेंटली नौकरी पर रख करके वहां पर कार्यक्रम करना चाहिए। उसमें चाहे आप हाई स्कूल पास ले लें, इन्टर पास ले लें, बी.ए. पास ले लें, एक मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता था। दूसरा, ग्रामीण शिक्षा का जो स्तर है उसको आपको सुधारने की आवश्यकता है। आज जो आई.ए.एस. लोग हैं वह शहरों से बनकर आ रहे हैं। अगर ग्राम के लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. नहीं बनेंगे तो राजस्थान के ग्रामों की समस्या को समझ नहीं पायेंगे इसलिए गांवों का स्तर भी सुधारना चाहिए। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा समय समाप्त होने को है इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्दजी कांत।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह कर गया था। मैंने आपसे इजाजत ली थी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, अभी देखेंगे। पहले यह लिस्ट नम्बर से एडजस्ट हो जायेगी उसके बाद देखेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर शिक्षा में सबसे पिछड़ा जिला बाड़मेर है और पिछड़े जिले बाड़मेर का विधायक स्वाभाविकतया यह मांग करेगा कि बाड़मेर जिले के ऊपर राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग विशेष ध्यान दें ताकि तुलनात्मक आंकड़ों के अन्दर इसका स्थान भी ऊपर आये। अन्त्योदय योजना हमने इस रूप में चलायी थी कि सबसे अन्त में जो खड़ा है उस व्यक्ति को हम पहले सम्बल दें और

(श्री टीकमचन्द कान्त)

उसे आगे लायें। इसी प्रकार बाड़मेर जिले को इस रूप में देखने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देता हूं पिछले बजट को भी और इस बार के बजट को भी। शिक्षा के अन्दर हमने बहुत काम किया। एक प्रकार से शिक्षा के अन्दर हम विकास की नयी गंगा ले आये, लेकिन वास्तव में गंगा का मुहाना तो बाड़मेर के अन्दर खोलना चाहिए था तब कहीं जाकर बाड़मेर को हम ऊपर ला सकते थे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि आज कोई लम्बा चौड़ा भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े जिले के अन्दर एक ही मांग हो सकती है कि उसे शिक्षा चाहिए, उसे आगे लाना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, खंडप एक स्थान जहां 1951 में स्कूल थी। उसके नजदीक में आज भी 35-35 किलोमीटर तक कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है। उसकी मांग मैंने पिछली बार रखी थी कि खंडप को सीनियर सैकण्डरी के अन्दर क्रमोन्नत किया जाय। यही हालत मोपलसर की है, पाबरू की भी यही हालत है। और किसी स्थान पर एक एम.एल.ए. को 2-2, 3-3 शालाएं मिल गयी लेकिन सिवाना के अन्दर एक ही शाला मिली जबकि खंडप, पाबरू, मोपलसर में आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं वह रेगिस्तानी इलाका है, ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, बिखरी हुई बस्तियां हैं, लोग बेरों पर रहते हैं। यहां डेढ़ सौ की घोषणा की है हमने कि जहां डेढ़ सौ की जनसंख्या होगी रेगिस्तान के अन्दर और पहाड़ी क्षेत्र के अन्दर, वहां हम प्राथमिक स्कूल खोलेंगे लेकिन आज भी सिवाना की और बाड़मेर की मांग बनी हुई है। यह मैं नहीं कहता कि पिछली बार जो कुछ आपने नार्म्स बनायें उसके कारण बहुत अधिक हमको भी लाभ मिला, बाड़मेर को भी मिला लेकिन बाड़मेर अभी ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसके कारण बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरी एक सबसे बड़ी मांग यह रही है। दूसरा, मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हिन्दुस्तान को आजाद होने के बाद में भी अपने ढंग की शिक्षा की आवश्यकता थी। अब मैकाले पद्धति की बात, उन्होंने कहा कि मेकाले को गालियां देते हैं लेकिन भारत या भारतीय शिक्षा जिसका कभी चिन्तन लोगों ने किया और प्रत्येक राजनीतिज्ञ ने, राजनीतिक सम्मेलनों में बराबर मांग होती रही कि शिक्षा पद्धति के अन्दर सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए परन्तु नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा व्यक्ति को क्यों दी जाती है? बिना शिक्षा के व्यक्ति को कहते हैं कि पशु समान है। भूख, भय, नींद यह सब में पायी जाता है। यह शिक्षा ही है जो मानव को मानव बनाती है और अगर शिक्षा इसी प्रकार की रही, आज के समाचार पत्रों को उठा कर देख लीजिये कि गुजरात के अन्दर मोहम्मद सूरती है या पता नहीं क्या नाम है, मंत्री थे, टाडा में बन्द हो गये इस देश के अन्दर विस्फोट करने के लिए, गाड़ियों में विस्फोट करने के लिए। तो क्या उनको शिक्षित नहीं किया गया? अगर इस शिक्षा के कारण इस प्रकार का ही व्यक्ति निर्मित हो रहा है तो फिर शिक्षा किस काम की। हमने पिछली बार घोषणा की थी नैतिक शिक्षा की। नैतिक शिक्षा किस प्रकार की

(श्री टीकमचन्द कान्त)

हो। आज आवश्यकता इस बात की है जिससे व्यक्तित्व का निर्माण हो। लेकिन नैतिक शिक्षा किस प्रकार की होगी, कहां किस प्रकार लादेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। नैतिक शिक्षा का सिलेबस बनायेंगे तब मंत्रीजी से कहेंगे कि आपको रखें उसमें। जल्दी करें आप।

श्री टीकमचन्द कांत : तो मैंने वास्तव में आपसे भी पहले कहा था मुझे बोलने का मौका दें इस रूप में मेहरबानी करके बाड़मेर का विशेष ध्यान रख करके अगर यह 60 स्कूल जो इस वोर दे रहे हैं वह अगर पूरी की पूरी बाड़मेर को दे दी जाय तो भी कम रहेगी।

श्री अध्यक्ष : सैकड़ों नदी से ठेठ बाड़मेर पहुंच गये हो आप। माननीय धारीवाल जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई लम्बा भाषण नहीं है सिर्फ दो तीन बातें हैं...

श्री अध्यक्ष : आजकल आप पाइंटेड बात कहते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपका भाषण अधूरा ही रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आपके समझ के बाहर की बात है, महावीरजी यह हायर एजूकेशन की बातचीत है आपके समझ की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रारम्भ करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भाषण शुरू करें, आपका भाषण अधूरा ही रहेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं, जब कभी कोई गम्भीर बात हो तो कृपया नहीं बोला करें। मजाक के टाइम पर बोला करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका गम्भीरता से क्या सवाल है ?

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : आपके खड़े होते ही यह सब कुछ होने....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक तो सरकार गरीब को गणेश मानती है और हम लोग पता नहीं आपको क्या मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने काफी एक्सपर्ट्स से कन्सल्टेशन किया है और कन्सल्टेशन के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुछ गाइड लाइन्स तैयार की जाये और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाय। मेरा आपके माध्यम से हायर एजूकेशन मंत्रीजी से निवेदन यह है कि क्या राजस्थान की सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है, इस तरह के कन्सल्टेशन्स चल रहे हैं। एच.आर.डी. मिनिस्टरी को गवर्नमेंट आफ इण्डिया के एच.आर.डी. मिनिस्टरी को वे कोई गाइड लाइन दे रहे हैं। अगर वे कोई गाइड लाइन बना रहे हैं तो उसमें आपका कोई क्षेत्र है या नहीं, आपके कोई विचार हैं या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ? एक तो यह बताने का कष्ट करें अपने जवाब में। कारपोरेट सैक्टर जिस तेजी से हायर एजूकेशन में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आज आ रहा है उसको कोई रोक नहीं पायेगा। कई लोग और मैं भी इस विचार का हूं कि सरकार को हायर एजुकेशन कारपोरेट सेक्टर को सौंप देनी चाहिए और अपनी पूरी ताकत प्राइमरी एजुकेशन पर लगानी चाहिए। जितने भी सदन के वक्ता बोलते हैं वे एक ही बात बोलते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है, आठ मास्टरों की पोस्टें हैं लेकिन कुल मिलाकर तीन या चार आदमी पहुंचते हैं और वे भी हफ्ते में दो रोज पहुंचते हैं और सात रोज की हाजरी लगा देते हैं। आप प्राइमरी एजुकेशन को सम्भाल नहीं पा रहे हैं और आप यूनिवर्सिटीज के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालत यह है कि अगर आपको कोई कन्ट्रोल करना है या अपनी +++ बदस्तूर कायम रहे इसका ही शौक है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना होने दीजिये। आप उनकी लोकेशन तय कर दीजिये, कोर्सेज आप तय कर दीजिये, आप उन्हीं पर और किसी तरह का प्रतिबन्ध लगा दीजिये लेकिन जो टीचिंग शाप जिसको आप आज कह रहे हो कि जगह-जगह टीचिंग शाप खुल गये हैं, हकीकत यह है कि आज कोई भी अपने लड़के या लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाना उचित नहीं समझता। उन टीचिंग शाप को फिर भी लोग प्रिफर करते हैं। आखिर वह क्या कारण है कि उन टीचिंग शाप में लड़के को भेजा जाता है जबकि वहां खर्चा होता है, ज्यादा बस्ते का बोझ है लेकिन फिर भी उसको प्रिफर किया जाता है। तो प्राइमरी एजुकेशन पर अगर सरकार पूरा ध्यान देगी और हायर एजुकेशन की तरफ से ध्यान हटायेगी और कारपोरेट सैक्टर का वैलकम करेंगे तभी जाकर के इस ढांचे का सुधार होगा वरना तो आप समर्पित करते ही रहो बजट।

श्री परसराम मदेरणा : आप थोड़ा माइक को पास में रख कर बोलिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बगैर माइक के भी बोल सकता हूं। तो यह सबसे बढ़िया मौका है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : लेकिन, धारीवालजी, एक बात का ध्यान रखिये कि हायर एजुकेशन में फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड पोजीशन आती है तो वह आम तौर से सरकारी स्कूलों की आती हैं, मैंने यह देखा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं आती। आप इसके आंकड़े देख दीजिये। आप फरमायें तो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं कल लाकर आपको दिखा दूंगा कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की मेरिट में कितने लड़के आये और दूसरे प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस के कितने आये। मैं बता दूंगा आपको, आंकड़े हैं मेरे पास।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : धारीवालजी, दिल्ली में एक सर्वे हुआ है जो आज के इण्डिया टुडे में आया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा है साहब, अपने को कोई जस्टिफाई करना हो तो आप यह बता दीजिये कि मंत्री मण्डल के जितने भी सदस्य हैं उनके पुत्र कहां पर पढ़ते हैं ?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : आप कहां पढ़े हो ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। वही तो कमी रह गयी तभी तो यहां धक्के खा रहा हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके जमाने में प्राइवेट स्कूलें कहां थी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : धारीवालजी, आप यहां पर बैठे धक्के खा नहीं रहे हो वहां तो आप कोने में बैठे होते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : लेकिन कलम में तो ताकत होती है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हो, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे तो सब सुधार हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजें। माननीय सदस्य मुझे कार्य सूची पूरी करनी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो खतम ही कर रहा हूं बात को, कोई ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपके उत्तम सुझाव हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे निवेदन है कि आप कारपोरेट सैक्टर को आने दीजिये, उन पर पाबन्दी लगाइये। एक ही कैम्पस में मल्टी फैकल्टीज हों और उनका ज्यादा से ज्यादा आप ट्रान्सफर कीजिये हायर एजूकेशन में। टीचिंग शाप के बारे में मैं आपसे निवेदन कर ही चुका हूं। देखिये, टैक्स एग्जम्पशन भी किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कारपोरेट सैक्टर के लोग हैं वे फण्डिंग करना चाहते हैं इस हायर एजूकेशन में, चाहे इस बजट में एग्जम्पशन दिया हो, यह मौका है इसका फायदा उठाना चाहिए। कई स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर हायर एजूकेशन टोटल उनके पास और आज से क्या वर्षों से है। अब टीचर्स का एक्सप्लायटेशन होता है तो आप किसलिए बैठे हो, मत होने दो। अगर प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में टीचर्स का एक्सप्लायटेशन होता है तो आप रोकिये उसे। सरकार यह कह कर कारपोरेट सैक्टर को नहीं आने दे कि साहब, यह हमारी सुनेंगे नहीं, यह नहीं करेंगे, वह नहीं, करेंगे यह बात चलने वाली नहीं है। आगे जो जमाना आने वाला है, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं....

श्री अध्यक्ष : श्री उगम राज मेहता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेंट मामला है। मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न यह था, राज्य के विभिन्न विद्यालयों एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं में मादक पदार्थों के सेवन की लत के विषय में राज्य सरकार ने कोई सर्वे कराया है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप भी खूब खाते हो, जब बच्चे देखेंगे तो वह भी वही करेंगे, इसमें शिक्षा क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप आज

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

से 10 साल पहले की बात कर रही हो। 10 साल पहले मैं छोड़ चुका सिगरेट वगैरह....

श्री अध्यक्ष : आजकल आप बिलकुल शुद्ध संत हो गये। आप आगे फरमाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जर्दा तो खाते होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जर्दा मैंने आपके दर्शन करने के बाद छोड़ दिया। सरकार से यह जवाब मिला कि नहीं। मुझे इस बात पर अफसोस है कि, आज जितने मादक पदार्थों का सेवन कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र-छात्राओं के बीच हो रहा है, आप उसकी मात्रा देखेंगे तो कई जगह की सर्वे रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने तो सर्वे नहीं कराया है, कई यूनिवर्सिटीज ने सर्वे कराया है और मादक पदार्थों की मात्रा जो बतायी है उसमें पूरा शहर एक तरफ और पूरा कालेज एक तरफ। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को टालें नहीं, यह बहुत इम्पार्टेंट बात है। वरना आज के छात्र-छात्रा पता नहीं कहां जायेंगे। आप तो प्रोफेशनली प्रोफेसर रहे हैं, हमारे भी प्रोफेसर रहे हैं, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष : गुरूजी को आप चैलेंज कर रहे हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, निवेदन कर कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : लापरवाही की बात कही न। उगमराज जी मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में 24 पंचायतें और एक नगरपालिका क्षेत्र है। सन् 1977 और 1978 में दो साल के अन्दर जिस समय मैं विधायक था 6 माध्यमिक शालाएं मुझे मिलीं।

श्रीमती तारा भंडारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि हमारे जो माननीय सदस्यगण बोल रहे हैं, अपने-अपने क्षेत्र की मांग रखते हैं, जो सदस्य नहीं बोले, जिन्होंने अपनी मांग नहीं रखी, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : उनका कट मोशन होगा (व्यवधान)....

श्री उगमराज मेहता : उस समय 6 माध्यमिक शालाएं, दो शहर में और 4 ग्रामीण क्षेत्र में, और एक पाली जिले के खीमेल ले गया था। इस समय मेरे क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस साल 60 माध्यमिक शालाएं खोल रहे हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो आपसे मांग करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 4 स्कूलें दें, 3 सीनियर हायर सैकण्डरी और एक माध्यमिक स्कूल, दें इससे ज्यादा स्कूल मुझे नहीं चाहिये। मैं माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी से निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर शहर में हमने जन सहयोग से कन्या महाविद्यालय की एक शानदार बिल्डिंग खड़ी कर दी है, उसकी एन. ओ. सी. की जरूरत है, इसी वर्ष हम उसको

(श्री उगमराज मेहता)

चालू करना चाहते हैं, और आपके द्वारा ही उद्घाटन करवाना चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप एन. ओ. सी. शीघ्रातिशीघ्र दिलायें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, मैं समझ गया।

श्री उगमराज मेहता : मैं तो, साहब, बोला ही नहीं। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र पीसांगन में वहां की जनता भवन बनाने के लिए तैयार है और वहां कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। आपने कहा भी था कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कन्या महाविद्यालय खोलेंगे, आप बिल्डिंग बनाकर दे दीजिये, कन्या महाविद्यालय खुल जायेगा। वहां की जनता बिल्डिंग बनाकर देने के लिए तैयार है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप छात्राओं की तरफ ज्यादा ध्यान दें। ब्यावर शहर में गुरूनानक रिफ्यूजी उच्च प्राथमिक शाला, में पांच सौ छात्राएं पढ़ती हैं, जो केवल सिख समाज की नहीं हैं, सभी समाज की है। सरकार से वहां बार–बार स्टाफ बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया कि वहां स्टाफ कम है। आप बार–बार यह कहते हैं कि हमारे पास फण्ड नहीं है, फण्ड नहीं हैं। यह अब चलेगा नहीं। वहां पांच सौ छात्राएं हैं, दूसरी छात्राएं भी एडमिशन के लिए खड़ी हैं, इस साल झगड़ा और बढ़ेगा। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसी साल वहां स्टाफ बढ़ाने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। श्री बनवारीलाल जी शर्मा।

श्री उगमराज मेहता : एक मिनट। माननीय मुख्य मंत्री जैतारण पधारे थे, उन्होंने सेंट परसेन्ट रिजल्ट वाले राणावास और ब्यावर के शांतिनाथ जैन माध्यमिक विद्यालय की एड बढ़ाने की घोषणा की थी। राणावास के विद्यालय की तो एड बढ़ी थी पर ब्यावर के शांतिनाथ जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की एड बढ़ाने की मांग करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री बनवारी लालजी शर्मा।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द बातें कहना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी से। आज जो बच्चे बी. एड. और एस.टी.सी. पास करते हैं वे 30–30 40–40 हजार रुपये खर्च करके भी बेकार पड़े रहते हैं, उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे ओवर एज हो जाते हैं, उनकी कहीं सुनवायी नहीं होती। मेहरबानी करके जिस तरह से यू.पी. में ओवर एज होने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए हर साल की मेरिट जो पहले बी.एड. करते हैं उनको आप पहले नौकरी में लीजिये और वे कभी ओवर एज नहीं हों इस तरह की व्यवस्था आप कीजिये। आप भी महसूस करते होंगे, आपके क्षेत्र में भी काफी लोग बेरोजगार हैं जो बी.एड. होकर के ओवर एज हो जाते हैं, उनके बारे में सोचिये।

दूसरा, मुझसे पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि स्कूलों में मास्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं, अनुपात में, रेश्यो में नहीं लगते हैं। जो स्थान शहर के नजदीक हैं वहां तो एक एक स्कूल में 10–10 अध्यापक हैं और जो

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

दूर दराज के स्कूल हैं वहां 3-3 अध्यापक ही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ऐसी स्कूलों को चैक करें, सरप्राइज विजिट करायें। या तो अध्यापक स्कूल में जाते नहीं हैं या समय पर नहीं पहुंचते हैं। अगर आपके इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल या जो भी अधिकारी हैं वे इत्तला करके जायेंगे तो निश्चित तौर पर वे वहां पर पहले से पहुंच जायेंगे। इसलिए इस प्रकार से व्यवस्था करायें कि सरप्राइज विजिट हो जिससे कुछ चैक हो सकें।

आप तीसरी भाषा पर काफी जोर दे रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जहां भी चाहेंगे तीसरी भाषा को हम खोल देंगे और दूसरी तरफ मेरे धौलपुर जिले में कोतवाली स्कूल का नाम है वहां पर लोगों ने, बच्चों ने मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी ने वहां के अध्यापक को लिख दिया कि जब तक पोस्टिंग होती है तब तक आप वैकल्पिक व्यवस्था कर दीजिये लेकिन फिर भी उसको कितना समय हो गया, आप वहां पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मेहरबानी करके आपकी नीति के हिसाब से जहां बच्चे उपलब्ध हैं वहां पर तो आप कम से कम अध्यापक लगाइये। हालांकि इस समय पंचायत मंत्री यहां नहीं है मेरा निवेदन है कि आपने तय किया है कि 250 की जनसंख्या वाले रेवेन्यू विलेज पर आप एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। मेरे धौलपुर जिले में मेरे क्षेत्र में कई ऐसे मजरे और ढाणियां हैं जिनकी आबादी 250 से ज्यादा है लेकिन वे रेवेन्यू विलेज नहीं हैं। अब चूंकि उनकी अलग से कोई जनसंख्या नहीं है इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब आप स्कूल खोलें तो आप पहले से सर्वे करा लें कि ऐसी ढाणियां और मजरे कहां हैं जहां की आबादी 250 से ज्यादा है। मेरे धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में कई गांव और मजरे ऐसे हैं जहां 500-600 की आबादी है लेकिन वे रेवेन्यू विलेज नहीं हैं। अब आपकी नीति की अनुसार तो वहां प्राइमरी स्कूल खुल नहीं सकते इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेहरबानी करके इस प्रकार का सर्वे कराकर वहां स्कूल खोलें। मंत्री महोदय, आपने इस साल 60 सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान किया है। पिछले साल आपने 148 का प्रावधान रखा था। मैं इतना दुर्भाग्यशाली रहा कि मुझे पिछले साल एक भी स्कूल नहीं मिली। कारण राजाखेड़ा में चुनाव हुआ था, वहां हरेक मंत्री ने जाकर आश्वासन दिया था। मेरे कोटा के मिडल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल वे तो पूरे राजाखेड़ा में खोल दिये और अबकी बार बसेड़ी और बयाना में चुनाव हो रहे हैं, वहां आप लोग पहुंचेंगे तो वहां पर इस साल कोटा पूरा कर देंगे तो मेरा क्या होगा? तो मेहरबानी करके कम से कम यह तो आप ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि धौलपुर में हरिजन मिडल स्कूल की जो बिल्डिंग है उस पर एक पार्टी के, आपकी पार्टी के एक असरदार पार्षद ने नाजायज कब्जा कर लिया। वहां के अध्यापकों ने टोकन स्ट्राइक भी की, प्रशासन से मांग भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह जगह पी.डब्ल्यू.डी. के एक्स.ईएन. ने जो नक्शा दिया है उसके हिसाब से स्कूल के लिए

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आती है। किसी सज्जन ने किसी आदमी से फर्जी रजिस्ट्री करा ली। वह म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं. उन्होंने उसकी मंजूरी ले ली और मजूरी लेकर कुछ दिन बैठ गये और दुबारा निर्माण कराकर उस पर अतिक्रमण शुरू कर दिया। अध्यापकों ने और सब ने मिलकर प्रशासन से, एस.डी.एम. से, ए.डी.एम. से और कलक्टर से मांग कर ली लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई।

मेरा यह निवेदन है कि वास्तव में वह अगर स्कूल की जगह है तो आपको, शिक्षा विभाग को और आपके अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए। अगर इस प्रकार से अतिक्रमण होता रहा तो मैं आपको बताता हूं कि विश्वास हट जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बनवारीलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर कालेज में साइन्स का विषय नहीं है और अगर आप ध्यान दे सकें तो दें, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी जब पिछली बार पधारे थे तो वहां पर कालेज की समस्याओं के बारे में आपसे निवेदन किया था। वहां की मांग है कि मेहरबानी करके जो पीने के पानी की समस्या है, कालेज शहर से काफी दूर है, पाइप लाइन जाती नहीं है तो वहां पर कोई भी ट्यूबवैल आप शिक्षा विभाग से लगवायें और पानी की व्यवस्था करायें। वहां भवनों की कमी है, उसको दूर करिये..

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री बनवारीलाल शर्मा : एक सैकण्ड...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आर्डर्स कर दिये हैं पानी के लिए।

श्री बनवारीलाल शर्मा : धन्यवाद अगर आपने कर दिया है तो।

दूसरा मेरा एक निवेदन है मंत्री महोदय से कि धौलपुर में महिला कालेज के लिए आपसे मांग है। आपने सिर्फ 5 खोले हैं। मेरा तो आपसे निवेदन है कि महिला महाविद्यालय आप जितने भी जिला हैडक्वार्टर हैं, वहां सब जगह खोलें। चाहे वह 5 हों, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों लेकिन कम से कम जिला हैडक्वार्टर पर तो आपको महिला विद्यालय खोलना चाहिए और धौलपुर को उसमें शामिल करना चाहिए यही मेरा आपसे निवेदन है। मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी। शीघ्रता से दो-तीन बातें जो आपको इस सम्बन्ध में कहनी हैं, वह कह दीजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक छोटी सी बात कहूंगा। मैंने एक कटमोशन दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार से चाहूंगा कि जैसे दिल्ली सरकार ने स्कूलों में वन्दे मातरम् अनिवार्य किया है उसी प्रकार से वन्दे मातरम् गान को यहां भी अनिवार्य किया जाय जिससे कि लोग देशभक्ति की शिक्षा प्राप्त करें और उनमें अच्छे संस्कार आयें। संस्कारों से ही मनुष्य का निर्माण होता है और जो आज चरित्र देखने को मिल रहा है देश का, वह बहुत दुखदायी है और यदि संस्कार हमने अच्छे पैदा नहीं किये तो देश न जाने कहां जायेगा। यह चिन्तनीय विषय है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि शांति धारीवालजी ने कहा ड्रग्स के बारे में। विश्वविद्यालयों में ही नहीं बल्कि स्कूली शिक्षा में भी ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

तीसरा मेरा एक निवेदन है कि जो नीम-हकीम इलाज के लिए घूमते-फिरते हैं जगह-जगह और मेरे माइन्स क्षेत्र में भी घूमते फिरते हैं, आई टी.आई. में यह प्रशिक्षण देकर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से लोगों को तैयार करें, यह मेरा सुझाव है। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आई.टी.आई. से ट्रेण्ड होंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा वहां यह मतलब है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो चार स्कूलों में नर्सिंग कोर्स की मान्यता दी है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : मुख्य बात तो रह ही गयी। मेरे क्षेत्र में खटवाड़ा गांव है, श्री मनोहरसिंहजी मेहता ने आजादी के पहले वहां स्कूल खोला था और मिडल तक उन्होंने स्वयं ने भी पढ़ाया था। उनकी स्मृति में, मैं चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी उसको सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करें। इसके अलावा काछोला बहुत बड़ा गांव है....

श्री अध्यक्ष : वह आप लिखकर दे देना। बिराजिये आप।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर आज शिक्षक और समाज, शिक्षक और छात्र, शिक्षक और सरकार, शिक्षक और तबादिले आज कुल मिलाकर...., माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से बी.बी.सी. के इन्टरव्यूअर ने पूछा कि सिंगापुर में यह एफलुएन्सी है उसका क्या एकमात्र कारण है। तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य बोला– It is only the education. जोन मेजर ने कहा– Education is the key to mobilise dynamic society. अमेरिका में सर्वे हुआ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब्जेक्ट की चोरी हो गयी। सब्जेक्ट तो बी.पी. सिंहजी का था।

श्री विष्णु मोदी : ....मैं तो यह साइट इसलिए कर रहा हूं कि हम जल्दी ही 21वीं शताब्दी में जाने वाले हैं और स्वयं आत्मविवेचन कर लें कि रोज इस हाउस में कहते हैं कि अध्यापक नहीं हैं, पद इतने साल से रिक्त पड़े हैं, समय पर जाते नहीं हैं, पढ़ाते हैं नहीं और कुल मिलाकर अकाउन्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। आपने पिछला बजट शिक्षा को समर्पित किया था, अच्छा किया लेकिन क्या हम उसमें क्वालीटेटिव चेन्ज ला पाये ? क्वान्टिटी की जरूरत है लेकिन साथ में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का वातावरण देश में बन रहा है और जहां कम्पीटीशन बढ़ रहा है वहां मैं समझता हूं कि अगर हम क्वालीटेटिव चेन्ज नहीं लाये, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आलोचना करने के मात्र से बिलकुल आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तो सरकार

(श्री विष्णु मोदी)

से सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि आप खुद आत्मविवेचन कर लें और अगर आप इस बात से सैटिसफाइड हैं कि आपकी शिक्षा प्रणाली ठीक है या शिक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है उससे आप सैटिसफाइड हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना...

एक माननीय सदस्य : यह तो हम वर्षों से कह रहे हैं ।

श्री विष्णु मोदी : अगर आप आत्मविवेचन करके कहें, यहां आप कहने के लिए कह रहे हैं तो आप जानें और अगर आप सैटिसफाइड हैं तो मुझे इस पर भी कुछ नहीं कहना ।

श्री अध्यक्ष : सरकार को ही नहीं, सारी जनता को ही आत्मविवेचन करना पड़ेगा शिक्षा के मामले में ।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जरा रशग्र नहीं करें । मैं बहुत शांति से बहुत देर से बैठा हुआ हूं । मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपनी बात माननीय सदस्यों को अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : आत्म विवेचन नहीं सैल्फ इन्ट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण...

(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अंग्रेजी में दूंगा Ignorance is bliss where to be wise is folly.

श्री परसराम मदेरणा : हाउस आफ कामन्स में लिखा हुआ है: It is better to look fool rather than open the mouth and prove it.

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : Silence is beautiful.

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार सम्राट अशोक अपने एक मंत्री के साथ जा रहे थे । कुछ बौद्ध शिक्षक मिल गये । सम्राट अशोक ने उनके चरण स्पर्श किये तो मंत्री को बुरा लगा । उन्होंने कहा कि आप तो सम्राट हैं और आप इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं । तो सम्राट अशोक ने कहा कि मैं इनके ज्ञान, विनम्रता, विद्वता और त्याग के सामने नतमस्तक हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे यहां मंत्रीजी के दरवाजे के सामने किसी भी विधायक की डिजायर लिए हुए हजारों शिक्षक आपको खड़े हुए मिलेंगे । क्या स्थिति में हम थे और कहां हम पहुंच गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय अच्छा प्रयास किया था मंत्रीजी ने तबादला नीति के बारे में । काफी स्टेटमेन्ट्स भी पढ़े थे लेकिन अब चुप हो गये । मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को तो बोलते ही रहना चाहिए क्योंकि हम जैसे बुद्धिहीन, ज्ञानहीन व्यक्तियों को कुछ उनसे ज्ञान ही प्राप्त होगा लेकिन वह उसमें खामोश हो गये ।

श्री परसराम मदेरणा : Don t lose your faith in yourself.

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, All those people who have risen to great heights, were the persons who had failed in themselves. They wanted to be great and they became great.

(श्री परसराम मदेरणा)

आप इधर बैठ करके फेश लूज करते हैं, तो, आपको नहीं करनी चाहिए।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने....

एक माननीय सदस्य : क्या-क्या विवेचन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा पर ही हो रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, सम्राट अशोक से तो यह चालू हुए थे और रवीन्द्रनाथ टैगोर पर आये हैं और आते आते एक घंटा लगेगा पूरा। हमारी तैयारी नहीं है बैठने की....

श्री जगदीप धनखड : विष्णु जी से सम्बन्धित लोगों को कहेंगे कि हमारे पेशंस को ट्राई नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगर यही चला, अध्यक्ष महोदय, तो मुझे चाणक्य तक जाना पड़ेगा। यह समझा लें आप इनको। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें! श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उद्धृत कर रहे थे, वह कह रहे थे, जोगी तुम्हीं डागसो ने, कोई न बोले, तुम्हीं एकला चालो, एकला चालो, एकला चालो रे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था– India is destined to be the teacher of all Lands. रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हिन्दुस्तान सारी दुनिया को शिक्षा दे, उसकी कल्पना की थी और आज, माननीय मदेरणा साहब ने ठीक कहा कि आज आत्म निरीक्षण की जरूरत है, क्वालीटेटिव एजुकेशन देने की आवश्यकता है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्रीमती उजला जी।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, जब सनाढ्य साहब एक घंटा बोल सकते हैं, दूसरे लोग बोल सकते हैं तो मैं पांच मिनट भी नहीं बोल सकता ?

श्री अध्यक्ष : बोल सकते हैं न आप।

श्री विष्णु मोदी : फिर आप रशग्र् क्यों कर रहे हैं ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महती आवश्यकता है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिए।

श्री विष्णु मोदी : अगर क्राइम रेट बढ़ रही है तो मैं समझता हूं कि शिक्षा में कहीं हमारे यहां कमी है। शिक्षा को समर्पित किया, अच्छा किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक ही निवेदन करना चाहता हूं टेक्नीकल एजुकेशन के बारे में। जमाना जिस तरह का आ रहा है उसके अनुसार टेक्नीकल एजुकेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा टेक्नीकल एजुकेशन है. पहले हमारे यहां के कुछ लोग चले जाते थे लेकिन उन्होंने अब बाहर के स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली बन्द कर दिया है।

(श्री विष्णु मोदी)

जब दूसरे स्टेट, अन्य स्टेट के लड़के-लड़कियों को एडमिशन नहीं देते हैं तो हमारी जो टेक्नीकल एजुकेशन इन्स्टीट्यूशस हैं उसमें यह आवश्यक है कि पहले हम प्रायोरिटी राजस्थान के डोमीसाइल को दें और टेक्नीकल एजुकेशन को वेरियस फील्ड में, एक खाली आई.टी.आई. या आई.आई.टी. से काम नहीं चलेगा, कई सारी, फैशन टेक्नोलॉजी है, कम्प्यूटर है और दूसरे विभिन्न ट्रेवल एजेन्सी है, होटल मैनेजमेंट है, इन सबके इतने सारे फील्ड हो गए हैं कि मैं समझता हूं कि टेक्नीकल एजुकेशन को हमें निश्चित रूप से बढ़ावा देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है, बाहर प्रान्तों में काफी कैपिटेशन फीस देनी पड़ रही है।

श्रीमती उजला जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार संक्षेप में सुझाव दे देती हूं। करीब-करीब सब बात आ चुकी है, मैं तो केवल एक-दो बात कह कर अपनी बात समाप्त कर देना चाहती हूं।

मैं भाषा के सम्बन्ध में बात करना चाहूंगी। राजस्थानी भाषा के सम्बन्ध में एक कमेटी बनी थी, उसकी रिकमन्डेशन्स भी आ चुकी है कि आठवीं सूची में उसको लिया जाए। इसलिए हम यहां से प्रेषित करें, यह माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगी। उनका यह कहना है कि जब आप अपने प्रान्त में ही नहीं करते हैं तो फिर हमसे आप क्या उम्मीद रखते हैं। आपने देखा, बंगला भाषा, पंजाबी भाषा और अन्य भाषाओं को सूची में जोड़ा हुआ है केवल राजस्थानी भाषा का नाम नहीं है। जिस भाषा को 6 करोड़ लोग बोलते हैं, उसका नाम नहीं है। मैं नहीं कहती हूं कि उसको न्यायालय की भाषा बनाया जाए या उसको किसी दफ्तर की भाषा बनाया जाए लेकिन उसका समृद्ध साहित्य है और दिशा प्रेरक है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी उसको इसमें जोड़ा जाना चाहिए।

हमारी हिन्दी भाषा राष्ट्र भाषा है, उसको सर्वत्र प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मान्यवर मंत्री महोदय, आपके सचिवालय में भी हर एक दफतर में आप देखेंगे कि भाषा विभाग का एक बोर्ड लिखा हुआ रखा हुआ है नीले रंग का कि हिन्दी का प्रयोग करिये लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि आपके अधिकारी अंग्रेजी में नोट लगा कर लाते हैं। आप उनको विरक्त कीजिए इस बात से, राष्ट्र भाषा हिन्दी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए आप कार्य करें।

एक सुझाव मेरा यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिला बहुत बड़ा है और यहां पर पूरा प्रेशर शहर में है। इसलिए जमुवारामगढ़ में भी एक कालेज खोलने के लिए आप विनिश्चय करें, बहुत अच्छा रहेगा।

एक बात और। शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्र परशुराम द्वारा मेरे इलाके में था, पिछले समय में उसका कहीं स्थानान्तरण कर दिया गया। वह अब पुनः वहीं लाया जाए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी। दो मिनट में बात खतम करें।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : बिलकुल मैं दो–चार सुझाव दूंगा। माननीय सदस्यों ने, इधर के और उधर के, सभी ने बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव दिए हैं, शिक्षा मंत्री महोदय उनका विवेचन भी करेंगे। शिक्षा मंत्री बहुत मधुरभाषी हैं, इनका व्यवहार भी बड़ा कुशल है लेकिन वास्तव में, जैसा इधर से हमारे नेता महोदय कह रहे थे कि मन में विश्लेषण करें कि क्या हमारे राजस्थान में शिक्षा का स्तर ठीक चल रहा है? उनको इस बात पर सन्तोष है? मेरे ख्याल से जैसे खुद शिक्षा मंत्रीजी की नजर से पता चल रहा है कि हमारी शिक्षा का स्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराने जमाने का आज भी अगर कोई टीचर मिलता है तो उसको हम लोग इतने आदर से देखते हैं, उसके पांव छूते हैं और अपने मां–बाप से भी ज्यादा उसको इज्जत देते हैं, आज के विद्यार्थी न तो उस तरह की इज्जत देते हैं और न गुरुजनों में वह क्वालिटी है। अब गुरुजनों में जब तक वह क्वालिटी नहीं आयेगी, इस प्रान्त का और इस देश का भला नहीं हो सकता। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा आप इस तरह की उनकी कोई स्कूलिंग कीजिए। आपने शिक्षा के मामले में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, मैं इसमें तारीफ करने में भी संकोच नहीं करूंगा लेकिन इसको जब तक आप नहीं सुधारेंगे, नींव की अगर ईंट ठीक नहीं होगी तो वह इमारत आगे जाकर बड़ी नहीं बनेगी। इस पर कितना ही धन लगे, यहां विराजमान दो सौ विधायकों का लक्ष्य है कि अगर आपकी शिक्षा में उन्नति होगी तो यह प्रान्त हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर होगा। सबसे बड़ी चीज अगर कोई है, सबसे बड़ा कोई दान है तो वह शिक्षा है। जैसे आप लोगों ने कहा, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत ही लोगों को शिक्षा देगा लेकिन वह बात बनी नहीं।

मैं तो केवल दो-तीन छोटे–छोटे सुझाव दूंगा। सबसे पहले, और लोगों ने भी कहा है, मेरे इलाके में भी बड़ी परेशानी है कि स्कूलों में टीचर नहीं है। इसमें सब लोगों की चिन्ता है और इसमें मैं भी सम्मिलित होकर अपने इलाके की आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके टीचर्स का इन्तजाम करना बहुत ही अनिवार्य है, नहीं तो चाहे हम कितने ही स्कूल खोल लें उसका कोई अर्थ नहीं होगा।

इसके साथ–साथ प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं जो चलती हैं, उनके अन्दर टीचर्स को पूरी पेमेंट नहीं दी जाती। टीचर्स का शोषण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको अनिवार्य करें कि वह पूरी पेमेंट करें और आप जो अनुदान देते हैं वह उसके रिजल्ट के साथ जोड़ें। जिस संस्था का रिजल्ट अच्छा हो, आप क्यों नहीं उनको 100 पर्सेंट तक दो, आप कहीं 50, कहीं 60, कहीं 70 देते हैं। मैं कहता हूं खुले दिल से पूरी 100 पर्सेंट, क्योंकि बिल्डिंग वे बनाते हैं और कार्य करते हैं, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, आप खुले दिल से उनको पूरा अनुदान दीजिये ताकि वे भी आगे टीचर्स को पूरा पेमेंट करें जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तकनीकी शिक्षा राजस्थान में वास्तव में बहुत तरक्की पर है, यह मेरे भाई कुम्हेर से आने वाले श्री हरिसिंहजी ने भी कहा था लेकिन इसमें भी बहुत कमी है। जैसे मेरे से पूर्व कई वक्ताओं

(श्री राधेश्याम)

ने सुझाव दिये हैं इसमें कम्प्यूटर प्रणाली, यह आई.टी.आई. तो आपको हर तहसील में खोलनी चाहिए इससे हमारे बच्चे जो पढ़कर आगे शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये जो लोग नौकरी के लिए मारे-मारे फिरते हैं, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी।

मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि गंगानगर नगर परिषद् से 1970-75 में करीबन कोई दो दर्जन स्कूल शिक्षा विभाग को, बहुत बड़ी, लाखों, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति उनमें लगी हुई, आपको सरकार को मिले थे। वे आज बिल्कुल इस तरह के हो गये हैं कि दीवारें नहीं हैं, बिल्डिंग नहीं है....

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मीना अग्रवाल।

श्री राधेश्याम : केवल एक सैकण्ड। उनमें बिल्डिंग नहीं है, उनकी इतनी बुरी हालत है कि वहां सूअर फिर रहे हैं। ऐसी बुरी हालत है उनकी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम : एक सैकण्ड का टाइम दीजिये। पंजाबी भाषा, हमारे राजस्थान की कम से कम 1/4 आबादी पंजाबी है जिसमें सिख भी हैं, दूसरे मोने भी हैं और उस पंजाबी भाषा के न तो आप कहीं टीचर लगाते हैं....

श्री अध्यक्ष : यह बात जुबेर खान जी बोल चुके हैं।

श्री राधेश्याम : लाखों की तादाद में मांग कर रहे हैं। पंजाबी टीचर्स आप लगाइये और पंजाबी को शिक्षा में तीसरी भाषा का रूप दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राधेश्याम : मेरे जरूरी 2-3 मामले रह गये।

श्री अध्यक्ष : हां, वे हो गये। बिराजिये आप और लिखकर दे दीजिये। मुझे दे देना, मैं मंत्रीजी को पहुंचा दूंगा। बिराजिये आप।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय अध्यक्षजी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने से समाज और देश का सुधार होता है। आज के समय में शहर में मां और पिताजी भी जाग्रत हैं, 3-4 साल के बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं। मैं संक्षिप्त रूप में बोलना चाह रही हूं, आज के समय में स्कूल में डाक्टर बच्चों को देखने नहीं जाते हैं, बेचारे गरीब आदमी बच्चों को घर की दवाई देकर स्कूल भेज देते हैं। कई बार इससे नुकसान होता है। इसलिए डाक्टर को स्कूल में भेजने की व्यवस्था जरूर करवाइये।

सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग वगैरह टूटी रहती हैं, बिजली और नल की फिटिंग नहीं रहती है, रंग रोगन वगैरह भी नहीं होता है। इसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. करती है मगर पी.डब्ल्यू.डी. को प्रधानाध्यापक कई बार कहते हैं, लिखते हैं मगर वह कोई सन्तोषजनक काम नहीं कर पाते हैं और बजट भी पी.डब्ल्यू.डी. में आता है, वह कहां जाता है, इसकी भी जांच कराइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं

(श्रीमती मीना अग्रवाल)

कि अलवर में पशु चिकित्सा कालेज पर्यावरण रिसर्च भी खोलने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कालेज खुलवायेंगी आप ?

श्रीमती मीना अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, महिला अध्यापक कुंआरी होती हैं, उन्हें पंचायत समिति में नौकरी मिल जाती है परन्तु जब टीचर की शादी दूसरे जिले में हो जाती है तो उनको असुविधा का सामना करना पड़ता है। स्थानान्तरण की नीति के कारण पांच पर्सेन्ट तक एक जिले से ...

श्री अध्यक्ष : कोई ऐसा नाम रहेगा जिसने नहीं बोला।

श्रीमती मीना अग्रवाल : दूसरे जिले में स्थानान्तरण होते हैं, कई बार नहीं होता है और बच्चों व पति से दूर रहती हैं। इसलिए स्थानान्तरण की नीति तत्काल परिवर्तन करने की कृपा करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि महिला टीचर को शहर, गांव में नौकरी दी जाती है, वहां उनका स्वयं का मकान नहीं हो तो राज्य सरकार की ओर से मकान की व्यवस्था करायें क्योंकि गांव में सुविधा नहीं मिलने से टीचर गांव नहीं जाती हैं जिससे राज्य सरकार का नुकसान होता है, साथ में टीचर का भी नुकसान होता है। टीचर पढ़ लिखा कर डाक्टर, इंजीनियर, जिलाधीश नेता आदि बनाती है। इसलिए, अध्यक्ष जी, मैं मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक समानता देने के लिए नौकरियों में आरक्षण देने की कृपा करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की डिमान्ड पर मेरे भी 2–3 सुझाव हैं प्रिकाशस भी हैं। मैं शुरूआत करना चाहता हूं आपके माध्यम से, पूनमचन्द जी विश्नोई साहब ने जो बात कही, उसके समर्थन में आपको मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एजुकेशन प्रेक्टिकल होनी चाहिये और सही बात है। आज शिक्षा कहां हमें ले जा रही है ? इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। क्या हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे एक बात बतायें आप प्रेक्टिकल सुझाव दीजिए कि हम क्या करें शिक्षा के बारे में खराब है, खराब है, इसके लिए सरकार क्या करे, यह बतायें आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं। भूमिका भी नहीं, सीधा सुझाव दे रहा हूं। मैंने थोड़ी सी पूनमचन्द जी की बात कह दी है। मेरा निवेदन यह है कि आज 10+2 हमारे यहां की स्कूलिंग है। इसके बाद 3–4 साल में आप ग्रेजुएट बन जाते हैं। 4 साल में भी बनते हैं, बॉम्बे में 4 साल लगते हैं कोई यहां से बम्बई जाए तो। आपको पता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि एक ग्रेजुएट बन भी जाए, वह अपने पांवों पर खड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि जाब ओरियेन्टेड अपनी एजुकेशन नहीं है। तो उसका फायदा क्या ? मेरा निवेदन यह है कि आज आप जो भी बना

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

रहे हैं, ग्रेजुएट बना रहे हैं, न तो वे अर्जी लिखना जानते हैं, न एप्लाई करना जानते हैं, ऐसी एजुकेशन से क्या फायदा ? इस पर किसी ने विचार किया ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी विष्णु मोदी जी ने कहा कि हमें क्वालीटेटिव चाहिए, क्वांटिटेटिव होनी चाहिये या क्वालीटेटिव होनी चाहिए, इस पर उन्होंने कुछ विचार रखे। मेरा यह निवेदन है कि आज हम जो बना रहे हैं, एजुकेटेड इल्लिट्रेट्स बना रहे हैं और एजुकेटेड इल्लिट्रेट्स बना कर हम देश को कहां ले जा रहे हैं। आप जानते हैं, अमेरिका और इंगलैण्ड की बात नहीं करना चाहता हूं पर यह मैं जरूर कहूंगा कि वहां पर जो ड्राप आउट हैं ए लेवल और ओ लेवल, जो अपना ट्वैल्थ स्टैण्डर्ड है उसको ए लेवल कहते हैं और ओ लेवल कहते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : कहां हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : नाम नहीं लूंगा। मेरा यह कहना है कि वहां पर ड्राप आउट इतना है कि 90 पर्सेण्ट स्कूलिंग के बाद में ड्राप आउट्स हैं। कालेज के अन्दर खाली 5 या 10 पर्सेण्ट जाते हैं। आज कालेजेज के अन्दर वहां पर किसी को एडमिशन चाहिये तो आराम से मिलता है और यहां जैसी मारा-मारी नहीं है। मेरा यह कहना है कि इस पर आप विचार करें, आगे मैं और कहूंगा परन्तु यह सुझाव मैं देना चाहता हूं। आज कालेजेज के अन्दर हो क्या रहा है ? रैगिंग हो रही है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, उसके लिए भी सुझाव मैं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए क्या किया जाए, एजूकेशन को कैसे सुधारा जाए, यह बताइये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आ रहा हूं। आज दिल्ली के अन्दर एशिया में सबसे बढ़िया जो इंस्टीट्यूशन इगनाउ, (IGNOU) खुला है इन्दिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके अन्दर जरूरी नहीं है कि आपके इतने पर्सेण्टेज होने चाहिए क्लासेज की। इसके बाहर से भी कोरस्पोंडेन्स कोर्सेज होते हैं। वे लोग वहां से केरल के अन्दर भी जाकर अपनी क्लासेज लगाते हैं, आपके खाड़ी देश में भी वे लगा रहे हैं और जरूरी नहीं है कि आप रोज क्लास में जायं। उसके अन्दर स्टूडेन्ट्स हैं करीब 11 लाख और वैसे के वैसे मैं तो तारीफ करना चाहता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चतुर्वेदी जी साहब की कि उन्होंने कोटा के अन्दर भी ऐसी ओपन यूनिवर्सिटी शुरू की है इगनाउ की लाइन पर। आप चलें और देखें कि इगनाउ ने क्या किया है। जेल्स के अन्दर भी उन्होंने यह प्रोग्राम रखे हैं।

(21.00)

वहां जाकर प्रोग्राम रखे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। कितना बढ़िया प्रोग्राम है। इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे मैम्बर्स ने यह भी चर्चा की कि जब तक हम टोटल एजुकेशन प्रोग्राम नहीं ले लेंगे, सम्पूर्ण साक्षरता का प्रोग्राम नहीं ले लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं चाइना का नाम नहीं लेना चाहता हूं पर सही बात है 10 साल पहले जब हमने शुरू किया था तब हम करीब 28 पर्सेण्ट पर थे और उन्होंने जब एजुकेशन पर ज्यादा स्ट्रेस

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

किया, जोर लगाया तब वह 30.7 पर्सेंट या 32 पर्सेंट पर थे। अब हम 38 पर्सेंट तक पहुंचे हैं और वह 75 पर्सेंट तक पहुंच गये हैं। इसका कारण यह रहा कि उन्होंने इ.एफ.ए., "एजुकेशन फार आल" शुरू कर दिया, और इसके लिए जैसे श्री विष्णु मोदीजी ने भी कहा और श्री घारीवाल साहब ने भी कहा कि प्राइवेट सैक्टर्स को आपको लेना पड़ेगा। मिसेज क्लिंटन, अमेरिका के प्रेसीडेंट की वाइफ अभी आयीं, वन बिलियन डालर का प्रामिस करके गयीं कि हम देना चाहते हैं और वह एन.जी.ओज. को देना चाहते हैं। इसलिए आप प्राइवेट सैक्टर को इन्वाल्व करके इ.एफ.ए. लगायें। मेरे दो सुझाव और हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारी थिंकिंग ही गलत है, दुनिया के अन्दर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हों, हिन्दुस्तान के अन्दर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं हैं, एच आर.डी. के अन्दर एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रखा है। यह हमारी थिंकिंग है, यह हम एजुकेशन के बारे में विचार रखते हैं। एजुकेशन के साथ में आप यह कह देते हैं कि ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं और एच.आर.डी. भी सम्भालेंगे। यह बात समझ में भी आती है, पर हमारे यहां एजुकेशन पर 2–2, 3–3 हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एच.आर.डी. क्या होती है ? आप सूत्र में कम कहें। हर मामले में आप सूत्र पेश करते हैं और हमारे सूत्र पल्ले नहीं पड़ते हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ह्यूमन रिसोर्सेज डवलपमेंट मिनिस्टर। साहब, यह तो बड़ी कामन है, छोटे से पांचवीं क्लास के लड़के से पूछ लो तो वह बता देगा कि एच.आर.डी. मिनिस्टरी कौनसी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एजुकेशन मिनिस्टर तक भी हमने नहीं रखा है। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि आज नर्सरी के अन्दर छोटे–छोटे बच्चों को क्या अभी से कुबड़े बनाना चाहते हैं। उनका जितना वेट नहीं उससे ज्यादा उनको बैग्स पकड़ा देते हैं। इस पर भी आप विचार नहीं करते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय, समाप्त करें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो एक चीज और कहूंगा कि जो गिरावट हमारे कालेजेज में आयी है और मैं तो यह भी कह देता हूं कि एड्स के बारे में भी शिक्षा कालेज में देना जरूरी समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय श्री खेतसिंहजी।

श्री कैलाश मेघवाल : पूर्व शिक्षा मंत्रीजी बोलेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट देंगे, 7 मिनट देंगे, 10 मिनट देंगे, जितना टाइम देंगे उसी में मैं अपना भाषण समाप्त करूं।

श्री अध्यक्ष : आप सबसे वरिष्ठ हैं, सन् 1952 से बिराजे हुए हैं, मैं आपको ज्यादा तो कह नहीं सकता, आप देख लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देख लें नहीं, यह कहिये कि 7 मिनट या 10 मिनट।

श्री अध्यक्ष : 7-8 मिनट।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग चल रही है और कई माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। मेरी मान्यता यह है कि शिक्षा का एक्सपांशन काफी हुआ है लेकिन कंसोलिडेशन में आप बहुत कमजोर रहे हैं। आज स्कूलें तो काफी खुली हैं लेकिन टीचर्स अगर स्कूल में नहीं जावें तो स्कूलें खुली हुई कोई मायने नहीं रखती हैं। आम तौर पर यह शिकायत है और मैं आपको खास तौर से निवेदन करूंगा कि जिस कान्स्टीट्यूएंसी से मैं आता हूं और आपके पास में 4-5 बार शिकायत भी आ चुकी है कि वहां पर 4 हायर सैकण्डरी स्कूल्स हैं और एक भी स्कूल में सब्जेक्ट टीचर्स पूरे नहीं हैं। आप खुद सोचिये कि जिस स्कूल के अन्दर अंग्रेजी का अध्यापक नहीं हो, जिस स्कूल के अन्दर कामर्स का अध्यापक नहीं हो, जिस स्कूल के अन्दर साइंस का अध्यापक न हो तो उस स्कूल के छात्रों का क्या हाल होगा। मैं बैठा-बैठा कई बार सोचता हूं कि बड़ी गलती हुई कि हमने इतने हायर सैकण्डरी स्कूल खुलवा दीं। मगर हायर सैकण्डरी स्कूल्स खुलीं, लड़कों ने दाखिला लिया, पास होते आये और अब सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होने की वजह से आज उनके रिजल्ट्स 18 पर्सेंट से लेकर 32 पर्सेंट तक रहते हैं। इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है। आप खुद सोचिये उनका कैरियर किस प्रकार से खतम हो रहा है और मां-बाप कितने परिश्रम से, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वह फौजी क्षेत्र है, आम तौर पर वहां पर सैनिक और भूतपूर्व सैनिक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उन्होंने देश की सेवा करके अपनी पेंशन से अपने बच्चों पर खर्चा किया है और आज हालात यह हैं कि एक भी स्कूल में पूरे टीचर्स नहीं हैं। उसका नतीजा यह हुआ है कि वह फेल हुए हैं और रिजल्ट्स 18 पर्सेंट रहे हैं। इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप सौम्य हैं गम्भीर हैं, भले भी हैं और कम बोलते हैं लेकिन आपका डिपार्टमेंट आपके काबू में नहीं है, आपके कब्जे में नहीं है। मैं आपको सही कहता हूं। आपको मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आपके इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने साफ मुझे यह कहा कि साहब, मैंने तो पोस्टिंग कर दी है टीचर्स जाते नहीं हैं। इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स यह कह दे कि साहब, मैंने तो पोस्टिंग कर दी है पर टीचर्स जाते नहीं हैं और जाते हैं तो जोइन करके वापस शहर में आ जाते हैं। शहर में आकर वह ट्यूशन के ठेके लेते हैं कि अगर हमको 3 हजार रुपये दोगे तो हम आपका कोर्स पूरा करवा दें। इस प्रकार से तनख्वाह वहां से लेते हैं और ठेका यहां लेते हैं, शहरों के अन्दर लड़कों को पढ़ाते रहते हैं। आज आम अध्यापक की भावना यह हो गयी है कि पैसा जितना कमा सको, कमाओ। यही टीचर्स एक महीने में 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपये ट्यूशन से कमाते हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान बड़ा मुश्किल है। यह विभाग मेरे पास भी रहा है, मैं जानता हूं लेकिन इसके लिए आप, ऐसा कीजिये कि कम से कम जिन जिलों के अन्दर आप यह देखते हैं कि यूनियन का बड़ा जोर है, श्री सनाढ्य जी सवेरे भाषण दे रहे थे, ये ही मुझे सबसे ज्यादा

(श्री खेतसिंह राठौड़)

तंग करते थे जिन दिनों में शिक्षा मंत्री था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन जिलों के अन्दर यूनियन का बहुत जोर है वहां का थोड़ा सा स्ट्रांग एजुकेशन आफिसर होना चाहिए ताकि कम से कम उनका मुकाबला कर सके, उनसे बात कर सके। वहां हमारे यहां ऐसा लगा हुआ है ढीला जिसके पास यूनियन वाले आ जाते हैं तो उन्हें कंपकंपी छूट जाती है, डरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए यह हालात इस तरह से शुरू होने लग गये।

इस मौके पर दूसरा सुझाव मैं आपको यह देता हूं कि रि-कैटेगराइजेशन वापस कीजिये, ये जितनी भी ऐडड स्कूल्स हैं उनका और जिन स्कूल्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनके अन्दर अनुशासन अच्छा है उनकी आप एड बढ़ाइये। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता जो मेरे से काफी योग्य हैं और अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान आदि का उदाहरण दे रहे थे, मैं वहां के उदाहरण तो नहीं दे पाऊंगा लेकिन उनका यह ख्याल सही था कि प्राइवेट कालेजेज और प्राइवेट स्कूल्स को बहुत ज्यादा एड दें और जो अच्छी स्कूल्स हैं जिनकी एड 70 पर्सेंट है तो 80 पर्सेंट कीजिये, 80 पर्सेंट एड है तो 90 पर्सेंट कीजिये ताकि उनके रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। उनके रिजल्ट्स अच्छे रहने का कारण भी यही है कि वहां के टीचर्स एब्सेंट नहीं रहते हैं, वह पूरा कोर्स कराते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक्जीक्यूटिव कमेटी बनी हुई रहती है, वह कमेटी भी ध्यान रखती है और उनका प्रिंसिपल भी पूरा ध्यान रखता है कि हमारा रिजल्ट कमजोर रहा तो हमारे ऊपर जो कार्यकारिणी समिति है वह हमको निकाल देगी इसलिए उनको डर रहता है। आपके यहां जानते हैं कि एक दफा नौकरी मिल गयी, कोई हमको निकाल नहीं सकता। और वह गुरु और शिष्य की भावना तो खतम हो गयी है. पुरानी बातें हैं। जिस वक्त हम गुरु को देखते थे, मिनिस्टर होते हुए भी हमने अपने गुरु को देखा तो उनके पैरों के हाथ लगाये और आज स्टूडेंट है जो हैलो, हाऊ आर यू, इसके सिवाय वह बात ही मिट गयी, वह हालत ही बिगड़ गये। उसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता हूं, मैं यह कहूं कि गुलाबचन्दजी ने किया है या ललितकिशोरजी ने किया है, यह आपके बस की बात नहीं। हवा इतनी बदल गयी है, जमाना इतना बदल गया है कि हम तो पुराने लोगों में आ गये और इतना जनरेशन गैप आ गया कि जिसकी कोई हद नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूनमचन्द जी विश्नोई साहब फरमा रहे थे, आप जिस स्कूल में पढ़े थे उसका क्या हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब वह स्कूल कालेज हो गया और उसके बाद वह यूनिवर्सिटी बन गयी। सब समय की बात है। आपने दूसरी बात कही थी, वह स्कूल गिरी नहीं है। खैर, खास तौर से तो मैं इस मौके पर आपसे यह निवेदन करूंगा कि स्टूडेन्ट्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, यह मैं मानता हूं। आज आपके स्वयं के बच्चों के लिए दिल से सोचो तो सही, वे कौनसे आपके कंट्रोल में हैं ? आप कहो कि सिनेमा मत जाना और वे जायेंगे और आप कहो कि "जी" टी.वी. मत देखो लेकिन वे आपके घर में अगर आप नहीं लगाओगे तो पड़ोस वाले के घर में जाकर देख लेंगे। मैं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

उसमें आपका कोई दोष नहीं मानता। मेरे साथी ने कहा कि आज वहां पर स्मैक चलती है, ब्राउन शुगर चलती है और यह सब बातें चलती हैं। चलती हैं, हरेक जानता है और इसको सब महसूस करते हैं लेकिन इसका उपाय तो घरवालों का है, उनको समझाओ। लेकिन आज के लड़के किसी के कंट्रोल में नहीं हैं और उसमें शिक्षा का दोष मानिये। आप कहेंगे, आपने क्या किया और हमने क्या किया? हमारे वक्त में इतना बढ़ा नहीं था मामला, आपके वक्त में कुछ ज्यादा हो गया और एक बात और कहूंगा आपसे कि हमारे वक्त में हमने कभी यह नहीं सोचा, आपको ईमानदारी से कहता हूं कि हमारी पार्टी का है दूसरी पार्टी का है, हमने हमेशा यह किया था कि जो योग्य है वह शिक्षक बनेगा और शिक्षक वही बनना चाहिए था कि जिसमें शिक्षक की भावना हो। आपने उसको बिगाड़ दिया और खास तौर से आपके इधर बैठे हुए महाशय जब शिक्षा मंत्री थे, ये नेकरियों के सिवाय किसी को भर्ती नहीं करते थे और मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में लोग आये और कहने लगे कि ललित किशोरजी भी इस प्रकार के आदमी हैं तो मैंने कहा, भाइयों नौकरी चाहिए तो तुम भी नेकर पहन लो, सफेद कुर्ता पहन लो, काली टोपी पहन लो, वहां जाकर के सलाम मार दो। उनको क्या पता है कि तुम रहे हो कि नहीं रहे हो....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में तो सीधे मेरिट से ही अपाइंटमेंट हुए हैं, किसी भी साल नहीं हुए दूसरे तरीके से। आपके मन की जो भावना थी, वह निकाल दो, उसके लिए तो शुक्रिया और मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आपका दिल जानता है। आपके चपरासी, बाबू, जितने आदमी आपने लिये, सब नेकरिये लिये, इस बात को पूरा डिपार्टमेंट जानता है और आपने बिगाड़ा है इतना। बिजली में लिये तो कोई बात नहीं, आपने ले लिये। कोई लाइनमैन ले लिया, कोई खंभा लगाने वाला मजदूर ले लिया तो उसमें कोई हमको एतराज नहीं है लेकिन शिक्षा के अन्दर आप यह बिगाड़कर गये हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ऊपर का देखता है तो क्या असर होगा....

श्री महावीर प्रसाद जैन : खेतसिंहजी, 80-81 में सारे नेकरियों को निकाल दिया था आपने। आपने यहां पर घोषणा की थी कि एक-एक नेकरियों को राजस्थान के बाहर फेंक देंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने तो कभी यह कहा ही नहीं, हम तो गांधीवादी हैं। हम तो यह कभी सोच ही नहीं सकते, हमने ऐसी भावना, ऐसी बात करेंगे, हमने कभी की ही नहीं और हम इसमें विश्वास भी नहीं रखते हैं। खैर, छोड़िये इस बात को भी। वह वक्त गया, हम आगे बढ़ गये। अब गुलाब चन्दजी के पास में यह डिपार्टमेंट आ गया, हायर एजुकेशन इनके पास में है। इनका तो बुरा हाल है। यूनिवर्सिटी में जहां-जहां ये गये, वहां काले झण्डे हैं। अब इनकी कोई वह है नहीं। आपके पास में बेस का डिपार्टमेंट है। लड़कों की शुरूआत और बुनियाद, अगर नींव पक्की नहीं होगी तो कटारिया जी, यह महल किसी भी वक्त में गिर सकता है। आज देश का भविष्य

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बच्चों पर है। अगर बच्चे आपके सुधर जाते हैं तो वह घर सुधर जाता है और वह प्रान्त सुधर जाता है। अगर आपके बच्चे बिगड़ गये, आपके कंट्रोल से निकल गये तो निश्चित मानिये, घर तो गया सो गया ही लेकिन समाज भी जायेगा और यह प्रान्त भी जायेगा, इसलिए इसको गम्भीरता से लीजिये।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि यह जो ट्यूशन की प्रथा बुरी तरह से चल रही है, इस पर किस प्रकार कंट्रोल किया जाए। इसके ऊपर आप हम लोगों को भी बुलाइये और अपन बैठकर कुछ सोचें कि किस प्रकार से आज 10–10, 12–12 हजार रुपये एक महीने में कमाते हैं सनाढ्य जी, उन लोगों को या तो बाहर भेजो या उनको सस्पेंड करो। उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तनख्वाह भी पांच हजार गांव से ले लेते हैं, शहर के अन्दर बैठकर मजे से अपनी ट्यूशन करते हैं और ट्यूशन का ठेका करते हैं और उन लड़कों को सब्जेक्ट पढ़ा करके शहर वाले तो पास हो जाते हैं और गांव वाले 18 प्रतिशत रिजल्ट पर रह जाते हैं। यह बड़ी दुर्दशा है। इसको सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। पोस्टें भरिये। आज हालत यह है, आपकी मिडल स्कूल में पूरे टीचर्स नहीं हैं। मैं मेरे क्षेत्र के लिए आपको कहता हूं कि आज नौ ऐसी मिडल स्कूलें हैं जिनके अन्दर हैड मास्टर नहीं हैं। आज 17 ऐसी सैकण्डरी स्कूलें हैं, उनमें से दो के अन्दर हैड मास्टर ही नहीं हैं और एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल में पूरे सब्जेक्ट टीचर्स नहीं हैं। एक में एक है और बाकी में 3–3 सब्जेक्ट टीचर्स कम हों तो लड़कों का भविष्य अपने, आपमें आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनको कौन पढ़ायेगा और कैसे वे पास होंगे। स्थिति बहुत अंधकारमय है।

आपने खुद ने अभी एक मीटिंग ली थी। जोधपुर में आप पधारे थे। हम आपके एहसानमंद हैं कि आपने मुझे भी उसमें बुलाया। आम तौर पर दूसरे मिनिस्टर होते हैं, देखेंगे कि ये आकर के और कुछ बात कह जायेंगे, हमें बुलाते ही नहीं है, अपनी पार्टी वालों को बुलाते हैं। राजेन्द्र जी गहलोत और सूर्यकान्ता जी को बुलाकर, पास में बैठाकर मजे से इधर–उधर घूमकर जोधपुर से चले जाते हैं लेकिन आपने यह हिम्मत तो रखी कि हम लोगों को बुलाकर हमसे बात की और खुली बात की। इसलिए मैं आपकी तारीफ करता हूं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, इस ओर आपका आम तौर पर विचार होना चाहिए।

टीचर्स की भर्ती, आपके डिप्टी डायरेक्टर ने वहां पर क्या कहा कि हम क्या करें, व्याख्याता मिलते ही नहीं हैं। आपने भी कहा कि खेतसिंह जी, हम क्या करें, हमने तो पी.एस.सी. को लिखा है लेकिन इन्टरव्यू ही नहीं हो रहे हैं। इन्टरव्यू नहीं हो रहे हैं तो आप यहां के मंत्री हैं, सरकार के मोटे मंत्री हैं, मोटा महकमा है आपके पास में, मुख्य मंत्रीजी से बात कीजिये, सी.एस. को कहिये, आपका सैक्रेटरी भी योग्य और काबिल है, उसको कहिये कि वह वहां जाकर बात करे वाई. सिंह से और कहे कि यह क्या बात हो रही है कि हमारे यहां दो–दो साल से व्याख्याताओं की जगह खाली पड़ी हुई है और आप भर नहीं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में आप मजे से जाकर शिमला और दूसरी जगह घूमते रहते हैं। यह उनको कहिये कि इस गर्मी में इनका सलेक्शन हो और यह भी आप कहिये कि अगली जुलाई के अन्दर एक भी पोस्ट खाली नहीं हो तब मैं मानूंगा कि वास्तव में आपकी इच्छा है, आपकी मान्यता है, आप यह महसूस भी करते हैं कि मैंने यह डिपार्टमेंट लिया है और इनमें मैं अगर नाकाबिल साबित हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, यह भावना है आपकी। लेकिन इसमें तभी जाकर कामयाब होंगे, आपके एक-एक सैक्रेटरी पर यह जिम्मेदारी डालिये और उनको कहिये कि पी.एस.सी. के अन्दर खुद को जाना पड़े तो वहां सैक्रेटरी जाये और उसको जाकर कहे, वहां वाई. सिंह से मिले-मिलाकर इन्टरव्यू रखावें कि ये सारी पोस्टें इस गर्मी में भर जाये और सलेक्शन हो जाये। जुलाई के अन्दर सारी हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों में टीचर्स पूरे पहुंच जायें तब तो अगले सैशन में हम आपकी इसी प्रकार से तारीफ करेंगे और कहेंगे कि वाकई बहुत ही योग्य और बहुत अच्छा मिनिस्टर है लेकिन अगर ये खाली जगह रह गयीं तो आप यह निश्चित मानिये कि इसी सदन में यह कहेंगे कि इससे नाकाबिल आज तक कोई मंत्री नहीं आया और न कोई आयेगा....

श्री टीकमचन्द कांत : माननीय शेखावत साहब नहीं होते तो आपका भाषण बड़ा अच्छा होता है।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणा साहब, आप कुछ कहेंगे ? माननीय मंत्रीजी।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : क्या है, क्या हुआ ?

श्री भीमराज भाटी : मैं तो सुबह से बैठा हूं....

श्री अध्यक्ष : आप नहीं थे।

श्री भीमराज भाटी : कहीं नहीं था। 12 घंटे यहां, सुबह से शाम तक, खाना खाने नहीं जायें क्या, कहीं नहीं जायें क्या ?

श्री अध्यक्ष : जिस समय आवाज पुकारी जाय उस समय होना जरूरी है।

श्री भीमराज भाटी : आपने आवाज ही नहीं पुकारी (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं थे, इसलिए पुकारा नहीं।

श्री भीमराज भाटी : नहीं नहीं, पुकारा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : परसादी लाल जी भी उस समय नहीं थे, इसलिए उनको नहीं पुकारा, बाद में पुकारा उनको, वे नाराज हुए।

श्री भीमराज भाटी : आपने पुकारी होती अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके, with due rsepect to the Chair....

श्री अध्यक्ष : पहले पुकार लेता तो आपका नाम खारिज हो जाता।

श्री भीमराज भाटी : With due respect to the Chair....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात करें।

श्री भीमराज भाटी : दो मिनट या पांच मिनट, वह तो जो समय लगेगा वह लगेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, लगेगा नहीं।

श्री भीमराज भाटी : हां, ऐसा है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : I cannot allow. This is not binding on me, that. मैं हरेक आदमी को अलाउ करूं। मैं आपको दो मिनट का समय दे दूं तो फिर दो मिनट ही होता है।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री भीमराज भाटी : मुझे परमिशन है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सचेतक जी ने आपका नाम नहीं दिया (व्यवधान) दो मिनट में बात करें। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : वे बोल रहे हैं पहले।

श्री भीमराज भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम क्या थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी। लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा प्रणाली चालू की थी, वही शिक्षा प्रणाली अभी चालू है। लार्ड मैकाले और अंग्रेजों को तो सिर्फ बाबू ही पैदा करने थे अपने विद्यालयों में लेकिन हमको हमारे विद्यालयों में हमारे देश के जो मार्गदर्शक हैं, वे पैदा करने हैं, सुसंस्कृत नागरिक पैदा करने हैं इसलिए हमको हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। हम हमारी प्राइमरी स्कूल में या जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में हमने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया है। सबसे पहले बच्चा स्कूल जाता है, बच्चे को नर्सरी में क से कमल और इस तरह से अ आ, इ, ई, जो भी वर्णावली है, वे उसको सीधे ही सिखा देना चाहते हैं लेकिन मेरा यह अनुरोध है कि बच्चे को प्राइमरी स्कूल से ही या बिलकुल छोटा बच्चा है तब से उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से, जो उस बच्चे की इच्छा हो कि मैं यह-यह काम सुन्दरता से कर सकता हूं, वह एप्टीट्यूड का हिसाब देखकर टीचर्स उसके हिसाब से ट्रेनिंग देकर के, कि बच्चे का क्या एप्टीट्यूड है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाय उस हिसाब से, उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से उसको एजुकेशन दिलायी जाय। दूसरे, जोब ओरियन्टेड एजुकेशन में जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जब तक जोब ओरियन्टेड एजुकेशन पर ज्यादा जोर नहीं देंगे तब तक हमारा यही हाल रहेगा, यही हमारे अनएम्पलायमेंट का हिसाब-किताब रहेगा। अध्यक्ष महोदय, a child is the reflection of his parents. लेकिन पेरेन्ट्स तो आजकल इस कम्पीटिटिव जमाने में अपने खुद के व्यवसाय में व्यस्त हो जाते हैं अपने बच्चों को अध्यापकों के भरोसे छोड़ कर, चाहे स्कूल के अध्यापक रहें, चाहे कालेज के अध्यापक रहें। इसलिए मेरा आपसे यह अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य को सजाने-संवारने के लिए जब हम

(श्री भीमराज भाटी)

हिन्दुस्तान में सारे विद्यालयों में वन्दे मातरम् चालू करने की बात करते हैं तो सिर्फ वन्दे मातरम् चालू करने से ही काम नहीं होगा, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में जो गुरुकुल विद्यालय हुआ करते थे, आश्रम विद्यालय हुआ करते थे, क्यों नहीं हम हमारी उस पुरानी परम्परा को चालू करते। हिन्दुस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक रहा है, उसकी तरफ ध्यान देकर हम क्यों नहीं यह करते हैं।

अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल है टीचर्स और टॉट के रिलेशंस का। टीचर्स और टॉट के रिलेशन जब तक अच्छे नहीं होंगे, जैसा माननीय खेतसिंहजी ने फरमाया, टीचर और टॉट के रिलेशन में यह जो खराबी आयी है उस खराबी की वजह से हमारी एजुकेशन पर असर पड़ता जा रहा है, हमारी नयी पीढ़ी पर असर पड़ता जा रहा है। जब तक टीचर्स, टॉट्स और पेरेंट्स की रेगुलर मीटिंग हम लोग हमारे विद्यालयों में नहीं अरेंज करायेंगे तब तक हम हमारी शिक्षा को आगे नहीं ले जा सकते हैं।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट का समय दिया है तो मेरे शहर में जो बहुत भारी समस्या है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे पाली जिले से विधायक हैं और विधायक होने के नाते इस सदन के नेता हैं, आज तो पता नहीं हैड मास्टर साहब कहीं गये हैं, बाकी सब बिराजमान हैं, वह हमारे जिले से मुख्य मंत्री हैं लेकिन जिला मुख्यालय पर हमारी बहन-बेटियों की यह हालत है कि वहां कालेज में बहुत बुरा उनके साथ सलूक किया जाता है, बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है बच्चियों को। शरारती लड़के बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बच्चियों को गिरा देते हैं, हर तरह से बच्चियों की, बहन-बेटियों की तौहीन की जाती है। हमारी बच्चियों को डिग्री लेवल तक की एजुकेशन नहीं मिलती तो उनके सगाई-सम्बन्धों पर भी फर्क पड़ने लग गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेहरबानी करके पाली में महिला महाविद्यालय की स्थापना करें।

चौथा, मेरा एक और विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से, कि पाली का जो कालेज है उसमें बिना पैसे का, बिना खर्चे का नुस्खा है, एक चित्रकला के विषय की कई दिनों से हमारे वहां के छात्र मांग कर रहे हैं तो चित्रकला के विषय की भी मेहरबानी करके व्यवस्था करायें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आपको और कुछ कहना रह गया ? कन्हैया लालजी, आपको क्या कहना है ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, एक मिनट बोलिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि यदि आप स्कूल्स को सुधारना चाहते हैं या उनमें अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं तो सबसे मोटी जो कमी है, गांव वाले वैसे सब जागरूक हैं, सब यह चाहते हैं कि हमारे स्कूल के अन्दर

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

अध्यापक टाइम से आयें, लेकिन एक बड़े दुःख का विषय है कि जब गांव वाले शिकायत करते हैं, डेपुटेशन लेकर जाते हैं आपके पास, उसका कोई निश्चित टाइम नहीं है, दो साल में भी आपके डिपार्टमेंट में कोई सुनवायी नहीं करता उनकी। यदि गांव वालों की बात का एक निश्चित समय हो कि हम दस दिन में, पन्द्रह दिन में आपको जवाब देंगे यह सही है या गलत है, अगर गलत अध्यापक हो, कोई शिकायत हो तो वह हटना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जयपुर जिले में कानोता के लिए मैं ज्यों ही सैक्रेटरी साहब से मिला, आपसे भी मिला और वहां पर सैक्रेटरी साहब ने जोइंट डायरेक्टर साहब को भेजा। आप यह बताइये, उस माध्यमिक स्कूल का 8 प्रतिशत रिजल्ट रहा और ऐसे स्कूल्स में जहां अध्यापकों की कमी थी उसको आज तक पूरा नहीं किया दो साल में, उसकी बंदी भी करवाया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ नहीं हुआ। एक तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गांव वाले सब चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छी तरक्की कर पायें और वह अपने आप सुधार सकते हैं अध्यापकों को, वह जो कमी होती है, लेकिन आपका कम से कम एक निश्चित समय होना चाहिए कि शिकायत जो गांव वाले या जनप्रतिनिधि करे, उसकी वास्तविकता देखने के बाद में भी आप कार्यवाही करें, पहले चाहे कार्यवाही न हो। साथ ही मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, कि मेरे क्षेत्र में पांच सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, वहां पर करीब सात सौ बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मैं उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि एक महाविद्यालय की अति आवश्यकता है। आप अनुसूचित जाति, जनजाति को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और उसके आस-पास भी जमुवारामगढ़ और लालसोट ऐसा क्षेत्र है जहां महाविद्यालय की आवश्यकता है, तीस किलोमीटर में कोई महाविद्यालय नहीं है। उनको या तो दौसा जाना पड़ता है या जयपुर जाना पड़ता है। इसलिए एक महाविद्यालय की घोषणा इसी सत्र में की जाये। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। बस्सी के लिए....

श्री अध्यक्ष : बहुत बहुत धन्यवाद, विराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि बस्सी इतना बड़ा कस्बा होते हुए भी, वहां के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद स्वीकृत हो गया था, लेकिन बड़े दुख का विषय है कि वहां के पुस्तकालयाध्यक्ष का जब वहां से ट्रांसफर हुआ तो वह पोस्ट ही वहां से समाप्त कर दी गयी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुस्तकालयाध्यक्ष का जो पद है उसको स्वीकृत किया जाये। दूसरे सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बस्सी में गणित के विषय के लिए बार-बार मांग की गयी लेकिन आसपास कहीं भी गणित का विषय नहीं है और जयपुर, दौसा आना पड़ता है....

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर माननीय मंत्रीजी से मिलें, विराजियें आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : इसलिए मैं

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

निवेदन करता हूं कि गणित विषय वहां पर खोला जाये। साथ ही, बस्सी में कहीं भी स्टेडियम नहीं है, बस्सी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में एक स्टेडियम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। महावीर जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : खेल-कूद के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि प्राथमिक शालाओं की जो खेल-कूद प्रतियोगिताएं होती हैं वह पंचायत समिति स्तर पर होती हैं। बच्चों का स्तर ज्यादा बढ़े इसलिए स्टेट लेवल पर प्राथमिक शालाओं के खेल-कूद करवाये जायें।

श्री अध्यक्ष : महावीर जी, डेढ़ मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : हां, डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : पाइंटेडली बात उठायें तो आप एक मिनट में भी कह सकते हैं।

श्री महावीर भगोरा : पाइंटेडली सुझाव दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, करिये आप।

श्री महावीर भगोरा : हमारे 48 साल का प्रदेश का जो साक्षरता का प्रतिशत है उसके लिए एक लाइन बोल रहा हूं-दिल को बहलाने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है। यह आपकी उपलब्धि है। खेत-सिंहजी की बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहूंगा कि माननीय दोनों मंत्री महोदय ने एक वर्ष में बहुत अधिक अच्छा काम किया है, परन्तु जो बच्चों की नींव डालने वाली बात खेत सिंहजी ने कही है उसमें मैं जोड़ रहा हूं कि हमारे यहां प्रवेश की जो आयु है वह 6 वर्ष से ऊपर है और बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास जो होता है तो मानसिक विकास 6 वर्ष के तक बच्चे की आयु में 60 से 80 प्रतिशत हो जाता है। इस तरह से शारीरिक विकास भी 40 प्रतिशत हो जाता है तो किस स्तर पर लाकर हम बच्चों को प्रवेश दिये जा रहे हैं और उस शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है कि वहां पर सौ-सौ बच्चों पर एक अध्यापक होता है और वह अध्यापक भी, जैसे अभी सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है हमारे जिले में, तो सारे प्राइमरी स्कूल के मास्टर या मिडल स्कूल के टीचर्स जगह-जगह पर, कभी जिला शिक्षा अधिकारी मीटिंग बुला रहा है, तो कभी बी.डी.ओ. बुला रहा है तो कभी तहसीलदार, तो सारे वहां चले जाते हैं, तो शिक्षा का स्तर बिलकुल गिरता जा रहा है। मैं महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं कि ट्यूशन की बात तो है सर, पर जो टीचर अप-डाउन करते हैं उनके ऊपर भी मंत्री महोदय ध्यान दें। निरीक्षण के लिए इनके पास....

श्री अध्यक्ष : आप रोज ही मिलते हैं, आप लिख कर दे दें। विराजिये।

श्री महावीर भगोरा : इंस्पेक्टिंग अथारिटी नहीं है तो नजदीक के सैकंडरी और हायर सैकण्डरी स्कूल के जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनसे निरीक्षण करवाया जाय। प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहन देने की बात मैं कहना चाहता हूं कि मिड टर्म मील जो साउथ में कर रखा है वह प्रावधान

(श्री महावीर भगोरा)

हमारे यहां भी किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। माननीय मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, एक लाइन का सुझाव दे रहा हूं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की वित्तीय स्थिति दिनोंदिन खराब होती जा रही है जिसके कारण सारे कार्य ठप्प हो रहे हैं। माननीय मंत्रीजी इसमें चिंता करके इसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे वित्तीय साधन जुटाने का ?

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आपने सब को रश-थ्रू कराया है तो कम से कम आप टाइम बाउण्ड कर दीजिये मिनिस्टर रिप्लाई के लिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : यह क्या बात हो गयी, नो, यह पासिबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने सात घंटे तक पूरी चर्चा की है, सात नहीं तो साढ़े छह घंटे से कम चर्चा नहीं हुई है। साढ़े छह घंटे की बात का जवाब 15 मिनट में तो नहीं दिया जा सकता।

श्री विष्णु मोदी : आप आधा घंटा कीजिये।

श्री अध्यक्ष : और दो मंत्रीजी हैं, उसके साथ-साथ सरकार को अपनी रीति नीति की भी बात करनी पड़ेगी। आपका कोई पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री विष्णु मोदी : हां।

श्री अध्यक्ष : तो उसे रूल आउट करता हूं। विराजिये आप। माननीय मंत्री जी।

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदी जी तो फाइव डे मैच मानकर चल रहे हैं इनको कहिये कि वन डे मैच की तरह काम करें।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : बहुत लम्बा बोलते हैं, आज तैयारी करके आये हैं बिलकुल ही। चतुर्वेदी जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आप विराजिये अभी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बोलता ही कहां हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलने दें, बहुत समय हो गया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया(शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय मैं अभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, और 31 लोगों ने सदन में अपने विचार रख कर शिक्षा के बारे में चिंता जाहिर की। सबसे ज्यादा प्रसन्नता का विषय मेरे लिए यह है कि लगभग सदन में सब लोगों की एक ही सहमति है, आज की शिक्षा की जो भी स्थिति है उसको देख कर हम सब लोग एक ही दृष्टि से और एक ही दिशा में सोच रहे हैं और मैं यह सोचता हूं कि अगर यह इसी प्रकार से सब लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सुधार नहीं होगा पर सुधार के कदम निश्चित रूप से शिक्षा में आगे बढ़ेंगे । यह मैं बिलकुल आपके विश्वास के साथ कह सकता हूं । मैं सदन के माध्यम से आज शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले उन सब अध्यापकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में आज की शिक्षा की स्थिति बन गयी है उसको अगर कोई सुधार सकेगा तो शिक्षक ही सुधार सकेगा । जब तक उसकी मानसिकता नहीं बनेगी हम चाहे कितनी ही जोर जबरदस्ती क्यों न कर दे पर उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सकेंगे । इस सारे वातावरण को सुधारने के लिए अभिभावक, बालक, शिक्षक और हम सब जन प्रतिनिधि अगर सामूहिक प्रयास करेंगे तो मैं सोचता हूं कितनी ही बिगड़ी हुई परिस्थितियां क्यों न हों, उन परिस्थितियों को निश्चित रूप से सुधारा जा सकेगा और उससे निश्चत रूप से कोई न कोई परिणति आयेगी ।

पिछला वर्ष शिक्षा को समर्पित वर्ष कहा गया और उसकी दृष्टि से आप सब लोगों ने अपने विचार रखें कि वास्तव में शिक्षा को समर्पित वर्ष के रूप में रहा । विद्यालय भी हम लोगों ने, जो भी हमको बजट दिया गया था उसके अनुसार खोले हैं । पिछली बार माननीय रामनारायण जी ने यह शंका जाहिर की थी कि बजट तो आपको मिला है लेकिन इस बजट को आप खर्च कर पायेंगे कि नहीं । मैं आज सदन में इस बात को रखते हुए अपने आप में यह प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि जो भी बजट हमें दिया गया था, प्रारंभिक शिक्षा का, जो पहली से पांचवीं तक के विद्यालय हैं वह जिस समय पर खुलने चाहिये उसमें से कुछ बजट जरूर बचा लेकिन उस बजट को हमने वापस अपने विभाग की विभिन्न योजनाओं में लेकर, 15 करोड़ 64 लाख रुपये इधर से उधर ट्रांसफर करके उसका सारा उपयोग किया है, केवल मिड-डे मील का जो 20 करोड़ रुपये था, उसका जरूर हम इसलिए उपयोग नहीं कर पाये कि इसका जो कुछ भी प्रयोग हुआ था जनजाति क्षेत्र में उसका कोई अच्छा अनुभव नहीं आया । सारा का सारा विद्यालय और स्टाफ केवल दिन का नाश्ता बनाने में ही व्यस्त हो जाता था और कई अनियमितताएं और कई उसकी जांचें खड़ी हो गयीं, कोई तेल की जांच, कोई आटे की जांच । तो मन में यह लगा कि इस दृष्टि से अगर हम बच्चों को आकर्षित करेंगे तो शायद हम सफल नहीं होंगे इसलिए हमने दूसरा विचार किया कि बच्चों को अगर निःशुल्क पुस्तकें देकर आकर्षित करें तो हमको उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी । उस दृष्टि से हम 20 करोड़ का उपयोग नहीं कर पाये, उसमें से भी हमने 5 करोड़ रुपये अपने विभिन्न, दूसरे कामों में लेकर इसका उपयोग किया जिसमें विशेषकर पिछली बार हमने सम्भागीय स्तर पर बच्चियों का छात्रावास बनाने की जो घोषणा की थी, उस समय बजट में कोई प्रावधान नहीं था, हमने उस पैसे को, एक करोड़ 20 लाख रुपये इधर डाइवर्ट करके उसका काम हमने प्रारम्भ कर दिया, उसका काम चल रहा है । मैं एक-एक विषय के बारे में तो ज्यादा बताना नहीं चाहता कि आपका समय अधिक न लगे, लेकिन 223.44 करोड़ रुपये जो हमको मिला था उसमें से 208.45 करोड़ रुपये का हमने उपयोग कर लिया, केवल यह 15 करोड़ रुपये, जो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हमें बजट मिला था 223 करोड़ का, उसमें से उतना हम बचा पाये हैं।

दूसरा यह है, सबसे बड़ी समस्या जिसके बारे में आप सब लोगों को, हमको चिन्ता है वास्तव में कि रिक्त पद राजस्थान में और विशेषकर सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूल के रिक्त पदों की बहुत बड़ी एक तरह से समस्या है। यह एक दिन में खड़ी हुई समस्या नहीं है। यह समस्या एक लम्बे समय से खड़ी हो गयी और उसका मूल कारण था, प्रधानाध्यापक और व्याख्याताओं के पे-स्केल जब से समान हो गये, 1988 से वह समान हुए, 1990 में आदेश निकला और दोनों ही कोर्ट में चले गये। उसके कारण से पहले व्याख्याता जो कम ग्रेड में थे उससे 20 पर्सेण्ट प्रमोशन होते थे, 80 पर्सेण्ट सैकण्ड ग्रेड का जो सब्जेक्ट टीचर था उससे हैड मास्टर बनता था। तो उनके उस कोर्ट के लिटिगेशन के कारण से हम सैकण्ड ग्रेड से हैड मास्टर के प्रमोशन नहीं कर पाये और न व्याख्याताओं के प्रमोशन हुए। उसके कारण वे पद यों के यों, 1988 से लेकर 1995 तक आ गये पर उसको हम नहीं भर पाये। लेकिन आज मुझे सदन में यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने उसका निपटारा कर लिया और उनका जो पुराना आदेश हुआ था उसी आदेश के तहत अब व्याख्याताओं से और प्रधानाध्यापकों से भी वाइस प्रिंसिपल बनने के लिए, 50–50 पर्सेण्ट दोनों का ही रहेगा और उसके आधार पर यह चेनल मिल गया है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दो महीनों में वाइस प्रिंसिपल के जितने भी पद खाली हैं और डी. पी. सी. से ही हमको पूर्ति करनी है, उसकी हम पूर्ति निश्चित रूप से कर देंगे। प्रिंसिपल की भी जो पूर्ति करनी है वह भी सलेक्शन से नहीं है, डी. पी. सी. से है, वह निश्चित रूप से हम पूरी कर देंगे।

इसके बाद जो सबसे बड़ा संकट है वह व्याख्याताओं का है और व्याख्याताओं में ऐसा नहीं है कि हमने प्रयास नहीं किया और उसमें हमको सफलता नहीं मिली। मैं एक बार आपके सामने थोड़े से आंकड़े रख देता हूं। मेरा जहां तक है कि हमने अपने सोर्स से सारे आंकड़े जो इकट्ठे किये हैं 99.9 पर्सेण्ट यह बिलकुल सही होंगे फिर भी इसमें अगर कोई कमी खामी रह गयी है तो मैं उसकी जिम्मेदारी अपने पर लेता हूं और उसको फिर सुधारने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं इन आंकड़ों में कोई कमी खामी रह गयी तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। प्रधानाचार्य के हमारे पास 1145 पद हैं उसमें से हमने 315 पद इस साल भरे हैं और 154 पद आज प्रिंसिपल के राजस्थान में रिक्त हैं जिनको हम अगली जुलाई तक निश्चित रूप से, आपकी यह जो शिकायत है, पुराना कोटा है उसकी पूर्ति हो जायेगी। लेकिन हम जो नये खोलेंगे, अब यही तय नहीं है कि उन 60 में से सीनियर कितने होंगे, सैकण्डरी कितने होंगे। तो उन पदों को जब तक तय नहीं कर पायेंगे तब तक शायद हम उनको भर नहीं पायेंगे लेकिन हम प्रक्रिया पूरी करेंगे जो निश्चित रूप से हम कर देंगे।

उप-प्रधानाचार्यों के आज की तारीख में 1100 पदों में से 664 पद खाली हैं जो उनके दोनों के लिटिगेशन के कारण से रुके हुए थे वह पूर्ति हो जायेगी। 664 पदों के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लिए मैं सोचता हूं कि जुलाई तक भी नहीं जाना पड़ेगा, 15 जून के पहले पहले इस स्थिति को निकाल कर वाइस प्रिंसिपल जो हमें बनाने हैं वह निश्चित रूप से हम बना देंगे।

प्रधानाध्यापक के जो पद हैं वह आज की तारीख में 3158 में से 438 बाकी हैं। हमने 471 पद पी.एस.सी. से इस साल प्राप्त किये हैं और जो रिजर्वड लिस्ट थी पूरी की पूरी वह भी हमने सारी ले ली है और यह केवल 438 पद जो बाकी रहे हैं इस प्रमोशन से हमको भरना है। हम इसे अगले सत्र जुलाई तक निश्चित रूप से भर देंगे।

व्याख्याताओं के आज की तारीख में 1103 पद रिक्त हैं, वैसे हमने टेम्परेरी जरूर भरने की कोशिश की पढ़ाई की दृष्टि से, उसमें से जो सेवानिवृत्त अध्यापक थे उनमें से हमने 680 लोगों को लगाकर काम चलाया। जो बिलकुल फ्रेश निकले हुए विद्यार्थी हैं उनको भी हमने आमंत्रित किया था और आमंत्रित ही नहीं किया था, हमने प्रिंसिपल को अधिकार दिया था कि उसके क्षेत्र में भी यदि कोई इस क्वालिफिकेशन का विद्यार्थी है तो वह उसे स्वयं बुलाकर अपनी इच्छा से वहां पर 31 मार्च तक नौकरी पर लगा सकता है। हमने 448 पद निकाले थे लेकिन केवल 238 लोगों ने आकर इस पर अपनी सेवाएं दी हैं। यह पद वापस रिक्त हैं और ये 1100 जो पद रिक्त हैं, इनमें से 622 अभ्यर्थी हमको आर. पी.एस.सी. से मिलेंगे और बाकी पद हम प्रमोशन से भरेंगे। यह निश्चित रूप से इसकी पूर्ति हो जायेगी।

आज की तारीख में सैकण्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो पद हैं यह बात जरूर है कि यह सारे पद अधिकांश मार्च के अन्तिम दिनों में भरे गये हैं। जितने पहले 1100, 1200 के लगभग खाली थे उनमें से क्योंकि यह अन्तिम समय था प्रमोशन का और प्रमोशन के साथ ही जो डी.पी.सी. हमने की उस डी.पी.सी. के आधार पर हमने 31 मार्च तक जो भर दिये और 31 मार्च को जो स्थिति है, अध्यापक सैकण्ड ग्रेड के हमारे यहां कुल 35866 पद हैं उसके अगेंस्ट में आज की तारीख में केवल 129 पद रिक्त हैं उनमें से भी 72 पद तो जोधपुर में ही, लिटिगेशन का कारण भी है और दूसरे सामान्यीकरण के तहत पद टूटने वाले हैं। तो हम अगर नये लोगों को ले लेंगे तो भी 72 लोग वैसे ही फ्री हो जायेंगे इसलिए उनके लिए हमने यह 72 पद छोड़े हैं। तो इस कारण से केवल 129 पद बाकी हैं।

इसी तरह से थर्ड ग्रेड के हमारे 85539 पद हैं उनमें से आज की तारीख में केवल 171 पद रिक्त हैं। मैं सोचता हूं कि हमने इस दृष्टि से जो रिक्त स्थान रहे हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश की है।

इसके साथ ही एक सामान्यीकरण करने के लिए मंगल बिहारी की कमेटी के बारे में मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि उनकी रिपोर्ट आ जायेगी उसके बाद हम इसको कर पायेंगे। वह रिपोर्ट हमको प्राप्त हो गयी है। हमने उसको कमेटी में डिस्कश किया और फाइनेंस में गयी है केवल उनकी स्वीकृति के लिए, क्योंकि टीचर्स के पद जितने अब तक स्वीकृत थे उसमें से कुछ घटाये बढ़ाये हैं उसके कारण से उनकी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

स्वीकृति आवश्यक थी। उनकी स्वीकृति प्राप्त होते ही सामान्यीकरण के बारे में आप सब लोगों की मदद जरूर चाहूंगा क्योंकि जैसे ही यह सामान्यीकरण का विषय आयेगा वैसे ही सारे के सारे शहरों के लोग बाहर जायेंगे। यह जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं क्योंकि विद्यालय में कभी तो ढाई सौ बालक थे पर आज 54 बालक पर 14 टीचर वहां बैठे हैं तो निश्चित रूप से पद टूटेंगे और जब यह टूटेंगे तो यह भी हमने कहा कि जो लोंगेस्ट स्टे में होगा उस शहर में उस ग्रेड का, उसी को हम हटायेंगे। उसमें जो भी आ जायेगा उसको निश्चित रूप से हटना होगा और उसमें आप लोग अगर हमारी मदद करेंगे तो हम इसको निश्चित रूप से लागू करेंगे ताकि यह जो पद हैं, यह भी हम गांवों में पद दे सकेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब तो ये यहां घोषणा कर रहे हैं और उस वक्त यह कहेंगे कि नहीं, नहीं अब तो जमे रहो और ऐसा जाकर इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स की टेबल पर मारो जोर–जोर से कि नहीं जायेंगे और वे नहीं जायेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लेकिन इस समय यह भी अपने सदन के माननीय सदस्य हैं और जब सदन के सब लोगों की इसमें राय है, तो मैं सोचता हूं उनकी राय भी हमारे साथ ही होगी और उसकी अगर बड़ी कठोरता से भी पालना करना पड़ी तो हम कठोरता से भी इसकी पालना करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी।

कई माननीय सदस्यों का संस्कृत शिक्षा के ऊपर और तृतीय भाषा के बारे में सुझाव था, इस तृतीय भाषा को भी स्ट्रेंथन किया जाय। हम लोगों ने इस पर बैठकर विचार किया है अभी केवल तीन पीरियड संस्कृत के पढ़ाये जाते हैं। हम अगली बार, क्योंकि अब तो तुरन्त हम जुलाई में किताब बनाकर उनको दे पायेंगे, यह इतने कम समय में सम्भव नहीं होगा लेकिन अगले सत्र तक हम निश्चित रूप से इसकी नयी पुस्तक भी बना देंगे जिसमें कन्टेंट इतना हो कि 6 दिन तक अगर हम रेगूलर पढ़ाये तो पूरे साल भर तक उसकी पढ़ाई हो सके। ऐसे ही तृतीय भाषा में जो दूसरी भाषाएं हैं चाहे उर्दू हो, चाहे पजाबी हो, उनको भी 6 पीरियड का लोड देने की दृष्टि से उनकी किताबें भी उसी प्रकार से बनायेंगे। केवल किताब ही नहीं बनायेंगे, अबकी बार हमने यह तय किया है कि सैकण्डरी स्कूल में संस्कृत का सैकण्ड ग्रेड का टीचर देंगे ताकि सब्जेक्ट टीचर ही उसको पढ़ाये और कोशिश यह कर रहे हैं कि जो मिडल स्कूल हैं उनमें भी संस्कृत पढ़ाने के लिए जो अध्यापक लगें वे तृतीय वेतन शृंखला के होंगे। लेकिन संस्कृत उनका सब्जेक्ट होगा ताकि संस्कृत को और विषय को हम स्ट्रेंथन कर सकें। ऐसे ही जो दूसरी तृतीय भाषाओं के हैं उनके भी ऐसे ही विषय अध्यापक को लगाकर इस तृतीय भाषा को ठीक करने का प्रयास करेंगे।

एक बहुत बड़ी समस्या जो आप सब लोगों के विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से सामने आयी कि शारीरिक शिक्षा का हमारे राजस्थान में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। वह वास्तव में बहुत ही चिन्तनीय स्थिति में है। यानि पिछले 15–18 साल से न तो उनकी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डी.पी.सी. हुई, न उनके पदों पर प्रमोशन हो सकता है। कुछ नियमों में इस प्रकार की स्थिति रह गयी, हम उन नियमों में फिर से अपने संशोधन करके नियम बना रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि समय जरूर लगेगा, 2 महीने के बजाय हो सकता है 4 महीने लगेंगे, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की जो पदोन्नतियां आज तक रुकी हुई थी, इन पदोन्नतियों को हम कर पायेंगे। जो हमारा शारीरिक कॉलेज है, उसकी स्थिति देखकर के मन को वास्तव में बहुत ही कष्ट होता है, मैं स्वयं भी उसको देखकर आया हूं। एक-एक कमरे में 25-25 बालिकाएं रहती हैं और उस कमरे में एक ही बाथरूम और लेट्रिन, दोनों ही कॉमन हैं। अब यह 25 लड़कियां कब नहाती होंगी और कब वह अपने कॉलेज टाइम पर जाती होंगी। इसके लिए हमने एक लाख तीस हजार का प्रोवीजन रखा है ताकि उनकी जो कमी है उस कमी की हम पूर्ति कर सकें। अभी तो जितने लेट्रिन, बाथरूम एक लाख में बनेंगे उतने ही बन सकेंगे और उसके बाद में देंगे।

आपका एक सुझाव था कि डी.ई.ओज. तो हमारे लगे हुए हैं लेकिन डी.ई.ओज. एक ही स्थान पर केन्द्रित हैं, और उसके कारण से डबलिंग, ट्रिपलिंग होता है। एक महिला डी.ई.ओज. भी जाती है उस क्षेत्र में देखने के लिए, प्रारम्भिक वाला उसी में जाता है, और एक छात्रों का डी.ई.ओ. है उसका एरिया भी लगभग वही जिला है, तीन बार जाता है, और बाजू का स्कूल जो लड़कियों का है, उसको वह नहीं देखता। उसको वह नहीं देता है, तो जितना सुपरवीजन होना चाहिए वह सुपरवीजन नहीं हो पाता है। अभी यह विचार में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर यह एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर के हिसाब से उनके क्षेत्रों का बंटवारा हो जाय, तो हम उसका बंटवारा करके, उनको एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर के हिसाब से एडजस्ट करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी, इस सारी शिक्षा का, इस ढांचे का एक तरह से एक 'की' पाइंट है। और जिला शिक्षा अधिकारी जिस रूप में हमारे यहां पर प्रमोट होकर आते हैं वह लगभग छह महीने रहता है, कोई आठ महीने रहता है, कोई चौदह महीने रहता है और कोई बाहर महीने में रिटायर हो जाता है। वह अंतिम समय में आता है तो उसकी एसर्ट करने की जो ताकत है, वह ताकत नहीं रहती है। वह समझता है कि सारी जिन्दगी निकाल दी अब मैं आठ महीने के लिए किस-किस से लड़ूं और किसके साथ सख्ती करूं। माथे में क्यों एक दर्द पालूं और इस कारण से हम लोगों का विचार है और आप सब लोगों की अगर इसमें सहमति मिलती है तो हम यह चाहते हैं कि इसमें 50 प्रतिशत, जो भी प्रमोशन होता है वह मेरिट से और 50 प्रतिशत सीधे सलेक्शन से हो ताकि जो यंग हैं, 40, 45 साल के, वे लोग इसमें आ सकें और लम्बे समय तक हमको जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में 10 साल, 12 साल तक के लिए मिलें तो हम उनके आधार पर, शिक्षा में शायद परिवर्तन कर सकेंगे और यह....

श्री कालीचरण सराफ : सनाढ्यजी से पूछ लें कहीं खिलाफत तो नहीं करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इन-सर्विस में करेंगे तो कोई खिलाफत नहीं करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इन-सर्विस में ही, उन्हीं में से लेने वाले हैं। सलेक्शन के लिए उन्हीं के अन्दर से जाने वाले हैं कोई बाहर से तो आने वाले नहीं हैं। उसके हिसाब से होगा। प्रधानाध्यापक और व्याख्याता का एक लम्बे समय से झगड़ा है कि दोनों की पे-स्केल समान हो गयी, 1988 से ही 2000 से लेकर 3500 रुपये तक इसलिए कोई प्रधानाध्यापक बनना पसन्द नहीं करता। यह सोचता है कि दो पीरियड और तीन पीरियड पढ़ाकर के मुक्त हो जाता हूं तो जबरदस्ती का हैड-मास्टरी का दर्द मैं क्यों पालूं और इस कारण से, चूंकि इसका काम भी एक विशेष प्रकार का काम है, विशेष जिम्मेदारी का काम है, इसलिए राज्य सरकार ने यह निश्चित किया है कि अब जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनको हम 200 रुपये प्रधानाध्यापक अलाउंस के रूप में देंगे ताकि हम उनकी मांग को पूरा कर सकें।

पाठ्य पुस्तकों के वितरण के बारे में प्रयास किया है कि समय पर सब जगह पहुंचे। मैं सोचता हूं कि अगर ज्यादा नहीं तो 80–90 प्रतिशत हम समय पर पहुंचा-कर के वितरण कर सकें। यह पहली बार है कि 46 लाख बच्चों को 90 दिन के ड्यूरेशन में इस सारे काम को हमने पूरा करने का प्रयास किया और इसमें 10 करोड़ 70 लाख रुपये राज्य सरकार ने व्यय किये।

छात्रवृत्ति का जो अब तक वितरण होता था, वह छात्रवृत्ति जब साल का अन्त हो जाता था तब तक बच्चों को नहीं पहुंचती थी। हमने इस छात्रवृत्ति को टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाकर के वितरित करने का पिछले साल प्रयास किया और उसमें हमें 80 से लेकर 85 प्रतिशत तक सफलता मिली है। हम पहले छह महीने के लिए 15 अगस्त के दिन स्कूल के फंक्शन में ही बच्चों को छात्रवृत्ति दे देते हैं और 26 जनवरी को साल के बाकी छह महीने के लिए वितरित करते हैं। कहीं-कहीं, जहां कमी रही थी उनको हमने 2 अक्टूबर और 31 मार्च को वितरित करके इस साल की पूर्ति कर दी। अगले साल हम निश्चित रूप से 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही, जिन बच्चों को छात्रवृत्ति देनी है, उनको छात्रवृत्ति पहुंचा देंगे, मैं सोचता हूं कि इन छात्रवृत्तियों में कोई 11 करोड़ 20 लाख रुपये की छात्रवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन किया है जिसमें 3 लाख 58 हजार विद्यार्थियों को हमने विभिन्न छात्रवृत्तियां दी हैं।

इस साल हम एक काम और प्रारम्भ करने जा रहे हैं, भामाशाह योजना। जिन भामाशाहों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों मे दान देकर भवन बनाया या स्कूल को सुसज्जित किया, उसमें जिन्होंने एक लाख से अधिक का दान दिया है उनका हम प्रति-वर्ष विद्यालय में जैसे शिक्षक दिवस के दिन अध्यापकों का सम्मान करते हैं वैसे ही राजस्थान में ऐसे सारे दानदाताओं का भामाशाह जयन्ती, 28 जून के दिन यहां जयपुर में सम्मान समारोह करेंगे और प्रति-वर्ष करेंगे। हो सकता है कि हमारी सूची बनाने में कोई कमी-खामी रह गयी है, आपके ध्यान में भी अगर आये, यदि कोई नाम रह गया हो तो उसे जुड़वा दें। उसके बाद भी अगर रह जायेगा तो अगले साल उनको जोड़कर के उनका निश्चित रूप से हम सम्मान करेंगे।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि भवन मरम्मत की दृष्टि से भी और विद्यालय भवन निर्माण की दृष्टि से भी यह साल अपने आप में एक ऐतिहासिक साल रहा है। यह पहली बार है कि जब हमने मिडल स्कूल केवल खोले ही नहीं तो मिडल स्कूल के साथ दो कमरों का पैसा जिसमें 4 करोड़ 25 लाख रुपये तो हमने विभाग से दिये और बाकी डी.आर.डी.ए. की योजना के तहत हमने उनसे सहायता लेकर के लगभग 999 विद्यालयों में दो-दो कमरों की स्वीकृति देकर के, यह काम अभी चल रहा है शायद पूरा हो गया होगा।

पिछली बार मैंने एक घोषणा की थी कि हम नैतिक शिक्षा को प्रारम्भ कर देंगे। मैं सोचता हूं कि नैतिक शिक्षा या मूल्य आधारित शिक्षा, आज हम सब लोगों की चिन्ता यही है कि शिक्षा ही तो एक ऐसा माध्यम है जो आज के सारे चेलेंज को स्वीकार कर सकेगी या उसका मुकाबला कर सकेगी। चाहे इसमें हमको 10 वर्ष लगेंगे या 15 वर्ष लगेंगे, कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। आज की जो सामाजिक बुराइयां पैदा हो गयी हैं उनका कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे, प्रयास है शायद हो सकता है इसमें हमें सफलता कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी यह तो नहीं कहा जा सकता है। परन्तु केवल शिक्षक ही उसके लिए दोषी है ऐसा तो मैं नहीं मानता हूं, यह सम्पूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। आज स्थिति यह आ गयी है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया और बाकी सब लोग तो बिलकुल फ्री हो जाते हैं, सारा भार शिक्षक पर ही डाल देते हैं कि वही सम्पूर्ण वातावरण को बनायेगा। स्थिति यह बनी है कि अगर तहसील का तहसीलदार गांव में आयेगा तो 25 लोग उसको पूछने तो जरूर चले जायेंगे लेकिन गांव की स्थिति यह होगी कि अगर शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी भी आयेगा, 5 लोगों को बुलायेगा तो शायद किसी को फुर्सत आज मिलती नहीं। तो यह केवल एक तरफ बात नहीं हुई। आज सम्पूर्ण समाज को भी शिक्षा को जिस दृष्टि से देखना चाहिए उस दृष्टि से कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है। इसमें जो परेशानी आयी वह विशेषकर इस कारण से कि हम सब लोगों के बच्चे किसी न किसी निजी शिक्षण संस्था में पढ़ते हैं और वहां किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है। इसलिए हमें दिमाग में यह चिन्ता नहीं होती कि उस विद्यालय में क्या कमी है और क्या उसमें खामी है। तो यह भी एक बहुत बड़ी बाधा बन गयी है। जो समाज के सक्षम लोग हैं, उन लोगों का ध्यान आज राजकीय विद्यालयों की ओर नहीं जाता है। राजकीय विद्यालय के परीक्षा परिणाम के बारे में आपने कहा, यह बात सच है कि बोर्ड की मेरिट में तो आज भी सरकारी विद्यालय के बच्चों का जो परफोरमेंस है, वह अच्छा है। व्यक्तिगत मेरिट में, लेकिन इन टोटल स्कूल की जो मेरिट बनायी है हमने पिछले तीन साल की, पचास विद्यालय हमने सलेक्ट किये, जो पहले से लेकर पचास नम्बर तक आये तो वास्तव में पहले, 1992-93 का जो था उसमें पचास में से 49 विद्यालय निजी शिक्षण संस्थाओं के थे और राजकीय विद्यालय एक था। जो पचास विद्यालयों की मेरिट बनी, उसके दूसरे साल में पचास में से पचास ही निजी शिक्षण संस्था के थे। राजकीय एक भी विद्यालय उस मेरिट में नहीं था और उसके बाद यह जो 1994 वाली बनी, उसमें फिर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वही 49 और एक रिपीट हुआ। इस दृष्टि से वास्तव में हमारी कमी है और हमने इस साल प्रयास किया है, हरेक डी.ई.ओ. को, डिप्टी डायरेक्टर को एक-एक विद्यालय गोद दिया है। अब इस बार जो परीक्षा परिणाम आयेगा वह इस बात को बता सकेगा कि जो हमने विद्यालय गोद दिये हैं, उनमें उन्होंने किस प्रकार का सुधार किया। उसका परीक्षा परिणाम क्या आयेगा लेकिन प्रयास जरूर किया है कि परीक्षा परिणाम में निश्चित रूप से सुधार आये।

नैतिक शिक्षा, मैं सोचता हूं कि पुस्तक तो शायद एक ही बन पायेगी इस साल, छठी की लेकिन हम नैतिक शिक्षा को प्रार्थना सभा के साथ जोड़ रहे हैं और 20 मिनट की प्रार्थना सभा में नैतिक शिक्षा दी जायेगी। कुछ ऐसी कहानियां हो सकती हैं, कुछ महापुरुषों के जीवन चरित्र हो सकते हैं, कोई ऐसी विशेष बात हो सकती है, उसके आधार पर प्रार्थना सभा को हम ठीक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि विद्यालय में अनुशासन भी बन सके और बच्चों के साथ अध्यापक ठीक प्रकार से बैठ करके और इस कार्यक्रम को कर सकें।

मैं सोचता हूं कि सरस्वती योजना, जैसे विभिन्न योजनाओं के तहत भी हमने राजस्थान में शिक्षा का जो वातावरण है, उसको बढ़ाने का प्रयास किया है। सरस्वती योजना हमने आठ जिलों में प्रारम्भ की है और अभी हमने केवल 100 माताओं और बहनों को छांटा है, उनकी ट्रेनिंग के आधार पर हम पहला प्रयोग इस साल कर रहे हैं कि सरस्वती जो हमारी स्कीम है उसके तहत बच्चों का शिक्षण प्रारम्भ हो।

इसी तरह लोक-जुम्बिश और शिक्षा कर्मी योजना। इन दोनों के माध्यम से जो कुछ अब तक देखा उससे लगता है कि शिक्षा कर्मी, यद्यपि हम अध्यापक को पैसे कम देते हैं, 900/- रुपये ही देते हैं लेकिन उनके द्वारा पढ़ाये हुए बच्चों को जब हम राजकीय विद्यालयों के प्राइमरी स्कूलों के साथ खड़ा करते हैं तो उनके बच्चों का ज्यादा अच्छा शिक्षण है और उसके पीछे एक ही कारण है कि साल में 50 दिन की ट्रेनिंग होती है और उन शिक्षा कर्मियों की। पचास दिन की ट्रेनिंग के कारण से उनको शिक्षा कैसी देनी चाहिए और, यद्यपि वे पढ़े-लिखे दसवीं तक ही हैं, इनमें से कई बहनें तो आठवीं तक ही पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन ट्रेनिंग के कारण उनकी यह मानसिकता बनती है और वह उसमें काम करते हैं। तो उनके कई बच्चे शिक्षा कर्मी स्कूलों से नवोदय विद्यालय में सलेक्ट होकर गये हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा कर्मी योजना के माध्यम से हम निश्चित रूप से ग्राम के उन दूरदराज क्षेत्रों में, जहां विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है या जहां इन सारी सुविधाओं को देना हमारे लिए सम्भव नहीं है, वहां जो कुछ भी इसका परिणाम आया है, वह काफी उत्साहवर्धक है। उसमें अब तक तो सीडा से हमको अधिकांश, 90 प्रतिशत मिलता था, 10 प्रतिशत ही हमको देना पड़ता था, लेकिन अभी के समझौते के आधार पर पचास-पचास प्रतिशत, पचास प्रतिशत राज्य सरकार देगी और पचास प्रतिशत सीडा देगी। इस योजना को हम और आगे बढ़ा कर के इस बार हम 300 स्थान और विद्यालय के अन्दर लेंगे और उसमें सभी पंचायत समितियों को, प्रयास कर रहे हैं कि उसको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जितना जल्दी हो सके ले सके। इस तरह से लोक–जुम्बिश के माध्यम से भी....

श्री परसादीलाल मीणा : आपके जो स्कूल अध्यापकों से चल रहे थे, आपने वहां शिक्षा कर्मी के अनट्रेंड अध्यापक लगा दिये। तो पहले तो ट्रेंड अध्यापक लगे हुए थे तब तो आपकी योजना सफल नहीं थी। जो आपके विद्यालय चल रहे थे, आपने उसमें ट्रेंड अध्यापकों को हटा कर अनट्रेंड अध्यापक लगा दिये, उससे शिक्षा का स्तर कम हुआ है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं यह चाहूंगा कि अपने दोनों के मन का संशय निकल जाय। एक बार अपन साथ चलकर के दोनों विद्यालयों को देख लें और उसके बाद आकर आप जो कहेंगे उसको मैं मान लूंगा। (व्यवधान) हो सकता है कि कहीं कमी–खामी भी होगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि शत–प्रतिशत सही होगी, लेकिन जो कुछ भी मेरा सोच है, उसमें अगर कोई कमी होगी तो मैं उसमें सुधार कर लूंगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

इसी तरह से हमने एक निर्णय और लिया है महिला शारीरिक शिक्षक, अब महिला सैट-अप में महिला शारीरिक शिक्षक को ही लगायेंगे। पुरुष शारीरिक शिक्षक को महिला सैट–अप में हम नहीं लगायेंगे।

दूसरी एक जो समस्या कही थी कि शादी के कारण से बच्ची जो है वह किसी दूसरे जिले में चली जाती है और उनके ट्रान्सफर पर पांच वर्ष का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ है जिला और सम्भाग बदलने के कारण से। इस साल हम उसमें पूर्णतः छूट दे रहे हैं। जिन महिलाओं को अपने–अपने जिले में भेजना होगा उनको हम निश्चित रूप से उनके जिले में भेज देंगे।

स्थानान्तरण नियम के बारे में जैसी आपकी चिन्ता है, वैसी मेरी भी है। प्रारम्भ से, जब से मैं आया हूं इस मानसिकता से आया हूं कि अगर वास्तव में शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार करना है तो यह जो ट्रान्सफर वाली झंझट है, जब तक इससे पिंड नहीं छूटेगा तब तक इसमें कभी भी क्वालिटी की दृष्टि से कुछ न देखा जा सकता है, न उसमें कोई सुधार हो सकता है। यह बात जरूर है कि इसमें कुछ अड़–चन आयेगी लेकिन बोर्दिया कमेटी की रिपोर्ट हमको पिछले तीन महीने पहले प्राप्त हो गयी है, हमने लॉ डिपार्टमेंट से भी, डी.ओ.पी. से भी उसको दिखवा लिया है। उनके देखने के बाद आर.पी.एस.सी. के पास जायेगी और उनसे एप्रूव होकर लौट कर आयेगी। मैं इस निश्चित मानसिकता में हूं कि यह स्थानान्तरण नीति लागू हो ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव किये बिना सब लोग उसका लाभ उठा सकें और उसके अनुसार निर्णय कर सकें ताकि इस विभाग की जो सबसे बड़ी एक परेशानी है, उससे हम निश्चित रूप से मुक्त कर दें। (व्यवधान)....वैसे इससे शिवकिशोरजी ही नहीं, हम सब प्रसन्न हैं, आत्मा से प्रसन्न हैं क्योंकि न तो हम किसी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्थानान्तरण पर आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हो तो आपके यहां से जो लिस्टें भिजवायी जाती हैं उनको आप भिजवाना बन्द कर दीजिये। जब आपके यहां से अनसाइन्ड लिस्टें डिप्टी डायरेक्टर्स के पास, डिस्ट्रिक्ट

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

ऐजूकेशन ग्राफिसर के पास जाती हैं ग्रोर उनमें पर ट्रान्सफर होते हैं, वे ग्राप बन्द करवाइये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा है कि इस ट्रान्सफर पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद ग्राप बात कहेंगे तो मैं ग्रापकी बात को मान लूंगा कि मैंने इसमें कोई कमी–खामी रखी है । मैंने ग्रगर यह सोचा है तो किसी दृष्टिकोण से ही सोचा है, बाकी कोई इस ग्रधिकार को ग्रपने हाथ में खोना नहीं चाहता है, इसको ग्रपनी जागीर बनाकर रखना चाहता है । मैं इसमें बिलकुल शिक्षा के लिए ग्रगर मेरा राजनैतिक कैरियर भी इसके कारण से जाता है तो मुझे कोई चिन्ता की बात नहीं लेकिन मैं इस दृष्टि से सुधारने के लिए निश्चित रूप से ग्रपनी मानसिकता रखता हूं ।

विद्यालय खोलने के लिए जो कुछ पिछली बार बजट में मुझे मिला था उसको मैंने 20 मई के दिन ही उन सारे विद्यालयों को जो मुझे बजट में दिया था, मैंने किया ग्रोर उसके बाद जो कुछ ग्रोर बजट बढ़ा, उसको हमने थोड़ा दो तीन महीने, सितम्बर में लेट हो गये थे इस बार भी जो बजट में इसका एलोकेशन है, वह निश्चित रूप से मई के ग्रन्त तक करके, विद्यालय खुल जाएंगे ग्रोर ग्राप सब लोगों का भी सुझाव है कि संख्या को बढ़ाया जाय । मुख्य मंत्री जी को मैं भी ग्रपनी ग्रोर से ग्राग्रह करूंगा ग्रगर इसमें कोई संख्या बढ़ सकी तो उसके हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब हम दे सकेंगे । यह जो कहा जाता है कि महिला शिक्षा को हमने ज्यादा तवज्जोह नहीं दी । मैं सोचता हूं कि पिछली बार जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं, यानि हमने 47–48 सालों में 148 सारे राजस्थान में लड़कियों के टेन प्लस टू स्कूल थे ग्रोर हमने पिछली साल 51 लड़कियों के टेन प्लस टू स्कूल पिछले वाले कोटे में खोले हैं । ग्रोर मैं ग्राज भी इस मानसिकता में हूं कि निश्चित रूप से प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक बालिकाग्रों का टेन प्लस टू स्कूल होना चाहिये, ग्रगर इस साल उसकी पूर्ति नहीं हुई तो ग्रगले साल उसकी पूर्ति निश्चित रूप से करेंगे, ताकि महिला शिक्षा को हम बढ़ा सकें ।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापकी बहुत सन्तोषजनक रिप्लाई है । (व्यवधान).... I think, you have covered almost all the points raised by the Hon'able Members. माननीय चतुर्वेदी जी, ग्रब ग्राप....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : पांच मिनट ग्रोर केवल । शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रायें ग्रोर उनकी शक्तियों का हम उपयोग कर सकें इसलिए प्राथमिक शिक्षा तक मान्यता की कोई ग्रावश्यकता नहीं रहेगी, कोई भी प्राथमिक स्तर तक का विद्यालय बिना मान्यता के भी चल सकेगा ताकि जो नयी जनरेशन है, उनका हम उपयोग कर सकें, लेकिन इसमें स्तर नहीं गिरे इसके लिए हमने पांचवीं तक के जो ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के होंगे, उनको किसी राजकीय विद्यालय में पांचवीं की परीक्षा दिलानी पड़ेगी ग्रोर वहां से पास होने के बाद ही वह बालक छठी में भर्ती हो सकेगा ।

एक समस्या बार–बार ग्राती है कि हम इस सारे ढांचे को, ग्रगर केवल ग्राज एक

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिन इस सदन में बैठकर निर्णय करेंगे तो हम कोई शिक्षा में बहुत कुछ नया ढांचा दे सकेंगे यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि इस सदन की, शिक्षा से सम्बन्धित विशेष प्रकार के लोग हैं उनकी, प्रदेश स्तर की, विभाग स्तर की और जिला स्तर की एक महीने के पश्चात हम कमेटियां बना देंगे, जो साल में दो-तीन बार बैठकर सम्पूर्ण राजस्थान की शिक्षा के बारे में देखें और अपने सुझाव दें, ताकि हम उन सुझावों को लागू कर सकें।

(22.00)

अब तक जो सैकण्डरी स्कूल था उसको नवीं और दसवीं दोनों के कोर्स पढ़कर के बच्चों को परीक्षा देनी होती। अबकी बार हमने बोर्ड में यह फैसला किया है कि अगले साल की परीक्षा में केवल दसवीं का जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम के आधार पर दसवीं के बच्चों को परीक्षा देनी होगी। नवीं का जैसे ग्यारहवीं का लोकल होता है वैसे ही लोकल होगा और दसवीं का जो उसका पाठ्यक्रम है उसकी ही बोर्ड की परीक्षा होगी ताकि उस बच्चे पर अधिक सब्जेक्ट मैटर का भार नहीं पड़े और वह उसको उसमें कर सके।

समय पर पदोन्नति के बारे में जैसे मैंने कहा कि हमने इस साल, मैं आपके सामने सारे डिटेल्स रखता हूं, 340 वर्ष की डी. पी. सी., मतलब किसी सब्जेक्ट में 12 साल की डी. पी. सी. रुकी हुई थी, किसी में 14 साल की, किसी में 18 साल की, किसी में 8 और किसी में 9 साल की और किसी में एक साल की रुकी हुई थी ऐसी हमने 340 वर्ष की डी. पी. सी. इस समय कम्प्लीट कर दी। और अधिकांश सब्जेक्ट में हमने आज की तारीख तक की डी.पी.सी. कम्पलीट कर दी। अगले साल की डी. पी. सी. हमको पूरी करनी है, तो मैं सोचता हूं कि जिन शिक्षकों के आधार पर हमको यह काम चलाना है, हमने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी प्रयत्न किया और ग्यारह सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमने अध्यापक की, चाहे उसका पेन्शन केस होगा, चाहे उसका प्रमोशन केस होगा, चाहे उसका कोई मेडिकल का भत्ता होगा, यह जो हमने ग्यारह बिन्दु तय किये हैं, उन ग्यारह बिन्दु के तहत हमने उनकी सारी समस्याओं को सुलझा दिया है। मैं सोचता हूं कि थोड़े बहुत मेडिकल बिल अभी शायद बाकी होंगे वह भी हम एक–दो महीने में चुकता कर देंगे। आज की तारीख में हम यह कहने की स्थिति में हैं कि अध्यापक को जो राहत मिलनी चाहिये वह राहत हमने दी है और मैंने अध्यापकों के संघ से भी बार-बार यह निवेदन किया है कि आप हड़ताल पर या धरने पर उस समय जायें जब हमसे वार्ता करने से आपकी समस्या का कोई हल नहीं होता अन्यथा बिना वार्ता के आप जाकर के सड़क पर धरना लगाकर के और किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक जुलूस निकाले, यह मैं अपने लिए भी शर्मनाक बात मानता हूं। मैं प्रयास करूंगा कि वर्ष में दो बार उनसे मिल कर उनकी ऐसी मांगे जिनको हम आसानी से हल कर सकते हैं वार्ता के आधार पर ही उसको हल करने का प्रयास करेंगे।

एक बात जरूर आपने जो कही, मैंने प्रयास किया था कि विद्यालय का समय 7 घंटे का किया जाये। मैंने यह भी प्रयास

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किया था कि कुछ छुट्टियों को कम करके वर्किंग डेज, जो पढ़ाई के दिन हैं वे कम हो गये हैं, उनको मैंने बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन मैं उसको करने में सफल नहीं हो पाया। अगर आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद रहा तो इस बार फिर प्रयास करूंगा कि निश्चित रूप से मैं उसको आगे बढ़ा सकूं....

अनेक माननीय सदस्य : करो, करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और मैं चाहूंगा कि उसमें जितना उनके साथ बैठ कर के और उनके संघों के साथ भी बैठ कर के, बातचीत कर के अगर उसमें कोई रास्ता ऐसा निकले जिसमें उनकी और हमारी सहमति बन जाये और उस सहमति के आधार पर हम कुछ परिवर्तन कर सकें तो हम निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे।

एक बार मैं आप सबके प्रति फिर आभार व्यक्त करता हूं यद्यपि शिक्षा विभाग का जो कुछ भी ढांचा आज की तारीख में है, क्योंकि अभी तो प्रारम्भिक ढांचा ही जमा नहीं हुआ है, विद्यालय में अध्यापक ही नहीं हैं तो उसके गुणात्मक सुधार के लिए या उसके पाठ्यक्रम और बाकी के बारे में सोचने का तो अवसर मिलने का सवाल ही नहीं। इस बार अगर हमारा यह ढांचा जुलाई में ठीक प्रकार से जम जायेगा तो हम आप सबके सहयोग से और सहमति के आधार पर और राय करके हम चाहेंगे कि शिक्षा का गुणात्मक सुधार भी हो और शिक्षा से ही व्यक्ति बनता है और व्यक्ति से ही समाज और देश बनता है, हम प्रयास करेंगे, व्यक्ति के आधार पर देश बनाने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : केवल एक प्रश्न।

श्री राधेश्याम : आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है लेकिन एक बात...

श्री देवीसिंह भाटी : पहले उत्तर आने दो फिर पूछ लेना। एक साथ ही पूछ लेना। (व्यवधान) ताम्बीजी, बिराजो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : ताम्बीजी, एक साथ ही पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : विकलांग शिक्षा और उसके नियमों के बारे में आपने नहीं बताया।

श्री राधेश्याम : मैंने अर्ज किया कि आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया....(व्यवधान)...एक सैकण्ड की बात है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक बार दोनों का उत्तर हो जाए फिर प्रश्न और जवाब हो जाएगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा और संतोषजनक उत्तर दिया। मेरा इसमें एक सुझाव है कि बच्चों को 6 या 12 महीने की एक साथ स्कालरशिप देते हैं तो वह घर वालों तक नहीं पहुंचती। बाद में मिलती है तो बच्चे उसको अपने पर ही खर्च कर देते हैं। इसलिए अच्छा यह हो, जैसे हमारे टाइम होता था, महावार स्कालरशिप मिलती रहे बच्चों को तो घर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वालों पर वजन कम पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, एक जानकारी चाहती हूं। वह मंत्री महोदय से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आप सभी विद्वान हैं, मंत्रीजी भी पूर्ण ज्ञानी हैं। विराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, बाद में उच्च शिक्षा मंत्रीजी पूछने ही नहीं देंगे. इसलिए अभी पूछने दीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पूछ लेना बाद में।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी, उच्च शिक्षा मंत्रीजी पूछने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिये।

श्री राधेश्याम : आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है लेकिन आपने यह नीति नहीं बतायी कि जो पिछली बार आपने हमें एक भी स्कूल नहीं दिया, प्यार तो आप हम से बहुत करते हैं, तो यह भी आप हिस्से के हिसाब से सबको देंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। 14 घण्टे की ड्यूटी हो गयी हमारी बोलते-बोलते, विराजें आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव देकर सरकार का मार्गदर्शन किया है। ऐसे अच्छे सुझाव दिये हैं जिनके कार्यान्वयन के बाद संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से सुधार लाने में हम को सहयोग मिल सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रकार के जो विचार यहां आये, शिक्षा में क्वांटिटेटिवली एक प्रगति होनी चाहिए, क्वालिटेटिवली शिक्षा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति किस प्रकार हो, इसका इंट्रोस्पेक्शन किया जाये, आत्म निरीक्षण किया जाये, इस प्रकार का भी विचार यहां प्रकट हुआ है। आपके माध्यम से जो कुछ विषय मेरे से, उच्च शिक्षा से सम्बन्धि हैं उस विषय में मैं अपनी राय यहां रखने का प्रयास करूंगा।

जहां तक क्वांटिटेटिवली उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का विषय आया है, आने वाले माननीय सदस्यों ने कई नये महाविद्यालयों की मांग की है। सागवाड़ा, गोविन्दगढ़, जहाजपुर, सीमलवाड़ा, जमवारामगढ़, बस्सी, और जो कटमोशंस प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर लूणकरणसर, शेरगढ़, रामगंजमण्डी, लाडनूं, खैरवाड़ा, पाली, वेगूं और अकलेरा। एक और....

श्री शिवनाथ सिंह : झुन्झुनूं कैसे रह गया ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसकी चर्चा करूंगा, वह गर्ल्स की दृष्टि से।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा में नये महाविद्यालय खोलने की दृष्टि से कुछ प्रस्ताव यहां आये हैं। अगर

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

सभी माननीय सदस्यों को प्रस्ताव रखने का, अपनी बात कहने का अवसर मिलता तो शायद और प्रस्ताव आ जाते ।

श्री अध्यक्ष : जैसे मैं ही नहीं दे पा रहा हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जी हां, आप स्वयं बिराज रहे हैं, तुरन्त मावली, वल्लभनगर का सवाल आकर खड़ा हो जाता ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं सदन से, कि आठवीं पंचवर्षीय योजना जो चालू हुई थी अगर उसका खाका देखने की आप कोशिश करें तो अंतिम चार वर्ष या तीन वर्ष में राजस्थान में कोई भी नया महाविद्यालय नहीं खुलेगा, ऐसा उसमें सन्निहित था । पिछले साल दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एक ओर आठवीं पंचवर्षीय योजना के खाके में, बहीखाते में यह इन्द्राज था और दूसरी ओर उच्च शिक्षा मंत्रालय मुझे मिलने के बाद यह विषय, यह प्रश्न मेरे सामने आकर खड़ा हुआ कि क्या नये महाविद्यालय खोले जायें या नहीं । और खोले जायें तो उसमें प्राथमिकता क्या रखी जाये ? अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, पिछले वर्ष का बजट शिक्षा को समर्पित था उसी अनुसार मैंने भी तय किया था कि उच्च शिक्षा को महिला शिक्षा को समर्पित करूंगा । एक ओर खातेबही में कोई भी नया महाविद्यालय नहीं और दूसरी ओर मन की इच्छा, कैसे दोनों का तालमेल होता ? किन्तु मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, राज्य सरकार को जंचा कि यह जो प्रायोरिटी तय की गयी महिला महाविद्यालय के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, उस प्राथमिकता के आधार पर कोई न कोई सोच प्रारम्भ किया जाये । उस सोच में से प्रकटीकरण हो गया । यहां नहीं है अजमेर के माननीय विधायक महोदय, 500 से अधिक छात्राओं की सह शिक्षा महाविद्यालय में होगी, वहां कालेज खुलेगा, वित्त मंत्रीजी की सहमति हो गयी, मन का विचार बन गया । रेखा शुरू हो गयी और एक नया महाविद्यालय उस नाते से पिछली बार खुल गया ।

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह प्राथमिकता मैंने अपने मन में रखी एक वर्ष से, छोड़ूंगा नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना जब तक है यानि वर्तमान वर्ष और अगला वर्ष और इन तीनों वर्षों को राजस्थान की उच्च शिक्षा महिला शिक्षा को समर्पित होगी और इसी आधार पर मन में तय किया कि चाहे पहले खातेबही में नहीं होगा । माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया, उन्होंने कहा कि एक तो मैंने महाविद्यालय की घोषणा पहले कर रखी है, चार महाविद्यालय और देता हूं, महिला शिक्षा में खोलो । अब चार महाविद्यालय खोलने का मन में विचार आने के बाद एक प्रश्न आकर खड़ा होता है, क्या राजनैतिक भेदभाव किया जायेगा ? कोई विचार किया जायेगा, कोई न कोई रीति-नीति तो बनानी पड़ेगी । उसमें रीति-नीति बना दी कि जिस कम्बाइंड कालेज में 300 से अधिक छात्राएं होंगी, महाविद्यालय उसमें खुल जाएगा । जब मैंने सारे खातेबही देखने की कोशिश की, ओम प्रकाश जी, बूंदी से आने वाले माननीय विधायक, 300 से अधिक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

छात्राएं हैं, चित्तौड़गढ़ में 300 से अधिक छात्राएं हैं और वनवासी क्षेत्र बांसवाड़ा, जिसको मैंने माननीय हरिदेव जी जोशी की स्मृति बनाने का तय किया है, 300 से अधिक छात्राएं थीं और तीनों महाविद्यालय में अगले साल खोल दूंगा।

एक विषय, एक विचार और आकर खड़ा हुआ। इस प्रदेश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं और टोंक ऐसा क्षेत्र है जहां की बालिकाएं कहीं भी किसी भी दृष्टि से पढ़ने के लिए नहीं जा सकतीं। आखिर अल्पसंख्यकों पर विचार करना होगा और इसलिए चौथा कन्या महाविद्यालय उस टोंक में खोलने का निश्चय किया है। उसमें प्रगति हो गयी, अब खाता खतम हो गया। वह सारे विषय आकर खड़े हुए। क्या करूं मैं अब? मैं मार्गदर्शन चाहता हूं आपसे। किन्तु एक बात निवेदन करना चाहता हूं जैसा मैंने कहा, यहां रुकूंगा नहीं (व्यवधान) सुनिये, बस्सी में तो महाविद्यालय ही नहीं है। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किन्तु जैसा मैंने कहा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना तक....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साफ-साफ राजनैतिक भेदभाव है, तीनों जगह जहां पर आपने महाविद्यालय खोलने की बात की, वह तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 300 से ज्यादा लड़कियां हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : राजनैतिक भेदभाव जब नहीं माना जाएगा, आप बूंदी में....

श्री ओमप्रकाश शर्मा : धारीवाल जी, बूंदी की मांग आपने भी की है। आप भी मेरे साथ हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और आप बूंदी मे खोल रहे हो और बूंदी शहर, जो हिण्डोली शहर को जाती है इसके ऊपर खोलो।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आप विरोध कर रहे हो क्या बूंदी का? बूंदी का विरोध कर रहे हो क्या?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सबने सुन ली है, आप बिराजें। धारीवाल जी, बिराजें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बूंदी की जो सड़क जा रही है, उसके ऊपर खोलो।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : नहीं, बूंदी का विरोध कर रहे हो क्या? यह बताओ।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। धारीवाल जी को कहना नहीं है, वह मजाक की बात कर रहे हैं। बिराजें आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हिण्डोली से पधारे हुए माननीय विधायक महोदय की आंखों पर केवल राजनैतिक चश्मा चढ़ा हुआ है। मैंने जैसा कहा, मैं रुकूंगा नहीं। आगामी वर्ष में, मन में निश्चय किया है कि 200 से अधिक जहां छात्राएं होंगी, उसकी अंकना भी की गयी है। पहला-पहला आता है उसमें पाली, अभी मांग की है, क्षेत्र के विधायक नहीं है मेरे क्षेत्र के, किन्तु दूसरा आता है बारां, तीसरा आता है झालावाड़ और यहां आकर एण्ड हो जाता है। दौसा में केवल 136 विद्यार्थी हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, इतना ही नहीं, महाविद्यालय का

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

वायबल यूनिट है लड़कों के लिए 250, लड़कियों के लिए 150। 150 के अधिक जहां भी लड़कियां सह-शैक्षिक महाविद्यालय में होंगी, वहां आठवीं पंचवर्षीय योजना तक निश्चित रूप से खोल दूंगा, यह गारण्टी से कहना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में देखो जहां..

श्री अध्यक्ष : क्या सराड़ा की बात कह रहे हो आप ?

श्री रघुवीर सिंह : बिलकुल ही कम है।

श्री अध्यक्ष : सराड़ा में खुलवाना है ? बिराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह : सराड़ा में खोलो, खैरवाड़ा में खोलो, कहीं भी खोल दो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह : कोई जरूरी नहीं है, आप बड़ी-बड़ी+++ शहरों में खोलने की बात करते हो।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी, बिराजिए।

श्री रघुवीर सिंह : जनजाति क्षेत्र में खोलकर देखो आप।

श्री अध्यक्ष : रघुवीर सिंह जी, बिराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह : अब तक यूं करते गये, यूं करते गये।

श्री अध्यक्ष : आपसे डबल उम्र है, आप बिराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन भी कहा था बांसवाड़ा जनजाति क्षेत्र है और उसमें लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोल रहा हूं मैं, किन्तु जनजाति क्षेत्र में जब भी लड़कों के महाविद्यालय खोलने का सवाल आयेगा उस समय सीमलवाड़ा को पहला कालेज खोलकर मैं दूंगा। यह मैंने घोषणा की है। मैं उससे अड़ा हुआ हूं (व्यवधान) सागवाड़ा, क्षमा करेंगे सागवाड़ा। सीमलवाड़ा नहीं, सागवाड़ा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या समझ रहे हैं कि चाकलेट बांटनी है, माननीय बिराजें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : ..175 किलीमीटर दूर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय, बिराज जाइये आप। आप बिराज जाइये। क्या भाषण दे रहे हैं आप ?

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय नहीं होगा। हम विरोध करेंगे उसका। उदयपुर से डूंगरपुर तक 115 किलोमीटर, और कई महाविद्यालय हैं, यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराज जाइये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : 300 से अधिक लड़कियां बालोतरा में

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम चौधरी)

लड़कों के साथ पढ़ती हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा क्या 300 से अधिक लड़कियों के लिए बालोतरा में कालेज खोलेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन की इच्छा है, राज्य सरकार का मत है कि प्रत्येक जिले में कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। 150 तक की तो योजना मैंने बना दी, किन्तु मेरा विश्वास है कि आगामी दो वर्ष में निश्चित रूप से शेष जिला महाविद्यालयों में, सहशिक्षा महाविद्यालयों में 150 संख्या हो जायेगी, इसलिए आगामी तीन वर्षों में राजस्थान में कोई भी ऐसा जिला केन्द्र नहीं रहेगा, जहां कन्या महाविद्यालय नहीं होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हर बात के लिए तो मुख्य मंत्रीजी ने यह कह दिया, अब बात कर रहे हो और यह मंत्रीजी हैं जो कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। यह है चम्बल का पानी।

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, विराजिये।

श्री अमराराम चौधरी : आप जिले की बात कह रहे हो, जिला हमारे से 117 किलोमीटर दूर है।

श्री जगदीप धनखड : इन पर समय की पाबन्दी लगाइये कुछ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने की जो चर्चा की है, वह केवल विस्तार का विषय नहीं है। कुल कन्या महाविद्यालय गैर-सरकारी क्षेत्र में 43 हैं। इन 43 में से केवल 12 महिला महाविद्यालयों को अनुदान मिलता था। मैंने राजस्थान के सभी कन्या महाविद्यालयों को कहा, जो भी समय से प्रार्थना-पत्र दे देगा, राज्य सरकार उसको अनुदान मुहैय्या करायेगी। आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं 22 कन्या महाविद्यालय थे उसमें से केवल 14 के प्रार्थना-पत्र समय पर आये और 14 के 14 को अनुदान 70% से 90% देकर दो करोड़ की राशि, नेवर इन दी हिस्ट्री आफ राजस्थान, करके बताया है हमने कन्या महाविद्यालय के क्षेत्रों में।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जब अनुदान के अकाउन्ट्स हमारे सामने आये, ऐसा कहीं हुआ नहीं होगा पहले, हमने देखा कि कन्या महाविद्यालय में दो हजार रुपये खर्च हुए हैं केवल खेल के मैदान पर लड़कियों को खिलाने के लिए। मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सुनें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : (व्यवधान) यह तो मुख्य मंत्रीजी हाथ पकड़ लेते हैं आपका। नहीं तो, आप तो पता नहीं कितनी जगह खोल दो। (व्यवधान) आपसे हमें तो बहुत आशा है।

श्री जुबेर खान : आज भी कैलाश जी बहुत शिकायत करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : करेंगे यह देखना आप ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 22 में से 14 प्राप्त हुए हैं, उनको तो अनुदान दे दिया । बाकी आठ विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को मैंने बुलाया कि जब कन्या विद्या को प्रोत्साहन देना चाहते हो तो आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी । उन्होंने प्रार्थना पत्र देने का वायदा किया है जो अब देंगे । जब हमने उनके अकाउंट्स देखे, एक कन्या महाविद्यालय पर लिखा हुआ था कि दो हजार रुपया हमने खेल पर लड़कियों के लिए किया है । एक शिक्षा मंत्री के नाते मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था कि केवल दो हजार रुपये खर्च करके लड़कियों को क्या खिलाया जा सकता है । मैंने कहा उनको नहीं, आप बीस हजार रुपये खर्च कीजिये, नब्बे पर्सेंट से अट्ठारह हजार हमसे लीजिये, दो हजार रुपये आप खर्च कीजिये । राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार का पहले कभी नहीं हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं, दो कन्या महाविद्यालय के खाके हमारे पास आये । पुस्तकालय के लिए ढाई हजार रुपये का खर्चा । हमने कहा ढाई हजार रुपये में पुस्तकालय क्या बनता है, पच्चीस हजार रुपये देंगे । नब्बे पर्सेंट हम देंगे, ढाई हजार आप खर्च करो और उनको दिया गया । (व्यवधान) मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मन की इच्छा है और राज्य सरकार का सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सहारे नहीं रहना चाहिए । सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक नहीं घुसना चाहिए । निश्चित रूप से निजी क्षेत्र में शिक्षा को अधिक से अधिक जाना चाहिए । मैं कन्या महाविद्यालय के लिए कहना चाहता हूं, रामगंज मण्डी वाले हमारे पास आए, उनको कन्या महाविद्यालय की एन.ओ.सी. हमने दे दी । हमारे पास मानसरोवर के लोग आये । अभी-अभी कहा बराबर से आने वाले माननीय सदस्य ने, अगर वह प्रार्थना पत्र आज देंगे तो कल एन.ओ.सी. मिलेगी उनको अपनी कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए । केवल चौबीस घंटे का समय इसलिए दे रहा हूं, मैं चाहता हूं । अभी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय विधायक चर्चा कर रहे थे लड़कियों का और लड़कों का कालेज खोलने के लिए । आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के मन की इच्छा निजी क्षेत्र में खोलने की है । हम, नब्बे पर्सेंट उनको देंगे क्योंकि सचमुच जो अकाउन्ट्स पेश किया गया है....

श्री शिवनाथ सिंह : वह नहीं लेंगे ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह न लें चाहे किन्तु मैं तो चाहता हूं इस क्षेत्र के रहने वाले बहुत सारे लोग अभी भी कलकत्ता, बम्बई, आसाम में रहते हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे उन झुन्झुनूं के अप्रवासी राजस्थानी भाइयों को, वहां की जनता को कि उन्होंने सरकार के बिना सहयोग के ही शिक्षा के क्षेत्र में इतनी प्रगति की है किन्तु मेरी तो सीमा है । आठ कन्या महाविद्यालय सरकारी हैं, चार क्षेत्र हैं, झुन्झुनूं, सीकर, चूरू और एक और है वह निजी क्षेत्र है बारां । चार इस बार खोल रहे हैं । मन की इच्छा प्रत्येक जिले में पहुंचने की है । इसलिए जहां खुले हुए हैं वहां थोड़ी बात के लिए खोलने का होगा तो मेरे लिए क्या समस्या खड़ी हो जाएगी ।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे चाहें तो अनुदान लें किन्तु निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को अलग-अलग क्यों करते हैं आप ? करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जनता सरकार, सरकार निजी संस्थाएं, सरकार प्रवासी राजस्थानी भाई, सरकार अप्रवासी भारतीय भाई, इनको कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार करना होगा तो शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। यह सरकार के बूते की बात नहीं है, न सरकार करना चाहती है। यह भारत भारत है, रूस, चीन नहीं है कि सारी बातें सरकार के हाथ में देने के हम हामी हों।

अध्यक्ष महोदय, इतनी बात नहीं है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमने यह भी निश्चय किया है हमारे यहां प्रवेश के लिए नियम बने हुए हैं। 48 पर्सेंट मार्क्स जिसके आये हैं, साइंस में प्रवेश मिलेगा। 45 पर्सेण्ट मार्क्स आर्ट्स और कामर्स में आयें उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश मिलेगा किन्तु इस वर्ष तय किया है कि लड़कियों के लिए कोई भी पर्सेंटेज नहीं रहेगी, 33 पर्सेण्ट वाली लड़कियों को भी, सबको एडमिशन दे देंगे हम इर्रेस्पेक्टिव आफ दी पर्सेण्टेज। इतनी बात नहीं हमने यह भी निश्चय किया है।

श्री रतनलाल ताम्बी : घोषणा मंत्री हो गये, बहुत अच्छा। रिकार्ड तोड़ दिया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तो करने वाला हूं।

एक माननीय सदस्य : ग्रामीण लड़कों के लिए भी कोई प्रावधान करो, मंत्री महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बालिकाएं पढ़ने के लिए कहीं आयेंगी, किसी गांव से चलकर ब्यावर में आयीं, जयपुर में आयीं तो उनके रहने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। किराये से मकान लेकर उनको देगी, होस्टल उनके लिए खोलेगी। उसका कोई खर्च वहन करने की स्थिति में उनको नहीं रहने दिया जायेगा।

आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैं। मैंने निजी क्षेत्र में कहा, पीसांगन की चर्चा हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र है नगरपालिका भी नहीं है वहां। वहां के बन्धु मुझे मिले थे। हमारे यहां मापदण्ड है कि जिला केन्द्र पर खोलने के बाद अब हम एस. डी. एम. क्षेत्र पर जा रहे हैं। लड़कों की, शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र में नियम बनाया है कि जो लोग भवन बनाकर देंगे और कालेज के लिए तीन वर्ष का खर्चा देंगे, महाविद्यालय हम खोलेंगे। लड़कियों के लिए भवन बनाकर एक वर्ष का खर्चा देंगे, हम कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। पीसांगन के बन्धु इसी प्रकार का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आये हैं, मैंने उनको श्योर किया है आप तय कर आइये, हम कान्ट्रेक्ट करेंगे। आप भवन बनायेंगे जिस दिन आधा भवन बनकर तैयार हो जाएगा एक साल का खर्चा करने के बाद राज्य सरकार उस ग्रामीण क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय को अपनी तरफ से चलायेगी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : पीपाड़ सिटी का भी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, पीपाड़ सिटी और नोखा, इनका अभी तक कान्ट्रेक्ट नहीं हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं पद्धति बन पड़ी है। अब लोग गांव-गांव से उठकर आ रहे हैं....

श्री राजेन्द्र गहलोत : पीपाड़ सिटी में तो सात तरीख को आप शिलान्यास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नार्म्स के हिसाब से देखा जायेगा।

श्री अमराराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी मैं निवेदन कर रहा हूं कि बालोतरा में तीन सौ लड़कियां हैं जो बच्चों के साथ पढ़ रही हैं, उनके लिए आप क्या....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, जी नहीं है, असत्य बात है। दो सौ से कम है मेरे पास नम्बर है मैं आपको बता दूंगा 200 से कम है।

श्री अमराराम चौधरी : तीन सौ है, तीन सौ।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही लगता है, सरकारी आंकड़े हैं। बिराजिये। बात पहले पूरी सुन लें। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, पिछली बार बजट प्रस्तुत करते समय और मेरी मांगों का उत्तर देते समय मैंने कहा था, हमारे मन की इच्छा है कि राजस्थान में जो लड़कों के महाविद्यालय हैं, जिला केन्द्रों पर कोई भी महाविद्यालय पोस्ट-ग्रेजुएट से कम न रहे। वह काम हमने पूरा कर दिया। जिला केन्द्र की बात कर रहा हूं मैं। (व्यवधान) प्रत्येक जिला केन्द्र पर, केवल राजसमन्द को छोड़कर जिसमें हमने इस साल कोलेज की स्थापना की है। अभी प्रथम वर्ष केवल चल रहा है और कभी आगे मौका आयेगा, इन्सपेक्शन होगा तो सारे जो ग्रेजुएट कालेज होंगे उसको भी हम जिला केन्द्र पर पोस्ट-ग्रेजुएट परिवर्तित कर देंगे।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष में जैसलमेर और बारां, इन दोनों स्थानों पर हमने पोस्ट-ग्रेजुएशन किया, ये जिला केन्द्र थे। उसके साथ साथ सांभर लेक, प्रतापगढ़ और राजगढ़, इन तीनों क्षेत्रों को भी, राजगढ़ अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, इसलिए इनको भी पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज में हमने परिवर्तित कर दिया है। एक अकेला महाविद्यालय है सवाई माधोपुर, जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। हमने निश्चय किया है उस सवाई माधोपुर को इस साल पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज बनाकर राजस्थान के तीस के तीस जिले राजसमन्द को छोड़ कर पोस्ट-ग्रेजुएट बना दिये जायेंगे।

बालोतरा में 43 लड़कियां हैं, फोर्टी थ्री गर्ल्स।

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नम्बर नहीं है, लैस देन टू हण्ड्रेड।

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर में कितनी है ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 136 हैं, शायद।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी इच्छा आपकी इच्छा कह रहे हो। आपके मन की इच्छा और मेरे मन की इच्छा का संगम होगा कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : होगा तो सही पर थोड़ा देर से होगा। माननीय मंत्री जी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालयों में इस वर्ष पन्द्रह नये विषय प्रारम्भ करने की योजना है और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इसका तो बजट में प्रावधान किया गया है, किन्तु हमने यू.जी.सी. से सहयोग लेकर भरतपुर में बी.एस.सी. इलैक्ट्रोनिक्स का विषय अगले वर्ष खोलने का भी निश्चय किया है।

सुझाव आते समय चर्चा आयी कि क्वालिटेटिवली सुधार होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब मंत्रालय मेरे पास आया, जो शिक्षा सत्र था उसके नियमितीकरण का सवाल आकर खड़ा हो गया। उससे पहले क्या था, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, किन्तु मैं राजस्थान भर के महाविद्यालय के सारे प्राचार्यों को, उप आचार्यों को, वहां के शिक्षकों को, वहां के विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं, समय पर प्रवेश हो गया। 8 अक्टूबर को राजस्थान की धरती पर एक दिन में चुनाव सम्पन्न हो गये छात्रसंघ के। अभी थोड़ी सी कमी बाकी है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की दृष्टि से, अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के बी.सी. की चिट मेरे पास आयी है कि थोड़ी देरी हो रही है। उनके यहां 10 जून तक आखिरी परीक्षा है। नियमित सत्र के नाते तय हुआ था कि 30 जून तक सारे परीक्षा परिणाम आ जायेंगे। उन्होंने लिखकर भिजवाया है-हमने व्यवस्था कर ली है कि निश्चित रूप से 30 जून तक हम भी हमारी परीक्षा पूरी कर लेंगे और उसके परिणाम भी सामने ले आयेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सत्र का नियमितीकरण इतना आवश्यक है, हिन्दुस्तान भर के नतीजे निकल जाते हैं, कांपीटीटिव दृष्टि से हमारे यहां के विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। बाड़मेर में 39 लड़कियां हैं। (व्यवधान) संगम तो होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले ही कह दिया देर लगेगी अभी। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने तो प्रत्येक जिला केन्द्र को करने की बात कही है।

श्री अमराराम चौधरी : इसीलिए 46 रेगूलर हैं और बाकी प्राइवेट।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था, हिन्दुस्तान भर के जो कांपीटीटिव एग्जामिनेशंस होते हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इस संगम में आप इधर आयेंगे कि ललितजी उधर जायेंगे या बीच में होगा कहीं।

श्री परसराम मदेरणा : नियर फ्यूचर तो यह संगम होने वाला नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हम हैं। महाविद्यालय तो आज के तीसरे वर्ष में बाड़मेर निश्चित रूप से होगा।

श्री परसराम मदेरणा : तीन वर्ष में होगा। आप वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हम रहेंगे और कुछ मूंग दलना हो तो वह भी दलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : यह अच्छा है कि आज वह क्लोज डार मीटिंग में चले गये हैं ठाके जाओ आज आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था, सत्र का 'नियमितोकरण नहीं होने के कारण भारतवष के जो कांपीटीशंस होते हैं उसमें हमारे विद्यार्थी लेट हो जाते थे। उन परीक्षाओं मे भाग नहीं ले पाते थे और इसोलिए इन दो वर्षों का ही नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमने एक समिति का निर्माण कर दिया है जिसमें सारे वाइस चांसलर्स की नियमित बैठक होती है। अगले वर्ष के लिए इसी माह में तीन दिन पहले बैठक हो गयी है और अगले वर्ष का सारा कलैण्डर निश्चित हो गया है। मेरा विश्वास है, मैं माननीय विधायक महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, दबाव मुझ पर तो बहुत आते हैं, परीक्षा सरकाइये, प्रवेश की तिथि बढ़ाइये, चुनाव मत होने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : आप हिम्मत रखिये। सरकाने को तो आपको नम्बर तीन पर सरकाया है, लेकिन आप ठोके जाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तीन नहीं, चार। (व्यवधान) मैं इसीलिए निवेदन कर रहा था कि मुख्य सचिव.... (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। हिम्मत की दाद देता हूं मैं। You are a very courageous minister.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हो गयी है और हर वर्ष यह चलेगी और सत्र के नियमितीकरण में सभी माननीय सदस्यों का भी सहयोग होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री कालीचरण सराफ : नया कलैण्डर तो घोषित करिये, क्या है (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह अभी तय करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : रिद्म मत तोड़ो, रिद्म मत तोड़ो, नहीं तो अभी वंचित रह जाओगे कुछ बातों से। आने दो अभी और।

श्री जगदीप धनखड़ : +++है आपका।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुणात्मक सुधार की दृष्टि यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी। (व्यवधान) अभी तो मुश्किल है जैसा शिक्षा

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

मंत्री कह रहे थे, नियमित उपस्थिति नहीं होती। न शिक्षक लेते हैं, न विद्यार्थी आते हैं। ऐसा सब जगह नहीं है। कुछ–कुछ स्थानों पर है। अगर नियमित उपस्थिति नहीं होगी, कहा जाता है, यह शिक्षक कहते हैं कि लड़के पढ़ने नहीं आते। कई जगह विद्यार्थी कहते हैं कि शिक्षक नहीं पढ़ाते। कैसी दयनीय स्थिति है? मेरी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से सहमति है। एक अवसर था। मैं उतनी उम्र का तो नहीं हूं लेकिन 64 साल का मैं भी हूं। आज भी कोई पुराना शिक्षक मिल जाता है तो पैर छूने की इच्छा उसकी हो जाती है। एक शिक्षक कहे कि विद्यार्थी नहीं आते आपके पढ़ने में रस नहीं होगा; आपके मन की इच्छा नहीं होगी, विद्यार्थी कहे नहीं आता है। इसलिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि आगामी सत्र से उपस्थिति को नियमित करने की पूरा–पूरा प्रयत्न किया जाय और कोई नहीं करेगा तो निश्चित रूप से उसको दंडनीय अपराध मान–कर निश्चित प्रयत्न किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : उनको दंड क्या देंगे? अनाउंस करो क्या दोगे? उनको मुर्गा बनाओ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हर महीने उपस्थिति ली जायेगी। उनको बतायी जायेगी। तीन महीने में कमी अभिभावक को बतायी जायेगी और अन्त में उपस्थिति पूरी नहीं हुई तो परीक्षा में बैठने की दृष्टि से अवरोध पैदा हो जायेगा।

श्री कालीचरण सराफ : कितनी प्रतिशत उपस्थिति?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तय करेंगे वह तो। एक विचार गुणवत्ता की दृष्टि से चलता आ रहा था। राजस्थान में 6 विश्वविद्यालय हैं। कभी किसी का ट्रांसफर होता है, ग्रेज्युएट क्लासेज में बहुत तकलीफ होती है। ग्रेजुएट क्लासेज पर विषय की एकरूपता हो इसलिए राजस्थान सरकार ने कमेटी बनायी है कि ग्रेजुएट लेवल पर आर्ट्स, कामर्स, साइन्स, कुछ अपनी ओर से विषय तय करें और कमेटीज की मीटिंग करे तीनों की, विषय उनके सामने रखें और उसको प्रभावी ढंग से चालू करके ग्रेजुएट लेवल के विषयों में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया जाय। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि स्वायत्तशासी संस्थाएं जो राजस्थान में चल रहीं हैं, नयी शिक्षा नीति आयी और स्वायत्तशासी संस्थाएं आ गयी।

श्री परसराम मदेरणा : संस्कृत विश्वविद्यालय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आ रहे हैं। नयी शिक्षा नीति आयी, स्वायत्तशासी संस्थाऐं, महाविद्यालय आ गये। किन्तु मुझे कहते हुए कष्ट होता है केवल दक्षिण के कुछ क्षेत्र में आटोनोमस कालेजेज हैं। वह भी प्राइवेट हैं। यह कैसा राजस्थान है? यहां राजकीय महाविद्यालय आटोनोमस कालेजेज हैं। और लगातार सभी बुद्धिजीवियों में प्रश्न उठ रहा है, जो छहों महाविद्यालयों की गतिविधियां हैं; उनके अकाउन्ट से उनकी अकाउंटेबिलिटी है, प्रश्न वाचक चिन्ह के रूप में खड़ी हो गयी। इसलिए आटोनोमस कालेज रहें न रहें, इसके लिए एक कमेटी का निर्धारण किया गया है, जो तीन महीने में रिपोर्ट दे देगी और आगामी वर्ष में उस रिपोर्ट पर विचार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

करके राज्य सरकार तय करेगी कि उन 6 महाविद्यालयों को आटोनोमस कालेज चलाया जाए या नहीं चलाया जाय जो राजकीय क्षेत्र में है। किन्तु उसमें मेरा कहना नहीं है कि आटोनोमस कालेजेज नहीं होने चाहिए। राजस्थान में निजी क्षेत्र में और भी महाविद्यालय हैं जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। स्टेन्डर्ड अच्छा रख सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और उनको आटोनोमी देने के बारे में भी राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार कर सकती है।

श्री भंवरसिंह डागावास (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति....

श्री अध्यक्ष : विराजिये। बीच में खड़े क्यों हो गये आप।

श्री भंवरसिंह डागावास : आपसे अनुमति ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई अनुमति नहीं।

श्री भंवरसिंह डागावास : सारे बोल रहे हैं और मैं खड़ा हुआ तो अनुमति नहीं।

श्री अध्यक्ष : पहले मंत्रीजी की बात पूरी होने दीजिये। मंत्रीजी की बात पूरी होने दीजिये फिर आप बात उठायें।

श्री भंवरसिंह डागावास : फिर आप नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यहां पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से कुछ बातें प्रकट की। चर्चा करूंगा, मैं तकनीकी क्षेत्र में जाऊंगा, किन्तु यू.जी.सी. के सहयोग से राजस्थान के दस राजकीय महाविद्यालयों में, तीन गैर सरकारी महाविद्यालयों में और एक विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में रोजगारोन्मुखी दो-दो विषय, 24 विषय इस वर्ष से हमने प्रारम्भ कर दिये हैं और इस वर्ष में भी दो-दो विषय हम और प्रारम्भ कर देंगे। इसके पीछे यही प्रयोजन है कि रोजगारोन्मुखी जो विषय हैं, उन विषयों को उच्च शिक्षा के साथ-साथ विद्यार्थी पढ़ते चले जाएं, उनमें दक्ष हो जायं और उसका उपयोग आजीविका की दृष्टि से, पैरों पर खड़ा होने की दृष्टि से हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों के बारे में बहुत चर्चा होती थी। कोई विश्वविद्यालय एक स्थान का है, इनका पुनर्गठन होना चाहिए। राज्य सरकार इस मत की है कि राजस्थान में क्षेत्रीय आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। किन्तु एक्सपर्ट कमेटी क्या कहती है? एक कमेटी का निर्माण हुआ और उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है। सरकार उस पर विचार कर रही है कि विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के पुनर्गठन की दृष्टि से और क्षेत्रीय दृष्टि से विश्वविद्यालय हों, इस दृष्टि से राज्य सरकार उस कमेटी के जो मिनट्स आये हैं उसके आधार पर विचार करके निर्णय करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, स्मरण करवाना चाहता हूं कि

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पिछली बार, . पिछली बार ही नहीं पिछले आठ वर्षों से अस्थायी प्राध्यापकों का सवाल लगातार उठता रहा, चर्चा होती रही कि अस्थायी प्राध्यापकों का क्या हो रहा है। शिक्षक के तलवार गर्दन पर अगर लटकी रही, 12, 12 साल से शिक्षक बना रहे और उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा उसको पता नहीं हो तो राज्य सरकार ने इस नाते से प्रयत्न करके अपने नियमों में संशोधन कर दिया है और महाविद्यालय के सारे अस्थाई शिक्षक एक छानबीन कमेटी के सामने जाकर जिस समय उनका चयन हुआ था उस समय प्रोपर क्वालिफिकेशन वही उनकी थी तो उनको निश्चित रूप से नियमित कर दिया जायेगा। यह कानून में हमने संशोधन कर दिया है। इतना ही नहीं यह विश्वविद्यालय का सवाल भी आया किन्तु विश्वविद्यालय के रिकार्ड पूरे नहीं मिलेंगे। माननीय उप मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। अभी विधान सभा का सत्र चल रहा है। उनके मन की इच्छा है कि एक मास में इस बात पर निर्णय कर लिया जाय। कौन-कौन सी इनफार्मेशन लानी है, विश्वविद्यालय को भेजी जा चुकी है। मेरा विश्वास है कि सारे मिनट्स, सारी सूचनाएं उप मुख्य मंत्रीजी की कमेटी के पास आ जायेंगी और मई मास के अन्त तक उन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के अस्थायीपन का भी निराकरण हम निश्चित रूप से कर सकेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): गर्दन पर तलवार थी उसका तो आपने इलाज कर दिया और वह तलवार लटक रही है जिनके सिर पर, वे आपके पास गये होंगे कि

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री): मेरे को जो तलवार दी है वह तलवार मेरे हाथ में है।

श्री परसराम मदेरणा : गर्दन वाली तो कसाई के पास होती है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरी अपने हाथ में है, अपनी-अपनी गर्दनें सम्भाल लीजियेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी कठिनाई थी। एक ओर शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पर विकास करने की बात, दूसरी ओर अस्थायी प्राध्यापकों का विषय था और दूसरा प्रश्न यह था, उपाचार्य, प्राचार्य का प्रोमोशन, डी.पी.सी. हम नहीं कर सकते थे। नियम ऐसे बने थे, कि पिरामिड ऐसा बन गया था, जिनका सलेक्शन करना है वह ज्यादा आचार्य उपाचार्य जिनमें से सलेक्शन करना है वह लोग कम। डी. पी. सी. नहीं हो पा रही थी। एडहाक आचार्य, उपाचार्य लगा रहे थे। राज्य सरकार ने प्रयत्न पूरा करके, नियमों में संशोधन कर दिया। डी. पी. सी. कर दी और आज इस समय सारे आचार्य, और उपाचार्य नियमित रूप से चयनित होकर महाविद्यालयों में मनोनीत होने लग गये हैं। उसी प्रकार एडहाकिज्म की दृष्टि से जो, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस सारी बहस में एक विषय नहीं आया। वह विषय यह था कि इस वर्ष में, जैसा सामान्य शिक्षा के लिए कहा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

गया है कि उच्च शिक्षा में प्रोफेसरों की कमी थी। कमी तो थी, कमी इसीलिए थी एक ओर आर.पी.एस.सी. सलेक्शन नहीं कर रही थी क्योंकि टेम्परेरी लेक्चरर्स का विषय तय नहीं हो रहा था। वह तय हो गया है, आर.पी.एस.सी. ने सलेक्शन कर लिया, आगामी सत्र पर प्रत्येक शिक्षक लग जायेगा, कोई वेकेन्सीज नहीं रहेगी। किन्तु 150 लोगों की वेकेन्सी रहने के बाद भी उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई। इसके लिए मैं राजस्थान के सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा उनको, शिक्षा मंत्री के नाते मेरी अपील है कि अपने क्षेत्र से चलो। दूसरे महाविद्यालयों में जाओ। तीन-तीन महीने के लिए पढ़ाओ। और आपको कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान के महाविद्यालय के शिक्षकों ने दो टर्म में तीन-तीन महीने जाकर, अपने गांव से हट कर दूसरी जगह पढ़ाया और एक भी शिक्षक की कमी प्रतीत नहीं होने दी। आज स्थिति यह बन गयी है, यह सारा एडहाकिज्म खतम हो गया और चयनित रूप से सारे लोग निश्चित रूप से सामने आ गये, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : यह पेंडोराज बाक्स है। क्या-क्या निकलता है आपको पता नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय। यह हमारे पास पेंडोराज बाक्स है, क्या-क्या निकलता है बाक्स में से, पता नहीं है आपको। अभी और निकल रहे हैं पेंडोराज बाक्स में से।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजिये, सिंह साहब, बिराजिये।

श्री परसराम मदेरणा : क्या निकल रहा है?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पेंडोराज बाक्स है, क्या-क्या निकल रहा है आपको पता नहीं है। अभी निकल रही हैं और चीजें।

श्री परसराम मदेरणा : पेंडोराज बाक्स। इसमें क्या सर्प निकल रहे हैं या बिच्छू निकल रहे हैं? क्या निकल रहा है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में विधि महाविद्यालय भी हैं किन्तु आज तक वे विधि महाविद्यालय सामान्य महाविद्यालयों के साथ चल रहे हैं। एक ओर डिसिप्लीन की समस्या खडी हो रही है। क्यों हो रही है, इसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता और दूसरी ओर बार कौन्सिल का निर्णय है कि राजस्थान में विधि महाविद्यालय अलग से बनना चाहिये, उसके साथ नहीं होना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस आगामी वर्ष में जितने महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय हैं, उनका प्रशासन हम अलग कर रहे हैं, उनके अलग से कालेज की स्थापना कर रहे हैं, हमारे जितने विद्यालय हैं। इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। दो समस्याएं थीं, एक समस्या यह थी और दूसरी शर्त उनकी और थी। यह शर्त थी कि जिन-जिन स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हैं उन स्थानों पर विधि महाविद्यालय नहीं चलने देंगे। पूर्व में दौसा और बारां में विधि महाविद्यालय चलते थे किन्तु क्यों? कल उनकी भी रिपोर्ट आ गयी। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं था क्योंकि जिला नहीं बना था तब तक। उनके इस कठोर निर्णय के कारण

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आज के कई वर्ष के पूर्व शायद 87 या 88 में दोनों महाविद्यालय बन्द करने पड़े हमको। किन्तु आज जिला बन गया है वहां, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं बारां के विधायक को और दौसा के विधायक को कि दोनों स्थानों पर पुनः हम विधि महाविद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं इस वर्ष में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा हुई थी कि गुणात्मक सुधार होना चाहिए। उसकी दृष्टि से कहा था कि परिसंवाद प्रारम्भ होना चाहिए। मुश्किल तो यह थी कि परिसंवाद, 15 वर्ष हो गये, 15 वर्ष के पहले कभी प्रिंसिपल्स की कांफ्रेंस हुआ करती थी जो प्रिंसिपल्स एकजुट होकर सारे शिक्षा के अधिकारियों से, मंत्रियों से मिलते थे। व्यवस्था बंद थी। ऊपर से ही संवाद नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस वर्ष से हमने वापस उस आचार्य सम्मेलन को प्रारम्भ कर दिया है और तय किया है कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का सम्मेलन हम करेंगे। इतना ही नहीं, अपने स्तर पर वर्ष के प्रारम्भ में जुलाई, अगस्त में प्रत्येक सम्भाग में मैं गया। वहां के सारे प्रिंसिपल्स को मैंने बुलाया। जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे संवाद की शुरूआत वहां हो गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान भर के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा तो इस संवाद से होगा? यह प्रक्रिया यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए, यह नीचे जानी चाहिए। शिक्षकों को कक्षाओं में जाना चाहिए, उनसे पहचान होनी चाहिए, नियमित उपस्थिति ली जानी चाहिए, ट्यूटोरियल्स चलने चाहिए। मैं आज तो कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि कई सालों के पड़े स्वभाव या आदत में एकदम परिवर्तन संभव नहीं होगा। धीरे-धीरे पब्लिक डिबेट होगा। मैं धन्यवाद देता हूं कुछ संगठनों को जो विद्यार्थी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने परिसर बचाओ, यह सम्बन्ध स्थापित करो, उनमें से मांग उठकर आ रही है। इसका निश्चित रूप से प्रभाव होगा। आपने इंस्पेक्शन की चर्चा की थी। ऐसा मंत्री आपके सामने खड़ा है जिसने पिछले एक वर्ष में राजस्थान के आधे महाविद्यालयों का तो स्वयं भ्रमण कर लिया है। मैं इस बार कहना चाहता हूं कि हमने जोइंट डायरेक्टर्स को तय किया है कि सारे जोइंट डायरेक्टर्स, हाथ ऊंचा किया उन्होंने, उनके यहां बायज कालेजेज में भी हो आया, गर्ल्स कालेज में भी हो आया। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं हम इस निरीक्षण व्यवस्था को जोर से आगे करने दृष्टि से पूरा प्रयत्न करना चाहते हैं। गुणवत्ता का जहां तक सवाल है, हमने इस वर्ष 540 शिक्षकों को गुणवत्ता के लिए रिफ्रेसर कोर्स में भेजा था और दूसरी ओर 80 शिक्षकों को एम. फिल. और पी.एच.डी. हेतु अवकाश देकर फैलोशिप प्रदान की थी। 105 प्राध्यापक टीचर फैलोशिप पर गये थे। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने बन्धु थे, विद्यार्थी थे, 15 लाख रुपए का प्रावधान करके हमने उन्हें स्कालरशिप के साथ पुस्तकें मुहैया की थीं। इस बार 25 लाख रुपए का प्रावधान करके हम अनुसूचित जाति, जनजाति के बन्धुओं के लिए पुस्तकें मुहैया कराने वाले हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात पूरी होने दें।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : आपका कालेजेज में जो संवाद हुआ और आप कालेजेज में स्वयं पहुंचे, यह कार से पहुंचे या हवाई जहाज से पहुंचे ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कार से, ट्रेन से।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री सभी जगह नहीं पहुंच सका, इतनी कोशिश की एक साल में आधे महाविद्यालयों में पहुंच गये, यह सदन की इच्छा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप मुख्य मंत्रीजी को हमारी इस राय की जानकारी दे दें कि इनको हेलीकाप्टर उपलब्ध करवा दें। आधे महाविद्यालय तो बच गये और इन्होंने 50 कालेजेज खोलने की घोषणा कर दी। अब यह पहुंच ही नहीं सकेंगे दो साल, इसलिए हेलीकाप्टर दिया जाना चाहिए। फालतू लिए घूम रहे हो, मच्छर तो मरे ही नहीं। जब आप दोनों लिए घूम रहे थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके माध्यम से केवल थोड़ी–सी चर्चा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की मैं करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें। बात पूरी सुनें। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं जो हमको भी लोग पूछते हैं, पूरी बात सुन कर जायें।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : हम तो आपसे बहुत आशाएं कर रहे हैं, निराश मत करिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फलोदी, भरतपुर और पुष्कर से आने वाले माननीय विधायकों ने तकनीकी शिक्षा की अधिक आवश्यकता बतायी। मेरी भी मान्यता है कि विश्व प्रांगण में सब देशों में घूम जाइये, हम राजस्थान में और हिन्दुस्तान में तो लागू नहीं कर सकते, But higher studies is not for all, higher education is not for all. यह तो हमारे यहां डेमोक्रेसी है, हमने कुछ व्यवस्थाएं बनायी हैं, जो चल रही हैं, एकदम बदलाव होना कठिन है। किन्तु अगर तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाता रहा, उसके प्रतिफल निकलते रहे, लोग ट्रेनिंग लेकर अपने लिए निश्चित रूप से रोजगार स्थापित करते रहे तो धीरे–धीरे रुझान उच्च शिक्षा के बजाय लोगों का तकनीकी शिक्षा में हो जायेगा। यह बात राज्य सरकार के मन में है। इसलिए 94–95 में हमने सारा जोर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण पर लगाया। यह सच है कि भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने आज आंकड़े प्रस्तुत किये कि उच्च शिक्षा में कितना पैसा है, तकनीकी शिक्षा में कितना पैसा है। इसका तो मैं क्या कर सकता हूं। किन्तु अब मेरे मन की इच्छा है....

श्री परसराम मदेरणा : आज तो आप जो कह रहे हैं। वह सभी सच है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 94–95 में केवल 38.34 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार 78.30 करोड़ रुपये का प्रावधान है, 104 प्रतिशत अधिक। केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं, यह वर्ष चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा दोनों के लिए समर्पित वर्ष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हूं कि इसके अतिरिक्त 8.88 करोड़ रुपये हमको और मिले हैं, पोलीटेक्नीक संस्थानों को विश्व बैंक के आधार पर करने का। इस प्रकार विचार करें तो 127 प्रतिशत इन्क्रीमेंट प्रावधान में हो गया है। मेरे मन की इच्छा है कि प्रत्येक पंचायत समिति केन्द्र पर आई.टी.आई. स्थापित होनी चाहिए। एकदम तो नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य) : जहां जिले में नहीं हैं वहां तो खोल दो। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी वह कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सुन लें, सुन लें, माननीय सुन लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 1994-95 में आई.टी.आई. के क्षेत्र में 6.62 करोड़ रुपये का प्रावधान था किन्तु 95-96 में 38.32 करोड़ रुपये, छह गुना, Never in the history of Rajasthan. आई.टी.आई. के क्षेत्र में गत 40 वर्षों में जहां केवल 58 आई.टी.आई. बने राजस्थान की धरती पर, वहीं 95-96 में 30 नये आई.टी.आई. बनेंगे। 20 वर्ष का काम एक वर्ष में करने की कोशिश की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बोलने दें।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : एक बात जानना चाहता हूं। मंत्रीजी, आपने बहुत अच्छी घोषणाएं कीं। आप यह बता दीजिये कि इसके लिए आप कितना नया रुपया खर्च करेंगे? (व्यवधान) इतनी सारी घोषणाओं के लिए पिछले वर्ष के मुकाबले कितना ज्यादा रुपया खर्च करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप, माननीय। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं, विराजें आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो प्रावधान ही बता रहा हूं, प्रावधान ही सारे....

श्री जगदीप धनखड़ : प्रावधान छोड़िये, आपकी पोटली में क्या है, यह बताइए।

श्री अध्यक्ष : माननीय, पूरा करने दें।

श्री परसराम मदेरणा : पूरी पंचायत समितियां आपकी आई.टी.आई. में कवर करने की जो मन की इच्छा है, वह कितने साल में पूरी होगी?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह बता रहा हूं। अभी तो यह विषय बताया है, वह बात भी बता रहा हूं मैं। 1994-95 में हमने एक करोड़ रुपये का प्रावधान मालवीय इंजीनियरिंग कालेज के एक्सीलेंस के लिए किया। 65 लाख रुपया प्रयोगशालाओं के लिए किया और 95-96 में बढ़ाकर उसको 1.73 करोड़ रुपये कर दिया है। This is for excellence. ताकि निर्माण और सुधार उस नाते से होते चले जाएं। उसी प्रकार से कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में 95-96 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 92.2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। (व्यवधान) अभी कोटा एक बार ही आया है, जल्दी क्यों कर रहे हो आप। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने सारी योजनाओं की बड़ी प्रभिशंषा की है। इसीलिए हमने कंसलटेंसी बनायी है, उस कंसलटेंसी ने राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के विस्तार का, गुणात्मक सुधार का हमारा जो विचार है, उसके बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी है। राज्य सरकार उसका अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद उस पर कार्यवाही करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान के जो पोलीटेक्नीक महाविद्यालय हैं उन में लड़कियों की दृष्टि से 28 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, 33 में 5 कम रह गयी थोड़ी सी, किन्तु उस नाते से हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी सवाल आकर खड़ा हुआ था...

श्री परसराम मदेरणा : इसमे आश्चर्य क्या है? ये? वंडर है वर्ल्ड में, कोई दसवां होता तो आश्चर्य होता। यह आश्चर्य की क्या बात है?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय नेता महोदय, पिछले साल 2 साल के पहले यह 12 प्रतिशत थी, 13 प्रतिशत थी। It is increment according to that position मैं आई.टी.आई. के लिए कहना चाहता हूं, यह शिकायतें सदा आती रहीं कि....

श्री परसराम मदेरणा : रुपये की कीमत 8 पैसे है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, बोलने दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत चल रहे जो विषय हैं उनका फायदा नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती। मैं नहीं जानता, एस.सी.वी.टी. के अन्तर्गत क्यों यहां एकल विषय खोले गये थे। किन्तु राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि हम धीरे-धीरे इन सारे एकल सब्जेक्ट्स को एन.सी.वी.टी. में परिवर्तन कर देंगे

(23.00)

और उसकी दृष्टि से 21 जो विषय हैं उनको तो हमने इस वर्ष कर दिया है और 80 इस वर्ष हम कर देंगे, शेष बचेंगे 41, जिनको अगले वर्ष में करके पूरा कर देंगे। कोई एन.सी.वी.टी. की वह नहीं रहेगी।

श्री परसराम मदेरणा : क्या नहीं रहेगी? यह आपने गोलमाल क्या कर दिया? विषय क्या है यह?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एन.सी.वी.टी–नेशनल कौंसिल के आधार पर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके आधार पर आई.टी.आई. चलती है और एस.सी.वी.टी. सब्जेक्ट्स के स्तर पर चलती थी....

श्री परसराम मदेरणा : एब्रीविएशन में मत बोलिये, आप इसको बता दीजिये। कोई डाइविटीज, डाइविटीज--क्या है यह?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्टेट कौंसिल डिपार्टमेन्ट सब्जेक्ट। अब वह कुछ है....

श्री जगदीप धनखड़ : यह बी. से क्या

(श्री जगदीप धनखड़)

हुआ ? एस.सी.बी.टी. क्या है, बताइये ? आप इतनी स्पीड से जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। आपको परीक्षा नहीं लेनी है। आप परीक्षक नहीं है। बिराजिये आप....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्टेट कौंसिल ट्रेनिंग कोर्स, नेशनल कौंसिल ट्रेनिंग कोर्स।

श्री जगदीप धनखड : नहीं है। चिट भेजिये जल्दी....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या चिट भेजिये, बैठिये आप। अपनी राय कर लेना पहले।

श्री अध्यक्ष : बाद में दरयाफ्त कर लेना। (व्यवधान) बिराजिये। अब किसी भी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं दूंगा जब तक कि मंत्री जी की बात पूरी नहीं हो जाती।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने पूछा था कि 30 तो अभी कर दोगे, लेकिन कब तक पहुंचेंगे इस तरह से प्रत्येक पंचायत समिति पर। आज कहने की स्थिति में नहीं हूं किन्तु दिशा बन गयी है और उस नाते से पैसा आना प्रारम्भ हो गया है और जो रीति नीति है उसकी उद्घोषणा मैंने आपके सामने की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चर्चा मैं कहना चाहता हूं। वनवासी क्षेत्रों में जो 22 लघु आई.टी.आई. चल रही हैं, वनवासियों को बहुत तकलीफ हो रही है, 6 महीने का कोर्स होता है और खुद का काम तो वह कर सकते हैं किन्तु और काम पूरा नहीं कर सकते। (व्यवधान) पूरी बात तो होने दीजिए....

श्री शंकरलाल अहारी : वनवासी शब्द को बदला जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये....(व्यवधान)

श्री शंकरलाल अहारी : यह जंगली हैं क्या ? हमें जंगली रखना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान) इस शब्द को बदलें। उससे तो आदिवासी ही कहें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल अहारी : पहले कई बार भाषण दे चुके हैं वनवासी के नाम से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप माननीय सदस्य। मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं बिना परमीशन के। बिराजिए आप, बैठ जाइये आप। ... (व्यवधान)....वक्तव्य हो रहा है और फिर बीच में खड़े हो रहे हैं आप, बैठिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : मंत्रीजी ने गलत कह दिया। आदिवासी कहना चाहिये था और वनवासी कह दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बिना नाम के और बिना परमीशन के कैसे खड़े हो रहे हैं आप, बीच में बिना परमीशन के खड़े नहीं होंगे।.... (व्यवधान) बैठिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मंत्री महोदय खेद प्रकट करें।

एक माननीय सदस्य : आपका वश चले तो हमें बाहर फिकवा दीजिये....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : किसचीज का खेद प्रकट करें ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : यह दाबने वाली बात नहीं होनी चाहिये....

श्री अध्यक्ष : क्या दबाने वाली बात है ?....

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड पास कराइये।....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर इस शब्द से उन्हें तकलीफ हो गयी है तो मैं क्षमा मांगता हूं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह डिमाण्ड पास कराइये, सदन का माहौल गरम हो रहा है, खराब हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, जब मर्जी आये तब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा है, वन-वासी शब्द के प्रयोग से माननीय सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्षमा मांग ली है। वापस ले लिया है मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : अनुसूचित जाति जनजाति कह दीजिए....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अनुसूचित जनजाति तो कह दिया मैंने और मैंने क्षमा मांग ली और वापस ले लिया अगर उनको दुख हुआ है तो। कमाल कर दिया, यह क्या बात हो गयी।

श्री परसराम मदेरणा : अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : इसी से राजी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप पश्चाताप कीजिये। किस बात का गुस्सा कर रहे हैं आप ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : डिमाण्ड पास कराओ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 22 ऐसे मिनी आई.टी.आईज. थी, इन 22 में से 6 करोड़ का प्रावधान करके 7 मिनी आई.टी.आईज. को हम आई.टी.आई. में परिवर्तित कर रहे हैं। उसी प्रकार से आगामी वर्षों में, आगामी दो-तीन साल में 22 को 22 ही मिनी आई.टी.आईज. को पूर्ण आई.टी.आईज. में परिवर्तित कर जायेगा।

माननीय सदस्यों ने जो सब विचार करके सहयोग दिया है, मैंने अपनी तरफ से किया है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

मांग संख्या 24 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग

(श्री अध्यक्ष)

संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,51,13,56,000 (रुपये पन्द्रह अरब इक्यावन करोड़, तेरह लाख छप्पन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 21 अप्रैल, 1995 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.07 बजे शुक्रवार; 21 अप्रैल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 423 का विवरण

क्र.सं.	पार्टी का नाम व भूखण्ड संख्या	आवेदन की तिथि	रीको द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रत्युत्तर दिये जाने की तिथि ।	प्रार्थना स्वीकार न करने के कारण एवं वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मेवाड़ टीन फैक्ट्री भूखण्ड संख्या एच–48	20.5.94	24.12.94	पार्टी को बकाया राशि जमा कराने के लिये पत्र जारी किया गया एवं स्मरण–पत्र दिनांक 25.3.95 को जारी किया गया। पार्टी ने दिनांक 30.3.95 को बकाया राशि जमा करवा दी है। स्थानान्तरण का आदेश जारी किया जा रहा है।
2.	एक्सजान मेटल फाउण्ड्री भूखण्ड संख्या एच–250	30.7.94	22.9.94	उद्यमी द्वारा सामने के सैट बैक्स में 10.66 वर्ग. मी. अनधिकृत निर्माण कर रखा है नियमानुसार 5 वर्ग. मी. को नियमित किया जा सकता है। पार्टी को अनधिकृत निर्माण हटाने एवं बकाया राशियां जमा करवाने के लिये लिखा

(287)

1	2	3	4	5
				गया। जिसके लिए स्मरण-पत्र दिनांक 31.1.95 एवं 25.3.95 को जारी किया गया है। पार्टी ने अभी तक अनधिकृत निर्माण नहीं हटाया है एवं न ही बकाया राशि रुपये 590/– रु. मय ब्याज के जमा करवाई है।
3.	सिद्द फैब्रीकेटर्स भूखण्ड संख्या सी–4	4.3.95	25.3.95	इकाई द्वारा स्थाई पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके लिये पार्टी को लिखा गया है।
4.	नरेश स्टोन भूखण्ड संख्या एफ–51	2.2.95	25.3.95	पार्टी की लीजडीड के अनुसार 2009 वर्ग मीटर भूमि में जबकि वास्तविक मौके के अनुसार 2076 वर्ग मीटर भूमि पाई गई है। 67 वर्ग मीटर की राशि रुपये 2006/– जमा करवाने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है।
5.	राजस्थान सिरेमिक्स प्रा.लि. भूखण्ड संख्या बी–456	24.5.88	25.5.88	पार्टी द्वारा इकाई राजस्थान वित्त निगम से प्राप्त की गई थी जिसकी बकाया राशि जमा करवाने के लिये दिनांक 25.5.88 को किस्तों में नहीं देकर पूर्ण राशि जमा करवाने के लिये लिखा

1	2	3	4	5
				गया । दिनांक 14.2.90 को सामने के सेट बैक्स में लिये गये अनधिकृत निर्माण कार्य 81.29 व.मी. को हटवाने एवं शेष सेट बैक्स में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिये राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया गया । राजस्थान वित्त निगम को दिनांक 9.1.95 को स्थिति से अवगत करवाते हुये पार्टी से राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया गया । पार्टी ने दिनांक 13.1.95 को रुपये 64,446.22 बकाया राशि के जमा करवा दिये गये । परन्तु अनधिकृत निर्माण कार्य की राशि जमा करवाकर नियमन नहीं करवाया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 25.3.95 को भी पार्टी को पत्र जारी किया गया ।
6.	प्रागत मिनरल भूखण्ड संख्या बी–144	29.9.89	17.11.89	राजस्थान वित्त निगम द्वारा विक्रयनामा प्रस्तुत कर पार्टी के पक्ष में स्थानांतरण के लिये आवेदन किया गया । पार्टी को बकाया राशि जमा करवाने हेतु पत्र जारी किया । पार्टी को स्मरण-पत्र दिनांक 13.3.90, 31.1.94 एवं वित्त निगम

1	2	3	4	5
				को दिनांक 23.3.94 राजस्थान वित्त निगम को पुन: 9.1.95 एवं 6.2.95 को पार्टी को फिर से स्मरण पत्र जारी किया गया। पार्टी ने दिनांक 27.3.95 को मूल राशि जमा करवाते हुए पैनल ब्याज की माफी के लिये आवेदन किया गया है, प्रकरण विचाराधीन है।
7.	नवरंग इण्डस्ट्रीज भूखण्ड एफ-307	25.1.95	31.1.95	पार्टी को बकाया राशि जमा करवाने एवं अनधिकृत निर्माण की राशि जमा करवाकर नियमन करवाने हेतु लिखा गया जिसके लिये स्मरण पत्र दिनांक 25.3.95 को जारी किया गया है। प्रकरण राजस्थान वित्त निगम द्वारा भूखण्ड से स्थानान्तरण का है। इस सम्बन्ध में राशि जमा करवाने पर स्थानान्तरण कर दिया जावेगा।
8.	श्री गणेश मिनरल इण्ड. भूखण्ड संख्या एच-246,247,248	28.7.94	22.3.95	उद्यमी द्वारा सामने के सैट बैक्स में 4.21 वर्ग मीटर साइड सैट बैक्स में 14.82, रीयर सैट-बैक्स में 4.21, अनधिकृत निर्माण कर रखा है। अनधिकृत निर्माण को हटा लेने अथवा

1	2	3	4	5
				नियमानुसार राशि जमा करवाने पर नियमित किया जा सकता है।
9.	लिब्रेटी पेपर कोन भूखण्ड संख्या एफ–227	28.2.95	25.3.95	पूर्व में यह भूखण्ड भारत इंजि. वर्क्स को आवंटित था। जिसका स्थानान्तरण दिनांक 28.1.84 को मै. लिब्रेटी पेपर कोन के नाम किया गया। पार्टी ने लीजडीड का निष्पादन नहीं करवाया है और स्थानांतरण चाहा है। पार्टी से लीज निष्पादन हेतु चाहा गया है।

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

माध्यमिक विद्यालय पौख (झुन्झुनू) में प्रधानाध्यापक का रिक्त पद

428. श्री शिवनाथ सिंह(गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झुन्झुनू जिले की माध्यमिक विद्यालय पौख में प्रधानाध्यापक का पद कितने समय से रिक्त है तथा यहां प्रधानाध्यापक के पद स्थापन में क्या कठिनाई है ?

(2) प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने की अवधि में प्रधानाध्यापक का कार्य किससे करवाया गया और उसको कितना पारिश्रमिक इस वर्ष दिया गया ?

(3) सरकार उक्त विद्यालय में प्रधानाध्यापक का अब कब तक पदस्थापन करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) झुन्झुनू जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय पौख में 1.6.91 से प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है। विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरा जा सकेगा।

(2) प्रधानाध्यापक का पद रिक्त होने पर उसी विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करता है, तथा वित्तीय अधिकार निकटतम माध्यमिक विद्यालय/सीनियर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिये जाते हैं। दोहरा कार्य करने पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 व 50 के तहत स्वयं के वेतन का 5 या 10 प्रतिशत उप वेतन (पारिश्रमिक) दिया जाता है, यदि दोहरा कार्य करने वाले कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के पास आहरण वितरण के अधिकार भी है।

इस मामले में पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार देय नहीं है।

(3) विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर प्रधानाध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

पंचायत समिति इटावा में उपखण्ड कार्यालय

429. श्री रामगोपाल बैरवा(पीपल्दा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कोटा जिले की पंचायत समिति इटावा के इटावा कस्बे में विद्युत उपखण्ड कार्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यहां कब तक उपखण्ड कार्यालय खोल दिया जायेगा ?

उत्तर

कोटा जिले की पंचायत समिति

(ऊर्जा मंत्री)

इटावा में सहायक अभियन्ता (परि. एवं सं.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कार्यालय आदेश दिनांक 9.3.1995 के द्वारा खोल दिया गया है तथा सहायक अभियन्ता ने भी इटावा कार्यालय का पद भार दिनांक 15.3.1995 को संभाल लिया है ।

कपासन-भीलवाड़ा मार्ग पर निगम बस सेवा

430. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (गंगरार) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कपासन से भीलवाड़ा मार्ग पर पूर्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को परमिट जारी किये गये थे ? यदि हां, तो कितने ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर बसें एक माह तक चलाने के पश्चात बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कपासन से भीलवाड़ा मार्ग पर निगम की बसें पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । कपासन से भीलवाड़ा मार्ग पर परिवहन निगम को 4 परमिट जारी किये गये थे ।

(2) जी, हां । राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर द्वारा परमिट निरस्त कर दिये गये ।

(3) परमिट निरस्त हो जाने से संचालन का अधिकार समाप्त हो गया ।

कृषि उपज मण्डी क्षेत्र श्रीगंगानगर एवं केसरीसिंहपुर की सड़कों का निर्माण

431. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) निर्वाचन क्षेत्र केसरीसिंहपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक कृषि उपज मण्डी समिति श्री गंगानगर एवं कृषि उपज मण्डी समिति केसरीसिंहपुर की कितनी सड़कें मंजूर हुई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त सड़कों में से कौन–कौन सी सड़कें बन पायी हैं और जो नहीं बन पायी उसके क्या कारण रहे ?

(3) अपूर्ण सड़कों को सरकार कब तक बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केसरीसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र में मण्डी समिति श्री गंगानगर एवं केसरीसिंहपुर में वर्ष 90 से 94 तक मंजूर की गई सड़कों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति श्रीगंगानगर में सभी स्वीकृत सड़कें निर्मित हो चुकी हैं । कृषि उपज मण्डी समिति

(राज्य मंत्री, कृषि)

केसरीसिंहपुर में निम्न सड़कों को छोड़कर शेष सभी सम्पर्क सड़कें निर्माण की जा चुकी हैं :

(अ) सम्पर्क सड़क गंगानगर करनपुर रोड से 24 एफ का कार्य प्रगति पर है।

(आ) सम्पर्क सड़क गंगानगर करनपुर रोड से 2 एम मण्डी समिति केसरीसिंहपुर की सड़क का निर्माण अलाइन्मेन्ट विवाद के कारण नहीं हो सका है।

(3) सम्पर्क सड़क करनपुर रोड से 24 एफ का कार्य वर्ष 95–96 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

फलोदी व शेरगढ़ (जोधपुर) में स्वीकृत हैण्डपम्प

432. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नारू रोग उन्मूलन के तहत तहसील फलोदी तथा शेरगढ़ जिला जोधपुर में वर्ष 1993–94 व 1994–95 में कुल कितने नलकूप व हैण्ड-पम्प स्वीकृत हुए थे ? स्वीकृत नल कूप व हैण्डपम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुल स्वीकृत नल कूपों व हैण्ड–पम्पों में से कितने हैण्डपम्प कहां–कहां खोद दिये गये हैं व किन–किन गांवों में खोदने शेष हैं ? इन्हें कब तक खोद दिया जाएगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नारू रोग उन्मूलन योजना के तहत तहसील फलोदी में वित्तीय वर्ष 93–94 में शून्य एवं वित्तीय वर्ष 94–95 में 64 हैण्डपम्प, तहसील शेरगढ़ में वित्तीय वर्ष 93-94 में 21 एवं वित्तीय वर्ष 94–95 में 29 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे। सूची प्रपत्र "अ" पर है। उल्लेखित अवधि में वर्णित तहसीलों में उक्त योजनान्तर्गत एक भी नलकूप स्वीकृत नहीं किया गया था।

(2) 1. में वर्णित, हैण्डपम्पों के सम्बन्ध में भी वांछित सूचना प्रपत्र "अ" में दी गई है। योजना का क्रियान्वयन इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विकास अधिकारी लाडनूं (नागौर) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

433. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर में कार्यरत विकास अधिकारी गत पांच वर्षों में कौन-कौनसी पंचायत समितियों में कब से कब तक कार्यरत रहे हैं ?

(2) उक्त अवधि में उनके विरुद्ध क्या–क्या शिकायतें किन-किन के द्वारा की गई और उन पर क्या–क्या कार्यवाहियां की

(श्री हरजीराम बुरड़क)

गई ? शिकायतों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त कार्यकाल में इनके द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में क्या-क्या आपत्तियां दर्ज की गई ? निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त कार्यकाल में इनके कार्यों की यदि आडिट हुई हो तो आडिट आक्षेपों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री कृष्ण दत्त शर्मा का विकास अधिकारी के पद पर आदेश दिनांक 25.11.94 के द्वारा चयन हुआ । ये दिनांक 2.12.1994 से 3.1.1995 तक पंचायत समिति, नादौती जिला सवाई माधोपुर में रहे तथा दिनांक 9.1.95 से ये पंचायत समिति, लाडनूं में कार्यरत हैं ।

(2) श्री कृष्ण दत्त शर्मा के विरुद्ध विकास अधिकारी के कार्यकाल की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जिला कलक्टर, नागौर ने दिनांक 2.3.1995 को पंचायत समिति, लाडनूं का निरीक्षण किया । इस निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की पटल पर रख दी गई है । निरीक्षण प्रतिवेदन में कोई आपत्तियां दर्ज न होकर बीस सूत्री कार्यक्रम एवं अन्य विकास योजनाओं के लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि इसी वित्तीय वर्ष में करने के निर्देश हैं ।

(4) उक्त अवधि का कोई आडिट नहीं हुआ है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

तहसील तिजारा में केडिया ग्रुप द्वारा स्थापित मदिरा उद्योग से प्रदूषण

434. **श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा में "केडिया ग्रुप" द्वारा सारे खुर्द नामक स्थान पर शराब का कारखाना लगाया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त उद्योग के लिए सारे खुर्द नामक बांध की भराव की भूमि को अवाप्त किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस उद्योग का प्रदूषण अरावली पहाड़ियों के सानिध्य में स्थित 267 एकड़ की झील के पानी को प्रदूषित करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । "केडिया ग्रुप" द्वारा अनाज पर आधारित एक डिस्टीलरी स्थापित की जा रही है जिसमें इकाई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार रेक्टीफाइड स्पिरिट, ग्लूटन स्टार्च तथा पशु आहार आदि का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित हैं ।

(2) उक्त उद्योग के लिए बांध की भराव की भूमि को अवाप्त नहीं किया गया

(उद्योग मंत्री)

है। केडिया ग्रुप द्वारा सम्बन्धित खातेदारों से सीधे ही भूमि क्रय की गई है।

(3) जी नहीं। चूंकि उद्योग इसी झील के पानी का उपयोग करेगा अतः झील के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उद्योग द्वारा पूर्ण उपाय किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल द्वारा यह शर्त लगायी गई है कि यदि प्रदूषित निस्त्राव भी तो उसे मण्डल मानकों के अनुरूप ही शुद्ध करके ही निस्त्रावित किया जावेगा। अतः झील का पानी प्रदूषित होने की सम्भावना नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र कामां के आयुर्वेदिक औषधालय

435. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कामां विधान सभा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदक औषधालय हैं ?

(2) क्या इन आयुर्वेदिक औषधालयों में रोगियों का पंजीयन किया जाता है ? यदि हां, तो गत वर्ष कितने रोगियों का पंजीयन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सरकार द्वारा इस क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों को गत वर्ष कितनी राशि की औषधियां उपलब्ध करवाई गयी।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के कामां विधान सभा क्षेत्र में 5 विभागीय आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं।

(2) जी हां। गत वर्ष 1994–95 में इन 5 औषधालयों की वार्षिक रोगी संख्या (पंजीयन संख्या) 77000 रही है।

(3) इस क्षेत्र के 5 आयुर्वेदक औषधालयों को गत वर्ष 1994–95 में 21,382.25 रुपये की औषधियां आयुर्वेद विभाग द्वारा पूर्ति की गयी है।

ग्राम बड़ला (खैरवाड़ा) की पेयजल योजना

436. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील के ग्राम बड़ला की पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई योजना बनी हुई है ? यदि हां, तो यह योजना कब बनायी गयी और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि समय–समय पर उक्त समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता रहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब कब तक इस समस्या का समाधान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में तहसील खैरवाड़ा के ग्राम बड़ला में विभागीय मापदण्डों के अनुरूप 13 हैण्डपम्प स्थापित हैं। इस ग्राम के लिये एक पाइप्ड योजना की भी स्वीकृति, मार्च, 95 में 10.45 लाख रुपये की लागत की दी जा चुकी है।

(2) वर्तमान में, विभागीय मापदण्डों के अनुसार समुचित हैण्ड पम्प कार्यरत होने

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के कारण इस ग्राम में पेयजल की कोई समस्या नहीं है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा इस ग्राम के लिये पेयजल आपूर्ति वृद्धि हेतु (1) के उपरोक्तानुसार योजना स्वीकृत की गई है जिसे संसाधनों को दृष्टिगत कर चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जिला झुंझुनूं के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

437. **श्री शीशराम श्रोला** (झुंझुनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुंझुनूं जिले में मिडल/प्राइमरी/हायर सैकण्डरी स्कूलों में प्रत्येक के लिये किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और कितनी ऐसी राजकीय शिक्षण संस्थाएं हैं, जिनमें स्टाफ की कमी है ? स्कूल का नाम, अध्यापकों के स्वीकृत पदों की संख्या व अध्यापकों की कमी का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अधिकतर राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों की कमी है ? यदि हां, तो छात्रों की शिक्षा में असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार कब तक इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी, नहीं। झुंझुनूं जिले में अध्यापकों के स्वीकृत पदों के अनुपात में रिक्त पद बहुत कम हैं। अध्यापकों के रिक्त पद के विषय को पढ़ाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रिक्त व्याख्याताओं के पदों की पूर्ति विभागीय चयन समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर किया जाना सम्भव होगा। द्वितीय वेतन श्रृंखला एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों की पूर्ति आगामी सत्र के प्रारम्भ में करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राणाप्रताप सागर एवं जवाहर सागर विद्युत गृह के कर्मियों को उत्पादन भत्ता

438. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अन्तरराज्यीय समझौते के अनुसार विद्युत गृह राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर पर होने वाले खर्चे एवं लाभ पर दोनों राज्यों का समान अधिकार है ?

(2) क्या यह सही है कि गांधी सागर विद्युत गृह के कर्मचारियों और अधिकारियों को जो उत्पादन एवं अन्य भत्ता दिया जाता है, उसका आधा हिस्सा राज्य सरकार वहन करती है ?

(3) क्या यह सही है कि राणा प्रताप

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

सागर एवं जवाहर सागर विद्युत गृहों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को गांधी सागर विद्युत गृह कर्मचारियों व अधिकारियों के समान उत्पादन व अन्य भत्ते नहीं दिये जाते हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार समान कार्य का समान भत्ता राज्य में भी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) गांधी सागर विद्युत गृह मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनको भत्ते व अन्य सुविधाएं वहां के नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर विद्युत गृह राजस्थान में स्थित है। इन विद्युत गृहों पर कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों को राजस्थान में स्थित अन्य जल विद्युत गृहों के समान ही आवासीय सुविधा व विशेष वेतन दिया जाता है। राज्य में स्थित अन्य विद्युत गृहों से एकरूपता रखने की दृष्टि से राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर विद्युत गृहों पर कार्यरत कर्मचारियों को भिन्न दर पर भत्ते दिया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

मकराना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था

439. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार मकराना औद्योगिक कस्बे में मजदूरों के आवागमन के लिए यातायात साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

मकराना औद्योगिक कस्बे में मजदूरों के आवागमन के लिये यातायात साधनों की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से ही उपलब्ध है।

राज्य के कृषि अनुसंधान केन्द्र

440. **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ जिलों में कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की हुई है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्थापित कृषि अनुसंधान केन्द्रों का संचालन किन–किन संस्थाओं या विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है ? क्या कतिपय स्वयंसेवी संस्थाएं भी कृषि अनुसंधान केन्द्रों का संचालन कर रही हैं ? यदि हां, तो इन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रबन्ध मंडल में कौन–कौन सदस्य, पदाधिकारी या न्यासी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह);

(3) कृषि अनुसंधान केन्द्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं/न्यासों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ? सरकार द्वारा किस–किस संस्था को कितनी भूमि कब आवंटित की गई।

उत्तर

(1) यह सही है कि राजस्थान में कुछ जिलों में ही कृषि अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिले वार कृषि अनुसंधान केन्द्रों/उप केन्द्रों की सूची संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त संलग्न सूची के अनुसार स्थापित कृषि अनुसंधान केन्द्रों एवं उप केन्द्रों का संचालन राजस्थान कृषि विश्व–विद्यालय, बीकानेर द्वारा किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान केन्द्रों/उप केन्द्रों का संचालन कतिपय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(3) प्रश्न के बिन्दु 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

जिलेवार कृषि अनुसंधान केन्द्रों/उप केन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	जिला	स्थापित कृषि अनुसंधान केन्द्रों/उप केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	जोधपुर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, मण्डोर
2.	श्रीगंगानगर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, श्रीगंगानगर
3.	सीकर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर शेखावटी
4.	जालोर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, जालोर
5.	जयपुर	कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा–जयपुर
6.	अलवर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा (अलवर)
7.	उदयपुर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, उदयपुर
8.	बांसवाड़ा	कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा
9.	कोटा	कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज कोटा
10.	बीकानेर	कृषि अनुसंधान केन्द्र, बीछवालनी
11.	हनुमानगढ़	,, हनुमानगढ़
12.	नागौर	,, नागौर
13.	पाली	,, सुमेरपुर

1	2	3	
14.	टोंक	कृषि अनुसंधान केन्द्र,	डिग्गी
15.	अजमेर	,,	तबीजी
16.	भरतपुर	,,	कुम्हेर
17.	भीलवाड़ा	,,	अरजिया
18.	चित्तौड़गढ़	,,	प्रतापगढ़
19.	झालावाड़	,,	अकलेरा

जयपुर पोलीस्पिन, रींगस (सीकर)

441. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर पोलीस्पीन, रींगस (सीकर) उद्योग में कितने समय से औद्योगिक अशान्ति है ?

(2) विवाद को खतम कराने के विभाग ने क्या प्रयास किये ?

(3) क्या विभाग द्वारा ओवर टाइम एवं अन्य कटौतियों की जांच की गई थी ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ? जांच रिपोर्ट एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर पोलीस्पिन लिमिटेड, रींगस में दि. 23.5.94 से औद्योगिक अशान्ति है।

(2) विवाद को खतम करने के लिए विभाग द्वारा दि. 26.5.94, 30.5.94, 1.6.94, 3.6.94, 4.6.94, 8.6.94, 13.6.94, 22.6.94, 24.6.94 एवं 28.6.94 को समझौता वार्ताएँ आयोजित की गई । समझौता नहीं होने के कारण सरकार द्वारा विवाद न्याय निर्णयार्थ औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दिया गया । इसी दौरान संस्थान द्वारा तालाबन्दी घोषित करने पर विभाग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (के) के अन्तर्गत तालाबंदी समाप्त करने हेतु आदेश जारी कर दिये ।

(3) जी हां । निर्धारित प्रपत्र में ओवर-टाइम रजिस्टर नहीं भरने एवं ओवरटाईम स्लिप नहीं देने के उल्लंघन स्वरूप कारखाना प्रबन्धकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया गया था । जांच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

जिला बाड़मेर के पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवनों का निर्माण

442. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की सभी पंचायत समितियों में नये पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत घर बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो नये पंचायत घरों का कब तक निर्माण करा दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बालोतरा व बायतू की नवसृजित पंचायतों को उनके हिस्से का अनुदान दे दिया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक नवसृजित पंचायत को कितना-कितना अनुदान दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि बाड़मेर जिले में नवसृजित सभी 125 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायत भवन बनाये जाने की स्वीकृति अतिरिक्त कलक्टर, (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बाड़मेर के आदेश क्रमांक/ जग्रीयो/T/धारा/ 94 95/ 322 दिनांक 31.1.95 से जारी की जा चुकी है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बाड़मेर के द्वारा स्वीकृत पंचायत भवनों का निर्माण कार्य फरवरी के प्रथम पखवाड़े में प्रारम्भ किये जाने के निर्देश सभी विकास अधिकारियों को दिये जा चुके हैं एवं सभी स्वीकृत भवनों का निर्माण कार्य अप्रेल, 95 तक पूर्ण करवाने हेतु विकास अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं ।

(2) जी हां । यह सही है कि पंचायत समिति बालोतरा की 23 नवसृजित ग्राम पंचायतों को भू-राजस्व अनुदान के हिस्से की राशि का चुकारा किया जा चुका है । सूची संलग्न है । पंचायत समिति, बायतू के द्वारा 14 नव सृजित ग्राम पंचायतों को भू-राजस्व अनुदान की राशि का चुकारा किया जा चुका है । सूची संलग्न है ।

नवसृजित ग्राम पंचायतें पंचायत समिति, बालोतरा को उनके हिस्से की दी गई अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	नवसृजित ग्राम पंचायत	1991 की जनसंख्या	भुगतान की चार किश्त	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5
1.	खट्टू	2576	वर्ष 1994-95 की सम्पूर्ण अनुदान राशि देय	10304
2.	गोल स्टेशन	3307	,,	13228

1	2		3	4
3.	सिएलीजागिर	3767	वर्ष 1994-95 की सम्पूर्ण अनुदान राशि देय	15068
4.	मेवानगर	3084	,,	12336
5.	माजीवाला	2240	,,	8960
6.	सांभरा	1778	,,	7112
7.	ग्राकडली बकसीराम	2364	,,	9456
8.	बिढूजा	3633	,,	14532
9.	सराएा	2517	,,	10069
10.	कुडी	4395	,,	17580
11.	साजियाली रूपाजी राजा बेरी	3027	,,	12108
12.	चिलोनाडी	3970	,,	15880
13.	नवोडा बेरा	4084	,,	16336
14.	नवातला	3828	,,	15312
15.	खन्नोडा	2903	,,	11612
16.	रेवाडाभैया	3011	,,	12044
17.	गंगावास	2965	,,	11460
18.	बणियावास	2229	,,	8916
19.	बलाऊजाटी	2759	,,	11036
20.	मूल की ढाणी	3201	,,	12804
21.	नेवरी	3975	,,	15900
22.	ढाणीसांखला	2779	,,	11116
23.	ग्वालनाडा	3890	,,	15560

नवसृजित ग्राम पंचायतों की पंचायत समिति, बायतू को उनके हिस्से में दी गई अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	नवसृजित ग्राम पंचायत	वर्ष 1991 की जनसंख्या	राशि की रेट	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5
1.	मघासर	2073	4/-	8292

1	2	3	4	5
2.	नगोपिथतरवालोकी ढाणी	2711	4/-	18844
3.	चोखला	3722	4/-	14888
4.	चिडियां	2587	4/-	18348
5.	भूणाडा	2574	4/-	18296
6.	सिगोडिया	3218	4/-	12892
7.	खीपसर	2038	4/-	8152
8.	सवाऊमूलराज	2419	4/-	9676
9.	जाखडा	2395	4/-	9580
10.	खोखसर पश्चिम	2065	4/-	8260
11.	लापुन्दडा	2686	4/-	18744
12.	चीबी	2568	4/-	10272
13.	पूनिर्याकातला	2746	4/-	10984
14.	भूठो की ढाणी	2758	4/-	11832
	कुल योग	36560		146840

खनिज क्षेत्र नसीराबाद में सामान्य सुविधा केन्द्र योजना

443. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा नसीराबाद के आस-पास उपलब्ध क्वार्टज व फेल्सपार खनिज पदार्थों की बाहुलता को दृष्टिगत रखते हुए खुरजा की भांति सामान्य सुविधा केन्द्र एवं सिरेमिक उद्योग हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो कब व अब तक इसमें क्या प्रगति हुई ?

(2) सरकार द्वारा इस योजना की मंजूरी के लिए कब-कब, क्या-क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। सिरेमिक उद्योगों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र की प्रोजेक्ट रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा दिनांक 2.7.91 को विकास आयुक्त, भारत सरकार (लघु उद्योग)

(उद्योग मंत्री)

नई दिल्ली को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी थी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें 7.8.91, 2.11.91 एवं 7.1.92 को स्मरण कराया गया और 11.3.92 को पुन: अनुरोध किया गया। निदेशक, ग्लास एवं सिरेमिक, विकास आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली ने दिनांक 1.4.92 को राज्य सरकार को सूचित किया कि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, अत: इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करना संभव नहीं है। केन्द्र सरकार को इस बारे में पुन: विचार करने का अनुरोध भी दिनांक 21.7.92 को किया गया।

विभाग द्वारा मई, 1994 में पुन: विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार को पूर्व परियोजना रिपोर्ट को नवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 1994 में संशोधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाही गयी जो तैयार कराकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को जनवरी, 95 में भेज दी गयी है और इस बाबत उन्हें फरवरी, 95 में स्मरण भी कराया गया है। प्रकरण केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) उपर्युक्तानुसार।

गोविन्दगढ़ एवं अलावड़ा (रामगढ़) क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था

444. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के कस्बे गोविन्दगढ़ एवं कस्बा अलावड़ा में पेयजल योजना कार्यरत है ? यदि हां, तो इन योजनाओं का लाभ कितने परिवारों को मिल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इन कस्बों में पेयजल की समस्या अभी भी बनी हुई है ?

(3) इन दोनों कस्बों में पेयजल योजनाओं के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) कस्बा गोविन्दगढ़ एवं कस्बा अलावड़ा की वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 7991 एवं 4665 क्रमश: है। विभागीय पेयजल योजनाएं जो इस समय कार्यरत हैं, उनके सम्बन्ध में वर्ष 1991 के बाद बढ़ी हुई जनसंख्या भी लाभान्वित मानी जायेगी। ग्राम गोविन्दगढ़ में 11 हैण्डपम्प तथा 10 पी.एस.पी. एवं 759 जल सम्बन्धों के माध्यम से तथा कस्बा अलावड़ा में 184 घरेलू कनेक्शन, 5 पी.एस.पी. एवं 7 हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) इन कस्बों में वर्तमान निर्धारित विभागीय मापदण्डों के अनुरूप, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(3) कस्बा गोविन्दगढ़ की संवर्धन योजना बनाई गयी है। तकनीकी औचित्यता के पश्चात् वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर बजट आवंटन पश्चात् कार्य करवाया जायेगा। कस्बा अलावड़ा की संवर्धन योजना स्वीकृत कर दी गयी है। शीघ्र कार्य प्रारम्भ करवाया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के विद्यालय में खेल मैदान

445. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में स्थित सभी सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जहां खेल के मैदान नहीं है वहां मैदान तैयार करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में 5 रा.सी.उ.मा.वि. तथा 14 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में खेल मैदान की स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सरकार अपने सीमित वित्तीय साधनों के तहत विद्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों को खेल के मैदान उपलब्ध करवाने पर विचार करती है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यायल, जहां खेल मैदान उपलब्ध है, का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	खेल का नाम जिसका मैदान उपलब्ध है
1	2	3
1.	रा.सी.उ.मा.वि., झाड़ोल	वालीबाल, बैडमिंटन, खो–खो
2.	,, ,, सेमारी	फुटबाल, कबड्डी, वालीबाल, खो–खो
3.	,, ,, सराड़ा	वालीबाल, कबड्डी, खो–खो
4.	,, ,, चावण्डा	वालीबाल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो–खो
5.	,, ,, जावरमाइंस	हाकी, फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल, बैडमिंटन अन्य
6.	रा.मा.वि., केजड	वालीबाल, कबड्डी
7.	रा.मा.वि., देवपुरा	वालीबाल, कबड्डी
8.	,, थाणा	,, ,, खो–खो
9.	,, टोकर	,, ,, ,,
10.	,, वीरपुरा	,, ,, ,,

1	2	3
11.	रा.मा.वि., अदवास	वालीबाल, कबड्डी, खो-खो
12.	" पिलादर	" " -
13.	" परसाद	- " खो-खो
14.	" सूरखाड़ का खेड़ा	वालीबाल " --
15.	" बड़ावली	" " -
16.	" भोराईपाल	" " -
17.	" रठोड़ा	" " -

उन विद्यालयों की सूची जहां खेल मैदान नहीं हैं:-

1. रा. बा. मा. वि., सराड़ा
2. रा. बा. मा. वि., जावर माइन्स

औद्योगिक बस्तियों की टैरिफ रेट

446. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों की औद्योगिक बस्तियों व अन्यथा में मिक्सड लोड टैरिफ (Mixed Load. Tariff) के एवज में डोमेस्टिक टैरिफ (Domestic Tariff) रेट लागू किया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त टैरिफ रेट परिवर्तन से पहले वाले वर्षों की तुलना में विद्युत मण्डल को कितना आर्थिक फर्क किस हिसाब से पड़ा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विद्युत मण्डल पर अर्थ भार डालने वाले उक्त निर्णय को किन कारणों से लिया गया ? क्या इसमें मण्डल अब कोई फेरबदल की योजना रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां, बिलिंग माह जुलाई, 1991 से मण्डल ने अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार की आवासीय बस्तियों (चाहे वे किसी भी संस्थान से सम्बन्धित हों) में सिर्फ घरेलू कार्य हेतु उपभोग की जाने वाली विद्युत के लिये घरेलू श्रेणी की विद्युत दर लागू की थी । इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या 11529 दिनांक 14.6.91 की प्रति संलग्न है ।

(2) उक्त टैरिफ परिवर्तन से जुलाई, 1991 से मार्च, 1995 तक केवल मात्र 17 उच्च तापीय उपभोक्ताओं की औद्योगिक बस्तियां ही इससे प्रभावित हुई हैं । इन औद्योगिक बस्तियों में मिक्सड लोड

(ऊर्जा मंत्री)

टैरिफ के बजाय घरेलू टैरिफ चार्ज करने से कुल बिल के 0.25% की कमी हुई है।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत उपभोग के अनुरूप टैरिफ श्रेणियां रखी गयी हैं। अतएव जिस कार्य के लिये विद्युत का उपभोग होता है उसी श्रेणी के अन्तर्गत निर्धारित विद्युत दर लागू की जानी चाहिये। इसलिये मण्डल ने सभी प्रकार की आवासीय बस्तियों के लिये (चाहे वे किसी भी संस्थान से सम्बन्धित हों) घरेलू श्रेणी की विद्युत दर लागू करने के आदेश जारी किये। इसमें फेरबदल की कोई आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर सरलीकरण करने की चेष्टा की जाती है-टैरिफ को व्यावहारिक बनाने में कहीं आय में कमी होती है तो कहीं बढ़ोतरी होती है। संशोधन का एक मात्र उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि अधिक से अधिक राशि वसूल की जावे।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

परिवहन निगम में कर्मचारियों के लम्बित प्रकरण

447. **श्री रामस्वरूप** (टोडा-भीम): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कर्मचारियों से सम्बन्धित कितने विवाद विचाराधीन हैं?

(2) निगम के कर्मचारियों के विवादों का निपटारा किस प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत किया जाता है?

उत्तर

(1) परिवहन निगम में कर्मचारियों से सम्बन्धित 9142 विवाद विचाराधीन हैं।

(2) निगम के कर्मचारियों के विवाद विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एवं राजस्थान राज्य सड़क कर्मी एवं कार्यशाला स्थाई आदेश 1965 की धारा 34, 35 व 36 तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 के अन्तर्गत किया जाता है।

विजयनगर (ब्यावर) बाई पास का निर्माण

448. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर की सब्जी मण्डी के पीछे से विजयनगर रोड बाईपास को मिलाने वाली सड़क बनाने के आदेश विगत वर्षों से जारी किये गये? यदि हां, तो यह सड़क अब तक किन कारणों से पूरी नहीं की गयी? इस बारे में जारी आदेशों व निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण नहीं कराये जाने व सड़क के बीच की पुलिया क्षतिग्रस्त होने के कारण किसानों को अपना माल लाने व ले जाने में भारी कठिनाई व नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इस बारे में किसानों, जनता एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि किसानों एवं

(श्री उगमराज मेहता)

आम जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार उक्त सड़क को इसी सत्र में बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार की स्वीकृति 19.10.89 परिशिष्ट "अ" के पश्चात ग्रामीण सम्पर्क सड़क फल एव सब्जी मण्डी यार्ड के पीछे तक की सड़क के निर्माण कार्य के लिये टेण्डर जारी किये जाकर कार्यादेश जारी किये गये। टेण्डर एवं कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट "ब" एवं "स" पर संलग्न है। उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक दण्डनायक, ब्यावर द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण सड़क का निर्माण कार्य नहीं हुआ। स्थगन आदेश की प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति, ब्यावर में किसानों को अपना माल लाने व ले जाने में भारी कठिनाई व नुकसान नहीं हो रहा है क्योंकि मण्डी में माल लाने व ले जाने हेतु एक अन्य रास्ता है। इसी सन्दर्भ में विधान सभा प्रक्रिया नियम, 295 के अन्तर्गत उपरोक्त सड़क निर्माण हेतु भूतपूर्व विधानसभा सदस्य, श्री किशन गोपाल कोगटा द्वारा विशेष उल्लेख का प्रस्ताव किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई।

(3) विवादित स्थल को छोड़कर शेष सड़क निर्माण हेतु मण्डी समिति, ब्यावर के स्तर पर प्रक्रिया विचाराधीन है। वर्ष 1995–96 में निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत

449. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) एवं

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) आदिवासी उप योजना क्षेत्र में साक्षरता का क्या प्रतिशत है ? पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपयोजना क्षेत्र के अनुपात को राज्य के अन्य भागों के समकक्ष लाने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका स्वरूप/प्रारूप क्या होगा ?

उत्तर

(1) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार पंचायत समितिवार साक्षरता का प्रतिशत परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उपयोजना क्षेत्र के साक्षरता के अनुपात को राज्य के अन्य भागों के समकक्ष लाने के लिए शिक्षा विभाग एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, शिक्षा कर्मी परियोजना, लोक जुम्बिश परियोजना, सरस्वती शाला योजना, कक्षा 1

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

से 8 तक की समस्त बालिकाओं एवं कक्षा 1 से 5 तक के समस्त छात्रों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोशाकें, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा सामान्य क्षेत्र में 250 की जनसंख्या के बजाय उपयोजना क्षेत्र में 150 की जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आश्रम छात्रावासों का संचालन, शैक्षणिक परिसरों की स्थापना, उपचारात्मक शिक्षण, छात्रगृह योजना, प्रतिभावान छात्रावास उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु छात्रवृति, स्वयंपाठी छात्रों को परीक्षा फीस का पुनर्भरण आदि प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पंचायत समितिवार साक्षरता का प्रतिशत (1991)
(7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	उदयपुर	सलूम्बर	22.10
		खैरवाड़ा	30.66
	(ग्रामीण क्षेत्र)	धरियावद	12.67
		सराड़ा	24.65
		कोटड़ा	8.68
		झाड़ोल	19.80
		गिर्वा (ब्लाक)	22.63
	(शहरी क्षेत्र)	सलूम्बर	73.74
		योग–	21.53
2.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	23.15
	(ग्रामीण क्षेत्र)	गढ़ी	34.04
		घाटोल	21.47
		आनन्दपुरी	21.16
		सज्जनगढ़	17.44
		पीपलखूंट	11.10
		कुशलगढ़	12.55

1	2	3		4
		बागीदौरा		23.92
	(शहरी क्षेत्र)	बांसवाड़ा		78.70
		कुशलगढ़		72.35
			योग–	25.90
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर		26.53
	(ग्रामीण क्षेत्र)	बिछीवाड़ा		25.05
		आसपुर		27.26
		सीमलवाड़ा		24.82
		सागवाड़ा		32.98
	(शहरी क्षेत्र)	डूंगरपुर		80.73
		सागवाड़ा		65.85
			योग–	30.55
4.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़		27.24
	(ग्रामीण क्षेत्र)	अरनोद		27.31
	(शहरी क्षेत्र)	प्रतापगढ़		73.80
			योग–	32.50
5.	सिरोही	आबूरोड (ब्लाक)		19.34

पंचायत समितियों में पूर्णकालिक सचिवों का पदस्थापन

450. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पंचायतवार अलग-अलग सचिव कार्यरत नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार बकाया पंचायतों के लिये पूर्णकालीन सचिव लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा किस प्रकार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्नातक शिक्षित एवं एल. एस. जी. डी. डिप्लोमा पास व्यक्ति भी सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उन्हें मिलने वाले वेतन सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त सहायक सचिवों की नियमित वेतन श्रृंखला देने तथा सचिवों के रिक्त पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभागीय पैटर्न के अनुसार 4000 अथवा इससे अधिक की जनसंख्या की ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक तथा 4000 से कम की जनसंख्या की दो ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सेवक तथा जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक पदेन सचिव कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में ग्राम सेवक के पद कम होने तथा पद रिक्त होने के कारण अस्थायी रूप से एक ग्राम सेवक कुछ जिलों में दो से अधिक ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवक पदेन सचिव का कार्य कर रहे हैं।

(2) एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक पदेन सचिव लगाने हेतु 5242 ग्राम सेवकों के अतिरिक्त पद सृजित किये जाने है परन्तु राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्दे-नजर रखकर वर्ष 1994-95 में 1248 ग्राम सेवक के पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद सृजित किये गये हैं। फलस्वरूप ग्राम सेवकों को एक से अधिक पंचायतों का काम सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भविष्य में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।

(3) ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव का कोई पद सृजित नहीं है।

(4) ग्राम पंचायतों में सहायक सचिव का कोई पद सृजित न होने से इस पद का नियमित वेतन श्रृंखला नियत किया जाना अथवा उन्हें ग्राम पंचायत के सचिव के पद पर नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं है।

औद्योगिक क्षेत्र मण्डिया रोड (पाली) में अवैध निर्माण

451. **श्री भीमराज भाटी (पाली) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में प्लाट आवंटन के समय स्थायी भवन निर्माण सम्बन्धी कोई निर्देश दिये जाते हैं या स्थायी निर्माण की स्वीकृति का नक्शा प्रमाणित किया जाता है ? क्या उसी के अनुरूप निर्माण किया जाना आवश्यक है ?

(2) क्या बिना स्वीकृति किये गये निर्माण पर कार्यवाही करने का अधिकार रीको प्रशासन को है ?

(3) यदि हां, तो पाली नगर में मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र एवं इण्डस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में 1980 से 1995 तक कितने अवैध निर्माण कार्य हुए, उन पर रीको के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या अवैध निर्माण कार्यों पर

(श्री भीमराज भाटी) ·

रीको अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा जारी आवंटन पत्र में रीको भू-निपटान नियम, 1979 की अनुपालना में आवंटी को भवन निर्माण हेतु निर्देश दिये जाते हैं। उक्त नियम में आवंटी को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व नक्शा स्वीकृत कराने एवं उसके अनुरूप निर्माण कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

(2) जी हां। आवंटी द्वारा रीको के साथ निष्पादित पट्टे समझौते की धारा–2 (एफ.) के अन्तर्गत बिना स्वीकृति किये गये निर्माण पर कार्यवाही करने का रीको प्रशासन को अधिकार है।

(3) मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र एव पाली प्रथम व द्वितीय चरण औद्योगिक क्षेत्रों में 1980 से 1995 तक कुल 393 प्रकरणों में अनधिकृत निर्माण कार्य हुए, जिन पर रीको के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर की गयी कार्यवाही के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गयी है/की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला अलवर के हैण्डपम्प

452. **श्री रमाकान्त (थानागाजी)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में वर्ष 1994–95 में कितने हैण्डपम्प लगाने के लिए प्रावधान किया गया था ?

(2) हैण्डपम्प लगाने के स्थानों का चयन कौन करता है ?

(3) हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति के लिए कौन सक्षम अधिकारी है ?

(4) क्या वर्ष 1994–95 में जिले में जो हैण्डपम्प लगे हैं उनके स्थानों का नियमों के अन्तर्गत सही चयन हुआ है ?

(5) क्या इस कार्य हेतु बजट में जो प्रावधान था, उसका पूरा एवं सही उपयोग हुआ है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में वित्तीय वर्ष 1994–95 में 411 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे जिन्हें चरणबद्ध तरीके से स्थापित करना था।

(2) वर्तमान में हैण्डपम्पों के लगाने के स्थानों का चयन, समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओं, उनकी वित्तीय सहायता/बजट मद/व लक्ष्यों में दिये हुए निर्देशानुसार किया जाता है।

(3) योजना के आकार को दृष्टिगत कर उनकी स्वीकृति हेतु विभिन्न स्तरों के सक्षम अधिकारी है।

(4) जी हां।

(5) 1. में वर्णित कार्य संपादित करा दिया गया।

बीकानेर क्षेत्र के विद्यालयों में उर्दू विषय के व्याख्याताओं के रिक्त पद

453. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा संस्था, बीकानेर द्वारा अल्प भाषा उर्दू की पाठ्य पुस्तकें (कक्षा 3 से 8 तक) उपलब्ध नहीं करायी जाने के क्या कारण हैं ? जिन अधिकारियों को पुस्तकें निःशुल्क मिली हैं और उपलब्ध नहीं करवाई गयीं, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर क्षेत्र में छात्राओं की शालाओं में गत तीन वर्षों से उर्दू विषय के द्वितीय श्रेणी के व्याख्याताओं की मांग चल रही है ? यदि हां, तो व्याख्याता अब तक नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण योजना के अन्तर्गत अल्प भाषा उर्दू (कक्षा 3 से 8 तक) की 899 पुस्तकों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), बीकानेर द्वारा छात्र विद्यालयों को किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा), बीकानेर द्वारा अल्प भाषा उर्दू की पुस्तकों हेतु मांगपत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप छात्राओं के लिये अल्पभाषा उर्दू की पाठ्य-पुस्तकों वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) द्वारा नहीं किया जा सका। पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अतः किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

(2) द्वितीय श्रेणी के व्याख्याता के नाम से कोई पद स्वीकृत/आबंटित नहीं है।

जिला नागौर की कृषि उपज मण्डी समितियां

454. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में कृषि उपज मंडियां कहां-कहां हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में जितनी भी कृषि मण्डियां हैं, उनको ग्रामों की कृषि उपज का कितना कर मिलता है तथा कृषि उपज मंडी द्वारा जो कर वसूल किया जाता है उसकी कितनी प्रतिशत राशि सम्बन्धित पंचायत समिति में विकास कार्यों पर खर्च की जाती है ?

(3) क्या निर्धारित प्रतिशत की पूरी राशि विकास कार्यों पर खर्च की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कृषि उपज मण्डी द्वारा क्षेत्र में लिंक रोड व अन्य विकास कार्य करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में पंचायत समिति डीडवाना, मकराना, परबतसर व कुचामन सिटी में किन-किन गांवों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ा गया व अन्य क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये ? कार्यों पर व्यय की गयी राशि का विवरण मय गांवों के नाम सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में कृषि उपज मण्डियां नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी, डेगाना एवं मेड़ता सिटी में स्थापित हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों का क्षेत्र निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कृषि उपज मण्डी समिति	क्षेत्र
1.	नागौर	तहसील नागौर एवं जायल
2.	डीडवाना	तहसील डीडवाना एवं लाडनूं
3.	कुचामन सिटी	तहसील नावां एवं परबतसर
4.	डेगाना	तहसील डेगाना (रियां पंचायत समिति की आठ ग्राम पंचायतों को छोड़ कर):
5.	मेड़तासिटी	तहसील मेड़ता सिटी एवं तहसील डेगाना की पंचायत समिति, रियां की 8 ग्राम पंचायतें।

(2) कृषि उपज मंडियों को कर के रूप में कोई राशि नहीं मिलती है अपितु, विक्रीत कृषि जिन्सों पर 1.60 रुपया प्रति सैंकड़ा की दर से मण्डी शुल्क प्राप्त होता है। कोई कर वसूल नहीं किये जाने के कारण सम्बन्धित पंचायत समिति में हुई विकास कार्यों पर व्यय किये जाने की बात अप्रासंगिक है।

(3) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी हां। मण्डी शुल्क से प्राप्त आय में से आवश्यक खर्चे के उपरान्त मण्डी कोष में शेष राशि का उपयोग मण्डी क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु किया जाता है। वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में पंचायत समिति डीडवाना, मकराना, परबतसर एवं कुचामन सिटी के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों पर खर्च की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट (अ) पर संलग्न हैं।

वर्ष 90-91 से 94-95 तक पचायत समिति डीडवाना, कुचामन सिटी, परबतसर, मकराना के सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों की सूची

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	विकास कार्य का नाम	व्यय की गई राशि का वर्ष (लाखों में)					व्यय का योग	जोड़े जाने वाले गांव का नाम
			90-91	91-92	92-93	93-94	94-95		
1	2	3	4					5	6
1.	डीडवाना	1. स. स. निमोद से बासा	2.94	4.36	0.36	–	–	7.66	बासा
		2. स. स. छोटी खाटू, रानी गांव से पावां	4.95	0.03	–	–	–	4.98	पावा
		3. स. स. खुनखुना से रानिया	3.32	2.11	–	2.61	–	8.04	रानियां
		4. नुवा से पायली	1.39	0.33	1.43	2.97	–	6.12	पायली
		5. स.स. सुदर्शन से कायमसर	–	1.53	0.18	1.57	–	3.28	कायमसर
		6. स.स. मोलासर घनकोली रोड से बावड़ी	–	0.56	3.44	3.26	–	7.26	बावड़ी
		7. स.स. रामसावास से खातियासनी	–	5.89	0.09	–	–	5.98	खातियासनी
		8. स.स. दौलतपुरा से ननावता	–	2.53	0.56	–	–	3.03	ननावता
		9. स.स. नागौर डीडवाना रोड से मण्डारी	–	4.61	0.19	–	–	4.78	मण्डारी

1	2	3	4					5	6
		10. स.स. खारडा माताजी मंदिर से रामासावास	–	3.60	0.11	–	–	3.71	रामसावास
		11. स.स. छोटी छापरी से सरदारपुरा	–	0.80	1.41	–	1.66	3.87	सरदारपुरा
		12. स.स. डीडवाना सूपका रोड से खीचियावासनी	–	2.40	0.13	–	–	2.53	खीचियावासनी
		13. स.स. रामसावास खतियासनी लाडावास	–	–	–	2.66	0.02	2.68	लाडावास
		14. स.स. छोटी छापरी से सरदारपुरा (विस्तार)	–	–	–	3.52	–	3.52	सरदारपुरा
		15. सम्पर्क सड़कों की वार्षिक मरम्मत	–	–	0.54	–	–	0.54	
		16. ग्रामीण हाट बाजार जोधा एवं निम्बोद	–	–	0.19	–	–	0.19	
2.	कुचामन सिटी	1. स.स. चोसला से कूबी	0.84	–	–	–	–	0.84	कूबी
		2. स.स. खोरूण्डी से नाका का बालाजी	4.91	–	00.3	–	–	4.94	नाका का बालाजी
		3. स.स. मीठडी रेलवे स्टेशन से उलाना	2.36	1.03	–	–	–	3.39	गांव जोड़ा जाना है।

1	2	3	4					5	6
		4. स.स. राठोड़ फार्म से खारडिया	2.56	0.86	0.33	–	–	3.75	खारडिया
		5. स.स. कुचामनसिटी रेलवे स्टेशन से पलाड़ा	2.31	0.97		–	–	3.28	पलाड़ा
		6. स.स. सुजानपुरा प्याऊ से मुदाणी की ढाणी	0.58	0.92	3.97	0.25	–	5.64	मुदाणी की ढाणी
3.	परबतसर	3. स.स. गांगवा बस स्टैण्ड से गांगवा	–	0.40	–	–	–	0.40	गांगवा
4.	मकराना	–	–	–	–	–	–	–	–

कस्बा कोटपूतली में सीमेण्ट फैक्ट्रियों से प्रदूषण

455. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटपूतली कस्बे के चारों ओर सीमेण्ट फैक्ट्रियां बनी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इस हेतु विभाग से स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्या विभाग ने इनकी जांच की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(2) इन सीमेण्ट उद्योगों में से कितनों ने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगा रखे हैं तथा कितनों ने नहीं ? जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण यंत्र नहीं लगा रखे हैं या जिनके यंत्र सुचारु रूप से कार्यरत नहीं हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटपूतली तहसील में 11 सीमेंट फैक्ट्रियां कार्यरत हैं इनमें से 8 लघु श्रेणी व 3 मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योग कार्यरत हैं व अन्य 3 मध्यम श्रेणी के सीमेंट उद्योग निर्माणाधीन हैं। भारत सरकार ने 20 प्रकार के मध्यम एवं वृहत श्रेणी के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना से पूर्व पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय साइट क्लियरेन्स की स्वीकृति लेने की वर्ष 1985 में मार्गदर्शिका में आवश्यकता प्रतिपादित की थी। इसके अनुसार सभी मध्यम श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरण विभाग से पर्यावरणीय साइट क्लियरेन्स जारी की गयी है। सिर्फ एक उद्योग मैसर्स स्वदेशी सीमेंट प्रा.लि. जो वर्ष 1985 से पूर्व में स्थापित हो गया था उसको पर्यावरण विभाग ने साइट क्लियरेन्स जारी नहीं की।

(2) कार्यरत 11 सीमेंट उद्योगों में से 10 में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) हेतु पर्याप्त व्यवस्था उपकरण लगा लिये हैं जबकि एक उद्योग मैसर्स स्वदेशी सीमेंट प्रा.लि. द्वारा आंशिक वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गयी है। राज. प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल द्वारा इस उद्योग की वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति निरस्त की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस उद्योग के खिलाफ कड़ी कानून सम्मत कार्यवाही करने हेतु राजस्थान स्थान प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल को निर्देश दिये गये हैं।

मोतीडूंगरी रोड (जयपुर) का बूचड़खाना

456. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मोतीडूंगरी रोड, जयपुर पर बूचड़खाना बना हुआ है ?

(2) क्या इस बूचड़खाने से आसपास के क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो रहा है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इसे हटाने का विचार रखती है ?

(4) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मोतीडूंगरी रोड पर जयपुर स्टेट के समय से ही बूचड़खाना बना हुआ है।

(2) जयपुर स्टेट के समय में जब यह बूचड़खाना बनाया गया, उस समय इस क्षेत्र में आबादी नहीं थी, परन्तु जैसे-जैसे इस क्षेत्र की आबादी बढ़ी है, इसके आसपास का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है परन्तु नगर निगम द्वारा नियमित रूप से इसकी सफाई व्यवस्था की जाती है तथा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जाता है। नियमित रूप से इस क्षेत्र में सफाई कराने एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव से जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को रोका जाता है।

(3) जी हां। यह सही है कि नगर निगम इसे हटाने का विचार रखती है।

(4) जयपुर नगर में आधुनिक पशुवध गृह स्थापित करने हेतु प्रोजेक्ट तैयार कर निगम के द्वारा सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग, राजस्थान को पत्र प्रेषित किया गया (प्रति संलग्न है) तथा इस पर पूर्व प्रशासक द्वारा सचिव, डेयरी विकास निगम से विचार विमर्श भी किया गया था तथा इस हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को भूमि उपलब्ध कराने हेतु भी निवेदन किया जा चुका है। भारत सरकार द्वारा उक्त प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्राप्त होने एवं भूमि उपलब्ध होने पर तुरन्त पशुवध गृह का निर्माण होने की कार्यवाही की जाकर इस पशुवध गृह को स्थानान्तरित कर दिया दिया जावेगा।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 627 की सूची

आवंटित भूमि का खसरावार विवरण

वर्ष	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा बीघा	—	बिस्वा
1969	श्रीनगर	302	3	—	05
,,	,,	303	23	—	04
,,	,,	305	2	—	15
1971	,,	303	3	—	05
,,	,,	301	0	—	02
,,	,,	302	6	—	14
,,	,,	305	1	—	00
		योग:	40	—	05

इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 में 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि पेड़ पौधे लगाने के लिए आवंटित की गयी।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची. विवरण एवं प्रति

अतिक्रमियों की सूची

क्रमांक 1	नाम अतिक्रमी 2	साइज मय 3
1.	श्री बद्री रेगर	5×5 थड़ी
2.	श्री महेन्द्र सिंह	6×6 ,,
3.	श्री लक्कीराम	6×6 ,, 15×20 छप्पर
4.	श्री जयनारायण	5×5 थड़ी 15×20 छप्पर
5.	श्री रामदेव	8×8 थड़ी
6.	श्री कालूराम	3×5 केबिन
7.	श्री बाबूलाल मीणा	6×6 थड़ी 10×15 छप्पर
8.	श्री नृसिंह	6×5 ठेला
9.	श्री हजारी लाल	6×6 थड़ी
10.	श्री गोपाल	6×6 थड़ी 15×20 छप्पर
11.	श्री जनसीराम	6×7 थड़ी 15×20 छप्पर
12.	श्री रामपाल मीणा	8×8 थड़ी 15×15 छप्पर
13.	श्री गोपीराम	4×6 ठेला 20×15
14.	श्री हरिनारायण	7×7 थड़ी 15×20 छप्पर

1	2	3
15.	श्री बनवारी	7×7 थड़ी
16.	श्री छोटू खाती	10×8 टीन शैड
17.	श्री कालूराम	6×6 थड़ी
18.	श्री बाबूलाल	20×50 छप्पर
19.	श्री नानगराम मीणा	8×8 थड़ी
		20×20 छप्पर
	रिहायशी उपयोग के अतिक्रमण	
1.	बन्ना लाल पुत्र डालचन्द	10×10 टीन शैड
2.	रामेश्वर पुत्र चन्दा लाल	,, ,,
3.	चमन लाल पुत्र कल्याण	,, ,,
4.	मोहन लाल पुत्र सुखालाल	,, ,,
5.	बाबू लाल पुत्र चन्द्र लाल	,, ,,
6.	कानाराम बलाई	,, ,,
7.	रामचन्द्र पुत्र महादेव	,, ,,
8.	प्रभाती	,, ,,
9.	छीतर पुत्र मूलचन्द्र	,, ,,
10.	मूलचन्द्र	,, ,,

इनके अलावा कुछ 8–10 मकान बन्द थे नाम मालूम नहीं हो सके।

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक:– 4[225]जविप्रा/सस्य 6/94/80 दिनांक:– 8/6/94

जोनल अधिकारी प्रथम,
ज. वि. प्रा.; जयपुर

विषय:– अवैध निर्माण हटाये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आज दिनांक 6.6.94 को नागरिकों की शिकायत के आधार पर हस्ताक्षरकर्ता ने मौके पर जाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि रायल्टी का नाका नं. 2 भट्टों के बीच व सामने एवं मेन नेशनल हाइवे रोड पर कुछ

व्यक्तियों ने गत दो–चार दिनों में ही थड़ियां लगाकर अतिक्रमण किया है। उन्होंने वहां पर छप्पर बनाकर चाय की दुकानें व 2 पक्के से मकान एवं पान वालों ने भी 3–4 ठेले लगा रखे हैं। इस अतिक्रमण के साथ–साथ वाहनों को भी आने जाने में व्यवधान उत्पन्न होता है तथा यह भी जानकारी मिली है कि जिन लोगों ने थड़ियां या छप्पर व ठेले जो लगा रखे हैं वे लोग अन्य लोगों को किराये पर देकर उनसे किराया वसूल करते हैं तथा बाईजी की कोठी के पास में कृष्णा क्लिनिक के पास में भी नई थड़ी रख दी गयी हैं। उक्त अतिक्रमण से एक–दो व्यक्तियों की जान तक भी जा चुकी है।

अतः मौके पर जांच करके स्थिति से अवगत करावे तथा तुरन्त प्रभाव से अतिक्रमण को दूर करने का श्रम करें।

ह./–
सदस्य,
(सोहनलाल शर्मा)

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 636 की सूची

बगरू नगरपालिका के अनुसूचित जाति के रैगरों के मोहल्ले के उन जल सम्बन्धों की सूची जहां-जहां पानी नहीं पहुंचता है।

क्र.सं.	उपभोक्ता खाता सं.	उपभोक्ता का नाम
1	2	3
1.	7/2	श्री गोपीराम रैगर/श्री वलदेव
2.	7/3	श्री देवबक्स रैगर/श्री सेढूराम
3.	7/4	श्री महोरू राम रैगर/श्री नानगराम
4.	7/5	श्री हरीवक्स रैगर/भैंरूराम
5.	7/6	पेमाराम रैगर/श्री गणेशराम
6.	7/7	श्री गोपीराम रैगर/गोविंदराम
7.	7/8	छगनलाल रैगर/श्री डावूराम
8.	7/9	मांगूराम रैगर/किशनाराम
9.	7/10	श्री कानाराम/श्री आनाराम
10.	7/11	श्री लादूराम रैगर/श्री बालूराम
11.	7/13	रामचन्द्र रैगर/श्री भैंरूराम
12.	7/15	श्री भूरा रैगर/श्री उमराम
13.	7/17	श्री पुन्नीलाल रैगर/श्री जगन्नाथ
14.	7/26	हेमचन्द रैगर/गोपीराम
15.	7/27	श्री गुलाबचन्द रैगर/श्री किशनाराम
16.	7/28	श्री लालाराम रैगर/श्री किशनाराम
17.	7/29	श्री दयाल रैगर/श्री तुलसीराम
18.	7/32	श्री नाथूलाल रैगर/महादेव

1	2	3
19.	7/33	पेमाराम रैगर/श्री रामू
20.	7/35	खेमराम रैगर/श्री धानाराम
21.	7/36	श्री हनुमानसहाय रैगर/श्री रूग्गाराम
22.	7/37	श्री देवीसहाय रैगर/श्री रामचन्द्र
23.	7/42	श्री लालराम रैगर/श्री मांगूराम
24.	7/43	श्री कानाराम रैगर/श्री पेमाराम
25.	7/82	श्री खूबचंद रैगर/श्री उदाराम
26.	7/99	श्री तुलसीराम रैगर/श्री किशना
27.	7/34	श्री रामचन्द्र/श्री वीणाराम

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 639 की प्रति

9. यदि आवेदक उस भू-गृहादि का मालिक न हो, जिसमें वह पानी का कनेक्शन लगाना चाहता है तथा उक्त भवन या भूमि का किरायेदार हो तो उसे आवेदन-पत्र पर भू-गृहादि पर मालिक से किरायेदार के नाम में पानी के कनेक्शन के लिए "कोई आपत्ति नहीं" का प्रमाण-पत्र अभिहस्तांकित करवाना चाहिए। इसके उपरान्त किरायेदार से नीचे बतलाये अनुसार निक्षेप प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी जो उसे भू-गृहादि छोड़ने पर तथा उसके नाम जल प्रदाय से सम्बन्धित कोई बकाया न होने पर लौटा दिया जायगा।

1/2" के पानी के कनेक्शन के लिये 50 रु.

3/4" के पानी के कनेक्शन के लिए 75 रु.

1" तथा ऊपर के पानी के कनेक्शन के लिए 100 रु.

व्यापार संस्था अर्थात् होटल, सिनेमा आदि के लिए 200 रु.

10. नये कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जलदाय गृह द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को अग्रेषित किये जायेंगे (नियम 6 के अनुसार) जिसका कनेक्शनों की स्वीकृति या अस्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम होगा।

11. प्रस्तावित कनेक्शन की स्वीकृति के पश्चात, आवेदक को एक पत्र द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी, और आवेदक 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित निष्पादन अभियन्ता के पास कनेक्शन फीस के रूप में 10 रुपये जमा करवायेगा। मीटर बोक्स तथा विभाग द्वारा समय-समय पर लगाये जाने वाले वलयकों (Ferrule) का मूल्य भी उसे कनेक्शन के साथ जमा कराना होगा यदि विभागीय विवरणों के अनुसार वह अपना मीटर बोक्स तथा वलयक (Ferrule) प्राप्त नहीं कर सके।

12. आवेदक को अपने स्वयं के खर्च पर पाइप फिट कराने का प्रबन्ध करना होगा।

13. (1) जलदाय गृह मेन्स या सब-मेन्स से सर्विस लाइन के संधारण की जिम्मेदारी सिर्फ उपभोक्ता की होगी। लेकिन इसका संधारण (मरम्मत तथा प्रतिस्थापना) जलदाय विभाग के द्वारा करवाना होगा तथा इसका खर्च उपभोक्ता को वहन करना होगा। यदि उपभोक्ता संधारण, मरम्मत का प्रतिस्थापन का खर्च जमा कराने में विफल रहे तो उसका कनेक्शन यथोचित सूचना देने के बाद काट दिया जायेगा और

इस सम्बन्ध में किये गये खर्च को राशि पब्लिक डिमाण्ड्स रिकवरी एक्ट, 52 के अनुसार वसूल करली जायेगी ।

(2) मीटर से आगे तथा भू-गृहादि के अन्दर पाइप लाइन का अधिष्ठापन तथा विस्तार, आवेदक, किसी अनुज्ञा-पत्र धारी नलकार (Licensed Plumber) द्वारा या जलदाय विभाग के अनुमोदित ठेकेदार द्वारा करवायेगा लेकिन जब कभी विभाग चाहे या निदेश दे, विभाग का तकनीकी प्रतिनिधि इसका निरीक्षण कर सकेगा ।

(3) उपभोक्ता, वर्षा के पानी या कुएं के पानी या जलदाय गृह के मेन्स के अन्य पानी के संग्रह के लिए काम में लाये जाने वाले किसी हौज या पात्र को अपनी पाइप लाइन के साथ नहीं जोड़ेगा तथा किसी शौचागार, मूत्रागार स्टीम बायलर या किसी उष्ण जल प्रणाली या तापन या व्यापार के प्रयोजनों के काम आने वाले किसी संयंत्र या किसी बन्द पात्र के साथ उनकी (जल)प्रदायक प्रणाली के जरिये के अलावा अन्यथा या किसी भी यांत्रिक साज सामान जैसे पम्प आदि के साथ जल प्रदाय सीधे रूप में सम्बन्धित नहीं किया जायेगा, (देखिये नियम 36) ।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 652 की सूची

कृषि कनेक्शन हेतु विचाराधीन पत्रों की सूची–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	तहसील	प्रार्थना पत्र की दिनांक
1.	श्री रामफूल मीना	बिछोछ	बामनवास	14.3.84
2.	,, काड्या पुत्र रामचन्द्र मीना	,,	,,	14.3.84
3.	,, कंवरपाल पुत्र बीरबल	,,	,,	,,
4.	,, जयनारायण भौरया पुत्र लोहक्या खारवाल	,,	,,	,,
5.	,, रमेशचन्द्र	,,	,,	20.7.84
6.	,, शंकरलाल पुत्र रंगलाल मीना	,,	,,	26.8.87
7.	,, जिन्सी पुत्र सोन्या मीना	,,	,,	11.11.87
8.	,, अर्जुन पुत्र नानगा मीना	,,	,,	1.12.87
9.	,, मोहनलाल हीरालाल मूल्या मीना	,,	,,	14.12.88
10.	,, हरीराम पुत्र ओंकार मीना	,,	,,	29.12.88
11.	,, फैली पुत्र नानगा मीना	,,	,,	,,
12.	,, रामस्वरूप, रामप्रसाद पुत्र कोरपाल मीना	,,	,,	,,
13.	,, जमनालाल पुत्र नाथूलाल मीना	,,	,,	8.2.89
14.	,, रामजीलाल पुत्र शंकरलाल मीना	,,	,,	8.3.89
15.	,, चम्पालाल पुत्र गंगाधर मीना	,,	,,	7.10.89
16.	,, हटीला पुत्र मोरपाल मीना	,,	,,	5.12.89
17.	,, शंभु पुत्र मोरपाल मीना	,,	,,	,,
18.	,, रामसहाय पुत्र लोहक्या मीना	,,	,,	12.2.90

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 656 की फोटो प्रति

जयपुर
म.न. 2168

सेवामें,

श्रीमान सहायक अभियन्ता जी,
R.S.E.B., A जोन, जयपुर–II

महोदय,

सादर निवेदन है कि श्री मोतीराम S/o किशन सिंह पंजाबी मेरे हल्दियों के रास्ते में जो चाकसू के चौक में मकान है, उसमें किरायेदार है अतः यह यदि अपने नाम से Power Elec. का अलग कनेक्शन लेता है तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

प्रार्थिया
नि.–अंगूठा
भंवरी बाई

मोहर
2.7.74

ATTESTED
Sd./-
Notary Public
JAIPUR
2.7.74

Sd./
Assistant Engineer (A-II)
R.S.E.B., JAIPUR

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 661 की सूची

विधान सभा क्षेत्र	पं. समिति	क्र.सं.	ढाणियां, मजरे, गांव 250 आबादी वाले	जनसंख्या
धौलपुर	धौलपुर	1.	पट्टा का पुरा	450
		2.	बरेलापुरा	300
		3.	टेक बिछियां	400
		4.	हैदलपुर	500
		5.	माफल का पुरा	600
		6.	मालवापुरा	400
		7.	टेहूरी का पुरा	600
		8.	लुधपुरा	750
		9.	पायकापुरा	400
		10.	चन्दु का नगला	350
		11.	पिपरी का पुरा	400
		12.	रजई का पुरा	375
		13.	सूपसपुर (रूपसपुर)	250

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 662 की सूची

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	जिला परिषद कार्यालय भवन स्वयं का है अथवा नहीं।	नवीन पंचायत राज व्यवस्था के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में है अथवा नहीं।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	पर्याप्त है	—
2.	अलवर	कार्यालय भवन जिला परिषद का नहीं है।	पर्याप्त नहीं है	—
3.	बांसवाड़ा	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	पर्याप्त है	—
4.	बाडमेर	कार्यालय भवन जि.प. का है।	पर्याप्त है	—
5.	भरतपुर	कार्यालय भवन जि.प. का है।	अपर्याप्त है	—
6.	बारां	कार्यालय भवन जि.प. का है जो निर्माणाधीन है	—	—
7.	भीलवाड़ा	कार्यालय भवन जि.प. का है	अपर्याप्त है	—
8.	बीकानेर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	पर्याप्त है	—
9.	बूंदी	कार्यालय भवन जिला परिषद का है (कलक्ट्रेट परिसर में है)	अपर्याप्त है	—

1	2	3	4	5
10.	चित्तौड़गढ़	जिला परिषद का है	अपर्याप्त है	—
11.	चूरू	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	अपर्याप्त	—
12.	दौसा	कार्यालय भवन जिला परिषद का है निर्माणाधीन है।	—	—
13.	धौलपुर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है निर्माणाधीन	—	—
14.	डूंगरपुर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	अपर्याप्त	—
15.	गंगानगर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	पर्याप्त	—
16.	हनुमानगढ़	जिला नया है अब बनाया जावेगा	—	—
17.	जयपुर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	अपर्याप्त	—
18.	जैसलमेर	कार्यालय भवन हेतु स्थल जिला परिषद का है, निर्माणाधीन है।	—	—
19.	जालौर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	अपर्याप्त	—
20.	झालावाड़	जिला परिषद कार्यालय जिला कलक्ट्रेट परिसर में है।	अपर्याप्त	—
21.	झुंझुनूं	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	अपर्याप्त	—
22.	जोधपुर	कार्यालय भवन राज्य सरकार द्वारा आवंटित है।	अपर्याप्त	—

1	2	3	4	5
23.	नागौर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है	अपर्याप्त	—
24.	कोटा	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	अपर्याप्त	—
25.	पाली	जिला परिषद कार्यालय पंचायत अध्ययन केन्द्र, जोधपुर रोड में चल रहा है।	अपर्याप्त है	—
26.	राजसमन्द	जिला परिषद कार्यालय स्थल उपलब्ध हो गया है निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।		
27.	सवाईमाधोपुर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	अपर्याप्त	—
28.	सीकर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	अपर्याप्त है।	—
29.	सिरोही	कार्यालय भवन हेतु स्थल उपलब्ध हो गया है निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।	—	
30.	टोंक	कार्यालय भवन जिला परिषद, स्वयं का है।	अपर्याप्त है।	
31.	उदयपुर	कार्यालय भवन जिला परिषद का है।	पर्याप्त है।	

(333)

का विवरण

ति गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर)

र्ष–वार

न	परियोजना ऋण एवं वापसी	ऋण एवं अग्रिम	मंडी प्रांगण सुविधाओं पर व्यय	निर्माण कार्यों पर व्यय सड़कों पर	निर्माण कार्य मंडी प्रांगण/ गौण मंडी प्रांगण	(कालम 10 व 11 का) योग
	7	8	9	10	11	12
1	3057722	29500	522752	135000	527163	662163
3	4247098	160500	869016	356000	844071	1200071
3	988210	157520	1081760	758000	2169930	2927930
)	–	48000	859725	346000	5054000	5400000
7	–	51000	945394	633092	3477908	4100000

परिशिष्ट–ब

क्र. सं.	सड़क का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति	कार्य की स्थिति
1.	स.स. नादौती से बरड़ाला 2 कि.मी.	17148/7.3.87	8.00	1.00	डबलू बी एम कार्य पूर्ण हो चुका है, 1.26 किमी में डामर का कार्य शेष एलाईनमेंन्ट डिस्पूट के कारण कार्य नहीं हो सका।
2.	स.स. बालाखेडा से भ्रांधिया खेड 2 कि.मी.	10918–27/ 23.9.89	4.00	3.50	
3.	स.स. गंगापुर नादौती रोड से बाडा पिचनौद 2 कि.मी.	,, ,,	4.00	3.50	डबलू बी एम कार्य पूर्ण
4.	स.स. लालसर दौसा रोड से पाला 3 कि.मी.	कृषि/ग्रा.प.–2/ 26.5.93	16.50	5.00	कार्यादेश दिनांक 10.2.95 को जारी किया जा चुका है कार्य समाप्ति की संभावित दिनांक 24.2.96 है।
5.	स.स. खेडा महावीर जी नादौती रोड से कुन्जेला 5 कि.मी.	,, ,,	18.75	5.00	कार्यादेश दि. 14.2.95 को जारी किये जा चुके हैं। कार्य समाप्ति की सम्भावित तिथि 30–12–95 है।

(335)

338

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 672 की प्रतियां

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक: प. 7 (28) कृषि/2/93   जयपुर, दिनांक: 25.4.1994

आदेश

निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण जनहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	कहां से	कहां को	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1 से 31				
32.	श्री भंवरसिंह जैतावत	सचिव, कृ.उ. मं.स. सोजत-रोड़	सचिव, कृ.उ. मं.स. भादरा	श्री लूणाराम के स्थान पर
33 से 44				

आज्ञा से

ह./–

(रमेश कुमार जैन)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : एफ. 7 (28) कृषि/ग्रुप–2/93 जयपुर, दिनांक : 6.6.94

: आदेश :

निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण जन हित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं

क्र.सं. 1	नाम अधिकारी 2	कहां से 3	कहां जो 4	विशेष विवरण 5
1.	श्री भंवर सिंह जैतावत	सचिव, कृ.उ. मं.स., भादरा (स्थानान्तरणाधीन)	सचिव, कृ.उ. मं.स., सोजत-रोड़	श्री अब्दुल सत्तार के स्थान पर
2.	श्री अब्दुल सत्तार	सचिव, कृ.उ. मं.स., सोजत रोड़	क.वि. अधिकारी, क्षेत्रीय उप निदेशक, कार्यालय जोधपुर (आदेश की प्रतीक्षा में)	

क्रम संख्या–3 से 12 अन्य

आज्ञा से
ह./–
(रमेश कुमार जैन)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 673 का विवरण

मंडी समिति, अलवर, खेड़ली व खैरथल द्वारा व्यय की गयी राशि का मदवार विवरण

राशि लाखों में

क्र.सं.	पद का नाम	अलवर 1992-93	अलवर 1993-94	अलवर 1994-95	खेड़ली 1992-93	खेड़ली 1993-94	खेड़ली 1994-95	खैरथल 1992-93	खैरथल 1993-94	खैरथल 1994-95
1.	संस्थापन व्यय	18.71	19.46	24.08	7.57	9.91	10.91	14.59	12.92	16.15
2.	कार्यालय व्यय	1.18	2.01	2.64	3.54	1.43	1.63	1.45	0.85	1.30
3.	मंडी सुविधाएं	15.54	13.43	15.85	2.41	8.74	5.64	3.91	3.25	3.39
4.	ऋण एवं अग्रिम	59.12	55.54	42.23	0.51	—	0.33	1.75	0.54	1.93
5.	बोर्ड अंशदान	16.38	17.41	33.51	8.67	10.01	10.77	7.47	6.89	15.95
6.	निर्माण कार्य एवं अन्य	156.86	93.69	203.62	54.00	58.00	109.24	85.00	93.00	80.00
7.	भूमि क्रय	—	—	50.00	—	—	—	—	—	53.00
8.	परियोजना ऋण वापसी	—	—	—	—	—	—	—	—	3.81
	योग	267.79	201.54	371.93	76.70	88.09	138.52	114.17	117.45	175.53

वर्ष 1994-95 में कृषि उपज मंडी समिति, अलवर, खेड़ली एवं खैरथल में बजट के अनुसार व्यय का विवरण

राशि लाखों में

क्र.सं.	पद का नाम	अलवर		खेड़ली		खैरथल	
		स्वीकृत बजट	व्यय	स्वीकृत बजट	व्यय राशि	स्वीकृत बजट	व्यय
1.	संस्थापन	26.72	24.08	13.96	10.91	16.88	16.15
2.	कार्यालय व्यय	4.75	2.64	2.63	1.63	1.58	1.30
3.	मंडी सुविधाएं	15.52	15.85	3.63	5.64	4.67	3.39
4.	ऋण एवं अग्रिम	50.03	42.23	0.65	0.33	1.64	1.93
5.	बोर्ड अंशदान	34.01	33.51	10.00	10.77	14.03	15.95
6.	निर्माण कार्य एवं अन्य व्यय	272.66	203.62	178.00	109.24	124.48	80.00
7.	भूमि क्रय	50.00	50.00	—	—	53.00	53.00
8.	परियोजना ऋण वापसी	—	—	—	—	3.80	3.81
	योग	453.69	371.93	208.87	138.52	220.08	175.53

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 676 की सूची

राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 31.12.1994 को उपलब्ध शिक्षित/अशिक्षित आशार्थियों की संख्या का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	अशिक्षित	शिक्षित	योग
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	19689	27724	47413
2.	अलवर	15901	35231	51132
3.	बांसवाड़ा	5329	8743	14072
4.	बारां	3113	5448	8561
5.	बाड़मेर	5975	5942	11917
6.	भरतपुर	13579	27059	40638
7.	भीलवाड़ा	7384	11910	19294
8.	बीकानेर	13473	12273	25746
9.	बून्दी	4025	8484	12509
10.	चित्तौड़गढ़	7689	11690	19379
11.	चूरू	8442	7132	15574
12.	दौसा	948	14700	15648
13.	धौलपुर	3106	6955	10061
14.	डूंगरपुर	7699	5854	13553
15.	जयपुर	46570	139579	186149
16.	जैसलमेर	3080	3528	6608
17.	जालौर	4725	4715	9440
18.	झालावाड़	5139	8798	13937
19.	झुन्झुनूं	10786	21765	32551

1	2	3	4	5
20.	जोधपुर (दिनांक 30.6.94 को)	30533	27009	57542
21.	कोटा	10116	19274	29390
22.	नागौर	6948	19751	26699
23.	पाली	6165	9906	16071
24.	राजसमन्द	6820	3989	10809
25.	सवाईमाधोपुर	8803	23535	32338
26.	सीकर	6333	16338	22671
27.	सिरोही	3202	4326	7528
28.	श्रीगंगानगर	11675	23917	35592
29.	टोंक	8396	11755	20151
30.	उदयपुर	17290	21382	38672
	योग	302933	548712	851645

राज्य में कार्यरत नियोजन कार्यालयों की सूची

क्र.सं.	जिले का नाम	रोजगार कार्यालय का नाम
1	2	3
1.	अजमेर	1-उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, अजमेर 2-व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं स्व-रोजगार यूनिट, अजमेर। 3-ग्रामीण रोजगार कार्यालय, ब्यावर।
2.	अलवर	1-उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, अलवर। 2-उप रोजगार कार्यालय, भिवाड़ी

1	2	3
3.	बांसवाड़ा	1–जिला रोजगार कार्यालय, बांसवाड़ा।
		2–उप रोजगार कार्यालय, गढ़ी।
4.	बारां	1–जिला रोजगार कार्यालय, बारां।
5	बाड़मेर	1–जिला रोजगार कार्यालय, बाड़मेर।
6.	भरतपुर	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, भरतपुर
7.	भीलवाड़ा	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, भीलवाड़ा।
8.	बीकानेर	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, बीकानेर।
9.	बूंदी	1–जिला रोजगार कार्यालय, बूंदी।
10.	चित्तौड़गढ़	1–जिला रोजगार कार्यालय, चित्तौड़गढ़।
		2–उप रोजगार कार्यालय, प्रतापगढ़।
		3–उप रोजगार कार्यालय, रावतभाटा।
11.	चूरू	1–जिला रोजगार कार्यालय, चूरू।
12.	दौसा	1–जिला रोजगार कार्यालय, दौसा।
13.	धौलपुर	1–जिला रोजगार कार्यालय, धौलपुर।
14.	डूंगरपुर	1–जिला रोजगार कार्यालय, डूंगरपुर।
		2–उप रोजगार कार्यालय, सागवाड़ा।
15.	जयपुर	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जयपुर।
		2–व्यावसायिक एवं प्रशासनिक रोजगार कार्यालय, जयपुर।
		3–विशेष रोजगार कार्यालय, विकलांग, जयपुर।
		4–विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र जयपुर।
16.	जैसलमेर	1–जिला रोजगार कार्यालय, जैसलमेर।
17.	जालौर	1–जिला रोजगार कार्यालय, जालौर।
18.	झालावाड़	1–जिला रोजगार कार्यालय, झालावाड़।
19.	झुन्झुनूं	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, झुन्झुनूं।
20.	जोधपुर	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर।
		2–विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, जोधपुर।

1	2	3
21.	कोटा	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, कोटा ।
22.	नागौर	1–जिला रोजगार कार्यालय, नागौर ।
23.	पाली	1–जिला रोजगार कार्यालय, पाली ।
24.	राजसमन्द	1–जिला रोजगार कार्यालय, राजसमन्द ।
25.	सवाई माधोपुर	1–जिला रोजगार कार्यालय, सवाई माधोपुर ।
26.	सीकर	1–जिला रोजगार कार्यालय, सीकर ।
27.	सिरोही	1–जिला रोजगार कार्यालय, सिरोही ।
28.	श्रीगंगानगर	1–जिला रोजगार कार्यालय, श्रीगंगानगर ।
29.	टोंक	1–जिला रोजगार कार्यालय, टोंक
30.	उदयपुर	1–उप-क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, उदयपुर ।
		2–विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, उदयपुर ।
		3–जनजाति क्षेत्रीय कार्यालय, नियोजन, उदयपुर ।

परिशिष्ट--15

अतारांकित प्रश्न संख्या 677 का विवरण

कार्यों का विवरण जिन पर वर्ष 1994-95 में राशि व्यय की गई।

क्र. सं.	कार्य का विवरण
1	2
1.	मृदा परीक्षण प्रयोगशाला
2.	कृषि यंत्रों का गुण नियंत्रण
3.	कृषि प्रदर्शन
4.	राष्ट्रीय कृषि प्रसार परियोजना
5.	कृषि सूचना उप परियोजना
6.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम
7.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
8.	बीज परीक्षण प्रयोगशाला
9.	मूषक नियंत्रण कार्यक्रम
10.	जैविक कीट नियंत्रण
11.	कृषि यंत्रों को लोकप्रिय बनाना
12.	शुष्क खेती प्रदर्शन
13.	कृषक प्रशिक्षण
14.	पानी के अनुकूलतम उपयोग हेतु कृषकों को प्रशिक्षण
15.	खेतों में नालियों के लिए अनुदान
16.	कृषि वानिकी एवं चारा विकास
17.	मक्का का सघन उत्पादन
18.	फल विकास कार्यक्रम, ग्राफटिंग व प्लान्ट प्रोटेक्शन यंत्र व रसायन
19.	उन्नत किस्मों का परिचय
20.	फल विकास प्रशिक्षण व नर्सरी निर्माण नयी फसलों का प्रदर्शन
21.	मेसिव कार्यक्रम
22.	रेशमी कीट पालन

1	2
23.	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना
24.	भू-संरक्षण इकाई का सुदृढ़ीकरण
25.	नदी घाटी योजनाएं माही, दांतीवाड़ा व चम्बल
26.	गोपाल योजना
27.	पशु चिकित्सालय/औषधालय/चल औषधालय
28.	पशुपालन कार्यक्रम, पशु पोलीक्लिनिक, कुक्कुट, बतख पालन, बीमारियों का नियंत्रण, कृत्रिम गर्भाधान
29.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पशुपालन कार्यक्रम
30.	भेड़, ऊन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
31.	उन्नतम व संकर मेढ़ा वितरण
32.	डेयरी विकास
33.	मत्स्य विकास, मत्स्य बीज उत्पादन व प्रशिक्षण आदि
34.	नाव जाल क्रय हेतु अनुदान तथा मत्स्य सहकारी समितियों का गठन
35.	मत्स्य तालाबों का विकास एवं अनुरक्षण
36.	मत्स्य पालकों का बीमा व खुदरा मत्स्य विक्रय केन्द्र
37.	वन विकास कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, ईंधन व चारा विकास, वाणिज्यिक वृक्षारोपण।
38.	अरावली वृक्षारोपण राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम एवं वन सुरक्षा
39.	एकीकृत सहकारी विकास कार्यक्रम, सहकारी साख स. आदि
40.	राज संघ के माध्यम से सहकारी विकास के कार्यक्रम
41.	बीड़ी उत्पादन कम्प्यूटर प्रशिक्षण
42.	एकीकृत ग्रामीण विकास, ट्राइसम महिला विकास जवाहर रोजगार, अपना गांव अपना काम योजना आश्वासित रोजगार कार्यक्रम, निर्बन्ध राशि, तीस जिले तीस काम, सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास
43.	पंचायती राज संस्थाओं का पुर्नजीविकरण ग्रामीण शौचालय आदि।
44.	भू-प्रबन्ध
45.	बहुउद्देशीय सिचाई योजना-माही

1	2
46.	बहुउद्देशीय सिचाई कार्यक्रम–जाखम
47.	मध्यम सिचाई कार्यक्रम सोमकमला आम्बा, सोमकागदर जयसमन्द का आधुनिकीकरण
48.	लघु सिचाई परियोजनाएं, कुएं गहरे कराना, जलोत्थान सिंचाई योजनाएं, एनीकट सामुदायिक पंपसैट, सिंचित क्षेत्र विकास
49.	विद्युत उत्पादन एवं वितरण ग्रामीण विद्युतीकरण गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत
50.	जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण
51.	जिला उद्योग केन्द्र सेमीनार व प्रदर्शनियां पूंजी विनियोजन अनुदान गृह उद्योग।
52.	खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम
53.	रीको द्वारा संचालित कार्यक्रम
54.	सघन खनिज सर्वेक्षण एवं खानों तक सम्पर्क सड़क रॉक फास्फेट अन्वेषण कार्यक्रम
55.	सड़कें एवं सेतु निर्माण
56.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
57.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी लोकप्रियता, प्रचार शोध सहायता आदि
58.	पर्यावरण विकास कार्य व चेतना शिविर
59.	प्रारम्भिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा
60.	शैक्षिक उत्प्रेरणा एवं प्रोत्साहन
61.	आश्रम छात्रावासों का संचालन
62.	उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण शिविर
63.	शैक्षिक भ्रमण खेल कूद स्काउट गाइड आदि
64.	माध्यमिक शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा संस्कृत शिक्षा आदि
65.	तकनीक शिक्षा आई. टी. आई. पोलीटेक्निक, मिनी आई.टी.आई. आदि
66.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम नयी संस्थाएं, सुदृढ़ीकरण व भवन निर्माण

1	2
67.	चल शल्य इकाई एवं शिविर
68.	जल प्रदाय योजनाएं
69.	नारू उन्मूलन कार्यक्रम
70.	आवासन की योजनाएं मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, आवासन मण्डल व ग्रामीण आवास
71.	सूचना एवं जनसंपर्क
72.	नियोजन रोजगार मेलों व व्यावसायिक मार्गदर्शन आदि
73.	श्रम व कारखाना एवं वाष्प यन्त्र कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण
74.	पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति कल्याण, समाज कल्याण कार्यक्रम
75.	पोषाहार कार्यक्रम
76.	अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम पहल (सीडा सहायता)
77.	पशुधन सहायक, नर्सिंग, आयुर्वेद कम्पाउण्डर प्रशिक्षण
78.	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन कार्यक्रम
79.	पर्यटन विकास कार्यक्रम, पर्यटन सूचना, मेले प्रचार त्यौहार आदि
80.	जेल भवनों का निर्माण

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 679 का ब्यौरा

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर

संरक्षित प्राचीन स्मारकों पर वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 में किये गये विशेष मरम्मत कार्यों की सूची

		(राशि रुपयों में)			
क्र.सं.	स्मारकों का नाम	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5	6
1.	आमेर महल, आमेर	1,10,000	61,400	48,000	1,23,367
2.	हवामहल, जयपुर	6,300	18,000	3,000	19,577
3.	जन्तर मन्तर, जयपुर	21,400	1,500	—	—
4.	अल्बर्ट हाल (केन्द्रीय संग्रहालय) जयपुर	1,000	1,200	22,000	—
5.	चौपड़ा महादेव, धौलपुर	14,000	9,000	2,000	—
6.	मुच कुण्ड, धौलपुर	37,300	—	—	—
7.	जार जरीन मस्जिद, धौलपुर	23,000	1,800	—	—
8.	भावपुरा की छतरी, जयपुर	—	14,400	1,300	—
9.	मांजी की छतरी, जयपुर	7,200	—	—	—
10.	शिव मंदिर थांवला, (नागौर)	1,600	—	20,000	—
11.	नत्थूसर गेट, बीकानेर	—	—	10,000	—
12.	शीतला गेट, बीकानेर	—	—	12,000	—
13.	सिटीवाल, बीकानेर	20,500	4,500	—	—
14.	बीकाजी की टेकरी, बीकानेर	50,600	5,000	—	—
15.	अकबर का किला, अजमेर	—	18,800	32,000	—
16.	सूर्य मंदिर, मन्देसर, उदयपुर	—	—	11,000	44,397

1	2	3	4	5	6
17.	अम्बिका मंदिर, जगत, उदयपुर	—	—	—	36,968
18.	चावण्ड, उदयपुर	51,000	20,600	—	—
19.	गंगोदभव कुण्ड, आहाड़ (उदयपुर)	11,000	—	—	—
20.	ईसवाल मंदिर, उदयपुर	5,100	19,600	—	—
21.	नाहरगढ़ किला, जयपुर	—	—	14,400	55,053
22.	मुगलगेट विराटनगर, जयपुर	18,000	2,000	—	—
23.	गेटोर की छतरियां, जयपुर	11,700	—	—	19,840
24.	फतेह प्रकाश महल (राज. संग्रहालय) चित्तोड़गढ़	—	—	20,000	44,978 संग्रहालय उप मद 107 (आयोजना)
25.	करण महल, उदयपुर	—	—	—	33,989
26.	शिवाना किला, बाड़मेर	49,900	62,800	—	—
27.	बृज बिलास, कोटा	—	76,500	2,000	—
28.	हमाम, भरतपुर	51,600	—	—	89,778
29.	सूरजपोल बुर्ज, भरतपुर	—	17,100	—	—
30.	अमरसिंह की छतरियां, नागोर	—	—	—	18,341
31.	शिव मंदिर, कमलेश्वर, बूंदी	20,000	—	—	—
	योग:–	5,11,200	3,34,800	1,97,400	4,96,288

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 682 की सूची

श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय औषधालयों की सूची एवं उनमें उपलब्ध भवन व्यवस्था का विवरण

क्र.सं.	स्थान	औषधालय भवन की व्यवस्था	चिकित्सक आवास की व्यवस्था
1	2	3	4
1.	मीरगढ़ (12 एम. एल.डी.)	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भवन निर्माण कराया हुआ है।	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा भवन निर्माण कराया हुआ है।
2.	रावला गांव	,,	,,
3.	बीरमाना	,,	,,
4.	बिरधवाल	,,	,,
5.	मधेवाली	,,	,,
6.	जोरावरपुरा	,,	,,
7.	कूपली	,,	,,
8.	मोमेवाला	,,	,,
9.	राजपुरा पिपरेन	,,	,,
10.	संगीता	,,	आवास व्यवस्था नहीं है।
11.	रोजड़ी	ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया हुआ है।	,,
12.	घड़साना	,,	,,
13.	रावला मण्डी	,,	,,
14.	हिस्यामकी	,,	,,

1	2	3	4
15.	आर.डी. 365 हैडमण्डी	ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया हुआ है।	आवास व्यवस्था नहीं है।
16.	मोकलसर	"	"
17.	बिलोचिया	"	"
18.	जैतसर	"	"
19.	4 बी.एल.डी.	"	"
20.	अनूपगढ़	आनन्दगढ़ से स्थानान्तरित औषधालय अनूपगढ़ वर्तमान में 7 के.पी.टी. में चल रहा है। अनूपगढ़ में औषधालय चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं।	

परिशिष्ट--18

अतारांकित प्रश्न संख्या 683 की सूची

वर्ष 1991–92 से 1994–95 तक, आयुर्वेद विभागान्तर्गत नवीन स्वीकृत औषधालयों का विवरण

क.सं.	औषधालय का नाम	जिला	चिकित्सा पद्धति
1	2	3	4
वर्ष 1991–92			
1.	राजभवन	जयपुर	आयुर्वेद
2.	सौंथलिया	झुंझुनूं	आयुर्वेद
3.	बरलूट	सिरोही	आयुर्वेद
4.	शंखवाली	जालौर	आयुर्वेद
5.	अलोढ	कोटा	आयुर्वेद
6.	डाबलाभोज	झालावाड़	आयुर्वेद
7.	तख्तगढ़	पाली	आयुर्वेद
8.	गोगाथला	राजसमन्द	आयुर्वेद
9.	रामसनीषाला	पाली	आयुर्वेद
10.	सांयला	जालौर	आयुर्वेद
11.	रामपुरा	सिरोही	आयुर्वेद
12.	कैलाश	सीकर	आयुर्वेद
13.	जासासर	चूरू	आयुर्वेद
14.	आमथला	सिरोही	आयुर्वेद
15.	आबड़सर	चूरू	आयुर्वेद
16.	कोटड़ी	बाड़मेर	आयुर्वेद
17.	उनियारा	टौंक	आयुर्वेद
18.	जाम्बडापाल	उदयपुर	आयुर्वेद
19.	रायपुर	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद

1	2	3	4
20.	पालगलन्दा	डूंगरपुर	आयुर्वेद
21.	पाडोली गोर्धन	बांसवाड़ा	आयुर्वेद
22.	सिलेगढ़	झालावाड़	होम्योपैथिक
23.	कुसुम्बी	नागौर	होम्योपैथिक
24.	पोकरण	जैसलमेर	युनानी
25.	जाडन	पाली	प्राकृतिक
वर्ष 1992–93			
1.	ठीकरिया	बांसवाड़ा	आयुर्वेद
2.	खेरडा बड़ा	बांसवाड़ा	आयुर्वेद
3.	अचलपुर	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद
4.	भैसरा	डूंगरपुर	आयुर्वेद
5.	उदेपुरिया	उदयपुर	आयुर्वेद
6.	दौसा	दौसा	आयुर्वेद
7.	राजसमन्द	राजसमन्द	आयुर्वेद
वर्ष 1994–95			
1.	पण्डावा	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद
2.	घणेतर	चित्तौड़गढ़	आयुर्वेद
3.	कतिसोर	डूंगरपुर	आयुर्वेद
4.	कोटड़ा	उदयपुर	आयुर्वेद
5.	ओरवा	बांसवाड़ा	होम्योपैथिक

वर्ष 1993–94 में राज्य में कोई नवीन औषधालय स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

(353)

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	171	18	पत्रों	पत्र.
2.	379	21	सेडोलेस्सेंट	एडोलेसेंट